राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6]   नवम् विधान सभा के षष्ठम सत्र का बाइसवां दिवस   [संख्या : 15

सोमवार,

16 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक म. पू.) 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर में साम्प्रदायिक दंगा फैल चुका है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, चार आदमी गम्भीर रूप से घायल हैं जिनकी मौत हो सकती है। पुलिस फायरिंग हो गई है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, नागौर के अन्दर जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ है मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्न-काल को स्थगित करके इसके ऊपर तुरन्त चर्चा आरम्भ करें। अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है....

डा. चन्द्रभान : इसलिए इस मुद्दे के ऊपर आप प्रश्नकाल को स्थगित करने का काम करें यह हमारा आपसे आग्रह है।.... (व्यवधान)....एक आदमी मरा है चार बहुत ही गम्भीर स्थिति में हैं और वहां पर कर्फ्यू लग गया है। कर्फ्यू के चलते वहां पर लोगों को भोजन सामग्री नहीं मिल रही है, दूध नहीं मिल रहा है। पूरे नागौर में तनाव है पूरे प्रदेश में। अध्यक्ष महोदय, होली का त्यौहार आ रहा है इसलिए आगे भी साम्प्रदायिक स्थिति खराब हो सकती है क्योंकि होली का त्यौहार परसों आने वाला है इसलिए इस गम्भीर मसले पर प्रश्नकाल को स्थगित करके....

श्री अध्यक्ष : बैठिए। इस सम्बन्ध में सरकार अपनी ओर से आज वक्तव्य दे रही है और शून्यकाल में आपको जो कहना है वह कह लीजिए।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर जिले की जनगणना

390. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर जिले में जनगणना 1991

②

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

का कार्य कितने चरणों में सम्पन्न हुआ व जोधपुर शहर व जिले की जनगणना कितनी हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परिगणना के दौरान कई ब्लाक्स की परिगणना नहीं की गई व बहुत से ब्लाक्स बिना परिगणना के रह गए ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शिथिलता बरतने वाले अधिकारी को 15 अगस्त को जिला प्रशासन द्वारा पुरस्कृत किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि जनगणना अधिकारियों की लापरवाही के कारण जोधपुर शहर राज्य व केन्द्र से मिलने वाली सुविधा से वंचित रहेगा ?

राज्य मंत्री आर्थिक एवं सांख्यिकी (श्री मदन मोहन सिंघल) : (1) भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जनगणना के कार्य दो चरणों में सम्पन्न हुए। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण कार्य सम्पन्न हुआ तथा द्वितीय चरण में परिगणना का कार्य पूर्ण किया गया।

जनगणना 1991 के द्वितीय चरण परिगणना के अनुसार जोधपुर शहर व जोधपुर जिले की अन्तिम (प्रोविजनल) जनसंख्या क्रमशः 6, 48, 621 एवं 21, 27, 552 रिकार्ड की गई है।

(2) जी नहीं। कोई भी ब्लाक परिगणना के क्षेत्र से नहीं छूटा है। अतः सूची का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं, । प्रश्न दो के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई सम्भावना नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि सरकार ने जो आपके पास उत्तर भेजा है उससे मैं बिलकुल ही सन्तुष्ट नहीं हूं। इसके अन्दर तो कुछ दिया ही नहीं है। जो बात तथ्य की है वह एक भी नहीं दी है। यह कोई उत्तर है क्या ? जी नहीं और जी हां के अलावा इनके पास कोई उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसमें तथ्य की बात जो आप चाहती थीं वह तो आ गई। आप यही चाहती थी कि जोधपुर की आबादी पांच लाख से ज्यादा हो जाए वह तो हो गई 6 लाख 48 हजार।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं थोड़ा सा ब्यौरा दे दूं। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय, का ध्यान दिलाना चाहती हूं जोधपुर जिले की

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

1981 के अन्दर जनगणना 16, 68,7'91 थी, 1991 की जनगणना 21, 27, 552 इस प्रकार 4, 58, 761 की बढ़ोतरी हुई है। अब जोधपुर नगर की बता रही हूं 1981 में 5, 06, 345 थी, 1991 की जनगणना 6, 48, 621 है। इस प्रकार जनगणना में दस वर्षों में 1, 42, 276 की बढ़ोतरी हुई है। दस साल के अन्दर इतनी जनगणना हो सकती है अध्यक्ष महोदय, इनका उत्तर सही नहीं है। मैंने तो इनको कहा कि टेबिल के ऊपर रखिए। एक और भी मैं बता देना चाहती हूं, जनगणना के दौरान जोधपुर नगर के क्षेत्र के अन्दर कई ऐसी जगह हैं जो छूट गई हैं फिर भी मंत्री महोदय, उसको बताना नहीं चाहते हैं। मैं वह नाम भी बता दूंगी।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछ रही हैं या भाषण दे रही हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं सवाल पूछ रही हूं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि वह जरा बता दें मैंने जो बताया उसके हिसाब से आपके पास क्या हिसाब है ?

श्री अध्यक्ष : आपने वही बताया है जो आप बता रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इन्होंने कहां बताया साहब एक लाख ही दस साल में बढ़ी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : और ज्यादा बढ़ाना चाहती हैं क्या आप ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : बढ़ाना क्या चाहती हूं, यह तो बढ़ेगी, बढ़ाना मैं क्या चाहती हूं, यह तो बढ़ी है। एक वोटर भी पांच साल के अन्दर कितना बढ़ जाता है तो यह जनगणना तो दस साल के अन्दर कितनी बढ़ी....

श्री अध्यक्ष : तो मन्त्री जी क्या करेंगे जब बढ़ गई तो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनका पर्सेन्टेज भी निकाल कर इनको बता दूंगी जो इन्होंने नहीं बताया। 1971 में रेगिस्तानी जिलों की आबादी का विस्तार 38.32 प्रतिशत रहा। जो राष्ट्रीय वृद्धि 24.75 प्रतिशत से कहीं अधिक था। इतना ही नहीं जनगणना की वृद्धि में जोधपुर की जनसंख्या वृद्धि में 44.66 प्रतिशत थी अगर इस वृद्धि को बढ़ती आबादी का सूचक मानें तो भी जोधपुर की जनसंख्या 9 लाख होनी चाहिए। मगर इनके हिसाब से तो इन्होंने जोधपुर को इतना पीछे धकेल दिया कि दस पन्द्रह साल में भी जोधपुर ऊपर नहीं आ सकता है। इससे माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर ही नहीं पूरे जोधपुर जिले की जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। कैरोसिन की वजह से लो चाहे धान की वजह से लो, जोधपुर में इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं अध्यक्ष महोदय, इनको कहिए बताएं।

श्री मदन मोहन सिंघल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि पहले इन्होंने पूछा है कि जो प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर जिले में 1971 में जो जनसंख्या थी वह 11 लाख 53 हजार थी और 1981 में 16 लाख 68 हजार उसके बाद 1991 में जो जनगणना प्रोवीजनल हुई है उसके अनुसार 21 लाख 28 हजार हुई है बढ़ोतरी जोधपुर जिले की जनसंख्या में हर दशक में हुई है और यह राजस्थान में भी इसी तरीके से हुई है। राजस्थान की थी 257 लाख 1971 में।

श्री अध्यक्ष : प्रतिशत बता दीजिए आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जोधपुर का प्रतिशत बताइए।

श्री मदन मोहन सिंघल : जोधपुर का प्रतिशत 1961 से 1971 की जनसंख्या में रहा 30.17 और 1971 में रहा 44.82 लाख और 1981-में यह प्रतिशत घटा है तो पूरे राजस्थान में ही यह प्रतिशत घटा है और जोधपुर जिले का भी घटा है।

श्रीमती तारा भण्डारी : घटा है तो है क्या वह बताइए आप।

श्री मदन मोहन सिंघल : यह प्रतिशत हुआ है 27.57 इस तरह से राजस्थान में कुल राज्य में भी प्रतिशत घटा है। पहले था 27.83 जो बढ़कर 32.97 हुआ लेकिन बाद में 28.7 ही रह गया है। इस तरह से इस दशक में जनसंख्या की वृद्धि पहले....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह तो सारे ही बता रहे हैं। इनके उत्तर से मैं बिल्कुल भी सन्तुष्ट नहीं हूं। न इनके पास कोई उत्तर है, न मन्त्री महोदय कोई तैयारी करके आए हैं। मुझे ऐसा लगता है....

श्री अध्यक्ष : इनका जवाब तो समझा ही नहीं आपने। इन्होंने यह कहा है कि जोधपुर में जनसंख्या पहले जो बढ़ी थी उससे कम बढ़ोतरी हुई है इस बार। यह अच्छा हुआ है, फेमिली प्लानिंग कामयाब हुआ है वहां।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : बढ़ोतरी कम कैसे हुई साहब, जोधपुर की जनता तो पीछे रह गई। आप भी क्या बता रहे हो साहब, कम तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है। साहब....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। एक मिनट।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के अन्दर अकाल के कारण जो गांव के लोग शहरों में आकर या मजदूरी के लिए जिनमें अधिकांश शिड्यूल्ड कास्ट के लोग है जोधपुर में अनधिकृत, बिना कोई परमिशन के या शहर के आस पास अपनी मवेशी और मजदूरी के लिए आकर

(श्री रामसिंह विश्नोई)

बस गए हैं वह भी इस जनसंख्या में शामिल है या नहीं ?

दूसरा मिलिट्री के जो लाख सवा, लाख आदमी हैं वह इसमें शामिल हैं या नहीं ? यह बताने की कृपा करें।

श्री मदन मोहन सिंघल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनगणना का कार्य सम्पादन, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जोधपुर जिले की जनसंख्या का काम चल रहा है। यह अभी अभी प्रोविजनल है, सही नहीं है. अभी और उनके सही तथ्य, सही आंकड़े आने में कम से कम एक साल का समय लगेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मैं जिले का नहीं शहर का पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आंकडे अभी प्रोविज-नल ही है ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जनगणना के सम्बन्ध में सरकार की ओर से भारत सरकार की ओर से एक समय निश्चत किया जाता है, दिन निश्चित किया जाता है। उस दिन जो आदमी वहां होगा वही जनगणना में उस दिन शामिल होगा। अब उस दिन मजदूर अगर बाहर के आये हुये थे तो वह भी शामिल होंगे जनगणना जिस दिन की जाती है, हाउस टु हाउस उस दिन जो आदमी हाउस में मिलता है उसकी गिनती होती है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मामला यह नहीं है गवर्नमेंट की पालिसी है कि अगर किसी व्यक्ति का शहर के अन्दर कहीं नाम दर्ज हो जाता है तो फिर उस आदमी को प्लॉट देना पड़ता है, जरूरी है। मेरे ख्याल से यह हो सकता है कि प्लॉट नहीं देना पड़े, एक बार नियमन करना पड़ता है फिर मेरे ख्याल से जो लोग वाकई में इतने लाख पचास हजार आदमी जो शहर में रह रहे हैं यू. आई. टी. ने देखा कि इनका नियमन नहीं करना पड़े....

श्री अध्यक्ष : शहरों में लाख पचास हजार तो आते जाते रहते हैं वैसे ही। नेक्स्ट, श्री श्रीचन्द कृपलानी। आप बिरा-जिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनें। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको सारा बता रही हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है एक सेकिण्ड....

श्री अध्यक्ष : भाषण में बता देना। मेरी सुनिये आप। मुझे 10 सवाल लेने है आपको जो बताना है फिर भाषण में बता देना।

श्री सूर्यकान्ता व्यास : मैं भाषण नहीं दे रही हूं। मैंने तो पाइन्ट बताया है। भाषण कहां दिया। मैंने इनको पूछा है कि किसको प्रमाण पत्र दिया गया 15 अगस्त को। उनको टेबल के ऊपर नहीं रखा, जो सवाल पूछती हूं वह तो यह कुछ बताते नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय यह....

(6)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री श्रीचन्द कृपलानी....(व्यवधान)

राज्य में प्रस्तावित आंगनबाड़ी केन्द्र

391. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) वर्ष 1989-90 व 1991 में राज्य के किन-किन स्थानों पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये ? वर्ष 1992 में किन-किन स्थानों पर सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र खोलना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निम्बाहेड़ा में आंगन बाड़ी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र सरकार कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्री रतनलाल जाट) : (1) वर्ष 1989-90 व 1991 में खोले गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 1992 में खोले जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थान का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

2. जी हां, निम्बाहेड़ा पंचायत समिति (चित्तौडगढ़) की आधारभूत सूचना परियोजना की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजी गई है। बाल विकास परियोजना को स्वीकृति करना भारत सरकार का अधिकार क्षेत्र है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार में जो आंगनबाड़ी केन्द्र प्रस्तावित किये जाते हैं केन्द्र सरकार ने, इसके बारे में कोई मापदण्ड तय कर रखा है क्या, यदि हां, तो मापदण्ड क्या है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा है कि आई. सी. डी. एस. के प्रोजेक्ट खोलना भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है और जिन मापदण्डों के आधार पर यह प्रोजेक्ट्स खोले जाते हैं उसमें पहला बिन्दु जनजाति उपयोजना क्षेत्र की पंचायत समिति हो 30 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति का क्षेत्र हो, सूखा सम्भावित क्षेत्र योजना, मरू विकास योजना, पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत आने वाली पंचायत समिति हो, बाढ़ सम्भावित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली पंचायत समिति हो, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी आबादी के बहुतायत वाले क्षेत्र, 20 प्रतिशत या इससे अधिक अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले क्षेत्र, ये परियोजनाओं का आधार, ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने के हैं। शहरी क्षेत्र में आई. सी. डी. एस. के प्रोजेक्ट खोलने का अधिकार

(श्री रतनलाल जाट)

2 लाख व अधिक आबादी वाले क्षेत्र, जिसमें कच्ची बस्ती क्षेत्र की बहुतायत हो, वहां खोले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इस वर्ष कितने केन्द्र प्रस्तावित हैं और जो चित्तौड़ जिले की भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति है उसको भी शामिल किया गया है क्या? वहां भी खोलने के लिये केन्द्र सरकार को सिफारिश की है क्या?

श्री रतनलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, आई. सी. डी. एस. के प्रोजेक्ट्स वर्ष 1989-90 में 12 नये शुरू किये गये थे, 1990-91 में 14 प्रोजेक्ट्स शुरू किये गये हैं, वर्ष 1991-92 में 15 नये प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं और हाल ही में भारत सरकार ने एक पत्र दिनांक 26. 2. 92 में लिखा है, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि पांच नए केन्द्र वह स्वीकृत करने जा रही है। गंगानगर, सपोटरा, (सवाई माधोपुर) नदबई (भरतपुर) दौसा जिला दौसा, निवाई (टोंक) इन पांच प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आना शेष है। 1991-92 में आठवीं योजना के तहत खास तौर से 75 नये प्रोजेक्ट्स भारत सरकार ने मांग रखे हैं। जैसा मैंने निवेदन किया यह उन्हीं का क्षेत्राधिकार है। जो बेक ग्राउण्ड इन्फारमेशन राज्य सरकार द्वारा उनको भेजी जाती है उनके आधार पर यह प्रोजेक्ट्स खोले जाते हैं और बैक ग्राउण्ड इन्फारमेशन जो उनको दी जाती है खास तौर से जो माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है भैंसरोड़गढ़ के बारे में मेरा निवेदन है कि वहां पर राजस्थान एटोमिक पावर प्लान्ट जो लगा हुआ है उसकी वजह से अखबारों के माध्यम से और कई व्यक्तियों ने इसके बारे में चर्चा की है उनकी वजह से यह बताया गया कि एटोमिक पावर प्लान्ट की वजह से बच्चों में कुपोषण और विकलांगता बढ़ रही है उस नाते आई. सी. डी. एस. का प्रोजेक्ट शुरू किया जाय। वहां से मेडीकल एक्सपर्ट से की टीम भेजी गयी उनकी रिपोर्ट के आधार पर सूचना मिलने के आधार पर यह सूचनायें भारत सरकार को भेज दी गई हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित रूप से वहां पर यह प्रोजेक्ट मिल जायेगा।

दूसरा माननीय सदस्य ने निम्बाहेड़ा के बारे में जो सवाल किया है, जैसा निवेदन किया कि राजस्थान की 237 पंचायत समिति में से 119 महिला बाल विकास आई. सी. डी. एस. का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है और 118 पंचायत समिति के बारे में बैक ग्राउण्ड इन्फारमेशन भारत सरकार को भेजी जा चुकी है और निम्बाहेड़ा की भी यह सूचना हमने 8/11/90 को भारत सरकार को भेज दी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ले लें। प्रश्न 392 स्थगित है।

आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

392. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(8)

(श्री अर्जुनदास मदान)

(1) राज्य में कुल कितने नये आयुर्वेदिक औषधालय गत वर्ष खोले गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) औषधालयों के गत वर्ष कार्य पर अनुपस्थित रहने के विशेष पर देहात क्षेत्रों में कितने मामले सामने आये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) प्रदेश के औषधालयों में वैद्यों/कम्पाउण्डर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों आदि के कितने पद रिक्त है ? उन्हें भरने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) राज्य में उपनिदेशकों, जिला आयुर्वेद अधिकारियों और उप जिला आयुर्वेद अधिकारियों के कितने स्थान रिक्त है तथा उन्हें अभी तक क्यों नहीं भरा गया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 392 स्थगित किया गया नैक्स्ट, 393.

मकराना क्षेत्र के गांवों में नलकूप निर्माण

393. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों में स्थित कुओं में बोरिंग करवाने व नये नल कूप निर्माण करवाने हेतु कोई सर्वेक्षण एवं अनुसंधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु सर्वेक्षण करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या मकराना पंचायत समिति क्षेत्र मरू विकास एवं सूखा सम्भाव्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने से यहां नये नलकूप बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के किसानों के लिये ऋण पर नये नलकूप बनाने की योजना भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में, ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, भू-जल विभाग (श्री मान्धाता सिंह की अनुपस्थिति में श्री कैलाश मेघवाल) (सिंचाई मंत्री) :

(1) मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों में स्थित कुओं में बोरिंग करवाने नये नलकूप निर्माण करवाने हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन इस क्षेत्र का विस्तृत भू जल सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस क्षेत्र में स्थित कुओं का सर्वेक्षण करवाने की कोई योजना नहीं है और भू जल सर्वेक्षण के पश्चात् इसकी आवश्यकता भी नहीं है।

(2) जी नहीं, मरू विकास कार्यक्रम एवं सूखा सम्भावित क्षेत्र में भूजल सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं उत्खनन के कार्यक्रमों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987–88 से रोक लगा दी गई थी और इसलिये ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी नहीं। लेकिन सामूहिक नलकूप योजना राजस्थान के सभी जिलों में लागू कर दी गई है और वह मकराना क्षेत्र में भी लागू है।

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो मेरा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आखिरी के दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 398 और 399 बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री बिरधाराम चौधरी : यह भी बहुत इम्पारटेन्ट है। ऐसा है जो आपके खंड 1 के जवाब में बताया है कि इस क्षेत्र का विस्तृत भू जल सर्वेक्षण किया जा चुका है। एक तो मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि जो विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण किया गया है उसकी रिपोर्ट क्या है और कितने गांवों का सर्वेक्षण किया गया है? केन्द्र सरकार ने जो रोक लगाई है वह रोक लगाने का कारण क्या है और क्या जो रोक लगाई है, प्रश्न 1 व 2 है इसका जो प्रश्न 3 है इसमें विरोधाभास है। जबकि 1987–88 में रोक लगाई गई है तो सामूहिक नलकूप योजना राजस्थान के सभी जिलों में कैसे लागू हुई।

श्री अध्यक्ष : रोक तो सर्वेक्षण पर ही लगाई गई है ना। नल कूप योजना तो चल ही रही है।

श्री बिरधाराम चौधरी : मेरा पहला प्रश्न भी यही था।

श्री अध्यक्ष : सर्वेक्षण का ही ना, सर्वेक्षण हो गया, रिपोर्ट उनके पास आ गई रोक लगा दी रिपोर्ट के आधार पर, नलकूप योजना चल रही है।

श्री बिरधाराम चौधरी : चालू नहीं है साहब, रिपोर्ट क्या है और उस रिपोर्ट के आधार पर यह योजना को चालू करने का विचार रखते हैं या नहीं, रिपोर्ट के आधार पर जो यह नल कूप योजना है....

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो सवाल पूछा है इन्होंने बोरिंग करने के लिये साधारण सा पानी कितना नीचे है, कितना गहरा है, किस सतह पर मिलेगा एक साधारण सा सर्वेक्षण होता है लेकिन जो डिटेल्ड सर्वे होता है-वह सारे नागौर जिले का 1984 से 91 तक हो चुका है। और इस डिटेल्ड सर्वे हाइड्रोलोजिकल सर्वे होता है जिसमें चट्टानों में किस तरह का पानी है, मिट्टी में किस तरह का पानी है, इस बात की जानकारी की जाती है, क्वालिटी आफ वाटर उसमें देखा जाता है कि किस तरह का पानी किस स्टेज पर कहां पर उपलब्ध हैं, उसमें कितनी गहराई तक मिलेगा और कितना पानी मिलेगा? इसका जियोलोजिकल सर्वे होता है जिससे कि ट्यूब वैल्स के एक्सप्लोरेशन में मदद मिलती है। यह डिटेल्ड सर्वे हो चुका है और उस सर्वे के आधार पर अब छोटी बोरिंग की आवश्यकता नहीं रही। मकराना भी उसमें इन्क्लूडेड है और मकराना पंचायत समिति में 8 जोन बनाये गये थे। 8 जोन में से 7 जोन वाइड जोन हैं और केवल एक जोन डार्क जोन है जहां खारा और पीने योग्य और काम में लेने वाला पानी नहीं है। यह वहां की स्थिति है।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, मेरा तो यह निवेदन था....

श्री अध्यक्ष : 7 जोन में नलकूप लगेंगे? 7 जोन में नलकूप लगेंगे।

श्री बिरधाराम चौधरी : कि यह मेरा प्रश्न है कि 7 जोन में नलकूप लगाने की योजना है क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नलकूप योजना केवल 6 जिलों में पहले लागू थी और उन 6 जिलो को बढ़ाकर हमने सारे राजस्थान में उसको लागू कर दिया और 7 जोन में नलकूप योजना लागू की जा सकती है, यह सही है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह बताइये कि इस सर्वेक्षण से नलकूप योजना का सम्बन्ध है क्या ? यह बता दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : इस सर्वेक्षण का नलकूप योजना से सम्बन्ध है। इस सर्वेक्षण से यह मालूम पड़ता है कि किस स्थान पर किस तरह का कौनसा पानी उपलब्ध है और पर्याप्त है या नहीं, और उसके आधार पर नलकूप की योजना स्वीकृत की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : जहां पानी है, वहां योजना बनायेंगे।

श्री बिरधाराम चौधरी : मेरा निवेदन यह था कि मकराना में....

श्री अध्यक्ष : मकराना में 8 जोन हैं, उसमें आपका जोन शामिल है।

श्री बिरधाराम चौधरी : एक जोन ऐसा है....

श्री अध्यक्ष : एक तो डार्क है, बाकी सबमें पानी है। वहां नलकूप योजना, जब भी उनका नम्बर आयेगा, वहां नलकूप लगेंगे।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, मेरा निवेदन करने का मतलब यह था कि एक डार्क जोन आपने बताया है, वहां पर जो सर्वे हुआ हैं 1972 में यानी पहले, और उसके बाद में हुआ नहीं है और जो आपने 5 जोन बताई हैं और जिसमें सर्वे हो चुका है उसमें पानी अच्छा है तो वहां तो नलकूप योजना चालू की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : ये वो ही कर रहे हैं। वहां तो शामिल हो जायेगा। नेक्स्ट। श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : प्रश्न संख्या 394।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आपके कहने का मतलब यह है कि जब पूरा सर्वे हुआ नहीं है और यूं तो किसान अपना प्राइवेट कुआ तो खुदा सकता है....

श्री अध्यक्ष : सर्वे तो हो गया है ना।

श्री रामसिंह विश्नोई : लोग बैंक से लोन ले नहीं सकते, उसको लोन मिल नहीं सकता। जब तक वहां की सर्वे रिपोर्ट उसके पक्ष में नहीं आए। वहां पानी है साहब, पूरे नागौर एरिये में पानी भरा पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ये तो एक डार्क जोन बता रहे हैं, बाकी सब जगह तो पानी है। डार्क जोन वाला नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, नहीं, वह तो खारे पानी का बताया है इन्होंने। इसका कहने का मतलब यह नहीं होता। बैंकों के अन्दर रिपोर्ट आई हुई है कि यहां पर पानी नहीं है और ऐसी स्थिति में न तो भूमि विकास बैंक और न ही अन्य बैंकों से पैसा मिलता है किसानों को....

श्री अध्यक्ष : वह तो रिपोर्ट की नकल ले लीजिये, वह माफ हो जायेगा। श्री हेतराम बेनीवाल।....(व्यवधान) नहीं, अब वह तो यहां थोड़े ही तय होगा। अब उन्होंने यह बताया है कि 7 जोन में से....

श्री रामसिंह विश्नोई : यह तो माननीय सदस्य को विश्वास है कि....आप सेटिसफाई तो करेंगे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यही तो मैं कह रहा हूं कि 7 जोन में से एक जोन सर्वे में डार्क जोन है, 5 में पानी है जहां, वहां पर नलकूप योजना लागू होगी। ये साफ कह रहे हैं। अब आप यह कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, तो ना और हां तो सर्वे के आधार पर कह रहे हैं। चलिये। श्री हेतराम बेनीवाल।

पर्यटन विकास पर व्यय

394. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्ष 1990–91 में पर्यटन विकास के लिए कितना रुपया खर्च किया गया और उससे किस जिले में किस प्रकार का कार्य हुआ है ?

(2) राजस्थान में कुल कितने पर्यटन केन्द्र हैं और उनको विकसित करने की क्या कोई योजना राज्य में बनाई है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार श्रीगंगानगर जिले में पड़ौसी राज्य हरियाणा की तरह इस जिले की रमणीय प्राकृतिक छटा को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन केन्द्र बनाने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार विरधवाल हैड, शिवपुरा हैड, मसीतांवाली हैड इत्यादि काफी रमणी स्थलों को पर्यटक केन्द्र बनाने अथवा श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ के पास बहुत बड़े-बड़े पानी के कृत्रिम झीलनुमा गड्ढे हैं उन्हें पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(पर्यटन मन्त्री) सुश्री पुष्पा जैन । (1) वर्ष 1990–91 में राज्य सरकार ने पर्यटन विकास हेतु कुल 358.52 लाख रुपये का प्रावधान रखा था, जिसमें से 113.38 लाख रुपये पर्यटन स्थलों के विकास हेतु, 55.17 लाख रुपये पर्यटन साहित्य के प्रकाशन, प्रचार-प्रसार हेतु, 12.50 लाख रुपये मैले-त्योहारों के आयोजन हेतु स्वीकृत किये थे। इसके अतिरिक्त 21.82 लाख रुपये उन कार्यों हेतु राज्य का योगदान था जो कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये। स्वीकृत किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण जिलेवार परिशिष्ट "अ" पर है।

(सुश्री पुष्पा जैन)

(2) राज्य सरकार द्वारा पर्यटन केन्द्र की तरह कोई स्थान परिमाषित नहीं हैं। पर्यटकों के आवागमन और किसी स्थल के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उसमें विकास हेतु योजना में प्रावधान रखा जाता है।

(3) सरकार द्वारा पर्यटक स्थल नहीं बनाये जाते हैं, न ही इसकी कोई प्रक्रिया है। राजस्थान में हरियाणा की तरह केवल रमणीक, प्राकृतिक स्थलों पर ही पर्यटन विकास निर्भर नहीं है। इस राज्य में समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर हैं एवं विभिन्न लोक कलाएं हैं जो सदैव से पर्यटकों को आकर्षित करती रही हैं। अतः उन स्थलों का रख-रखाव एवं विकास आवश्यक हैं।

(4) इस सम्बन्ध में निश्चित प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय साधनों की उपलब्धता एवं पर्यटकों के आवागमन को देखते हुए निश्चित रूप से सर्वे करवाया जायेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने खण्ड (2) में जवाब दिया है कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन केन्द्रों की तरह कोई स्थान परिमाषित नहीं हैं, पर्यटकों के आवागमन और किसी स्थान के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार उसकी योजना बनाती है। पर इन्होंने खण्ड (3) में यह जवाब दिया है कि सरकार द्वारा पर्यटक स्थल नहीं बनाये जाते और न ही इसकी कोई प्रक्रिया है। राजस्थान में हरियाणा की तरह भी नहीं बनाई जाती। मैंने जो सबसे पहले सवाल यह पूछा था कि गंगानगर जिले के जो रमणीय स्थल है और ऐतिहासिक स्थल हैं, उनमें आपने पर्यटन स्थल क्यों नहीं बनाये ? मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदया से कि हमारी सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने, अर्वाचीन अवशेष गंगानगर जिले में कालीबंगा में हैं जहां शोध कार्य चलता है और बहुत से विदेशी पर्यटक भी और देश के पर्यटक भी वहां आते हैं। उसके पास बहुत बड़ी झीलें हैं कृत्रिम झीलें, जो हमने बनाई हुई हैं। रंगमहल भी एक बहुत बड़ा इस तरह का पर्यटक स्थल है जहां पर ऐतिहासिक खुदाइयां हुई हैं और उस डिप्रेशन में बड़ी-बड़ी कृत्रिम झीलें बनी हुई हैं। मेरा आशय यह था कि उन झीलों के बारे में राज्य सरकार जहां रमणीय स्थल बने हुए हैं, उनमें कोई पर्यटन केन्द्र बनाने की सोच रही है या नहीं, वह उस मापदण्ड में आते हैं या नहीं आते हैं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो परिभाषा दी है, उसके लिहाज से राज्य सरकार, अपने आपमें जो जगह हैं जहां लोग आते-जाते हैं, वहां अपने खोखे लगा देती है, ऐसा लगता है। मेरा पहला सवाल तो यह है।

श्री अध्यक्ष : देखिये। अन्त में जवाब में दिया हुआ है कि निश्चित प्रस्ताव आने पर करेंगे। आप अपनी तरफ से प्रस्ताव भेज दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे निवेदन करूं, जब इन्होंने जवाब ही यह दे दिया कि सरकार पर्यटक स्थल नहीं बनाती....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, वह अलग बात है। मैं तो गंगानगर जिले कह रहा हूं। वह तो दूसरी बात है। गंगानगर जिले के लिए आप प्रस्ताव भेज दीजिये। आपको जानकारी है तो आप भेज दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फिर एतराज नहीं है इसमें।

श्री हेतराम बेनीवाल : राज्य सरकार यह कहे तो प्रस्ताव कौन भेजेगा। क्या राज्य सरकार यह वादा करती है कि प्रस्ताव भेज दें।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने लिखकर दिया है आपको। बिराजिए। आपका हो गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल था, मैंने स्पष्ट पूछा है, मैंने पूछा है कि....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये वे आपकी बात को समझ रहे हैं। मैंने जो गंगानगर जिले के बारे में चूंकि स्पष्ट जवाब आया है, ऐसा कहा है। उसके बारे में कहा है। आप बोलिये मंत्री महोदया।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार उन स्थलों पर खोखे नहीं लगाती जहां कुछ नहीं है, और पर्यटक भी उन स्थलों पर नहीं जाते, जहां कुछ नहीं है। निश्चित रूप से हिन्दुस्तान में जितने पर्यटक आते हैं, उसके एक तिहाई पर्यटक राजस्थान में आते हैं। वे उन स्थलों पर जाते हैं जो कला, संस्कृति से ओत-प्रोत हैं और जहां जबरदस्त रमणीक स्थल हैं और पोटेंशियल हैं तो निश्चित रूप से वहां का विकास करना राजस्थान सरकार का नैतिक दायित्व है और उसे हम निभाते हैं। जब आपने गंगानगर के बारे में कहा है तो अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी में एक बात यह भी लाना चाहूंगी कि गंगानगर जिला राज्य एवं देश का सीमावर्ती जिला है जहां पर्यटन विकास की योजना बनाते समय सुरक्षा का भी पक्ष ध्यान में रखा जाना नितांत आवश्यक है। वर्तमान में गंगानगर में पर्यटकों को आकर्षित....(व्यवधान) पहले मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जवाब थोड़े ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब है ?

सुश्री पुष्पा जैन : पूरी बात तो सुनिये। मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात सुनने के बाद भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको संतुष्ट कर सकूं। वर्तमान में गंगानगर पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पाया, फिर भी इस क्षेत्र को पर्यटकीय विकास की दृष्टि से कोई निश्चित सुझाव प्राप्त होंगे तो उन पर अवश्य ही सर्वेक्षण करवाकर विकास करने की योजना,

(सुश्री पुष्पा जैन)

बनाई जा सकती है और मैं सदन में आपसे कहना चाहती हूं कि आप कोई प्रस्ताव देंगे तो मैं सर्वे करवा लूंगी और यदि आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ स्वयं जाकर उन स्थानों का सर्वे करूंगी और आवश्यक हुआ तो उस पर विचार भी करेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रश्न के जवाब से बहुत बड़ा एतराज है।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब नहीं सुन रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कि वे स्थल निश्चितरूप से सीमांत स्थल हैं, सारा गंगानगर जिला सीमांत नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : ऐसा नहीं कहा है मैंने।

श्री हेतराम बेनीवाल : सारा गंगानगर जिला 100 किलोमीटर की दूरी, जहां का जिक्र कर रहा हूं। पर्यटक स्थल से वह 100 किलोमीटर दूर है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल क्या पूछ रहे हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं सवाल यह पूछ रहा हूं कि जो उन्होंने जवाब दिया है कि वह क्योंकि सीमांत क्षेत्र हैं, सुरक्षा की दृष्टि से वहां इस तरह का प्रस्ताव सम्भव नहीं है, इसका मतलब हुआ कि....

श्री अध्यक्ष : यह तो आप कमिट कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा सवाल यह है कि राजस्थान में जो पर्यटन स्थलों पर खर्चा किया जाता है, उस तरह से गंगानगर जिले में मैंने निश्चित स्थान बताया है उसका सर्वे किया जाय। मैं हाउस में कह रहा हूं। कह देने की बात नहीं है। क्या मंत्री महोदया उन स्थान का जो कालीबंगा और रंगमहल के पास है, जहां कृत्रिम झील है वहां पर पर्यटन केन्द्र बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष : उसकी जांच करा ली जायेगी। उसके बारे में विचार होगा। बैठिए।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वे ही नहीं करवाऊंगी बल्कि इनके साथ जाकर स्वयं भी देखूंगी और निश्चित रूप से उनका विकास किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री इन्दौरा जी।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिहपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यटकों की परिभाषा क्या है ?

श्री अध्यक्ष : वो तो बता दिया, परिभाषित नहीं है, वह जवाब आ गया।

श्री हीरालाल इन्दौरा : दूसरा यह कि हरियाणा में जितने कैनाल्स हैं वहां जो रेगुलेशन हैड हैं वहां ट्यूरिस्ट कम्पलेक्स बन गए हैं जबकि गंगानगर के सो मेनी प्लेसेज हैड वर्क्स, हमारे बच्चे, हमारे कॉलेज की लड़कियां, हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे बसों से अर्जुनसर, दूधवाल पिकनिक के लिए आते हैं और लोकल

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

लोगों के लिए कोई टूरिस्ट पैलेस ऐसा नहीं है जहां बच्चे कहीं घूमने जा सकें।

श्री अध्यक्ष : आप अटरुसर की बात कर रहे हैं? कौनसे स्थान की आप बात कर रहे हैं?

श्री हीरालाल इन्दौरा : दूधवाल की।

श्री अध्यक्ष : देख लेंगे इसको।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सुपर हैड, सो मैनी प्लेसेज....

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी उसको भी शामिल कर लीजिए कालीबंगा के साथ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : वहां पर अच्छे टूरिस्ट पैलेस बन सकते हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने नहरों पर टूरिस्ट पैलेस बनाये हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, कालीबंगा के साथ उसको भी शामिल कर लीजिए।

श्री चम्पालाल बांठिया। (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या 395. (कृपया आगे देखें।)

नेक्स्ट। श्री टीकमचन्द कांत।

मुन्सिफ कोर्ट, रेवदर

396. **श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) :** क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या रेवदर में स्वीकृत मुंसिफ कोर्ट ने इस वर्ष से रेवदर में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) कोर्ट हेतु कौन-कौन से राजकीय भवन वर्तमान में उपलब्ध हैं और इन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया गया?

(राज्य मन्त्री, विधि एवं न्याय) श्री शांतिलाल चपलोत : (1) जी हां। इस न्यायालय ने सिरोही मुख्यालय पर दिनांक 22. 2. 92 से कार्य प्रारम्भ कर दिया है क्योंकि रेवदर में कोई न्यायालय भवन उपलब्ध नहीं है।

(2) रेवदर में कोई भवन न्यायालय हेतु उपलब्ध नहीं है। अतः स्वीकार न करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय के ध्यान में नहीं लाया गया कि पुरानी तहसील का भवन एवं पंचायत समिति के अधीन बीस गोदाम का भवन जिसमें आवास भी उपलब्ध है और पंचायत समिति अपने अधीन भवन में आवश्यक सुधारों हेतु भी तैयार है जिसकी चर्चा जिला कलक्टर के साथ भी हो चुकी थी, फिर उपलब्ध भवनों को किस आधार पर नकार दिया गया? यदि उक्त तौर पर आज भी विद्यमान हैं तो क्या इन उपलब्ध भवनों को स्वीकार कर मुंसिफ रेवदर का मुख्यालय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आप यहां कर रहे हैं। आप इनको या तो दिखा दीजिए। ये तो चलाना चाहते हैं, भवन देखने चले जायेंगे, यहां क्या सवाल रहे हो?

श्री टीकमचन्द कान्त : कहलवादो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इसमें कहां एतराज है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है, या तो भवन उपयुक्त नहीं होगा या भवन के मालिक देते नहीं होंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सदस्य बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन ये जा ही नहीं रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, भवन बिलकुल उपलब्ध था, व्यवस्था भी वहां पर कर दी थी लेकिन उत्तर जो इनके पास आयेगा....

श्री अध्यक्ष : उपलब्ध करा दीजिए। माननीय मंत्री जी यह तो उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश और जिला सत्र न्यायाधीश ने मिलकर लिखा है कि यहां भवन उपलब्ध नहीं है। अगर करा देंगे तो उसी समय करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप उपलब्ध करा देना।

श्री टीकमचन्द कान्त : वहां भवन जो अभी मैंने नाम लिया, दोनों उपलब्ध हैं और उसमें सुधार करने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री रिछपाल सिंह।

जिला नागौर के सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

397. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डेगाना (नागौर) की सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में प्रिंसिपल का पद रिक्त है ? यदि हां तो सरकार इसे कब तक भरने का विचार रखती है।

(शिक्षा मन्त्री) श्री हरिकुमार औदिच्य जी, नहीं। प्रिंसिपल सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल, डेगाना के पद पर दिनांक 22. 2. 92 को पदस्थापन कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका काम। श्री सम्पत सिंह। हो गया आपका तो। पदस्थापन हो गया न 22 तारीख को, अब क्या पूछना है ?

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा नागौर जिला व विशेषकर मेड़ता उपखण्ड में किन-किन सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में, माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल व प्रध्यानाध्यापक के कितने पद रिक्त हैं और इनको कब तक भर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : यह इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है। आपका सवाल इतना बड़ा था ही नहीं। यह सम्बन्धित नहीं है। नेक्स्ट।

श्री रिछपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाते हैं कि बहुत जल्द ही रिक्त पद भर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल बहुत छोटा सा था। विराजिए। आपको जवाब मिल गया, सवाल यह नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : हो गया सवाल, अब दूसरा चल रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य ने पूछा है जिला नागौर के सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद कितने हैं व इन्हें कब तक भर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप गलत पढ़ रहे हैं। डेगाना को ब्रेकेट में नागौर किया है। बैठिए, मैं समझ रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : इसमें गलत लिखा है, मैं क्या गलत पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : डेगाना का सवाल है, केवल डेगाना का। डेगाना नागौर जिले में है यह लिखा हुआ है। नेक्स्ट, श्री सम्पत सिंह।

रूपवास (भरतपुर) का अग्निकाण्ड

398. **श्री सम्पत सिंह (नगर) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में विगत वर्ष कितने गांवों में आग लगी थी ? आग लगने का क्या कारण था ? मनुष्य, पशु एवं सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार को प्रथम सूचना कब प्राप्त हुई उसके बाद, कब-कब क्या-क्या प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही की जाकर आर्थिक एवं मानवीय राहत की क्या व्यवस्था की गई ?

राज्य मंत्री गृह (श्री शांतिलाल चपलोत) : अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न रिलीफ और रेवेन्यू दोनों डिपार्टमेंट से संबंधित है। फिर भी....

श्री अध्यक्ष : फिर भी क्या ?

श्री शांतिलाल चपलोत : गृह विभाग को मिला है इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर भी क्या ? नहीं दीजिएगा अगर आपके पास जवाब नहीं है।

श्री शांतिलाल चपलोत : आपने गृह विभाग को संबोधित किया है, मैं जवाब दे रहा हूं।

(1) विगत वर्ष तहसील रूपवास के 43 गांवों में अग्निकांड हुए थे जिनमें मुख्यतः ग्राम भवनपुरा, खेड़ा ठाकुर, हाडौली में दिनांक 21-5-91 को रात्रि 8–9 बजे आकस्मिक अंधड़ आ जाने से

(श्री शांतिलाल चपलोत)

तीनों गांवों में भारी अग्निकाण्ड हुआ जिसमें करीबन चार सौ परिवार प्रभावित हुए थे और 16 व्यक्तियों की जानें गई थीं जिसमें एक बालक की उपचार के समय मृत्यु हो गई तथा 19 व्यक्ति घायल हुए थे। इसके अतिरिक्त लगभग छोटे-बड़े 300 जानवर मरे थे तथा उक्त सभी 43 अग्निकाण्डों में 35 लाख की अनुमानित सम्पत्ति नष्ट हो गई। जिसमें उपरोक्त तीन गांवों में अकेले ही लगभग 27 लाख की सम्पत्ति नष्ट हुई है।

(2) अग्निकाण्ड दिनांक 21-5-91 को रात्रि के समय हुआ, जिसकी सूचना तहसीलदार, रूपवास एवं उप खण्डाधिकारी, बयाना को अगले दिन सवेरे 9 बजे मिली। सूचना मिलते ही एक घण्टे के अन्दर-अन्दर मय स्टाफ के पहुंच गए। जहां पीड़ित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया। जिला मुख्यालय पर इसकी सूचना भी 22 मई को प्रातःकाल मिलते ही नगर परिषद् की फायर ब्रिगेड खराब होने के कारण स्थानीय आर्मी की फायर ब्रिगेड गांव में तुरन्त भेजी गई। रेडक्रास की एक टीम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित डाक्टरों की एक टीम एवं पशु चिकित्सकों की एक टीम तीनों तत्काल गांवों के लिए रवाना कर दी गई। जिन्होंने उसी दिन वहां जाकर उपचार खाद्य सामग्री व अन्य सहायता प्रदान की। सहायता मद में बजट के अभाव में सचिव, मुख्यमंत्री महोदय से दूरभाष पर तत्काल वार्ता की गई तथा प्रत्येक परिवार को 500/– की तत्कालिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति प्राप्त की तथा उस दिन अवकाश का दिन होने के कारण विशेष रूप से बैंक खुलवाया जाकर 2.125 लाख की राशि ड्रा कर सहायता राशि गांवों में भेजकर वितरित की गई। (प्रतिलिपि संलग्न है) दिनांक 21 मई को सांयकाल श्री राजीव गांधी के आकस्मिक निधन के कारण 21 मई को पूरी रात एवं 22 मई के पूरे दिन जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के प्रबन्ध में व्यस्त रहे, परन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास) 23 मई को ही गांव में गए एवं पीड़ित परिवारों को सांत्वना एवं संबल प्रदान किया।

जिला कलक्टर चुनाव आवश्यक कार्य के कारण जयपुर में 25 मई से 28 मई तक रहे। इसी दौरान उन्होंने सहायता सचिव से भेंट कर प्रत्येक मृतक व्यक्तियों के परिवारों को 10–10 हजार रु. सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त की तथा 29 मई को जिला कलक्टर गांवों में गये एवं पीड़ित परिवारों को सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त झोंपड़ी बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा 1.75 लाख की सहायता उपलब्ध कराई गई।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : जवाब इन्होंने सदन के पटल पर रख दिया है फिर पढ़कर सुना रहे हैं। क्या आगे कोई प्रश्न नहीं आयेगा, जवाब नहीं आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : आप लोग न सुनना चाहें केवल वहां तक ही रखें तो कोई बात नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

यह तो उनको मिला है आपको तो नहीं मिला हैं ।

एक माननीय सदस्य : यह क्या रामायण बांच रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी बैठिये आप । ठीक है यह पढ़ लिया उन्होंने । (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : ये बोर करते हैं । सारे सदन को बोर कर दिया ।

श्री शांतिलाल चपलोत : मुख्यमंत्री कोष से कुल 1·75 लाख तथा 3.87 लाख सहायता मद से इस कार्यालय द्वारा दिए गए हैं तथा अन्य गांवों के मामलों में भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत सहायता दी गई । तथा झोंपड़ी बीमा योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु 163 दावे दी ओरियण्टल इन्श्योरेंस कम्पनी ब्रान्च, भरतपुर को भिजवाए गए जिनमें 125 दावों में सहायता राशि 1.75 लाख दी गई और शेष 38 दावे एफ. आई. आर. में नाम न होने के कारण रद्द कर दिए गए । इसके अतिरिक्त जन सहयोग से गेहूं, आटा, वस्त्र आदि एकत्रित कर वितरण कराए गए तथा विभिन्न योजनाओं द्वारा इन व्यक्तियों को लामान्वित किया गया :–

(1) ग्राम भवनपुरा में जनजाति आवास योजना के अन्तर्गत 18 परिवारों को 1500/– की दर से राशि स्वीकृत की गई ।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक 10663 दि. 21-10-91 द्वारा ग्राम हाडोली के प्रभावित 75 परिवारों को जीवन बीमा निगम द्वारा भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किए जाने के प्रस्ताव भिजवाए जा चुके हैं । इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रबन्धक जीवन बीमा निगम, भरतपुर द्वारा प्रबन्धक, जीवन बीमा निगम, जयपुर को दिनांक 29-10-91 को विचार हेतु भिजवाए जा चुके हैं लेकिन अभी तक उनके स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

(3) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आई. आर. डी. पी. के चयनित परिवारों का स्वीकृत किए जाने हेतु 23 व्यक्ति आई. आर. डी. पी. के चयनितों के प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भरतपुर द्वारा अ. शा. पत्रांक/11705 दिनांक 14-11-91 से श्री आई. एस. कावड़िया, शासन सचिव, वि. योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर को भिजवाए गए हैं । उनके अ. शा. पत्र क्रमांक एफ. 4 (33) वियो/जरायो/91/301–2 दिनांक 9–1–92 से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिसके लिए विकास अधिकारी, रूपवास को पुनः प्रस्ताव भिजवाने के लिए पत्र क्रमांक 19782 दिनांक 31–1–92 द्वारा लिखा जा चुका है । प्रस्ताव आते ही स्वीकृति जारी कर दी जावेगी । इस प्रकार से उक्त अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को हर सम्भव सहायता प्रदान की गई है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने जवाब में कहा है, मैं जानना चाहूंगा मुख्यमंत्री सहायता कोष से सिर्फ 500-500 रूपए ही क्यों दिए गए और फायर ब्रिगेड को सूचना रात को हो गई थी, ये कह रहे हैं दूसरे दिन हुई 9 बजे। सूचना रात को ही हो गई थी। डी. एस. पी. व तहसीलदार रात को ही पहुंच गए थे फिर दूसरे दिन की एफ. आई आर. दर्ज न होना ये किस आशय से कहते हैं और फायर ब्रिगेड कब से खराब थी ? (व्यवधान) झोपड़ी बीमा योजना के लिए जो ये कहते हैं इन्होंने कुल 163 गांवों के लिए लिखा और उसमें 38 परिवार क्यों छोड़ दिए गए ? आपका कहना यह है कि एफ. आई. आर. में उनके नाम नहीं थे। तो एफ. आई. आर. कोई अन्तिम दस्तावेज तो होता नहीं, उन्होंने वह 38 परिवार क्यों नहीं जोड़े ? अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि दस-दस-हजार रुपये मुख्य मंत्रीजी के सहायता कोष से दिये गये और 29-10-91 को इन्होंने पत्र लिखे जीवन बीमा निगम, जयपुर को, उसमें अब तक कोई कार्यवाही हुई क्या ? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ? दूसरा पत्र यह जिक्र करते हैं 14.11

श्री अध्यक्ष : अब आपका सवाल हो गया न....

श्री सम्पत सिंह : हां।

श्री अध्यक्ष : आपने तीन-चार पूछ लिये, एक ही सवाल पूछना था।

श्री सम्पत सिंह : इन्होंने तीन-चार खण्डों में जवाब दिया....

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल का जवाब दिया है। अब आप दूसरा सवाल पूछ लेना।

श्री सम्पत सिंह : मेरा प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, कि जिला विकास अभिकरण के लिए कहते हैं कि इनको पत्र लिखा कावड़िया, आई. ए. एस. के लिए, शासन सचिव के लिए, उन पर क्या कार्यवाही हुई ? अध्यक्ष महोदय, साल-साल भर गुजर जाने के बाद....

श्री अध्यक्ष : अब आपका सवाल हो गया, भाषण मत दीजिए। हां, मंत्रीजी।

श्री सम्पत सिंह : भाषण नहीं दे रहा। मैं प्रश्न कर रहा हूं कि साल भर तक वह कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। मंत्रीजी, जवाब दीजिए। नहीं-नहीं, बैठिये अब आप। प्लीज, भाषण मत करिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : आपने कहा कि पांच-पांच सौ रूपये दिये वरना मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो मर गये थे उनको दस-दस हजार रूपये प्रत्येक को सहायता दी गई, जो अर्द्ध जले थे उनको ढाई-ढाई हजार तक दिये, किसी को पांच-पांच सौ रुपये, जिस-जिस की जैसी हैसियत थी उसके हिसाब से दी गई....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हैसियत थी या स्थिति ? (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : हां, जैसी स्थिति । जैसी हैसियत उसकी है ।

श्री अध्यक्ष : जिसका जितना नुकसान हुआ उससे, इनका मतलब है कि जिसका जितना नुकसान हुआ ।

श्री शांतिलाल चपलोत : उसकी हैसियत ही तो देखनी पड़ेगी कि किस किस्म की उनकी हैसियत है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : हालात-हालात ।

श्री शांतिलाल चपलोत : हालात ।

श्री अध्यक्ष : इनका मतलब है जिसका जितना नुकसान हुआ उस हिसाब से, हैसियत नहीं ।

श्री शांतिलाल चपलोत : नुकसान की तो हैसियत देखनी पड़ेगी साहब ।

श्री अध्यक्ष : कभी-कभी हम शब्दों को सही अर्थ में ले लें, स्लीप ऑफ टंग हो जाती है ।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कहां तक बचाओगे साहब आसन से ?

श्री शांतिलाल चपलोत : अक्षम व्यक्ति को ढाई हजार, अग्नि से अस्थाई अक्षम व्यक्ति के लिए एक हजार, अग्नि से घायल हुए व्यक्ति को पांच सौ रूपये दिये गये और एक-एक पशु मरने पर साढ़े सात सौ-साढ़े सात सौ रूपये दिये गये और जो छोटे पशु थे उनके ढाई सौ रूपये तक दिये गये । जिस प्रकार का मापदण्ड निर्धारित है उसी के अनुसार सब की राशि दी गई । 29-10-91 को यह जीवन बीमा को भेज दी गई, 2-12-91 को उनकी राशि स्वीकृत होकर आ गई और उसमें कुछ खामियां होने से वापस उसको उन्होंने मंगवाया । (व्यवधान) पूरा ही इतना लम्बा तो छपा है अब ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय एक गाय तो दस हजार रूपये की कीमत की होती है, एक गाय दो हजार की होती है, एक गाय सौ रूपये की कीमत की होती है । मंत्री महोदय को खुद को मालूम नहीं है, इनकी खुद की जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : वह क्या करेगा, यह तो मापदण्ड आपने तय कर रखे हैं, सरकार ने वह उससे देंगे ।

श्री रामसिंह विश्नोई : सरकार ने ऐसा थोड़े किया है....

श्री अध्यक्ष : अब आप पूछ रहे हैं । आप उनका जवाब आ जाने दें....

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है...

श्री रामसिंह विश्नोई : यह भेद बरते हैं सरकार के कायदे में...

श्री अध्यक्ष : पहले उनका सवाल हो जाय, प्रश्नकर्ता का ।

श्री सम्पत सिंह : जैसे कि सदन के सामने मंत्रीजी ने खुद ही हाफ हार्टेडली

(श्री सम्पत सिंह)

सवाल का जवाब दिया है, 16 आदमी जहां मरे हों, आठ दिन तक जिला कलक्टर वहां नहीं पहुंचे हों, हम जब मौके पर पहुंचे, उनकी खबर लगने के बाद वहां मौके पर पहुंचे, जिस घर में तीन-तीन, चार-चार मौत एक रात में हो गई हों, उस घर में आज तक न कोई इन्दिरा आवास योजना के तहत, न दूसरी किन्हीं योजनाओं के तहत आज दिन तक झोंपड़ी का बंदोबस्त भी मान लीजिए कि नहीं हुआ, आपके जवाब से यह मालूम पड़ता है और ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत जानना चाहता हूं कि जहां ऐसे बड़े-बड़े हादसे हो जायं, अव्वल तो मंत्री मण्डल के सदस्यों को वहां पहुंचना है जिला कलक्टर की क्या जिम्मेदारी होती है, जिला कलक्टर के खिलाफ कोई लिखा-पढ़ी की गई, उसके खिलाफ कोई जांच जेर है क्या और अगर यह सारी चीजें नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ? जहां—16-16 आदमी मर गये, गायें मरी, भैंस मरे, ऊंट मरे, बकरी मरी, उसमें आज दिन तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और सिर्फ चिट्ठियों का हवाला देकर यह कहते हैं कि हमने उनको यह लिख दिया और अब तक उनकी कार्यवाही जारी है। ऐसी सूरत में आप मुनासिब समझते हैं कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह स्पष्ट है ?

श्री अध्यक्ष : हां, मंत्री जी, जवाब दीजिए। चलिये, मंत्री जी, बोलिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप गये थे क्या वहां ?

श्री सम्पत सिंह : मैं गया वहां। मैं गया तभी जिला कलक्टर वहां पहुंचा।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय तत्कालीन समय में कृषि मंत्री थे। आपका पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ और मुझे यह समझ में ही नहीं आया कि वह इतने ही जागरूक थे तो 10 जून, 1991 को आपने पत्र लिखा है जबकि घटना 21 तारीख की रात्रि की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय निर्देश दिये और उसके पश्चात् सारी कार्यवाही हुई। इसके साथ-साथ आपने जिलाधीश महोदय के लिए कहा है, जिलाधीश महोदय उस समय 22 तारीख को क्योंकि 21 तारीख की रात्रि को माननीय राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई, 22 तारीख को लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन मेन्टेन करने के लिए वह वहां थे, उसके पश्चात् वहां वोटिंग में कुछ गड़बड़ी, ऐसी बात आई थी और काउन्टिंग के लिए जयपुर में उनको आना पड़ा और 25 तारीख से 28 तारीख तक वह वहीं रहे और उस समय उन्होंने यह सारे अकाल राहत, किस तरीके से चलाये जा सकते हैं, दस-दस हजार रुपये और अकाल की राशि और उस विभाग से सारा करके दिलाई। राहत राशि दस-दस हजार रुपये दिलाई। उसके पश्चात् वह वहां जैसे ही भरतपुर पहुंचे, तुरन्त वहां पर गये और उनकी सहायता राशि की घोषणा की।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, अब हो गया आपका। यह सहायता अब यहां तो मिलनी नहीं है। जो हो गई वह बता दी।

श्री सम्पत सिंह : मैं आपका संरक्षण चाहूंगा....

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं माननीय मंत्री जी कहते हैं—अकाल राहत का पैसा....

श्री सम्पत सिंह : एक तरफ तो वहां अब तक कोई व्यवस्था नहीं है सिवाय दस-दस हजार के. वह तो हमने मानी और उनका उन्होंने अहसान माना है। लेकिन क्यों नहीं दूसरी योजनाओं के तहत जो आपने पत्र लिखे थे, अब तक कार्यवाही हुई ? अध्यक्ष महोदय, खुद मुझे आप कह रहे हैं कि इतने ही जागरूक थे तो जून में चिट्ठी क्यों लिखी, क्या मैं उस दिन का भी इन्तजार नहीं करता और जब किसी डिस्ट्रिक्ट कलक्टर के खिलाफ कोई मंत्री मण्डल का सदस्य चिट्ठी लिखे, उसके खिलाफ जांच होती है, जांच के पश्चात् कोई परिणाम आते हैं, मंत्री जी ऐसे कह रहे हैं—उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तरफ तो आपने वहां कोई सहायता नहीं दी और दूसरी तरफ हमें कह रहे हैं कि यह ही इतने जागरूक थे तो इन्होंने क्या कर लिया, यह सरकार का काम है या अकेले इन्डीविजुअल का काम होता है ? आपने जिन चिट्ठियों का हवाला दिया है उन पर क्या कार्यवाही हुई अब तक ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसका जवाब आये साहब।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य को, आपने पत्र लिखा था मुख्य मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी ने निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्यवाही की है और कार्यवाही के फलस्वरूप जिलाधीश से भी इसके लिए जानकारी की कि क्यों वह देर से पहुंचा, क्या बात है ? यह मंत्री जी ने बतलाया और अब रहा सवाल, जो झोपड़ियां जल गई, वहां पर दूसरी योजनाओं के तहत कार्यवाही नहीं हो रही है तो इसकी पूरी जानकारी करके मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा और उनको सहायता पूरी किस प्रकार से दी जाय....

श्री सम्पत सिंह : यह तो टालमटोल वाली बात है....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तो टालमटोल वाली....

श्री रामस्वरूप मीणा : प्रश्न संख्या 399.

श्री सम्पत सिंह : यह तो टालमटोल वाली बात हुई कि....

एक माननीय सदस्य : एक कमेटी।

श्री सम्पत सिंह : जब साल भर तक आप कुछ नहीं कर सकते और मंत्री जी सदन में यह कहते हैं कि इतने ही जागरूक थे प्रश्नकर्ता तो उन्होंने क्या किया, यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली

(24)

(श्री सम्पत सिंह)

बात है अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहेंगे हम । 16–16 आदमी एक-एक घर में जल-जल कर मर जायं और उसके बाद में सरकार यह नमूना पेश कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : चलिये । हां बोलिये ।

श्री सम्पत सिंह : और आप राज्य मंत्री जी को कहिये कि वह किस भाषा में जवाब दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : हां जवाब दीजिए आप ।

श्री कालूलाल गुर्जर : (खनिज राज्य मंत्री) : इस प्रश्न की पूरी जानकारी मुझे नहीं मिली इसलिए मैंने इसको स्थगित करने के लिए निवेदन किया है....

श्री सम्पत सिंह : उनकी आज तक कोई झोंपड़ी नहीं बनी और राज्य मंत्री जी इस भाषा में जवाब देते हैं....

श्री कालूलाल गुर्जर : जो जानकारी है उसके आधार पर जवाब दे दूं....

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि इस प्रश्न में पूरी जानकारी नहीं मिली है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : इस सवाल के बारे में ?

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : नहीं-नहीं, मेरी आप एक सुन लें, निवेदन सुन लें । एक मिनट, सम्पत सिंह जी । अध्यक्ष महोदय, आपने दूसरा प्रश्न ले लिया, यह रूपवास वाला प्रश्न बड़ा गम्भीर प्रश्न है । अब अध्यक्ष महोदय, सरकार जो....

श्री अध्यक्ष : तो क्या करूं अब ? क्या इसको लिये बैठे रहूं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, आप लिये मत बैठे रहिये ।

श्री अध्यक्ष : तो उन्होंने पूछा है, उन्होंने जवाब दे दिया, इसका निर्णय क्या होगा यहां ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब माकूल जवाब नहीं था ।

श्री अध्यक्ष : देखिये साहब, एक बार फिर, माननीय सदस्य....

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार की तरफ से, देखिये मानवीय प्रश्न, इसमें 16 आदमी मर जायं, आज वह इतने हेजीटेटेड हैं, पूरा हाउस हेजिटेटेड है इस मामले में, हो क्या रहा है अध्यक्ष महोदय, सारी व्यवस्था इस बात की है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको रहने के लिए कुछ नहीं है, कलक्टर ने यह वायदा किया था....

श्री प्रद्युम्न सिंह : कि पिछले कुछ साल से यह व्यवस्था होती चली जा रही है कि अग्नि काण्ड के मामले में जैसे पहले तुरत-फुरत माकूल सहायता समय पर दी जाती थी, सारा विलम्ब हो रहा है, सारा झगड़ा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह है । तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय, आपकी जो नीति है सहायता पहुंचाने की, इस नीति के अन्दर आप कोई परिवर्तन ला रहे हैं जिससे लोगों को समय पर माकूल सहायता मिल जाया करे जैसी पूर्व में मिलती थी। इस बात की कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं तो बता दें। सारा झगड़ा इस बात का है। संवेदनशीलता समाप्त होती जा रही है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह पूर्व वाली मुझे समझ में नहीं आई। ऐसी पूर्व में मिलती थी। यह सारे के सारे नार्म्स पूर्व के ही बने हुए हैं, कोई राज्य सरकार ने नये नहीं बनाये इसलिए कोई हाउस में यह गलतफहमी पैदा करे, कोई हाउस में....(व्यवधान) में नहीं कह रहा हूं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप गलत कह रहे थे....

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह नहीं कह रहा हूं....

श्री परसादीलाल मीणा : आप गलत पैरवी कर रहे हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप क्या कह रहे हैं यहां पर....

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं। कोई हाउस में यह गलत गाइड करना चाहें, अफसोस यह है कि राज्य सरकार ने कोई नये नियम नहीं बनाये, नये नार्म्स नहीं बनाये और नये नार्म्स बनाने चाहिए। हाउस को चाहिये यह कि परिस्थितियों को देख कर, हालात को देख कर आज के वक्त में नये नार्म्स बनाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं इस पर। सुन लीजिए आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक ही तो मैं बात कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा हादसा, एक तो छोटी कई बार....

श्री अध्यक्ष : अब बात तो वहीं कहेंगे ना, आप जो यह कह रहे हैं....

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, कहीं फसल खराब हो जाती है, कहीं और जानवर मर जाते हैं, वह अलग बात है....

श्री अध्यक्ष : अब बात वही हो गई तो इसीलिए मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : तभी तो मुख्य मंत्री जी से हम गुहार कर रहे हैं कि....

श्री अध्यक्ष : बोल रहे हैं न मुख्य मंत्री जी आप विराजेंगे तब बोलेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : स्पेसिफिक मुख्य मंत्री कोष से ऐसी कोई....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए, बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, नियम तो पहले के बने हुए हैं लेकिन यह सही है कि उन नियमों को नये सिरे से देखा जाय और इसमें क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं वह परिवर्तन किये जायें। मैं माननीय सदस्यों से भी सुझाव मांगूंगा, नियमों की प्रतियां नहीं हैं, तो मैं भेज दूंगा, कि किस प्रकार से उनमें सुधार किया जा सकता है। जहां तक माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कलक्टर के मामले में, यह सही है कि जिस समय अग्नि काण्ड हुआ उस समय माननीय मंत्री महोदय वहां पहुंच गये थे और उन्होंने आकर कलक्टर की लापरवाही के सम्बन्ध में मुझे शिकायत की। मुझे आज ध्यान नहीं था वरना वह जांच के सारे कागजात ले आता और बता देता। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि कलक्टर वहां टाईम पर नहीं पहुंचा, इसकी शिकायत आपने की, मैंने तुरन्त उनका एक्सप्लेनेशन कॉल किया है, उस पर आगे कार्यवाही हुई। क्या हुई, इस समय मैं नहीं बता सकता। (व्यवधान)

खनन् क्षेत्र बूंदी के लम्बित वाद प्रकरण

399. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या राज्य मंत्री, खनन यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दिनांक 1-4-90 को बूंदी जिले के खनन् क्षेत्र से सम्बन्धित खानों के कितने वाद/प्रकरण खनिज विभाग या राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन थे? उनमें से कितने निर्णित हो चुके हैं तथा बकाया किस स्टेज पर हैं?

(2) इस समय खनिज विभाग या खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बूंदी जिले में पड़ने वाले किसी भी खनन् क्षेत्र या खनन पट्टे आदि के सम्बन्ध में कितने वाद तथा प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 1-4-90 से अब तक उक्त जिले से सम्बन्धित कितने वाद/प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा खनिज विभाग के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं तथा इसके क्या कारण रहे हैं?

(4) उक्त तिथि से अब तक खनिज विभाग, बूंदी से सम्बन्धित कितनेवाद/प्रकरण खनिज विभाग के खिलाफ निर्णीत किये गये हैं तथा खिलाफ फैसले होने के क्या कारण रहे हैं?

(5) क्या यह सही है कि खनिज विभाग बूंदी या इसी से सम्बन्धित सरकार के खिलाफ चल रहे हैं मामलों में ही ध्यान एवं प्रभावी पैरवी का अभाव रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं तथा इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु सरकार को कब एवं क्या-क्या सुझाव दिये गए हैं?

खनिज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित–

नैक्स्ट, श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री सम्पत सिंह : राज्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए था ...

श्री अध्यक्ष : अब जो मुख्य मंत्री जी ने कहा है उसको मानिये आप। राज्य मंत्री से ऊपर मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। (व्यवधान)

श्री रामप्रसाद (वैर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा भी तो एक सवाल सुन लो। अध्यक्ष महोदय रूपवास क्षेत्र के लोग मुझे 15 दिन पहले मिले थे और मुझे पता नहीं था कि आज सवाल उठ रहा है नहीं तो मैं पूरे कागजात लाता। मुख्य मंत्री जी आज तक देखने नहीं गये और इसलिए नहीं गये कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के यहां आग लगी थी, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग मरे थे। कोई बड़ा आदमी मरता तो मौके पर देखने जाते। बड़ा आदमी जलता तो मुख्य मंत्री जी देखने जाते। आज तक वहां कोई नहीं पहुंचा और वहां के कलक्टर ने विश्वास दिलाया था कि हम कालोनी बनवायेंगे लेकिन आज तक कोई कालोनी बनाने नहीं पहुंचा है। वहां पर लोग आज भी खुले में पड़े हुए हैं।

(प्रश्न संख्या 399 स्थगित)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। आप विराजिये। अगला प्रश्न मंत्री जी।

औद्योगिक भूमि का रिहायशी/व्यावसायिक रूपान्तरण

400. श्री राजपाल सिंह शेखावत (वनीपार्क) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक उपयोग हेतु रूपान्तरित भूमि को रिहायशी या व्यावसायिक उपयोग में लेने हेतु बेचान करना या लीज पर देना कानून सम्मत नहीं है। यदि हां, तो टोंक रोड स्थित जयपुर ग्लास एण्ड पोटरीज वर्क्स की उद्योग रूपान्तरित भूमि बेचान। लीज पर एक कोयला व्यापारी तथा खादी व्यावसायिक को उपयोग हेतु कैसे दी गयी है ?

(2) उद्योग विभाग इस भूमि के गैर कानूनी दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कार्यवाही कर सकता है अथवा करने की मंशा रखता है ?

उद्योग मंत्री (श्री कृष्णकुमार गोयल) : जी हां। (1) मैसर्स जयपुर ग्लास एण्ड पोटरीज वर्क्स, टोंक रोड, जयपुर ने कुछ भूमि को स्वयं के स्तर पर ही बिना किसी स्वीकृति के कुछ पार्टियों को हस्तान्तरित कर दी है।

(2) उक्त अनाधिकृत कार्यवाही के लिये औद्योगिक इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर ही आगे कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो ट्रान्सफर्स हुई है इसका मोड आफ ट्रान्सफर क्या था ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि नोटिस कब सर्व किया गया ? तीसरा सवाल यह है कि अल्सर के अन्दर 12 साल पहले नोटिस सर्व किया था। जे. डी. ए. में फाइल गायब हो गयी है। अल्सर के नोटिस का 12 साल से अभी तक कुछ नहीं हुआ। पुरानी सरकार के समय नोटिस सर्व हुआ था। उन्हीं की सरकार में दफन हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

कि यह नोटिस आपने कब सर्व किया और इसका क्या फेट हुआ ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, 4–12–43 को भूतपूर्व जयपुर स्टेट द्वारा इस उद्योग को इसके मालिक श्री वासुदेव जयपुरिया एवं....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने बहुत छोटे-छोटे सवाल पूछे हैं। इनका छोटे छोटे में ही जवाब दे दो। बहुत सीधे-सीधे एक-एक लाइन के पूछे हैं, जवाब भी संक्षेप में दे दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, अल्सर के द्वारा इनको छूट दी गयी थी जिसमें कहा गया था कि औद्योगिक इकाई द्वारा धारित 20990 वर्ग गज को स्थायी मुक्ति दी जाती है तथा 8779 वर्ग गज खाली भूमि का विस्तार हेतु एक वर्ष की अवधि में पूरा कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : दूसरा इन्होंने पूछा है कि नोटिस कब दिया है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह नोटिस नहीं है। यह अल्सर था। नोटिस दिया है पार्टी को उद्योग विभाग के द्वारा मार्च, 90 में, मई, 90 में और अब लेटेस्ट जो नोटिस दिया लेटेस्ट वह 13 मार्च, 1992 को दिया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं और माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि सारे मामले को देखकर जांच के आदेश दे दिये गये हैं और जब पूरी जांच हो जायेगी तो माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री मोहम्मद माहिर आजाद। खेल कूद मंत्री जी।

क्रीडा संस्थाओं को अनुदान

401. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : क्या खेल कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य खेद परिषद् द्वारा क्रीड़ा संस्थाओं को अनुदान देने का क्या मापदण्ड व प्रक्रिया है ?

(2) वर्ष 1990-91 व 1991-92 में राज्य की किन-किन क्रीड़ा संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वर्षों में राज्य में कहां-कहां खेल मैदान व स्टेडियम बनाने हेतु केन्द्र सरकार ने कितनी कितनी सहायता राशि खेद परिषद् के माध्यम से दी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

मंत्री, खेल कूद (श्री भंवरलाल शर्मा): (1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने हेतु मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल संघों की गतिविधियों हेतु बायलाज के अनुरूप एवं अन्य संस्थाओं, व्यक्तियों अथवा व्यायामशालाओं को अनुदान। सहायता नियमों में वर्णित समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त गुण दोष के आधार पर अनुदान दिया जाता है। परिषद् के बायलाज एवं वित्तीय सहायता नियम तथा राजस्थान

(श्री भंवरलाल शर्मा)

राज्य खेल अनुदान नियम की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार एवं परिषद के अनुदान नियमों के अनुसार समस्त संबंधित दस्तावेजों एवं वांछित औपचारिकताओं को पूर्ण करने वाली संस्थाओं, क्लबों तथा व्यायामशालाओं एवं खेलकूद से जुड़ी अन्य संस्थाओं को खेल विभाग एवं परिषद के बजट द्वारा वर्ष 1990-91 में 47,76,103.80 एवं वर्ष 1991-92 में 25,86,910 रु० का अनुदान दिया गया है। जिन 12 राज्य स्तरीय खेल संघों ने अपने पूर्व वर्ष 1990-91 के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं उन खेल संघों की प्रतियोगिताओं हेतु खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिषद के प्रतिनिधि द्वारा खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता आदि का सीधे ही भुगतान खिलाड़ियों को किया गया है। वर्ष 1990-91 एवं 91--92 में दिये गये अनुदान का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। जिन 12 राज्य स्तरीय खेल संघों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं उन संघों के खिलाड़ियों को दिये गये अनुदान का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) राज्य में खेल मैदान व स्टेडियम बनाने हेतु केन्द्र सरकार ने खेल परिषद् के माध्यम से वर्ष 1990-91 में 51,88,940.00 तथा वर्ष 1991-92 में 25,00,000 दिये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आपका जो नोटिफिकेशन है स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट ग्रान्ट इन एड देने का इसमें आपने अलग-अलग क्लासीफिकेशन किया है कि पंचायत लेवल पर अगर कोई करना चाहता है तो उसको 1000 रुपया, तहसील लेवल पर 1500 रुपया, ब्लाक लेवल पर 2000 रुपया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 5000 रुपया, स्टेट लेवल पर 10,000 रुपया और नेशनल और इन्टरनेशनल लेवल पर करता है तो 25,000 रुपया है। आपने रामबाग क्लब को 70,000 रुपया का अनुदान पिछले वित्तीय वर्ष में दिया है। यह किन नियमों के तहत दिया? और जो अनुदान की सूची आपने प्रस्तुत की है मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्रीड़ा परिषद या स्पोर्ट्स विभाग जो कि संस्थाओं को अनुदान देता है क्या उनका भी खुद का कुछ अंशदान उसमें शामिल होता है। कोई प्रतियोगिता किसी ने आयोजित की या 25 पर्सेन्ट फलानी संस्था स्वयं वहन करे और 75 पर्सेन्ट या कुछ इस तरीके का प्रावधान है? दूसरे यह जो भारत सरकार की तरफ से स्टेडियम और खेल के मैदानों के विकास के लिए जो सहायता राशि आपको मिली है वह पर्टीकूलर स्थानों के लिए वहां से स्वीकृत होकर आती है या वहां आने के बाद आप उसका बंटवारा करते हैं? आपने इसमें सूची दी है झुंझुनू में भी स्टेडियम का निर्माण पिछले डेढ़ वर्ष से हो रहा है इसका उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि झुंझुनू

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

के स्टेडियम के लिए भी आपने कुछ राशि उपलब्ध कराई है ? अगर नहीं कराई है तो क्या आप आगे करने का विचार रखते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संस्था के बारे में आपने जिक्र किया है उसका तो मेरे पास अभी उत्तर नहीं है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें दे रखा है । 8 नम्बर पर है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नाम तो है पर इतना अमाउन्ट क्यों दिया इसकी जानकारी मैं दे दूंगा. झुंझुनूं के लिए आप कह रहे हैं अगर आप कोई प्रस्ताव लायेंगे तो निश्चित रूप से मैं मदद करूंगा ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह कब तक सुलभ करा देंगे आप ? दूसरे जिसके खिलाफ आपके पास आडिट रिपोर्ट है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? जिन संस्थाओं ने सहायता राशि का दुरुपयोग किया है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिनकी आडिट रिपोर्ट नहीं है उनको हम अनुदान नहीं देते हैं । यही कर सकते हैं हम । हम अनुदान देते हैं और कोई हमारा दखल नहीं होता है उसमें । तो जो रिपोर्ट नहीं देते हैं, ढंग से हिसाब नहीं देते हैं उसको हम आगे नहीं दें यही कर सकते हैं हम ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम परमार ।

श्री केदारनाथ शर्मा : सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट ने आपको जो स्टेडियम ऐड दी है वह 90 में दी है 50 लाख और 91 में दे दिये आपको 25 लाख । क्या आपने वहां पर रिक्वायरमेण्ट पेश किया है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हमने जो दिया है वह बताया है और जो बाकी अभी देना है तो यह कुछ समय बचा है उसमें कुछ और देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम परमार ।

श्री दयाराम परमार : प्रश्न संख्या 402

आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत क्रय

402. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक विद्यालय में सहायक पाठ्य सामग्री सरकार को उपलब्ध करानी थी ? यदि हां, तो उक्त स्कीम में आने वाले प्रदेश के कुल कितने विद्यालयों को आवश्यक सामग्री पहुंचा दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सामग्री खरीद में अनियमितताऐं हुई हैं और घटिया किस्म का सामान दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सामान खरीदने का अधिकार जिला स्तर को था और राज्य स्तर पर खरीदा गया ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) जी हां, आॅपरेशन ब्लैक बोर्ड

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

योजनान्तर्गत न्यूनतम आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु चार चरणों में 27014 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण के 14827 विद्यालयों में से 4974 में पूर्णतः 6664 में आंशिक तथा 3189 विद्यालयों में सामग्री क्रय एवं पहुंच की प्रक्रियाधीन है। प्रथम चरण के 12187 विद्यालयों में सामग्री क्रय एवं पहुंच सम्बन्धी शिकायतों की जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

(2) जांच के परिणाम प्राप्त होने पर ही वस्तुस्थिति की जानकारी हो सकेगी।

(3) जी हां।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इस ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत दो इर्रेगुलरिटीज हुई हैं। पहली, यह सामग्री जिला स्तर पर खरीदनी थी और राज्य स्तर पर खरीदी गई। दूसरी सामान घटिया किस्म का खरीदा गया, इसमें से कौनसी जांच हो रही है?

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दो गलतियों के लिए कहा। एक तो जिला स्तर पर खरीदने वाली और दूसरी स्टेट लेवल पर डाइरेक्टर लेवल पर खरीदी गई। यह बात सही है, लेकिन जिला स्तर पर तो बाद में वर्तमान सरकार ने खरीदना प्रारम्भ किया है, उसके पहले डाइरेक्टर के स्तर पर इसकी परचेज की गई थी। जो परचेज की गई है, उसकी जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला उद्योग केन्द्र (बाड़मेर) की खादी संस्थाओं में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद

395. **श्री चम्पा लाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर पर खादी की संस्थाओं में अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है, कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पद कब से हैं व इन्हें कब तक भर दिया जायेगा? पद रिक्त रहने के क्या-क्या कारण रहे?

उत्तर

खादी की संस्थाएं स्वायत्तशासी संस्थाएं है। बाड़मेर जिले में इन संस्थाओं में जिला उद्योग केन्द्र व खादी बोर्ड के कोई अधिकारी या कर्मचारी का पद नहीं है अतः रिक्त पद होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा आवासीय भू-खण्डों का वितरण

568. **श्री हीरालाल इन्दोरा** (केसरीसिंहपुर), एवं
श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में क्राउन एक्ट एवं 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत बीकानेर शहर में नगर विकास न्यास तथा नगर परिषद् बीकानेर द्वारा हरिजनों तथा गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले कितने व्यक्तियों को आवासीय भू-खण्डों के पट्टों का वितरण एवं नियमन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों से ऐसे कितने मामले नगर विकास न्यास तथा नगर परिषद् बीकानेर के पास विचाराधीन है ? उक्त विचाराधीन मामलों पर कब तक निर्णय लेकर आवासीय भू-खण्डों के नियमन का कार्य पूरा करा दिया जायेगा ?

(3) नगर विकास न्यास, बीकानेर की विभिन्न आवासीय योजनाओं में नियमन के कितने मामले विचाराधीन हैं ? उनका निपटारा कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में नगर परिषद् बीकानेर द्वारा क्राउन एक्ट के तहत दो व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये है जिनके नाम निम्न है :–

1. श्री महबूब खाँ

2. श्री बुलाकी दास

न्यास बीकानेर द्वारा उक्त एक्ट के तहत कोई पट्टा जारी नहीं किया गया। 12‘9 कब्जे नियमन किये गये है जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी है।

(2) गत दो वर्षों के क्राउन एक्ट एवं 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत पट्टे जारी करने का कोई भी प्रकरण न्यास, बीकानेर के यहां विचाराधीन नहीं है। नगर परिषद् बीकानेर के यहां 538 प्रकरण विचाराधीन है जिनका निष्पादन शीघ्र कर दिया जायेगा।

(3) आवासीय योजनाओं में नियमन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका, बांसवाड़ा द्वारा उद्योगों हेतु एन. ओ. सी.

569. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बांसवाड़ा नगरपालिका ने 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1991 तक किन-किन उद्योगों को अपने क्षेत्र में एन. ओ. सी. जारी की है ? उद्योगों के विद्युत् कनेक्शन की क्षमता दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बांसवाड़ा नगरपालिका ने घनी आबादी वाले क्षेत्र में गोशाला रोड पर बसरा मार्बल्स फैक्ट्री जिसका विद्युत् क्षमता लगभग 40 एच. पी.

(श्री बहादुर सिंह)

है, को भी एन. ओ. सी. दी है ? यदि हां, तो उसे एन. ओ. सी. कब जारी की गई है ? यदि नहीं, तो यह उद्योग किस आधार पर कब से चल रहा है ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त उद्योग जिस भूमि पर स्थित है वह आदिवासी के नाम दर्ज है ? यदि हां, तो किस आधार पर कितनी भूमि अवर्ण के नाम रूपान्तरण हुई ?

उत्तर

(1) नगरपालिका बांसवाड़ा ने 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1991 तक कोई एन. ओ. सी. जारी नहीं की है किन्तु उद्योगों को अनुज्ञा पत्र दिये हैं। इन उद्योगों की विद्युत कनेक्शन क्षमता दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं । यह उद्योग सिवाय चक भूमि पर विद्युत कनेक्शन दिनांक 19-12-86 के अनुसार चल रहा है।

(3) जी नहीं । वर्तमान में उक्त भूमि श्री सरकार (सिवाय चक) दर्ज है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

राजतलाब से नाथेलाव (बांसवाड़ा) हेतु पक्के नाले का निर्माण

570. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा नगरपालिका ने राजतलाब से नाथेलाव (केवलरा) को एक पक्के नाले द्वारा जोड़ने का कार्य किया है ? यदि हां, तो कुल कितनी लम्बाई एवं कितने भाग को सीमेंट द्वारा पक्का किया एवं राशि कितनी खर्च हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजतलाब से नाथेलाव (केवलपुरा) तथा पक्की नहर (नाले) की लम्बाई कितनी है।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नाला (नहर) का कुछ भाग अधूरा है ? यदि हां, तो क्यों ? यह कब तक पक्का कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। 240 मीटर में पक्का कार्य पूर्ण किया गया है एवं कुछ फिनिशिंग सम्बन्धी कार्य शेष हैं उक्त कार्य में 80,556/– व्यय किया जा चुका है।

(2) इस नाले की कुल लम्बाई 300 मीटर है।

(3) जी हां। उक्त कार्य अधूरा है। यह कार्य नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है। उक्त योजना का फण्ड उपलब्ध नहीं होने से कार्य अधूरा है फण्ड प्राप्त होते ही शेष कार्य पूर्ण करवा दिया जावेगा।

(34)

नगरपालिका सोजत (पाली) द्वारा भू-खण्डों का आवण्टन

571. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, 1991 से आज तक नगरपालिका, सोजत (पाली) ने किन-किन आय वर्ग के लोगों को किन-किन योजनाओं के तहत भू-खण्ड का आवंटन किया गया ?

(2) जनवरी, 1991 से आज तक नगरपालिका, सोजत (पाली) ने किन-किन को नीलामी से भू-खण्डों का आवंटन किया ? आवंटियों की सूची, वर्ग के तबके की योजना मय नक्शा की प्रतिलिपि नाम, आय, भू-खण्ड संख्या, क्षेत्रफल, नीलामी तिथि, राशि रजिस्ट्री बेचान की प्रतिलिपि शपथ पत्र अंकित करते हुये सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 1991 से आज तक नगरपालिका, सोजत ने किसी भी योजना में भू–खण्डों का आवंटन नहीं किया है।

(2) जनवरी, 1991 से आज तक नगरपालिका, सोजत ने नीलामी से भू खण्डों का विक्रय नहीं किया है ।

राज्य की नगर पालिका/परिषदें

572. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है ? पालिकाओं, परिषदों की सूची मय श्रेणी के सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में नगरपालिकाओं, परिषदों के अधिशाषी अधिकारियों, आयुक्तों की कितनी श्रेणियां हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिस श्रेणी की नगरपालिका है उसमें उसी श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ? यदि हां, तो नियुक्त अधिकारियों की सूची मय नाम, श्रेणी एवं नगरपालिकाओं की श्रेणी सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) यदि नहीं, तो क्या सरकार जिस श्रेणी की नगरपालिका है उसमें उसी श्रेणी के अधिकारियों को लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान में नगरपालिकाओं एवं परिषदों को चार श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। नगरपालिकाओं, परिषदों की सूची मय श्रेणी के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान की नगरपरिषदों में प्रथम श्रेणी में आयुक्त, नगरपालिकाओं में अधिशासी अधिकारियों (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ) की तीन श्रेणियां हैं।

(3) अधिकांश नगरपालिकाओं में उसी श्रेणी के ही अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जहां उस श्रेणी का अधिकारी

(स्वायत्त शासन मंत्री):

उपलब्ध नहीं है, वहां उससे निकटतम निम्न श्रेणी के अधिकारी को उस श्रेणी के पद के विरुद्ध पदस्थापन किया गया है। नियुक्त अधिकारियों की श्रेणीवार नाम की सूची एवं नगरपालिकाओं की श्रेणी की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में सम्मिलित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम दोरजंडखारी (सादुलशहर) की डिग्गी का निर्माण

573. **श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्री गंगानगर जिले की सादुलशहर तहसील के दोरजंडखारी गांव की डिग्गी का निर्माण कब किया गया ? इस योजना पर किये गये व्यय, योजना में सम्मिलित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) डिग्गी की गहराई व भराव क्षमता चेनल नहर पर हुए व्यय की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि डिग्गी ऊंचे स्थान पर और नहर से ऊंची बनाने के कारण पानी की क्षमता घट गई है ?

(3) डिग्गी को गलत बनाने वाले अधिकारी व ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या इसे पुनः बनाया जायेगा और गांव की सप्लाई को सही किया जायेगा।

उत्तर

(1) संदर्भित डिग्गी का निर्माण वर्ष 1983–84 में किया गया एवं ग्राम मोरजण्डा खारी की मूल योजना पर 8.87 लाख रुपए व्यय हुए। योजना में ग्राम 43 एम. एम. के. (मोरजण्डा खारी) 37 एम. एम. के. एवं 39 एम. एम. के. सम्मिलित हैं।

(2) डिग्गी की गहराई 4.50 मीटर तथा भराव क्षमता 7800 किलोलीटर है। इनलेट चेनल पर 66 हजार रुपए की राशि व्यय हो चुकी है। निर्मित डिग्गी की क्षमता संशोधित योजना की पेयजल मांग के अनुरूप है।

(3) कोई कार्यवाही नहीं की गई। डिग्गी पुनः बनाने की आवश्यकता नहीं है।

नगरपालिका क्षेत्रों में पी. एस. पी.

574. **श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) एवं श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कितनी आबादी पर नगर पालिका क्षेत्र में पी. एस. पी. निःशुल्क लगाई जाती है ? प्रति पी. एस. पी. की कितनी आबादी पर है ?

(36)

(श्री अनंग कुमार जैन)

(2) विभाग द्वारा प्रति पी. एस. पी. लगाने के क्या चार्जेज लिए जाते हैं ? इनसे सम्बन्धित नियम सदन की मेज पर रखें।

(3) जलदाय विभाग द्वारा झालावाड़ नगरपालिका के लिए इस वर्ष किस-किस मद के लिए कितनी राशि आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर पालिका क्षेत्र में 1000 की जन संख्या पर तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की 500 की जन संख्या पर, एक सार्वजनिक नल लगाये जाने का मापदण्ड है। परन्तु पानी की खपत का भुगतान संबंधित स्थानीय पालिका से लिया जाता है।

(2) विभाग द्वारा सार्वजनिक नल लगाने अर्थात् स्थापित करने पर व्यय की गई राशि नगरपालिकाओं से सामान्य वसूल नहीं की जाती।

(3) झालावाड़ नगरपालिका हेतु जलदाय विभाग द्वारा कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

नगरविकास न्यास, जोधपुर द्वारा कृषि भूमि का रूपान्तरण

575. **श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर) एवं श्री मदन लाल सैनी (गुढा)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलॉटमेंट, कन्वर्शन एण्ड रेग्युलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैण्ड फोर रेजिडेन्शियल एण्ड कामर्शियल परपजेज इन अरबन एरियाज) रूल्स, 1981 के अन्तर्गत जोधपुर अरबन एरिया में अनुमानित पचास लाख वर्ग गज कृषि भूमि का रूपान्तरण कर लगभग बीस हजार आवासीय भू-खण्डों के पिछले दस वर्षों में पट्टे प्रदान किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारियों ने मात्र रु. 6/–तक पेराफेरियल डवलपमेंट चार्जेज प्रति वर्ग गज लिए हैं परन्तु इन्टरनल डवलपमेंट चार्जेज के स्थान पर पट्टे के आवेदकों से भविष्य में नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा मांगने पर देने के लिए लिखित परिवचन (अण्डरटेकिंग) लिए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक एफ.5(21) नविआ/86 दिनांक 18-1-90 के द्वारा उक्त इन्टरनल डवलपमेंट चार्जेज अब रु. 45/– प्रतिवर्ग गज जोधपुर के लिए तय किये हैं ?

(4) यदि हां, तो सरकार कब तक विकास शुल्क वसूल कर उक्त भूमि का विकास करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जी हां ।

(4) कृषि भूमि पर बनी हुई आवासीय योजनाओं के नियमितीकरण एवं विकास शुल्क के निर्धारण बाबत राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांकः प. 5 (2) नविआ/3/86 दिनांक 6-3-91 जारी कर दिया गया है । विकास शुल्क की दर राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प. 5 (21) नविआ/3/86 दिनांक 6-3-92 द्वारा निर्धारित कर दी गई है ।

अप्रवासी भारतीयों को राज्य में आवासीय व्यवस्था

576. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रवासी भारतीयों को राजस्थान में आवास उपलब्ध कराने हेतु क्या कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार की कोई योजना भविष्य में अप्रवासी भारतीयों के लिए (जो राजस्थान में आवास चाहते हैं) बनायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

निजी डवलपमेंट बिल्डर्स को प्रोत्साहन

577. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बम्बई, दिल्ली की तरह राजस्थान में निजी डवलपमेंट बिल्डर्स को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या इस योजना में सीलिंग से अधिक भूमि पर छूट प्रदान की जावेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(2) राज्य सरकार में अभी विचाराधीन है ।

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण

578. श्री बहादुर सिंह (दांतपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1987 से 31 जनवरी, 1992 तक किस-किस प्रवर्तन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित विभागीय जांच किस-किस प्रकरण में कब-कब प्रारम्भ की एवं क्या-क्या निर्णय दिये एवं उनकी कब-कब क्रियान्विति की ? नामवार, प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(38)

(श्री बहादुर सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि प्रवर्तन अधिकारियों की भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच के लिए प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो को लिखा ? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध किस-किस प्रकरण में कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्राधिकरण अब भी इनकी जांच करवाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जांचों में श्री कुन्दनलाल, प्रवर्तन अधिकारी के विरुद्ध भी जांच की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस प्रकरण में एवं क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भ्रष्टाचार की जांच कर दण्ड देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1987 से 31 जनवरी, 92 तक जिन प्रवर्तन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ की, उसकी सूची सदन के पटल पर परिशिष्ट "क" पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। क्योंकि प्रतिनियुक्ति पद कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की जांच राजस्थान असैनिक कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 तथा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की जांच जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम 1984 के अन्तर्गत किए जाने का प्रावधान है।

(3) जी हां। भूखण्ड संख्या 456 आदर्श नगर पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1984 के विनियम 8 के अन्तर्गत जांच विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आवासन मण्डल की गंगापुरसिटी आवासीय योजना

579. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गंगापुरसिटी के आवासन मण्डल द्वारा आवास देने की योजना कब से लागू की गई है ?

(2) क्या गंगापुरसिटी के लोगों द्वारा राशि जमा करा दी गई है ? यदि हां, तो अब तक कितने लोगों द्वारा पैसे जमा कराये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अब तक गंगापुरसिटी में कोई जमीन नहीं खरीदी गई है ? यदि हां, तो योजना कब तक चालू की जावेगी ?

उत्तर

(1) गंगापुर सिटी में आवासन मण्डल द्वारा 1982 में पंजीकरण किया गया था।

(आवासन मन्त्री)

(2) कुल 162 आवेदकों द्वारा पैसे जमा कराये गये थे जिनमें से 23 आवेदकों ने पैसे वापस ले लिये। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। गंगापुर मावली रोड पर भूमि का चयन कर लिया गया है तथा अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात योजना की क्रियान्विति की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

आवासन मण्डल द्वारा आवण्टित किए जाने वाले मकानों में आरक्षण

580. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल ने अनुसूचित जाति/जनजाति/भूतपूर्व सैनिक, आवासन मण्डल के कर्मचारियों व विकलांगों के लिए मकानों के आवंटन में कुछ आरक्षण कर रखा है? यदि हां, तो जयपुर में आज तक कितने मकान बने तथा उनमें से क्या आरक्षित श्रेणी के सदस्यों को निर्धारित संख्या में मकान एलाट किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो श्रेणीवार आवंटन पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1989 में आवासन मण्डल ने जयपुर में मकान बनाकर देने हेतु नागरिकों से फार्म भरवाये थे? यदि हां, तो दो साल हो जाने के बावजूद अभी तक जमीन नहीं खरीदे जाने के क्या कारण हैं? मकान शीघ्र मिलें इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर में आवंटित कुल मकानों एवं आरक्षित श्रेणीवार आवंटन एवं बैकलॉग का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। मानसरोवर योजना तृतीय के लिए 38 बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा, अवाप्ति का कार्य कर लिया गया है। मण्डल द्वारा जयपुर में ही पृथ्वीराज नगर में भी भूमि अवाप्ति का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी भवन बनाकर देने हेतु पूर्व पंजीकृत सभी आवेदकों के लिए वर्षवार पंजीकृत संख्या के आधार पर भी भवन निर्माण कार्य हाथ में लिए गये हैं। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य को गति देने के लिए निर्माण तकनीकी में बदलाव लाया गया है जैसे कि सीमेन्ट ब्लाक से भवन निर्माण करना। मण्डल की पंजीकृत संस्था आवास विकास संस्थान के द्वारा निर्माण कराना एवं जयपुर में निर्माण की गति को दुगुनी करना।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

गिरधर मन्दिर सिनेमा (जोधपुर)

581. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(५०)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर के घंटाघर-ओवरब्रिज रोड (नई सड़क) पर निर्मित गिरधर मन्दिर सिनेमा घर की भूमि वर्ष 1978 में नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने नीलामी द्वारा लीज पर विक्रय की थी ? यदि हां तो क्रेता का नाम, नीलामी की दिनांक व प्रति वर्ष लीज की राशि को दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम के अन्तर्गत बने सम्बन्धित नियमों के प्रावधानों की एवं नीलामी की शर्तों की पूर्ण अवहेलना करते हुये कई वर्षों की बकाया लाखों रुपये लीज की राशि एवं उसके ब्याज की अवैधानिक छूट दे दी ? इस बकाया लीज की राशि एवं उसके ब्याज की राशि का अलग-अलग उल्लेख करें एवं इस सम्बन्ध में किये गये आडिट आक्षेप की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त बकाया लीज की राशि ब्याज सहित नियमानुसार कब तक वसूल कर ली जायेगी एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

नीलामी की तिथि :-6. 11. 78

क्रेता का नाम :-मैसर्स लखपत फिल्म एक्सचेंन्ज, जोधपुर।

प्रति वर्ष लीज राशि निम्न प्रकार है :-

दिनांक 6. 11. 78 से प्रथम तीन वर्ष रुपये 69,879,00 ढाई प्रतिशत तीन वर्ष के पश्चात् 5 प्रतिशत से 1. 2. 92 तक रु. 5,12,446.00

(2) यह सही नहीं है कि नगर सुधार न्यास अधिनियम के अन्तर्गत बने सम्बन्धित नियमों की एवम् नीलामी की शर्तों की पूर्ण अवहेलना करते हुए कई वर्षों की लीज राशि व उसके ब्याज की राशि की छूट दे दी है। वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. (3)292 नविआ/3/89 दिनांक 6. 2. 90 को लिये गये निर्णयानुसार सिनेमा घर के भूखण्ड की किराया व लीज राशि कब्जा सौंपने की तिथि से अर्थात् 1. 2. 82 से वसूल करने का निर्णय लिया गया था। जिसके अनुसार निम्न बकाया राशि वसूल की जा रही है :-

ग्राउन्ड रेंट :-

दिनांक 1. 2. 82 से 1. 2. 92 तक

रु. 16,60,541.00

ब्याज 15 प्रतिशत से 2,49,081.15

बकाया लीज राशि दि. 1. 2. 82 से 1. 2. 92 तक रु.

रु. 3,95,981.00

ब्याज 12 प्रतिशत से रु. 2,31,985.00

कुल योग 25,87,588.15

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

इस सम्बन्ध में किये गये आडिट आक्षेप की प्रतिलिपि परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी है।

(3) उपरोक्त बकाया रेन्ट एवं लीज राशि ब्याज सहित वसूल करने हेतु न्यास द्वारा दिनांक 27. 2. 92 को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मामले में न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण वसूली नहीं हुई इसलिये सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध दोष नहीं बनता है।

(विवरण विस्तृत होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर नगर संकुचन की भूमि के दस्तावेजों का अन्य राज्यों में पंजीयन

582. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 से प्रभावित जोधपुर नगर संकुलन की लाखों वर्ग मीटर भूमि के विक्रय के अनुमानित बीस दस्तावेज राजस्थान से बाहर देहली, बम्बई इत्यादि महानगरों में अवैधानिक रूप से रजिस्टर्ड हो गये जिनकी प्रतिलिपियां कलक्टर, जोधपुर के कार्यालय में एक नागरिक की शिकायत पर एकत्रित की गई हैं जिसका ज्ञान सक्षम अधिकारी नगर भूमि अधिकतम सीमा, जोधपुर को है ?

(2) क्या सक्षम अधिकारी ने कलक्टर, जोधपुर के कार्यालय से उपरोक्त प्रतिलिपियां प्राप्त कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों, जबकि यह उसका वैधानिक दायित्व था ?

(3) क्या उपरोक्त अवैधानिक दस्तावेजों के आधार पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अवैधानिक म्युटेशन व रूपान्तरण करके पट्टे जारी कर दिये जो अधिनियम की धारा 5(3) के अनुसार नल एण्ड वॉयड है ?

(4) रूपान्तरण एवं पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है।

(3) जी हां।

(4) रूपान्तरण एवं पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही वैधता के बारे में जांच सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा राजस्व विभाग के पत्र सं. प. (8) राज/भू. स. 90 दिनांक 18-1-91 के अनुसार की जा रही है। अतः जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आरक्षित दर पर आवासीय भूखण्डों का आवण्टन

583. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के राज्य एवं निगमों के कर्मचारियों, पत्रकारों को आरक्षित दर पर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं? यदि हां, तो कर्मचारी वर्गों की सूची व योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसी तरह अजमेर में कर्मचारियों एवं पत्रकारों हेतु ऐसी कोई योजना नगर सुधार न्यास के द्वारा बनाई जानी प्रस्तावित है? यदि हां, तो इसकी कब तक क्रियान्विति की जायेगी? यदि नहीं, तो अजमेर के कर्मचारियों/पत्रकारों की आवासीय समस्या हल करने हेतु सरकार की अन्य क्या योजना है?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। बल्कि राज्य कर्मचारियों एवं पत्रकारों को भी सामान्य योजनाओं में ही नियमानुसार आय वर्ग के आधार पर लाटरी से भूखण्ड आवंटित किये। राज्य कर्मचारियों के लिये राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17 में 18% एवं एवं अधोस्वीकृति पत्रकारों के लिये 2% का कोटा निर्धारित किया हुआ है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पार्कों का विकास

584. **श्रीमती कमला भील** (सागवाडा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के पार्कों को विकसित करने की क्या योजनाएं हैं?

(2) विद्याधर नगर स्थित सी-ब्लाक (पेन्टी कास्टल चर्च) के पास स्थित पार्क की वर्तमान में क्या स्थिति है?

(3) क्या यह सही है कि स्थानीय जन कल्याण समिति द्वारा इस पार्क को गोद लिया जाकर विकास की योजना चलाई जा रही है?

(4) क्या इस संबंध में कोई प्रतिवेदन ज्ञापन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो तत्सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई है?

(5) भविष्य में उक्त पार्क के विकास एवं विस्तार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं में 10-15 पार्कों का विकास प्रति वर्ष किया जाता है।

(2) इस पार्क की चारदीवारी मय रेलिंग व गेट लगा कर विकसित किया गया है।

(3) अभी तक इस पार्क को विकसित किये जाने संबंधी ऐसी कोई योजना नहीं है।

(4) जी हां। कार्यवाही विचाराधीन है।

(5) इस पार्क को विकसित किये जाने के संबंध में मामला विचाराधीन है।

जोधपुर नगर की ग्रीन बेल्ट में आवासीय बस्ती

585. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या नगरीय एवं आवासन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जोधपुर नगर के ग्रीन बेल्ट में जहां उपजाऊ भूमि में पर्याप्त पानी के स्रोत हैं, वहां आवासीय बस्ती बसाई जा रही है ?

(2) क्या जोधपुर नगर परिषद् क्षेत्र के मंडोर, मगरा, पूजला, बासनी, तंबोलिया दईजर, पाल-पश्चिम, पूर्वी क्षेत्र, चौपासनी ग्राम, चौखा, सूरसागर रूपावती का बोरा, खेमेका का कुआं, सलावास व झालामन्ड इत्यादि क्षेत्र मास्टर प्लान में कृषि उपयोगी क्षेत्र हैं ?

(3) क्या इन क्षेत्रों में आवासीय बस्ती बसाई जाकर आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यास व अन्य गृह निर्माण समितियों द्वारा मास्टर प्लान का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जोधपुर नगर के मास्टर प्लान में दईजर, बासनी-तंबोलिया, चौखी, झालामेड, राजस्व ग्राम पूर्ण रूप से, ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में स्थित हैं। मण्डोर, पुजला (पूजला को मगरा पुजला कहते हैं तथा मगरा कोई अलग से कोई ग्राम नहीं है), चौपासनी, नांथद्वारा राजस्व ग्राम आंशिक रूप से ग्रीन बैल्ट तथा अरबनाइजबल क्षेत्र में स्थित हैं। पाल पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्र के नाम से कोई भी राजस्व ग्राम नहीं है, परन्तु यह क्षेत्र पाल गांव को जाने वाली सड़क के दोनों तरफ स्थित है जिसका काफी बड़ा क्षेत्र मास्टर प्लान के अनुसार ग्रीन बैल्ट में पड़ता है। पाल राजस्व ग्राम का बहुत थोड़ा हिस्सा जो उत्तर की तरफ स्थित है, शहरी विकास हेतु दर्शाया गया है। इसी प्रकार खेमे का कुआ, रूपावती की ढाणी तथा सूर सागर के नाम के कोई राजस्व ग्राम नहीं है, अतः इसकी कोई निश्चित सीमाएं नहीं होने के कारण मास्टर प्लान में पृथक से नहीं दर्शाया गया है। मास्टर प्लान में इन क्षेत्रों में विभिन्न भू-उपयोग दर्शाये गये हैं। राजस्व ग्राम सालावास जोधपुर मास्टर प्लान के अन्तर्गत नहीं आता है।

(3) राजस्थान आवासन मण्डल की जोधपुर की पालरोड आवासीय योजना अवाप्त की गई भूमि पर बनाई गई है। मास्टर प्लान के अनुसार इसका कुछ भाग डिस्ट्रिक्ट सेन्टर व ओपन स्पेस में आता था। राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान में आवश्यक भू-उपयोग परिवर्तन कर आवासन मण्डल को उक्त परिवर्तन के अनुसार योजना के क्रियान्विति के निर्देश दिये है। नगर सुधार न्यास द्वारा पूर्वीपाल रोड, पश्चिमी पालरोड, चोपासनी गांव क्षेत्रों में आवासीय बस्ती बसाई जा रही है। यह क्षेत्र मास्टर प्लान के आवासीय क्षेत्र में स्थित है। अतः मास्टर प्लान का उल्लंघन नहीं किया गया है। किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति की भूमि का ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण नहीं किया गया है।

(५४)

नगर पालिका नैनवां द्वारा अवैध पट्टों का आवंटन

586. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगरपालिका नैनवां की सीमा किन-किन खसरा नम्बर्स से मिलकर बनी हैं ? इस सीमा से लगी एक किलोमीटर दायरे की सरकारी भूमि पर कितने व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण एवं कितने व्यक्तियों ने नगरपालिका द्वारा दिये गये अवैध पट्टों के आधार पर गलत कब्जे कर रखें हैं ?

(2) नगरपालिका द्वारा राजस्व विभाग की भूमि पर पट्टे जारी करने के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि अब तक कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदारी है तथा अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी ?

(3) क्या राजस्व विभाग द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को बेदखल किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका नैनवां की सीमा जिन-जिन खसरा नम्बरों से बनी है उसकी सूची संलग्न है । इस सीमा से लगी एक किलोमीटर दायरे की सरकारी भूमि पर 117 व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा एवं एक व्यक्ति का कब्जा नगरपालिका द्वारा दिये गये पटटे के आधार पर है ।

(2) नगरपालिका द्वारा राजस्व भूमि पर दिये गये पट्टों की जांच जिला कलक्टर द्वारा की जा रही हैं । उनके निर्णय के बाद ही इस बारे में कोई कार्यवाही की जा सकेगी ।

(3) ऐसे 110 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश राजस्व विभाग द्वारा दिये जा चुके हैं । शेष 7 मामलों में कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जन सहयोग से निर्मित नाली एवं सड़क कार्य

587. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा डुंडलोद हाउस स्थित नन्दपुरी कॉलोनी में गत वर्ष में जन सहयोग से सड़क व नालियों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नालियों के पानी का आगे तक निकास नहीं होने के कारण यह पानी गोविन्दपुरी कॉलोनी में जगह-जगह फैल रहा है, जिससे गन्दगी फैल रही है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फैल रहे पानी से वहां के निवासियों को कई दिक्कतें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या

(श्री कुबेर सिंह)

सरकार उक्त पानी के निकास के लिए कोई योजना तैयार कर रही है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस कालोनी में जो सड़क पूर्व निर्मित थी, स्थानीय आवासियों की सुविधा के प्रयोजनार्थ इसकी मरम्मत का कार्य जयपुर, विकास प्राधिकरण द्वारा 1.31 लाख रुपये व्यय कर किया गया है। इसके अतिरिक्त कालोनी में गंदे पानी के निकास पर 9900/–(नौ हजार नौ सौ) व्यय किया गया है।

(2) जी हां।

(3) उपरोक्त पानी के निकास के लिए गत दिनों में गोविन्दपुरी, नंदपुरी "ए" व नंदपुरी "बी" की समितियों की संयुक्त अपील निराकरण हेतु प्राधिकरण द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। आर्थिक उपलब्धता एवं तकनीकी दृष्टि से आवश्यक हुआ तो कार्य सम्पादित करवाया जायेगा।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर

588. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन), एवं **श्री मदन लाल सैनी** (गुढा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्यादेश संख्या एफ. 9 (104) नविआ/3/83 दिनांक 22-8-1984 एवं टेलीग्राम संख्या 1242 ए. पी. 262 दिनांक 13-10-1984 की अनुपालना में नगर सुधार न्यास जोधपुर की आपातकालीन बैठक दिनांक 15–10-1984 को हुई जिसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रिट याचिका संख्या 2098/83 (विजय मेहता बनाम राज्य व न्यास) में न्यास राज्य सरकार के द्वारा इस याचिका में पूर्व से प्रस्तुत उत्तर के अनुरूप ही अपना उत्तर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करे एवं यदि कोई भिन्न स्टेण्ड लिया हो तो उसका संशोधन राज्य सरकार के उत्तर के अनुरूप करें ? यदि हां, तो उपरोक्त राज्यदेश एवं न्यास द्वारा पारित प्रस्ताव व टेलीग्राम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त राज्यादेश एवं नगर सुधार न्यास, जोधपुर के प्रस्ताव की अनुपालना में न्यास के तत्कालीन सचिव श्री जीवाराम चौहान ने अगस्त, 1985 में राज्य सरकार के उपरोक्त उत्तर के अनुरूप संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय में न्यास की तरफ से उत्तर प्रस्तुत कर दिया ? यदि हां, तो इस उत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस समय उपरोक्त रिट याचिका में विवादग्रस्त जोधपुर ग्राम की खसरा संख्या 513/1, 513/3 एवं 513/10 की भूमि के सम्बन्ध में दो अन्य रिट याचिकाएं संख्या 811/85 व 516/86 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में और लगभग तीन मुकदमें राजस्व न्यायालय में व अनुमानित आठ मुकदमें सिविल न्यायालय में नगर सुधार न्यास,

(श्री अब्दुल हादी)

जोधपुर के विरुद्ध विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इन समस्त मुकदमों की सूची मय न्यायालय एवं वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम एवं मुकदमा संख्या इत्यादि के सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त समस्त स्टि्म व मुकदमों में सरकार व न्यास कब तक उच्च न्यायालय में प्रस्तुत उत्तर के अनुरूप कानून के सामने समानता के संविधान के सिद्धांत के आधार पर उत्तर प्रस्तुत कर देगी ?

उत्तर

(1) जी, हां राज्यादेश दिनांक 22-8-85 की प्रति परिशिष्ट "क" एवं न्यास प्रस्ताव की प्रति परिशिष्ट "ख" पर सदन के पटल पर रख दी गई है। टेलिग्राम की प्रति उपलब्ध नहीं हो रही है।

(2) जी, हां, उच्च न्यायालय में प्रस्तुत संशोधित जवाब की प्रति परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दी हैं।

(3) खसरा नं. 513/2,513/3 एवं 513/10 की भूमि के संबंध में निम्न दो मुकदमें सहायक कलक्टर जोधपुर के न्यायालय में लम्बित हैं।

1. रामचन्द्र 115/86
2. मोड जी 114/86

इसके अतिरिक्त उन उक्त खसरो के संबंध में सिविल न्यायालयों में निम्न मुकदमें लम्बित है।

1. कैलाश राज वंगराह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वाद संख्या 77/73
2. कैलाश राज वंगराह बनाम न्यास अतिरिक्त जिला न्यायालय इसमें अतिरिक्त अतिक्रमियों के वाद इस भूमि के संबंध में विचाराधीन है। जिसकी सूची परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(4) रिट याचिका संख्या 811/85 विजय सुराणा बनाम न्यास रिट याचिका संख्या 516/86 न्यास से संबंधित नहीं है। केवल याचिका संख्या 2098/83 में ही राज्य सरकार के जवाब के समान जवाब पेश करने के निर्देश थे। शेष प्रकरणों में न्यास अधिवक्ता की सलाह से जवाब पेश किये गये है। यदि आवश्यक हुआ एवं न्यायालय की अनुमति मिलती है तो संशोधित जवाब प्रस्तुत किया जा सकता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न सं. 589

(स्थगित)

जयपुर से इटावा तथा भवानी मंडी से जयपुर तक सीधी बस सेवा

590. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में जयपुर से इटावा (कोटा) एवं भवानीमंडी

(श्री हीरालाल आर्य)

से जयपुर के लिए सीधी बस सेवा राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा चलाई जाती थी ? यदि हां, तो उन बस सेवा को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार जनहित में उक्त बस सेवाओं को पुनः प्रारम्भ करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर से इटावा (कोटा) मार्ग पर माह अप्रेल, 89 से अगस्त 89 तक एक सीधी वाहन सेवा का संचालन किया गया था और इस अवधि में इस सेवा को औसतन 66 प्रतिशत यात्री भार ही उपलब्ध हुआ तथा इटावा से जयपुर के लिए कोई सीधे यात्री उपलब्ध नहीं हुये।

भवानीमण्डी से जयपुर के लिये दिनांक 12-8-84 से 1-6-85 तक सीधी बस सेवा का संचालन किया गया था लेकिन इस अवधि में इस सेवा को औसत यात्री भार 68 प्रतिशत ही उपलब्ध हुआ साथ ही भवानीमण्डी से जयपुर के लिये सीधा यात्रीभार नगण्य रहा।

परिणामस्वरूप उक्त दोनों बस सेवाओं का संचालन बन्द करना पड़ा।

(2) जी नहीं। इटावा (कोटा) एवं भवानीमण्डी दोनों ही स्थानों से जयपुर के लिये सीधा यात्रीभार उपलब्ध नहीं होता। अतः इन बस सेवाओं को पुनः प्रारम्भ करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, नागौर

591. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्रम आयुक्त के पत्रांक एफ. 1(2) (60/90) (अवार्ड) श्रम/19/90 दिनांक 9 अगस्त, 1990 व राज्य सरकार के व अन्य पत्रों पर जिला परिवहन अधिकारी नागौर द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण पर कार्यवाही पूर्ण करके सम्बन्धित व्यक्ति को नौकरी में पदस्थापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो किस नियम, आदेश, औचित्य, मानदण्ड के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करना नहीं चाहती है ? क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वस्तुतः यह प्रकरण जिला परिवहन कार्यालय नागौर में दैनिक वेतन पर नियुक्त वाहन चालक श्री रमजान खाँ के पुनः सेवा में लिये जाने से सम्बन्धित है। श्रम आयुक्त के पत्र क्रमांक-एफ-1(2) (60/90) अवार्ड/श्रम दिनांक 9-8-90 द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को इस सम्बन्ध में उनके कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। जिला परिवहन

48

(यातायात मंत्री)

अधिकारी नागौर द्वारा श्रम आयुक्त के इस पत्र की अनुपालना में उनके कार्यालय में उपस्थित हो गये थे। श्रम विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग से इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। जन प्रतिनिधियों एवं श्री रमजान खां से प्राप्त पत्रों में भी श्री रमजान खां को पुनः सेवा में लिये जाने का अनुरोध किया था। उपरोक्त समस्त पत्रों पर एवं श्रम न्यायालय के अवार्ड के अन्तर्गत मामला विधी विभाग से राय प्राप्त करने हेतु उन्हें भेजा गया था। विधी विभाग ने श्री रमजान खां को पुनः सेवा में लिये जाने की राय जाहिर की है। चूंकि श्रम न्यायालय ने जिला परिवहन अधिकारी नागौर के कार्यालय को उद्योग मानकर अवार्ड दिया है जबकि जिला परिवहन कार्यालय पूर्णतः राज्य सरकार का कार्यालय है। अतः इस परिपेक्ष में मामले पर पुनः विचार करने हेतु यह मामला विधी विभाग को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त यहां भी उल्लेख योग्य है कि राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) द्वारा वाहन चालक के लिए योग्यता का निर्धारण अधिसूचना क्रमांक-एफ-2(3) डी. ओ. पी.-ए-2/75 दिनांक 3-12-82 के द्वारा किया गया है जिसके अनुसार वही व्यक्ति वाहन चालक नियुक्त किया जा सकता है जो आठवीं कक्षा तक शिक्षित हो तथा जिसके पास भारी एवं हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस हो तथा ड्रायवर के रूप में 3 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव हो इसके अतिरिक्त ड्राईवर के पद के लिए निम्न लिखिक अहर्ताएं होना भी आवश्यक हैं :–

1. उसका वजन 65 किलो ग्राम से अधिक न हो।

2. दृष्टि चश्में या बिना चश्में के 6 × 6 हो।

3. मार्ग में वाहन की मरम्मत करने की जानकारी और ड्राइविंग में दक्षता की परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किये जाने वाले व्यवसाय परीक्षण के माध्यम से की जानी होती है।

सम्बन्धित व्यक्ति श्री रमजान खां ने उपरोक्त योग्यताओं के बाबत कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

चूंकि प्रकरण के निष्पादन हेतु यथोचित एवं यथा समय कार्यवाही की जा रही है। अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अलवर जयपुर वाया बांदीकुई चलने वाली द्रुतगामी बसें

592. **श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर जयपुर वाया बांदीकुई चलने वाली द्रुतगामी बसों की कुल कितनी संख्या है? समय सारणी व विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई नवसृजित जिला दौसा में आ जाने से यात्री

(श्री रामकिशोर सैनी)

भार की अधिकता को देखते हुए क्या राज्य सरकार बसवा से दौसा नई बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम पंचायत गुढ़ाकटला, बडियाल, बिवाई तक निगम की बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर–जयपुर वाया बांदीकुई मार्ग पर निगम द्वारा कोई द्रुतगामी बस सेवा संचालित नहीं की जा रही है।

(2) निगम द्वारा बसवा–दौसा होकर वर्तमान में दैनिक 11 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं; जिनको औसतमान 50 से 55 प्रतिशत यात्रीभार ही उपलब्ध हो रहा है जिसे दृष्टिगत रखते हुये बसवा से दौसा के बीच अतिरिक्त बस सेवा चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

(3) जी नहीं। इन सभी मार्गों पर निजी वाहन संचालित है और वर्तमान में इनमें से कोई भी मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है।

सैनिक मोटर्स कम्पनी, कुचामन द्वारा संचालित बसें

593. श्री गिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सैनिक मोटर्स कम्पनी की बसें कुचामन/मकराना, कुचामन से कुचामन रेल्वे स्टेशन को चलती हैं ? यदि हां, तो कुचामन से मकराना रोजाना किस-किस नम्बर की बसें किस-किस समय चलती हैं एवं कुचामन से कुचामन रेल्वे स्टेशन पर किस नम्बर की किस-किस समय चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सैनिक मोटर्स कम्पनी की कितनी बसों के कुचामन से विभिन्न रूट्स के लिए परमिट हैं ? क्या सैनिक मोटर्स कम्पनी के कुचामन से लादड़िया, कुचामन से हरियाजून तक के भी परमिट हैं ? यदि हां, तो कितनी बसों के ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुचामन सिटी कस्बे से कुचामन सिटी रेल्वे स्टेशन (नारायणपुरा) तक का रूट राष्ट्रीयकृत है एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं फिर भी दिन की गाड़ियों के समय सैनिक मोटर्स कम्पनी की गाड़ियों के परमिट हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सैनिक मोटर्स कम्पनी की कोई बस कुचामन से मकराना, कुचामन से कुचामन रेल्वे स्टेशन रूट पर नहीं चलती है।

(2) सैनिक मोटर्स कम्पनी के कुचामन से विभिन्न मार्गों पर एक भी परमीट नहीं है।

(3) हां। यह सही है कि कुचामन सिटी कस्बे से कुचामन सिटी रेल्वे स्टेशन

(50)

(यातायात मन्त्री)

(नारायणपुरा) तक का मार्ग राष्ट्रीयकृत है एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं। दिन की गाड़ियों के समय सैनिक मोटर्स कम्पनी के कोई परमिट नहीं है।

पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन्स अजमेर में दर्ज एफ. आई. आर.

594. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स, अजमेर में दिनांक 22 फरवरी, 1992 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 31/92 दर्ज हुई ? यदि हां तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मामले में नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट की गई है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार करने में क्या कानूनी कठिनाई है ? अब कब तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इस प्रकरण में थानाधिकारी द्वारा अभी अनुसंधान जारी है। अब तक के अनुसंधान के बारे में विस्तृत टिप्पणी परिशिष्ट "क" में अंकित कर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट में रोड़वेज की बस के चालक श्री नारायण लाल व परिचालक श्री कालूराम पर शक होना जाहिर किया है। अनुसंधान से अभी तक बस के चालक व परिचालक के खिलाफ पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं होने के कारण गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। फिर भी मामले की गम्भीरता को देखते हुए अनुसंधान से जैसी स्थिति सामने आएगी के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदय मन्दिर थाना, जोधपुर

595. **श्री हरिश चन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदय मन्दिर थाना, जोधपुर के पुलिस कर्मियों ने दिनांक 25-12-1991 को श्री देवाराम कुम्हार को थाने में ले जाकर चार दिन तक गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा व उसे पीटा गया जिससे दिनांक 29-12-1991 को उसकी मृत्यु हो गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि मृतक के भाई ने इस घटना को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना उदय मन्दिर, जोधपुर में दर्ज

(श्री हरिश चन्द्र कुमावत)

कराई थी जिसकी जांच अधिकारिओं ने प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानकर प्रारम्भ की ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) इस हत्या के फलस्वरूप उसके परिवार अथवा पत्नी को सरकार ने क्या अब तक कोई मुआवजा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) इस मामले में अपराधी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि देवाराम कुम्हार पुत्र श्री पोखरराम कुम्हार निवासी गोर्धनपुरा जोधपुर को अ. सं. 460/91 धारा 457, 380 भा दं. सं. थाना उदय मंदिर जोधपुर को उक्त मुकदमें में मुशतबा होने पर दिनांक 29-12-91 को थाना उदय मंदिर पर बुलाया था व उसे गिरफ्तार किया था। यह मामला सैनिक टाइम्स हाऊस जोधपुर की दुकान से 24-12-91 को घड़ियों की चोरी से सम्बन्धित था। श्री देवाराम को दिनांक 29-12-91 को गिरफ्तार किया गया था। देवाराम की तबियत उसी दिन खराब होने के कारण उसे इलाज हेतु सरकारी अस्पताल भिजवाया गया व अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

(2) मृतक देवाराम के भाई लालाराम व उसकी माता की रिपोर्ट पर इस सम्बन्ध में थाना उदय मन्दिर पर अभि. सं. 463/91 धारा 302 भादस के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया जिसका अन्वेषण श्री उत्कल रंजन साहू, सहायक पुलिस अधीक्षक जोधपुर (शहर) कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण कोई नहीं दिया गया है तथा विसरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज. जयपुर को परीक्षण हेतु भेजा गया है जिसके परीक्षण के बाद ही मृत्यु का कारण का पता चल सकता है।

(3) मुआवजा सम्बन्धी प्रकरण निपटारा जिलाधीश जोधपुर के क्षेत्राधिकार का है जिन्होंने मृतक के परिवार को 5,000/– की राशि सहायतार्थ स्वीकृत किये हैं।

(4) अभियोग सं. 463/91 धारा 302 भादस में 4 पुलिस कर्मियों, श्रीरामबल्लभ पुलिस उप निरीक्षक, कानिस्टेबल, चण्डीलाल, गफूर व दीपसिंह मुलजिम है को निलम्बित किया जा चुका है। अन्वेषण प्रगति पर है।

खाड़ी देशों की ऊंट दौड़ में राज्य के बच्चों का उपयोग

596. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार को राजस्थान के कुछ जिलों से भारतीय बच्चों को ऊंट दौड़ के लिये खाड़ी के देशों में भेजे जाने की जानकारी है ?

(2) क्या सितम्बर, 1989 में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चूरू

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

जिले के रहने वाले सर्वश्री रामेश्वरलाल व जफर हुसैन को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था ?

(3) इस अमानवीय व्यापार पर अंकुश लगाने के लिये राज्य सरकार ने अपनी ओर से क्या प्रयास किये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इन्दरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली में रामेश्वर जाट व जफर हुसैन को पकड़ा था क्योंकि रामेश्वर जाट के साथ जो लड़का जा रहा था उसका नाम अन्नाराम उर्फ पंडिया आयु 7 वर्ष था जबकि वीजा में उसका नाम बलवन्त आयु 12 वर्ष लिखाया गया था। इस प्रकार जफर हुसैन भी अपने बच्चे हबीब आयु 8 साल को स्वयं के लड़के बिलाला आयु 10 वर्ष के नाम से वीजा में दर्ज करवाकर साथ ले जा रहा था। इसलिए इन दोनों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मु. नं. 277/89 दिनांक 10-9-89 धारा 419, 420, 468, 471, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता में थाना इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली में दर्ज किया गया जिसका चालान दिनांक 6-11-89 को अदालत में पेश किया जा चुका है।

(3) आज तक राज्य में ऐसा कोई वाक्या राज्य के किसी भी पुलिस थाने पर दर्ज नहीं हुआ है। रोकथाम के प्रयास का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

तहसील खण्डार की पंचायतों में खाद्यान्न की चैंकिग

597. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या तहसील खण्डार के पंचायत क्षेत्र अनिपाला, पीपलदा क्षेत्र से दिनांक 4-4-1975 व 5-4-1975 को पुलिस विभाग द्वारा खाद्यान्न चैंकिग के दौरान ज्वार, ग्वार, तिल्ली की कितनी-कितनी बोरी किस-किस फर्म की पकड़ी गई ?

(2) उक्त माल किस-किस व्यक्ति को सुपुर्द किया गया या छोड़ दिया गया ? क्या अब उक्त माल मालिकों को लौटा दिया गया है या पड़ा है।

(3) जिस व्यक्ति द्वारा माल पकड़ा गया या रोका गया उसे उस समय चैक करने का अधिकार था या नहीं था ? यदि नहीं था तो उक्त व्यक्ति के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील खण्डार के ग्राम पंचायत क्षेत्र अनिपाला व पीपलदा में दि. 4-4-75 को पुलिस विभाग द्वारा खाद्यान्न चैंकिग के दौरान 60 बोरी, जवार वजन 60 क्विं., 10 बोरी गवार वजन 10 क्विं. व एक कट्टा तिल 20 कि.ग्रा. मय ट्रक के अनिपाल रोड़ पर बिना लाईसेंस से माल लाते हुए श्री लियाकत अली उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जब्त किया व दि. 5-4-75 को 60 बोरी ज्वार वजन 57 क्वि. मय ट्रक नं. 687 के जब्त किया जिस पर थाना खण्डार पर अपराध संख्या

(गृह मंत्री)

19/75 व 20/75 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दि. 5.4.75 को पंजीबद्ध किया गया। दोनों अभियोगों का चालान दि. 27.8.75 को न्यायालय में पेश किया गया। यह माल फर्म रामदयाल पुत्र रामेश्वर महाजन का था।

(2) उक्त सारे माल को श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के आदेश से दि. 7.4.75 को फर्म श्री रामदयाल पुत्र रामेश्वर महाजन, खण्डार को लौटा दिया गया। यह माल इसी फर्म का था।

(3) जिस व्यक्ति द्वारा माल पकड़ा गया था उसको उस समय बिना लाइसेंस के माल ले जाने वाले को चैक करने का अधिकार था। अतः पकड़ने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस थाना खैरवाडा को जीप का आवंटन

598. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाडा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पुलिस थाना खैरवाड़ा को एक जीप एलाॅट कर रखी है? यदि हां, तो कब से तथा वह वर्तमान में कहां कार्यरत है?

उत्तर

थाना खैरवाड़ा जिला उदयपुर को दिनांक 13.10.88 से एक जीप अलाॅट कर रखी है। वर्तमान में उक्त जीप मरम्मत के लिए स्टेट मोटर गैरेज उदयपुर में भेजी हुई है।

बाड़मेर के सीमावर्ती ग्रामों में तस्करी

599. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के सीमावर्ती ग्राम बिजावा, पोचला, द्रामा, सिरगुवाला, नरसीगांकर में चरस हेरोइन, सोना, चांदी की तस्करी के रास्ते हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक तस्करी को रोकने का क्या बन्दोबस्त किया है?

(2) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि उक्त रास्तों से हथियारों की भी तस्करी होती रहती है? यदि हां, तो सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर के ग्राम बिजावा, पोचला, द्रामा, सिरगुवाला, नरसीगाकर भारत पाक सीमा के समीप स्थित है। सीमावर्ती क्षेत्र के इन गांवों में चोरी छिपे तस्करी होती रहती है। चरस, हीरोईन, चांदी, सोना आदि तस्करी के रास्ते निर्धारित नहीं है। जब जब तस्करी की सूचना मिलती है तब वैधानिक कार्यवाही की जाती है। सीमावर्ती क्षेत्रों के थानों पर वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। सब जगह सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की चौकियां हैं। सीमा पर कस्टम, पुलिस विभाग व सीमा सुरक्षा बल द्वारा निरन्तर गश्त की जाती है। सीमावर्ती गांवों के नागरिकों को

(गृह मन्त्री)

परिचय पत्र दिये हुए हैं। सीमा पर रात्रि कर्फ्यू भी जारी है। जनता से सम्पर्क स्थापित कर ऐसे असामाजिक तत्वों की खोज कर इनके विरुद्ध समय-समय पर प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

(2) अभी तक की जानकारी से ऐसा नहीं पाया गया है।

बालोतरा में निरीक्षक रैंक का थाना प्रभारी लगाना

600. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि बालोतरा कस्बे की आबादी एवं औद्योगिक कस्बा होने से अनेक बाहरी लोग आते-जाते रहते तथा दुर्घटनाओं और अपराधों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये क्या राज्य सरकार ने निरीक्षक रैंक का थाना प्रभारी लगाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पुलिस थाना बालोतरा में निरीक्षक रैंक का थाना प्रभारी लगाने का पूर्व में निर्णय लिया गया था परन्तु उक्त पद धौलपुर जिले में महिलाओं के अनैतिक व्यापार की रोकथाम के महत्व को दृष्टिगत रखकर उक्त जिले को आवंटित कर दिया। प्रश्न पर विचार किया जावेगा। पद सृजित करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय सीमा निर्धारण करना संभव नहीं है।

थाना कोतवाली सवाई माधोपुर में दर्ज एफ. आई. आर.

601. **निर्भयलाल** (रूपबास) एवं **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि थाना कोतवाली सवाई माधोपुर में मुकदमा नम्बर 165/90 दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस मुकदमे के मृतक राधामोहन हत्या काण्ड की विस्तृत शिकायत मुख्य मंत्री कार्यालय में लिखित में दी गई थी ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री द्वारा उक्त मामले की जांच सी. आई. डी. सी. बी. आई. द्वारा कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो कब ? क्या सी. आई. डी. द्वारा इसकी जांच पूरी कर ली गई है ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। श्री भगवान टटवाल पुत्र मेघराज नि. सवाई माधोपुर की रिपोर्ट पर मुकदमा नं. 165/90 धारा 304(ए), 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज

(गृह मन्त्री)

किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। इस प्रकरण का अभी अनुसंधान जारी है। अभी तक अनुसंधान के दौरान किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसी कारण किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(3) जी हां। इस प्रकरण में मृतक के पिता श्री फूलचन्द छीपा ने एक परिवाद माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 17.6.90 को प्रस्तुत किया था जिसमें स्थानीय पुलिस से निष्पक्ष जांच नहीं होने के कारण सी. बी. आई. में कराने हेतु निवेदन किया था।

(4) जी हां। इस प्रकरण का अनुसंधान सी. आई. डी. (सीबी) से कराए जाने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 17.6.90 को दिए थे। अनुसंधान अभी जारी है।

(रिपोर्ट की प्रति अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

गांधीनगर थाना, जयपुर में दर्ज एफ. आई. आर.

602. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध गांधीनगर थाना, जयपुर में दिनांक 19-1-1992 को कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परिवार विशेष को बिना कारण निर्दयता से निर्मम पिटाई किये जाने से उनको गंभीर चोटें आई? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को क्या इनको मेडिकल जांच करवाई गई? यदि हां, तो प्रत्येक की मेडिकल रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पुलिस ने पीड़ित पक्षकारों के बयान लिये? यदि हां, तो क्या मोहनलाल के परिवार के सदस्यों के बयान भी लिये गये? यदि हां, तो कब-कब? सदस्य का नाम, दिनांक एवं बयानों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) घटना में प्राधिकरण के कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी शामिल थे? नाम, पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस पर किसी दोषी अधिकारी/कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाकर चालान पेश किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक इनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां, श्री सत्यनारायण द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना पर अभियोग संख्या 19/92 दिनांक 19.1.92 अन्तर्गत धारा 147, 323, 427, 379 भा. दं. सं. दर्ज हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर दी गई है।

(गृह मन्त्री)

(2) घटना के समय झगड़े एवं पत्थरबाजी के कारण मुस्तगीत पक्ष के श्री मोहन लाल एवं श्री जितेन्द्र के गम्भीर तथा श्री सुनील कुमार श्री सतीश कुमार, श्री राधाकिशन एवं श्री छोटू के साधारण चोटें आई हैं। इन सभी घायल व्यक्तियों की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट्स की प्रतियां संलग्न कर दी गई है।

(3) अभियोग के अन्वेषण के दौरान दिनांक 19 व 20 जनवरी, 92 को श्री मोहनलाल एवं उसके परिवार के श्री सत्यनारायण, श्री राधाकिशन, श्री सुनीलकुमार, श्री सुशील कुमार व श्री जितेन्द्र के तथा दो अन्य पीड़ित व्यक्तियों, श्री भगवान सहाय व श्री छोटू के बयान लिए गये।

(4) घटना के समय जयपुर विकास प्राधिकरण दल में सम्मिलित अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची सलग्न है।

(5) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पंजीबद्ध अभियोग संख्या 18/92 धारा 147, 148, 149, 353, 332, 336, 323 भा. दं सं. एवं श्री सत्यनारायण की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध अपराध संख्या 19/92 थाना गांधीनगर में अन्वेषण किया जा रहा है। अन्वेषण से जैसी स्थिति प्रकट होगी, तद्नुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

किशनगढ़ में जिला उद्योग अधिकारी कार्यालय

603. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर-पूर्व) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

किशनगढ़ में बढ़ते हुए औद्योगिक व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार किशनगढ़ में भी ब्यावर की तरह रीको, राजस्थान वित्त निगम एवम् जिला उद्योग अधिकारी के कार्यालय की स्थापना का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक यह कार्यालय क्यों नहीं स्थापित हुए और अब कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

उत्तर

वर्तमान में अजमेर में रीको, राजस्थान वित्त निगम व जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय हैं। किशनगढ़ अजमेर से 30 किलोमीटर से भी कम दूर है। अतः कोई भी कार्यालय किशनगढ़ में खोलने का विचार नहीं है।

संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में रिक्त पद

604. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय एवं संभागीय कार्यालयों में कितने कौन-कौन से पद रिक्त हैं।

(2) ये पद कब से रिक्त हैं और क्यों ?

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

(3) इनके भरने के लिये जो कार्यवाही की गई है उसकी प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें । तथा निराकरण के लिये सरकार का क्या इरादा है, और कब तक यह निराकरण संभव होगा ?

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट "अ")

(2) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट "ब")

(3) सीधी भर्ती के अंश के पदों की अर्थना आयोग को भेजी हुई है, तथा पदोन्नति अंश के पदों के लिये चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की आयोजना की प्रक्रिया चालू है । कार्यवाही विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट "ब")

एडहाक नियुक्तियां प्रतिबन्धित है । अतः आयोग के विज्ञापन तथा विभागीय पदोन्नति समिति के जरिये ही पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

संस्कृत विभाग में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

605. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संस्कृत विभाग में 1980 से 1990 तक कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त हुये है ?

(2) सामान्य शिक्षा में जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों पर इनको लगाया जा चुका है तो संस्कृत शिक्षा के दैनिक वेतन भोगियों को रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर पदस्थापित करने में क्या बाधा है ?

(3) क्या सरकार इन्हें पदस्थापित करने का इरादा रखती है ?

(4) अंशकालीन पदों की रिक्तियों को भरने के प्रतिबन्ध को विद्यालयों की स्थिति को देखते हुये क्या सरकार प्रतिबन्ध हटाने का इरादा रखती है ।

उत्तर

(1) संस्कृत विभाग में 1980 से 1990 तक 121 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त हुए है ।

(2) सामान्य शिक्षा की तरह संस्कृत शिक्षा विभाग के दैनिक वेतन भोगी को रिक्त च. श्रे. क. पदों पर पदस्थापित करने हेतु मामला विचाराधीन है ।

(3) नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(4) गुणावगुण के आधार पर शिथिलन हेतु विचार किया जाता है ।

अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को राज्य कर्मियों के समान लाभ

606. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

(1) क्या अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के समान पेंशन ग्रेच्युटी एवं अन्य सुविधायें देने के संबंध में कर्मचारी प्रतिनिधियों का मुख्य मंत्रीजी के साथ कोई समझौता हुआ है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य विधान सभा द्वारा गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक को पारित किये दो वर्ष का समय हो गया है ? यदि हां, तो इसे अब तक लागू नहीं करने के क्या कारण हैं ? विधेयक इस समय किस स्थिति में है तथा उसे शीघ्र लागू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या दिनांक 10-9-1985 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की सार्वजनिक शिक्षण संस्था संगम के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता में यह निर्णय लिया गया था कि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से बिजली एवं पानी का खर्च वाणिज्यिक दरों से न लेकर घरेलू (डोमेस्टिक) दरों से लिया जाय ? यदि हां, तो 6 वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने पर भी इस निर्णय को लागू क्यों नहीं किया गया ? अब इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। राज्य की गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए राजस्थान गैर सरकारी संस्था विधेयक 1986 राजस्थान विधान सभा द्वारा दिनांक 30-12-89 को पारित किया गया था। इसे मार्च, 90 में भारत सरकार को राष्ट्रपति महोदय, की सहमति प्राप्त करने हेतु भेजा गया था अभी भी सहमति अपेक्षित होने से इसे लागू करना संभव नहीं हो सका है। राष्ट्रपति महोदय, की सहमति प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

(3) यह सही है कि मा. तत्कालीन मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 10-9-85 को राजस्थान सार्वजनिक शिक्षक संस्था संगम के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में निर्णयानुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एवं जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग से विचार विमर्श कर वित्त विभाग के परामर्श से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से वाणिज्यिक दरों की बजाय साधारण दर से बिजली एवं पानी की दरें वसूल करने बाबत निर्णय लिया जाना था। इस विषय में हुई प्रगति की जानकारी विभिन्न निदेशालयों से प्राप्त की जा रही है तथा शीघ्र ही समस्या समाधान के प्रयास किये जायेंगे।

अलवर की शिक्षण संस्थाओं में रिक्त पद

607. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिक्षा विभाग जिला अलवर में जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के अधीन कितने

(श्री जीतमल जैन)

अध्यापक/अध्यापिकायें एवं अन्य कर्मचारी प्रतिनियुक्तियों पर कार्यरत हैं ? प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक, अध्यापिकायें एवं अन्य कर्मचारियों के मूल नियुक्ति स्थान एवं प्रतिनियुक्ति का स्थान व वेतन आहरित का स्थान एवं प्रतिनियुक्ति की तिथि सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है ? यदि हां, तो कौन अधिकारी उक्त अनियमित कार्यवाही के लिये दोषी है ?

(3) क्या सरकार प्रतिनियुक्तियां समाप्त कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अलवर में केवल जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) के अधीन बाहर से 59 अध्यापिकाएं तथा 4 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं । वांछित विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। इस मामले की जांच का जा रही है।

(3) जी हां । अधिकारी के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर ही कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बस्सी, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय की क्रमोन्नति

608. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय बस्सी को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी में पुस्तकालय अध्यक्ष-पद स्वीकृत है ?

(3) यदि हां, तो कब से ? वर्तमान में उक्त पद पर कर्मचारी कार्यरत है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि वर्ष 91-92 के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करली गई हैं ?

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता हैं।

टोडारायसिंह व देवली की शिक्षण संस्थायें

609. **श्री घासीराम चौपड़ा** (टोडारायसिंह) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोडारायसिंह तहसील व देवली तहसील जिला टोंक में शिक्षा विभाग की कितनी रा. उ. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शालायें हैं ? इन शालाओं में कितने-कितने विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं ?

(2) क्या विद्यार्थियों के अनुपात में विषयानुसार अध्यापकों के पद पर्याप्त हैं ? नहीं, तो विभिन्न शालाओं में कितने कितने पद अध्यापकों के रिक्त हैं ? इसकी जानकारी शालावार सदन की मेज पर रखें तथा इन स्थानों को कब तक भर दिया जायेगा ।

(3) क्या राजकीय उच्च प्राथमिक शालाओं में शारीरिक शिक्षक लगाने की नीति है ? यदि हां, तो टोडारायसिंह व देवली तहसील की उ. प्रा. शालाओं में कितने स्थान रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) टोडारायसिंह तहसील व देवली तहसील जिला टोंक में शिक्षा विभाग की नियमानुसार शालाये हैं, एवं विद्यार्थी अध्ययन कर रहे है :–

विद्यालय स्तर	टोडारायसिंह		देवली	
	शाला की संख्या	विद्यार्थी	शालाओं की सं.	वि. थीं
उ. प्रा. वि.	27	4872	33	7131
माध्य. विद्या.	11	2428	10	2509
सी. उ. मा. वि.	2	1125	5	3393

(2) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । रिक्त पदों को भरने की यथा शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी हां । टोडारायसिंह एवं देवली तहसील में शारीरिक शिक्षक का कोई पद रिक्त नहीं हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

आसीन्द के विद्यालयों के अपूर्ण भवन

610. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आसीन्द क्षेत्र के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवन अधूरे पड़े हैं ? अपूर्ण भवनों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विद्यालयों के अधूरे कमरे, बाउन्डरीवाल तथा अन्य सुविधाओं के लिए प्रत्येक विद्यालय में लगभग कितनी राशि की आवश्यकता है ?

(3) सरकार इन अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए क्या कार्यवाही कर

(श्री लक्ष्मी लाल)

रही है और ये अधूरे कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं। (परिशिष्ट–"क")

(2) प्रत्येक विद्यालय में अधूरा निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु अनुमानित खर्चा सूची में अंकित कर दिया गया हैं। (परिशिष्ट "क")

(3) एक अधूरे भवन का कार्य प्रगति पर हैं जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास जारी हैं। शेष कार्यों पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

शिक्षा विभाग के पार्ट-टाइम कार्यरत कर्मचारी

61. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शिक्षा विभाग में पार्ट-टाइम काम करने वाले व्यक्तियों को नियमित करने के लिए सरकार की नीति क्या है ?

(2) कितने पार्ट-टाइम काम करने वाले व्यक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय में गत पांच वर्षों में नियमित किये जाने की मांग को लेकर गये ? इनमें से कितने व्यक्तियों को उच्च न्यायालय ने नियमित करने के आदेश दिये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उन व्यक्तियों को नियमित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राम प्रसाद गुर्जर (पार्ट टाइम) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारां को नियमित करने के उच्च न्यायालय ने आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या इसको नियमित कर दिया गया ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग में पार्ट-टाईम काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। सरकार समय-समय पर विभाग में निरन्तर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके जिलेवार वरिष्ठता क्रमानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उपलब्ध रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति देने की अनुमति देती है।

(2) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की ओर से व्यक्तिशः एवं समूह में नियमित किए जाने के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर हुई। इनमें से 68 याचिकाएं प्रार्थियों के पक्ष निर्णीत हुई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) नियमित करने की कार्यवाही जारी है।

(4) जी हां। श्री रामप्रसाद गुर्जर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को दिनांक 22-2-92 को नियमित किया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट देखें 11)

(62)

अटरू व ब्यावर के विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव

612. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र के अटरू सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय व ब्यावर बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा-खण्ड व विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए किस-किस विषय व श्रेणी के पद स्वीकृत होने चाहिये।

(2) उक्त विद्यालयों में सरकार द्वारा अध्यापकों के आवश्यक पद कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) रा. सी. उ. मा. विद्यालय अटरू में छात्र संख्या कक्षा खण्डों तथा वैकल्पिक विषयों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों के निम्नांकित पद होने चाहिये–

कक्षा	कक्षा खण्ड	छात्र	विषय	व्याख्याता	व. अ.
12	5	230	अंग्रेजी	3	3
			हिन्दी	4	2
11	5	267	भौतिकी	1	–
			रसायन	1	–
			जी.वी.	1	–
10	4	274	गणित	1	3
			बुकीपिंग	1	–
			व्या. पद्धति	1	–
9	5	258	बैंकिंग	1	–
			अर्थशास्त्र	2	–
			राजनीतिशा.	2	–
			विज्ञान	–	2
			सा. विज्ञान	–	2
			संस्कृत	–	1
			शा. शिक्षा	1	1
				19	14

(2) ब्यावर के राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालयों में छात्र संख्या, कक्षा खण्ड एवं विषयों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित पद स्वीकृत होने चाहिए–

विद्यालय का नाम	कक्षा खण्ड	छात्र सं.	अध्यापक II	अध्यापक III
रा. बा. उ. प्रा. वि.				
शाहपुरा	14	440	1	10
,, सिंहपुरा	8	266	1	9
,, छावनी	13	466	1	12

सरकार ने सत्र 1991–92 के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु इस वर्ष के लक्ष्य पूरे कर लिए हैं।

बालिका सैकण्डरी विद्यालय सीकरी (भरतपुर) में प्रधानाध्यापिका का रिक्त पद

613. **श्री सम्पत सिंह** (नगर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री सम्पत सिंह)

(1) क्या यह सही है कि बालिका सैकण्डरी विद्यालय सीकरी जिला भरतपुर में विगत 4 वर्ष से प्रधानाध्यापिका का पद रिक्त है ? यदि हां, तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे हो रहा है ? अब कब तक इस रिक्त पद को भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) भरतपुर जिले में ऐसे कितने अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, सीकरी (भरतपुर) में प्रधानाध्यापिका का पद 3 वर्ष से रिक्त हैं प्रभारी प्रथम सहायक विद्यालय का दायित्व वहन करती हैं । लोक सेवा आयोग में चयनित आशार्थियों की सूची प्राप्त होने पर रिक्त पद भरा जा सकेगा ।

(2) भरतपुर जिले में व्याख्याताओं के 20 पद रिक्त हैं वरिष्ठ अध्यापकों तथा अध्यापकों के कोई पद रिक्त नहीं हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

भिनाय की शिक्षण संस्थायें

614. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भिनाय विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय कहां-कहां पर हैं? सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उपरोक्त विद्यालयों में आवश्यक समस्त स्टाफ पूरा है ? यदि नहीं, तो विद्यालयवार स्वीकृत विभिन्न प्रकार के पद की संख्या एवं कुल कितने पद किस प्रकार के भरे हुए हैं एवं रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भिनाय विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों की सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । विद्यालयवार प्रत्येक प्रकार के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची संलग्न हैं । इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है । कनिष्ठ-लिपिक के रिक्त पद हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद को भरा जा सकेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला शिक्षा अधिकारी (पुरुष) जयपुर में कर्मियों के भुगतान में विलम्ब

615. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे --

(1) क्या यह सही है कि श्री नलिनी रंजन पंत, वरिष्ठ लिपिक का जिला शिक्षा अधिकारी छात्रा से जिला शिक्षा अधिकारी पुरुष जयपुर में अक्टूबर, 1989 में

(श्री रामकरण सिंह)

स्थानान्तरण करने व उनके वहां ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद 10 माह तक बिना वजह से वेतन नहीं दिया गया ? अब पुनः फरवरी, 1991 से उनका वेतन रोक दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ तथा इसके लिए किस अधिकारी की जिम्मेदारी ठहराई गई ?

(2) पिछले दो वर्षों में उक्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समय पर भुगतान, विशेषकर वेतन भुगतान नहीं करने के कितने मामले बने तथा भविष्य में सभी कर्मचारियों को अभी भुगतान समय पर मिलें इसकी क्या मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है ? अनावश्यक व लापरवाही के कारण किसी कर्मचारी का भुगतान रुकता है या भुगतान में विलम्ब होता है तो इसके लिए जिम्मेदारी ठहराने की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु इसके लिए पर्याप्त कारण थे।

जी नहीं। तथ्य यह है कि उनका वेतन उठाने के लिए एल. पी. सी. प्रधानाध्यापक रा. मा. वि., बांसा (जयपुर) को भेज दी गई थी एवं फरवरी, 91 व मार्च, 91 के वेतन का उनको भुगतान कर दिया गया था। अप्रेल, 91 से उनको निरन्तर उनके पदस्थापन स्थान, रा. बालिका माध्यमिक विद्यालय, सी-स्कीम, जयपुर से वेतन प्राप्त हो रहा है।

(2) समय पर भुगतान नहीं करने के 12 मामले सूचित हुए हैं। वेतन भुगतान समय पर हो इसकी व्यवस्था हेतु नियम बने हुए हैं। जानबूझकर लापरवाही से राज्य-कार्य में विलम्ब करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।

गढ़गणेश मन्दिर, जयपुर के समीप पर्यटन विकास

616. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार को जयपुर शहर के उत्तर-पश्चिम में अरावली पर्वत शृंखला के मध्य गढ़ गणेश मन्दिर से न्यू इन्दिरा कॉलोनी (परशुरामपुरी) तक लाम्बी नामक स्थान पर दोहरी पर्वत शृंखलाओं के मध्य लगभग 3 किलोमीटर लम्बे पर्यटन स्थल के विकास के लिए विभिन्न स्तरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थल का सर्वे करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या अब सरकार उक्त स्थल का सर्वे कराकर मात्र 15 मीटर (दीवार का) बांध बनाकर इसे पर्यटन स्थल झील का रूप देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी नहीं ? पर्यटन विभाग बांध बनाने का कार्य नहीं करता। उक्त कार्य सिंचाई विभाग का है।

अलवर जिले में आयुर्वेदिक औषधालय

617. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले में आयुर्वेद औषधालय कहां-कहां स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में प्रत्येक औषधालय की औषधियों के लिये कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आवंटित राशि के विरुद्ध कितनी कितनी राशि की औषधियां उपलब्ध कराई गई ? औषधालय अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आवंटित राशि के अनुसार औषधियां उपलब्ध नहीं कराई गई ? यदि हां, तो क्यों एवं कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) विवरण औषधालय वार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां इस विषयक जांच कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य में नशाबन्दी

618. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में गत दो वर्षों में स्मैक-अफीम, अवैध शराब के केस में किन-किन जिलों में कौन-कौन अपराधी पकड़े गये तथा केस किस स्तर पर चल रहे हैं ?

(2) नशे की प्रवृत्ति को बन्द करने के लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

(3) क्या सरकार वर्ष 1977-1980 की भांति राज्य में नशाबंदी को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में गत 2 वर्षों (89-90 व 90-91) में आबकारी विभाग द्वारा स्मैक, अफीम एवं अवैध शराब की जिलेवार पंजीकृत अभियोगों की संख्या एवं विभाग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये चालानों की जिलेवार संख्या परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) स्वैच्छिक एवं समाजसेवी संस्थाओं एवं जागरूक सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों की जानकारी आम जनता को दी जाती है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से

(66)

(आबकारी मंत्री)

नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली हानि के बारे में चेताया जाता है ताकि नशे की लत के लिए नशेबाजों को हतोत्साहित किया जा सके।

(3) जी नहीं। राज्य की वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आबकारी आय जो राज्य की आय का दूसरा सबसे बडा स्रोत है से वंचित होने पर राज्य की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विपरित प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार वर्तमान में नशाबन्दी नीति लागू करने का विचार नहीं रखती।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

नोखा, लूणकरणसर तथा कोलायत की नवसृजित प्राथमिक शालाएं

619. श्री मनीराम (लूणकरणसर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नोखा, लूणकरणकर, कोलायत विधान सभा क्षेत्र में फरवरी, 1990 से आज तक कहां-कहां प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं? स्थान की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राथमिक शाला खोलने का मानदण्ड क्या है? क्या इसमें क्षेत्र की जनसंख्या एवं छात्र संख्या का भी ध्यान रखा गया है?

उत्तर

(1) नोखा, लूणकरणसर, कोलायत के क्षेत्रों में फरवरी 90 से आज तक खोली गई प्राथमिक शालाओं की सूची स्थान के नाम सहित सदन के पटल पर रख दी गई हैं। विधान सभा क्षेत्रवार सूचियां नहीं बनाई गई हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शाला खोलने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:–

1. मैदानी क्षेत्र = 250 की जनसंख्या पर एक
2. रेगिस्तानी व पहाडी क्षेत्र = 150 की जनसंख्या पर एक

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

वल्लभनगर व कोटड़ा (उदयपुर) के अध्यापकों के भुगतान में विलम्ब

620. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या उक्त प्राथमिक विद्यालय पूर्व में जिला परिषद् के अधीन थे?

(2) क्या उक्त अवधि में इन विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापकों को जिला परिषद् ने अपने नियंत्रण में ले लिया था? यदि हां, तो उदयपुर जिले की तहसील वल्लभनगर एवं कोटड़ा में किस-किस विद्यालय के कितने-कितने अध्यापकों को जिला परिषद् के अधीन लिया गया था? तहसील वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अब उक्त

(श्री कुबेरसिंह)

विद्यालय पुनः प्रारम्भिक शिक्षा में आ गये हैं ? यदि हां, तो अब इन पर किस अधिकारी का नियंत्रण है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला परिषद् की अवधि का अध्यापकों का वेतन तथा अन्य एरियर बिलों का भुगतान अभी तक बकाया हैं ? यदि हां, तो किस-किस अध्यापक का कितना-कितना नामवार राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विभाग उक्त अध्यापकों के वेतन व एरियर बिलों का भुगतान अब करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार वेतन व एरियर बिलों का समय पर भुगतान नहीं किये जाने को गलत मानती है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है एवं दोषी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। शिक्षा विभाग के सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी का नियंत्रण हैं।

(4) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(5) जी हां। सम्बन्धित अध्यापकों की बकाया राशि का भुगतान संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(6) इन बिलों का समय पर भुगतान न करने का कारण जिला परिषद् उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में अपेक्षित बजट का हस्तान्तरण न होना रहा हैं। चूंकि उच्च प्राथमिक विद्यालय वापिस शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित हो गये हैं अतः बकाया बिलों का भुगतान का दायित्व शिक्षा विभाग का है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें।)

टोंक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के प्रशासक

621. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :** क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला परिषद् टोंक की पंचायत समिति निवाई एवं पंचायत समिति टोंक की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्वाचित ग्राम पंचायतें व पंचायत समितियां भंग होने पर कौन-कौन प्रशासक लगाये गये और उनको कितनी-कितनी ग्राम पंचायतों का दायित्व दिया गया है ? प्रशासक नियुक्त होने पर किस-किस का स्थानान्तरण कब-कब किस-किस कारण से किया ? नाम व पद सहित ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) इन प्रशासकों में से किस-किस के विरुद्ध पंचायत समिति जिला परिषद् एवं राज्य सरकार स्तर पर शिकायतें की गई और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

जा रही है? ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, निवाई तथा टोंक की ग्राम पंचायतों में लगाये गये प्रशासकों, उन्हें सौंपी गई पंचायतों एवं उनके स्थानान्तरण के कारण सहित विवरण क्रमशः परिशिष्ट 1 तथा 2 पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) पंचायत समिति टोंक में प्रशासकों के विरुद्ध कोई भी शिकायत विचाराधीन नहीं हैं। पंचायत समिति निवाई में श्री अमरचन्द ग्राम सेवक (प्रशासक) द्वारा ग्राम पंचायत मुण्डिया की राशि के गबन के प्रकरण में उनके विरुद्ध पुलिस थाना निवाई में दिनांक 19.11.91 को एक एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है। श्री अमरचन्द को दिनांक 19.7.91 को निलम्बित किया जाकर अग्रिम कार्यवाही चल रही है।

[सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।]

बालोतरा में पब्लिक नोटेरी के रिक्त पद

622. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या औद्योगिक कस्बे बालोतरा में पब्लिक नोटेरी के पद रिक्त हैं कुल कितने पद हैं और कितने रिक्त हैं? सरकार रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति करने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। कुल एक पद स्वीकृत है एवं एक ही पद रिक्त है। रिक्त पद पर नियुक्ति करने की कार्यवाही जारी है।

राज्य के न्यायालयों की क्रमोन्नति,

623. **श्री महावीर प्रसाद जैन(टोंक)** : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में अब तक जनता को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में राज्य में कहां-कहां पर कब-कब किस स्तर के नये न्यायालय खोले गये हैं, कितनों को क्रमोन्नत किया गया है तथा कितने कैम्प कोर्ट्स स्थापित किये गये हैं?

(2) विभिन्न स्तर के न्यायालयों के अधिकारों में क्या-क्या वृद्धि की गई है? ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(3) आगामी वित्तीय वर्ष 1992-93 में न्यायालयों की अभिवृद्धि अभियान के अन्तर्गत कहां-कहां पर किस-किस मानदण्ड से न्यायालय स्थापित करना, क्रमोन्नत करना व कैम्प कोर्ट्स खोलना प्रस्तावित है? ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 व 1992 में खोले गये न्यायालयों की सूची सदन की

(विधि एवं न्याय राज्य मन्त्री)

मेज पर रख दी गई है। 10 कोर्ट्स को क्रमोन्नत किया गया तथा 10 स्थानों पर केम्प कोर्ट स्थापित किये गये है। (बारां, राजसमंद व दौसा के डी. जे. न्यायालय भी उक्त 10 क्रमोन्नत न्यायालयों की संख्या में सम्मिलित हैं।)

(2 व 3) चार अपर जिला न्यायालयों को जिला न्यायालय तथा 3 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय बनाया गया एवं 3 एम. जे. एम. न्यायालयों को ए. सी. जे. एम. न्यायालय बनाया गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

कामगारों को उपलब्ध कराई गई पावर घाणियां

624. **श्री शिवजीराम** (जेहाजपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिनांक 1-4-1985 से, अब तक कितने कामगारों को पावरघानी उपलब्ध कराई है, इनमें से कितनी बन्द हैं एवं कितनी चालू हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बोर्ड द्वारा यह सर्वेक्षण किया गया कि पावरघानी बन्द होने के क्या कारण रहे हैं ? क्या बन्द पावर घानियों को पुनः प्रारम्भ करने की योजना है यदि हां, तो क्या योजना है एवं नहीं तो क्यों ?

(3) बोर्ड द्वारा कितने कामगारों को पावर लुहारी सुथारी एवं उपक्रमी इकाई अब तक दी गई है एवं इनमें से कितनी बन्द हैं। क्या यह सही है कि बिना विद्युत कनेक्शन कार्यकारी ऋण दे दिये जाने के कारण भी कई इकाइयां बन्द है? यदि हां, तो ऐसी इकाइयों की सूची सदन की मेज पर रखें। इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अब तक 1569 पावर घाणियां उपलब्ध कराई गई हैं जिसमें 503 पावर घाणियां बन्द हैं एवं 1066 घाणियां चालू हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सर्वेक्षण कराये जाने की योजना विचाराधीन है सर्वेक्षण के पश्चात ही बंद पावर घाणियों को पुनः प्रारम्भ करने की योजना बनाकर प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) बोर्ड द्वारा 31-3-91 तक 112 पावर इकाइयां एवं 48 उपक्रमी इकाईयां स्वीकृत की गई हैं इनमें से 36 पावर इकाइयां एवं 17 उपक्रमी इकाईयां बंद हैं। जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य बीमा में मनोनयन के नियम

625. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य बीमा के नियमानुसार विवाह से पूर्व मनोनीत किया गया नाम निर्देशन विवाहोपरान्त स्वतः ही रद्द समझा जाता है एवं यदि विवाहोपरान्त किसी अन्य को मनोनीत नहीं किया गया हो, तो बीमाधन का भुगतान पति/पत्नी में से जो भी जीवित हो किसी एक को ही किया जाना चाहिए।

(2) क्या आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बीमा विभाग को प्रेषित मृत्यु स्वत्व प्रपत्रों में अंकित मनोनीत व्यक्ति को ही अन्तिम प्रमाण मानकर अधिकार पत्र जारी किया जाता है या बीमा विभाग अपने दस्तावेजों व राज्य बीमा नियमों के तहत जांच करके ही सही मनोनीत व्यक्ति के पक्ष में अधिकार पत्र जारी करता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य बीमा पालिसी सं. 539509 का मृत्यु स्वत्व अधिकार पत्र बीमेदार के पति के पक्ष में जारी नहीं किया गया जबकि बीमेदार के जी. पी. एफ. संख्या 545063 का भुगतान मृतक् कर्मचारी के पति को ही किया गया है ? यदि हां, तो समान परिस्थितियों में एक ही विभाग द्वारा अलग-अलग व्यक्तियो के पक्ष में अधिकार पत्र जारी क्यों किये गये ?

(4) क्या राज्य सरकार ने अब तक इस मामले में कोई जांच या कार्यवाही दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ की है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राज्य बीमा के नियमानुसार विवाह से पूर्व किया गया मनोनयन विवाह के उपरान्त स्वतः ही रद्द समझा जाता है। यदि विवाह उपरान्त किसी अन्य व्यक्ति के नाम से मनोनयन नहीं किया गया हो तो राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा नियमावली, 1953 के नियम संख्या 41 के अन्तर्गत दावा राशि का भुगतान समान अनुपात में निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है :—

अ. पत्नी या पति, पुत्रों और अविवाहित पुत्रियों को

ब. उक्त बिन्दु (अ) में वर्णित व्यक्तियों में से किसी के जीवित न होने की दशा में विधवा, पुत्रियों, पिता या माता को।

स. उक्त (अ) एवं (ब) में उल्लेखित किसी के भी जीवित न होने की दशा में दावे की राशि सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को संदत की जाती है।

(2) जी नहीं। राज्य बीमा नियमों के तहत जांच के उपरान्त पंजिकृत मनोनीत को ही दावा राशि का भुगतान किया जाता है।

(राज्य बीमा मंत्री)

(3) जी नहीं। बीमा प्रमाण पत्र संख्या 539509 की बीमा राशि का भुगतान बीमेदार के पंजीकृत मनोनीत भाई के पक्ष में किया गया है। जी. पी. एफ. संख्या 545063 का भुगतान कर्मचारी के पति को, सामान्य प्रावधायी निधि नियमावली के नियम संख्या 8 (9) के अनुसार किया गया है। राज्य बीमा नियमावली के नियम संख्या 40 के अनुसार ही पंजिकृत मनोनीत को ही दावे का भुगतान करने का प्रावधान है। बीमेदार का विवाह करने का तथ्य बीमेदार की बीमा पत्रावली पर उपलब्ध न होने कारण नियम संख्या 41 के अन्तर्गत भुगतान न कर नियम 40 के अन्तर्गत ही किया गया है। जबकि सामान्य प्रावधायी निधि का दावा भुगतान से पूर्व कर्मचारी के विभाग द्वारा इस आशय की सूचना चाही गई थी, कि दावा प्रपत्र पति अथवा भाई से भरवा कर भिजवाया जावे। अतः अंशदान प्रारम्भ होने के पश्चात विवाह का प्रमाण प्राप्त होने के कारण सामान्य प्रावधायी निधी नियमावली के नियम संख्या 8 (9) के अनुसार ही कर्मचारी के पति को दावे की राशि का भुगतान किया गया है।

(4) मामले में बीमा एवं जी. पी. एफ. की राशियों का भुगतान नियम के अनुसार ही किया गया है। तथा कर्मचारी के पति ने जिला उपभोक्ता मंच में इस संबंध में वाद दायर किया हुआ है इस मामले में विभागीय जांच भी की जा रही है।

फिटूसर खान क्षेत्र (जोधपुर) में अनुसूचित जाति के लोगों को खान आवंटन

626. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फिटूसर खान क्षेत्र जोधपुर नगर परिषद्/सीमा में है ? यदि हां, तो इस खान क्षेत्र में कुल कितनी खानियां हैं तथा किस-किस के नाम आवंटित हैं ? विवरण मय नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस खान क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षित खानियां आवंटित की हैं ? यदि हां, तो किस-किस अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति को खानें आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) फिटूसर खान क्षेत्र में आरक्षण के आधार पर आवंटन पूरा किया गया है अथवा नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। इस खान क्षेत्र में कुल 2054 क्वॉरी लाईसेन्स हैं जिनकी सूची मय विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है। नक्शे की एक प्रति सदन की टेबल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को खानें आरक्षण के आधार पर तथा सामान्य तौर से भी

(खनिज राज्य मंत्री)

बिना आरक्षण के स्वीकृत की गयी है जिसे सलग्न परिशिष्ट "अ" में क्रमशः एस.सी./एस.टी. मार्क से दर्शाया गया है।

(3) जी हां, 28 मामलों में आवंटन किया जाना था 11 में आवंटन किया जा चुका है। 9 मामले में अर्जियां प्राप्त हो गई है जो लाटरी की प्रक्रिया में है शेष मे भी कार्यवाही जारी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उमराई (बांसवाड़ा) में निजी कृषि भूमि का मार्बल उद्योग हेतु आवंटन

627. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) एवं **श्री फते सिंह** (कुशलगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला बांसवाड़ा के ग्राम उमराई के श्री खातु पुत्र श्री वीरजी (भील) की स्वयं खाता व कृषि भूमि को मार्बल उद्योग हेतु किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम अलॉट कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खातेदार ने जिला कलक्टर, बांसवाडा को शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि खनन प्रशासन बांसवाड़ा द्वारा जबरन आदिवासियों की जमीन ले कर अन्य सवर्ण जाति के लोगों को दी जा रही है ? यदि हां, तो उनके रोकथाम के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। श्री खातू पुत्र श्री वीरजी की शिकायत की जांच जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा करने पर सही नहीं पाई गई।

(3) जी नहीं।

बांसवाड़ा में खनन कार्य

628. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा में कहां-कहां व कितने क्षेत्र में खनिज (खदानें) माइन्स हैं ?

(2) कितनी खदानों के भूखण्डों को बांसवाड़ा जिले के व्यक्तियों को आवंटित किया गया है ?

(3) कितने अन्य जिलों के लोगों को भूखण्ड आवंटित किये गये ?

(4) क्या सरकार वन विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से घेरे गये खनिज क्षेत्र का कब्जा हटवाने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार क्षेत्रीय आदिवासी व अन्य गरीब लोगों को खनिज भूखण्ड आवंटित करवाकर लाभान्वित करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में त्रिपुरासुन्द्री, खेतामलाई, भंवरियातलाई, शम्भुपुरा, विट्ठलदेव, पाड़ला, चौबीसा, टामटिया, जगपुरा, मगोरा का खेड़ा अमरपुरा, भूखीया, सेन्दड़ाघाटा, श्रोडा बस्सी, ग्रासोड़ा, नेगड़िया, हिम्मतसिंह का गढ़ा नया तालाब, लोरदा, नतनपुरा, मोलनमाचा, कलिंजरा, कालाखूंटा, बारा, चन्दुजी का गड़ा, मावल, सल्लोपाट, मूंगथली, सागेता, भरतलाई, इटाला, भापूरी, खोखरवा आदि क्षेत्रों में प्रधान एवं अप्रधान खनिज के अन्तर्गत खदानें (माइन्स) हैं। अप्रधान खनिज के अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्रों का लगभग 275 हैक्टर क्षेत्रफल है एवं प्रधान खनिज के अन्तर्गत 5244.82 हैक्टर क्षेत्रफल की खदानें (माईन्स) हैं।

(2) 126 भूखण्डों को बांसवाड़ा जिले के व्यक्तियों के लिये आवंटित किया गया है।

(3) 161 अन्य जिलों के लोगों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।

(4) जिन क्षेत्रों में खनिज सम्पदा है और जहां वन विभाग ने उक्त भूमि को आवंटित करा लिया है या वन विभाग द्वारा आवंटन की कार्यवाही में है, उनको वन विभाग से मुक्त कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(5) क्षेत्रीय आदिवासी व अन्य गरीब लोग भी नियमानुसार खनिज के भूखण्ड आवंटित करा सकते हैं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायित नियमावली, 1986 के नियम-7 के अन्तर्गत खनिज मैसेनरीस्टोन, कंकर, मुरम, भाभरा पत्थर के मामलों में नियमों में वर्णित अनुसार अनुसूचित जनजाति सहित अन्य गरीब लोगों को प्राथमिकता के आधार पर खनन पट्टे दिये जाने का प्रावधान है।

सलादीपुरा (सीकर) में आवंटित खनन पट्टे

629. श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सलादीपुरा तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर में पायराइट फास्फेट कारखाने के लिये आरक्षित भूमि में खनन पट्टे आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन खनन पट्टों के लिए पायराइट फास्फेट कार्पोरेशन की सहमति प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त आरक्षित क्षेत्र में कार्पोरेशन के अतिरिक्त आवंटित खनन पट्टों को रद्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सलादीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में मैसर्स पाइराइट फोस्फेट कारखाने के लिए आरक्षित भूमि में 12 खनन पट्टे स्वीकृत है। सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(खनिज राज्य मन्त्री)

(2) स्वीकृत खनन पट्टों में से 8 खनन पट्टे स्वयं सर्वश्री पाइराइट फोस्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड की ही स्वीकृत है। अन्य 4 मामलों में खनन पट्टे इस शर्त के साथ स्वीकार किये है कि जब भी उक्त क्षेत्र की सर्वश्री पाइराइट फोस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड को आवश्यकता होगी पट्टाधारी को उक्त क्षेत्र एक माह के नोटिस पर बिना किसी मुआवजे के छोड़ना होगा। अतः सर्वश्री पाइराइट फास्फेट एण्ड केमिकल लि. से सहमति की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

काश्तकारों द्वारा पत्थरों का निःशुल्क उपयोग

630. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या पहाड़ों से काश्तकारों को निजी प्रयोग हेतु निःशुल्क पत्थर लेने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या इसकी क्रियान्विती हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1986 के नियम 58 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नहर, तालाब, कुंए, खेतों की चार-दिवारी व आवासीय भवन आदि के निर्माण एवं मरम्मत के प्रयोग हेतु ऐसे क्षेत्रों से जो किसी खनन पट्टेधारी के खनन क्षेत्र नही हो काश्तकार के निजी उपयोग हेतु निःशुल्क स्वयं पत्थर निकालने का प्रावधान है।

जी हां।

अंराई (अजमेर) पंचायत समिति में महिला बाल कल्याण

63.. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अजमेर जिले की अंराई पंचायत समिति में महिला-बाल कल्याण योजना चालू है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यहां सी. डी. पी. ओ. का पद रिक्त है ? यदि हां, तो इसे कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) क्या जिले में अन्य किसी पंचायत समिति में भी यह योजना लागू करने की सरकार की मन्शा है ?

उत्तर

(1) जी हां, अंराई में परियोजना वर्ष 1990–91 से प्रारम्भ हुई हैं।

(2) जी हां, इसे शीघ्र भरने की कार्यवाही विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं।

झालावाड़ के आंगन बाड़ी केन्द्र

632. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में क्या-क्या सामग्री इस वर्ष कब-कब वितरित की गई ? क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रों की कोई शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में बाल विकास परियोजना डग एवं झालरापाटन कार्यरत है। उनके अधीन क्रमशः 124 एवं 165 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वित्तीय वर्ष में जो सामग्री एलॉट की गई है, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

डग एवं झालरापाटन (झालावाड़) परियोजना में इस वर्ष कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल [सी.ए.डी.] सिंचाई के फील्ड मशीनरी डिवीजन, कोटा में व्याप्त निष्क्रियता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(2) श्री भंवर लाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चूरू तहसील सुजानगढ़ के ग्राम बम्बू के जी.एस.एस. से 100 किलोमीटर लम्बी लाइन डालकर गांवों की बिजली देने से आखरी छोर के गांव में सही वोल्टेज नहीं होने की वजह से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र स्थित केलादेवी मन्दिर में मेले के समय यातायात, पेयजल, सुरक्षा, रोशनी, सफाई आदि की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सीकर के तहसील लक्ष्मणगढ़ के गांवों में बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से 13 मार्च, 1992 को नागौर शहर में भड़के साम्प्रदायिक दंगे में लूटमार आगजनी की घटनाओं और एक व्यक्ति की मृत्यु से शहर व आस-पास के क्षेत्र में व्याप्त तनाव के सम्बन्ध में।

(6) डा. चन्द्रभान व 3 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से 13 मार्च, 1992

76

(श्री अध्यक्ष)

को नागौर शहर में भड़के साम्प्रदायिक दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती जिला बाड़मेर की तहसील शिव की सब तहसील गडरा रोड़ के समस्त ग्राम गत 4 वर्ष से अकाल-ग्रस्त होने के कारण खाद्यान्न व चारे के बढ़ते भावों से भूखमरी, जानवरों के मर जाने व पलायन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और नागौर के बारे में आज सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जा रहा है।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई है:—

(1) श्री लक्ष्मीलाल और श्री हरिसिंह [महुआ], सदस्य, विधान सभा की ओर से आसीन्द में मुन्सिफ एवं ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि इस वर्ष 20 मुन्सिफ न्यायालय खोले जाने थे उसके स्थान पर 28 मुन्सिफ कोर्ट खोल दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय की ओर से आसीन्द में मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने से कोई प्रस्ताव विधि विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने वहां पर भवन उपलब्ध न होने के कारण अपनी सहमति भी इस मामले में नहीं दी है। अतः ऐसी स्थिति में आसीन्द में मुन्सिफ कोर्ट खोला जाना अभी सम्भव नहीं है।

(2) डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी को राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि देना बन्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि राजस्थानी भाषा साहित्य समिति एवं संस्कृति अकादमी को अब तक अनुदान के रूप में तीन किश्तों की राशि 4,69,500/- दिनांक 10 फरवरी, 1992 तक स्वीकृत की जा चुकी हैं। चतुर्थ किश्त की शेष राशि रु. 1,56,500/- आयोजना मद में रुपये 87,500/- एवं आयोजना भिन्न मद में रु. 69,000/- अनुदान के रूप में स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव आयोजना/वित्त विभाग को भेजे हुए हैं। सचिव अकादमी से चतुर्थ किश्त के प्रस्ताव मय उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को डाक द्वारा दिनांक 11-3-92 को प्राप्त हुए हैं तथा प्रस्ताव प्राप्त होते ही अनुदान राशि की स्वीकृति के लिए आयोजना/वित्त विभाग को उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु भेज दिया गया है एवं वहां से प्राप्त होते ही आदेश प्रसारित कर दिये जावेंगे। अकादमी कर्मचारियों को वेतन भत्ता नहीं दिये जाने के बारे में कोई शिकायत राज्य सरकार को वर्तमान में प्राप्त नहीं हुई है। अर्थात् वेतन भत्ता दे दिया गया है।

(3) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाईमाधोपुर जिले के विद्यालयों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को बेरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त

(श्री अध्यक्ष)

व्यक्तियों से भरे जाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि वर्तमान में व्याख्याताओं के 492 वरिष्ठ अध्यापक के 539 एवं अध्यापकों के 2887 स्वीकृत पदों के विरुद्ध क्रमशः 58,30,18 पद रिक्त हैं। रिक्त पद रहने का कारण यह है कि व्याख्याता के पद लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के पदों को भरने हेतु प्रयास जारी है। तृतीय वेतन श्रृंखला के उपलब्ध रिक्त एवं नवसृजित पदों पर अन्य जिलों के समान सवाईमाधोपुर जिले के प्रशिक्षित आशार्थियों को भी नियुक्तियां दी गई हैं। शेष रिक्त पद भी यथा-शीघ्र भरे जायेंगे।

(4) श्री मनीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के भू-निरीक्षकों द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन तथा भू-प्रबन्ध अधिकारियों के खिलाफ व्याप्त असन्तोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि संघ के एक पत्र दिनांक 3-3-92 में अधिकारी के द्वारा की गई धांधली की जांच एवं प्रशासनिक सुधार के क्रम में पांच सूत्री मांगों तथा संघ द्वारा विगत 10 फरवरी, 1992 से निरन्तर 23वें दिन संघर्ष करने का उल्लेख था। इसी पत्र में दिनांक 3-3-92 को सादुलगंज स्थित कालरा भवन के समक्ष धरना स्थल पर चौधरी श्री धर्मपाल भांभू के आमरण अनशन शुरू करने का अंकन था। अतिरिक्त भू-प्रबन्धक आयुक्त ने दिनांक 8-3-92 को ही जयपुर से रवाना होकर दिनांक 9-3-92 को बीकानेर पहुंच कर उसी दिवस संघ की समस्याओं का निराकरण भू-प्रबन्धक अधिकारी, बीकानेर एवं संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में समझौता कराया। अब भू-मापक संघ की समस्त समस्याओं के संघर्ष में अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त, भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर एवं संघ के मध्य समझौता लिखित में हो जाने से अब सौहार्दपूर्ण वातावरण हो गया है।

(5) श्री ईश्वरलाल सैनी एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की निष्पादक परिषद् का पूर्णकालीन सभापति एक सेवा निवृत्त उच्च अधिकारी को बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि 60वीं बैठक में सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये। इस निर्णय से मण्डल के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। मण्डल की शासी परिषद् को मण्डल नियम 1974 नियम, 29 (एम) के तहत मण्डल के उद्देश्यों की प्राप्ति नियमों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मण्डल की 59वीं बैठक दिनांक 26-11-91 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निष्पादक परिषद् के सभापति पद पर पूर्णकालीन सभापति की व्यवस्था करने के लिए स्वीकृति दी जावे। इस बैठक के एक माह 28 दिन पश्चात् शासी परिषद ने अपनी 60वीं असाधारण बैठक में उपरोक्तनुसार सभापति परिषद् के पद पर पूर्णकालीन व्यवस्था करने के निर्णय की पुष्टि कर दी। मण्डल नियम–52 में संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया दी गई है। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन भारत सरकार का एक उपक्रम है तथा वर्ष 1992 के लिए स्टार पेपर मिल को उपरोक्तानुसार आदेश दिया गया। अतः श्री जोशी के कार्यकाल में राज्य सरकार को या मण्डल

(78)

(श्री अध्यक्ष)

को किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं हुई है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। मा. सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

श्री मदनलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों का आना-जाना फिर शुरू हो गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं इसके बारे में बहुत बार ध्यान दिलाया जा चुका है। शायद अधिकारी बदलते रहते हैं, नये-नये आते हैं इसकी वजह से प्राब्लम खड़ी होती है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक परिपत्र चला जाय....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, फिर यदि यह व्यवस्था नहीं हुई तो मुझे प्रहरी वहां लगाना पड़ेगा जो इस बात का ध्यान दिला देगा।

अग्रेतर निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अकाल सहायता से सम्बन्धित हैं जिनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य अकाल पर चर्चा के समय बोल सकते हैं। यह अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं :—

(1) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर की तहसील शिव की सीमावर्ती सब तहसील गडरीरोड में भयंकर अकाल से पशुधन को बचाने व अकाल राहत कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले की सभी तहसीलों के गांवों की गत वर्ष की चौमासे की फसल अनावृष्टि से नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3 श्री मनीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के वर्ष 1987-88 के अकाल राहत कार्यों का भुगतान नहीं किये जाने से गरीब मजदूरों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं है। ये अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूं। प्रस्ताव पर माननीय सदस्य दो-दो मिनट बोल सकेंगे।

(1) श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से थानाधिकारी बालोतरा जिला बाड़मेर द्वारा निजी वाहन मालिकों को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिसिंह (महुआ) और श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में एक डाक्टर पोपट पटेल द्वारा आर.एम.पी. की डिग्री लगाकर बिना चिकित्सा विभाग की अनुज्ञा से वहां की जनता का इलाज करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति अन्ता, जिला बारां, द्वारा पंचायत समिति की राशि का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में ट्रोमा वार्ड एवं बर्न वार्ड खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में अकाल से उत्पन्न स्थिति तथा अकाल राहत कार्य खुलवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री लक्ष्मीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द जिला भीलवाड़ा की सिंचाई समस्याओं के सम्बन्ध में।

(6) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में बिलाड़ा से पृथ्वीपुरा तक नयी 33 के. वी. लाइन के स्वीकृत हो जाने के बाद भी लाइन नहीं डालने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में मदरसों व मस्जिदों पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही किये जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पांचना बांध का निर्माण करवा कर नादौती एवं टोडाभीम तहसील को पानी उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर की तख्तेशाही रोड, देवी पथ पर चिल्ड्रन पार्क पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

(10) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के वन विकास हेतु समुचित उपाय किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री दिलसुखराय, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सीकर, तहसील फतेहपुर के ग्राम नीमों की ढाणी में जलदाय विभाग द्वारा जी. एल. आर. बनाने का कार्य अधूरा छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में इसाई मिशनरियों द्वारा कथित धर्म परिवर्तन की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के गांव चामण्डेरी के निवासी देवीसिंह को उसके पिता की मृत्यु के उपरांत राजकीय सेवा में न लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री गोपालसिंह खण्डेला, सदस्य,

(80)

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से सीकर जिले की रींगस कस्बे में रेलवे ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री रामसिंह विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लनी की सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से छात्रों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(16) श्री गुलाम मुस्तफा खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना परबतसर, जिला नागौर में पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या के मामले में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा बसेड़ी, जिला धोलपुर में अल्पसंख्यकों की कब्रिस्तान की भूमि को राजस्व अधिकारियों द्वारा फर्जी बेमाना एवं किस्म तब्दीली, दाखिला खारज करने के सम्बन्ध में।

(18) श्री छगनलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बड़ी सादड़ी, विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रस्तावों को पढ़ा हुआ माना जायेगा। काफी इकट्ठे हो गये हैं इसलिए कुछ लोग चार-चार, पांच-पांच दे चुके हैं तो उनका जवाब मिल जायेगा। यह उनकी सहमति से हुआ है। यह पढ़ा हुआ माना जायेगा।

(1) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से वास्तु उपखण्ड सिंचाई विभाग, जवाहर सागर बांध के सहायक अभियन्ता द्वारा मजदूरी के भुगतान में कथित घोटालों के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनू जिले के सम न्यायालय में लम्बित मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु अतिरिक्त सम न्यायाधीश न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

श्री आज़ाद।

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले आप नागौर वाला स्टेटमेंट दिलवा दें। (व्यवधान)।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री प्रद्युम्न सिंह : गृह मंत्री का स्टेटमेंट दिलवा दें, उसके बाद ही अन्य विषय लें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। पहले यह जो अपनी बात कहें वह तो सुन लें। एक-एक की बात सुन लेता हूं। (व्यवधान)। मैं पुकार रहा हूं एक-एक को। मैं एक-एक को पुकार रहा हूं। बैठिये आप। आप बैठिये। आप बैठिये। श्री माहिर आजाद। मेरे पास कुछ नोटिस मिले हैं, मैं उनको पहले पुकार लेता हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास नोटिस हैं, मै पुकार रहा हूं। बैठिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यही निवेदन है कि सरकार के पास जानकारी आ चुकी....

श्री अध्यक्ष : हां, हां तो करवा देंगे। आप बैठिये ना पहले। पहले जो माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं उनको सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत ओवर लोड को रोकने के लिए तत्कालीन केन्द्रीय परिवहन मंत्री, श्री राजेश पायलट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिये थे तथा 4 अप्रेल, 1991 को वर्तमान राजस्थान के गृह मंत्री, माननीय दिग्विजय सिंहजी और सरकारी उप मुख्य सचेतक ने भी ट्रक आपरेटर एसोसिएशन को ओवर लोड रोकने तथा चुंगी समाप्त करके उसके स्थान पर प्रवेश शुल्क लगाने आदि के आश्वासन दिये थे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज तक इस पर अमल नहीं होने के कारण आज पूरे राजस्थान प्रांत के हजारों ट्रक मालिक अपनी इस जायज मांगों को लेकर विधान सभा के सम्मुख आये हैं। राजस्थान सरकार तो सचिवालय में बैठती है लेकिन यह ट्रक मालिक पूरे राजस्थान से इकट्ठे होकर आपके माध्यम से अपनी बात राज्य सरकार को सुनाने के लिए आये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मथुरादास माथुर कमेटी की जो रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत की है उसके भी पेज 15 पर चैक पोस्ट पर चुंगी वसूलने को अनावश्यक बताया है तथा फिजूल खर्ची और प्रदूषण को बढ़ाने वाला बताया गया है। औसतन राजस्थान में 800 जांच चौकियां हैं और अगर प्रत्येक जांच चौकी पर एक ट्रक दस मिनट के लिए भी खड़ा हो तो उससे 27 लीटर डीजल कंजम्प्शन भी बढ़ जाता है, जो राष्ट्रीय बचत के सिद्धांत के विपरीत है तथा दस मिनट लगने से समय की भी बरबादी होती है। नौ टन से ज्यादा का वजन ट्रक पर होने के कारण ओवर लोड होने से प्रदूषण भी बिगड़ता है। यह सारी स्थितियां सामने हैं। ट्रक आपरेटर एसोसियेशन भी यह चाहती है कि इस ओवर लोड को कम करने के लिए जिस तरीके से अन्य विभागों में आपने नागरिक समितियां और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया है, राजस्थान सरकार का यातायात विभाग और पुलिस विभाग तथा ट्रक मालिक एसोसियेशन के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक ऐसी समन्वय समिति या नागरिक समिति, स्वयं सेवी समिति बना दी जाये जो इन चैक पोस्ट्स पर ओवर लोड को चैक करे और जिस वाहन में ओवर लोड क्षमता से अधिक पाया जाये उसको वहीं पर ही रोके। अगर ऐसा, अध्यक्ष महोदय, एकाध स्थान पर किया गया तो दूसरे लोग भय से भी....

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आपका ध्यानाकर्षण हो गया। श्री केदारजी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इस सम्बन्ध में मैं यही चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

यह बतायें, पूरे राजस्थान भर के हजारों लोग इस धूप के अन्दर विधान सभा भवन के बाहर खड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर आज।

श्री अध्यक्ष : आप, केदारजी, बोलिये। आप दो-दो मिनट में अपना ध्यान आकर्षित करिये, इसमें भाषण दोगे तो फिर एक्स्ट्रा काम हो जायेगा। (व्यवधान)।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले स्टेटमेंट दिला दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, पहले आप वक्तव्य दे दीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय माहिर आजाद साहब ने जो एक बात कही उसका भी जवाब दे दूं....

डा. चन्द्रभान : पहले स्टेटमेंट दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : हां, नागौर के बारे में बोल रहे हैं। नागौर के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : डा. साहब, वह तो मैं दे ही रहा हूं वक्तव्य तो। माननीय माहिर आजाद साहब ने जो प्रश्न उठाया उस सम्बन्ध में ट्रक आपरेटर मुझ से निश्चित रूप से मिले थे और मैंने उनको यह आश्वस्त किया था कि यह ओवर लोडिंग की जो समस्या है, विभाग और पुलिस दोनों मिलकर एक अभियान चलायेंगे और इस ओवर लोडिंग को निश्चित रूप से चैक करेंगे। जहां तक समितियां बनाने का प्रश्न है, आप और हम मिल बैठकर किस तरह से इसको इफेक्टिव बनाया जाये, इस पर विचार कर लेते हैं। एक और आश्वस्त कर सकता हूं, मैंने इस सम्बन्ध में ट्रांसपोर्ट कमिशनर को डायरेक्शन दे दिया है कि आप स्ट्रिक्टली इन बैरियर्स पर ओवर लोड को चैकिंग करें और चैकिंग करके यह जो ओवर लोडिंग का मामला है उसको देखें। उसके बाद में फिर उनको कोई व्यवस्था दूसरी करनी पड़ी तो निश्चित रूप से सरकार, इसका दृष्टिकोण खुला है, हम बातचीत करके कार्यवाही कर लेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक कर देंगे, एक साल हो गया। अप्रेल, 91 में आपने यह आश्वासन दिया था।

श्री दिग्विजय सिंह : अप्रेल माह के अन्दर निश्चित रूप से इसका अभियान पूर्ण रूप से चला देंगे। .... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, वक्तव्य दीजिये।....(व्यवधान)। आप बैठिये आप बैठिये। व्यवस्था से काम चलाने दीजिये। अब यह जरूरी है पहले आपकी बात से, महत्वपूर्ण है।

शासकीय वक्तव्य

नागौर में हुए उपद्रव के संबंध में

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, नागौर की घटना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार मैं अपना वक्तव्य पढ़ रहा हूं, जो जानकारी मुझे अब तक प्राप्त हुई है।

(श्री दिग्विजय सिंह)

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 8.3.92 को नागौर शहर में प्रमुख स्थान तहसील चौक व गांधी चौक के बीच स्थित शाहजानी मस्जिद के सामने से गुजर रही माली समाज की एक बारात द्वारा बैण्ड बजाने का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। ज्यों ही बारात तहसील चौक पार कर गांधी चौक पहुंची तो 200–250 एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा पथराव किया गया तथा जवाब में कुछ बारातियों द्वारा भी पत्थर फेंके गये। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों द्वारा समय पर घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल कार्यवाही की गई और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस थाना कोतवाली पर अपराध संख्या 92/92 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 336 भारतीय दण्ड संहिता के दोनों समुदाय के विरुद्ध थाना कोतवाली के पुलिस उप निरीक्षक श्री शिव स्वरूप शर्मा द्वारा दर्ज किया गया। इस मुकदमे के अनुसंधान में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उसी रात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151 जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसी रात्रि को उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा दोनों समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बैठक ली गई, जिससे सभी ने पूर्ण शांति बनाये रखने बाबत कटिबद्धता प्रकट की।

इस घटना को ध्यान में रखते हुए नागौर में प्रभावशाली गश्त भी प्रारम्भ की तथा शहर के संवेदनशील स्थानों पर पुलिस, आर. ए. सी. तथा होम गार्ड तैनात कर दिये गये। नागौर शहर में दिनांक 12-3-92 को धारा 144 जाप्ता फौजदारी भी लागू कर दी गई, जिसमें बिना पूर्वानुमति के जुलूस निकालने व हथियार आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिनांक 12-3-92 को ही शांति समिति की बैठक उपखंड मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा आयोजित की गई, जिसमें दोनों वर्गों के प्रतिनिधियों ने शांति और व्यवस्था कायम रखने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। दोनों समुदाय द्वारा एकमत राय व्यक्त की गई कि धार्मिक स्थानों के आगे बारात गुजरने के सम्बन्ध में पूर्व से चली आ रही परम्परा कायम रखी जाये, अर्थात् बैंड बाजे बजाते हुए बारात निकालने की दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की, लेकिन मस्जिद के आगे रुककर नाच गान न हो, ऐसी दोनों पक्षों ने बात कही, बात मानी। ऐहतियात के तौर पर 14 हिन्दुओं एवं 15 मुसलमानों के विरुद्ध दिनांक 13-3-92 को अंतर्गत धारा 107/106 जाप्ता फौजदारी इस्तगासे उपखंड मजिस्ट्रेट नागौर के न्यायालय में प्रस्तुत किये, जहां पर सुनवाई की आगामी तारीख मजिस्ट्रेट द्वारा 17-3-92 निश्चित की गई है।

दिनांक 13-3-92 को उक्त परिप्रेक्ष्य में तहसील चौक व गांधी चौक में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उच्च अधिकारियों सहित, उपखंड अधिकारी, सहायक कलक्टर, तहसीलदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, थानाधिकारी नागौर, अतिरिक्त पुलिस बल सहित मौजूद थे। पुलिस बल में गैस एवं हथियार पार्टी भी शामिल थी, जिन्हें पुलिस चौकी तहसील चौक पर तैनात किया गया था। प्रशासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया

(श्री दिग्विजयसिंह)

गया था कि सभी बैंड संचालकों को बरातों में जाने से पूर्व पुलिस को सूचित करने का भी आदेश किया गया था । दिनांक 13-3-92 की बारात के सम्बन्ध में धारा 144 जाप्ता फौजदारी प्रभावी होने के कारण संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रशासन से श्री विजयसिंह द्वारा दो बारातों को राठौड़ी कुए से ताउसर वाया तहसील चौक व गांधी चौक होते हुए जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई थी ।

उक्तानुसार माली समाज की दोनों बारातें राठौड़ी कुए से ताउसर के लिए रवाना हुई । लगभग रात्रि 9 बजकर 50 मिनट, नमाज समापन के पश्चात् शाहजानी मस्जिद के सामने तहसील चौक बैंड बाजे के साथ तथा सशस्त्र पुलिस व्यवस्था के साथ शांति पूर्ण गुजर कर त्रिपोलिया गेट के अन्दर होती हुई गांधी चौक गई, जहां पर कुछ समय रुक कर धोबियों की पोल होती हुई ताउसर की ओर बढ़ी । जब लगभग आधी बारात धोबी पोल पार कर चुकी थी तो अचानक सड़क के दोनों ओर से बारात पर पथराव शुरू हो गया, जिससे भगदड़ मच गई और कुछ बाराती बारात छोड़कर भागने लगे बारात के आगे और पीछे तैनात पुलिस की टुकड़ियों ने स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया, किन्तु भारी पथराव के कारण नियंत्रण पाना संभव नहीं हो पाया । इसी बीच एक समुदाय विशेष की दो दुकानों, एक परचूनी, व दूसरी साइकिल की, पर आग लगा दी गई तथा कुछ अन्य भवनों पर भी पथराव किया गया । गांधी चौक में बारातियों के लौटने से चौक में भगदड़ मच गई तथा इसी भीड़ वाले क्षेत्र में ऐसी स्थिति खिलजियों की पोल की ओर से एकत्रित समुदाय के सैकड़ों लोगों ने बारातियों पर पथराव प्रारम्भ कर दिया । जिस पर बरातियों एवं चौक में खड़े व्यक्तियों ने इसका प्रत्युत्तर पथराव से दिया । खिलजियों की पोल बहुत संवेदनशील स्थान है एवं उसके अन्दर की ओर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है । बारात के पीछे चल रहे पुलिस बल ने गांधी चौक में पथराव करके भीड़ को गांधी चौक से बाहर निकालने का प्रयास किया तथा अल्पसंख्यक समुदाय को कसाइयों के मोहल्ले व खिलजियों की पोल से धकेलकर नियंत्रित करने का प्रयास किया, किन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली । उग्र समूह एक दूसरे पर पथराव करते रहे । उग्र भीड़ के ऊपर मजिस्ट्रेट द्वारा कानून विरुद्ध घोषित किया गया तथा तितर-बितर होने की चेतावनी भी दी गई । चेतावनी का असर नहीं होने पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर लाठी चार्ज किया गया । इस पर भी स्थिति नियंत्रण में नहीं हुई तो उपखंड मजिस्ट्रेट नागौर ने 2 राउंड गोली चलाने के आदेश दिये । जिस पर एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा दो गोली हवा में चलाई गई, जिसके फलस्वरूप दोनों समुदाय की भीड़ लगभग 40–50 गज के क्षेत्र से तितर-बितर हो गई । उधर ताउसर रोड़ पर पथराव के कारण भीड़ गांधी चौक में आ गई तथा कसाइयों के मोहल्ले की तरफ से भीड़ (800–1000) पथराव करती हुई पुनः गांधी चौक की ओर बढ़ने लगी । भीड़ में कुछ लोगों के पास तलवारें, बल्लम, लाठियां आदि थे । भीड़ ने पुलिस

(श्री दिग्विजयसिंह)

पर मिट्टी के तेल से भरा जरीकेन व एसिड बल्बों से हमला कर दिया । यहां पर भी भीड़ को गैरकानूनी घोषित किया गया तथा लाठीचार्ज के आदेश दिये गये । भीड़ ने इस बीच हरिराम 267 को पकड़ लिया तथा मारपीट करने लगे लाठी चार्ज का असर न होते देखकर एक राउंड गोली चलाने के आदेश दिये गये व गोली चलते ही उग्र भीड़ पीछे हट गई । पुलिस द्वारा घायल व्यक्ति अल्लादीन पुत्र मुमताज निवासी कसाईवाड़ा को सड़क पर घायलावस्था में पाये जाने पर चिकित्सालय भेजा गया जहां वह मृत घोषित किया गया । इस घटना पर मुकदमा संख्या 97/92 अंतर्गत धारा 147/148/149/307/332/353/188/436/336 भारतीय दंड संहिता के अनुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नागौर की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान वृत्ताधिकारी नागौर द्वारा किया जा रहा है ।

इस घटना के उपरांत सारे शहर में धारा 144 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत उसी रात 10.20 बजे कर्फ्यू लगवा दिया गया, जिसकी घोषणा कानून के अनुसार की गई । शीघ्र ही कर्फ्यू के उपरांत स्थिति नियंत्रण में आने लगी । घटना का और उग्र रूप हो जाता यदि दोनों वर्ग आपस में भिड़ गये होते । पुलिस ने बीच में आकर स्थिति को भली भांति संभाल लिया । अब शहर में 29 संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पिकेट तैनात की गई हैं व कुल 51 व्यक्ति धारा 151 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये । घटना में कुल 75 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनमें 34 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी, 13 हिन्दू एवं 28 मुसलमान शामिल हैं । उपद्रव के दौरान कुल रुपये 1,32,700 रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह जी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य यहां पढ़ा, वह बिल्कुल तथ्यों से विपरीत है और इसके अन्दर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने की चेष्टा इसलिए की गई है कि अपने अधिकारियों के, वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारियों का जो फेलियर रहा है, जो लेप्स रहा है, उसको छिपाने के लिए, उनको बचाने की दृष्टि से माननीय मंत्री महोदय ने यह वक्तव्य जो यहां पर पढ़ा है, काफी लम्बा वक्तव्य है । मैं सबसे पहले मंत्री महोदय आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब पहला झगड़ा 8.3.92 को हो गया था, क्या उसके बाद अगर आपने एडिक्वेट प्रिकाशन लिये होते तो मैं समझता हूं कि इस झगड़े की नौबत नहीं आती । पुलिस ने अपने कर्तव्य पालन के अन्दर और नागौर जैसे शहर में जहां पहले इतिहास, काफी खराब रहा है; पहले भी वहां झगड़े-दंगे बहुत हुए हैं, संवेदनशील इलाका है वह, लेकिन वहां भी they failed miserably in discharging their duty.

अध्यक्ष महोदय, यह पहली तारीख को ही हो गया था । जितने लोगों ने दंगा किया था, उनमें भी दोनों कौम्युनिटी में अगर जैसी वहां की स्थिति थी, अगर आप दोनों लोगों

(86)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को गिरफ्तार कर लिये होते, अगर आपने लम्बा समय लोगों को गिरफ्तार करने में नहीं लगाते, शायद 3 आदमी आपने पकड़े। पता नहीं कैसे 3 आदमी पकड़े, किन को पकड़ा, उनकी डिटेल्स आपने नहीं दी। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा सरकार के ऊपर यह आरोप है कि नागौर पुलिस पूरी तरह फैल रही अपने दायित्वों का निर्वाह करने के अन्दर अगर पूर्व में इन्होंने, पहले मैं आपसे विस्तार से पूछना चाहूंगा कि जिस दिन दो बरातें निकल रही थीं उस दिन आपका डिप्लायमेंट था, आपकी कितनी फोर्स वहां पर डिपलाय की हुई थी ? कौन कौन अधिकारी उनके साथ चल रहे थे, अध्यक्ष महोदय। इन सब चीजों के ऊपर आपको प्रकाश डालना पड़ेगा और यह मुद्दा लेप्स का मुद्दा जांच का मुद्दा है। आप कह देते कि हमारा तो जैसी सरकार की आदत है, हमने तो पूरा प्रिकाशन लिया था लेकिन मैं निश्चित मानता हूं कि अगर पूरा प्रिकाशन लिया हुआ था तो यह स्थिति यहां आती नहीं।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आपने बड़ी खूबसूरती से मरने वाले के बारे में बात कह दी। मैं पूछना चाहता हूं, टीयर गैस शैल का आपके पास इन्तजाम था ? आपने कह दिया हमने लाठी चार्ज किया, लाठी चार्ज करके आप सीधी गोली चलाने के ऊपर आ गये। टीयर गैस शैल का आपने क्या इन्तजाम किया हुआ था ? नागौर जैसे जिले के अन्दर जहां रेकार्ड, फास्ट रेकार्ड ऐसा रहा है, आपने टीयर गैस शैल वहां पर चलाया ही नहीं। क्या आपके पास वहां पर टीयर गैस शैल मौजूद था ? नागौर जिले में है भी या नहीं यह आप पहले बता दें। अगर हो, तो उनको दिये क्यों नहीं गये ? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां नहीं था, आपके द्वारा टीयर गैस शैल इस्तेमाल नहीं किया गया। यह फाइरिंग से पहले टीयर गैस शैल का चलाया जाना बहुत आवश्यक है। आपने एक आदमी को मार डाला और आपने 307 में केस दायर कर लिया। बड़ी खूबसूरती से कह गये कि एक लाश वहां पड़ी हुई मिली उसे हम अस्पताल के अन्दर ले गये और अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, असल में बात है, पुलिस की गोली से मरा है। पुलिस ने मारा है उसको। गोली कहां लगी। माननीय मंत्री महोदय आप यह बता दीजिये गोली कहां लगी उसके ? पुलिस की गोली से मरा है और पुलिस ने मारा है। मैं आपको अब कहता हूं, जानबूझकर हवा में फायर की, हवा में फायर कर रहे हैं और गोली लग रही है छाती के अन्दर, बगल के अन्दर गोली लग रही है। आप कहां असत्य बोल रहे हैं, किसलिये आप असत्य भाषण कर रहे हैं। गृह मंत्रीजी आपका काम नहीं है उस महकमे को चलाने का। क्योंकि स्ट्रिंग्स कहीं से खिचते हैं, आप तो बराये नाम के गृह मंत्री रह गये हैं, आपकी सुनता कौन है इस महकमे के अन्दर। मेरा सरकार के ऊपर यह आरोप है, अध्यक्ष महोदय, आदमी को कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया है और जिन अधिकारियों ने किया है आप उनके क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।....

श्री डूंगरराम पंवार (इन्दिरा गांधी नहर उपमंत्री) : कोई एक्शन नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हां, हां, मत लीजिये। आपसे उम्मीद थोड़े ही है। +++ यह इनके मंत्री हैं। यह इनके मंत्री हैं +++ आनी चाहिये।...

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : +++ आनी चाहिये सरकार को, इनके मंत्री को। (व्यवधान) ऐसे मंत्री को बर्खास्त कीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : वह व्यवस्था का सवाल पूछ रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य नागौर की घटना जो काफी चिन्ताजनक है राजस्थान के लिये उसका उल्लेख कर रहे थे। माननीय उप मंत्रीजी अपनी सीट पर बैठे यह इंगित किया कि कोई कुछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, कोई एक्शन नहीं। राज्य सरकार के एक मंत्री का यह प्रदर्शन, ऐसा संवेदनशील जो वक्तव्य है उसके ऊपर इस तरह का वर्णन राज्य सरकार की कार्य क्षमता के बारे में उद्धृत होता है। इसलिये माननीय, अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था दीजिये, इन शब्दों को हटाये और इन मंत्री महोदय को ताड़ना दीजिये सदन में।

श्री अध्यक्ष : क्या असंसदीय शब्द बोले हैं?

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : माननीय गृह मंत्रीजी वेरीफाई कर रहे हैं क्या? जो अभी उप मंत्रीजी ने कहा है। (व्यवधान)।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मंत्रीजी यह जानते है कि कोई कार्यवाही नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान। आप बैठिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय गृह मंत्रीजी इसको वेरीफाई करते हैं क्या? (व्यवधान)। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहती हूं कि जो कुछ उप मंत्रीजी ने कहा क्या गृह मन्त्रीजी भी इसको वेरीफाई करते हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिल की बात, मुंह पर आ जाती है, पेट की बात मुंह पर आ जाती है। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार कोई कार्यवाही करेगी। पहले भी नहीं थी, पहले जहां इनके मंत्री और विधायक इन्वाल्वड थे, जयपुर के हत्याकाण्ड में वहां कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे। हमें उम्मीद नहीं है। हमें कोई उम्मीद नहीं है। मेरा तो आपसे निवेदन यह....

श्री यदुनाथ सिंह : उप मंत्रीजी ने कहा कुछ करेंगे नहीं तो आप काहे के लिये बोल रहे हो। आप छोड़िये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अपने ड्यूटी का निर्वाह करूंगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार के मंत्री ने यह कह दिया कि कोई एक्शन नहीं।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। वह सरकार कुछ करे या नहीं करें। (व्यवधान)।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उस बारे में सरकार मौन है। गृह मंत्रीजी मौन है, मुख्य मंत्रीजी मौन हैं, तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद है कोई एक्शन लेने की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे, जो हमारी ड्यूटी है है उसको पूरा करेंगे। यह सरकार कोई कार्यवाही करें या नहीं करें यह इनकी मर्जी के ऊपर है, राज इनका है। यह नहीं करेंगे निश्चित बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहता हूं अब इन्होंने, इनकी होशियारी, इनकी काम्पीटेंस देखिये आप। 107, 117 में इस्तगासा पेश कर दिया। इतना बड़ा झगड़ा होने के बाद इस्तगासा, अध्यक्ष महोदय, no arrest has been made इस्तगासा पेश किया हैं इसको प्लीड कर रहे हैं आप। असल में बात क्या थी, अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह थी कि एक वर्ग के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व के अन्दर, एक वर्ग के लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब यहां से उच्च अधिकारियों को मालूम हुआ कि भई यह क्या हुआ। तो उन्होंने कहा इनको छोड़ो, उनको छुड़वाया गया, अध्यक्ष महोदय, और इनकी एफिसियेंसी का नमूना यह है कि इन्होंने सिर्फ इस्तगासा फाइल कर दिया अदालत में। इतना बड़ा हादसा हो जाय। आपने प्रिकाशनरी मैजर्स पहले नहीं लिये, अब नहीं ले रहे हो। क्या आप राजस्थान को इस साम्प्रदायिकता की आग में धकेलना चाहते हैं? वह आपकी मर्जी है आप धकेलिये क्योंकि इसी के ऊपर आपकी राजनीति है, इसी पर आप जिन्दा रहना चाहते हैं।+++ अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मांग है सरकार से कि इस पूरे प्रकरण की जांच करायी जाय, जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जाय क्योंकि इस के अन्दर प्रशासन का बहुत बड़ा लेप्स रहा है। आगे आने वाले समय में एक नसीहत होगी, रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जायेगी अगर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की तो इस प्रकार के वाकयों की पुनरावृत्ति निश्चित रूप से होगी। क्योंकि सरकार तो कुछ करना चाहती नहीं, उनके मन्त्री महोदय ने यहां कह दिया। मैं यही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जो तथ्य मैंने उठाये अगर मंत्री महोदय जवाब देना चाहे तो दें नहीं तो वह कह ही गये कि हमें तो कोई कार्यवाही करनी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह देंगे। डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, इस साम्प्रदायिकता के दंगों के बारे में माननीय गृह मंत्री जी से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा इससे पहले आपकी व्यवस्था चाहूंगा। चूंकि सरकार में चाहे उप मन्त्री हो, चाहे राज्य मन्त्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्य मन्त्री हो सब का कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी है और माननीय उप मंत्रीजी ने बहुत ही हल्केपन से इस घटना

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(डा. चन्द्रभान)

पर अपना कमेंट कर दिया कि वह नहीं करना चाहिए था। या तो मुख्य मन्त्री जी, गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं यह स्पष्ट करें कि यदि सरकार की यही राय है कि इसमें कोई कार्यवाही नहीं करनी है तो फिर हमारे सवाल का यहां कोई मतलब नहीं है, अध्यक्ष महोदय। यदि इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी और गृह मन्त्री जी स्पष्ट करें और उप मंत्री जी को आप प्रताड़ना दें, वह माफी मांगें पहले और यदि सरकार की यही इच्छा है कि कोई कार्यवाही नहीं करनी है तो फिर हमको यहां बोलने से क्या फायदा है ?....(व्यवधान)। मुख्य मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी इसमें स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये ना। वह देंगे, गृह मन्त्री जी जब बोलेंगे आपकी सब बातों का जवाब देंगे।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : हां, करिये।

डा. चन्द्रभान : क्योंकि जब सरकार की ओर से यह वर्शन आ गया कि हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो फिर सवाल के लिये कोई मतलब नहीं निकलता है।

श्री अध्यक्ष : आप गृह मन्त्री जी के स्टेटमेण्ट पर पूछ रहे हैं ना ? गृह मंत्री जी जवाब देंगे।

डा. चन्द्रभान गृह मन्त्री जी के स्टेटमेण्ट पर मैं बाद में बोलना चाहूंगा। लेकिन मैं इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं या तो स्पष्टीकरण....

श्री यदुनाथ सिंह : मन्त्रिमण्डल में मतभेद है, अध्यक्ष महोदय।

डा. चन्द्रभान : ....चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी या गृह मन्त्री जी या आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था दीजिये। हम केवल बोलने के लिये यहां नहीं है, केवल हम बोलें और हमारे बोली का कोई असर ही नहीं हो सरकार के ऊपर, सरकार हल्केपन से इस तरह के कमेंट कर दें।

श्री अध्यक्ष : आप तो गृह मन्त्री जी से कार्यवाही करने की बात कह रहे है ना ?

श्री यदुनाथ सिंह : मंत्रिमण्डल में मतभेद है फिर इस विषय पर।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : गवर्नमेण्ट का वर्शन है। मुख्य मन्त्री जी मौजूद हैं। अगर यह डिस्ओन कर दें तो कहें अदरवाइज डिप्टी मिनिस्टर भी गवर्नमेण्ट के हैं।

श्री अध्यक्ष : आप लोग सारे समझदार आदमी हैं, इश्यू डाइवर्ट क्यों करते हो।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल में मतभेद है इस विषय पर।

श्री अध्यक्ष : प्लीज। आप बैठिये।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में गम्भीर

(90)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मसला है । सरकार के एक उप मंत्री, वह चाहे उप मंत्री है, स्टेट मिनिस्टर हैं, चाहे मंत्री हों लेकिन वह इस सदन में यह कहें कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी और मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं कोई इस पर बोलना चाहते ही नहीं । आखिर क्या शो करता है । यह गम्भीर मामला है इनको एकदम, मुख्य मंत्री जी को कहना चाहिये था । कैसे कह दिया इन्होंने । He should take action against the minister concerned.

श्री डूंगरराम पंवार : आप ठीक से नहीं सुनते । मैंने कहा था कि असत्य बात पर कार्यवाही नहीं हो सकती है.... (व्यवधान)....जो बात असत्य है उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता ।....(व्यवधान) ....आपने सुना नहीं अच्छी तरह से ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : हम आपसे अच्छे ढंग से सुनते हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप बैठे-बैठे माइक के ऊपर बात कर रहे थे....(व्यवधान) ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि आप जब बोलेंगे नये फेक्ट्स आयेंगे, कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी तो सरकार निश्चित रूप से करेगी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हो गया । अब मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं । पारीक साहब कभी-कभी ध्यान रखा करो, आपके नेताजी पूछ रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं । अब जरूरी नहीं है कि आप इसमें बोलो ही । वह संतुष्ट नहीं होंगे तो वह पूछ लेंगे ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि 8 मार्च को ही असल में तो इस दंगे की शुरूआत हो गयी थी और आपके सामने दीगोद और भीलवाड़ा का पुराना उदाहरण भी है । दीगोद में चार दिन पहले एक दंगा फैला उसका फाल आउट भीलवाड़ा में हुआ था । 8 मार्च को आपके एस. डी. एम. साहब ने और जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक भी बुलायी और उसमें यह सहमति भी बनी कि आगे से जुलूस हो या बरात हो धार्मिक स्थल के सामने से निकला करेंगे और जब भी कोई जुलूस या बारात निकलेगी वह अपना नाचना, गाना, नारेबाजी करेगी लेकिन रुककर नहीं करेगी । इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 8 मार्च को जो बारात निकल रही थी उसमें कोई विशेष दंगे की स्थिति नहीं बनी । कुछ छोटी-मोटी घटना हुई और सब लोगों द्वारा समझा दिया गया पर आगे खतरा जरूर बना हुआ था । 13 मार्च को जो माली समाज की दो बारात एक साथ निकली तो कुछ लोगों ने, उन लोगों ने मिलकर तय किया कि पूरे नागौर शहर के जितने बैण्ड-बाजे हैं सब को किराये पर कर लिया गया । सब को किराये पर कर लिया गया और बाद में बारात निकाली गयी यह मैं कह रहा हूं कि इण्टेंशन के साथ यह हुआ कि वह बारात आधे पौन घण्टे तक रुकी रही और नाचना-गाना सब कुछ हुआ । उससे प्रोवोकेशन होना अवश्यम्भावी था । उसके बाद पत्थर भी चले, लाठी भी चली, अश्रु गैस तो नहीं चली लेकिन गोलियां जरूर चली । माननीय मंत्री महोदय, 8 से 13 तक तनाव की स्थिति थी । 8 तारीख

(डा. चन्द्रमान)

को माकूल व्यवस्था थी पुलिस की ओर 13 को माकूल व्यवस्था नहीं थी केवल 20–22 लोग थे । अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि पहले से यह तय हुआ कि कोई भी धार्मिक स्थल के सामने से बारात निकलेगी तो रुकेगी नहीं और आधे-पोन घण्टे तक नाचते रहे और तरह-तरह के कमेण्ट्स करते रहे । गाय की बात कही गयी, गाय भी आ गयी थी, जो मस्जिद में बैठे हुए लोग थे उन्होंने गाय अन्दर भेजी नहीं । फिर किन लोगों ने यह शरारत की ?

श्री अध्यक्ष : गाय की बात स्टेटमेण्ट के अन्दर नहीं है । गाय की बात उन्होंने नहीं कही ।

डा. चन्द्रभान : हमारी जानकारी में है ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट बैठिए । ऐसा है कि गाय की बात आ गयी यह शब्द क्यों बोल रहे हैं ? यदि आप वहां गये हैं और आपकी जानकारी है, तो कहिए, आप अपनी जानकारी बताइये । आ गयी कह रहे हैं अखबारों के आधार पर । स्टेटमेण्ट को आपने सुना नहीं ।

डा. चन्द्रभान : नहीं, मैं अपने आपको करेक्ट कर लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपने देखा है तो अपनी तरफ से कहिए ।

डा. चन्द्रभान : मन्त्री जी के स्टेटमेंट में तो नहीं थी, लेकिन वहां गाय थी और गाय के आने से हलचल बढ़ी और तनाव बढ़ा, उसके बाद पथराव दोनों तरफ से हुआ । अब यह मानकर आपको चलना चाहिए और हकीकत भी है कि जो लोग बरात में गये थे वह जानते थे कि दंगा फैलेगा, वह भी पत्थर का पूरा इन्तजाम करके गये थे, पूरे बाजार में, गांधी चौक की दुकानों पर पत्थर रखे हुए थे । मस्जिद में भी पत्थर रखे होंगे । दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और उसके बाद आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कसाइयों के मोहल्ले में और गांधी चौक के आसपास का जितना भी इलाका है जहां आगजनी हुई वहां पर जो बरात में लोग सम्मिलित थे और नीचे जो भीड़ थी, उसने भी पथराव किया है और पुलिस ने भी पथराव किया है । यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने पुलिस का भी कम्युनलाइजेशन कर दिया । मुझे इस बात का गुस्सा है पुलिस ने इस तरह के वहां कमेण्ट्स किये हैं, पुलिस दंगाइयों के साथ थी यह भी मैं आप पर स्पष्ट चार्ज लगाना चाहता हूं । पुलिस दंगाइयों के साथ हो गयी और पुलिस ने दंगे को रोकने का काम नहीं किया और चेतावनी की बात करते हैं कोई चेतावनी वहां नहीं दी गयी । मन्त्री महोदय वहां पर सीधा लाठी चार्ज हुआ, हेवी लाठी चार्ज हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब आप सवाल शुरू कीजिए । ऐसा है, देखिए, यह खण्डन की बात नहीं है । इसको आप प्रकारान्तर से पुछिए । आप जो कह रहे हैं उसको प्रश्न में पुछिए । आप अपनी जानकारी दे रहे हैं तो उनके वक्तव्य की जरूरत नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

मैं आपके ही वक्तव्य को मान लूंगा । आप सवाल पूछिए ।

डा. चन्द्रभान : एक तो दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई तो क्या पत्थर जो लोग बारात में गये थे वह लेकर गये थे । यदि लेकर गए थे तो पुलिस ने क्यों नहीं ऐसी पाबन्दी लगाई कि वह पत्थर लेकर नहीं चलते ? नम्बर दो लाठी चार्ज हुआ उसके बाद आश्रु गैस क्यों नहीं छोड़ी गयी ? सीधे गोली क्यों चला दी गयी ? आपका यह कथन सही नहीं है कि केवल दो राउण्ड गोली चली । वह अलाउद्दीन का लड़का मारा गया 21 साल का उसके कंधे में जाकर गोली लग गयी और वह हवाई फायर की बात कह रहे हैं । पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बुलट इन्ज्यूरी से उस लड़के की मौत हो गयी ।

श्री अध्यक्ष : आपने शायद स्टेटमेण्ट नहीं सुना । तीन राउण्ड बतायी है ।

डा. चन्द्रभान : दो बतायी है । मैंने तो दो राउण्ड ही सुना है ।

श्री अध्यक्ष : एक बाद में और बतायी है । दो पहले थी और एक बाद में बतायी है ।

डा. चन्द्रभान : वह दोनों राउण्ड हवा में चले हैं....(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष : वह दूसरी बात है लेकिन तीन राउण्ड का इन्होंने उल्लेख किया है ।

डा. चन्द्रभान : परन्तु यह कहना सही नहीं है । मैं कहना चाहूंगा इंगित करके पुलिस ने उन लोगों पर, जो अलाउद्दीन मरा है उसको मारने का काम पुलिस ने किया है । पुलिस के खिलाफ सीधा 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 8 से 13 तक के बीच जो लेप्सेज हुए और आपके पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की, इसके कारण यह दंगा हुआ । इसलिए उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? कर्फ्यू लगा दिया, यह तो आपके पास राम बाण हथियार है और भी दंगा फैल सकता है, फैल भी सकता है मैं आपकी राय से सहमत हूं लेकिन कर्फ्यू लगाने की आम जनता को सूचना तक नहीं दी गयी, लोग सवेरे उठे तब मालूम पड़ा । दूध लेने गये तो उनकी पिटाई कर दी गयी, उसमें भी कई लोग घायल हो गये, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है वृद्ध लोगों की चिकित्सा सुविधा नहीं है उनकी व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए थी । यह भी मैं निवेदन करूंगा कि सम्पूर्ण मामले की जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, जनता को जो परेशानी हो रही है उससे उसको छुटकारा मिले ।

अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि दो दिन के बाद होली का त्यौहार आ रहा है इससे प्रदेश की जनता में कटुता नहीं बढ़े और इस दंगे का फैलाव राज्य में न हो । इसके लिए भी सरकार कोई पुख्ता व्यवस्था करे ।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल ।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के गृह मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि माननीय गृह मंत्री जी यह जो दंगा हुआ है वास्तव में यह सुनियोजित दंगा है। स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ किसी दो समुदायों का संघर्ष नहीं है। इसके पीछे राजनैतिक उद्देश्य है। आप जिस पार्टी के साथ मिलकर राजस्थान में राज कर रहे हैं। वह इस प्रदेश में पिछले दो साल से दंगों

(12.47 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

को काबू करने में कामयाब रही और कोई राजस्थान में दंगा नहीं हुआ। साम्प्रदायिक सौहार्द बन गया। परन्तु उसने देखा कि इसके राजनैतिक नतीजे अच्छे नहीं निकले और वह पार्टी बाई इलेक्शन में हार गयी तो निश्चित तौर पर उसकी सोच दुबारा उभरी है कि राजस्थान में राजनैतिक लाभ हो सकता है तो सिर्फ दंगों से ही हो सकता है। इसलिए मेरा इल्जाम है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने उस पार्टी के साथ रहते हुए अपना विरोध जाहिर किया है इस तरह की यात्राओं पर, इस तरह के प्रोग्राम पर जो नागौर में हुआ माननीय गृह मंत्री जी 8 तारीख को शादी की एक बारात निकलती है, उसमें आपस में झड़प हो जाती है, झड़प इस बात पर होती है कि जानबूझकर मस्जिद के आगे होर्न बजाये बैण्ड वालों से बैण्ड बजाया उसके कारण आपस में पथराव हुआ और लोग बिखर गये। तीन आदमियों को 107 और 157 में गिरफ्तार भी कर लिया। उसके बाद, पांच दिन के बाद जो दुबारा बारात आयी उस बारात में माननीय गृह मंत्री जी फिर पूरे नागौर के बैण्ड थे। क्या यह सही है कि इन दो शादियों में पूरे नागौर में जितने बैण्ड हैं उनको इकट्ठा करके लाया गया। आपने 144 की धारा लगा दी, उसके बाद आपके मजिस्ट्रेट या आपके प्रशासनिक अधिकारी ने, जहां धारा 144 लगी हुई थी, क्या उनको पता नहीं था कि इतना संवेदनशील इलाका वह है वही मस्जिद है जहां पहले पथराव हुआ, जहां झगड़ा हुआ था, वहीं नमाज हो रही है। नमाज के लिए लोग इकट्ठे हैं, वहां से बारात ले जाने के लिए, आप बारात को ले जाने के लिए परमिशन दें, आपको चाहिए था कि अल्टरनेटिव रास्ता खोजते जब पुलिस साथ थी, मजिस्ट्रेट साथ थे सारा प्रशासन साथ था तो उनको अल्टरनेटिव रास्ता खोजना चाहिए था। क्या आपने अल्टरनेटिव रास्ता खोजा? मान लीजिए कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं था तो क्या उन सारे बैण्ड वालों को वहां से विथड्रा करके जिस जगह सेंसिटिव एरिया नहीं है, जहां बारातियों का घर है, जहां बारात पहुंचनी थी उसके आगे खड़ा कर देते? जब बारात जाती है तो सारे रास्ते थोड़े ही बजाते जाते हैं। आपकी पुलिस उनके निर्देश में चल रही थी जो शहर में दंगा करवाना चाहते थे। यही वजह है कि दो राउण्ड चलाए और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपकी पुलिस पर इल्जाम लगाना चाहूंगा कि तीसरा राउण्ड चला ही नहीं। निश्चित तौर से दो राउण्ड चलने के बाद तीसरा राउण्ड चलना चाहिए था। एक ए.एस.आई. की

(श्री हेतराम बेनीवाल)

गोली से एक व्यक्ति मर गया, उसके बाद राउण्ड दिखा दिया, क्योंकि एक ही राउण्ड चला और उससे आदमी मर गया, यह स्थिति कभी होती नहीं दंगों में अगर दोनों तरफ से हजारों आदमी उलझे हों। आपने जिक्र किया 500 आदमी थे और 500 आदमी दूसरी तरफ से थे। उनके खिलाफ 107 भी लगी हुई थी। 51 आदमी को आपने 107 में नामजद किया। क्या उन 51 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन में उनकी तारीख 17 रखी गई। 13 तारीख को बारात या जुलूस निकल रहा है और जिन पर 107 की कार्यवाही होनी है उनकी तारीख रखी 17। इसका मतलब प्रशासन की यह कोशिश नहीं थी कि वहां शांति कायम हो, नहीं तो उनकी तारीख 17 रखने के बजाय उनको 107 और 151 में गिरफ्तार कर लेते। अगर 51 व्यक्ति गिरफ्तार हो जाते तो निश्चित तौर से यह घटना नहीं होती।

दूसरी बात, यह सारा समुदाय वहां गया बैण्ड बाजे लेकर एक समुदाय की दुकानों पर। क्या माननीय गृह मंत्री बतायेंगे कि जिनकी दुकानें लुटी हैं वे कौन है? कौन से समुदाय की दुकानें लुटी हैं? किस समुदाय पर हमला हुआ? क्या वजह है कि गोली चलने के बाद शादी के लोग बिखर गये और सारे शहर का समूह इकट्ठा होकर उन दुकानों पर गया जो मुसलमानों की दुकानें थी, अल्पसंख्यकों की दुकानें थीं? उनको एक-एक करके लूट लिया गया। उनके घरों-मोहल्लों पर हमला हुआ। जैसा आपने जिक्र किया, खिलजियों का मोहल्ला और विशेष तौर से तेलियों का मोहल्ला, जो मोहल्ले मुसलमानों के हैं, उन पर जिन्होंने अटैक किया उन लोगों की संख्या 500 थी। 500 लोग तैयारी करके आये। उनके हाथों में सारी चीजें थी, शस्त्र थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या उनसे शस्त्र लेने का काम, उनके पास जो हथियार थे उन हथियारों को रोकने का काम पुलिस ने किया? पुलिस आर.ए.सी. थी, पूरी की पूरी फोर्स थी, होमगार्ड थे। उन्होंने कोशिश की कि जो हथियारबन्द लोग उस मोहल्ले की तरफ बढ़ रहे है उनको रोका जाय? उन्होंने नहीं रोका। उनको उस मोहल्ले तक, दुकानों तक जाने दिया गया। और दुकानों में लूटपाट हुई। आपने यह कहा है कि 450 के लगभग लोग थे, जिसमें 51 आदमियों पर बना हैं–28 हिन्दू और 21 मुसलमान। इसमें एक चीज मुझे समझ में नहीं आई। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हरिराम सिपाही को पकड़ लिया गया। अगर यह सच्चाई है कि हरिराम सिपाही को पकड़ लिया गया, पकड़ कर बन्द रख लिया, उसके चोट पहुंचाई और इस वजह से गोली चलाई तो आपको स्टेटमैंट में वही बात कहनी चाहिये थी। आपने एक बयान कर दिया कि एक सिपाही को पकड़ लिया। किस भीड़ ने पकड़ा? आपको अपने स्पष्टीकरण में यह देना चाहिये कि कौन लोग थे जिन्होंने हरिराम सिपाही को पकड़ लिया। यह हो सकता है कि पकड़ लिया हो, यह भी हो सकता है कि सिपाही के साथ मारपीट की गई हो। मेरा इल्जाम है कि सिपाही के साथ मारपीट होने के कारण

(श्री हेतराम बेनीवाल)

आपके पुलिस के अधिकारियों ने विशेष तौर से ए.एस.आई. तेजाराम ने अपनी बन्दूक से गोली चलाई और उससे अलाउद्दीन मारा गया। आपने दर्ज किया 307. वह 307 किसके खिलाफ दर्ज किया ? किनका एफ. आई.आर. में नाम लिखा है ? माननीय गृह मंत्रीजी, आप हाउस में यह बताइये। आप 302 लिखते तो भी अलग बात थी, आप 304 लिखते तो भी अलग बात थी। आपने लिखा है 307। आप बताइये किसका इरादा था उसको मारने का ? कौन लोग थे जिन्होंने अटैम्प्ट टू मर्डर किया ? अलाउद्दीन से कोई पर्सनल दुश्मनी, अलाउद्दीन से कोई रिश्ता ? एक ही रिश्ता था कि अलाउद्दीन अल्पसंख्यक समुदाय का था और दूसरे लोग बहुसंख्यक समुदाय के। उन्होंने उसको मारने के लिए अटैम्प्ट टू मर्डर किया। जिन्होंने अटैम्प्ट टू मर्डर किया वे, मैं उनका नाम नहीं लेऊंगा, उस राजनैतिक पार्टी का नाम नहीं लेऊंगा पर हिन्दुओं के सरगना, हिन्दुओं के हित संरक्षक वे लोग होंगे जिनको इतना गुस्सा आया मुसलमानों पर वे अटैम्प्ट टू मर्डर तक चले गये ....(व्यवधान)।

आपको थोड़ा ही कह रहा हूं।

आपने उनका मुकदमा दर्ज किया। दो रास्ते हैं, या तो हिन्दुओं ने तीव्र गुस्सा आने पर, बहुत ज्यादा भावनाएं भड़क जाने पर उस मुसलमान को मारने के लिए 307 जैसा जुर्म किया और वह बाद में 302 में परिवर्तित हो गया, या यह कि जो आपने कहा कि हरिराम सिपाही को उठाकर ले गये, हरिराम सिपाही को उठाये जाने की वजह से उनको गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने बदला लेने के लिए गोली चलाई और एक नौजवान मारा गया। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी को हाउस में स्पष्ट करना चाहिए कि वह मर्डर किसने किया। अगर सरकारी अधिकारी ने किया तो इमीजिएटली हाउस में यह एलान करना चाहिए कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। अन्यथा दूसरे लोग हैं तो उनके खिलाफ चलेगा 302 का, यह चीज स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये, हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : अन्त में एक निवेदन करना चाहूंगा कि 8 तारीख की घटना होने के बाद 5 दिन का वक्त मिला। मेरा इल्जाम है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स हैं नागौर के उनके पास बहुसंख्यक समुदाय के लोग गये हैं, उनसे मिले हैं। उन्होंने यह एतराज किया कि इस तरह मस्जिद के अन्दर से पत्थर चलते हैं, मस्जिद वाले पत्थर मारते हैं हमारी बारातों पर। क्या वजह है कि प्रशासन ने उसकी कोई तैयारी नहीं की और 13 तारीख का दुखद वाकया होने दिया ? उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या करने जा रही है ? यह भी हाउस में आज तय होना चाहिए कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने दंगा नहीं रोका उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये।

(96)

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : मेरा भी निवेदन है कि 1990-91 में सारे देश में एक स्पेट आया कम्युनल डिस्टर्बेंसेज का। कुछ फैसले किये गये, कुछ स्टेट्स को गाइड लाइन दी गई कि अपने-अपने एरिया और डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंण्टिफाई करें कि कहां कम्युनल रायट्स हो सकते हैं या हुए। कौनसी फोर्सेज हैं, कौनसे व्यक्ति हैं? उनको आइडेंण्टिफाई करें और उनका इन्तजाम करें। साथ में, मान्यवर, यह भी तय किया था कि कम्पोजिट रैपिड फोर्स कायम की जाए ताकि कोई कम्युनल वायोलेंस न हो, उसमें किसी प्रकार का कम्युनल कलर न हो। ऐसी फोर्स सारी स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार करें ताकि जब भी ऐसी वारदात हो तो मौके पर पहुंच सके। पुलिस फोर्स का मैसिव स्केल पर पहले वहां इन्तजाम हो, सारे मीन्स हों उनके पास, सारे आर्म्स और एम्युनिशन हों उनके पास ताकि अनरूली माब को डिस्पर्स कर दें। लेकिन स्टेट गवर्नमैंट ने एक साल में उन गाइड लाइन्स पर कोई कार्यवाही नहीं की। यह बहुत बड़ा लैप्स है। आइन्दा भी ये वारदातें हो सकती है, इसलिए स्टेट गवर्नमैण्ट को इस बयान के साथ स्पष्ट यह कहना चाहिए कि हम स्टेट में एक कम्पोजिट रैपिड फोर्स कायम करेंगे, ट्रिब्यूनल कायम करेंगे और फैसले करेंगे कि जो लोग इस दंगे में मारे गये हैं उनको पूरा मुआवजा दिया जायेगा और कलेक्टिव फाइन किया जायेगा। यह फैसला करें कि जिनको गिरफ्तार कर लें उनकी बेल नहीं होने दें उनका कन्विक्शन हो, ताकि आइन्दा ऐसे इण्डिवीजुअल्स, ऐसी फोर्सेज, ऐसे ग्रुप्स इस स्टेट की धरती पर एमर्ज नहीं कर सकें। जो स्टेटमैण्ट 8 तारीख का है, ठीक है, कुछ आपने इन्तजाम किया। कुछ गिरफ्तारी भी की। मगर 13 तारीख को दो प्लेसेज पर वायोलेंस हुआ। एक पर तो आपने काबू पा लिया और एक पर काबू पा नहीं सके। इसका मतलब, जो एडीक्वेट फोर्स होनी चाहिये थी, मोहल्ले में मार्च करना चाहिए था, आपके वाच एण्ड वार्ड का इन्तजाम होता, आपके पास सी. आई. डी. की रिपोर्ट आती कि फलां मोहल्ले में मीटिंग हो रही है, नमाज पढ़कर आ रहे हैं। उनकी आपस में कोई मीटिंग हुई है, वे आकर पथराव करेंगे। पर आपकी कोई इन्फार्मेशन नहीं। सरकार को, अफसरों को कोई इन्फार्मेशन इस बात की नहीं। इसलिए अनअवेयर पकड़े गये आप। फोर्स आपकी कम थी। मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 144 आपने लगा दी, अनलाफुल असेम्बली डिक्लेयर कर दी, लाठी चार्ज भी किया हल्का-सा, इसके बाद जो स्टेज आती है, इम्पार्टेण्ट स्टेज, ब्रेक-अवे करने के लिए वह है अश्रु गैस। अश्रु गैस में क्या होता है कि कितनी भी अनरूली माब हो, कितने भी कन्सल्टेड एक्शन करके आये हों, कान्स्पिरेन्सी करके आये हों, एक बार तो डिस्पर्स कर जायेंगे और पुलिस को मौका मिल जाएगा वहां शांति कायम करने का। वह आपकी लैप्स रही।

इसके बाद फायरिंग होती है। फायरिंग दो राउण्ड की आपने एयर में। यह ज्यादा करनी चाहिए थी। आपको मालूम है कि 700-800 आदमी खड़े हैं, आपके पास पूरी फोर्स नहीं है। एक ही हथियार बचा है एयर फायरिंग का। आप राउण्ड करते जब तक कि डिस्पर्स नहीं हो जाते।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

उसके बाद आपने फायर किया। फायरिंग स्टेज में साइलेण्ट स्टेटमैण्ट है आपका कि किसकी गोली से मरा। आगे लगी गोली कि पीछे लगी। भागते हुए लगी या सामने से लगी। यह बहुत इम्पार्टेण्ट इश्यु है। जान-बूझकर उसको आइडेंण्टिफाई करके मारा है तो 302 का क्लीयर मुकदमा है।

मैं सोचता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बड़ा अहम सवाल है कि ऐसी घटना और न हो। इस मामले में लोगों की फीलिंग्स है, लोगों में टेन्शन हैं, कम्युनिटीज का आपस में शक है। इसका स्टेट गवर्नमेंट क्या इन्तजाम करने जा रही है, कौन सी एरियाज आपने आइडेंटीफाई की, कौन से रैपिड फोर्स आप कायम करने जा रहे हैं, कौन सी व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि आइन्दा इस तरह की वारदात न हो, इस स्टेटमेण्ट के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दें, वरना कोई फायदा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरधा राम चौधरी।

(1.00 मध्यान्ह)

श्री बिरधा राम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि नागौर जैसा इलका शांतिप्रिय होते हुए भी वहां पर यह दंगा हुआ और दंगे में जान भी गई।

गांधी चौक की जगह है वह नागौर के बीच में स्थित है, उसके पास ही मस्जिद और पुलिस चौकी भी है। 8 तारीख को पहले पहल बरात के समय यह वारदात हुई, काफी तनाव हो गया था, आपस में पथराव भी चला था और यह महसूस हो गया था कि दो सम्प्रदायों के बीच में दंगा हुआ हैं। वह शाम का समय था और बन्दोरी निकल रही थी। दंगे होने का कारण यह था कि वहां पर एक सम्प्रदाय विशेष का स्थान है, वहां पर दूसरे सम्प्रदाय के जो आदमी थे उनकी नाच कूद करने की बात हुई। यह बात 8 तारीख की है।

प्रशासन को मालूम हो गया था 8 तारीख को कि इस शहर के अन्दर दंगा बढ़ सकता है और उसको रोकने के लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिये। इसी दौरान इन्होंने शांति समिति की मीटिंग करना बताई। नागौर जिले का मुख्यालय है, वहां पर एस.पी. बैठता है, एडीशनल एस.पी. बैठता है, वहां पर पुलिस लाइन भी है। इसके बावजूद भी इनका यह कहना है कि 8 तारीख के बाद में, 13 तारीख के बाद में इन्होंने क्या किया ? कोई भी शांति समिति की मीटिंग हुई है ? आपने स्टेटमेंट दिया, उसमें यह बताया कि वहां पर एस. डी.ओ. था, तहसीलदार था, थानेदार था, लेकिन किसी भी उच्च अधिकारी का नाम उसमें नहीं बताया कि वह भी उस समय था अथवा नहीं था। क्यों नहीं था ? जब यह प्रशासनिक अधिकारी वहां पर हैं, तो फिर उस समय केवल एस.डी.ओ. लेवल के नीचे के अधिकारी ही वहां पर क्यों थे ?

दूसरी बात यह है कि 13 तारीख को शुक्रवार था और विशेष तौर शाम को मुस्लिम समाज की नमाज होती हैं, लोग काफी इकट्ठे होते हैं जिस समय नमाज होती है। ज्यादातर लोग, विशेष मस्जिद

(श्री बिरधाराम चौधरी)

होती है वहां पर इकट्ठे होते हैं। और उसी दिन यह बारात का मामला पैदा हुआ।

जब प्रशासन को पता लग गया था, पुलिस को पता लग गया था कि जो पहले दंगा हुआ है, जो पहले झगड़ा हुआ है, वह एक समाज की बरात थी उसके कारण हुआ। और आज वापस उसी समाज की बरात है और उसमें पूरे शहर की जो बैंड्स वगैरह हैं, उनको तय कर लिया गया है। तो क्या यह पुलिस को आभास नहीं हुआ ? क्या प्रशासन को आभास नहीं हुआ कि फिर से दंगे पैदा हो सकते हैं ? इसका आभास हुआ। उसके बाद अभी जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि वहां पर पुलिस के काबू में नहीं आये। मेरा सब से अहम सवाल है कि जो बरात चल रही थी और जिसके आगे पीछे पुलिस के जवान चल रहे थे, वह कितने जवान थे ?

श्री उपाध्यक्ष : एक निवेदन है कि थोडा रिपीटेशन कम हो। जो तथ्य आ चुके हैं....

(1.05 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री बिरधाराम चौधरी : मैं रिपीटेशन नहीं कर रहा हूं।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि बरात में कितने आदमी चल रहे थे, कितने बैंड़ वहां पर थे। मैं आपको बता दूं, अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर पुलिस की माकूल व्यवस्था नहीं थी, पुलिस कर्मी बहुत ही कम थे और बराती और दोनों के सम्प्रदायों के लोग वहां पर ज्यादा इकट्ठे हो गये थे और पुलिस के काबू की बात नहीं थी। तो काबू की बात नहीं थी, तो वहां पर ही पुलिस लाइन है, वहां से और पुलिस क्यों नहीं बुलाई ? और जब दंगा भड़कने लगा और पत्थर चालू हुए तो क्या पुलिस उसके बाद बुलाई गई ? बुलाई गई तो कब पहुंची ?

आपने बताया कि 21 साल का एक लड़का गोली से मर गया। और पहले दो राउन्ड गोली चली और उसके बाद एक राउन्ड गोली चली। एक राउन्ड गोली चली, उसके लिये बताया है कि हरि राम जो 267 नम्बर सिपाही है, उसको पकड़ने के बाद में यह गोली चली। लेकिन इन्होंने कहीं पर भी नहीं बताया कि जो आदमी पड़ा मिला था वह किसकी गोली से मरा ? इन्होंने बताया कि दोनों समुदायों के आदमी थे उनके किसी के पास राइफल या ऐसा हथियार नहीं बताया कोई हो लेकिन इन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया, जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया उसमें नहीं बताया। 13 तारीख की बात है और आज 16 तारीख हो गई। सरकार वहां पर पहुंची नहीं। वहां पर कर्फ्यू लग गया लेकिन किसी प्रकार की हास्पिटल की व्यवस्था, दूसरी व्यवस्थाओं की बात नहीं है आज तक वहां पर सरकार पहुंची नहीं है। जो मृतक है उसके लिए प्रशासन ने क्या किया यह मैं पूछना चाहता हूं।

(श्री बिरधाराम चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि नागौर में, विशेष तौर से होली का टाइम है और दूसरे ऐसे आस-पास के संवेदनशील एरियाज हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे सचेतक महोदय जो बात कह रहे थे उसी दौरान गृह मन्त्री महोदय ने खड़े होकर कहा कि यह तो ऐसे ही होगा, तो हम क्या आशा करें ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री बिरधाराम चौधरी : लेकिन मेरा निवेदन है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। विशेष तौर से होली का त्यौहार है इसलिए जोर देने की बात है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल हिन्दू-मुसलमानों के दंगों का नहीं है यह सवाल है लोगों की नीयत और मानसिकता का है। मैं जिक्र करना चाहूंगा 8 तारीख को जब एक बरात निकल रही थी और मस्जिद के आगे पहुंची तो शाहजानी मस्जिद के आगे, रमजान का महिना है, रोजे चल रहे हैं, लोग मस्जिद में रात को तराबी पढ़ते हैं यानी कुरान का पाठ होता है। बैंड की आवाज से डिस्टरबैंस हो रहा था, कुछ लोग मस्जिद के बाहर आये और आकर उन्होंने बरातियों से निवेदन किया कि आप कृपा कर इस बैंड को बजाये बिना यहां से आगे निकल जायं ताकि हमारी इबादत में दखलंदाजी नहीं हो। मैं बधाई देना चाहूंगा बरात के उन बुजुर्ग लोगों को कि उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। हालांकि कुछ नवयुवक विरोध कर रहे थे कि इनके कहने से क्या होता है, हमारे खुशी का मौका है, हम तो नाचते-गाते, धूम-धड़ाके साथ जायेंगे। लेकिन बुजुर्ग बरातियों ने उनको समझा-बुझाकर बैंड बन्द करवाया और बारात को वहां से निकाल ले गए, मामला शान्त हो गया। 13 तारीख को उन नवयुवकों ने जिनकी मानसिकता शान्ति से रहने की नहीं है बल्कि किसी तरह का उपद्रव और इस तरह के हालात बनाने की थी। उन्हीं फितरती लोगों ने नागौर में कुछ बैंड जो उपलब्ध हो सकते थे उन बैंडस को अंगेज किया ज्यादा से ज्यादा और यह तय किया कि आज वहीं 7 बजे से 9 बजे के पीरियड में हम बरात निकालेंगे पूरे गाजे-बाजे के साथ और जितनी भी मस्जिदें पड़ती हैं रास्ते में उन मस्जिदों के आगे रुक कर गाना गायेंगे, बैंड की आवाज तेज करके और डिस्टरबैंस करने का काम करेंगे। देखते हैं कि हमको कौन रोकता है। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह पैदा होता है कि 8 तारीख को घटना हो गई, लोगों ने संजीदगी से समझा-बुझाकर उसको रोक लिया और वह मामला टल गया था। लेकिन यह स्थिति तो थी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र गहलोत : बरात के टाइम की घटना है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

अपनी बात कह देना, आपको अपनी बात कहने का मौका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उनको बोलने दीजिए। कृपया शान्ति से सुनिए। आप में से कोई पूछना चाहेगा तो मैं आपको अलाऊं कर दूंगा। आपकी ओर से जवाब देने के लिए गृह मंत्रीजी हैं। आप बीच में मत बोलिए। उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने पहले ही कह दिया है आप बोल लेना। इस तरह की बात मैं भी आपको आपत्ति हो रही है। आप कह देना सही बात। आप जाकर आये हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जब वहां पर धारा 144 आपने लगा दी और धारा 144 लगाने के बाद 13 तारीख को उन बैंड्स के साथ बरात निकली, उसमें पुलिस के कर्मचारी और पुलिस के लोग भी मौजूद थे वह क्या दोषी नहीं है कि एक तरफ आप धारा 144 लगा रहे हैं और दूसरी तरफ फिर आप अन-ला-फुल असेम्बली (व्यवधान) इस तरह की घोषणा करने के बाद इस तरह के कार्यक्रम क्यों आयोजित किए गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खीचियों की पोल और कसाइयों का मोहल्ला, गृह मंत्रीजी उस स्थान से काफी दूरी पर है। वहां पर किसी तरह की घटना भी नहीं हुई थी उसके बावजूद भी पुलिस का वहां जाना और लोगों को घरों से निकालना, उनके साथ मार-पीट करना और इतना ही नहीं गांधी चौक में एक इस्लामुद्दीन का वीडियो सेन्टर है। उस वीडियो सेन्टर में आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी, यह जानना चाहता हूं कि उस वीडियो सेन्टर में 28 लोग बैठे हुए थे। पुलिस का एक अधिकारी वहां पर गया और जाकर उसने यह कहा कि मोब (भीड़) आरही है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग अन्दर ही रहना, मैं बन्द कर देता हूं, उसके बाद आपको खोल दूंगा। इस तरह से उनको बन्द कर देना और कब खोला गया? उसमें जो लोग बैठे हुए थे पहले से, जो अनभिज्ञ थे, जिनको घटना की कोई जानकारी नहीं थी, उन सब को गिरफ्तार कर थाने पर ले जाया गया और 151 में बन्द कर दिया गया। हालांकि आपने उनको छोड़ दिया इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके नोटिस में यह चीज आई कि बेकसूर लोगों को पकड़ लिया गया। लेकिन' उनको पकड़ा क्यों? एक मैं यह जनना चाहूंगा कि वहां के एडीशनल एस. पी. श्री निसार अहमद और एस. आई श्री तेजाराम उक्त घटना के समय कहां थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह भी जानना चाहूंगा कि आपने श्री मुमताज के बेटे उलाउद्दीन की हत्या पर उसका जो 307 का मुकदमा दर्ज किया है। क्या आपने इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया था? क्या मेडिकल बोर्ड ने अपनी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे दी? क्या उस रिपोर्ट के अन्दर इसकी बुलेट इंजुरी से मौत होना बताया है? क्या यह सही है कि उसके बांये कन्धे

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

के नीचे से गोली घुसी और उसके फेफड़े को चीरती हुई आगे सीने में से निकली, जिसके कारण से, उसकी मृत्यु हुई है। यह जो अपने तीन आदमियों का मेडिकल बोर्ड बनाया था क्या उसने यह रिपोर्ट नहीं दी ? इसके बावजूद भी क्या यह औचित्य है कि आपने जो मुकदमा दर्ज किया है वह 307 में किया है, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी 302 में उसे परिवर्तित नहीं किया जाय ?

यह सही है कि आपने कल कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में कुछ राहत सामग्री का वितरण करवाया है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अपर्याप्त है। आज रोजों का महीना चल रहा है, मुसलमान रमजान रखते हैं, हल्का सात्विक भोजन करते हैं, उन्हें दूध की जरूरत पड़ती है, डबल रोटी की जरूरत पड़ती है, रोजा खोलने के लिए फ्रूट्स की जरूरत पड़ती है। उसकी भी आपने क्या वहां पर व्यवस्था करवायी ? आवश्यक वस्तुओं के वितरण की क्या व्यवस्था है ?

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि 2 दिन तक पहले वहां पर पानी भी नहीं मिल पाया, वाटर वर्क्स के कर्मचारी शायद कर्फ्यू के कारण नहीं पहुंच पाये। हालांकि यह अनिवार्य सेवाएं हैं उनको पहुंचाने का प्रशासन को प्रबन्ध करना चाहिए था ताकि लोगों को पानी तो सही तरीके से मिल पाता। धोबियों की मस्जिद और चूड़ी घरों की मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि वह उस स्थान से काफी दूर है। हाजी रहमान के झोड़वाना रोड़ स्थित मकान को भी नुकसान पहुंचाया गया और मिशासर के अन्दर हाजी साईद के फार्म हाऊस को भी आग लगा दी, उम्र के किराना स्टोर में आग लगी उसमें अनुमानतः 70-80 हजार का नुकसान हुआ है, दाऊद की साईकिल की दुकान जली, उसकी रोजी-रोटी का साधन भी छिन गया। अपने अपने स्टेटमेंट में जिन-जिन लोगों के माल का नुकसान हुआ है उनको आपकी तरफ से क्या राहत दी गई है या क्या राहत देने का बन्दोबस्त कर रहे हैं ? इस सम्बन्ध में भी आपने कुछ नहीं कहा है। मैं यह जानना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : हो गया। श्री हरीश कुमावत।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इन सवालों का भी कृपा कर बताने का कष्ट करें।

श्री हरीश कुमावत (नावां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटना के बाद मैं नागौर गया था। अभी माननीय सदस्यों ने जो बात कही है वह बिलकुल मनगढ़न्त बात कही है जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि 8 तारीख को बरात पर जरूर पथराव हुआ था। पथराव होने के बाद में प्रशासन ने शान्ति समिति की मीटिंग की थी। शान्ति समिति की मीटिंग में सभी समुदायों के लोग आये थे और उन्होंने यह महसूस किया था कि यह घटना 8 तारीख को घटी है वह हमारे नमाज अदा करने वाले भाइयों ने नहीं की है बल्कि कुछ शरारती तत्व जो बाहर थे उन्होंने की है। वह रास्ता है वह

(श्री हरीश कुमावत)

परम्परागत रास्ता है और वहां बरात आती जाती है उसमें हमें एतराज नहीं है कि बाजा बजाए या कुछ भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वहां पर ज्यादा ठहराव नहीं किया जाय। इस बात पर आम सहमति हुई कि बरात जायेगी वह परम्परागत रास्ते जाती है हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बावजूद भी प्रशासन ने धारा 144 लगा दी और धारा 144 लगा देने के बाद में वहां पर इस बरात के लिए परमिशन मांगी, प्रशासन ने परमिशन दी और ऐतिहायत के तौर पर पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए। बरात आगे निकल चुकी थी, नमाज का वक्त नहीं था, नमाज पढ़ी जा चुकी थी, लोग बाहर बैठे हुए थे। बरात के आगे जाने के बाद वहां पर उस बरात पर पथराव हुआ और पुलिस कर्मचारियों पर पथराव हुआ। जिसमें 60–70 लोग घायल हुए जिनमें 30 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए। वहां पर जो एस. पी. थे उनको भी चोट आई है, डीवाई. एस. पी. थे उनके भी चोट आई है। उसके बाद वहां पर एक पुलिस कर्मचारी पर घासलेट की बोतल डाल दी गई और जो पुराने कपड़े थे उन्हें जला कर फैंका गया। उसके बाद में उन्होंने गोली चलाई। उसके कारण जो डैथ हुई वह उसकी वजह से हुई।

उसके बाद में कल मैं शान्ति समिति की मीटिंग में उपस्थित था वहां पर सभी समुदाय के लोग उपस्थित थे वहां पर जो माइनोरिटीज के लोग थे उन्होंने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया कि बात आगे बढ़ जाती उस पर आपने कन्ट्रोल करके अच्छा काम किया है। वहां पर सरकार थी। माननीय श्री उम्मेदसिंहजी, मंत्री उपस्थित थे, नागौर के माननीय सदस्य श्री गुलाम मुस्तफा खान जी थे, मुंडवा के माननीय सदस्य भी मौजूद थे और कई गणमान्य लोग थे। उन सब ने यह कहा कि यह कोई समुदाय की बात नहीं है बल्कि कुछ शरारती तत्व इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। उसे समुदाय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि हिन्दू ने की है या मुसलमान ने की है बल्कि जो बदमाश है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। माननीय सदस्य ने जो कुछ बताया है वह वहां पर नहीं जाकर आये हैं केवल मनगढ़न्त बात की है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणजी।

श्री रामकरण चौधरी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर की घटना के बारे में गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है उस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं कल नागौर गया था, वहां पर करीब 3–4 घण्टे तक रुका और नागौर के कई समुदायों के लोगों से बातचीत की थी। माननीय गृह मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दिया है वह वास्तव में तथ्यों के विपरीत है। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि नागौर सिटी में माली समाज और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में पिछले कई वर्षों में कई बार दंगे हो चुके हैं। यह वहां की पुलिस को प्रशासन को अच्छी तरह से मालूम है। इसके अलावा नागौर जिले में लाडनूं, मकराना, मेड़ता, खास नागौर, गाजियां

(श्री रामकरण चौधरी)

की रोड़ रियावड़ी इसमें कई बार साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, कई जानें भी गई, भारी तादाद में माल का नुकसान हुआ। इस सारे प्रकरण का सार यह निकलता है कि नागौर में एस. पी. बैठता है, कलक्टर बैठता है, प्रशासन के हैड बैठते हैं वहां की पुलिस कितनी विजिलेंट है, कितनी एफिशिएन्ट है इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है 8 तारीख को जब इस प्रकार की घटना हो गई, मैं उन तथ्यों को वापस रिपीट नहीं करना चाहता। वहां के पुलिस और प्रशासन को अच्छी तरह से यह मालूम था और जिस गांधी मैदान के ऊपर करीब चार पांच हजार आदमी जो बरात के रूप में आए थे वह शस्त्रों से लैस थे और वहां का पुलिस प्रशासन, वहां का प्रशासन बिल्कुल मूक के रूप में क्यों तो उस जुलूस को आगे बढ़ने दिया ? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब इन्होंने 12 तारीख को पूरे नागौर सिटी में 144 की धारा लागू कर दी तो फिर इन बरातियों को और पुलिस को यह मालूम था कि इस प्रकार से यह एक वर्ग विशेष बाकायदा आपने विद् आब्जेक्ट्स इस प्रकार का यह सारा माहौल कर रहा है और चार पांच हजार आदमी हो गए तो वहां का एस. पी. क्या तनख्वाह लेने के लिए या निर्दोष आदमियों को फंसाने के लिए बैठा रखे हैं, आपने, क्या यह पुलिस के सीनियर अफसर इसलिए बैठा रखे हैं, इतना भी उन्होंने अपना विवेक काम में नहीं लिया, 12 तारीख को जिला प्रशासन ने बरातियों को इन सारी परिस्थितियों के बावजूद उस रास्ते से निकलने की परमिशन क्यों दी ? आज यह कह रहे हैं इतनी एफिशिएन्सी वहां का प्रशासन लगा रहा है, कर्फ्यू लगाने को, चार दिन से नागौर की जनता पानी के बिना जैसा कि माननीय झुन्झुनूं से आने वाले सदस्य ने बताया है जनता बुरी तरह से परेशान है। मैं कल गया था, मुझे भी एक घण्टे के बाद में बड़ी मुश्किल से अन्दर जाने की परमिशन मिली, किसी भी आदमी को अन्दर नहीं जाने देते हैं, दूध के बिना यह हालत हो रही है जैसा कि माननीय सदस्य झुंझुनूं से कही थी रोजे का समय है हर आदमी को दूध की तो कम से कम जरूरत पड़ती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने किसी पुलिस के एक छोटे अधिकारी का नाम ले लिया। इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार हैं पुलिस के एस. पी. और वहां के कलक्टर जो वहां जिला हैड क्वार्टर पर बैठते हैं। एक सिपाही का नाम ले लेते हैं किसी ए. एस. आई. का नाम ले लेते हैं। वहां एडिशनल एस. पी. बैठता है, सी. ओ. बैठता है, थानेदार बैठता है, सब बैठते हैं और इतनी घटना के बावजूद इतनी बड़ी वारदात हो गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले में आज स्थिति विस्फोटक हालत में है और यह कर्फ्यू के नाम पर चाहे चार दिन जनता को और परेशान कर दे। तो मेरा निवेदन यह है कि इस मामले में किसी न्यायिक बड़े अधिकारी से कम से कम सैशन जैसे छोटे व्यक्ति से नहीं, इस मामले की न्यायिक

(104)

(श्री रामकरण चौधरी)

जांच करवाई जाए और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए उस व्यक्ति की हत्या का और सारे अधिकारियों को वहां से तत्काल हटाया जाए इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा है।

श्री अध्यक्ष : कोई नया है या... ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां नया है, बिल्कुल अलग है।

श्री अध्यक्ष : आपका तो है नहीं जिनका है उनका पहले पूरा हो जाने दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो बहुत ही पर्टिनेंट, वैसे तो बोलने को सब कुछ कह दिया गया है, लेकिन मैं दो बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगी। एक तो आप यह बताने का कष्ट करें आपने अपने इस स्टेटमेंट में कहीं इसका जिक्र नहीं किया, सदन को आप बताए कि उसकी मृत्यु गोली से हुई या किसी अन्य वजह से ? पहला तो आप यह बताएं कि पुलिस की गोली से उसकी मृत्यु हुई ?

दूसरा आप यह बताएं कि जब 12 तारीख से ही धारा 144 लागू थी तो फिर आपने 13 तारीख को बरात को इस तरीके से इजाजत देकर के बैण्ड बाजों के साथ निकलने की, जबकि आप जानते थे कि रमजान का महीना है और शुक्रवार का रोज है फिर उसी दिन यह इस तरह से पुलिस साथ लेकर के इतने अधिक बैण्ड बाजों के साथ पुलिस की मिली भगत के बिना तो यह सब हो नहीं सकता तो यह इजाजत क्यों दी ? दूसरा मुझे इस प्रश्न का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न तो आ चुका है पहले।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही यह भी आप खास तौर से इस बात का जवाब दें, मैं यह भी जानना चाहूंगी....

श्री अध्यक्ष : कृपया रिपिटेशन नहीं करें। दूसरा आपका रिपिटेशन है यह आ चुका है पहले।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं रिपिटेशन नहीं है। क्या यह बात सही है कि बिना वारनिंग के पुलिस ने गोली चलाई ? बिना वारनिंग दिए ?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार कम्युनल राइट को....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : There is no limit to it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : राज्य सरकार यह बताने का कष्ट करे कि कम्युनल राइट्स को सिम्पल राइट्स के अनुसार डील करती है या कम्युनल राइट्स को अलग डील करती है ? कम्युनल राइट्स को डील करने के लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया से आपके पास क्या डाइरेक्शन हैं ? कम्युनल

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

राइट्स को डील विद करने के लिए जो सैण्ट्रल गवर्नमेंट के डाइरेक्शन हैं उनकी कम्पलायन्स स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं की। स्टेट गवर्नमेंट कम्युनल राइट्स को मानिटर करने के लिए स्टेट कैपिटल से पुलिस हैड क्वार्टर से क्या करती है, इस बात की जानकारी दें। 8 तारीख को जो वारदात हुई है उसके बाद आपकी स्टेट इन्टेलीजेन्स क्या कर रही थी और हर एस. पी. के साथ एक इन्टेलीजेन्स का अलग इन्स्पेक्टर होता है। अध्यक्ष महोदय, उस इन्टेलीजेन्स ने आपको क्या रिपोर्ट दी ? अगर यह सही है कि तमाम बैण्ड बुक कर लिए तो इसका मतलब यह बिल्कुल वैल प्लाण्ड और कैलकुलेटेड तरीके से राइट किया गया था। तो क्या जिला प्रशासन को इसकी सूचना थी अथवा नहीं थी ? अगर सूचना थी तो उसने पी. एस. पी. को, स्टेट कैपिटल मिनिस्टर को या डी. आई. जी. को इत्तला दी या नहीं दी और पुलिस अधिकारियों ने क्या किया ?

तो क्या यह सही है कि आपकी तरफ से कोई इन्तजाम नहीं किया गया और 8 तारीख की वारदात प्लेयर अप होकर के वापस 13 तारीख की वारदात होने का अवसर आपने प्रदान किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्री जी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, मेरे पास चालिस आदमियों की लिस्ट तो आई है आपके बोलने की और तीन है काल अटेन्शन दो एडजोर्नमेण्ट मोशन है...

श्री ईश्वरलाल सैनी : आधा मिनट।

श्री अध्यक्ष : आखिर आप कुछ तो टाइम का ख्याल रखिए। बैठिए आप, माननीय सैनी जी प्लीज सिट डाउन।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दंगे के रोज दोनों समुदाय के लोगों ने हथियार यूज किए, क्या इन हथियारों की तलाश की है ? तलाश की है तो क्या-क्या हथियार बरामद हुए इतना सा प्रश्न है ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस घटना के ऊपर कुछ प्रश्न पूछे हैं। मैं इसके पहले कि एक-एक विधायक महोदय ने जो जानकारी दी है इसका जवाब दूं मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय कि राज्य सरकार का पूरा प्रयत्न इस एक वर्ष में रहा है कि हम साम्प्रदायिक तनाव बिल्कुल नहीं होने दें और किसी भी कीमत के ऊपर अगर हमको फोर्स भी यूज करनी पड़े, जैसा आपको मालूम है माननीय सदस्य गत वर्ष भीलवाड़ा के अन्दर भी स्थिति हुई थी तो हमने इसमें कोई नहीं देखा, किसी पक्ष को नहीं देखा, इस बात को नहीं देखा कि यह किस दल का है या क्या है और हमने सिर्फ इस वजह से पुलिस को निर्देश दिए कि साम्प्रदायिक झगड़ा राज्य में नहीं हो इसके लिए हम वचनबद्ध है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज भी हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इतना यहां कहने के बाद तब ही तो आपने एस.पी. भीलवाड़ा

(106)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को बदल दिया था (व्यवधान) वहां से आपने प्रेशर में आकर एम. पी. भीलवाड़ा को बदल दिया सदन में कहने के बाद कि नहीं बदलेंगे, उसके बाद आपने एस. पी. को बदल दिया।

श्री हेतराम बेनीवाल : अब आपका वचन भंग हो गया।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिए। पुरस्कृत भी किया था उसको, दोनों बात की थी, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था।

श्री दिग्विजय सिंह : राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य की चिन्ता से मैं सहमत हूं और मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं कि जिस प्रकार से नागौर के अन्दर घटना हुई, जो प्रश्न उठाए गए उन सम्बन्ध में मूल प्रश्न आपने यह बात कही, सबने करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने जब 8. 3. 1992 को यह घटना हो गई थी तो उसके बाद में प्रशासन ने क्या कदम उठाए, मैंने आपको अपने वक्तव्य में भी निवेदन किया और मै पुनः दोहराना चाहता हूं कि 8. 3. 1992 की घटना के बाद कुछ कार्यवाही की और उस कार्यवाही के तहत मैंने आपको बताया कि केस भी दर्ज हुए और उसके बाद पीस कमेटी की मीटिंग हुई और दोनों समुदायों के लोग बैठकर के दोनों समुदायों के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि परम्परागत तरीके से नागौर में जिस प्रकार का वातावरण है वह बना रहना चाहिए और यह बैण्ड बाजे वाली बात है इसको आप रखें हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मस्जिद के सामने से नाचते कूदते हुए जाना बन्द करें तो वह ज्यादा ठीक रहेगा जिसको दोनों समुदायों ने स्वीकार किया।

इसलिए उसके बाद में अध्यक्ष महोदय, जब यह दोनों समुदायों के बीच में बात हो गई कि अब हमको शान्ति व्यवस्था कायम करनी है और जो घटना घट गई 8 तारीख को उस को हम दोनों भूलते हैं और भविष्य के अन्दर दोनों समुदाय एक होकर सद्भावना से हम कार्य करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि 13 तारीख को यह घटना हुई और 8 तारीख को घटना हुई इसके बीच में 144 लगा दी गई यह मैंने उल्लेख भी किया है और जैसा आपने जिक्र किया कि नागौर के सारे बैण्ड इक्ट्ठे कर लिए गये थे यह जानकारी तो मेरे पास नहीं है परन्तु बरात के अन्दर 400, 500 आदमी थे और अगर सारे नागौर डिस्ट्रिक्ट के बैण्ड इक्ट्ठे हो जाते तो मै समझता हूं कि 400, 500 से ज्यादा तो वो ही आदमी हो जाते हैं (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : सारे शहर के, जिले के नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं ....(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र (नावां) :...दो बरात थीं, दो बारात के बैण्ड थे, कोई पूरे शहर के बैण्ड नहीं थे।...

एक माननीय सदस्य : दो बैण्ड से ज्यादा बैण्ड थे।...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मेहरबानी करके उत्तर सुनिये, आपने अपनी बात कह दी ।...

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : कोई राजा महाराजा की बरात तो थी नहीं....दो बैण्ड थे....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : दो बैण्ड कौन-कौन से थे ?...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज । अब आप मेहरबानी करके उत्तर सुनिये, दो घंटे हो चुके हैं। मैं आपको पहले भी निवेदन कर चुका हूं, रात भर आपको बैठना पड़ेगा, आपको कह देता हूं, पूरी रात बैठना पड़ेगा, तैयारी कर लीजिये आप....

एक माननीय सदस्य : बैठ जायेंगे....

श्री अध्यक्ष : यह मन में कहने की बात नहीं है, बोल कर आप चले जाते हैं बाकी जो बैठते हैं उनको परेशानी होती है । मैं रोज देखता हूं आखिर में जो बैठे हैं फिर वह कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो । आप पहले से ही सोचिये इस बात को । जितना समय उचित है दिया जा रहा है, आप जवाब शांति से सुन लीजिये ।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था जो बरात निकाली गई, उसके साथ में जो बराती थे और दूसरे लोग भी उसके साथ थे, उसकी परमिशन उन्होंने मजिस्ट्रेट से ले ली थी । परमिशन लेने के बाद ही यह बरात का जुलूस निकला था । इसलिए धारा 144 का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वीकृति ले ली थी और उसकी मन्जूरी दे दी गई थी ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : छाते ले जाने की भी परमिशन ले ली थी क्या ? आपके उस जुलूस में लोग छाते लेकर निकले हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान...प्लीज, मैं कह चुका हूं...

श्री जुबेर खान : यह सरासर असत्य बोल रहे हैं जुलूस में जाते थे...।

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठ जाइये । जुबेर खान जी, आप बैठ जाइये, आप खड़े हुए हैं । (व्यवधान) । मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं । मैं सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा करने का आपत्तिजनक एलीगेशन आपके खिलाफ लगाऊंगा, आप बैठ जाइये (व्यवधान) आप बैठ जाइये, सदन की कार्यवाही में आप अवरोध पैदा मत करिये, कृपया शांति से बैठिये । गर्म होने की आवश्यकता नहीं है । शांति से वक्तव्य चल रहा है ।

श्री जुबेर खान : आप कभी नहीं सुनते ।

श्री अध्यक्ष : मैं तो शांति से बोल रहा हूं आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप वहां मौजूद थे You are speaking as if you were present there.

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी बात कही गई कि पुलिस ने वहां गोली चलाई उसके पहले कोई वार्निंग नहीं दी गई या उनको कोई कहा नहीं

(श्री दिग्विजय सिंह)

गया। मैं अपने वक्तव्य में स्पष्ट कह चुका हूं कि भीड़ को तितर-बितर होने के लिए वार्निंग दी गई, पहले लाठी चार्ज भी हुआ और उसके बाद जब भीड़ नियंत्रित नहीं हुई और पुलिस के ऊपर जब ज्यादा अटैक और पथराव हुआ तो उस एक कांस्टेबल ने, उसको आदेश मिले उसके बाद में उसने गोली चलाई।

श्री चन्दनमल बैद: अश्रु गैस छोड़ी या नहीं छोड़ी यह बता दीजिए ?

श्री दिग्विजय सिंह: मैंने कहा कि अश्रु गैस नहीं छोड़ी। मैंने पहले कहा है। अश्रु गैस थी साथ में, वह छोड़ी नहीं है यह मैंने कहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ हेतराम जी ने कहा कि ए एस. आई. ने गोली चलाई उसका नाम भी आपने उल्लेख किया। मेरी जानकारी में नहीं है और जो मेरे पास सूचना है उसके आधार पर उसी कांस्टेबल ने गोली चलाई थी जिसको भीड़ ने पकड़ा था और भीड़ ने मारा, उसके बाद गोली चली। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जहां तक एक बात प्रोफेसर केदार साहब ने कही वह मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि अभी हमारे आने वाले फेस्टीवल्स है उसके लिए भी हमें व्यवस्था करनी चाहिये। निश्चित रूप से आने वाले फेस्टीवल्स हैं जैसे होली का फेस्टीवल आ रहा है, रमजान का महीना भी चल रहा, ईद भी आ रही है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई पुख्ता इन्तजाम हम करेंगे ताकि इस प्रकार की घटना दुबारा न हो। जहां तक नागौर की घटना का सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोई पुलिस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा और आपको इस बात के लिए तारीफ या बधाई देनी चाहिए कि हमने नागौर में कम्युनल राइट होने से बचाया है।

डा. चन्द्रभान: लोगों को मारो और बधाई लो।

श्री दिग्विजय सिंह: यह गलती हो सकती है किसी को गोली लग जाये, मैं उसको डिनाई नहीं करता आप और हम भी कहीं जाते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है जितना है उतना बोलिए न एक्सालरेट करिये न कम बोलिए, जितना है उतना बोलिए।

श्री दिग्विजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कल ही 15 तारीख को इसके बाद पीस कमेटी की एक मीटिंग हुई। उस पीस कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस के विधायक हबीबुर्रहमान खां भी मौजूद थे। उन्होंने भी वहां पर प्रशासन की इस बात की तारीफ की और कहा कि समय रहते चेते और चेतकर एक बड़ा हादसा होने से बचाया। जो मरा है उसके लिए सरकार निश्चित रूप से, हमको भी उसके लिए दुःख है और उसके परिवार के लिए भी पूरी-पूरी हम संवेदना रखते हैं और नियमानुसार उसको जो मुआवजा हम दे सकते हैं निश्चित रूप से राज्य सरकार उसको देगी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कर्फ्यू का प्रश्न है कर्फ्यू के समय सामान्यतः जो सामग्री उपलब्ध हो

(श्री दिग्विजय सिंह)

जानी चाहिये हम पूरे प्रयत्न कर रहे हैं और आज सवेरे मैंने जिलाधीश से बात की है उन्होंने कहा कर्फ्यू के दौरान जरूरी चीजों को मुहैय्या करवा रहे हैं और हम इतना भी विचार कर रहे हैं कि कर्फ्यू के अन्दर ढील दें और इसके अन्दर नागौर से जो माननीय सदस्य हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वह भी वहां मौके पर पधारें और शांति को पूर्ण कायम करवायें ताकि आने वाला समय है, रमजान खत्म हो रहे हैं, ईद भी आ रही है और होली भी आ रही है उससे पहले-पहले कर्फ्यू में ढील क्या, हम समाप्त भी करलें तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक नुकसान का प्रश्न है मैंने स्वयं ने कहा कि नुकसान करीब 1,32,700 रुपये का हुआ है। हमने तुरन्त जिलाधीश को आदेश दे दिये कि आप इमीडियेटली जो नुकसान हुआ है और उनके अधिकार क्षेत्र में है 50 पर्सेन्ट का चुकारा कर दें। आज 50 पर्सेन्ट का चुकारा उन नुकसान हुए सदस्यों को कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जो लोग पकड़े गये थे, आपने बतला ही दिया, आज की तारीख में कोई भी पुलिस के अन्दर अरेस्टेड नहीं है जो 151 या उसके अन्दर हो, हमने सबको छुड़वा दिया है और आज पुलिस कस्टडी में नहीं है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : 307 में है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, हेतराम जी ने एक बात नई कही, मेरी समझ में नहीं आया कि किस आधार पर यह बात उन्होंने मेरे ऊपर कही कि आप इस सरकार के साथ में बैठे हैं, जिस पार्टी के साथ में बैठे हैं जिन्होंने यह दंगे कराये। हम कोई दंगे कराने के लिए यहां थोड़े बैठे हुए हैं। (व्यवधान) मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि न तो यह भारतीय जनता पार्टी, या प्रदेश में कोई भी सरकार हो साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के अन्दर सब सरकारें चाहती हैं और कटिबद्ध हैं। इसलिए किसी के लिए यह बात कहना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और खास तौर से आज के वातावरण में जबकि नागौर में शांति स्थापित हो गई है, दोनों समुदायों के अन्दर सौहार्दपूर्ण वातावरण बन रहा है। हम अनावश्यक रूप से यहां तूल न दें ताकि इसका असर वहां दूसरा पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक तथ्य आप सामने लायेंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार अपने स्तर पर जो भी कार्यवाही करनी होगी चाहे प्रशासनिक अधिकारी को हो चाहे दूसरी हो हम निश्चित रूप से करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदर्न कौर (व्यवधान) बहस समाप्त।

डा. चन्द्रभान : न्यायिक जांच का क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय। आप इसकी जांच करवायेंगे या नहीं करवायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, 302 का मुकदमा बना है, इसकी न्यायिक जांच तो होनी चाहिये गृह मंत्रीजी जांच के बारे में कुछ भी नहीं बोले।

(110)

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय कुछ बातें माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं कीं। एक तो यह कि जो 307 का मुकदमा लगाया है वह किसके खिलाफ लगाया है और किस अपराध के लिए लगाया है। आया जो पुलिस के सिपाही को पकड़ा उसके लिए या जिसका कत्ल हुआ है उसके लिए। यह स्पष्ट करें तो मालूम पड़ेगा कि दरअसल में इन्टेन्शन क्या थी। जो व्यक्ति मरा है यदि उसके मामले को लेकर 307 का मुकदमा लगाया है तो आप यह स्पष्ट मानते हैं कि उसको मारने की नियत थी जिसके ऊपर गोली चलाई। अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब यही होता है। उसको मारने की नियत थी यह आपने स्पष्ट नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : आप एक बात समझते हैं कि जब इस तरह के दंगे होते हैं तो किसी के खिलाफ आरोप दर्ज नहीं होते। (व्यवधान)

मैं यही तो कह रहा हूं कि कि आफेन्स में जो होता है वह बाद में जांच में कौन उस आफेन्स में आयेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं घटना के लिए कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं। किस घटना के ऊपर आपने यह किया। दूसरा यह कि आपने 144 का जिक्र किया और बरात को परमीशन देने का जिक्र किया लेकिन क्या बरात को इस तरह की परमीशन दी गई थी कि हथियार या पत्थर वगैरह साथ लेकर जायें। जैसा आरोप लगाया था, प्रश्न में पूछा गया उसका आपने जवाब नहीं दिया। तीसरी बात यह पूछी थी कि इसकी ज्यूडीशियल इन्क्वायरी के लिए आपने क्या किया। जांच करवाना चाहते हैं, दंगा हुआ। आप स्वयं मानते हैं, स्टेटमेंट आपका है उससे जाहिर है कि दंगा हुआ। इस दंगे के लिए आखिर जांच का कोई तरीका होना चाहिए। क्या जांच करवाना चाहते हैं आप। किससे जांच करवाना चाहते हैं, कौन अपराधी थे? आपने यह नहीं बताया कितनी पुलिस फोर्स आपकी डिप्लॉयड थी आठ तारीख की घटना के बाद 13 तारीख को घटना हुई उसका अन्दाज, जैसा पूछा गया यहां पर क्या इन्टेलीजेन्स से आपको सूचना मिली थी, सूचना मिली थी तो उसके आधार पर कितना डिप्लायमेंट किया नहीं मिली थी तो इन्टेलीजेन्स आपका क्या कर रहा था। यह क्या स्थिति हुई, यह सब बातें ऐसी है जो आपस में जवाब तलब करके जवाब पूछते है। यह स्पष्ट करिये, स्पष्ट बताइये कि आप जांच किस तरह से करवाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिप्लायमेंट का जहां तक प्रश्न है, निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा कि 8 तारीख के बाद धारा 144 लगा दी उसके बाद परमीशन मांगी और इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट के आधार पर यह तनाव बरात निकलने के बाद में वापस हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी पुलिस बरात के साथ, कोई हथियार लेकर चले, जैसी सूचना है, सूचना दी। मेरे इसमें कहीं नहीं है और यह जो बात आप कह रहे हैं कि इन्टेलीजेन्स की उसके हिसाब से बरात के अन्दर पुलिस फोर्स थी करीब 70-80,

(श्री दिग्विजय सिंह)

जवान, 158 आदमी उस बरात के साथ चल रहे थे और उसमें अधिकारियों का नाम (व्यवधान)।

श्री चन्दनमल बैद : 158 आदमी पुलिस वाले थे या (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उसमें कई अधिकारी, तहसीलदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (व्यवधान) नागौर पुलिस, सब मौजूद थे। मैंने जिन अधिकारियों का नाम लिया है दिनांक 13-3-92 को उक्त परिप्रेक्ष में गांधी चौक में शांति व्यवस्था रखने के लिए उच्च अधिकारियों सहित (व्यवधान) उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : 158 आदमी कुछ नहीं कर सके।

श्री दिग्विजय सिंह : थाना अधिकारी नागौर सहित मौजूद थे। (व्यवधान) मैं मानता हूं 360 का लगाया है वह 302 होना चाहिए जांच आने के बाद जो भी होगा निश्चित रूप से उसकी धारा में परिवर्तन किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान पुलिस पर लान्छन है, कन्ट्रोल नहीं कर सके।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बरातियों से ज्यादा (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, बरातियों से ज्यादा पुलिस फोर्स थी यह कहना बिल्कुल ठीक है (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम सदन से वाक आउट करते हैं।

डा. चन्द्रभान : 158 जवान थे बरात में, आप जांच नहीं करवा रहे हो इसलिए हमारा दल भी बहिर्गमन करता है।

(कांग्रेस दल एवं जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री प्रेमसिंह राठिवा : यह तमाशा देखने गये थे क्या, इसकी पुलिस इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपके नेता गये, आप पीछे क्या बोल रहे हैं।

श्रीमती मदन कौर। श्री हरिसिंह महुआ (अनुपस्थित) श्री रामनारायण वर्मा (अनुपस्थित) श्री श्रीकिशन सोनगरा (अनुपस्थित) श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्य शुरु किये जाने के संबंध में

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत झालावाड़ जिले में भयंकर अकाल की विभीषिका है। अकाल राहत कार्य शीघ्र

(112)

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में। अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में भयंकर अकाल की छाया है अभी तक अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं होने से गरीब लोग जिले के बाहर पलायन करने लग गये हैं। झालावाड़ जिले के डग-विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र-मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र-खानपुर विधान सभा क्षेत्र में भयंकर पीने का पानी की किल्लत होने लगी है। ग्रामीण इलाके में अधिकांश हैण्ड पम्प खराब पड़े हुये हैं। ग्रामीण जनता के लिये पीने के पानी की व्यवस्था की जाये। कुओं को गहरा करवाया जावे। अधिक से अधिक हैण्ड पम्प ग्रामीण क्षेत्र में लगाये जावें, जिले में पशुओं के घास की भयंकर किल्लत होने लगी है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिले में घास की भयंकर समस्या है। उसकी पूर्ति के लिये आहार के लिये व्यवस्था की जावे और जिले के प्रत्येक पंचायत समिति पर घास के डिपो स्थापित किये जावे। जिससे किसानों को राहत मिले और अपने पशुओं को मरने से बचा सके। जिले में सस्ते गल्ले की व्यवस्था की जावे। और अधिक गेहूं का कोटा अलाट किया जावे। वितरण व्यवस्था सुदृढ़ की जावे। जिससे कि गरीब लोगों को अनाज मिल सके, गेहू मिल सके। आपके माध्यम से मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि अकाल राहत कार्य तुरन्त खोले जावें जिससे गरीब जनता को राहत मिल सके। उनके बच्चों को रोजी रोटी मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य। (अनुपस्थिति) श्री लक्ष्मीलाल।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : आपका बाद में लूंगा यह पूरा हो जावे। अभी एक काम शुरू कर लिया है।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी....

श्री अध्यक्ष : आपका बाद में लूंगा। अभी 295 शुरू हो गया है। यह चक्र 295 का समाप्त होगा तब नई बात लूंगा।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं एक निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका कोई निवेदन नहीं सुनूंगा। क्योंकि कार्यवाही में बाधा पड़ रही है। 295 शुरू हो गया है। आपके माननीय सदस्य लक्ष्मीलालजी बोल रहे हैं। उनको बोलने दीजिए। व्यवस्था अभी कुछ नहीं है। (व्यवधान) एक बार जब यह समाप्त हो जायेगा उसके बाद में लेऊंगा मैं।

श्री रामनारायण वर्मा : आप हमेशा स्थगन प्रस्तावों पर दो-दो मिनिट बोलने का मौका देते हैं। आज आपने नहीं देकर 295 ले लिया....

श्री अध्यक्ष : मैंने दे दिया। जिनको बोलना था, नाम बोल दिये वह उपस्थित नहीं थे। आप दो काम एक साथ नहीं करते You cannot go out and stop here. आप व्यवस्था समझिये श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण वर्मा : आप नाराज क्यों हो रहे हैं। +++

श्री अध्यक्ष : मेरा तरीका ठीक है कि नहीं.... You please sit down.

श्री रामनारायण वर्मा : +++ माननीय सदस्यों को..

श्री अध्यक्ष : श्रीमान् वर्माजी, प्लीज।

श्री रामनारायण वर्मा : आप सदस्यों को +++ कर रहे हैं। आप मेरी बात सुने...।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नाम से कह रहा हूं श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य इस सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डालें।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं बाधा नहीं डाल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बाहर जा सकते हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : आप यह कह दीजिए कि बैठ जाइये, मैं बैठ जाऊंगा लेकिन हमारी बात...

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। आप अपने आपको सबके ऊपर समझते हैं क्या। क्या पार्टी से भी ऊपर, नेता से भी ऊपर सदन से भी ऊपर... (व्यवधान) Keep yourself within your limit. Do not go out of the limit. Sit down.

श्री रामनारायण वर्मा : लिमिट में ही हूं। समझाने का और कहने का तरीका होता है। आप समझा कर कहिये। हम कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कभी बोलते नहीं लेकिन कहने का तरीका साधारण होना चाहिए। आसन को बड़े प्यार से कहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : क्या करूं मैं आपको कल कह चुका हूं कि मेरे को ज़ोर से मत बुलवाइये। मैं इनको बड़ी शान्ति से कह रहा हूं बिल्कुल मानते ही नहीं है यह अपने नेता की नहीं मानते यह अपनी पार्टी की भी नहीं मानते, सदन की भी नहीं मानते तो फिर मेरे को जोर से बोलना पड़ता है यह मेरा दुर्भाग्य है। अब क्या करूं। आप चाहते हैं कि रातभर बैठे रहें यहां, यह चिन्ता मेरे को करनी पड़ती है।

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र, जिला भीलवाड़ा की सिंचाई समस्या के बारे में सूचना

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र आसींद जिला भीलवाड़ा की सिंचाई समस्याओं के बारे में सूचना देना चाहता हूं।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र आसींद की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के लोक महत्व के मामले की सूचना सदन में मैं दे रहा हूं।

विधान सभा क्षेत्र आसींद सिंचाई, उपखण्ड, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत आता है। इस उपखण्ड में 85 छोटे मोटे बांध व तालाब हैं जिनमें से आसींद में 58 तालाब व बांध हैं।

आसींद तहसील में खारी नदी पर बांध बना हुआ है। खारी बांध 1376 एम. सी.

+++शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

114

(श्री लक्ष्मीलाल)

एफ. टी. क्षमता का बांध है। पाटन बांध 245 एम. सी. एफ. टी. क्षमता है तथा ब्राह्मणों की सरेरी 99 एम. सी. एफ. टी. क्षमता का बांध है। शेष 55 छोटे मोटे तालाब है।

पिछले 10 वर्षों में वर्षा की कमी से लगभग सभी तालाब अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं भरे हैं। इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन कुएं, तालाब या बांध हैं परन्तु कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है और पानी भी पर्याप्त नहीं है इसलिए इस क्षेत्र को डार्क जोन में लिया था परन्तु गत वर्ष कुछ सामान्य वर्षा से इसमें सुधार हुआ परन्तु इस वर्ष मानसून ठीक नहीं रहा और तालाबों तथा बांधों में पानी नगण्य ही आया। खारी बांध में केवल 6 फीट पानी आया और उससे लगभग 3000 एकड़ खरीफ की एक सिंचाई हुई। परिणाम यह हुआ कि हजारों एकड़ भूमि रबी की फसल के अभाव में पड़ी हुई है और पूरा क्षेत्र अभावग्रस्त है। इस बांध के सम्बन्ध में कुछ अन्य कठिनाइयां भी हैं। जब बांध का निर्माण हुआ था तब कमाण्ड क्षेत्र बहुत विस्तृत लिया गया था, उसकी पूरी सिंचाई कभी नहीं हुई। इस क्षेत्र को इस आधार पर डी-कमाण्ड भी किया परन्तु आज भी स्थिति यह है कि यदि बांध में पूर्ण क्षमता का पानी आ जाय तो भी पूरे कमाण्ड क्षेत्र की वांछित सिंचाई नहीं हो सकती है और कुछ क्षेत्र तो ऐसा रहता है जहां पानी पहुंच भी नहीं पाता है।

बांध का व तालाबों को नहरें, मोरिया, खलूस आदि मरम्मत व रख-रखाव के अभाव में काफी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इस मद में वित्तीय प्रावधान पर्याप्त नहीं होने से बहुत आवश्यक कार्य भी नहीं कराये गये हैं।

खारी बांध की बाईं नहर तकनीकी तौर पर ठीक नहीं बनी हुई है। नहर संकड़ी तथा लेवल ठीक नहीं होने से दांई नहर खोलने से पहले 10 रोज पहले इस नहर को खोलना पड़ता है और पानी ठीक नहीं पहुंचने से काश्तकारों में आपसी झगड़े होते हैं या फिर पानी ले जाने पर मुकदमें चलते हैं। इस नहर को पूरा ठीक सर्वे कराकर इसको सुधारा जाना चाहिये।

खारी बांध का निर्माण हुआ था तब से इसके बामणी के पास पुल का निर्माण किया गया था जो अति आवश्यक है। यह पुल अधूरा पड़ा हुआ है। इसकी सामग्री भी उपलब्ध होना बताया गया परन्तु लाखों रुपयों की लागत से बनाया हुआ पुल अब कुछ प्रावधान के अभाव में अधूरा है।

आसींद क्षेत्र में इसी तरह का एक बांध कंटालिया है जो मेवाड़ी नदी पर निर्माणाधीन है परन्तु अब तक इसे रेगुलर प्लान में नहीं लिया गया है। जबकि एन. आर. ई. पी. व राहत कार्यों के मद से इस पर लाखों रुपये खर्च किये गये और बांध अधूरा पड़ा है। उसके व्यय किये धन का कोई उपयोग नहीं है। इस बांध को नियमित प्लान में लेकर पूरा किया जाना चाहिये। यह पहाड़ी क्षेत्र का महत्वपूर्ण सिंचाई साधन होगा।

क्षेत्र की सिंचाई सुविधा और समस्याओं के निवारण के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(श्री लक्ष्मीलाल)

(1) खारी बांध:-डीकमाण्ड क्षेत्र पर पुनर्विचार कर शेष क्षेत्र को उचित एवं युक्ति संगत बनाया जाना चाहिए। बाई नहर को चौड़ी बना कर लेवल सर्वे और माइनर का निर्माण कराया जाना चाहिये।

अधूरे पड़े पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाये।

(2) कंटालिया बांध:–इस बांध के कार्य को नियमित योजना में लेकर पूरा कराया जाना चाहिये।

(3) पाटन बांध:–इस बांध की खारिया खेड़ा की तरफ ही नहर का निर्माण कराया जाना चाहिये।

(4) अन्य सभी तालाबों व बांधों की नहरों, मोरियों व खलूसों की मरम्मत व रख रखाव की उचित व्यवस्था के लिए वित्तीय प्रावधान होना चाहिये।

(5) क्षेत्र में कुएं सिंचाई का प्रमुख स्रोत है इसलिए कुओं के निर्माण व गहरे कराने को प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

(1.55 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अन्त में मेरा सरकार से अनुरोध है कि अकालग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाए और उन राहत कार्यों में उक्त सिंचाई कार्यों को प्राथमिकता दी जावे ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र गोयल।

जैतारण में 132 के. वी., जी. एस. एस. बिलाड़ा से पृथ्वीपुरा तक नई 33 के.वी. लाइन स्वीकृत होने के बावजूद नहीं डालने व कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में 132 के. वी., जी. एस. एस. बिलाड़ा से पृथ्वीपुरा तक नई 33 के.वी., लाइन वर्ष 1991-92 में स्वीकृत होने के बावजूद लाइन नहीं डालने एवं कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में 132 के.वी., जी.एस.एस. बिलाड़ा से 33 के. वी. की एक लाइन जो खारिया मिठापुर पृथ्वीपुरा, निम्बोल, जैतारण, आगेवा निम्बाण व आनन्दपुर कालू तक सात सब स्टेशन पर एक ही लाइन से सप्लाई दी जाती है जिससे 450 एम्पीयर का लोड बिलाडा जी. एस. एस. पर रहता है जबकि यह लाइन 240 एम्पीयर का लोड ही ले सकती है। इस प्रकार करीब 200 एम्पीयर का लोड ज्यादा होने से वोल्टेज तीन सौ से ज्यादा काश्तकारों को नहीं मिलते हैं, बार-बार लाइन ट्रीप होती है, फलक्चुअन्स ज्यादा आते हैं, बिजली सप्लाई 24 घंटे में 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं मिल पाती है। उसमें भी कम वोल्टेज की मोटरें जल जाती हैं। जिससे काश्तकारों को लाखों रुपये का

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

नुकसान हुआ है व इस बार करीब 100 से ज्यादा 25 हा.पा. व 100 हा.पा. के ट्रांसफार्मर जल गये। यहां तक कि 1600 हा. पा. के भी तीन ट्रांसफार्मर जल गये जिससे बोर्ड को एक करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सभी समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए बोर्ड ने 1991-92में अलग 33 के.वी. लाइन डालने की स्वीकृति जारी कर दी थी परन्तु अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है। इस उक्त समस्या को भविष्य में हल करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कब तक बिलाड़ा जी. एस.एस. से पृथ्वीपुरा तक अलग 33 के.वी. लाइन डालने का कार्य शुरू कर देगा। अगर 33 के वी. लाइन का कार्य शुरू नहीं किया गया तो अगली फसल में काश्तकार काश्त करने से महरूम रह जायेंगे और फसल लेने से वंचित रह जायेंगे। उनको एक घंटे भी बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करवा करके काश्तकारों को राहत पहुंचाई जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां।

बाड़मेर जैसलमेर जिलों में मदरसों व मस्जिदों पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाने बाबत।

श्री अमीन खां (शिव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व के मसले पर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषय में आम जनता की तरफ से निवेदन है कि राज्य में विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर में ग्रामीण क्षेत्रों में मदरसों व मस्जिदों पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाने से आम मुस्लिम जनता में ही नहीं बल्कि ज्यादा संख्या में गैर मुस्लिम लोगों में, सामाजिक कार्यकर्ताओं में, बुद्धिजीवी वर्ग में एक असमंजता का वातावरण पैदा हो गया है।

हम सब भली भांति समझते हैं कि धार्मिक अधिनियम के तहत कोई भी पूजा के स्थान के निर्माण का कार्य जिला दण्डनायक से इजाजत लेकर बनाया जायेगा और इजाजत के लिए जिला दण्डनायक के पास प्रार्थना-पत्र पेश करने की तारीख से 60 दिन के अन्दर जिला दण्डनायक को फैसला करना होता है परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। कोई भी गांव जहां 400 घर की मुस्लिम आबादी है और आज तक वहां के हिन्दू व मुसलमान आपस में खुशी व सहयोग से रहते हैं और एक दूसरे पर कोई शक नहीं करते है।

जहां पर दो सम्प्रदायों के लोग रहते हैं, उनमें कोई झगड़ा हो या सरकारी जमीन पर ऐसा निर्माण कार्य किया जा रहा हो तो इजाजत न देना सबको समझ में आता है परन्तु अफसोस इस बात का है कि ग्रामीण हिन्दू जनता भी कहती है कि हमारे ग्रामीण मुस्लिम भाइयों के गांव में कदीम से पुरानी मस्जिद हैं और पंचायत

(श्री अमीन खां)

उक्त मस्जिद को जमीन का पट्टा देती है और हमारी बस्तीं में हमने कई जगह बिना इजाजत के मन्दिर भी बनाये हैं तो मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने, कुरान का दौर करने तथा जुमे की नमाज जमात के साथ करने के लिए मस्जिद बनाने की इजाजत प्रशासन क्यों नहीं देता ? अगर इजाजत नहीं देता है प्रशासन तो इस धर्म निरपेक्ष देश में खुल्लम खुल्ला बेइन्साफी नहीं जा सकती है।

मदरसों को भी प्रशासन ने अब तक एक पूजा का स्थान मानकर इजाजत देना बन्द कर दिया है और कहीं पर गांव में एक छोटा सा कमरा बनाकर गांव के लोगों द्वारा एक हाफिज को बैठाकर बच्चे बच्चियों को कुरान व तरीके की नमाज पढ़ाते हैं तो तीसरे दिन सी.आई.डी. पुलिस की रिपोर्ट पर प्रशासन उसको गिराने का आदेश दे देता है।

यह देश धर्म निरपेक्ष देश है इसमें हर धर्म के लोगों को अपने-अपने धार्मिक ग्रन्थ पढ़ाने पर कोई पाबन्दी नहीं है तो मदरसों को रोकने के पीछे क्या कारण है ?

ऐसा लगता है कि इस सरकार ने महसूस करना शुरू किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मस्जिदों व मदरसों के बनने से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जायेगा। यह सोचना कहां तक न्यायसंगत है और यह बिल्कुल गलत है क्योंकि लोग प्रश्न करते हैं कि अगर प्राइवेट मदरसे से सरकार का विश्वास उठ गया है तो मुस्लिम जनता कुरान की तालीम कहां पर हासिल करें। इसका सरकार इन्तजाम कर दें नहीं तो सिर्फ कट्टर लोगों की हिदायत करते हुए इतने बड़े मौलिक अधिकारों पर चोटें पहुंचाई जाती तथा आजकल के शिक्षा के युग में लोगों को यह बर्दाश्त नहीं है।

उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में जैसलमेर जिले के गांव मंगरा तोमा लोगा सम में जिला दण्डनायक ने मदरसों को तोड़ने के आदेश दे दिये थे लेकिन लोगों ने कोर्ट से स्टे लेकर राहत की सांस ली। ऐसी अनेक मिसाल हैं।

(2.00 म. प.)

धार्मिक अधिनियम सभी धर्म मानने वाले पर लागू होता है परन्तु वर्तमान प्रशासन सिर्फ एक धर्म मानने वालों पर ही यह अधिनियम लागू करना क्यों चाहता है ? इसके लिए सभी को दुःख है।

अतः मैं आम गरीब, रेगिस्तानी अशिक्षित लोगों की तरफ से, अध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारत के संविधान की धारा 28 से 30 तक का राज्य प्रशासन द्वारा खुल्लमखुल्ला उल्लघंन कर धर्मनिरपेक्ष देश की नीतियों पर कुठाराघात किया जा रहा है जिसको तत्काल रोका जावे। अगर वास्तव में मदरसों व मस्जिदों से देश को खतरा महसूस किया जा रहा है तो यह आदेश गोपनीयता में न रखकर खुली अधिसूचना निकालकर लागू किया जावे। मैं आशा करता हूं कि सरकार बुद्धिमता से काम लेगी और गलत प्रशासनिक आदेशों को दुरुस्त करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामेश्वरलाल मीणा।

(118)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियमान्तर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले जिला सवाई-माधोपुर में करोड़ों रुपयों की लागत से बने पाचना बांध के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तहसील नादौती और टोडाभीम भूमि को लेकर जिसका निर्माण किया गया था, करोड़ों रुपया सरकार ने लगाया है लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक इस पाचना बांध का पानी।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया पढ़ें। आपके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं हो सकती हाउस में। सारे माननीय सदस्य उसी हिसाब से पढ़ते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : भूमिका बताई है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं डिसअलाउ कर दूंगा आपको।

पाचना बांध का निर्माण

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला सवाईमाधोपुर के पाचना बांध द्वारा नादौती एवं टोडाभीम क्षेत्र को पानी देने के बारे में मेरा प्रस्ताव है। जिला सवाईमाधोपुर के अन्दर विशाल पाचना बांध जो कि आज से 15 साल पहले बन गया था, उसका पानी आज तक तहसील नादौती को नहीं दिया गया है। इस बांध के निर्माण के समय जो नक्शा बनाया गया था उसमें तहसील नादौती के केमला गांव, कूंलेला, दौसी, सोप, शहर, नादौती, गढ़खेड़ गढ़ मोरा, गुढाचन्द्रजी, भीलापाड़ा आदि ग्राम जिनकी 50 हजार बीघा जमीन का नक्शा बना करके सिंचाई के लिए दिखाया गया था, लेकिन इस क्षेत्र में आज तक इस बांध से बिलकुल ही पानी नहीं दिया गया है और कोई भी नहर आज तक केमला गांव या अन्य किसी गांव को नहीं दी गई है तथा न ही पानी की व्यवस्था टोडाभीम को दी गई है। इस क्षेत्र में लिफ्ट के जरिये पानी दिया जायेगा। जो पानी की भयंकर समस्या पीने की एवं सिंचाई की उस क्षेत्र में बनी हुई है, जहां का माड एरिया है, वहां कुओं में पानी नहीं है, न कोई सिंचाई का साधन है, पानी के भयंकर अकाल के टाइम में उक्त बांध में जल्दी से जल्दी नहर बना करके करोड़ों की लागत जो सरकार ने लगाई और जिस उद्देश्य के लिए बांध को बनाया गया है वह पूरा हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा (व्यवधान) लिखा हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है, पाचना बांध द्वारा नादौती एवं टोडाभीम को जल्दी से जल्दी नहर बना करके लिफ्ट के द्वारा पानी दिया जाए तो गांवों में सिंचाई हो सके और हजारों बीघा जमीन जो बेकार पड़ी हुई है उससे सिंचाई हो सके।

इसलिए मैं श्रीमान् से निवेदन करूंगा कि उक्त नहर जो केमला गांव के पास से गुजरने की तैयारी की जा रही है, उस नहर को तुरन्त बनाया जाए और उसके आगे बढ़ा कर के तहसील नादौती और टोडाभीम को पानी दिया जाए ताकि वहां सिंचाई की समस्या और पीने के पानी की समस्या का हल हो सके और करोड़ों रूपया जो इस बांध के अन्दर खर्च हुआ है, उसका सदुपयोग हो सके।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सदन के सामने इस बात को कहें, अपना वक्तव्य दें कि नहर कब तक बना दी जायेगी, कब तक केमला गांव को, नादोती की 50 हजार बीघा जमीन जो बेकार पड़ी हुई है, उसको कब तक सिंचित कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बैठ जाइयें। बैठिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : टोडाभीम को कब तक पानी दे दिया जायेगा। करोड़ों रुपया जो इस पर खर्च किया गया है उसका दुरुपयोग किया जाए ताकि हमारे क्षेत्र में जो भयंकर पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, सिंचाई की समस्या बनी हुई है उसका हल हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह बड़ा गंभीर मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए। प्लीज सिट डाउन। रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : सिंचाई की समस्या की ओर आप स्वयं माननीय मंत्री महोदय से कहलवायें। इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि इस समस्या का कब तक समाधान कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। श्री मदनलाल सैनी।

जयपुर के देवी पथ में चिल्ड्रन पार्क पर हो रहे अतिक्रमण

श्री मदनलाल सैनी (गुढा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान जयपुर के कानोता बाग कालोनी, तख्तेशाही रोड, देवी पथ में चिल्ड्रन पार्क पर हो रहे अतिक्रमण की ओर दिलाना चाहता हूं।

मैं जयपुर स्थित तख्तेशाही रोड, देवी पथ में कानोता बाग कालोनी में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा छोड़े गए चिल्ड्रन पार्क पर असामाजिक तत्वों द्वारा नाजायज रूप से हो रहे अतिक्रमण के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग व राज्य सरकार के ध्यान में निम्न बिन्दुवार अतिक्रमण पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

(1) कानोता बाग कालोनी, देवी पथ में प्लाट नं. बी-72 के सामने प्लाट नं. 74 व 75 के पूर्व की ओर चिल्ड्रन पार्क स्थल है। यह राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्लान में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यह अधिकृत स्वीकृत प्लान है। चिल्ड्रन पार्क स्थल का कोई प्लाट नम्बर एलॉट नहीं है। यह स्थल सार्वजनिक पार्क होने से व्यक्तिगत प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं आ सकता और न इसके डिवीजन ही हो सकते हैं। कालोनी में पार्क हेतु स्थल होना अत्यन्त आवश्यक होता है।

(120)

(श्री मदनलाल सैनी)

(3) यह प्लान नगर विकास न्यास के ड्राईंग नम्बर बी-25 दिनांक 8-6-80 पर है तथा न्यास की संचायिका डी. 13 (369) में भी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 20-12-90 द्वारा तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा प्रस्तुत प्लान के आधार पर ही पहले बेचे गए 66 भूखण्डों पर निर्माण की स्वीकृति दी। इसके पश्चात् राज्य सरकार का कोई आदेश शेष बचे हुए भूखण्डों के मामले में नहीं हुआ। आशय यह हुआ कि सरकार द्वारा कालोनी का प्लान स्वीकृत कर देने पर ऐसा आदेश की आवश्यकता नहीं रही।

(4) स्वीकृत प्लान के अनुसार जागीरदार साहब को बेचे गए भूखण्डों को बेचने का अधिकारी मिल गया लेकिन ओपन एरिया जो सार्वजनिक कार्य हेतु होता है तथा उसमें चिल्ड्रन पार्क भी है, को बेचने का कोई अधिकार उन्हें नहीं रहता।

(5) इस प्लान का टोटल एरिया 21 एकड़ है जिसमें से 15.75 भूखण्ड का तथा 1.25 ओपन है। इस खुले हिस्से में ही उपरोक्त चिल्ड्रन पार्क भी शामिल है। इस पार्क में विकास प्राधिकरण द्वारा 25-1-1985 को इस स्थल पर "कानोता बाग उद्यान" होने का बोर्ड भी लगा दिया परन्तु असामाजिक तत्वों द्वारा अब हटा दिया गया।

(6) इस सन्दर्भ में कालोनी वासियों ने कई बार व्यक्तिगत व लिखित में जयपुर विकास प्राधिकरण को शिकायतें भी कीं कि सार्वजनिक पार्क पर असामाजिक तत्व नाजायज कब्जा कर रहे हैं। इस बारे में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28-8-85 को क्र. ज. वि. प्रा./85/3018 द्वारा कुछ लोगों को अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस भी जारी किए गए परन्तु अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार की नीति व जन सामान्य के सार्वजनिक उपयोग हेतु पार्क स्थल को अविलम्ब खाली कराये जाने की कार्यवाही की जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नन्दकिशोर शर्मा।

राज्य में वन विकास हेतु समुचित उपाय

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबडा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राज्य के वन विकास में ग्रामीणों की भागीदारी हेतु मेरा प्रस्ताव है। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की मान्यता है कि जब तक वन विकास से व्यक्ति की स्वयं की भागीदारी नहीं की जायेगी तब तक वन विकास कम ही सम्भव है। वन हमारे राष्ट्र की सम्पदा है, प्राण है, जीवन है। हमारी संस्कृति सदा पेड़ों की पूजा करती आई है। पुराने समय में रात्रि में पेड़ की टहनी तोड़ना भी पाप माना जाता था। तुलसी, पीपल, वट वृक्ष की हम आज भी पूजा करते आये हैं। हमारे ऋषियों ने इन्हीं के सानिध्य में रहकर तपस्या, अध्ययन, मनन, चिंतन करके कई शोध किये हैं और हमें शास्त्र, शस्त्र, औषधि, संस्कृति और ऐसी अनन्त निधि दी हैं जो हमारी ही नहीं, विश्व की थाती हैं। पेड़ जो वनस्पति हमें देते हैं वह कोई नहीं दे सकता। पेड़ केवल देता ही देता है, लेता है केवल दूषित वायु, गंदगी व प्रदूषण

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

पर आज की संस्कृति, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वह हमें विलासिता की ओर ले जाती है, भोग की ओर ले जाती है, सर्वसुखाय की बजाय व्यक्ति सुखाय की ओर ले जाती है। उसने पेड़ों का विनाश कर दिया है। जनसंख्या वृद्धि भी पेड़ कटने का एक कारण है। पर इससे भी अधिक हमारा सोच है जो कहने का समाजवादी है पर है व्यक्तिवादी। उसने ही वन उजाड़े हैं। अनावश्यक लकड़ी का प्रयोग कुर्सी-टेबल बनाने, खाने की टेबल, डबल बैड, सोफा, मकानों के दरवाजे खिड़कियां और अन्य कई अनावश्यक सामानों में बढ़ रहा है वही पेड़ के विनाश का कारण है।

पेड़ कैसे बढ़ें, कैसे कटने से रुकें, अब हमें इन दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। अभी हम जो विभागीय पेड़-पौधे लगवाते हैं वह लगने की बजाय कागजी आंकड़े अधिक होते हैं। हम बरसों से कई योजनाएं बना कर देते हैं उनकी क्रियान्विति भी कराते हैं पर लाभ नगण्य ही मिल पाता है। हमारे वन विकास के नाम पर बबूल, यूकीलिप्टस और ऐसे पेड़ ही पेड़ हैं बाकि सब नष्ट हुआ है। वह भी हमारे पानी को सोख लेते है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पेड़ हम बबूल, खेजड़ा, आम, नीम, आंवला, बहरड़ा यानि हमारे देशी पेड़ लगाये जायं जो हमें फल भी देंगे और औषधि भी देंगे। उनमें किसान भागीदार बनें। पहाड़, खाल-खदार व सिवाय चक भूमि पर पेड़ लगवाने और पालने का नाम उन्हें दिया जाए और पेड़ किसान की सम्पत्ति बन जावे, उन्हें बेचने का अधिकार भी उसे दिया जावे। मान लिया जाये कि एक किसान के पास दस बीघा भूमि है, उसने पांच बीघा में पेड़ लगाये गये, पांच बीघा में चरागाह विकसित कर पशु पाले, घास बेचे। पांच बीघा पेड़ बढ़ने पर घास वाली जमीन में पेड़ लगाना प्रारम्भ कर देवें जिससे पशु भी पलेंगे लेकिन अनुदान देने वाली प्रथा पर अंकुश लगाया जावे। उसे प्रति पेड़ जो मिलता है वह एक साल बाद दिया जावे पेड़ देख कर और अन्तिम राशि पेड़ के पूर्ण होने के पांच या सात वर्ष तक दी जावे। उसके बाद उसे अपने पेड़ों की आय कटने से मिलने लगेगी। पेड़ काटने की अनुमति पेड़ लगाने और उनके बड़े होने पर दी जावे। जैसे एक हजार पेड़ वह लगाता है तो दो सौ पेड़ प्रति वर्ष काटने की अनुमति दी जावे, तीन सौ पेड़ प्रति वर्ष लगाने को भी दिये जावें। पेड़ फलदार, छायादार, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी के लगावें जो औषधि भी दें, साथ ही जिन पेड़-पौधों से अधिक हमें काम मिलेगा, फिजूल राशि भी व्यय नहीं होगी तथा वन विकास होगा, बेरोजगारी मिटेगी, भ्रष्टाचार मिटेगा। सरकारी वन लगाने का अभियान केवल राज्य व ग्रामीण सड़कों और बड़े पहाड़ों के किनारे ही होना चाहिए-जिसे सब देख सकें। अभी हजारों मील सड़कें पेड़ विहीन पड़ी है। मेरा सुझाव है कि इस प्रदूषण बढ़ते युग में, बेकारी बढ़ते युग में ऐसे पेड़ लगावें जो बेरोजगारी मिटाये, औषधि दे, जलाऊ लकड़ी दे, लाख, गोंद, पत्ते दे, प्रदूषण मिटाये। हमें प्रयत्न करके इस ओर बढने का प्रयास करना चाहिए और शीघ्र ही वन बढ़ावें जिससे राजस्थान की हरियाली को देखकर पानी भी अधिक बरसेगा और हमारी सभी समस्याएं दूर होंगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिलसुख राय।

फतेहपुर के ग्राम नीमों की ढाणी में जी. एल का निर्माण

श्री दिलसुख राय (फतेहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला सीकर तहसील फतेहपुर ग्राम पंचायत गूदड़वास के ग्राम नीमों-की-ढाणी में करीबन आज से काफी समय पूर्व जलदाय विभाग की ओर से जी. एल. आर. बनाने का कार्य शुरू किया गया था परन्तु उस जी. एल. आर. का फाउन्डेशन भर कर ठेकेदार द्वारा पूरा कार्य नहीं करने से ग्रामवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम नीमों-की-ढाणी में जल्दी से जल्दी जलदाय विभाग की अधूरी जी. एल. आर. को पूर्ण करवाने की चेष्टा करें। आज तक क्यों नहीं बन कर तैयार हुई, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर उनको दण्डित करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन दिलावर।

राजस्थान में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर एव हाड़ौती अंचल के आदिवासी-वनवासी बहुल क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियां सामाजिक एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के जरिये षड्यंत्रपूर्वक व्यापक धर्म-परिवर्तन में लगी हैं। गरीब, मजदूर एवं अनपढ़ भोले-भाले लोगों के बीच भ्रामक प्रचार एवं उन्हें बहला-फुसला कर उत्पीड़ित एवं शोषित करने के माध्यम से बहुआयामी धर्म परिवर्तन के प्रयत्नों में ऐसी अनेक संस्थाएं लगी हैं। भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात एवं उसके प्रतिमानों का उपहास-अपमान करती ये संस्थाएं अपने प्रयोजन में सतत सक्रिय हैं। अनेक शिकायतें एवं सूचनाएं इस सम्बन्ध में समय-समय पर मिलती रही हैं। भ्रम, छलावा एवं मयादोहन, ये सभी गुण इन ईसाई मिशनरियों की मौलिकता है। बांसवाड़ा जिले के कई मामले अदालतों में विचाराधीन पड़े हैं जिनमें भोले-भाले युवक-युवतियों का मानसिक एवं शारीरिक शोषण कर उन्हें उत्पीड़ित किया गया है। कोटा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में हिन्दू देवता एवं ईसा मसीह की क्रमशः पत्थर एवं लकड़ी की एक जैसी प्रतिमाएं बना कर तथा ईसा मसीह को पानी में तैरा कर ईसा मसीह को हिन्दू देवता से प्रभावशाली, महान् एवं शक्तिशाली सिद्ध करने के अनेक भ्रामक प्रचार तथा कौतुक के कार्यक्रम अनपढ़ और सीधे-सादे वनवासी लोगों के बीच लगातार जारी हैं। अभी हाल ही में लगभग सभी निजी शिक्षण संस्थाओं में ईसाई मिशनरियों द्वारा व्यापक स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन के प्रयोजनार्थ ईसाई साहित्य खुले आम बांटा गया है जिसमें सभी निजी शिक्षण संस्था प्रधानों को धन का लालच देकर प्रोत्साहित किया गया है।

कई राज्यों में इस प्रकार के कृत्यों एवं गतिविधियों के बाद ऐसी मिशनरियों

(श्री मदन दिलावर)

को प्रतिबन्धित कर दिया गया है किन्तु राजस्थान में मनमाने तरीके से भारी धन खर्च कर ये ईसाई मिशनरियां जन-जीवन में विष घोलने का काम कर रही है। अतः ऐसी संस्थाओं और गतिविधियों को प्रतिबन्धित किया जावे।

ईसाई मिशनरियों के अनेक घिनौने कार्य एवं धर्म परिवर्तन की घटनाएं कई राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रायः छपती रही है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मदर टेरेसा द्वारा इलाहाबाद विश्व-विद्यालय की शोध छात्रा कुमुद किशोरी राय का अपहरण कर पागलों के वार्ड में तीन दिन तक कैद कर नशीली दवाइयां खिला कर तथा बिजली के झटके देकर धर्मान्तरण का विस्तृत मामला देश के सभी अखबारों सहित अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका 'हिन्दू विश्व" में प्रमुखता से छपा। इसी प्रकार 16 फरवरी, 1992 को पांचजन्य अंक एवं उत्तर प्रदेश के कई अन्य समाचार-पत्रों में उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में कुमांऊ चर्च आदि का बहाना लेकर सात ताल आश्रम (मेथोडिस्ट चर्च) द्वारा लगभग तीन सौ एकड़ भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति बनाये रखने एवं उसे हड़पने का जो सिलसिला जारी है, के बारे में विस्तृत समाचार छपा है जो कि मात्र भारी मात्रा में विदेशी सहायता लेकर धर्म परिवर्तन का कार्य करते है। चीन से लगे कुमाऊ क्षेत्र में इस तरह की तेजी से बढ़ रही मिशनरियों की गति-विधियां उत्तर प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार के लिए सरदर्द साबित हो रही है। राजस्थान में भी दूरगामी परिणाम घातक एवं खतरनाक मिलें, इससे पहले ही सरकार को सावधान होने एवं इस प्रकार की गतिविधियों तथा संस्थाओं पर अविलम्ब रोक लगाने की आवश्यकता है। इलाहबाद विश्वविद्यालय की शोध छात्रा कुमुद किशोरी राय ने मदर टेरेसा से मिलने के बाद क्या बीती वह सब विस्तृत रूप से उसी की जुबानी बता रहा हूं। मैं कुमुद किशोरी राय मदर टेरेसा के पास आटोग्राफ लेने रिपन स्ट्रीट उनके निवास स्थान पर पहुंची। मदर टेरेसा बहुत स्नेह से मिली और मुझे गाड़ी में बैठा कर शांतिधाम ले गयीं। वहां वह मुझ से बोलीं कि तुम यहीं रहना, मैं कल आने वाली हूं। मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ तो सिस्टर ने कहा कि तुम्हारे बारे में बात हो चुकी है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें सिर्फ परिचयभर देना है। मेरे यह पूछने पर कि मुझको यहां क्यों रखा गया है, मैं तो मदर से बात करने आई थी। अन्य लड़-कियों ने बताया कि यहां जो आता है वह वापिस नहीं जा पाता। डाक्टर को इस-लिए दिखाया जा रहा है ताकि तुम्हें शनिवार को दमदम आश्रम् ले जाकर बिजली का शाक लगाया जा सके। उसी दिन मुझे 8 टेबलेट बलपूर्वक खिलाने के बाद बिजली का झटका लगाकर पागल करार दिया गया। वहीं यह भी मालूम हुआ कि दो महीने एक आश्रम में रखने के बाद दूसरे में भेज दिया जायेगा और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम ईसाई नहीं बन जाओगी। वहां मुझसे एक पत्र जबरदस्ती लिखवाया गया और जब मैंने उनका मनमाना पत्र नहीं लिखा और सिस्टर का कहना नहीं माना तो

(श्री मदन दिलावर)

मेरे साथ कुकृत्य करने के लिए ईसाई लड़के भेजे गए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं जो मदर टेरेसा का कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्र में इस प्रकार बढ़ता जा रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए अन्यथा जो एक शोध छात्रा के साथ यह क्रूरतम अत्याचार हुआ है और झटके लगाये गये और उसके साथ बलात्कार किया गया है और जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए उसे बाध्य किया गया है, यह यहां भी हो सकता है। इसलिए ईसाई मिशनरियों को प्रतिबंधित किया जाये। मदर टेरेसा नाम से जो इनको जाना जाता है, यह वास्तव में मदर टेरेसा नहीं है, और इस प्रकार से हिन्दुओं पर अत्याचार करके यह ईसाई बनाने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

माननीय श्री अमृतलाल परमार

चामुण्डेरी जिला बाली में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को राजकीय सेवा में न लेने सम्बन्धी

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली में ही चामुन्डरी ग्राम के मृत परिवार के सदस्य देवीसिंह पुत्र रतनसिंह को नौकरी पर न लगाने बाबत निम्न सूचना रखता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली के अन्तर्गत ग्राम चामुन्डेरी के निवासी देवीसिंह पुत्र रतनसिंह के पिताजी एक पुलिस कर्मचारी थे। उनका देहान्त ड्यूटी पर हो गया था, तब देवीसिंह छोटा था, करीब उम्र 4–5 साल की थी तब उस बच्चे की आज उसकी उम्र करीब 22 साल की हो गई है। घर की स्थिति दयनीय है। घर पर और कोई स्रोत कमाई के नहीं हैं, न ही कोई खेती है। ऐसी हालत में देवीसिंह ने अपनी विधवा माताजी का भरण पोषण के लिए प्रार्थना-पत्र मय सभी पत्र व सर्टीफिकेट नौकरी के लिए पाली एस. पी. साहब को दिये तथा उसकी प्रतिलिपी कलक्टर पाली डी. आई. जी. जोधपुर, आई. जी. जयपुर को भी भेजी गई। तब 18 मई, 1991 को महानिदेशक पुलिस जयपुर का पत्र पाली कलक्टर के पास गया व उसकी एक प्रतिलिपि पुलिस एस पी. साहब को भी आई जिसमें दर्शाया गया कि प्रार्थी को लगाया जाये। जब प्रार्थी कलक्टर व एस. पी साहब को मिला, उसके बाद प्रार्थी के साथ मैं स्वयं गया, तब कुछ तकनीकी खामियां बताई उनके बताये अनुसार सारी तकनीकी कमियां पुलिस एस. पी. साहब को बताई। तब पुनः पुलिस महानिदेशक से जवाब देवीसिंह के पास 19 अक्टूबर, 1991 को आया जिसमें मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के नियम 1975 के तहत नियुक्ति देने हेतु पाली कलक्टर को लिखा गया। अतः पाली कलक्टर से सम्पर्क किया जावे। तब देवीसिंह वापिस पाली कलक्टर के पास व एस. पी. के पास गया तब भी कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं मिला, मैं भी वापिस मिला तथा कहा देख लेंगे व लगा

(श्री अमृतलाल परमार)

देंगे। उसके बाद देवीसिंह पुन: 2-3 बार पाली जाकर आया परन्तु जवाब नहीं मिला। एक पत्र वापिस पाली एस. पी. ने जयपुर महानिदेशक पुलिस को भेजा। पत्र 6 मई को भेजा, तब वापिस पत्र 23 फरवरी, 1991 को महानिदेशक जयपुर का पाली कलक्टर के नाम से आया उसमें लिखा गया कि देवीसिंह को आपके जिले में तुरन्त लगाया जावे। इसकी पत्रावली मेरे पास है। उसके बाद प्रार्थी पुन: पाली दो तीन बार गया पर कोई सही जवाब नहीं मिला। पुन: देवीसिंह ने पत्र महानिदेशक पुलिस जयपुर को लिखा तथा वापस पत्र पाली कलक्टर के नाम 23 मार्च, 1991 को आया, उसकी एक कापी देवीसिंह को मिली तब प्रार्थी वापिस पाली कलक्टर व पाली एस पी. साहब को मिला परन्तु अभी कोई जवाब नहीं मिला। वह गरीब बालक जिसकी घर के हालात दयनीय है, घर पर उक्त प्रार्थी ही बड़ा लड़का है, आज वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है। प्रार्थी 11वीं कक्षा पास है। यह सरकार इस प्रकार के बालकों को लगा रही है। फिर इस प्रार्थी के साथ यह भेदभाव क्यों? गरीब बालक के पाली के इतने चक्कर लगाकर क्यों पैसों की बर्बादी की? अब यह सरकार उक्त देवीसिंह के लिए क्या कर रही है, तथा कब तक नौकरी पर लगाएगी कृपया जवाब दिलावें तथा पाली वाले आफिसरों ने इस प्रकार आदेशों की अवहेलना क्यों की, इसका भी जवाब मंत्री महोदय से दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपालसिंह खण्डेला

रींगस में ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत रेल्वे जंक्शन रींगस पर शीघ्र ओवर ब्रिज बनाने के संबंध में सदन को सूचित करना चाहता हूं।

सीकर जिले का रींगस रेल्वे जंक्शन नेशनल हाईवे पर स्थित है, जहां दिल्ली-अहमदाबाद, गंगानगर-सवाई माधोपुर रेलों का क्रासिंग होने से तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग के वाहन आवागमन के अलावा खेतड़ी–जयपुर तथा झुंझुनू-जयपुर सड़कों के वाहनों व खाटू श्याम जी के धार्मिक स्थल पर आने वाले वाहनों से वाहनों के आवागमन की फ्रीक्वेन्सी बहुत ज्यादा है। रेल्वे फाटक दिन रात में कम से कम 12 घंटे बन्द रहने से काफी समय तक वाहनों की लम्बी लाइनें लगी रहती है और जनता को भारी असुविधा होती है।

इस समस्या के समाधान हेतु रींगस बाईपास रोड बनकर तैयार हो गई है, मगर रेल लाइन पर ओवर ब्रिज का काम शुरू नहीं किया गया है और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इससे जनता के समय की भारी बरबादी होती है और सड़क दुर्घटनायें भी हो रही हैं।

इस योजना पर काफी व्यय हो चुका है। अत: शेष ओवर ब्रिज के कार्य को शीघ्र पूरा करा कर सरकार समस्या का समाधान करावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह बिश्नोई

126

लूणी के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय का राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित कर, कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में सीनियर उ. माध्यमिक व माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जो पश्चिमी राजस्थान के मरू क्षेत्रान्तर्गत आता है, उसमें शिक्षा के व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु एक ओर तो सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है एवं साथ ही प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चला रही है किन्तु यह खेद की बात है कि इस क्षेत्र के जो बालक-बालिका हैं, उनकी शिक्षा के लिए जो स्कूल खोले गये हैं उनमें वेतन श्रृंखला के अन्तर्गत अध्यापक लगाये ही नहीं है। यदि किसी भ्रांति व भ्रमवश कहीं कोई अध्यापक लगाया भी गया है तो वह छात्र, छात्राओं के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। यदि छात्र और अध्यापक हैं तो व्यावसायिक तथा कामर्स, साइन्स आदि के अध्यापक नहीं है। इससे मेरे क्षेत्र में जो छात्र/विद्या अध्ययन करते हैं, उनमें काफी आक्रोश है। यदि कहीं किसी विद्यालय में किसी अध्यापक का पदस्थापन हो भी गया है तो यह अध्यापक स्कूल में देरी से पधारते हैं एवं समय पूर्व ही घर प्रस्थान कर जाते है। और तो और ये अपनी उपस्थिति, उपस्थिति पंजिका में एक साथ दो तीन दिन की एक साथ ही कर देते हैं क्योंकि उनका आवास तो शहर में होता हैं और वे केवल मात्र दर्शन लाभ देने व वेतन लेने के लिए ही इतना भारी कष्ट उठाते हैं। यदि समय रहते सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वह दिन भी दूर नहीं कि अध्यापकों को उनका वेतन उनके निवास स्थान पर भेजने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़े।

इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी एवं विभागाध्यक्ष व सबंधित जिला शिक्षा अधिकारी आदि से भी पत्राचार किया गया और व्यक्तिगत भी इस समस्या के निराकरण हेतु निवेदन किया गया किन्तु स्थिति यथावत रूप में विद्यमान है। इससे ऐसा लगता हैं कि सरकार केवल मात्र प्रचार माध्यमों से ही शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार की भ्रामक सूचना करती है और आने वाली पीढ़ी के छात्र-छात्राओं के भविष्य का कोई ध्यान नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के स्कूलों में विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों के अध्यापक हेतु न तो प्रयोगशालाओं में यंत्र ही उपलब्ध हैं, न टंकण यंत्र ही।

ऐसी स्थिति में मैं शिक्षा मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में आग्रह करना चाहता हूं कि केवल मात्र अखबारों में नवीन स्कूलों को खोलने की घोषणा करने की अपेक्षा प्रथम तो स्कूलों में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु अध्यापकों की माकूल व्यवस्था करें साथ ही व्यवस्था करें कि गांव में जहां में जहां जिनका स्कूल है वहीं पदस्थापन रहें। आशा है कि शिक्षा मंत्री महोदय इस ओर आवश्यक कदम उठायेंगे और साथ ही इसके नीचे मैं जो स्कूलों के नाम इंगित कर रहा हूं कृपया इन स्कूलों की स्थिति खराब है इनकी स्थिति को सुधारने की घोषणा भी करेंगे।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

उपाध्यक्ष महोदय, यों तो 8वीं, 10वीं, सीनियर हायर सैकण्डरी, काफी स्कूल हैं और मैं नाम बता दूं। जहां मैं नाम बता रहा हूं वहां वाकई ही कहीं 3-3 अध्यापक हैं कहीं 4 अध्यापक हैं। मतलब बच्चों की स्ट्रेन्थ के अनुपात में अध्यापक नहीं है। यह मेरे ही नहीं पूरे राजस्थान की यही स्थिति है।

स्कूलों के नाम

जाणादेसर, चिचड़ली, लूणावासखारा, दड़पड़ा, खौंखिया, शुमडंड, फींच, सर, सरीचा, विश्नोइयों की ढाणी धांधिया, सलताना, धिकारपुरा, मोडी, जोशीया, कन्या, लोनावास, बोरुडावास, स्डकली, पीथावास, काकेलाव, रोहीचा कल्ला, पीपली, उत्तेसर, ओसवी, हुडगांव, चोड़ावास, बैनण, बीनावास, चांदेवाव, रामासणी, सिलारी, बोयल आदि अनेक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं भंवर, डोली, धवा, फींच, डूंघाड़ा, खारा बेरा, पुरोहिता, विसलपुर, पानासनी, रावर की ढाणी, लाम्बा, कापरड़ा, बाला, मा. विद्यालय तथा तिजवासनी, गुडा खरेनाडंया, लूणी सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले दो वर्ष से पूरा स्टॉफ विषयवार व्यापार खाता, वरिष्ठ अध्यापक तथा प्र. अध्यापक लगे हुए नहीं है। बच्चों व स्थानीय जनता में भारी रोष व्याप्त है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गुलाम मुस्तुफा खान (अनुपस्थित)

माननीय श्री रामकिशन।

बसेडी जिला धौलपुर में कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कस्बा बसेडी, जिला धौलपुर में अल्पसंख्यकों के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अनियमित तरीके से पूर्व से आज तक कब्रिस्तान के काम में आ रही भूमि को फर्जी बैनामा एवं किस्म तब्दीली, दाखिला खारिज एवं अतिक्रमण किया गया जिसमें स्थानीय व्यक्तियों को भी शामिल किया जाकर अल्पसंख्यकों को गोली बंदूक एवं बारूदी विस्फोटक पदार्थों से ध्वस्त करने की धमकी निरन्तर दी जा रही है।

(1) चालू बन्दोबस्त संवत् 2022 में खसरा नं. 1298 रकबा 4 बिस्वा बंजर प्रथम दर्ज है। मौके पर यह खसरा नं. कब्रिस्तान के कार्य में सैकड़ों वर्षों से काम आ रहा है। यह नम्बर किसी को भी आवंटन एवं रेग्यूलाइज नहीं किया गया है।

(2) यह है कि दिनांक 20-12-91 को भी इसी कब्रिस्तान भूमि में श्री आनन्दी लाल मनिहार (मुसलमान) को दफन किया गया है।

(3) चालू बन्दोबस्त से पूर्व यह खसरा नं. जिसका साबिक नं. 4901 है जो आबादी दर्ज था इसी तरह से कस्बा बसेडी के दूसरे मौहल्ले मदनपुरा का भी कब्रिस्तान आबादी में दर्ज था जिसको मोहल्ला मदनपुरा वालों ने आबादी से कब्रिस्तान दर्ज कराकर मुताबिक आदेश श्री कलक्टर साहब, धौलपुर दिनांक 4-7-87 को कराया

(श्री रामकिशन)

हैं। जो बीच आबादी में स्थित हैं जहां थाना, तहसील व मोहल्ला मोजूद है।

(4) यह है कि इस भूमि को श्री कलक्टर साहब, धौलपुर आबादी के पास कब्रिस्तान बताते हैं जो कि यह भूमि आबादी से 2 किलोमीटर दूरी पर है लेकिन कुछ कोलियों ने अपने खेतों पर घर बना लिये हैं।

(5) यह है कि उक्त जमीन खसरा नं. 1298 रकबा 4 बिस्वा को श्री एस. डी. ओ. साहब बाड़ी ने सिवाय चक गैर मुमकिन आबादी में परिवर्तन का आदेश दिनांक 14-1-92 को दिया है लेकिन यह जमीन ग्राम पंचायत को सुपुर्द नहीं की गई, न ग्राम पंचायत को कोई पट्टा जारी किया है।

(6) यह है कि तहसील द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 15-.-92 को जारी किया तथा हल्का पटवारी द्वारा दाखिला खारिज दिनांक 16-1-92 को दर्ज किया गया। इसकी जांच गिरदावर एवं नायब तहसीलदार द्वारा कर फैसला दिनांक 18-1-92 को किया है। बैनामा दिनांक 24-1-92 को इन्चार्ज नायब तहसीलदार बसेड़ी ने रात्रि को किया तथा बैनामा के स्टॉम्प कागजात बसेड़ी से खरीदे गये। इस प्रकरण में गोपनीयता इतनी बरती गई कि कोई ऐतराज पेश नहीं कर सके।

बैनामा करने वाले– गरगपत पुत्र मंगला, मुन्ना पुत्र ननुका, फैलू, लौरी लटोई पुत्रान खकेरा कोलियों द्वारा किया है जबकि इन विक्रेताओं को कोई मालिकाना हक नहीं है। श्रीमान् नायब तहसीलदार बसेड़ी द्वारा बैनामा करने के लिए इन विक्रेताओं से मात्र शपथ पत्र भरवाकर तस्दीक किये हैं जबकि इस भूमि पर सैकड़ों वर्षों कब्रिस्तान के काम में आता रहा है जिसमें काफी कब्रें तथा एक चबूतरा बना हुआ है। इस बारे में कोई भी धारा 91 की कार्यवाही नहीं की गई है जबकि फर्जी लोगों की एक वर्ष की धारा 91 की रिपोर्ट की गई। इन्हीं लोगों ने कब्रिस्तान में एक चबूतरा तोड़ा है जिसका मलबा पड़ा हुआ है।

(8) खरीदने वाले– श्री नन्द किशोर तिवाड़ी गिरदावर रतनपुर, तहसील बसेड़ी के दो भाइयों अशोक कुमार, नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनो राम तिवाड़ी कस्बा बयाना जिला भरतपुर। 2. श्री हरिसिंह गिरदावर निवासी सैदपुरा तहसील रूपबास जिला भरतपुर हाल गिरदावर भरतपुर के पिता रामसिंह पुत्र प्यारसी कोली। 3. भूपदेव कम्पाउंडर स्वास्थ्य केन्द्र बसेड़ी के भाई अशोक कुमार पुत्र प्रभुलाल ब्राह्मण ग्राम बरेई तहसील बसेड़ी। 4. श्री अशोक कुमार पुत्र संतोषीलाल तिवाड़ी अध्यापक पंचायत समिति बसेड़ी के नाम बैनामे हुए हैं उक्त सभी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं एवं एक ही परिवार के हैं।

उक्त प्रकरण में इस क्षेत्र के सभी समुदाय के लोगों ने दिनांक 28-1-92 को तहसील बसेड़ी पर एक विशाल प्रदर्शन भी किया जिसमें पांच सूत्री मांग पत्र इस सम्बन्ध में दिया गया और सभी समुदाय के

(129)

(श्री रामकिशन)

प्रतिनिधियों ने श्री कलक्टर साहब, धौलपुर से भी निवेदन किया लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस मामले में उच्च स्तर पर +++ हुआ है। इस उच्च स्तरीय +++ की वजह से मामला दबाया जा रहा है। अगर इस बारे में सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाकर अल्पसंख्यकों का हित क्यों नहीं देखा तो यहां साम्प्रदायिक झगड़ा हो सकता है।

अतः निवेदन है कि इनके लिए कब्रिस्तान की जगह को सुरक्षित कर पटवार कागजातों में खसरा नम्बर 1258 को कब्रिस्तान दर्ज कराया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री छगनलाल।

बड़ी सादडी में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी

श्री छगनलाल सिसोदिया (बड़ी सादडी) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने बाबत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की 80 प्रतिशत जनता कृषक है। इनका व्यवसाय कृषि है किन्तु सिंचाई सुविधाओं के अभाव में इस क्षेत्र में दोनों फसलें नहीं होती है। इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को निम्न तालाबों का कार्य कराने पर दूर किया जा सकता है :-

माना खेड़ी तालाब :—यह तालाब डूंगला तहसील में माना खेड़ी नाला पर बनाना प्रस्तावित है। पूर्व में भी तालाब पर राज्य सरकार ने कार्य करवाया है। इसकी सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी गई है। इस तालाब के लिए किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा एवं इसके निर्माण के लिए विलोग, पीराण, पालेड़ा ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे काफी गांवों के कुओं के पानी का लेबल भी अच्छा रहेगा।

पीण्डरी तालाब :-यह तालाब बड़ी सादड़ी तहसील के पीण्डरी में प्रस्तावित है। कूम नाले पर एनिकट का निर्माण कराया जा चुका है जो पानी से भरा रहता है लेकिन तालाब की बजाय एनीकट बना दिया जिससे सिंचाई की सुविधा नहीं हो सकती जबकि पानी की काफी आवक है इस क्षेत्र की जमीन काफी उपजाऊ है लेकिन सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होने से बेकार में पड़ी है। इस तालाब के निर्माण से सैंकड़ों बीघा जमीन सिंचित होगी व कुओं का वाटर लेबल भी बढ़ेगा।

झातला :— झातला प्रतापगढ़ के खोरिया ग्राम में है जो अधूरा बना हुआ है जिसकी एक केनाल का कार्य करवाया गया है तथा नई सर्वे अनुसार योजना बनाकर राज्य सरकार को भी भेजी गई है।

यदि इन सभी तालाबों के निर्माण के लिए मंत्री महोदय स्वीकृति देंगे तो इस क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन सिंचित होगी एवं हजारों गांवों के किसानों के कुओं का

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(130)

(श्री छगनलाल सिसोदिया)

वाटर लेबिल बढ़ेगा तथा इससे साथ ही ज्यादा उपज होगी। इस क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी जिससे राज्य के उत्पादन में वृद्धि भी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रीकिशन सोनगरा।

अजमेर जवाहरलाल नेहरु चिकित्सालय में ट्रोमा एवं बर्न वार्ड खोलने सम्बन्धी

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में ट्रोमा वार्ड एवं बर्न वार्ड खोलने बाबत माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करता हूं।

अजमेर राजस्थान के मध्य स्थित है। यहां दो अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थ हैं। हिन्दुओं का तीर्थराज पुष्कर और हमारे मुस्लिम भाइयों के लिये ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। यहां साल भर करोड़ों यात्री और जायरीन आते हैं और साल में एक बार यहां दोनों स्थानों पर बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों की तादाद में लोग-बाग सम्मिलित होते हैं। इसी के साथ जिले का बढ़ता औद्योगिक विकास व रेल्वे का बड़ा मुख्यालय है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 पर स्थित है। साथ ही नागौर जिले का मकराना जहां मार्बल की खानें अधिक हैं, इलाज हेतु इसी चिकित्सालय में नागौर जिले से बहुत बड़ी तादाद में लोग-बाग दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अजमेर आते हैं।

अजमेर उक्त स्थितियों के कारण कभी मेलों में, कभी औद्योगिक, कभी खनन कार्यों में व कभी सड़क दुर्घटनाओं में व रेल एक्सीडेंट्स में साथ ही महानगर होने के कारण भवन निर्माण की दुर्घटनाओं में काफी बड़ी तादाद में लोग घायल होकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में एक साथ कई दफा उपचार हेतु भर्ती होते है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूं, पिछले दिनों पुष्कर मेले के समय दुर्घटना के समय माननीय चिकित्सा मंत्री जी स्वयं इस चिकित्सालय में रोगियों से मिलने पधारे थे तब मंत्री महोदय ने खुद चिकित्सालय का निरीक्षण करते वक्त केजुअल्टी वार्ड का भी निरीक्षण कर उस समय मौके पर आदेश दिया था कि इस वार्ड में केवल चार बैड बहुत कम हैं, इस वार्ड का विस्तार किया जाय। काफी समय निकल जाने के पश्चात् भी व्यवस्था में आज तक सुधार नहीं हुआ है।

अजमेर की जनता की यह मांग है कि केजुअल्टी वार्ड का तो विस्तार किया ही जाय, साथ ही बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए ट्रोमा वार्ड आउट डोर के पास खोला जाय एवं उक्त दोनों वार्डों से जुड़ती एक्स-रे मशीनें, आपरेशन थियेटर आदि की सुविधाएं भी होना आवश्यक है। यदि स्थान का अभाव हो तो नगर के घनी आबादी के मध्य टी बी हास्पिटल को मदार सेनेटोरियम का काफी बड़ा भवन है उसमें स्थानान्तरित कर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का गायनिक वार्ड टी बी हास्पिटल में शिफ्ट करने के बाद काफी बड़ा क्षेत्र इस मुख्य चिकित्सालय में खाली हो जायगा

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

और उक्त जन महत्व के तत्काल सेवा हेतु ट्रोमा वार्ड और बर्न वार्ड वहां खुलने की स्थिति में आ जायेंगे। आशा करते हैं कि माननीय मंत्री महोदय अजमेर में ट्रोमा वार्ड व केजुअल्टी वार्ड का विस्तार तथा एक बर्न वार्ड खोलकर अजमेर की एक महती आवश्यकता को पूरा करेंगे। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विद्यालय खोलने सम्बन्धी

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्व विद्यालय स्थापित करने के सन्दर्भ में राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यद्यपि हमारे राजस्थान को देश में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय खोलने का गौरव प्राप्त हुआ था और सन् 1962 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से उदयपुर में यह स्थापित हुआ था। कालान्तर में इसके स्वरूप में आंशिक परिवर्तन किया गया तथा इसे बहुसंकायी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। व्यवस्था एवं आवश्यकता के अनुरूप करोड़ों रुपयों की राशि खर्च करके कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार शिक्षा के आधुनिक संसाधन विकसित किये गये। लेकिन राजनैतिक गठबंधनों में उलझ कर और कांग्रेस की आपसी फूट तथा उदयपुर का विधान सभा में कमजोर प्रतिनिधित्व होने के कारण यह कृषि विश्वविद्यालय, जिसे कि सम्पूर्ण देश में कृषि विकास का नेतृत्व देना था, आज भी पूर्णतः शैशवावस्था में ही पोषित हो रहा है। क्योंकि सन् 1987 में राज्य सरकार ने शैक्षणिक विकास की दृष्टि से कुछेक नये विश्वविद्यालय खोलने के साथ ही बीकानेर सम्भाग की तुष्टिकरण के लिये उदयपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय बीकानेर कर दिया।

यह सर्वविदित है कि कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के नाम पर जितने संसाधन उदयपुर में हैं उतने बीकानेर में नहीं हैं। मैंने अपने पत्र में एक मानचित्र भी भेजा है, देखें। आज भी इस सम्भाग में 2 : 1 के अनुपात में शिक्षक, वैज्ञानिक व कर्मचारी कार्यरत हैं। बीकानेर में मात्र पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय को आधार मानकर उस पर कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय बीकानेर कर देना तत्कालीन सरकार की इस क्षेत्र के साथ पक्षपात की नीति तथा भूल ही कही जा सकती है। गम्भीरता से विचार करें तो यह स्पष्ट है कि कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के संसाधन की सुविधा जहां उदयपुर में विकसित है वहीं फसलोत्पादन की दृष्टि से भी प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र ही सर्वाधिक उपयुक्त है। कृषि शिक्षा एवं तकनीकी विकास की भावी सम्भावनाएं जो उद्यनिकी महाविद्यालय और मत्स्य पालन महाविद्यालय के साथ-साथ वानिकी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, वह भी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी सम्भाग में ही सर्वाधिक है। ऐसी परिस्थितियों में इस सम्भाग से 550-600 किलोमीटर दूर बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय होना प्रशासनिक दृष्टि से गलत तथा अव्यावहारिक ही है। राजस्थान प्रदेश सम्पूर्ण राष्ट्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से सम्भवतः तीसरा स्थान रखता है। इसलिये इस प्रदेश की जलवायु, भूमि और कृषि परिस्थितियां भिन्न-भिन्न है। प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, जो पूर्णतः मरुस्थलीय, अर्द्ध मरुस्थलीय है, कृषि उत्पादन की दृष्टि से केवल श्रीगंगानगर को छोड़कर अधिक उपयुक्त नहीं लगता है। प्रदेश में मरु भूमि क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केन्द्र "काजरी" लगभग पिछले 25 वर्षों से कार्यरत है तथा राष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिकों और उन्नत तकनीकी संसाधनों से युक्त यह संस्थान कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में किसी भी महाविद्यालय की शोध क्षमता से कम नहीं होकर अधिक ही है। इनके विगत वर्षों के प्रयासों के बावजूद भी इस क्षेत्र में सभी प्रकार की सामान्य फसलें नहीं बोकर कुछेक किस्में ही बोयी जा सकती हैं। ठीक इसके विपरीत प्रदेश का दक्षिणी व दक्षिणी-पूर्वी भाग है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। गरीब एवं सीमान्त जोत के किसान भी इसी क्षेत्र में अधिक निवास करते हैं। कृषि की पैदावार भी गंगानगर को छोड़ कर इस क्षेत्र में ही ज्यादा होती है। ऐसे क्षेत्र एवं आदिवासी समुदाय के कृषि आर्थिक विकास के लिये एक अलग से कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही है जबकि हमारी सरकार जनजाति बहुल क्षेत्र के लिये अत्यन्त चिन्तित है। इसलिये प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालयों का होना अव्यावहारिक भी इसलिये नहीं लगता क्योंकि राजस्थान प्रदेश के समीपवर्ती राज्यों के अलावा देश के अन्य छोटे-छोटे राज्यों में भी दो या दो से अधिक कृषि विश्वविद्यालय सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश–4, महाराष्ट्र–4, मध्य प्रदेश-2, बिहार–2, तमिलनाडु-2, हिमाचल प्रदेश–2.

प्रदेश में यदि दूसरा कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो जाता है तो जहां प्रदेश में कृषि शिक्षा का विकास होगा वहीं कृषि शोध एवं प्रसार शिक्षा के व्यापक अवसर बढ़ेंगे। दो कृषि विश्वविद्यालय बन जाने से जहां कृषि विकास की सम्भावनाएं व्यापक होंगी, वहीं शोध के क्षेत्र में भू-सरचना एवं जलवायु भेद की वजह से किसी प्रकार की पुनरावृत्ति की सम्भावना भी नहीं रहेगी।

प्रदेश का दक्षिण व दक्षिण-पूर्वी भाग जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 6 कृषि जलवायु आधारित है, कृषि उत्पादन विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सरकार की स्पष्ट नीति है कि आदिवासी समुदाय का विकास हो, गरीब एवं सीमान्त जोत कृषकों का आर्थिक उत्थान हो। उदयपुर में यदि कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है तो सरकार पर कोई विशेष वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा क्योंकि एक कृषि विश्वविद्यालय के लिये वे समस्त आवश्यक आधारभूत अंग एवं संसाधन पहले से विद्यमान हैं। प्रदेश के बजट में भी इनका पहले से ही प्रावधान है। इस

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

समग्र प्रदेश में नया कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये केवल सरकार की इच्छाशक्ति की ही आवश्यकता है।

इसलिये मैं राज्य सरकार से तथा इस सदन से निवेदन करूंगा कि प्रदेश की खुशहाली, उन्नति तथा किसानों के तथा छात्रों के हित में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थापित करने का निर्णय इसी सत्र में लेने की घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती मदन कौर। स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया है, उसके बारे में दो मिनट तक अपने विचार रखें।

श्री रामनारायण वर्मा : सभापतिजी, मेरा 295 का है।

श्री उपाध्यक्ष : 295 तो ओवर हो गया था। क्या व्यवस्था दी थी पहले ?

श्री यदुनाथ सिंह : पढ़ा हुआ मान लिया जाय, कहा था। पार्ट आफ प्रोसिडिंग्स हो गया था।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह गलत परम्परा है।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ा हुआ मान लिया गया जब एक ही बात है।

श्री यदुनाथ सिंह : एक ही बात है।

श्री रामनारायण वर्मा : पढ़ा हुआ माना गया है। चूंकि हमने वाकआउट किया था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, उस समय की व्यवस्था उसी समय दे दी जाती है।

श्री रामनारायण वर्मा : जो प्रोसिजर है उस प्रोसिजर के मुताबिक....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी व्यवस्था लेकर ही बैठे थे। प्रोसीजर का नहीं है हिसाब।

श्री रामनारायण वर्मा : यह होता आया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप वाक आउट कर चुके थे इसके बाद....

श्री रामनारायण वर्मा : वाक आउट वाली बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब अलाऊ नहीं किया जाये। श्रीमती मदन कौर जी।

श्री रामनारायण वर्मा : वाक आउट वाली बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वर्मा साहब बिराजिये। आप शायद बहुत ही....

श्री रामनारायण वर्मा : वाक आउट वाली बात नहीं है। मैं बहुत ही नम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार का होता आया है और आप....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। अभी कोई सत्र काल का आखिरी दिन नहीं है। दो दिन बाद में और लगा दीजिए। सप्ताह शुरू ही रहा है। अब जिस पर व्यवस्था दी जा चुकी है। उसको रीओपन नहीं

(श्री उपाध्यक्ष)

किया जा सकता है और मैं सदन के माननीय सदस्यों....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वाक आउट के बाद आपने कई सदस्यों को इस तरह की अनुमति प्रदान की है तो आप इनको क्यों नहीं कर रहे हैं ? इनको भी कर दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : वह इस प्रकार का नहीं है । ऐसा नहीं है, जो जिस समय नाम बोला जाता है, पुकारा जाता है, वह अनुपस्थित रहता है, उसको बाद में एडजस्ट नहीं किया जा सकता । ऐसी कई बार सदन में इस तरह की व्यवस्था दी जा चुकी है । Every member should remain vigilant about his turn.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : व्यवस्था ऐसी भी दी चुकी है कि यदि नहीं हो तो दुबारा बोलने की अनुमति भी दी जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां होता है, लेकिन यहां पर पूर्व में व्यवस्था दे दी गई है । श्रीमती मदन कौर ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, बालोतरा थानाधिकारी द्वारा वहां के वाहन मालिकों को परेशान करने और उनके वाहनों को बेगार के रूप में काम में लेने के सम्बन्ध में मैने 11 मार्च को एक स्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया था । स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने के बाद इस समस्या ने नया मोड़ ले लिया है । बालोतरा पुलिस उन वाहन मालिकों, जिन्होने इस शोषण....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लड्ढा साहब, बिराजिये प्लीज ।

श्रीमती मदन कौर : बालोतरा पुलिस उन वाहन मालिकों, जिन्होंने पुलिस की इस गैर कानूनी कार्यवाही और शोषण के विरुद्ध आवाज उठायी थी, उन्हें धमकाना, उनके वाहनों को बुलाना और दिन भर बालोतरा थाने के सामने खड़ा रखना और उसके साथ ही अब खाली कागजों पर दस्तखत करवाना और उन वाहनों के टायरों की हवा निकालकर प्रतिष्ठित और निर्दोष लोगों को अपमानित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है । इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि खाली कागजों पर दस्तखत करवाने का बालोतरा पुलिस का स्पष्ट मकसद है कि उन पर झूठी रसीदें तैयार करवा ली जायें और लोगों की झूठी गवाहियां दर्ज कर ली जायें । इस सम्बन्ध में कुछ लोग बालोतरा के डिप्टी एस. पी. के पास इस शिकायत को लेकर पहुंचे थे और यह बताने का अनुरोध किया कि कुछ वाहनों के टायरों की हवा निकालकर बाजार में खड़ी कर दी गई है और आप प्रत्यक्ष रूप से उस मौके को देख सकते हैं, लेकिन बालोतरा के डिप्टी एस. पी ने इन शिकायतकर्ताओं को डांटा और डांट-फटकार करने के बाद बड़े अहम् भरे शब्दों में उनको यह बात कही कि मुझे आपके इस काम को देखने की कोई फुर्सत नहीं है और मेरा तो सेवाकाल एक

(श्रीमती मदन कौर)

साल का बचा है, मुझे अपना घर बनाना है और इसलिए मैं आपको इन बातों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं हूं। उपाध्यक्षजी, डिप्टी एस. पी. बालोतरा के दंभ भरे इन शब्दों का यह स्पष्ट मतलब निकलता है कि इस मामले में थानाधिकारी बालोतरा ही नहीं, इसमें कनइवेंस डिप्टी एस. पी. बालोतरा की भी है।

इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन तथ्यों की आप पूरी तरह से जांच करायें और किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच करायें, बाड़मेर जिले के किसी बाहर के अधिकारी से और जिस समय यह जांच हो, पूरे तथ्य सामने आ सकें, सच्चाई सामने आ सके, इसके लिए जरूरी है कि बालोतरा के थानाधिकारी और डिप्टी एस. पी. को वहां से बाहर भेजा जाये, क्योंकि यह संभव है कि स्थानीय पुलिस जब वहां मौजूद रहती है और उसके खिलाफ जब जांच होती है तो तथ्यों को दबाना, लोगों को धमकाना, यह सारी कार्यवाही होना संभव है। इसलिए माननीय गृह मंत्री आप यहां विराजे हैं, मैं आपसे इस संबंध में यह आश्वासन लेना चाहूंगी कि इन तथ्यों की आप निष्पक्षता से जांच करायेंगे और जांच के दौरान इन दोनों अधिकारियों को बालोतरा से हटाने के आदेश करायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके ऊपर व्यवस्था चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पहले भी आपने जिक्र किया था और अभी आपने इस संबंध में जो बात कही, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि पूरे प्रकरण की जांच, मैं डी. आई. जी. जोधपुर से कहूंगा कि वह निष्पक्ष अधिकारी को भेजकर इसकी जांच करायें और जांच के बाद में जहां तक उनको हटाने का प्रश्न है, आजकल तो लोग स्पष्ट हैं, कोई किसी से डरता नहीं है और उन्होंने गुनाह किया होगा तो उनके सामने भी कह देंगे, तो जांच आने के बाद तुरन्त उनको वहां से हटा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, उनको हटाने में क्या आपत्ति है ? जांच कोई लम्बी चौड़ी तो चलने वाली है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी समझ में आपको गृह मंत्रीजी के उत्तर से संतुष्ट हो जाना चाहिए। दोनों ही बातें इनक्लूड हैं। थोड़ा....

श्रीमती मदन कौर : नहीं दोनों कौनसी बात कही ? दूसरी कौनसी बात कही ?

श्री यदुनाथ सिंह : पहले एडजोर्नमैण्ट मोशन लगाया हमने, तो फिर उधम शुरू कर दिया वहां पर दुबारा लगायेंगे तो उनको और ज्यादा परेशान करने की कार्यवाही होगी। इसका नतीजा क्या निकलेगा ?

डा. चन्द्रभान : उनको हटाने में क्या आपत्ति है, हटा दीजिए ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने बात कही कि एडजोर्नमैण्ट मोशन लगाया, इसकी वजह से वहां और परेशान कर दिया । तो मैं इस संबंध में डी. आई. जी. से पर्सनली बात कर लूंगा और वह भी व्यवस्था कर देंगे कि जब जांच हो, उस समय कम से कम उन दोनों की उपस्थिति में न हो ताकि जांच निष्पक्षता से कर लें । जांच निष्पक्षता से करा दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र, प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री दिग्विजय सिंह परिवहन मंत्री राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री दिग्विजय सिंह (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 (4) के अंतर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंकेक्षण का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं ।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन । श्री अनंग कुमार जैन, सभापति विशेषाधिकार समिति, 1991–92 समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

श्री अनंग कुमार जैन (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं, सभापति, विशेषाधिकार समिति, 1991–92 श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, राजस्थान विधान विधान सभा द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स में दिये गये साक्षात्कार के समाचार जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं, उनके विरुद्ध सरकारी मुख्य सचेतक एवं 10 अन्य विधायकों द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार हनन के संबंध में समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

(3.00 म. प.)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भरतपुर में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना और विकास के बारे में

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 131 के अंतर्गत श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा जुरहड़ा जिला भरतपुर में ग्रोथ सेण्टर स्थापित कर उसे राज्य सरकार द्वारा विकसित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अब ध्यान तो आपने आकृष्ट कर ही दिया है, बोलिये बस मेरी तरफ से हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है ।

श्री रामकिशन : यह जरूर है कि बोलना सच सच ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रोथ सेण्टर केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है तथा ग्रोथ सेण्टर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं मापदण्डों के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं । भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्राप्त पत्र दिनांक 8-12-88 के द्वारा राज्य के लिए 4 ग्रोथ सेण्टर आवंटित किये गये थे । राज्य सरकार द्वारा 4 के विपरीत 8 ग्रोथ सेण्टरों के प्रस्ताव पत्र संख्या एफ 20 (29) उद्योग/1/88 दिनांक 7-3-89 को निम्नांकित 8 ग्रोथ सेण्टरों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे एक भरतपुर, दूसरा सवाई-माधोपुर, तीसरा भीलवाड़ा चौथा झालावाड़, पांचवां बीकानेर, छठा सिरोही सातवां अजमेर एवं आठवां अलवर । उक्त प्रस्ताव में भरतपुर भी सम्मिलित था । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 8 जिलों में भारत सरकार द्वारा बीकानेर, झालावाड़ एवं आबूरोड़ जो सिरोही में हैं, जिलों को ग्रोथ सेण्टर हेतु चयनित कर उनके पत्र दिनांक 20-10-89 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । भारत सरकार द्वारा अन्य जिलों, जिनमें भरतपुर भी सम्मिलित है, में ग्रोथ सेण्टर स्थापित करने हेतु सहमति प्रदान नहीं की गई है । फिर भी राज्य सरकार के प्रयासों से भरतपुर के समीपवर्ती जिला धौलपुर को भारत सरकार द्वारा हाल ही में ग्रोथ सेण्टर घोषित करने की स्वीकृति पत्र दिनांक 10-2-1992 द्वारा प्रदान की गयी है । इस प्रकार प्रदेश में भारत सरकार द्वारा पांच ग्रोथ सेण्टर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में और अतिरिक्त ग्रोथ सेण्टर की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार सहमत नहीं है । उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार जुरहेरा–जो भरतपुर में है, ग्रोथ सेन्टर स्थापित किया जाना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं होकर भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है ।

भरतपुर में रीको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के विकास को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

भरतपुर, डीग, बयाना, औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर दूसरा औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर । जुरहेरा में राज्य सरकार रीको के माध्यम से एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रही है एवं क्षेत्र के लिये 113 बीघा 19 बिस्वा राजकीय भूमि रीको को आवंटित हो चुकी है । रीको उक्त क्षेत्र की योजना बना कर औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेगी । राज्य सरकार द्वारा रीको के माध्यम से स्थित बृज औद्योगिक क्षेत्र का विकास 16.58 एकड़ लेकर किया जा रहा है एवं उक्त क्षेत्र की प्रशासनिक स्वीकृति रीको द्वारा प्रदान कर दी गयी है । इस क्षेत्र में 33 भू-खण्ड नियोजित किये गये हैं जो कि उद्यमियों के लिये आवंटन हेतु उपलब्ध है ।

राज्य सरकार किसी क्षेत्र विशेष की ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण राज्य के औद्योगिक विकास हेतु जागरुक है एवं इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा रीको के माध्यम

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

से अब तक 185 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा चुका है। राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में नये 8 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है, जो निम्न प्रकार है :–

(1) गुडली, जो उदयपुर में है, (2) गेगल, अजमेर में, (3) पीपलवा, बांसवाड़ा में (4) नोखा–बीकानेर में, (5) सीतापुरा–जयपुर में, (6) बस्सी–जयपुर में, (7) बिन्दायका–जयपुर में, (8) हीरावाला–जयपुर में है। राज्य सरकार द्वारा रीको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों के लिये अब तक 27,388 एकड़ जमीन अवाप्त की जा चुकी है जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु करीब 85.50 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मंत्रीजी ने कहा है उसमें एक बात उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने किस आधार पर भरतपुर को मापदण्ड के अनुसार नहीं माना था और उसके बाद धौलपुर को किस आधार पर मान लिया ? एक तो यह जानकारी दें। दूसरा, मैं चाहूंगा कि जुरहेरा को जो विकसित करने जा रहे थे उसके लिये तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन साथ ही साथ भरतपुर की जो हालत है, भरतपुर की जिस तरह की आबादी है, भरतपुर में जमीन की कमी है, बेरोजगारी ज्यादा है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर में कुछ जगह और ऐसी है जहां सरकार औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकती है क्योंकि समीपवर्ती राज्य है, दिल्ली के पास है मण्डी, जिस तरह हमारा सारा माल दिल्ली जाता है, यह सारा क्षेत्र दिल्ली से लगा हुआ है, हरियाणा से लगा हुआ है तो क्या राज्य सरकार इसके अलावा दूसरे जो स्थान हैं उस पर विचार करने को तैयार है ? तीसरी, मुझे यह पूछनी है कि क्या राज्य सरकार जुरहेरा क्षेत्र को, राजधानी का जो क्षेत्र है उससे जोड़ने की कोशिश करेगी जिससे और ज्यादा पूंजी नियोजित होकर उस क्षेत्र का विकास हो सके।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि राज्य सरकार ने किस आधार को मान कर भरतपुर को ग्रोथ सेन्टर में स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया और धौलपुर को उस नाते स्वीकृत किया है। मैंने सारा रेकार्ड देखा है रेकार्ड के आधार पर देखने से कहीं भी कोई कारण लिखित में या हमारे पास नहीं आये लेकिन जानकारी अधिकारियों के माध्यम से मैंने ली। उनका कहना था कि इसका प्रमुख कारण जो रहा है वह आपकी बर्ड सेन्च्युरी रही है और उस कारण से जिस प्रकार....

श्री रामकिशन : जुरहेरा में कहीं कोई ऐसी सेन्च्युरी से नहीं जुड़ा है। मैं जुरहेरा की बात कर रहा हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैंने कहा कि रिकार्ड में कोई चीज नही है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह जुरहेरा के लिये कह रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय सदस्य, जो हमारे पास, राज्य सरकार के पास रिकार्ड है, अधिकारी जाते हैं वहां पर तर्क-वितर्क होता है और तर्क-वितर्क के आधार पर, फाइनल अथोरिटी है, ग्रोथ सेण्टर कहां लिया जाए, कैसे लिया जाए यह उनको निश्चित करना है उस आधार पर वह तय करके भेजते हैं। आरम्भ के अन्दर उन्होंने 4 ग्रोथ सेण्टर दिये थे और 4 के अन्दर हमने 8 बनाकर भेजे, 4 की स्वीकृति आ गई, उसके बाद उन्होंने एक ग्रोथ सेण्टर और लिखकर भेजा। उस ग्रोथ सेण्टर के आधार पर एक ग्रोथ सेण्टर के लिए फिर लिख कर भेजा है। एक था धौलपुर का और दूसरा बहरोड था। उन दो में से धौलपुर का उन्होंने स्वीकृत कर भेजा था। तो कोई आधार उसमें नहीं, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम केवल भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को ही नहीं, राजस्थान में अन्य स्थानों पर रहने वाले अपने माननीय सदस्यों को भी निश्चित रूप से जिस प्रकार से दिल्ली के रहने वाले उद्यमी दिल्ली मार्केट को आधार बना कर दिल्ली के आसपास भी अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो अभी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर रहे हैं, जुरहेरा के अलावा भी अन्य क्षेत्र अगर चिन्हित किये गये, बताये गये तो निश्चित रूप से राज्य सरकार उन पर विचार करेगी। मैं केवल भरतपुर के लिए नहीं कर रहा हूं, यह उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में भी हो सकता है, अन्य राज्यों के भी हो सकते हैं इसके अलावा जहां भी लगेगा कि उद्यमी आने को तैयार हैं, आना चाहते हैं और यह क्षेत्र विशेष कर अगर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाय तो वहां उद्योग स्थापित हो जायेंगे। राज्य सरकार से रीको के माध्यम से उन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए परमीशन लेने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होगी लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास पूरा रेकार्ड है, मैं देख रहा हूं कि अनेक सैकड़ों प्लाट अभी भी अनेक क्षेत्रों के अन्दर बेकार पड़े हैं, जिन आधारों पर वह औद्योगिक क्षेत्र उस समय बने लेकिन अब आधार पर अगर किसी औद्योगिक क्षेत्र को नया बनाने का होगा तो उपाध्यक्ष महोदय, तो यही होगा कि वहां पर उद्योग किन के, कितने सम्भव हैं और कितने उद्यमी उस नाते प्लाट लेने को तैयार हैं। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की मेडिकल शाखा में अनियमितता

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की मेडिकल शाखा में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्रीजी जो लम्बा-चौड़ा ध्यान आकर्षण का उत्तर पढ़े, उससे पहले मैं चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जैन साहब, अभी आपके सामने काल-अटेन्शन पढ़ा है....

(140)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप लगातार पढ़ते आये है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दोनों तरह की है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज । आज लगभग बोलने वाले 39 सदस्य हैं और शायद 3.10 हो गये हैं, एक काल अटेन्शन मोशन और है । कृपया संक्षेप में ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि समय सदन का मूल्यवान है इसलिए मैं समय नहीं लेकर, इधर-उधर नहीं जाकर कुछ पाइंटेड सवाल है उनका उत्तर दें (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी काफी जागरूक हैं, कोआपरेटिव मामले में काफी समझते हैं । उपभोक्ता के संरक्षण का मामला है । मैं यह पूछता हूं कि उपभोक्ता का संरक्षण नहीं कर रहे हैं उसके बजाय हम लूट रहे हैं और मैंने जो कुछ मुद्दे उठाये थे उसका जो जवाब आप देना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या आप उस पर स्टैण्ड करेंगे । क्या आपको विधान सभा के नियम और प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह ज्ञान है ? या तो उस पर कोई एक्शन लेंगे या आप स्वयं जिम्मेदारी लेंगे । यह मैं आपसे निवेदन करूंगा,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्री जी ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य भी सही हैं और मैं भी सही हूं पर थोड़ी समझने की कमी है, और कोई बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : समझा दीजिए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल यह किया था कि जो उपभोक्ता संघ का गठन हुआ और उसमें मेडिकल ब्रांच की स्थापना की गई उस समय यह निर्णय किया गया कि 10 प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा मार्जिन लेंगे । चूंकि 75 प्रतिशत तो दवाइयां गवर्नमेण्ट सर्वेण्ट ही खरीदते हैं क्योंकि उनके लिए पाबन्दी है कि वहां से खरीदें वर्ना उनको रिम्बर्समेण्ट नहीं मिलता है । या तो वह उन दुकानों से एन.ए.सी. लें या वहां से खरीदें अर्थात् अल्टीमेटली इसका पेमेण्ट गवर्नमेण्ट करती है । आम अवाम, जो गरीब आदमी है उनका सरक्षण उपभोक्ता संघ करे, उसका दायित्व है । यदि मार्केट में कोई प्राइज बढ़ती है तो उस पर कण्ट्रोल करे, यह यदि अनावश्यक बढ़ती है तो उस पर कण्ट्रोल करे । अब मैंने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन किया था और कुछ उदाहरण दिये थे उसमें मैंने यह कहा था कि 10 रु. 8 पैसे क्रय मूल्य है जो जी. डी. डब्ल्यू. 540 एम. एम. की जो बोतल है उसका, एक जी.एल.एम. है, एक आर. एल. है । इसी प्रकार से ड्रिप सैट है, उसके बारे में मैंने कुछ उदाहरण दिये थे । आप कहना यह चाहते हैं कि आपने जो 10 रु. 8 पैसे की बात कही, वह गलत है और सही है कि हमने 18.31 पैसे के वास्तविक मूल्य पर उसको खरीदते हैं । मैं यह कहता हूं कि यह बात गलत है । मैं अपनी बात को प्रमाणित करूंगा, जब आप बोलेंगे तो उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे गलत है । 18.31 रु. जो आपने क्रय मूल्य बताया है, एक तो आपने यहां पर गलती की है । मैंने

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

10.8 रु. बताया है और उस पर कमीशन मिलता है तो वह लगभग 8.30 रु. में ही आती है और 8.30 रु. की चीज को हम उपभोक्ता संघ से 22.50 रु. में बिकवाते हैं। 22.43 रु में आपने खुद ने माना है। मैंने 22.89 रु. बताया था, लेकिन मान लें 22.43 रु. भी मान लिया जाए तो तिगुनी कीमत हो गई। 100-125 प्रतिशत ज्यादा मुनाफा आप ले रहे हो। यदि कोई भी व्यापारी या व्यक्ति 100-125 प्रतिशत मुनाफा कमाये तो उसकी जगह तो मैं समझता हूं कि जेल हो सकती है। लेकिन उपभोक्ता संघ के माध्यम से यह किया जाना क्या उचित है। यह सरकारी एजेंसी है। सहकार विभाग की एजेंसी है क्या इसलिए आपने उनको यह छूट दे दी कि वह डेढ़ा, दुगना और तिगुनी कीमत लें। और अल्टीमेटली यह हमारे राज के खजाने में से जा रहा है। इसमें आपने यह भी कहा है कि हमारे प्रशासनिक व्यय बढ़ रहे हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा होगा लेकिन इसके मुकाबले में हमारी बिक्री भी बढ़ रही है और यहां पर हमारा नफा ज्यादा हो रहा है, हम नफे को कमा रहे हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि हम नफे को ट्रांसफर कर रहे हैं। जो नफा मेडिकल ब्रांच में होता है उसको कम बताने के लिए उस पैसे को विभाग को ट्रांसफर करते हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार मरीजों का पैसा आप किस को दे रहे हैं। फिर आज इसको जस्टिफाइड कर रहे हैं कि दिल्ली–अहमदाबाद में करवाया गया उन्होंने भी यह कहा है और दिल्ली में भी 10 प्रतिशत से अधिक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में फर्क नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। यदि आप आज खुला कम्पीटीशन कर दें तो मैं समझता हूं कि दो–तीन प्रतिशत में कोई भी व्यापार कर लेगा और आज आपका 10 प्रतिशत में भी पेट नहीं भर रहा है और आप कह रहे हो कि हमारा किसी का नियंत्रण नहीं है, प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, यह बात गलत है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपने स्वयं ने भी इस बात को महसूस किया है और आपने स्वयं ने हो सकता है इस जवाब को भी एप्रूव नहीं किया हो और आपके बाला–बाला ही जवाब आ गया हो। आपने स्वयं ने भी यह महसूस किया है कि यह गलत हो रहा है और इसलिए आपने गवर्नमेण्ट को चिठ्ठी लिखी है कि यह मनमानी कर रहे हैं, इनको यहां से हटाया जाए। सारे डिपार्टमेण्ट में हड़कम्प मची हुई है, सारा डिपार्टमेण्ट अस्त–व्यस्त हो रहा है उनको हटाया जाए, ऊपर के ऊपर कमीशन कहां से कहां जा रहा है यह कैसा मेनुपुलेशन है, इसके बारे में मैं समझता हूं कि आपने स्वयं ने भी कहा होगा, ऐसा मैं समझता हूं। फिर आपने कैसे यहां पर जवाब भेजा है, यह मैं नहीं समझता हूं। मैं तो संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं, उसके बाद मंत्रीजी क्या कहते हैं उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने भी एक पत्र लिखा, तो पत्र तो मैंने इसलिए लिखा कि शंका का वह समाधान कर लें। मैंने कभी नहीं लिखा कि अधिकारी का ट्रांसफर किया जाए, मैंने कहा है

(142)

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

मुझे शंका हुई हैं तो उसको स्पष्ट करें। पत्र लिखना इस बारे में कोई पाप नहीं है। एक बात और कही इन्होंने कि 125 प्रतिशत व मुनाफा कमाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि चार दवाइयां जिन पर आपको गलतफहमी हो रही है वह केवल गवर्नमेण्ट को सप्लाई की जाती हैं और गवर्नमेण्ट को सप्लाई की जाती है उसमें हम कोई मार्जिन नहीं लेते हैं केवल चार प्रतिशत मार्जिन हमारा होता है। जो चार दवाइयां आपने बतलाई है जी. डी. डब्ल्यू., जी.एन.एस. आर. एल. और एन. एस. इन चारों ही दवाइयों की सप्लाई हम पब्लिक मे नहीं करते हैं। हम गवर्नमेण्ट को करते हैं और चार प्रतिशत मार्जिन लेते हैं। उन पर कोई मुनाफा ही नहीं लिया जाता है। बाकी आप कोई भी दवाई चैक कर लीजिए। हमारे पास 8 सौ की सूची है, दो प्रतिशत मुनाफा लेते हैं। सन् 82 का प्रस्ताव था 10 प्रतिशत का, अब तो हमारा खर्चा तो आगे बढ़ता जा रहा है सन् 82 को और आज को कम्पेयर नहीं किया जा सकता है फिर भी हम प्रायवेट दुकानें जो मार्जिन लेती है उससे दो प्रतिशत कम मुनाफा लेते है। और दो प्रतिशत पर दवाइयां व्यक्तिगत भी दी जाती हैं और सरकारी कर्मचारियों को भी दी जाती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि हम गवर्नमेण्ट सप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेण्ट तो सप्लाई डायरेक्ट भी ले सकती है। आपने जो जवाब दिया है वह तो यह दिया है और आपने यह माना है कि विक्रय मूल्य यह है। यह आप मानिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा, आप इसके पृष्ठ चार पर जो उत्तर है वह आप पढ़िये। उसमें कहा है कि माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 1-1-92 को जो विक्रय मूल्य में वृद्धि के पश्चात् की स्थिति को प्रकट करने वाला चार्ट बनाया है वह सही नहीं है। सही स्थिति का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैं। मैंने कहा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अनुसार वह मूल्य 10.8 पैसे हैं और उपभोक्ता संघ के अनुसार कर सहित जो इन्होंने कहा वास्तविक मूल्य क्रय 18 रु. 31 पैसे हैं। आप 18.31 रु. में क्रय करते हैं। यह, माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा है। 18 रु. 31 पैसे वास्तविक क्रय मूल्य में आप खरीद कर रहे हैं, यह आपने कहा है और वास्तविक विक्रय मूल्य 22.43 पैसे आपने बतलाया है। तो मैं कह रहा हूं कि आपने जो केवल गवर्नमेण्ट सप्लाई कहा, यह गलत है। आपने जो पुन: जवाब दिया है वह केवल इसलिए दिया हैं कि....

श्री हैतराम मीणा : यह ध्यानाकर्षण कर रहे हैं या आंख दिखा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लग तो ऐसा ही रहा है।

नहीं, धमका नहीं रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेडिकल डिपार्टमेण्ट को आपने सप्लाई करने के लिए आफर दी है। उसमें भी जो मेडिकल डिपार्टमेंट को सप्लाई करना चाहते हैं लगभग 10 करोड़ की, उसमें भी 15 प्रतिशत कमीशन मिले तो गवर्नमेंट का डेढ़ करोड़

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

रुपया कम लगे। तो गवर्नमेंट सप्लाई के नाम पर जो आप बात कर रहे हैं वह बात गलत है। वह तो आप करेंगे जब करेंगे लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि हमारा क्रय मूल्य 18.21 रु. है और विक्रय मूल्य 22.43 रु है। आपके गोदाम से आपने जो सप्लाई की है उसका भी मेरे पास रिकार्ड है कि आप सारी मेडिकल ब्रांचेज को सप्लाई करते हो, साढ़े बाइस रु. में आप विकवा रहे हो। आप जो यह कह रहे हो कि नहीं कर रहे है, यह बिल्कुल तथ्यों से विपरीत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्री जी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सदस्य या तो मुझे नहीं समझा सके....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : और मैं निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये तो इनको यह गलतफहमी हो गई कि 10.8 रु. में खरीदी और 22.84 में बेची जा रही है, यह बहुत गलत है। 18.31 रु. में खरीदी और बाजार में जो मिलती है 22.89 रु. में, हम बेचते हैं 22.30 रु. में। इसलिए इन चारों दवाइयों के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। और अगर माननीय सदस्य को फिर भी समझ नहीं आ रहा हो तो माननीय सदस्य मुझ से मिल लें, मैं और स्पष्ट कर दूंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप बहस अलाऊ कर रहे हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कर रहा हूं। ओवर कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खुद नहीं समझ रहे हैं। यह जो इन्होंने चार नम्बर पर चार्ट पेश किया है उसको आप स्वयं पढ़कर निर्णय करें। यदि आप यह निर्णय करेंगे तो मैं यह समझ लूंगा कि इन्होंने ऐसा ही किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि अधिकतम खुदरा मूल्य, उसमें जो प्रिंटिंग रेट है, एक तो यह बात कि गवर्नमेण्ट इतनी अधिक प्रिंटिंग रेट करने के लिए छूट क्यों दे रही है ? उपभोक्ता संघ का यह भी दायित्व था कि लोगों को बाजार की लूट से बचाये। वह नहीं बचाकर आप स्वयं मानते हैं कि जो मैक्सीमम रिटेल प्राइज वह लिखते हैं 8 रुपये पर यदि 22 रुपये विक्रय कीमत लिखते हैं, उसमें आपने रास्ता निकाला कि हम दो प्रतिशत कम करके सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि यह प्रिंट रेट है तो वह भी गलत है। यह सबसे बड़ा सवाल है। इसमें आपने कहा है कि स्वयं ने यह माना है कि हमने यह निर्णय लिया है जो खुदरा रेट प्रिंट है दो पर्सेंट कम करके हम सप्लाई करेंगे, यह हमारे बोर्ड का निर्णय है। तो मैं यह कहता हूं कि यह बोर्ड का निर्णय कब लिया गया ? यह क्या आपने देखा है ? मैं तो यह कहता हूं कि यह निर्णय ही नहीं लिया गया। किसी एक-आध अधिकारी की मनमर्जी से इस प्रकार का मैनुपुलेशन किया गया है। इस

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यदि निर्णय लिया गया है तो उस प्रस्ताव की कापी आप सदन के पटल पर रखें, यह भी मैं कहना चाहता हूं। इस प्रकार का गलत निर्णय लिया है। 10 पर्सेन्ट से ज्यादा प्राफिट लेकर आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप यह आम लोगों को यह छूट देना चाहते हैं। उपभोक्ता संघ उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायी है या मुनाफा कमाने के लिए है ?

श्री उपाध्यक्ष : कुछ कहना चाहेंगे माननीय सहकारिता मंत्री जी (व्यवधान) मैटर थोड़ा पब्लिक इन्ट्रस्ट का है

एक माननीय सदस्य : माननीय कल्ला साहब के समझ की बाहर की बात है इसलिए शांत रहो (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : और माननीय टौंक से आने वाले सदस्य दोनों ने मिलकर ही इसको जनता का हितार्थ बनाया है

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है। माननीय सहकारिता मंत्री जी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा उपभोक्ता संघ है यह बिजनेस संस्था है, मतलब यह इस ढंग की है हमारी.... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : को-आपरेटिव सोसाइटीज शोषण करने के लिए हैं या शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए हैं। यह मंत्री जी गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सदस्य ऐसा नहीं है, यह तो आपका कहना है कि मैं गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहा हूं। मैंने पहले ही कह दिया कि बाजार भाव से दो पर्सेन्ट कम ले रहे हैं।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह लोक कल्याणकारी राज्य है, बिजनेस करने वाला राज्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको आप थोड़ा गम्भीरता से देखिये।

श्री मदनलाल सैनी : यह बिजनेस राज्य नहीं है, राज्य का काम मूल रूप से बिजनेस करना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब, इसको डिबेट का विषय नहीं बनाऊंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय सहकारिता मंत्री जी को कह दिया है कि इसको जरा गम्भीरता से देखें।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सवाल यह है कि इन्होंने मान लिया है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : सहकारिता के माध्यम से लाभ कमाने की प्रवृत्ति होगी तो

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हम इसकी निन्दा करेंगे। फिर बिजनेस कारपोरेशन और सहकारिता संस्था में क्या फर्क रहा ?

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया। जिन माननीय सदस्यों ने उनका ध्यान आकर्षित किया उनके जवाब भी आ गये, सब कुछ आ गया। बड़ी इम्पार्टेन्ट बात है, वही तो मैं कह रहा हूं। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, इतनी जरूरी है जिसको सारी जनता महसूस करती है और राज्य सरकार भी करती है। आपने दो सदस्यों को और परमीशन देकर डिबेट शुरू की है, हमें भी आज्ञा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट शुरू नहीं की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह हाउस की प्रोपर्टी है, इसमें कोई रोक नहीं सकता (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं बाध्य नहीं कर सकता। इनका उत्तर आ गया हैं (व्यवधान) माननीय महावीर जी, सहयोग दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कोई व्यापारिक संस्था नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रूल आप लॉ हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यापारिक कोआपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, आप मुझे कहने दीजिए। आप एक मिनट बात तो सुन लीजिए। यह सिद्धांत की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले कह चुके हैं पहले।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सुनिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय की शायद स्लिप आफ टंग हो गई। उन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटीज को व्यापारिक संस्था बना दिया। को-आपरेटिव संस्थायें लोगों को व्यापारिक संस्थाओं से मुक्ति दिलाने के लिए बनी है। वह अपने वक्तव्य में सुधार करें। कल ही अखबारों में छपेगा कि को-आपरेटिव सोसाइटीज व्यापारिक संस्था है, व्यापार करती है, प्रोफिट कमाती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं। सन् 1982 के अन्दर वित्त विभाग ने दस पर्सेन्ट का आदेश दिया था लेकिन सन् 82 के बाद हमारा एक करोड़ कुछ रुपया लगा था, केवल 15 लाख रुपये की सबसिडी दी थी। पैसा हमें कोई देता नहीं। कोई राशि हमारी बढ़ाता नहीं। जो पेंशनर्स को हम देते हैं 15 लाख रुपये चार-चार महीने तक, हमें कोई नहीं चुकाता। उसका इन्ट्रेस्ट हमें भोगना पड़ता है। इन सब बातों को देखते हुए हमने दो पर्सेन्ट जनता से कम लेकर उसको चलाने का माध्यम किया वरना उपभोक्ता भण्डार को हमें ठप्प करना पड़ता, बन्द करना पड़ता, हमें लिक्वीडेशन में लाना पड़ता। (व्यवधान) व्यापारिक संस्था है, उसे को-आपरेटिव की भावना से चालू करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। माननीय श्री फूल चंद मीणा।

(146)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर प्रसाद जी, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आप कवर कर चुके हैं और इससे ज्यादा सरकार को जवाब देने के लिए मैं कम्पैल नहीं कर सकता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या जवाब आया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसका मतलब यह है कि यह हाउस यह परमीशन दे रहा है। दो सौ पर्सेन्ट से ऊपर लोगों से वसूल करें।

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसका मतलब यह है।

श्री उपाध्यक्ष : मतलब आप कुछ भी निकालिये, सहयोग कीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ मुद्दों पर, एक तो यह।

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई एण्ड नहीं है। जब आपको इतना कह दिया गया है कि आप माननीय मंत्री जी से मिलकर इस मामले में डिस्कस कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी इसे गम्भीरता से ले रहे हैं, तब कुछ नहीं रह जाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने सही किया है।

श्री उपाध्यक्ष : यहां सही-गलत का प्रश्न नहीं है, माननीय जैन साहब, कृपया सहयोग कीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सबके सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि बोलो मत। यह पूरा हाउस देख रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने देखा है। हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिये। कृपया बैठिये, महावीर जी जैन साहब। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपसे सहयोग की आशा करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अच्छा, दो बात का उत्तर दिला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : दो बात का उत्तर, जितना आना था आ चुका है। माननीय महावीर जी, प्लीज ओवर इट।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह कि जो सन् 82 का उदाहरण दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई एण्ड नहीं है माननीय महावीर जी, कृपया सहयोग कीजिए। माननीय श्री फूल चंद जी मीणा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो सन् ८2 में दस से बारह पर्सेन्ट कमीशन कर दिया था उसको वापिस लेना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह दो करोड़ रुपये तो दूसरों को दे चुके। आप यह कह रहे हैं कि नुकसान है।

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी, अब आप विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक जवाब यह आया है उसके लिए क्या यह मंत्री महोदय स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको सुनेंगे ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने समस्त बिन्दुओं को स्पष्ट कर दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी, आप बिराजिये, इसका कोई एण्ड नहीं है। आप, माननीय महावीर जी, क्या चाहते हैं ? क्या आप सहयोग नहीं करेंगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या आप यह चाहते हैं कि राज के खजाने से करोड़ों रुपये।

श्री उपाध्यक्ष : यह सारा डिस्कस हो चुका है, यहां हाउस में आ चुका है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या यह हाउस यह चाहता है कि उपभोक्ताओं को लूटा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं ऐसा नहीं चाहता है। ऐसा माननीय सहकारिता मंत्री जी भी नहीं चाहते हैं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनका जो जवाब है वह केवल इसी बात के लिए है। वह इस बात को प्रमाणित करता है कि हमने इसको केवल व्यापारिक केन्द्र बना रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय फूल चंद जी, आप बोल नहीं रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो 8 रुपये की वस्तु है, जो 10 रुपये की वस्तु है, 20 रुपये में देते हैं, यह तो केवल उदाहरण के लिए है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम होते तो आप कह देते कि रिकार्ड मत करो, बाहर चले जाओ। इनकी बात को आप सुने चले जा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि यह सदन चाहता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं हैं मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : आसन से व्यवस्था हो गई कि माननीय सदस्य बिराजें, फिर बोले चले आ रहे हैं। या तो आप इनको निष्कासित करें, सदन में व्यवधान डाल रहे हैं। मार्शल बुलवाकर इनको बाहर निकलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी, आप बिराजें। कृपया सहयोग कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पारीक साहब को रोज दवाई लेनी पड़ती है, मैंटल हास्पिटल से लेनी पड़ती है और अगर यह सदन चाहता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सचेतक जी से कहूंगा। माननीय गुप्ता जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आगे निश्चित रूप से प्रक्रियाओं का उपयोग करूंगा और जो कुछ यह जवाब दिया है, यदि यह सदन यह चाहता है कि इस प्रकार खुली लूट का अवसर दिया जाये, मनमानी करने का अवसर दिया जाये, रिकार्ड में हेराफेरी का अवसर दिया जाय, फोरजरी का अवसर दिया जाय और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फूलचन्द जी मीणा।

एक माननीय सदस्य : दे दो इस्तीफा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इतने बड़े घोटाले बताये हैं माननीय सदस्य ने, आप जांच कराइये, निर्देश दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष . जांच होगी इसकी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या होगी ? किससे होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने गम्भीरता से लिया है इसको। देखेंगे ये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मंत्री जी खड़े होकर कहें कि इसकी जांच कराऊंगा। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने बड़े गम्भीर चार्ज लगाये हैं और मंत्री जी बैठे हुए हैं। उनको कहना चाहिए कि मैं अविलम्ब इसकी जांच कराऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब जितना देना था, दे चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं, इनको गम्भीरता से लेना चाहिए और इसकी जांच कराने की घोषणा करनी चाहिए।

श्री चतुर्भुज वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल्ला साहब को कह देना चाहता हूं कि सहकारिता के अन्दर कोई गबन--घोटाला नहीं होगा। समय-समय पर अगर आप मेरी निगाह में लायेंगे, मैं स्पष्ट करूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले तो ये नाम से मुझे सम्बोधित नहीं करें, आप इनको निर्देश दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब डिबेट मत बनाइये। (व्यवधान) मैं कह चुका उन्हें आलरेडी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने हेराफेरी, गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं। इनके बारे में जांच करायें वे। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जांच कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप इस सारे मैटर को ही देखिये।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जांच कराने में क्या दिक्कत खड़ी हो रही है आपके सामने ? और दो सवाल पूछने में आप खुद ने बीस मिनिट का टाइम लगा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री हेमराज मीणा : 20 मिनट का टाइम दो सवाल पूछने में खर्च हो गया। दो सवाल पूछ लेते तो....

श्री उपाध्यक्ष : आप डाइरेक्शन देंगे क्या ? विराजिये आप। माननीय मीणा साहब, बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर इतनी बड़ी चर्चा हुई है, सरकार को आश्वासन देना चाहिए। आप इन से कहें कि जांच कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, सारा कह दिया गया है।

झामरकोटड़ा में संविदा के अनुसार खनन कार्य न होना

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) :–उपाध्यक्ष महोदय, मैं, झामरकोटड़ा, आर. एस. एम. एम., मटून, एच. जैड. एल., और खरबड़िया कानपुर, आर. एस. एम. डी. सी. द्वारा खनन संविदा समझौते की शर्तों के आधार पर कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति की ओर खनिज राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कालूलाल गुर्जर (राज्य मंत्री, खनिज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में खनिज विभाग से सम्बन्धित राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निम्नलिखित उपक्रमों के बारे में तथ्य चाहे हैं :—राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की झामरकोटड़ा खान, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की मटून खान, एवं राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमैण्ट कार्पोरेशन की कानपुर एवं खरबड़िया की खानें।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड : आर. एस. एम एम. द्वारा झामरकोटड़ा खदान पर किये जा रहे खनन कार्य के लिए माननीय सदस्य द्वारा किस संविदा समझौते का हवाला दिया जा रहा है, यह प्रस्ताव से स्पष्ट नहीं है। इस संस्थान के द्वारा खनन विभिन्न प्रचलित कानूनों के तेहत किया जाता है तथा संस्थान की जानकारी में स्थानीय किसानों एव अन्य व्यक्तियों के साथ खनन प्रक्रिया के बाबत कोई संविदा समझौता नहीं है। तथापि सूचनार्थ निवेदन है कि झामरकोटड़ा खदान पर खनन का कार्य लगभग 22-23 वर्षों से निरन्तर किया जा रहा है। इस कार्य हेतु यथा सम्भव स्थानीय व्यक्तियों को ही रोजगार में लगाया गया है। खदान पर कार्यरत कुल 1055 श्रमिकों में से 392 श्रमिक आदिवासी वर्ग के हैं। इसके अतिरिक्त खनन ठेकेदारों के पास कार्यरत 255 श्रमिकों में से भी लगभग 60 व्यक्ति इसी आदिवासी वर्ग के हैं। इस समय क्रियान्वित की जा रही झामरकोटड़ा एकीकृत परियोजना में लगभग 1200 श्रमिकों में से लगभग 300 व्यक्ति भी इसी आदिवासी वर्ग के हैं। इसी परियोजना के तहत आवश्यकता होने पर आर. एस. एम. एम. ने कुल 37 व्यक्तियों की खातेदारी भूमि, जो लगभग 24 हैक्टेयर थी, अवाप्त की थी। इन 37 व्यक्तियों में से 17 व्यक्ति स्वयं अथवा इनके आश्रित खदान में रोजगार प्राप्त हैं।

इन सभी व्यक्तियों को उनकी खातेदारी भूमि की अवाप्ति के बदले राज्य सरकार द्वारा आदेशित उचित मुआवजा दिया गया है। साथ ही यह भी आश्वासन

(श्री कालूलाल गुर्जर)

दिया गया है कि भविष्य में जब भी खदान पर अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी तो इन्हीं परिवारों के सदस्यों की नियुक्ति के समय प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान समय पर खदान पर 200 से अधिक अकुशल कर्मचारी पहले से ही हैं तथा और अधिक अकुशल कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता नहीं है। खास तौर से इसलिए क्योंकि पूरी खनन प्रक्रिया पूर्णतया यंत्रीकृत है तथा ऐसी प्रक्रिया में अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता न्यूनतम रहती है।

झामरकोटड़ा पहाड़ी की अधिकतम ऊंचाई समुद्र तल से 590 मीटर है तथा औसतन ऊंचाई 550 से 560 मीटर हैं। झामरकोटड़ा खदान में वर्तमान में खनन कार्य 500 मीटर की ऊंचाई पर चल रहा है तथा खान में विस्फोटन का कार्य पूर्णतया नियमानुसार हो रहा है। वस्तुत: खान के गहरे होने के कारण यह विस्फोटन का कार्य और भी सुरक्षित है।

संस्थान ने खनन तथा तत्सम्बन्धी कार्यों के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध कराने के लिए खदान से लगभग 11 किलोमीटर दक्षिण में एक चयनित स्थान पर एक पानी के बांध का निर्माण किया है। इसलिए सामान्यतया खनन प्रक्रिया में काम करने हेतु पानी के उपयोग से खदान के निकटवर्ती क्षेत्र के कुओं में भूजल और गहरा होने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। तथापि संस्था ने परियोजना की क्रियान्विति के सन्दर्भ में झामरकोटड़ा खदान तथा निकटवर्ती क्षेत्र का विस्तृत भूजल सर्वेक्षण करवाया है। इस सर्वेक्षण से यह तथ्य स्थापित हुआ है कि खनन प्रक्रिया से इस क्षेत्र में पानी का धरातल गहरा नहीं हुआ है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड : सत्तर के दशक में मटून खान के विकास के लिए जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गयी उनके परिवारों में कम्पनी के मानदण्डों के अनुसार योग्य व्यक्ति को नौकरी दी गयी है।

मटून माइन्स एक ओपन कास्ट खान है जिसका खनन कार्य पहाड़ी की चोटी से प्रारम्भ हुआ और अब खेतों के धरातल से करीब 10 मीटर नीचे पहुंचा है। इस खान में सबसे नीचे के कार्य स्थल में अभी तक तो पानी का रिसाव नहीं के बराबर है। अत. इसका आसपास के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जहां तक ब्लास्टिंग का प्रश्न है, यह कार्य मैटालिफेरस माइन्स रेगुलेशन, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जिसकी समुचित देखरेख खान सुरक्षा निदेशालय के अधिकारी समय-समय पर करते हैं। यदि उनको सुरक्षा में कोई कमी नजर आती है तो वे कम्पनी के खिलाफ उचित कार्यवाही करते हैं।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेट ने जब मटून क्षेत्र में खनन प्रारम्भ किया उस समय इस क्षेत्र में बहुत कम वृक्ष थे। कम्पनी हर वर्ष सैंकड़ों नये वृक्ष लगवाती है तथा उनके रखरखाव की उचित व्यवस्था करती है। कम्पनी ने नाबार्ड के सहयोग से वन लगाने की योजना बनायी है जो अगले वर्षा काल में कार्यान्वित की जाएगी। अतएव जहां तक जनजाति के लोगों को रोजगार का

(श्री कालूलाल गुर्जर)

प्रश्न है, कम्पनी भारत सरकार की नीतियों और प्रावधानों का यथासम्भव पालन करती है।

राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमैण्ट कार्पोरेशन : निगम की उदयपुर स्थित कानपुर एवं खरबड़िया क्षेत्र की राक फास्फेट की खदानों में जिन-जिन स्थानीय लोगों की भूमि अवाप्त की गयी है उसकी सूची परिशिष्ट-1 में संलग्न है, जिसमें यह भी दर्शाया गया है कि उनको कितनी राशि बतौर मुआवजा अदा की गयी है। जिन लोगों की भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही चल रही है उनकी सूची परिशिष्ट 2 में संलग्न है।

अवाप्त की गयी भूमि के बदले चूंकि नियमानुसार मुआवजा दिया जा चुका है, अतः कोई रोजगार नहीं दिया गया है और न ही उन लोगों से रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई समझौता हुआ था। फिर भी यहां यह जानकारी देना उचित होगा कि उक्त खदानों में कार्यरत अधिकांश श्रमिक स्थानीय लोग ही हैं जिनमें से आदिवासी श्रमिकों की संख्या लगभग 19 प्रतिशत है। ये सभी खदानें ओपन कास्ट तरीके से चलायी जा रही हैं व इनकी गहराई 15 से 30 मीटर तक है।

संविदा के अनुसार गांवों से ब्लास्टिंग की दूरी निश्चित नहीं है लेकिन ब्लास्टिंग सुरक्षित दूरी रखकर खान अधिनियम 1952 के अनुसार की जाती है। यह कार्य पूर्णतया नियमानुसार किया जाता है।

निगम द्वारा चलायी जा रही खानों से पानी के धरातल पर एवं पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि पर्यावरण को बनाये रखने के लिए निगम द्वारा सघन वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे इस क्षेत्र की पहाड़ियां फिर से हरी-भरी नजर आने लगी हैं। निगम का प्रशासन स्थानीय लोगों की इन समस्याओं के बारे में पूर्ण रूप से सजग है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री फूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष जी, आपने बताया कि इन खानों से पर्यावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलता। आर. एस. एम. डी. सी. की खरबड़िया और कानपुर की जो खदानें चल रही हैं, मैं मटून और कानपुर गांव में गया था। जब भी ब्लास्टिंग होता है तो आसपास की जमीन हिलने लग जाती है। ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा की क्या कार्यवाही की जाएगी? झामरकोटड़ा में अभी 20 तारीख को श्रमिकों का संघर्ष हुआ। उसकी प्रशासन ने जानबूझकर अवहेलना की, इस वजह से वहां संघर्ष हुआ। संघर्ष से आस पास के सारे गांवों में स्थिति यह पैदा हो गयी कि एक गांव दूसरे पर चढ़ने को तैयार हो गया। यह सारा प्रशासन और एक मजदूर संघ की मिलीभगत से हो रहा है। इसको कैसे रोका जाएगा? अन्यथा भयंकर आक्रोश जनता में है, वहां कभी भी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। सात व्यक्तियों-जगत सिंह पुत्र राय सिंह देवड़ा, किशन सिंह, पुत्र जगत राम व्यास,

(श्री फूल चन्द मीणा)

नाहर सिंह पुत्र ममतू सिंह देवड़ा, हिम्मत सिंह पुत्र किशन सिंह, विजय सिंह पुत्र भंवर सिंह, प्रताप सिंह पुत्र राय सिंह और छोटी लाल की जमीनें हिन्दुस्तान जिंक की अवाप्ति में गयी हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को समय-समय पर अपने आवेदन-पत्र दिये हैं, लेकिन आज तक उनकी सेवाएं मटून कम्पनी में नहीं ली गयी हैं। जबकि उनका इंटरव्यू हो गया, योग्यता प्रमाण-पत्र ले लिये गये और नियोजन कार्यालय द्वारा भी उनको साक्षात्कार के लिये बुला लिया गया। सब कार्यवाहियां होने के बावजूद आज तक उनको नौकरी पर नहीं लिया गया। उनको सेवा में मटून माइन्स द्वारा कब तक ले लिया जायेगा, यह बताने की कृपा करें।

श्री कालू लाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किये। एक तो यह कहा कि इससे पर्यावरण खराब हो रहा है और पेड वहां नहीं है और पानी भी गहरा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में सारा स्पष्ट किया है कि अभी खानें ज्यादा गहरी नहीं हैं, समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है, अभी तक पानी का रिसाव खान के अन्दर नहीं आ रहा है बल्कि और बांध पास में बना रखे हैं निगम ने, जिससे जल स्तर और बढ़ रहा है।

अभी आपने दो खानों के नाम बताये जहां ब्लास्टिंग हो रहा है। यह कहा कि आवाज आती है और नुकसान होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जहां पिट लगे हुए हैं, जहां ब्लास्टिंग होती है, नियमानुसार 300 मीटर के अन्दर कोई आबादी या बस्ती नहीं होनी चाहिये। इसके बावजूद भी निगम द्वारा 500 मीटर की रेंज में चारों तरफ कोई आबादी नहीं हो, इस प्रकार का ध्यान रखते हुए ब्लास्टिंग की जा रही है। खानें आखिर 15–20–30 फीट तक गहरी हैं। तो वहां जो ब्लास्टिंग होती है, उससे ज्यादा दूर के गांवों पर इफेक्ट पड़ने का सवाल पैदा नहीं होता है।

जहां तक पर्यावरण का सवाल है, इस खान में दो पिट ऐसे हैं, जिनमें माल पूरा निकल चुका है और बेकार हो गई। इसलिये उनमें पानी भरा रहता है। इससे पानी का स्रोत चूंकि इसमें पानी बरसात का

(3.42 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

भरा रहता है जिससे कुओं का जल स्तर और ऊंचा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, निगम की ओर से खानों के आस पास 10 हजार के लगभग पेड़ लगाये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न और पूछा कुछ नाम बतायें और यह कहा कि इन लोगों को सेवा में नहीं लिया गया है जिनकी भूमि अवाप्त की गई। इस बारे में मेरा निवेदन है कि यह जो मटून खान है, इसमें कुल 61 काश्तकारों की भूमि अवाप्त हुई थी।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

उनमें से 51 काश्तकारों को काम पर लिया जा चुका है। कुल इसमें 331 श्रमिक हैं जिनमें 93% स्थानीय हैं, इसमें एस. सी. के 15.71% हैं और एस. टी. के 24.17% हैं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि स्थानीय लोगों को नहीं लगाया जा रहा है या जिनकी भूमि अवाप्त की गई है, उनको नहीं लिया जा रहा है। हालांकि यह कारपोरेशन भारत सरकार का है लेकिन उसके बावजूद भी कोई शर्त नहीं होते हुए भी उन्होंने स्थानीय लोगों को ही ज्यादातर काम पर लिया है और भविष्य में भी इस प्रकार की आवश्यकता होगी तो योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को ही लिया जायेगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री फूलचन्द मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मटून हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में 7 व्यक्तियों के नाम बताये हैं, वे 1970 से इण्टरव्यू देते आ रहे हैं लेकिन आज तक उनको सेवा में नहीं लिया गया जबकि वे लैण्ड लूजर हैं, उनकी भूमि गई है। उनके पहले वालों को लैण्ड-लूजर मानकर ले लिया गया है पर इन सात आदमियों को वंचित रखा गया है। मैं इन सात आमियों के बारे में आश्वासन चाहता हूं कि इनका क्या होगा।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सात आदमियों को जैसे ही खानों में और आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित रूप से प्रायोरिटी से ले लेंगे।

श्री फूलचन्द गुर्जर : नहीं, नहीं, साक्षात्कार हुआ है। आवश्यकता हुई है, इण्टरव्यू हुआ है। सारी कार्यवाही हुई है।

श्री अध्यक्ष : काल-अटेंशन-मोशन समाप्त हुआ।

आय-व्ययक बजट 1992-93

मांग संख्या 46 (सिंचाई) का प्रस्तुतीकरण

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-46 (सिंचाई) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,02,16,46,000/-रुपये (छह अरब, दो करोड़ सोलह लाख और छियालीस हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 41 लोग बोलने वाले हैं। इसलिये शुरू में बोलने वाले 7 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्योंकि आखिर में जो बोलेंगे उनको थोड़ा अधिक समय दिया जायेगा।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46 मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

(154)

श्री अमीन खां (शिव)

1. बाड़मेर जिले के गडरा रोड़ तक इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

2. पांचना बांध द्वारा नादोती तहसील को लिफ्ट द्वारा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

3. लाखों रूपये खर्च होने के बाद भी सिरोही जिले की शिवगंज तहसील की सुकड़ी इननडेशन योजना के पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के कमेरी बांध के पुनः निर्माण एवं ओड़ा, धान्ता तथा अणगोर नहरों के विस्तारीकरण, मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

5. सिरोही तहसील के जावाल, बरलूर बांध तथा शिवगंज तहसील के कैलाश नगर बांध को पूर्ण करवाये जाने की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचोर)

6. नर्मदा परियोजना एवं कडाना परियोजना से सिंचाई हेतु अधिक पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. सांचोर तहसील जिला जालोर में बाढ़ से टूटे बांधों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

8. माही परियोजना बांध से लिफ्ट द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र में सिंचाई हेतु लिफ्ट से पानी दिलाने में राज्य सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

9. सिंचाई विभाग सवाई माधोपुर द्वारा पंचायत समिति खण्डार एवं सवाई माधोपुर में आने वाले बांधों की नहरों की मरम्मत व रखरखाव में की गई कथित अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)

10. देसूरी व मारवाड़ जंक्शन तहसील में स्वीकृत बांधों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर)

11. इन्दिरा गांधी नहर निर्माण की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

12. लोदड़ा बांध की नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री दयाराम परमार)

13. सागवाड़ा बांध की नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. ठीकवास नदी पर बांध बनवाने के लिये सर्वे करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. बूजड़ा बांध के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

16. सिंचाई विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के विषय पर चल रही जांच में जानबूझकर विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. चम्बल बांध की दांयी मुख्य नहर पर मूल योजना में प्रस्तावित जलोत्थान योजनाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. बारां जिले में पार्वजी केनाल की जल क्षमता बढ़ाने हेतु हैड पर एक बांध बनाकर 15 दिन का जल संचय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. बारां जिले के मजरावता ग्राम के निकट अथाह जल भंडार के उपयोग हेतु जलोत्थान योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

20. प्रदेश की सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

21. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में अनावश्यक सामग्री का क्रय एवं करोड़ों की लागत से क्रय की गई मशीनों का उपयोग न होने पर चर्चा के लिये।

22. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र की कोलायत, गजनेर, साहवा (चूरू) पोकरण एवं फलौदी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के हैड वर्क्स के तखमीने तय करने में अनावश्यक विलम्ब होने के कारण लिफ्टों की लागत में बढ़ोतरी होने एवं अनावश्यक देरी हेतु जिम्मेदारी तय न करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

23. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कोलायत, गजनेर, फलौदी, पोकरण, साहवा (चूरू) जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को मूल प्रस्तावित योजनानुसार क्रियान्वित करने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल (राजसमन्द)

24. नमाना बांध (राजसमंद) की नहरों के रखरखाव पर ध्यान न देने के कारण पानी के व्यर्थ में बह जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. खारी फीडर राजसमंद की मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घासी लाल (टोडारायसिंह)

26. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह

(श्री घासी लाल)

में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में टूटे बांधों की मरम्मत करवाकर किसानों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में बोदन्दा के पास बनास नदी के अथाह पानी भण्डार दह लिफ्ट कर अनुसूचित जाति के ग्राम भूपडया, रामपुरा, कुरासीया, चन्दपुरा के सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

29. माही परियोजना में स्थाई प्रयोगशाला सहायक अनुसंधान अधिकारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी व कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पदों को न भरने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

30. बांसवाड़ा जिले की माही परियोजना के मेकेनिकल संकट को अविलम्ब समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला)

31. बृहत सिंचाई योजनाओं की अपेक्षाकृत छोटी–छोटी सिंचाई योजनाओं पर व्यय कर स्थानीय जल का उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. खण्डेला उप तहसील के सलादीपुरा बांध में एक और नाले का पानी डाईवर्ट कर सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33 नीमकाथाना तहसील के गांव ठिकरिया, सीतलदास के बांध निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. खण्डेला उप तहसील के कोटडी-लुहारवास, कारोई, बामरड़ा, प्रतापपुरा गांवों में बांध बनवाकर सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

35. सिंचाई विभाग की योजनाएं समय पर क्रियान्वित न होने एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर)

36. डूंगरपुर जिले में नहरों में होने वाले पानी के रिसाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

37. डूंगरपुर जिले में बड़े बांधों की नहरों को पानी सीपेज होने से भूमि के खराब हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. डूंगरपुर जिले में जल स्तर ऊपर लाने के लिये ज्यादा से ज्यादा बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल लाल (रूपवास)

39. रूपवास क्षेत्र में चम्बल से एवं स्थानीय सिंचाई परियोजना एवं पांचना बांध द्वारा विशेष सुविधा प्रदान कर किसानों को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

40. मेजा प्रोजेक्ट की भीलवाड़ा स्थित राईट केनाल पर कृषि सिंचाई हेतु नहर पक्की बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. सूरत सागर बड़ा महुआ को सिंचाई विभाग हाथ में लेकर इसे बड़े प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त (थानागाजी)

42. थानागाजी क्षेत्र में बांधों के बनने की विपुल क्षमता होने एवं शीघ्र लाभकारी होने पर भी बांधों का निर्माण नहीं कराये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

43. हिण्डोन तहसील के जगर बांध को ऊंचा बढ़ा कर भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

44. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में लम्बे अर्से से खालें बनाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

45. कोलायत व गजनेर, जोधपुर व फलौदी लिफ्ट योजनाओं के निर्माण में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर)

46. लूणकरणसर कंवर सैन लिफ्ट नहर पर प्रस्तावित रकबे की सिंचाई कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

47. कंवरसैन लिफ्ट पर आर.डी.235 से आर.डी. 242 (आर) आर. डी. 246 से 250 आर. डी. (एल) तथा आर. डी. 270 से आर.डी. 275 (आर) पर लगभग एक लाख 32 हजार रुपये खर्च कर लगाये गये मांगों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

48. कंवरसैन लिफ्ट केनाल के पानी की सीमित मात्रा को देखते हुए सिंचाई हेतु भिन्न तरीके लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. लूणकरणसर, लिफ्ट मैन नहर (कंवरसैन) पर आर.डी. 303 से आर. डी. 350 के बीच काश्तकारों द्वारा अप्राधिकृत तरीके से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में नहरों एवं खालों का रखरखाव करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

51. अटरू तहसील मायथा गांव में

(श्री मदन दिलावर)

लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर)

52. सवाई माधोपुर के ढील बांध को पांच फीट ऊंचा कर भराव क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. इन्दिरा गांधी नहर निर्माण के कतिपय तकनिकी अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर भी उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. सवाई माधोपुर जिले की तहसील बौली के मारजा नदी, कुण्डली नदी, बनास नदी के किनारे पर बसे हुए गांवों के लिए पानी का सर्वे करवाकर सिंचाई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. बीसलपुर प्रोजेक्ट के कार्य को तीव्र गति से करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद)

56. पंचायत समिति सुल्तानपुर के गांव फतेहपुर में चम्बल नदी पर लिफ्ट सिंचाई योजना बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. दीगोद विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति सुलतानपुर में ग्राम बमूलिया, रामल के पास खरवा नाले का पानी लिफ्ट कर सुलतानपुर ब्रांच व किशनगंज माइनर में डाला जाकर टेल पर पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. दीगोद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चम्बल दाई मुख्य नहर खण्ड प्रथम की नहरों की सफाई प्राथमिकता के आधार पर करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. दीगोद विधान सभा क्षेत्र की सांगोद पंचायत समिति के ग्राम बिनोद खुर्द, टोल्या, टोस्या, खानपुरा को सिंचाई हेतु पानी काली सिन्ध नदी से लिफ्ट कर उपलब्ध करवाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

60. चम्बल सिंचित क्षेत्र में दाई मुख्य नहर से रकसपुरा लिफ्ट ब्लाक 13,14,15 सिंचाई योजना को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

61. बून्दी जिले के च्याकन मध्यम सिंचाई परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. पीपल्दा तहसील (कोटा) में नदियों से लिफ्ट योजनायें बनाने हेतु लिफ्ट सिंचाई का उपखण्ड कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. कोटा एवं बून्दी जिलों में ड्रेनों एवं नहरों की सफाई एवं मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

64. कोटा एवं बून्दी जिलों में चम्बल के क्षेत्र में कैचमेंट के कर्ज की राशि अविलम्ब माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)

65. सिधमुख नहर के लिये तहसील रामगढ़ (चूरू) के ग्राम सिधमुख में हो रहे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. नोहर-साहब लिफ्ट कैनाल के निर्माण कार्य की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीलाल (आसींद)

67. सिंचाई विभाग के अधीन बांधों की नहरों, नालियों सलूसों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. मुख्य सिंचाई बांधों के कमाण्ड क्षेत्र की समस्या और नहरों के समुचित रख-रखाव की चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा)

69. भांभरी बांध की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

70. छपनिया पहाड़ (हल्देश्वर) (बाड़मेर) के पानी को बांध कर सिंचाई के लिए योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. मेली तथा कोटड़न्द बांधों के पानी की भराव क्षमता बढ़ाकर सिंचाई हेतु अधिक पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. घोब (पचपदरा) के पास नाली में भरने वाले पानी को सिंचाई हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. जोजरी नदी में आयी वर्ष 1990 की बाढ़ से हुए नुकसान से भविष्य में बाढ़ बचाव के लिए समुचित प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

74. दातल बांध, बुचारा बांध, बेरी बांध, बनाड़ी, पाछोडाला बांध की मरम्मत के लिये आवश्यक राशि की स्वीकृति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. लालड़ी बांध, खुहाड़ा नाला, भूतेश्वर रूपपुरा बांध, कलावास की योजना में स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

76. लालड़ी बांध खुहाड़ा योजना को आज तक स्वीकृति न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. तहसील कोटपूतली में वर्ष 1989-90 और 1990-91 में सिंचाई व्यवस्था हेतु राशि स्वीकृत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सोमा (बागीडोरा)

78. लालपुरा माईनर तहसील गढ़ी

(160)

(श्री सोमा)

जिला बांसवाड़ा के निर्माण में हो रहे विलम्ब में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

79. जिला बांसवाड़ा माही प्रोजेक्ट की दांई व बांयी मुख्य नहरों के सीपेज से कृषकों को हो रहे नुकसान एवं नहरों के निर्माण में हुई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. जिला बांसवाड़ा में आनन्दपुरी कैनाल के निर्माण में हो रहे विलम्ब एवं विभागीय असफलता की स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. सिंचाई विभाग बांसवाड़ा के खण्डघांटोल में मेल तालाब की मरम्मत कर फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुढामालानी)

82. बाड़मेर जिले में लूनी नदी के दक्षिण किनारे के कटाव को रोकने हेतु बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल) को, सहायक अभियन्ताओं के बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद भी पदोन्नत नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

84. बाड़मेर जिले में लूनी नदी पर सिणधारी गांव के पास एक बांध के लिये सर्वे कर सिंचाई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़)

85. भंवर सेमला बांध कार्य नियमित योजना बनाकर कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. कानगढ़ (तहसील अरनोद) में बांध बनाने हेतु सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

87. कंसखाल बांध तहसील रामगढ़ जिला अलवर को बांधने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. ग्राम बेरे बास तहसील रामगढ़ (अलवर) के पास बांध बांधने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर)

89. जवाई बांध की मुख्य नहर तथा लिंक नहरों माईनरों पर लगे अनाधिकृत आऊट लेट (पाईप) नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. 1991–92 में जवाई बांध से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं दिया जाकर उन्हें आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. ग्राम–जाणा, पिचावा, चाणोद, भांवरी, हाथलाई, केनपुरा, पेणावा, सन्देलाव, साली, साण्डेराव, स्थित तालाबों की

(श्री गुलाब सिंह)

मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

92. जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर द्वारा नहरों के रख रखाव हेतु किये गये कार्यों में फर्जी मस्टरोल भर भुगतान उठाने पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा)

93. नहर सिंचाई की दरें बढ़ा कर उससे प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत सिंचाई साधनों के विकास पर खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

94. आठवीं पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत छबड़ा विधान सभा की बेतली एवं ल्हासी परियोजनाएं इसी वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

95. छबड़ा क्षेत्र की उतावली व फलिपा तथा परियोजनाएं जो गत 8–10 साल से बन रही है, को शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन)

96. केशवराय पाटन एवं कापरेन सहायक अभियन्ता क्षेत्रों में पानी सीपेज की समस्या के समाधान हेतु ड्रेनों एवं नहरों की सफाई व खुदाई हेतु ड्रेडर मशीनें सब डिवीजन वाइज देकर समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

97. चम्बल सिंचित क्षेत्र कोटा एवं बून्दी क्षेत्रों में नहरों की सफाई, खुदाई, टूटे फॉल, साइफन एवं पुलियाओं के लिये विशेष बजट राशि नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

98. चम्बल सिंचित क्षेत्र कोटा एवं बून्दी के भूमि सुधार (कैचमेंन्ट) क्षेत्र के कृषकों के कर्जे माफ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

99. बून्दी जिले की प्रस्तावित मेज सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा (मंजूरी) स्वीकृति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

100. केशवराय पाटन ब्रांच के अरणदपुरा राजवाह पर झौपड़ियों के पास एवं कापरेन ब्रांच की बलवासा राजवाह के बोरदा का छिपान पर हो रहे कटाव की मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़)

101. घड़साना व अनूपगढ़ व श्री विजयनगर तहसीलों (जिला गंगानगर) में पौंग विस्थापितों को आवंटित मुरब्बों में सिंचाई हेतु समुचित पानी उपलब्ध न कराने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

102. गंगानगर जिले में करणी जी नहर को सूरतगढ़ ब्रांच से पानी देने के स्थान पर रेगुलेटर गेट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

103. बिरधवाल हैड पर रेगुलेटर के

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

खराब गेट को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

104. सूरतगढ़ तहसील जिला गंगानगर के गांव देइदासपुरा, मोकलसर, हिन्दोर सिगरासर, काडू गांवों में ड्रिप ईरीगेशन या स्प्रिंकलर फ्लो इरीगेशन के अभाव में किसानों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

105. अनूपगढ़ शाखा में 2 जी. एम. आउटलेट व 8 ए.एस. आउटलेट में अनाधिकृत व नाजायज ए.पी.एम. व डायरेक्ट आउटलेट दोनों नाजायज तरीके से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल सिंह (आहोर)

106. जवाई बांध (पाली) से सिंचाई हेतु जल वितरण व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

107. इन्दिरा गांधी नहर को जल्दी पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

108. राज्य में बांध बनाने की निर्धारित मानदंडों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (धण्डार)

109. ढील बन्ध ढण्ड सागर मोरेल नहर नीमोद ब्रांच मैन केनाल के रखरखाव में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना)

110. मकराना विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पालड़ी तहसील नावां में बांध बनाने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा)

111. उदयपुरवाटी क्षेत्र के नदी नालों से बहते पानी से फसलों को मिट्टी के कारण होने वाली क्षति से बचाने हेतु खेतूडिया नाला ऊंठा नाला (उदयपुरवाटी) चागोली, जोधपुरा सुनारी घाट, खोहमणवसास में बांधों का निर्माण करने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

112. सिंचाई विभाग द्वारा झुंझुनू जिले के सहायक अभियन्ता कार्यालय को बांरा स्थानान्तरित कर दिये जाने से किसानों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

113. प्रदेश में नदियों के बहते पानी को रोककर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

114. लूणी क्षेत्र के गांव घूघाड़ा में लूणी व बांडी नदी पर बड़ा बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)

115. इन्दिरा गांधी नहर का पानी सिंचाई के लिए तहसील अजाकाट व लाडनू, रतनगढ़ तक लाने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

116. नारायण सागर खारी बांध के ऊपर बने छोटे-छोटे एनिकटों को हटाकर उसकी भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. नारायण सागर बांध जगलया-II (अजमेर) जो कि खारी नदी पर बना है, के बारिश के पहले पानी को बांध में नहीं लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज (किशनगंज)

118. शाहबाद (बारां) सीता बाड़ी सारन, रातई टैंक व नहरे, सहरोल टैंक व नहरे व शाहबाद की सभी सिंचाई परियोजनाओं की एवं नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. किशनगंज में बनी मध्यम सिंचाई योजना को आठवें प्लान में सम्मिलित कर बजट आवंटन किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

120. किशनगंज (बारा) में गरड़ा टेक, गोपालपुरा टैंक, बादीपुरा टैंक, पटानिया टैंक, नाहरगढ़ टैंक, इकलेरा सागर इनकी सभी नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर)

121. उदयपुर की जयसमन्द झील में अत्यधिक रेती एवं मिट्टी व अन्य रॉ-मेटेरियल को निकालकर भराव क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. उदयपुर की जयसमन्द झील को भराव नदी झामरी पर नया बांध बन जाने से झील में पानी की आवक खत्म हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना की स्वीकृति हो जाने के उपरान्त खण्ड कार्यालय सलूम्बर मुख्यालय पर स्थापित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

124. जयसमन्द झील की नहरों की लम्बाई नहीं बढ़ाई जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेंगू)

125. बेगूं विधान सभा क्षेत्र के भूजर रूपारेल, बूजड़ा, सुखपुरा, मेनाली, करेना बांध बनाने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. राणा प्रताप सागर से लिफ्टों द्वारा पठार पर इसी बांध के विस्थापितों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. बेगूं तहसील के बस्सी, ओराई, कालादेह, मण्डेसरा, मानसरोवर, राजगढ़, मोतीपुरा, दीपपुरा बांधों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. बेगूं तहसील के पुराने तालाव-राजगढ़, दीपपुरा, डमरचा, मानसरोवर, मण्डेसरा बन्दा एवं उनकी नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (सगरिया)

129. मुख्य गंग नहर के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर करवाये जाने के लिये धन की व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. राजस्थान केनाल, भाखरा व गंग केनाल की तीनों परियोजनाओं में पानी की सिचाई दरें समान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की सावा लिफ्ट नहर पर ठेकेदारों द्वारा घटिया सामग्री काम में लाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. गंग केनाल में अक्टूबर माह 1991 में एक आदेश देकर सभी मोघों को ठीक करने का बहाना बनाकर भारी अनियमितताएं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

133. ओगणा बांध की केनाल को विभाग द्वारा समय पर पूरी नहीं करने से काश्तकारों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. झाडोल तहसील में केनालों को पक्की नहीं बनाने से हो रहे सीपेज के कारण किसानों की फसलों में हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

135. सागवाड़ा क्षेत्र में माही केनाल का कार्य रोकने तथा आदिवासी क्षेत्र में सिचाई सुविधा की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. माही केनाल की धनराशि सागवाड़ा तथा आसपुर क्षेत्र में न खर्च होकर अन्यत्र खर्च करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. माही केनाल सागवाड़ा आसपुर का निर्माण कार्य आरम्भ में ही रोक देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)

138. बून्दी सिचाई खण्ड द्वारा खरीदे गये डुप्लीकेट सामानों में किए गए भ्रष्टाचार को रोकने में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

139. सिचाई खण्ड बून्दी के नाकारा ट्रैक्टर आर जे जेड. 1754 को ठीक कराने के नाम पर किए जा रहे सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. चम्बल की बांई मुख्य नहर से निकली बून्दी ब्रांच केनाल का नवीन निर्माण कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

141. चम्बल परियोजना क्षेत्र के गांव बम्बोरी, गोवरिया, नन्दपुरा, रायथल, पीपल्या, मंडीत्या में नहरी पानी नहीं पहुंचने से फसलों के सूखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

142. सिंचाई विभाग में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियमित वेतन श्रृंखला न दिए जाने एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियमों की अनदेखी की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143. सिंचाई विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची तैयार किए बिना ही कर्मचारियों को सरप्लस कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

144. भीनमाल में सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये बालसमन्द बांध को सागी नदी के पानी से भरने हेतु टूटी व अधूरी नहर का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. जवाई बांध से लगातार पानी रोकने के कारण, जालोर जिले के कुओं का जल स्तर कम हो जाने व कुओं के सूख जाने के कारण हुए नुकसान का काश्तकारों का मुआवजा देने हेतु सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम (जहाजपुर)

146. भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील के सांकडिया, झालरा, सरसिया आदि बांधों को शीघ्र पूर्ण करवाने बाबत चर्चा के लिये।

147. भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के अधूरे बांध शक्करगढ़, भीमल्या सागर लुहारी, टीकडसागर, गणेशपुरा बांध, श्यामादेव आदि बांध का कार्य शीघ्र करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

148. भीलवाड़ा जिले की कोटडी तहसील के शिवसागर पारोली, सरेला सागर रसेड, रतनसागर खोटाज बांधों की भराव क्षमता को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. अकाल राहत, जीवन धारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये सिंचाई विभाग के अधूरे कार्यों को वित्तीय वर्ष 1992-93 में पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासी लाल (टोडारायसिंह)

150. बीसलपुर परियोजना से नहर निकाल कर बांध पारेडा, सांडला, गनेता, बनका खेड़ा व रास्ते में सभी बांधों में सिंचाई हेतु पानी डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. बीसलपुर परियोजना से टोरड़ी सागर में पानी डालने के लिये फीडर बनाने की योजना में सर्वे कराने एवं नक्शे में अंकित करने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करवाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

152. मोरेल बांध का आधुनिकीकरण करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. मोरेल बांध के पेटे में आने वाली लालसोट तहसील के किसानों को

(166)

(श्री परसादीलाल मीणा)

मुआवजा नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री निर्मल लाल (रूपवास)

154. भरतपुर जिले की सिंचाई के पुराने नहर व बांधों को सही कराने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार)

155. इन्दिरा गांधी नहर के पूरा किये जाने में हो रही देरी से लगने वाली राशि के बढ़ने से सरकार को हो रही हानि पर चर्चा के लिये ।

156. इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के काम में आने वाली सीमेन्ट, लोहे व अन्य सामान की चोरी करने वालों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही न किये जाने से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये ।

157. इंदिरा गांधी नहर को शीघ्र ही समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर जैसलमेर पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

158. इंदिरा गांधी नहर को शीघ्र ही जोधपुर तक पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

159. अन्तर्राज्जीय जल विवाद में दखल रखकर राज्य का अपने हिस्से के पानी को प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सांवर लाल (मिनाय)

160. सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कार्य में सही सामग्री इस्तेमाल न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

161. चम्बल का आधिक्य पानी मिनाय निर्वाचन क्षेत्र में लिफ्ट द्वारा लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

162. आकोली बांध का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

163. जवाई नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर और अधिक बांध बनाकर उनके प्रवाह को और नहीं रोके जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

164. सरदारगढ़ (जालौर) बांध का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

165. जवाई नदी के पानी को सनवाड़ा के पास से दिशा बदल कर आहोर और मैंसवाड़ा के बीच में होकर बादनवाड़ी की तरफ जाने देकर 22 गांवों को सिंचाई सुविधा से लाभान्वित करने के लिए बांध बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

166. बीसलपुर परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा कराने एवं सिंचाई हेतु नहरों

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

के तत्काल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. टौंक क्षेत्र में उपलब्ध पानी का उपयोग नहीं करने एवं निर्मित बांधों के रखरखाव में लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

168. सिचाई मद में प्रतिवर्ष बजट आवंटन के अनुपात में कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

169. बनास नदी पर निर्मित बीसलपुर परियोजना बनने के बाद बचे पानी का उपयोग करने की आवश्यकता के कारण ईसरदा बांध के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेड़ता)

170. मेड़ता विधान सभा क्षेत्र की अधूरी बांध योजनाओं को पूर्ण करने एव कुछ स्थानों पर नये बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लिफ्ट से नहर द्वारा नागौर जिला को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर)

172. सीकर जिले में भू-जल की कमी को देखते हुए गंगा, यमुना के पानी से सिंचाई करने हेतु परियोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. सीकर जिले की तहसील लछमनगढ़, व फतेहपुर में क्षारयुक्त पानी होने से नहर से सिंचाई कराने हेतु परियोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर)

174. पीपला बांध अखेपुरा की निर्माण स्वीकृति नहीं मिलने से किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

175. गुणावता बांध निर्माण की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं जारी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

176. जलमहल से आमेर जाने वाली घनर्मासहपुरा छोर में जाने वाली नहर की मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत)

177. धौलीदाता बांध तहसील सोजत को स्वीकृति कराकर पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. चिरपटिया बांध तहसील मारवाड़ जक्शन को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. सोजत एवं मारवाड़ जक्शन तहसीलों के क्षतिग्रस्त पड़े बांधों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)

180. बांसवाड़ा जिला के माही डेम की दांई मुख्य केनाल की 20 किलोमीटर

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

अधूरी खुदाई को पूर्ण कर मलवा निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये :

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व)

181. सिचाई उपखण्ड बान्दनवाड़ा (अजमेर) में जे. आर. वाई. के अन्तर्गत देरी से भरे गये मस्ट्रोलों पर कराये गये कार्यों में की गई हेराफेरी से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

182. अजमेर सिंचाई खण्ड प्रथम व द्वित्तीय में निर्माण कार्य हेतु निविदायें आमन्त्रित न कर नियमों का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से कार्य देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. अजमेर में सिंचाई खण्ड प्रथम के मुख्यावास के साथ उपखण्ड खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. सिचाई खण्ड अजमेर प्रथम व तृत्तीय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं)

185. चौमूं में ठिकाने के समय निर्मित बांध की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न खतरे से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

186. चौमू क्षेत्र में मोरीजा बांध टूटने से शीघ्र मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. चौमू क्षेत्र नांगल माडा बांध का अधूरा निर्माण होने से आम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 41 लोग बोलने वाले हैं। इसलिये शुरू में बोलने वाले 7 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आखिर में जो बोलेंगे उनको थोड़ा अधिक समय दिया जायेगा।

श्री केदारनाथ शर्मा : यह डिबेट कब तक चलेगी।

श्री अध्यक्ष : 41 विधायक बोलेंगे, तब तक चलेगी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 मिनट बहुत कम हैं। पहले वालों को 7 मिनट बहुत कम हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले वालों को सात ही मिनट मिलेंगे। नहीं तो फिर पीछे कोई बोलना नहीं चाहता।

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह तो बहुत कम है, कम से कम 15 मिनट देने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : देखिये, एक तो पहले नम्बर मिला है और फिर वे 20 मिनट बोलें। जो बाद में बोलने वाले हैं, उनका नम्बर बाद में आता है और उनको 5 मिनट मिले, यह अन्याय तो नहीं होना चाहिये। इसलिये आज यह नया परीक्षण कर रहे हैं, देखते हैं कितना कामयाब होता है। 7 मिनट बोलेंगे पहले बोलने वाले।

श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या–46 पर अपने विचार रखते हुए मैं अपने आप को शुद्ध रूप से जवांई नदी तक सीमित रखूंगा। जवांई नदी जालौर जिले के लिये एक प्रकार से जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। हम जो गुजरात की तर्ज पर चलते, जालौर से लगता हुए जिला है, पालनपुर, उसका नाम रखा गया है बेनास कांठा जिला, यदि उस तर्ज पर हम चलते और चलना चाहें तो मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि जालौर जिले का नाम भी जवांई जिला किया जाय। इससे जवांई नदी पर सारा ध्यान केन्द्रित होता। जवांई नदी पर, जैसा मैंने निवेदन किया, जालौर जिले का जीवन निर्भर है, जालौर जिले का जीना-मरना इसी पर निर्भर करता है। मेरे पिताजी बताया करते थे कि आज से 50–60 वर्ष पहले तक जंवाई नदी में साल में 9–10 महीने तक पानी लगातार बहता था। उस समय जवांई बांध नहीं हुआ करता था और दूसरा भी कोई बांध इस पर नहीं था। आज स्थिति यह आ गई है. अध्यक्ष महोदय, साल में 9–10 दिन से ज्यादा उसमें पानी नहीं चलता। वैसे तो जो अरावली क्षेत्र है लम्बा–चौड़ा फैला हुआ अपने प्रान्त में, अरावली की पहाड़ियों की पश्चिमी ढलान का जितना पानी होता है बरसात का, वह किसी न किसी रास्ते से घूमकर जालौर जिले में जरूर पहुंचता है। उधर आबू की पहाड़ी से लेकर अजमेर जिले तक, अजमेर, सिरोही और पाली, तीन जिलों की पहाड़ियों का सारा पानी पश्चिमी ढलान का जालौर जिले में होकर गुजरता है। जब यह पानी निर्बाध होकर बहता था तब जालौर जिला बहुत गुलजार हुआ करता था, चमन हुआ करता था। 15 फीट गहराई तक भरपूर भू–जल उपलब्ध था। आज जब वह पानी रोक दिया गया है जगह-जगह तो उस जल का स्तर 150 फीट से नीचे चला गया है। दस गुणा नीचे चला गया है। अब स्थिति यह हो गई है कि अरावली से चलने वाला पानी जालौर तक पहुंच ही नहीं पाता। किसी शायर ने बहुत ठीक कहा है :

यहां तक आते-आते सूख जाती है
सभी नदियां,
मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा
हुआ होगा।

वह पानी जगह-जगह रोक दिया गया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कदम जो जालौर जिले के लिये था वह था जवांई बांध का। उस समय अंग्रेजों का राज था। जोधपुर के महाराजा ने जोधपुर में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये जवांई नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई। उस समय के इंजीनियरों ने जो सुझाव दिया था, उसके अनुसार उस बांध को 29 फीट से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिये था। 29 फीट से ऊपर आते ही पानी को ओवर-फ्लो देना चाहिये था। ओवर-फ्लो से नदी में पानी बहता उसके बाद यदि दुबारा और पानी आता तो उसको उससे ज्यादा रोका जाता, ऐसी योजना थी। पता नहीं, कौन से दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में योजना में परिवर्तन हुआ और वह 29 फीट बांध 62 फीट पर जाकर रुका।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

हाल यह हुआ कि जालौर जिले में पहुंचने वाला पानी रुक गया और जालौर जिला पानी के लिये तरस गया । जालौर जिले में जवाई नदी लगभग 200 किलोमीटर लम्बी बहती है । उसकी जो सहायक नदियां हैं– खारी और सूकड़ी, ऐसी जो दो-तीन नदियां हैं, उनकी लम्बाई मिला दें तो कुल मिलाकर 300 किलोमीटर तक की लम्बाई में जवाई और उसकी सहायक नदियां मिलकर जालौर जिले में बहती हैं । यह 300 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र संरसब्ज होता था पानी से और अब उस बांध के कारण हालत यह हो गई कि जो हमको स्वाभाविक रूप से पानी मिलना चाहिये, हमारा जल स्तर ऊंचा उठाने के लिये, रिचार्जिंग के लिये पानी मिलना चाहिये, उस समय हमारे पास नहीं होता है। जब उनके पास भरपूर पानी होता है, जब वह पानी तबाही करने पर आता है, मारने-मारने पर आता है, तब वह हमको सौंप दिया जाता है । वह लूणी का पानी हो चाहे जवाई का पानी हो, चाहे सिरोही जिले की सारी नदियों का पानी हो, जब भी नुकसान करने पर आता है, जालौर जिले के हिस्से सौंप दिया जाता है । जब लाभ करने की स्थिति में होता है तो दूसरे जिले उसका उपयोग कर लेते हैं । मैं यह नहीं कहता कि दूसरे जिलों की उपेक्षा कर दी जाय । पाली का विकास होना चाहिये, सिरोही का भी विकास होना चाहिये, वहां सिंचाई की योजना बनाई जाय, पर उन योजनाओं को बनाते समय मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से और उनके अधिकारियों से कि आगे वाले क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा, दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखकर बांध बनाए जाने चाहिये । रिचार्जिंग पहली शर्त होनी चाहिए और इरिगेशन दूसरी शर्त उसके बाद होनी चाहिए । इसलिए जो भी बांध बनाये गए हैं और भविष्य में बनाये जायं उनके बारे में यह ध्यान रखा जाय और अब तक जो बन गए हैं उनके बारे में भी यह ध्यान दिया जाये । उनके कारण से रिचार्जिंग का नुकसान हुआ है वह किसी तरह से बढ़ाया जाय । मैं इस रिचार्जिंग को लेकर कुछ सुझाव देना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय भी ध्यान दें और उनके अधिकारी भी ध्यान दें कि पिछले वर्षों में कुछ प्रयोग किए हैं कि पूरी दीवार उस बीच में बना दी जाय नदी को खोद कर चौड़ाई में और उसमें ठोस मिट्टी, काली मिट्टी भर दी जाय । उसके कारण से अण्डर ग्राउंड वाटर चलता है वह रुक कर दांये-बांये फैलता है । इस काम में बहुत ज्यादा खर्चा आता है और उस काम में बेईमानी के चांसेज भी ज्यादा हैं । क्योंकि पूरी गहराई तक न जाकर ऊपर-ऊपर खोद कर रख देते हैं । इस प्रकार के दो-तीन उदाहरण जालौर में छीपी भाखरी के पास में हुए हैं, उसमें घोटाले हुए हैं कि पूरी गहराई तक नहीं गए । उसका नुकसान यह हुआ कि पैसा भी ज्यादा लग गया । जहां तक काली मिट्टी डाली गई उससे नीचे बजरी कुछ छोड़ दी गई उससे उसके नीचे होकर पानी निकल जाता है । कोई लाभ नहीं हुआ ।

मेरा इस विषय में सुझाव है, मैंने उसके लिए इंजीनियर्स से भी बात

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

की है, सुझाव भी मांगे हैं-भू-जल विभाग के इंजीनियर्स से और सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स से, उन सब का सुझाव यह है कि इसमें यदि हम परकोलेशन टैंक कुछ बना दें तो वह ज्यादा सस्ते और ज्यादा लाभकारी हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जवाई बांध की जो बनावट है कि उसमें 3 से 6 मीटर तक ऊपर की पहली परत बजरी की है उसमें पानी आराम से रिसता है, उसके तुरन्त बाद लगभग 10 मीटर की एक परत है जो ठोस मिट्टी की है - इम्परमिएबल, अपरिवर्तनीय टेक्निकल लैंगवेज में जिसे कहते हैं उसमें से पानी नीचे नहीं भर सकता है इसलिए जो बरसात का पानी थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आता है 5-6 मीटर गहराई तक रह जाता है। उस इम्परमिएबल लेयर को पार नहीं कर पाता है। उसके कारण से जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर जो उससे नीचे वाली बजरी की लेयर होती है उस तक वह पानी नहीं पहुंच पाता है, रिचार्जिंग नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव है कि इम्परमिएबल लेयर को, ठोस परत को जगह-जगह ब्रेक कर दिया जाय, पंचर कर दिया, तोड़ दिया जाय और कुएं बना दिए जाय, कुओं में से ठोस परत है उसको निकाल कर उसकी जगह बजरी भर दी जाय तो उसके ऊपर बहने वाली पानी बजरी के माध्यम से नीचे बजरी वाली लेयर के पास में स्थाई रूप से स्टोर हो सकेगा, संग्रह हो सकेगा और बाद में उन कुओं में काम आ सकेगा। उसके कारण यदि रिचार्जिंग ठीक से हुआ तो मैं समझता हूं कि सिंचाई के लिए भी और पीने के पानी के लिए भरपूर पानी रुकेगा। नहीं तो आज हम सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं और कल को हमें पीने के पानी के लिए तरसना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है।

अध्यक्ष महोदय, जवाई बांध का जो पानी हमें नहरों के माध्यम से मिलता है उसमें भी जालोर जिले का बहुत बड़ा हिस्सा था। आहोर आधा उसमें करीब कवर होना चाहिए था, जो योजना बनी थी मूल रूप से नहरों की लाइनिंग की गई थी वह काम्बा और आहोर के पास तक थी लेकिन आज की तारीख में, हकीकत यह है कि मुश्किल से 2-4 गांव ही जालोर जिले के कवर कर पाती है वहां तक सिंचाई हो पाती है, बाकी सब वंचित रह जाते हैं। इसका कारण यह रहा है कि ऊपर के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके जो बेसिक योजना बनी थी, आउट लेट्स के लिए सर्वे हुआ था उस सर्वे को तोड़-मोड़ दिया और जहां 9 इंच का पाइप लगना चाहिए था जहां 12 इंच का लग गया और जिस गरीब के यहां 12 इंच का पाइप लगना चाहिए था वहां 9 इंच का लग गया। उसके कारण से जालोर जिले में पानी नहीं पहुंच पा रहा है और ऊपर-ऊपर रह जाता है। उधर जंवाई बांध को रिचार्जिंग से नुकसान किया गया और दूसरी तरफ सिंचाई का जो थोड़ा-बहुत काम जालोर जिले में होना चाहिए वह पानी भी रोक दिया। इस प्रकार से दोहरा नुकसान किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जंवाई बांध के बारे में पुनर्विचार करें। इसी तरह से जो सिरोही जिला है जहां से नदी आती है सिवाणा, आकोली होकर निकलती है उस पर पिछले 4-5 सालों में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

एक के बाद एक बांध बना दिए गए, लगातार बांध बना दिए। मैं स्पष्ट तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि बांध बनाएं उससे हमें एतराज नहीं पर उसकी सीमा तय होनी चाहिए, उसका नक्शा तय होना चाहिए कि वह आगे वालों को नुकसान नहीं करे। आज वह सिवाणा, रामपुरियां और आकोली, यह पहले सरसब्ज गांव थे अभी 10-15 साल पहले तक, मेरी देखी हुई बात है पर आज उन गांवों के कुओं का पानी सूख रहा है।....

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इसलिए बारीकी से आगे के लिए सोचें, यह मेरा मुख्य रूप से मंत्री महोदय से निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने एक बार वायदा किया था वह भूल नहीं जाय, वैसे भूलने की उनकी आदत नहीं है फिर भी मैं उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा, उनको याद दिलाना चा[illegible] (व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पहले स्पीकर को, हरेक पार्टी के को, ज्यादा समय दिया जाय।....

श्री अध्यक्ष : मैंने उसे उलट दिया है। पहले स्पीकर को जितना टाइम मिले उतना अन्तिम स्पीकर को भी मिलना चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं कर पायेगा। मेरा निवेदन करना यह है कि इन्हें बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : पीछे वह न्याय नहीं कर पायेंगे। पीछे बोलने वाले हैं उनके साथ न्याय नहीं हो पायेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं केवल उनका वायदा ध्यान में लाना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा था कि जालौर की जनता का मेरे उपर कर्ज चढ़ा हुआ है, जालौर की जनता ने एक अहसान किया है और कभी अवसर मिला तो उस अहसान की और कर्ज की पाई-पाई चुकाऊंगा। आज भगवान, भारतीय जनता पार्टी और भैरोंसिहजी की दया से यह अवसर मिला है उस कर्ज को चुकाने का। मंत्री महोदय कर्जा चुका दीजिए, कर्जा साथ में न ले जायं जो उचित रहेगा। हमें लम्बा-चौड़ा पैसा नहीं चाहिए, हम तो गरीब आदमी हैं, केवल रिचार्जिग सिस्टम होना चाहिए। मैं एक शेर अर्ज कर रहा [illegible]

"[illegible] सूरज से कहां रोज उजाले मांगे।
हम गरीबों के लिए बस एक किरण काफी है।"

मंत्री महोदय रिचार्जिग सिस्टम हमें दीजिए. यह बात जालौर जिले के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। धन्यवाद!...

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इन्दिरा गांधी नहर की मांग जो मंत्री जी ने प्रस्तुत की है उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। सिंचाई और विद्युत पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 60 पर्सेन्ट पैसा खर्च किया जाता था लेकिन इस बार बजट में सिंचाई और बिजली पर 44.9 पर्सेन्ट पैसा खर्च करने का प्रावधान किया है । इस प्रकार से 15.1 पर्सेन्ट राशि हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कम हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि एक तरफ एक चौथाई बजट प्रावधान आपने कम कर दिया और दूसरी ओर हमारी लागतों में दोगुनी वृद्धि हो गई, इसलिए जो भौतिक लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं वह नहीं होंगे। लगभग 37 पर्सेन्ट लक्ष्य भी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो रखे गये थे उसके मुकाबले 37 पर्सेन्ट भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

दूसरी बात, आपने स्वयं ने भी इस वर्ष 40 हजार हेक्टेयर में नया इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट करने का लक्ष्य रखा था लेकिन उसके मुकाबले में केवल 16 हजार हेक्टेयर में 31 जनवरी, 1992 तक, आपके स्वयं के इरिगेशन के आंकड़ों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि केवल 16 हजार हेक्टेयर में इरिगेशन का नया पोटेंशियल क्रिएट किया है। जबकि सन् 1988-89 और 1987-88 और उसके पहले के वर्षों में लगभग 50 हजार से 60 हजार हेक्टेयर तक नया इरिगेशन पोटेंशियल क्रियेट होता रहा है।

इसी तरीके से, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या किया है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की जो 5 मेन लिफ्ट द्वितीय चरण में बनाने वाले हैं इन लिफ्टों के साथ बड़ा भारी षड्यन्त्र कर रहे हैं। इन लिफ्टों के बारे में कभी तो यह ले जाना चाहते हैं सुजानगढ़, लाडनूं और आसोद और इस सम्बन्ध में कई बार समय-समय पर रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं लेकिन अभी भी वेपकोस, भू-जल विभाग से सर्वे करवाया गया है उस सर्वे के आधार पर इन लिफ्टों को बन्द करने की सोच रहे हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि यह रतनगढ़, सुजानगढ़, लाडनूं तक जाय लेकिन इस पानी को, जो मूल योजना प्रस्तावित थी उस प्रस्तावित योजना में यह तोड़-मरोड़ करने लग गए हैं। कभी कहते हैं कि हम इसकी फ्लो कैपेसिटी को जो पहले रखी थी वह फ्लो कैपेसिटी नहीं रखेंगे, हम कम रखेंगे। मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि जो मूल प्रस्तावित योजना है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(4.00 म. प.)

अध्यक्ष महोदय, देखिए, विभाग में कितना विरोधाभास है इस खण्ड से सम्बन्धित, गजनेर लिफ्ट से सम्बन्धित भू-जल विभाग की रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन किया गया है जिसका विवरण इस कार्यालय के पत्रांक 1 से 3 दिनांक 25-10-1991, अधीक्षण अभियन्ता, सर्वे एवं अन्वेषण, बीकानेर ने मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रेषित किया है। इसमें यह दर्शाया गया है कि भू-जल विभाग द्वारा गजनेर लिफ्ट के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्ट निम्नलिखित कारणों से सही प्रतीत नहीं होती है। भू-जल विभाग द्वारा गजनेर लिफ्ट के सम्बन्ध में दो रिपोर्ट क्रमशः मार्च 1989 और जुलाई 1991 में दी गई। इन दोनों रिपोर्टों में भूमि के नीचे की परतों की सोयल स्ट्रेटा बहुत अधिक विरोधाभास है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने साहवा चूरू, कोलायत गजनेर, पोकरण एवं फलौदी इन लिफ्टों के बारे में, क्या आपने इन दोनों रिपोर्टों के बारे में पढ़ा है जिसमें विरोधाभास है? जिसमें एक में तो यह कहा गया है कि एक मीटर और तीन मीटर पर हार्ड पेन है और दूसरी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बीस मीटर तक हार्ड पेन नहीं है। तो ऐसी इस प्रकार की जो रिपोर्ट देने वाले लोग हैं वही भू-जल विभाग एक रिपोर्ट 1989 में तो कुछ देता है और 1991 में दूसरी देता है। ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो वेपकोस की भोगी बन चुकी हैं अभी इन रिपोर्टों के माध्यम से इसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने उद्धरण आपको पढ़कर सुनाए हैं इस सम्बन्ध में ब्यूरो आफ रिक्लिमेशन अमेरिका की संस्था द्वारा जारी की गई ड्रेनेज मैन्युअल के अनुसार अगर किसी परत की जल रिसाव की क्षमता हाइड्रोलिक कन्डक्टिविटी इसमें ऊपर वाली परत की जल रिसाव की क्षमता से 1/5 अथवा उससे कम हो तो नीचे वाली परत हार्ड पेन मानी जाती है। भू-जल विभाग द्वारा इन नहर क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में 15 स्थानों पर भूमि की विभिन्न परतों की हाइड्रोलिक कन्डक्टिविटी के बारे में जल रिसाव क्षमता नापी गई और इस जल रिसाव क्षमता का, हार्ड पेन का ऊपर दी गई परिभाषा के अन्तर्गत अध्ययन करने पर यह पता लगता है कि 9 मीटर की गहराई पर इन लिफ्टों में कहीं पर भी कोई हार्ड पेन नहीं है। उसके बाद मीटिंग करके और यह कह दिया जाए कि इसकी जो पुरानी केपेसिटी है इसमें परिवर्तन कर दिया जाए, फ्लो केपेसिटी में परिवर्तन कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि साहवा चूरू लिफ्ट, कोलायत गजनेर लिफ्ट, पोकरण और फलौदी लिफ्टों को मूल प्रस्तावित योजनाओं के अनुसार ही इनको क्रियान्वित करना चाहिए और आपने लक्ष्य क्या रखा, इसका लक्ष्य रखा गया इस बार 33.3 किलोमीटर लिफ्टों को बनाने का इसके मुकाबले में जनवरी के एण्ड तक आपने केवल 18.38 किलोमीटर का लक्ष्य प्राप्त किया है। मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकार की बेनामी है। राज्य सरकार स्वयं इन लिफ्टों को बनाना नहीं चाहती है। आप 1977 और 1980 में जब आए तो आपने केबिनेट डिसीजन लेकर इन लिफ्टों को बन्द करने का निर्णय ले लिया उसके बाद जब इन लिफ्टों को बनाने का निर्णय हो गया यह बननी शुरू हो गई और साहवा चूरू लिफ्ट कम से कम 10 किलोमीटर बन चुकी है, गजनेर लिफ्ट साढ़े पांच

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

किलोमीटर बन चुकी है और इसी तरीके से कोलायत लिफ्ट भी काफी बन चुकी है, बांगड़सी लिफ्ट बन चुकी है और फलौदी की लिफ्ट भी करीब-करीब डेढ़-दो किलोमीटर की खुदाई वगैरह का काम हो चुका है।

अब इन लिफ्टों के सखमीनों में, इनकी लम्बाई चौड़ाई और गहराई में आप परिवर्तन करने की मैं समझता हूं आप कोई बात करेंगे तो राजस्थान के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ हम पानी का आदर्शतम उपयोग करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जहां....

(4.05 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

पानी आया हुआ है वहां आप पानी नहीं देना चाहते हैं, इन लिफ्टों को बनाना नहीं चाहते। लागत में कास्ट एस्केलेशन के कारण वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर आप भू-जल विभाग की कमी वेपकोस की इन रिपोर्टों के आधार पर कोई भी यदि निर्णय लें तो इस सम्बन्ध में आपको सारी यह योजना बनी थी उस समय सारी चीजों को ध्यान में रखकर मूल रूप में जब स्थितियों को देखकर के योजना आयोग ने इसकी मन्जूरी दी थी। अब इन स्वीकृत लिफ्टों को यदि आप तोड़-मरोड़ करके इसकी फ्लो केपेसिटी में या इसकी मूल प्रस्तावित चीजों को ध्यान में रखकर मूल रूप में जब योजना में परिवर्तन करेंगे तो इसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो चल रहा है उन्होंने और इन्दिरा गांधी नहर परियोजना ने वेपकोस मैसर्स रेडियोकोन प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, अजमेर भू-जल विभाग और जापान की एक संस्था को आपने विभिन्न प्रकार के सर्वे के लिए और इनके लिए अलग-अलग काम दे रखे हैं। इन संस्थाओं से जो काम आपने दिए थे उस काम की पूर्ति उन्होंने कर दी, क्या विभाग के पास इन्जीनियर्स की कमी है, हमारे विभाग में जहां इतने इन्जीनियर्स हैं जिनके पास फील्ड में काम नहीं है उनके माध्यम से आप इन चकों का और इनका सर्वे क्यों नहीं कराते। करीब तीन करोड़ से अधिक की राशि इन संस्थाओं को विभाग ने देकर न्याय नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप आने वाले समय में....

श्री भंवरलाल शर्मा : 8 करोड़।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अलग-अलग संस्थाओं को अलग-अलग पैसा दिया गया है, तो सभापति महोदय, यह काम इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लोगों से करवाया जाना चाहिये। सभापति महोदय, हमारे इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्यालय पर लगभग 15 करोड़ से ऊपर की राशि की मशीनें, उपकरण बेकार पड़े हुए हैं उनको आप क्यों नहीं काम में लेते हैं। जिस समय हमारे माननीय चन्दनमल जी साहब इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री थे हर महीने में कम से कम दो तीन दौरे करते थे, आपने कितने दौरे किए इन्दिरा गांधी नहर के, आप अपनी रिप्लाई में बता देना, हर महीने उसकी रिपोर्ट लेते थे और रिपोर्ट लेने के बाद मुख्य नहर जो है तेज गति से बनी, मुख्य नहर का काम पूरा हुआ, एक समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर इस योजना की क्रियान्विति हुई लेकिन आज एक भी ऐसा लक्ष्य आपने प्राप्त नहीं किया,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

केवल वृक्षारोपण में जरूर बीस हजार का बीस हजार इस किताब में दिया हुआ है बाकी जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं, चाहे जलाऊ लकड़ी के लिए आपने जो लक्ष्य रखा है उसमें आपने उसकी पूर्ति नहीं की। पर्यावरण सुधार कार्यक्रम में आपका लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, सड़कों का आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। सी. ए. डी. का जितना भी काम का लक्ष्य आपने रखा था उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सफल नहीं हुए हैं और मैं तो साफ तौर से यह कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर से सम्बन्धित जितने भी निर्माण कार्य थे उन निर्माण कार्यों का लक्ष्य आप अभी तक पूरा नहीं कर पाये है। मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आप पिछले पन्द्रह दिनों में अपने टारगेट को पूरा कर सकेंगे।

ठीक इसी तरह, सभापति महोदय, नहर की खुदाई में जो संयन्त्रों का उपयोग होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। खुदाई के काम को आपको विभागीय मशीनों से और उपकरणों से इन सारे कामों को करवाया जाना चाहिए।

इसके साथ साथ इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का जो कामर्शियल लिफ्ट का क्षेत्र है उमसे सिचाई का और बीकानेर शहर को पानी देने का काम तय किया हुआ है। गत जून में इन्दिरा गांधी नहर के मुख्य अभियन्ता को 9 महीने पहले पी. एच. ई डी. ने जलाशय बनाने का काम दिया। नौ महीने में सभापति महोदय, अभी तक उसकी स्वीकृति जारी नहीं हुई है और अब उसकी लागत जो पहले तीन करोड़ दस लाख थी अब लगभग 6 करोड़ 27 लाख 9 महीने में ही बढ़ गई है तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि इन्दिरा गांधी नहर विभाग और मुख्य अभियन्ता कार्यालय में कोई निर्णय लेने वाला ही नहीं है। नौ महीने तक जिस काम की तकनीकी स्वीकृति नहीं निकल सके आप अन्दाज लगा सकते हैं कि वह कामों को कैसे क्रियान्वित करेंगे ?

हमारे इन्दिरा गांधी नहर के सैकिण्ड स्टेज के कामों के लिए 937 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था और आज उसमें से लगभग 511 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और अब कब तक इस इन्दिरा गांधी नहर को पूरा कर लेंगे ? इनकी वितरिकाओं को, माइनर्स को, ब्रांचेज को, लिफ्ट्स को इनको कब तक, आप अपनी रिप्लाई दें तब बताएं आप कितने वर्षों में इन्दिरा गांधी नहर का काम पूरा कर लेंगे। हम जितना जल्दी इस काम को पूरा करेंगे उतनी ही लागत कम आएगी।

इस बजट के दौरान हमने एक सुझाव दिया था इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार को बोण्ड्स जारी करने चाहिए और इसके माध्यम से लगभग एक हजार करोड़ रुपया राजस्थान के लोगों से प्रवासी लोगों से प्राप्त कर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा करना चाहिए। ताकि कास्ट एस्केलेशन के कारण जो इनकी कीमत दिन दूनी और रात चौगुनी हो रही है। इनको कम करने का प्रयास करना चाहिए। अभी सी. ए. डी. में एक आर्डर जारी हुआ है। कामर्शियल

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

लिफ्ट से जो पानी बह रहा है कोई भी व्यक्ति वहां मोटर पम्प लगा कर उस पानी को ले सकता है । बाराबन्दी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कोई भी व्यक्ति जो छोटा किसान है वह तो पानी प्राप्त नहीं कर सकेगा लेकिन बड़े किसान जो है वह मोटर पम्प लगाकर जितना पानी, जितने समय लेना चाहे वह ले सकता है । इससे बीकानेर में बड़ी भारी कठिनाई पैदा हो गई है । बीकानेर शहर में पीने का पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है । दूसरी तरफ किसानों को पूरा पानी अपने खेतों में नहीं मिल रहा है । और बाराबन्दी जो पूरे क्षेत्र में लागू की गई थी उसका पूरा पालन नहीं हो रहा है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, तीन मिनिट घट रहे हैं । सभापति महोदय, गोढू सुधार वाला सड़क और साहबा चूरू से सम्बन्धित, कोलायत, गजनेर से सम्बधित जो सड़कों के वृक्षारोपण के काम का लक्ष्य निर्धारित किया है क्या आपने उसको पूरा किया है । इसी तरीके से हमारे जो अन्तर्राज्यीय जल विवाद है उसके बारे में कुछ बातें....

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : अभी दूं या इसकी रिप्लाई में बताऊं कैसे आपने किया, गजनेर की कितनी रिकवरी है । आप पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री थे क्या किया वह भी बताऊं (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बता देना । सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के रोपड़, हरीके, फिरोजपुर इनके हैड वर्क्स के कामों को बी.एम.बी. को व्यास भाखड़ा मेनेजमेंट बोर्ड को देने के लिये विपक्ष के नेता के रूप में आज माननीय मुख्य मंत्रीजी है, कई बार वकालत करते थे इनके दो-दो प्रधान मंत्री बहुत नजदीकी के रहे, वी. पी. सिंह और चन्द्रशेखर जी आपने उस समय क्या इनके रोपड़, हरीके, फिरोजपुर के जो काम थे वह क्या बी. एम. बी. को दिलाने के लिए कोई कामयाबी हासिल की ? इसी तरह रावी और व्यास का जो अतिरिक्त जल है उसके बारे में आपने क्या प्रयास किये । केवल एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमने 2-3-4 पत्र दे दिये यह सरकार अन्तर्राज्यीय जल विवाद को हल करने में बिल्कुल नाकामयाब रही है । यहां यह कहते थे कि हमारे पास सरकार होती तो यह करते, वह करते लेकिन इसमें इन्होंने कोई सफलता प्राप्त नहीं की । इसी तरह माही जल के उपयोग हेतु जालौर और बाड़मेर इस क्षेत्र में एक हाई लेबल केनाल को ले जाने की बात थी । इसके सम्बन्ध में भी गुजरात सरकार से वार्ता करके समस्या का समाधान नहीं कर पाते । गंगा-यमुना का जल विवाद जो है उसमें भी राज्य सरकार ने पिछले दो सालों में कोई कामयाबी हासिल नहीं की । अलबत्ता कांग्रेस की सरकार के वक्त में इस हेतु प्रयास किया गया और पीने का पानी भरतपुर और अलवर को दिलाने के बारे में जो प्रयास हुए वह भी प्रयास वहीं पड़े हुए हैं । इन्होंने दो वर्ष में इनको आगे नहीं बढ़ाया । टिहरी बांध में हिस्सा यह प्राप्त नहीं कर पाये । आज उत्तर प्रदेश और एम पी. में इनकी सरकारें हैं और वहां

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

गांधी सागर का केचमेंट का जो एरिया है वहां मध्य प्रदेश सरकार बांधों का निर्माण करने जा रही है। उन गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर इन बांधों में हमारे और मध्य प्रदेश का बराबरी का हिस्सा है। ऐसी सूरत में मध्य प्रदेश सरकार इस केचमेंट एरिया में जो भी बांध बनाती है हमारी बिना इजाजत के और हमारी बिना सलाह के तो निश्चित रूप से राजस्थान के हकों के ऊपर कुठाराघात होगा और पिछले दो वर्ष में इस सम्बन्ध में....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं। राजस्थान सरकार कोई भी इस मामले में उपाय नहीं कर पाई है। उनकी स्वयं की सरकार से यह समस्याओं का समाधान नहीं करा सकेगी तो आगे जाकर अन्य जो मामले हैं उनके मामलों में कुछ कर नहीं सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मैं बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं। इसी सदन में विपक्ष के नेता, आज के मुख्य मंत्री ने मैसर्स कल्याण सुन्दरम सीमेन्ट फैक्ट्री में 50 लाख रुपये के पेमेन्ट का मामला यहां उठाया था और पूर्व वित्त मंत्री श्री मानिक चन्दजी सुराना ने भी इस सम्बन्ध में कुछ बातें कही थी। माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य श्री रामकिशन जी इस सम्बन्ध में कई मामले उठा चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मैसर्स कल्याण सुन्दरम सीमेंट फैक्ट्री को पेमेण्ट हुआ है इसके बारे में एफ.आई.आर. लोज हुई इसके बारे में आपने दो साल में क्या किया। जिस संस्था ने सीमेन्ट की आपूर्ति की नहीं और उसके खिलाफ क्रिमीनल केसेज दर्ज किये हुए हैं विभाग ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ऐसे अनेक मुद्दे हैं, चूंकि समय का अभाव है आपकी घंटी बज चुकी है मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सरकार इन्दिरा गांधी नहर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही है और हमारे अन्तर्राज्यीय विवाद जो थे उनको हल करने में, भाषण देना आप जानते हैं, लेकिन दो वर्ष में कहीं पर भी हल नहीं किया है जो प्रस्ताव और जो भी मांग रखी है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री सांवरलाल।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : सभापति महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बड़ी विचित्र है और यहां....(व्यवधान) किसानों की जो स्थिति है वह बड़ी दयनीय है, बड़ा मरु प्रदेश, पहाड़ी इलाका और एक नाममात्र का क्षेत्र है जो मैदानी कहा जा सकता है। आजादी के बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 1991 तक मेरे ख्याल से 8 सौ करोड़ रुपये कुल इस सिंचाई के साधनों के ऊपर खर्च किये जा चुके हैं और स्थिति में कोई भी विशेष सुधार नहीं हुआ है। अभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे इन्दिरा गांधी नहर की इस बात की तो मैं इस सरकार को बधाई दे सकता हूं कि यह दो साल से जब से सरकार बनी है चाहे इन्दिरा गांधी नहर के मंत्री पहले रहे हो या अभी, जितने गबन और घोटालों की चर्चायें पहले हुआ करती

(श्री सांवरलाल)

थी आज की स्थिति में नहीं है। विशेष रूप से जो राजस्थान में सिंचाई के साधनों का सवाल है कुछ क्षेत्रों के अन्दर कुओं से सिंचाई होती है, कुछ क्षेत्रों के अन्दर तालाबों से और गिने चुने कुछ बांध है और लगभग 80–89 लघु सिंचाई योजनायें इनके ऊपर काम चल रहा है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ बांध ऐसे हैं जिनमें से अगर पहली बरसात का पानी छोड़ दिया जाये और आस-पास के नदी नालों में चला जाय तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कुओं का जल स्तर ऊपर आ जायेगा जिससे इन किसानों को अपने कुओं से खेती करने में सुविधा मिलेगी मैं उदाहरण देऊं हमारे जालिया बांध है अब उस बांध में पानी नाम मात्र का आता है वह पानी अगर उसमें भरा रहता तो ना वाटर लेबल इससे ऊपर आता, यदि नदी में पहले बहाव का पानी छोड़ दिया जाये तो निश्चित रूप से नदी के किनारों के कुछ गांव हैं, उन गांवों को फायदा मिलेगा दूसरे जो छोटे-छोटे एनीकट्स बनाये गये हैं, मैं सिंचाई मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि लगभग सभी एनीकट अधूरे हैं उनके लिए पर्याप्त फण्ड की व्यवस्था नहीं हो पाती है जिस से उन पर लगा हुआ पैसा किसी काम में नहीं आ रहा है और हमारे अजमेर जिले की जो भौगोलिक बनावट है निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि एनीकट बहुत लाभदायक है। जितने भी अधूरे एनीकट है चाहे फेमिन के तहत बने हो, चाहे आपके विभाग के तहत बने हो या किसी एजेन्सी के माध्यम से, आप सिंचाई मंत्री हैं और किसानों की तकदीर आपसे काफी जुड़ी हुई है तो आप अगर इस प्रकार का कुछ प्रावधान अपने बजट में करें जो छोटे-छोटे एनीकट है जिनमें लाख, डेढ लाख रुपये में काम हो सकते हैं, दो लाख के हो सकते हैं निश्चित रूप से इस वर्षा काल से पहले प्राथमिकता देकर उन पर राशि व्यय करवा कर पूरा कराने का प्रयास करना चाहिए। आने वाले समय में किसानों को इससे फायदे मिले। हमारे अजमेर जिले की स्थिति के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के साधन बहुत कम है, पानी की विशेष आवक का कोई साधन नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान केनाल का पानी जब सुजानगढ़ तक जा सकता है, मैं आपसे निवेदन करूं कि चम्बल का पानी बाहर बह कर जाता है मैं नहीं कहता हूं कि जो उधर का हिस्सा है उसको लाइये जो सरप्लस वाटर जाता है उसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए अजमेर टोंक में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से, आज पूरी हो सकती है लेकिन इसके लिए एक योजना आप तैयार करवा सकते हैं तो निश्चित रूप से जो बड़ी उपजाऊ जमीन है, टोंक और अजमेर दोनों से परिचित हैं बहुत फरटाइल्ड लैण्ड है परन्तु पानी की कमी को वजह से वहां के किसान को केवल आश्रित रहना पड़ता है, बारानी फसलें पैदा होती है। इस दिशा में निश्चित रूप से आप कुछ कदम उठायें तो आने वाले समय में इसका लाभ मिल सकता है।

दूसरा एक हनुमान सागर हमारे मनोहरपुरा में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर लघु सिंचाई योजना बन सकती

(श्री सांवरलाल)

है उसके लिए सर्वे का कार्य शायद अधिकारी स्तर पर चालू किया गया है तो उसमें भी आप प्राथमिकता देकर काम सम्पन्न करायेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। राजस्थान नहर केनाल पर जैसे आपके कार्यक्रमों में जलाऊ लकड़ी के उत्पादन के काफी टारगेट्स रखे हैं। इसी प्रकार कोटा क्षेत्र के अन्दर केनेडियन इन्टरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से भूमिगत जल निकासी में नाली निर्माण का कार्य भी सरकार ने अपने प्रयासों से सम्पन्न करवाया है और अगर वह सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से और क्षेत्रों में भी यह कार्य शुरू होगा। यह भी सरकार का एक प्रशंसनीय कदम है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसके साथ ही कोई भी कार्यक्रम जो सिचाई से सम्बन्धित है, विभिन्न योजनाओं को अपने हाथ में लिया है निश्चित रूप से सराहनीय कहा जा सकता है। सिद्धमुख एवं नहर परियोजनाओं के लिए यूरोपीयन आर्थिक समुदाय के द्वारा जो यह सरकार प्रयास करके लगभग 144 करोड़ रुपये सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, जो निर्णायक स्तर पर है, एक प्रकार से प्रशंसनीय कदम कहा जा सकता है। कुल मिलाकर माननीय सिचाई मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि कुओं को भी सिंचाई का भाग माना जा सकता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनको डार्क जोन घोषित कर रखा है। कई जगह तालाब और बांध नहीं बनाये जा सकते, वहां पर कुओं के द्वारा ही सिंचाई सम्भव हो सकती है तो ऐसे क्षेत्र, जहां पर डार्क जोन नहीं है परन्तु अधिकारी स्तर पर या सर्वे रिपोर्ट के अन्तर्गत घोषित किया गया है, किसानों को बड़ी समस्या आती है, बैंक फाइनेंस नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस दिशा में प्रयास करिये। चूंकि भूजल बहुत कम है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग जितना इस सृष्टि पर जल है उसका .1 प्रतिशत भी लगभग भूजल उपलब्ध नहीं है, परन्तु उस पर भी जहां पर सिचाई और नहरें, मान लीजिये साधन उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर किसान कुओं के द्वारा अपनी सिचाई करवावें, इसके लिए रिसर्व होना चाहिये जिससे किसानों को यह सुविधा मिल सके तो छोटे–छोटे एनीकट्स और तालाब और लघु सिंचाई योजनाएं जहां पर आवश्यक है, उस दिशा में आप अपना ध्यान देंगे। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मांग संख्या 46 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सिचाई बिना पानी के नहीं हो सकती। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी तीन जगह से आता है। या तो पानी जमीन में है या पानी आकाश में है या पानी आंख में है। जितनी भी पिछली सरकारें गई, उन सरकारों ने लोगों को सिर्फ रुलाया और आंख का पानी निकाल कर देखा है। आज दिन तक किसी ने यह

(श्री बहादुर सिंह)

विचार नहीं किया कि जमीन का पानी कैसे निकाला जाए और आसमान का पानी कैसे बांधा जाय, इस पर अगर पिछली सरकारों ने ध्यान दिया होता तो आये दिन यह अकाल की स्थिति सामने नहीं आती। हमेशा जब अकाल पड़ता है तो लोग इनके पीछे पड़ते हैं और आवाज उठती है जब सरकार का ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है तो आये दिन थोड़ा बहुत मूंग-मूंग दाना डालें, जितना थोड़ा बहुत बना मजदूरी दे देते है लोगों को, बाकी अकाल की स्थिति को सम्पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई काम नहीं है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आकाश का पानी बांधने से छोटे-छोटे एनीकेट्स, बांध, तालाब ये बांधने से पानी रुकता है और जो पानी रुकेगा वह नहरों द्वारा जितनी भी जमीन काश्तकारों के पास में होगी, तो जमीन में पानी होगा और जमीन का पानी रिसा होगा, वह नीचे के भाग के जितने भी कुंए होंगे, उनका धरातल ऊंचा आएगा। आज जितने भी कुओं की खुदाई के लिए पैसा दिया जाता है, सारे कुए फैल हो जाते हैं, धरातल बहुत नीचे चला गया है। इसको ऊपर लाने के लिए कुदरत पर सरकार निर्भर रहती है तो कुदरत पानी का धरातल ऊपर नहीं ला सकती। उस पानी को रोकना पड़ेगा, पानी को जगह-जगह स्टोरेज करना पड़ेगा, छोटे डेम बनाने पड़ेंगे, स्टाप डेम बनाने पड़ेंगे। इससे कई प्रकार के फायदे हैं। पहला फायदा तो कैनाल द्वारा काश्तकारों को पानी मिल जायेगा खेती के लिए दूसरा फायदा धरातल ऊपर आएगा, कुओं में पानी बढ़ जायेगा। तीसरा यह होगा कि छोटे नाले जहां उनके रिसाव का पानी होगा और नालों द्वारा बड़ी नदियों और बांधों में जायेगा, वहां काफी मात्रा में पानी, अटूट पानी हो जायेगा। उससे लघु लिफ्ट योजना लागू की जा सकती है। बाकी चौथे नम्बर का फायदा यह होगा कि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, उन पहाड़ियों में बीच में अगर नाले बांधे जायेंगे तो जो पानी का रिसाव होगा उससे जमीन में नमी आएगी जिससे जंगल में फायदा होगा, पेड़-पौधों को पानी मिलेगा, यह भी अच्छा होगा। आज जितने भी वन विभाग में पेड़-पौधे लगाये जाते हैं, बिना पानी के सूख जाते हैं जबकि वन विभाग के आंकड़े तो यह हैं कि एक इंच में एक पौधा लग चुका है। जब से यह सारा खर्चा हुआ है तब से लेकर के हिसाब देखें तो कितनी जमीन में कितना फोरेस्ट लगा है। एक इंच में एक पौधा लग चुका है और एक भी जिन्दा नहीं। यह सारा पानी का अभाव है। इस अभाव को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है कि स्टाप बीम बनाया जाय, जगह-जगह पर नाले बांधे जाय, पानी को रोका जाय और रुकने से फायदा होगा, आप कितना ही पैसा खर्च करो न तो सिंचाई में बढ़ोतरी होगी, न कुआ खुदा पाओगे। कुआ खोदने से पानी नहीं आने वाला, ये चीजें समझनी पड़ेगी।

दूसरा नम्बर यह है कि ट्राइबल इलाके में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में वहां पहाड़ी इलाके हैं, वहां ढलाऊ जमीन है। जितनी बरसात होती है, वहां सारा नदी-नालों से बड़ी नदियों में और बड़ी नदियों से समुद्र में चला जाता है। पानी रुकता नहीं है। वहां छोटी-छोटी जमीन

182

(श्री बहादुर सिंह)

है। वहां उन जमीनों की कीमत बहुत कम है और सिंचाई विभाग की तरफ से जितना जमीन का वेल्यूएशन होगा, उस आधार पर बी.सी. रेशो बैठाया जाता है तो एक भी तालाब मंजूर नहीं होता है। किसी भी जमीन की अगर स्कीम तैयार की जाती है तो उदयपुर से जयपुर तक आने में तो बी.सी. रेशो बैठता नहीं है और जब बी. सी. रेशो जहां दूसरे जिलों में और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में जो जमीन का वेल्युएशन है, उस आधार पर बी.सी. रेशो बैठाते हैं तो बैठ नहीं पाता है। मेरा निवेदन है कि आदिवासी इलाकों में उन छोटी जमीन वाले काश्तकारों को राहत देनी है तो सरकार बी. सी. रेशो में जो अड़चन पैदा कर रखी है, उसको हटा दें। दूसरे जिलों में जमीन के वेल्युएशन के आधार पर लागू कर रखी है। कभी वहां की स्कीम पास नहीं हो सकती, यह बी. सी. रेशो उस एरिये से हटा दें तो फायदा होगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

बाकी माही जो बड़ी कैनाल है, उन कैनालों के आसपास जितने भी गांव हैं माही कमाण्ड में घोषित कर रखा है। आज दिन तक उन गांवों को पानी नहीं मिला है। मेरा निवेदन यह है कि लिफ्ट द्वारा जिन गांवों को पानी दे सकते हैं, उनकी स्कीम तैयार है, सर्वे भी हो चुका है। बाकी सरकार की तरफ से उन स्कीमों को मंजूरी नहीं दी जाती है, पैसा नहीं दिया जाता है तो सारा काम रुका पड़ा है और मेरा यह भी निवेदन है कि कुशलगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पानी का बहुत अभाव है, गरीब लोग हैं और वहां माही की कैनाल से अगर लिफ्ट सिंचाई योजना लागू की जाय, मंजूरी दी जाय तो उस इलाके में पानी मिल सकता है। वहां के आदिवासी लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। इसकी अड़चनों के बारे में वहां के अधिकारियों से मुझे मालूम पड़ा, माही डेम का पानी ढाई फुट और रुकता है तो कुशलगढ़ में लिफ्ट योजना लागू हो सकती है। जब इतना बड़ा डेम बना तो इतनी भूमि काश्तकारों की डूब में गई, इतना नुकसान होने के बावजूद भी बांसवाड़ा जिले के लोगों को अगर पानी नहीं मिलता है तो इससे ज्यादा क्या उनको फायदा देने वाले हैं तो मध्य प्रदेश की कोई भी अड़चन है तो राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश की सरकार से सलाह-मशविरा करे और कोई न कोई निर्णय पर जाय ताकि उन लोगों को फायदा मिल सके। अगर यह पानी ढाई फुट नहीं रुका तो कुशलगढ़ की कैनाल, आनन्दपुर की कैनाल, उंगड़ा की कैनाल जो भी कैनाल लिफ्ट द्वारा लागू की जा रही है, योजना बना रहे हैं, काम भी चालू कर दिया है। वह भविष्य में जाकर के नुकसान में रहेंगे। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय मध्य प्रदेश की सरकार से सलाहमशविरा करे, उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय करें और वहां के लोगों को राहत दें।

उंगड़ा कैनाल में जो–जो गांव आये हैं, एक वालगुन गांव है उसमें 25 के करीब मकान उस कैनाल में आ रहे हैं उनको मुआवजा आज दिन तक नहीं दिया गया है। उन लोगों का कहना यह है कि 1992

(श्री बहादुर सिंह)

के जो बी.एस.आर. रेट हैं उसी आधार पर वह लेना चाहते हैं और उन्हें मुआवजा पुरानी रेट से दिया जाता है तो उन लोगों को काफी नुकसान होगा, गरीब आदिवासी लोग हैं और जो बी. एस. आर. रेट चालू वर्ष 1992 का है उसी आधार पर उनको देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जितने भी अधूरे तालाब पिछले कई सालों से पड़े हुए हैं बांसवाड़ा जिले में जो मेरे क्षेत्र में हैं बडलीपुरा मानजी, राम्बगढ़, भूतपाढा, नवाखेड़ा, नागपुरा खड़काड़ी, भमरकड़ा, खेटाबरा, पाडला गणेशीलाल, सेंगपुरा, मोगड़ीखेड़ा, खेपड़ और वापतला, यों-करके 16 तालाब अधूरे पड़े हैं। एक-एक तालाब पर 5 से 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। आज भी सरकार के रिकार्ड में यह तालाब हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि इन तालाबों को सिंचाई विभाग में लिया जा करके चाहे अकाल राहत का पैसा और किसी मद का पैसा हो, कहीं-कहीं से और पैसा लगा करके इन तालाबों को पूरा किया जाय और पूरा करने से काफी लोगों को राहत मिलेगी और जितना भी पैसा पूर्व में खर्च हुआ है वह बेकार नहीं जायेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी तालाब लेना चाहें पहले आपको लिस्ट दे चुका हूं और आज आपको हाउस में यह पढ़कर बता रहा हूं इसे आप नोट करें और आगे इन तालों पर ध्यान देकर अकाल राहत का पैसा उसी पर खर्च किया जाय और गत साल आपने यह कंडीशन लगा दी थी कि 31 जून, 91 तक पूरा किया जायेगा।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री बहादुर सिंह : वो ही तालाब हाथ में लिए जायेंगे, उनका ही काम किया जायेगा। यह कंडीशन लगाने से कभी तालाब नहीं बनेंगे, कभी सिंचाई का काम नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कंडीशन मत लगाइये जितना भी पैसा पहले खर्च हुआ है और जितना जल्दी काम हो सके उन तालाबों को हाथ में ले करके काम कराया जाये।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इस पवित्र सदन में मांग संख्या 46-सिंचाई पर बजट की अनुदान मांगों पर जो बहस हो रही है उसके सन्दर्भ में विशेषकर मेरे क्षेत्र में जो कि चम्बल सिंचित क्षेत्र के तहत आता है वहां की समस्याओं पर विचार करते हुए समाधान करने के निमित्त निवेदन करूंगा और सुझाव दूंगा।

सम्माननीय सभापति महोदय, चम्बल सिंचित क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई की एक बहुत बड़ी योजना है। 1960 में इस क्षेत्र में नहरों द्वारा पानी दिया गया। आज 32 वर्ष के लम्बे काल के बाद जो मिट्टी और कच्ची मिट्टी की नहरों में ऊपर की मिट्टी बहकर नहरों में पड़ गई जिससे ऊपर

(श्री कन्हैयालाल मेघवाल)

की सतह और नीचे की सतह दोनों तरफ से ऐसी समस्यायें हो गई हैं कि चम्बल कमाण्ड एरिया में अंतिम छोर पर पानी जाता नहीं, सीपेज की समस्या हैड रोड पर हो गई, क्षारीय और लवणीय समस्या हो गई, कई तरह की समस्यायें इस चम्बल सिंचित क्षेत्र में है। समस्या क्यों नहीं होगी जब नहरों का डिजाइन बनाया गया तो 55 प्रतिशत रबी क्रोप्स और 21 प्रतिशत खरीफ क्रोप्स के लिए इस तरह का दोषपूर्ण डिजाइन बनाया गया तो अन्तिम छोर तक और सारे क्षेत्र में किसान पानी कैसे ले पायेगा। इन समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए हमने कई बार इस पवित्र सदन में जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन किए। आप सत्ता में हैं हम 2 वर्ष से महत्वपूर्ण प्रस्तावों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं फिर भी योजनायें वही बनाई जा रही है यह बड़े दुःख का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, चम्बल सिंचित क्षेत्र की नहरों की यह स्थिति हो गई कि जो 55 प्रतिशत मैंने निवेदन किया वो आज शील्ड जमा होने से 25 साल के समय के बाद 30 और 25 प्रतिशत नहरों का डिजाइन और कंडीशन हो गई जिनसे पानी मिलना तो दूर रहा आज जब नहरों में पानी दिया जाता है जितना सी. सी. एरिया है या कोटा से जितना क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है वह किसान के खेत में नहीं वह मेघ नदी में 2-2 फुट पानी बहता है। सीपेज से क्षेत्र प्रभावित है। किसान अपनी बैलगाडी से जा नहीं सकता. एक गांव से दूसरे गांव को बैलगाड़ी तो दूर रही, जीप का प्रश्न नहीं उठता, ट्रक तो दिखता ही नहीं आज कोई व्यक्ति पैदल नहीं जा सकता। माननीय सभापति महोदय, इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए मेरा सुझाव है कि वहां वाटर लॉग एरिया होने से कोई मजदूर दिन भर भी खूब मेहनत करना चाहे तो मात्र 5 मन मिट्टी भी नहीं निकाल सकता। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह करके जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है उसके अनुरूप निवेदन करूंगा। वहां मेरे क्षेत्र में दो सब-डिवीजन है उनको ईडर मशीनें दिलाई जाय। माननीय मंत्री महोदय विशेष रूप से नोट करें और यह उस क्षेत्र के लिए एकमात्र समाधान है। ईडर मशीनों से ही ड्रेनों की सफाई सम्भव है, इन नहरों की खुदाई सम्भव है अन्यथा मजदूर कितने ही मंगवा लो, मस्टररोल कितने ही लगाओ सरकार का और इस गरीब प्रदेश का पैसा बर्बाद करने के अलावा और कोई समाधान नहीं है। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग करूंगा कहां सब डिवीजन वाइज ईडर मशीनें दिलाई जाय जिससे उस क्षेत्र में कुछ काम हो सकेगा, उसके अलावा कोई साधन नहीं है उन नहरों और ड्रेनों की सफाई कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, वहां सीपेज की प्रोब्लम्स है और क्षारीय व लवणीयता के मुकाबले के हिसाब से उसके समाधान के लिए वहां भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया। भूमि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से चम्बल सिंचित क्षेत्र के किसानों को करोड़ों को कर्जदार बना

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

दिया गया, आन्दोलन हुए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब विरोधी दल के नेता थे तो उस समय चंम्बल क्षेत्र में जा करके 20 हजार किसानों को साथ ले करके जेल भरो आंदोलन में अपनी गिरफ्तारी दी और आज जब सत्ता में बैठे हैं तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है इस बजट में जब कैचमेंट के कर्जे माफ करने की बात की गई थी उसके सम्बन्ध में इस बार एक लाइन भी इसमें नहीं है तो माननीय सभापति महोदय, चम्बल सिंचित क्षेत्र के किसानों के साथ धोखा हुआ या उनको इस तरह का बहकावा दिया गया तो वे किसान जो राजस्थान में ही नहीं सम्पूर्ण देश को अन्न देता है वह चम्बल कमाण्ड एरिया जो लाखों टन खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और गन्ना पैदा करने वाला क्षेत्र है वह मर जायेगा। उस क्षेत्र के किसानों को यह निरूत्साहित करने की योजना है और आज उनको कैचमेंट के नोटिस देने की नौबत आ रही है। मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से मांग करूंगा कि चम्बल सिंचित क्षेत्र में किसानों का कैचमेंट का कर्जा माफ किया जाय। माननीय सभापति महोदय, आज ड्रेनों का काम बन्द कर दिया गया है क्योंकि पिछले वर्ष सीडा के माध्यम से 57 करोड़ मिलियन डालर का जो प्रस्ताव रखा गया है वह अभी एक्सपेरिमेंट के रूप में है। वह एक्सपेरिमेंट एक थोड़े से क्षेत्र में लिया जा रहा है। अब दो साल से एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो न जाने उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा और वहां ड्रेनों का काम बंद कर दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार से विशेष मांग करूंगा कि जब तक एक्सपेरिमेंट का काम चालू हो उसके साथ-साथ ड्रेनों की सफाई का काम चलाया जाय, नहीं तो नहर का ओवर फ्लो पानी होता है और पानी ओवर-फ्लो हो करके नदियों में बहता है तो क्षेत्र में फैल करके सारा वाटर लॉग एरिया हो रहा है, फसल पैदा होती नहीं, फसल कर रखी है तो गल जाती है। तो इस तरह से यह बहाना करके कनाडा का पैसा है अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन के माध्यम से ड्रेनिंग स्कीम बनेनी तब तक ड्रेन की सफाई नहीं करेंगे नई ड्रन नहीं खोलेंगे यह बहुत बड़ी गलती है इस गलती को सुधारा जाय और ड्रेनों का कार्य प्राथमिकता से कराया जाय।

माननीय सभापति महोदय, ड्रेनों के मुआवजे की बात करूंगा। सन् 1974 और 1975 में ड्रेनें खुदीं। करोड़ों रुपया ड्रेनों का किसानों का बाकी है। केवलमात्र 6 पंचायत समिति क्षेत्र जो इस चम्बल कमाण्ड एरिया में है। मेरा एक क्षेत्र रह गया जिसमें एक करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। पिछले 1991-92 के बजट में 39 लाख रुपया मुआवजे के लिए रखा। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1992-93 के बजट में मात्र 5 लाख रुपया मुआवजा का रखा गया है। एक करोड़ रुपया केवल एक क्षेत्र का है। 6 तहसीलों की स्थिति होगी अब कम से कम 8-10 करोड़ रुपया मुआवजे का मांग रहे हैं। सिंचाई का शुल्क अगर किसान जमा नहीं कराता है तो उससे 22 पर्सेन्ट ब्याज वसूल किया जाता है, जबरदस्त दण्डनीय

(186)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

ब्याज वसूल किया जाता है और आज 17-18 वर्षों से किसानों का पैसा करोड़ों रुपया सरकार में बाकी है और उसको इस तरह से दे रहे हैं तो इस तरह से किसान की सोना उगलने वाली धरती तो ले ली लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है इससे ज्यादा कुठाराघात किसान के साथ क्या होगा। तो माननीय सभापति महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से निवेदन करूंगा, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में भी रखा है कि ड्रेनों का मुआवजा शीघ्र दिलाया जाय और अभी तक सरकार के अधिकारियों को यही पता नहीं है कि कौनसी ड्रेनें उनके रेकार्ड में है या नहीं। मैं अधिकारियों को दौरे पर ले गया तो उनको यही मालूम नहीं कि यह भी कोई ड्रेने हैं या नहीं। जब इस तरह का वातावरण रहेगा तो किसान को पैसा कौन दिलायेगा। अभी तो आपके यहां वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ कि कितन ऑथोराइज्ड ड्रेनें हैं। तो माननीय सभापति महोदय, इस तरह की बातें हैं। दूसरी बात, माननीय मंत्री महोदय विशेषकर इसको नोट करें और मैं उन से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप चम्बल कमाण्ड एरिया में आयें, मैं इस तरह की बात करूंगा कि बारावंदी के नाम से पिछले 91-92 में 16 लाख रुपया रखा गया, भूमि का मुआवजा 5 लाख रूपये। बाराबंदी का 16 लाख रूपयें गत वर्ष के बजट में रखे, इस चालू वर्ष के बजट में 17 लाख रूपये, मेरी चुनौती है अगर कोई यह कह दे, एक हजार हैक्टेयर भी अगर वहां कोई बता दे, जब से आज दिन तक हुई है, ढाई करोड़ रूपये बाराबंदी के नाम से किसान का और इस गरीब प्रदेश का पैसा लिया जा रहा है। बाराबंदी अधिकारियों की जेब में जा रही है, 70-70 पटवारी बाराबंदी के नाम से कागजों में कागज बनाते हैं। यह बाराबंदी बंद की जाय। अगर बाराबंदी बंद नहीं की जाय तो हम यह कह देंगे कि यह सरकार इन किसानों के साथ बहुत बड़ी +++ कर रही है। यह 16 और 17 लाख रुपये, हर वर्ष पैसा, यह दीजिए ड्रेन्स बनाने के लिए, यह दीजिए उनका मुआवजा चुकाने के लिए। 17 लाख रुपये 16 लाख रुपये, माननीय सभापति महोदय, ढाई करोड़ रुपया बाराबंदी के नाम से बरबाद किया गया है। मेरी चुनौती है, अगर मैं इसमें असत्य होऊं तो मेरा विधान सभा से इस्तीफा ले लीजिए, यह हाउस के रेकार्ड पर है। यह इस तरह का कुठाराघात है, हम बार-बार यहां हाऊस में बोलते हैं, क्यों आये हैं विधान सभा के मेम्बर बन करके, यहां हमारे बोलने के कोई मायने तय होंगे। इसलिए यहां तो बोलने की बात, अगर जनता की आवाज को यहां तक नहीं सुना जाता और यहां तक कागजों में रहती है तो फिर +++ है यह सारी विधान सभा बुलाना +++ है यह सारा तामझाम करना। इसलिए मेरी मांग है कि यह बाराबंदी का जो नाटक किया जा रहा है, इस बाराबंदी के नाटक को बंद किया जाय। नहर है नहीं, नहरों की हालत खराब, दो-दो दिन तक पानी नहीं पहुंचता, कौनसा टाईमबंदी के तहत पानी दे रहे

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

हैं आप। यह मेरी चुनौती है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि बाराबंदी को बंद किया जाय और नहीं, तो माननीय मंत्री महोदय, मैंने पिछली बार भी बजट में कहा था, आप जाकर वहां चैक करिये कि कौन सी बाराबंदी हो रही है। बीस सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में मैंने कलक्टर महोदय से कहा, जब वह अपनी प्रोग्रेस बता रहे थे, मैंने कहा–जिलाधीश महोदयजी, यह बताइये कि यहां बाराबंदी के काम हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि साहब, क्या करें, कागजी कार्यवाही है। जब एक कलक्टर यह बात कह रहा है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय सभापतिजी, थोड़ा बोलने दीजिए।

श्री सभापति : बहुत लम्बी सूची है माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल मेघवाल : सभापति महोदय, यह अपनी बात कहते हुए मैं एक और निवेदन करूंगा। सौभाग्य से मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक तरफ चम्बल बहती है, मेज बहती है, कुरील बहती है, घोड़ा पछाड़ नदी बहती है, चारों ओर पानी ही पानी है, वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं जिससे वहां वाटर लेवल बहुत ऊपर है। चम्बल की नहर का पानी, जो जमीन में रिसता है उससे भी वाटर लोगिंग की स्थिति के कारण पानी ऊपर ही बह रहा है। पिछले अक्टूबर में जब वहां मैं जिला अधिकारियों को अपने क्षेत्र के दौरे पर ले गया, इरिगेशन के ए. ई. एन. थे, पी. डी. थे कलक्टर थे तो वहां बिल्कुल उजाड़ में जब एक ट्यूब वैल देखा तो कलक्टरजी ने यह कहा कि यह पानी कहां से आ रहा है, हमने कहा कि यह ट्यूब वैल है। माननीय सभापतिजी, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे यहां जिस किसान के पास, 15 बीघा जमीन सूखी है, वह पन्द्रह सौ रुपये की पैदावार भी नहीं ले सकता। सौ फीट पर पानी है, मात्र सौ फीट पर। अगर तीस हजार चालीस हजार रुपये लगाकर ट्यूब वैल के माध्यम से उस पानी से पिलाई की जाय, चालीस एकड़, सौ बीघा जमीन जितनी फसल लेना चाहे उसका पानी पर्याप्त है। इसलिए मेरी मांग है कि उस क्षेत्र में ट्यूब वैल की स्कीम्स से, अभी केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल में जब पानी नहीं देने की बात आई, उन्होंने सर्वे करवाया है, आज दिन भी अपने लेवल पर किसानों के....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल मेघवाल : बोलने दीजिए श्रीमन् थोड़ा सा तो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत लम्बी सूची है।

श्री मांगीलाल मेघवाल : सात सौ ट्यूब वैल वहां कार्यरत हैं। अगर पन्द्रह बीघा जमीन वाले को, अगर छह एकड़ वाले किसान को आपने तीस हजार रुपये का लोन दिया तो वह इतना अन्न पैदा करेगा मेरी गारण्टी है कि राजस्थान को

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

हम अन्न पैदा करके दे सकते हैं । चारों ओर नदियां बह रही है लिफ्ट के माध्यम से पानी पिलाया जा सकता है, ट्यूब वैल के माध्यम से पानी पिलाया जा सकता है, कई तरह का वह कमाण्ड एरिया जिससे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : थोड़ा सा ।

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य । माननीय सदस्य, समाप्त करिये अब ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : अभी मेज परियोजना के नाम से हमारे यहां एक प्रस्तावित योजना थी । मेरे को अभी चीफ इंजीनियर महोदय के यहां से तीस तारीख को लैटर मिला है, उन्होंने कहा कि यहां बांध नहीं बन सकता । वहां की स्थिति इस तरह की है, बीस मीटर भी नहीं है और इन्होंने दिया है, लघु सिंचाई योजना, लिफ्ट सिंचाई योजना बन सकती है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : तो माननीय आपके इंजीनियर महोदय यह स्वीकार कर रहे हैं तो मेरी मांग है कि उस क्षेत्र में उन उपेक्षित लोगों को राहत मिले, उस क्षेत्र का विकास हो, देश का विकास हो, उसके लिए अगर यह परियोजना नहीं बैठ सकती तो लघु सिंचाई योजना बनाइये, लिफ्ट सिंचाई योजना बनाइये और उस क्षेत्र को....

श्री सभापति : श्री प्रेमसिंह दहिया । माननीय सदस्य, अब बिराजिए ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : आपके माध्यम से जो मैंने अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, मैं मन्त्री महोदय से मांग करूंगा कि उन पर गौर करते हुए इनका जवाब दिया जाय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब बिराजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, दो मिनट बोलने दीजिए ।

श्री सभापति : बहुत लम्बी सूची है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : होगी तो होगी, बैठेंगे हम सब लोग ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : और आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या–46 सिंचाई पर विचार, मतदान एवं पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय ।

श्री सभापति : क्या सदन की आज्ञा है ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री प्रेम सिंह दहिया।

मांग संख्या-46 पर विचार

प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : सभापति महोदय, आज हम मांग संख्या-46 पर बोलने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैंने अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उसके तहत....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति जी, आज भोजन का इन्तजाम हो जाय पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : भोजन के लिए पहले भजन करो आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं-नहीं, भोजन का प्रावधान करना पड़ेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप पावरफुल हैं आजकल।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अपना भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के अन्दर सिंचाई अपना एक महत्व रखती है। संस्कृत का एक श्लोक है-प्राणीनाम् प्राणदा कृषि, सिंचन कृषि जीवनम्।" इसका मतलब है कृषि जीवन का सहारा है और सिंचाई कृषि का आधार है। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जालौर जिले के अन्दर सिंचाई से कृषि नाम की कोई चीज नहीं है। इन्दिरा गांधी नहर, जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में आ रही है, केवल बाड़मेर जिले में आई है। जालौर जिले के अन्दर जवाई बांध से पानी मिलता है वह नहीं के बराबर है। कोई दूसरी योजना....

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : यह तो हमको भी पूरा नहीं मिलता है आपको क्या मिलेगा।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मैं आपकी और हमारी, सब की बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, इसलिए 1986 के अन्दर राजस्थान सरकार ने गुजरात से एक समझौता कर माही नदी के ऊपर दो बांध बनाने का प्रस्ताव रखा था और उस पर एक समझौता हुआ था मार्च, 1986 में, उस समझौते के तहत माही नदी के ऊपर दो बांध बनाये जाने थे एक बांध राजस्थान के बांसवाड़ा के नजदीक बनाया जाना था जो 921 फीट ऊपर बनाया जाना था। इसी एफ. आर.एल. तरह दूसरा बांध गुजरात में माही के प्रवेश के तुरन्त नजदीक बनाया जाना था जो कडाणा बांध के नाम से बनाया जाना है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह हमारे यहां के सांसद रह चुके हैं, उनके मंत्री बनने के बाद हमारे यहां से एक लगाव रहा है और रहेगा, उसके तहत मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कडाणा बांध और बांसवाड़ा बांध, जो दो बांध बनने थे उसके अन्तर्गत एक तो नर्मदा नदी का पानी जालौर जिले के अन्दर आने का प्रस्ताव है उसके तहत यह पानी रानीवाड़ा और सांचौर को मिलेगा। बांसवाड़ा बांध से एक

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

खुली नहर सूकड़ी नदी के बिसाला गांव में लाने का एक प्रपोजल है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस बार के बजट के अन्दर यह कोई प्रावधान नहीं रखा गया है और मेरे भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी नहर या सिंचाई का कोई साधन नहीं है। मात्र कुएं हैं और कुएं सब सूख रहे हैं। इसका कारण यह है कि जवाई बांध में पानी रुक जाता है और हमारी सब नदियां सूखी रहती है। परन्तु कभी-कभी अतिवृष्टि से हमारे यहां पर बाढ़ आती है। बाढ़ हमारे जिले के अन्दर काफी समय तक लगातार आती रही है। पिछली बार छह-सात दफा बाढ़ हमारे यहां पर आई। 1973 में, 1975 में, 1976 में, 1979 में, 1983 में और 1990 में हमारे यहां बाढ़ आई। सभापति महोदय, 1986 के अन्दर जिले के अन्दर एक फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम बनी थी। वह लूणी बेसिन पर पचास करोड़ रुपये की स्कीम मे हमारे जालौर जिले में 12.75 करोड़ रुपये खर्च होने थे। यह जो स्कीम बनी, इसके ऊपर कार्यवाही नहीं होने से 1990 में जो फ्लड आया उससे हमारे यहां पर बहुत तबाही हुई। पिछले जितने फ्लड्स आये, उन से हमारे यहां की जो उपजाऊ जमीन है वह हर बार कट कर कम हो जाती है। यह हमारे यहां की मुख्य समस्या है और उस समस्या की ओर मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1990 में जो फ्लड आया उसमें गोमटा गांव आधा बह गया। उसके ऊपर सिंचाई विभाग ने फ्लड प्रोटेक्शन से गांव को सुरक्षित रखने के लिए 8 लाख रुपये स्वीकृति के लिए भेजे परन्तु मात्र 4 लाख 90 हजार ही स्वीकृत हुए और उसके ऊपर कार्य चल रहा है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इतने पैसे से यह काम नहीं चलेगा। कृपया इस गोमटा गांव जो आधा चला गया है उसके लिए और पैसा दिया जाये। इसी तरह से दुमड़िया गांव जो कि बिलकुल नदी के किनारे आया हुआ है और किसी भी समय इस फ्लड के अन्दर बह सकता है, इसके लिए भी मंत्री जी से आग्रह है कि उन्होंने 2 लाख रुपये की ही राशि दी है कृपया इसके लिए कम से कम 10 लाख रुपये की राशि रखी जाये। इसी तरह से चैनपुरा के अन्दर जो फ्लड आया था सभापति महोदय उसमें पूरे हाउस को पता है कि 34 आदमी मर गये थे उसके लिए इरिगेशन ने 17 लाख रुपये प्राटेक्शन के लिए रखा था लेकिन खेद का विषय है कि उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। अब मानवीय दृष्टिकोण से कि एक गांव के अन्दर एक ही परिवार के अन्दर 17-17 आदमी फ्लड से बह गए और दुबारा फ्लड आया तो उस गांव का क्या होगा। अतः मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि यह 17 लाख रुपये जो विभाग ने स्वीकृति के लिए आगे भेजे इस बार इसकी स्वीकृति करायें। इसी तरह से देता के अन्दर जो दो नदियां आकर मिलती है वहां जो इरिगेशन ने पहले स्पर बनाये थे वह स्पर बह गए। मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि स्पर बह जाने से देता गांव पहले भी एक बार बाढ़ की चपेट में आकर बह चुका है और यदि यहां और स्पर वापिस दुबारा नहीं बनाये गये तो वापिस इस गांव के लिए खतरा पैदा हो जायेगा।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

मेरा निवेदन है कि इसके लिए 10 लाख रुपये की स्वीकृत किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय, जालौर जिले का क्षेत्रफल 1056 वर्ग किलोमीटर का है परन्तु इस बजट के अन्दर जालौर जिले की उपेक्षा की गई है। जालौर जिले के लिए किसी तरह का पैसा नहीं रखा गया है और रखा गया है तो नाममात्र का रखा गया है। हमारे भीनमाल का जहां तक सवाल है इरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने भीनमाल के अन्दर एक बांध बनाया था जो कि बालसमन्द बांध के नाम से है पहले सागी नदी से उसके अन्दर पानी आता था, नहर बनी हुई है, नहर टूटी है अतः मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अगर थोड़ा पैसा लगाया जाये तो इस सागी नदी से यह बालसमन्द हमारा बांध भर सकता है जिससे उस एरिया के कुओं का जल स्तर ऊंचा होगा और साथ ही सिंचाई के लिए भी हमें इससे मदद मिलेगी।

सभापति महोदय, हमारे जिले की बहुत बड़ी समस्या है इस जवाई बांध में नदी का पानी रोक दिये जाने से हमारे कुओं का स्तर बिलकुल नीचे हो गया है, कई कुए सूख गये हैं इसलिए एक त सीमा के बाद इस जवाई बांध को नहीं भरा जाना चाहिए। हर बार बारिश होती है तो कम से कम दो पांच दिन के अन्तराल के दो तीन दफा पानी छोड़ा जाना चाहिए अन्दर जिससे कुओं का जल स्तर ऊंचा हो।.... (घंटी).... सभापति महोदय, जो मास्टर प्लान बनाया गया, मेरा एक ही प्रश्न है इसके बाद समय ज्यादा नहीं लूंगा। मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि जिस तरह से हमारी 1986 के अन्दर एक फ्लड प्राटेक्शन स्कीम बनी थी, आज के परिपेक्ष्य में उसका कोई महत्व नहीं है। यह इरिगेशन ने जो 1986 के अन्दर सर्वे कराया था मंत्री जी से निवेदन है कि 90 के बाद भी इस परिपेक्ष्य के अन्दर पुनः इसका सर्वे कराया जाये और हमारे फ्लड प्राटेक्शन के लिए स्कीम बनाकर रखी जाये। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : मान्यवर आज की बहस में जो मसले हैं हमारे सामने कई बार थ्रैडबेर डिस्कशन हो चुका है इस हाउस के अन्दर। इन्टर-स्टेट मसले हैं और कई बार बोलने का मौका मिला लेकिन डिटेल में मौका नहीं मिला। मैं आपकी मार्फत निवेदन करता चाहता था कि जितने भी इन्टरस्टेट मसले हैं एक दिन इसके लिए तय किया जाये पर आज हमारे पास इतना समय नहीं है, अलग से बहस हो। सारी स्टेटों के बजट सामने आ गये सिवाय पंजाब के। मध्य प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, यू. पी. का, हरियाणा का–जिन स्टेट्स से हमारा संबंध है इन मसलों के साथ चाहे वह नर्बदा का हो, चाहे चम्बल का हो, चाहे माही का हो और चाहे गंगा यमुना का हो और चाहे हमारी राजस्थान कैनाल का हो। सिवाय एक पंजाब के और सारे बजट हमारे सामने आ गए। पंजाब का दो दिन के बाद राज्यपाल महोदय का भाषण आयेगा। हमारा सीधा संबंध इनसे है। जैसी अखबारों में रिपोर्ट

(श्री केदारनाथ शर्मा)

हमें मिली है राजीव लोंगेवाल अकार्ड को इम्पलीमेन्ट करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण में आ गया है। क्या पॉलिसी वह तय करते हैं हमारे लिए बहुत उसका डाइरेक्ट संबंध होगा इसलिए केवल मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि हमें फिर दुबारा सोचना पड़ेगा। रावी व्यास के बारे में क्या फैसला करते हैं एडीशनल वाटर का। मैंने दो दिन पहले भी निवेदन किया था माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका रैस्पान्स दिया है कि सरकार अलर्ट है कि हमें बिना मालूम हरियाणा और पंजाब का जो शेयर है इस वाटर का रावी व्यास के एडीशनल वाटर का, यह उनके आपस का झगड़ा है और हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं है। हमारा शेयर सेटल्ड है उसमें कोई विवाद नहीं हैं। इसको री-ओपिन नहीं किया जाये। इराडी कमिशन ने कुछ फैसले कर दिये और इराडी कमिशन का फैसला वह मानते ही नहीं। न हरियाणा मानता है और न पंजाब मानता है। नये जुडीशियल कमिशन की बात कर रहे हैं। तो हमें साथ में चलना पड़ेगा। इस बात की मुझे खुशी है। मान्यवर माननीय जो नये मंत्री आये हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यह जो प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की है इसको पढ़ने के बाद राजस्थान की इरिगेशन की सीनेरियो क्या है 'एट ए ग्लान्स' समझ में नहीं आ सकती। कितना पानी आपका नीचे है, लिमिट के नीचे है, टोटल पानी कितना टैप कर पाये 7वें प्लान तक, दो प्लान और चले गए और 1 अप्रेल से 8वां प्लान शुरू हो गया, कितना आप टैप कर पाये, सरप्लस वाटर कितना है उसको कितना आप इस्तेमाल कर पाये। रेन से कितना पानी सरप्लस जाता है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते और प्रति हेक्टर कितना खर्चा है और कितना उसका आपको मिलता है रखरखाव पर। यह एक सीधा सा सीन हमारे सामने सीनेरियो आ जाये तो हर माननीय सदस्यों को समझने के लिए और अपनी बात के लिए कहने का मौका मिलेगा।

दूसरा मान्यवर जो हमारा दिल्ली में आफिस है माननीय मुख्य मंत्री जी उसको काम्मीटेन्ट बनाइये आप। अच्छे आदमी हों जो एम.पी.ज. को ब्रीफ करते रहें, सेक्रेटेरियट में सारा इनफ्रक्शन हो उनका और मौके पर आपको इत्तला देते रहें ताकि मौके पर आप अपना कदम उठा सकें और सही रास्ता निकाल सकें। तीसरी बात जो आई.जी.एन.पी. में आपने चेयरमैन बनाया माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत काम्पीटेन्ट इन्जीनियर को रखा। आई.जी.एन.पी. की काफी बड़ी समस्या है हमारे सामने। हमारे माननीय कल्ला साहब लिफ्ट इरिगेशन के बारे में बोल रहे थे। माननीय कल्ला साहब आप पानी इस्तेमाल कीजिए 5 क्यूसेक्स आई.जी.एन.पी. की 18 हजार कैपेसिटी है पर पंजाब की सरकार कहती है कि केवल 12 हजार पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैपेसिटी इतनी है आपकी। इससे ज्यादा है ही नहीं आपकी। अब भी भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड मान्यवर हमारा 52 परसेन्ट डिस्चार्ज है पानी में केवल जब पानी बांटते हैं तो केवल 49 पर्सेन्ट के हिसाब से बांटते हैं। माननीय कल्ला साहब डेप्थ में पानी इस्तेमाल कीजिए आप। पीने का

(श्री केदारनाथ शर्मा)

पानी दीजिए आप। मोहनगढ़ तक पानी चला गया। आप चले जाइये जैसलमेर और बाड़मेर में हमें कोई चिंता नहीं है आप फ्लो का पानी इस्तेमाल कीजिए मगर अगर 5 क्यूसेक्स पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे तो जमीन ज्यादा आपकी हार्ड-पेन है 3 फुट पर आया, 6 फुट पर आया, 10 फुट पर आया–वह पानी इकट्ठा हो जायेगा, परकुलेट नहीं करेगा। पानी जमीन के ऊपर आ जायेगा और जमीन बिल्कुल बेकार हो जायेगी। उसकी स्टडी चल रही है तो माननीय मुख्य मंत्री जी जल्दी स्टडी होकर उसको फैसला हो जाये। हमको तो शक है कि क्या होगा। स्टेडीज का फैसला हो जाये कि कितना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं उतना पानी दीजिए आप। कोई किसी प्रकार का एजीटेशन नहीं है फ्लो का। इरिगेशन का पानी दीजिए आप। नयी स्कीम बनाई आपने अच्छा किया आपने। इसके साथ साथ सड़कों के साथ आप कुछ दरख्त लगाओगे, कुछ ग्रीन लैण्ड लगाओगे, कुछ मछली के लिए लगाओगे, कुछ पेड़-पौधे लगाओगे यह स्कीम अच्छी है। इससे अकाल का जो बुरा असर है वह भी ऑफसेट होगा। लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वायु-मण्डल का इन्वायरमेण्ट भी ठीक होगा। मान्यवर, यह एन. आई. एन. जी. पी. की सेकण्ड लाइन ऑफ डिफेन्स है, यह ठीक है इन्जीनियर्स कुछ खराब हो सकते हैं। आम तौर से ऐज ए इन्जीनियर क्लास, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है आई. जी. एन. पी. को बढ़ाने में। मैं लम्बा भाषण नहीं देने आया हूं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह जो स्टेडीज चल रही हैं यह जल्दी से अपनी रिपोर्ट दे दे ताकि आपको भी मालूम पड़ जाय कि 5 क्यूसेक पानी के अलाउंस का वाटर अलाउंस इतना इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं इस्तेमाल करते है आप। आज भी थीन डेम से पानी पाकिस्तान को जाता है। आज भी जा रहा है। तो वह पानी इस्तेमाल करें गंग केनाल भाखड़ा के इलाके में जहां कण्ट्रोल लैण्ड है, कमाण्ड एरिया है उसी पानी से आपको ज्यादा यील्ड आयेगी। सरकार को और काश्तकार को फायदा, टोटल आपकी प्रोस्परिटी बढ़ेगी। इसमें कोई झगड़ा नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे भाखड़ा में 2.4 क्यूसेक वाटर अलाउन्स है और गंग केनाल में 2.6 है और यहां 5. है। इस्तेमाल साढ़े 3–4 पाइण्ड होता है बाकी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मान्यवर खेत में इस्तेमाल कर रहा है काश्तकार वह काश्तकार उस पानी को पूरा इस्तेमाल नहीं करता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि वह काश्तकार ठीक नहीं है अगर वह काश्तकार कांपिटेंट नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं हैं उस साइल में काम नहीं कर सके, कैश क्राप पैदा नहीं कर सके तो मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी, जो दूसरे काश्तकार हैं आस-पास के जिले के, उनको अनुभव है उनको जमीन स्पेशल अलाटमेण्ट कर दीजिए आप, किसी और अलाटमेण्ट का तरीका निकाल लीजिए, कुछ इलाका दे दीजिए ताकि आपस में काम्पीटिशन हो और आपकी जमीन कल्टीवेट हो, आपको ज्यादा पैदा हो प्रोस्पेरिटी। मेरा ख्याल है कि आपको नुकसान नहीं होगा।

मान्यवर, यहां यह सवाल भी हमारे सामने है, हैड वर्क्स का। माननीय

(श्री केदारनाथ शर्मा)

मुख्य मंत्री जी ने कई बार लैटर भी लिखे। माननीय मोरारजी जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक डाइरेक्शन दी थी पंजाब की सरकार को कि यह तीनों हैड वर्क्स का कण्ट्रोल जो जोइण्ट होना चाहिए यह भाखड़ा व्यास मेनेजमेन्ट बोर्ड को दे दिया जाय। यह बहुत-बड़ा मसला है हमारे सामने। कई बार यह भी बात चलती है। आज जैसे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, सतलुज-जमनालिंक जो है यह सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट अपने हाथ में ले। पंजाब में हमें विश्वास नहीं है। मान्यवर, जिस स्टेट की टेरिटरी में जाती है हमारी केनाल उसकी मरम्मत, उसकी रिपेयर्स सारी उसके पास है। पिछले साल हमारे भाखड़ा का वाटर लेबल 5 फुट नीचे रखा। जो ग्राफ है उससे नीचे रखा इसलिए कि हमारी बाढ़ आ कर पहले नुकसान कर गयी इसलिए हम प्रीकाशन्स ले रहे हैं। मान्यवर, यह नहीं है। लिमिटेण्ट आउटफिट्स ने धमकी दी कि इतना वाटर लेबल आप नीचे रखिये। यह दबाव वहां उनके दिमाग में चल रहा है। यह भी दिमाग में रख लो। मान्यवर, इण्टर स्टेट डिस्प्युट कब बढ़ा है। सेण्टर ने आज तक मजबूती के साथ, इरादे के साथ कोई ट्राइब्यूनल कायम कर के फैसला कर दे, कोई रास्ता निकाले। आज तक रास्ता नहीं निकाला। एक झगड़ा कावेरी का हुआ। ट्राइब्युनल ने अवार्ड भी दे दिया अन्तरिम, वह दोनों सरकारों ने नहीं माना। एक सरकार ने मान लिया और एक ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना। इसलिए जब भी इण्टर-स्टेट काउन्सिल की मीटिंग हो माननीय मुख्य मंत्री जी, बड़ी मजबूती के साथ आप कहिये कि जो इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट बनाया है आपने उसको मजबूती से लागू करिये आप। आप कोई ट्राइब्यूनल कायम कर दो। किसी स्टेट का झगड़ा हो पहले आपस में बातचीत कर के तय करें नहीं तय होता है तो ट्राइब्यूनल कायम कर दें और ट्राइब्यूनल रैफरेंस के साथ समय तय कर दें कि इस समय के बाद में फैसला लागू होगा। दोनों पर लागू होगा। अगर कोई आज नेशनल गवर्नमेण्ट को, जो हमारी इस वक्त दिल्ली में बैठी है उसको कोई फैसला करना पड़े जैसे पंजाब के हालात बन रहे हैं लाजिमी आपको मजबूती से फैसला करना पड़ेगा।

मान्यवर, यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके में जैसे आपने, क्योंकि अब समय आ गया मार्च का, कल के बाद 5 दिन की छुट्टी आ जायेगी, 23 तारीख आ जायेगी, मार्च में अगर सरहिन्द फीडर का क्लोजर नहीं मिला और फिर अप्रैल में आई.जी एन.पी. का क्लोजर नहीं ले पायेगे तो यह मसला 6 माह आगे बढ़ जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। हमारी हाऊस की डिबेट हुई है उसकी कांसस को लेकर प्राइम मिनिस्टर को दे भी दिया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं। अब माननीय मुख्य मंत्री जी, कल से पंजाब का सैशन हो रहा है। उससे बात कर के कोई डेट फिक्स करा लें। क्योंकि मान्यवर, यह डेट फिक्स करने से काम बन जायेगा? बीकानेर केनाल की रिपेयर्स का सवाल है। मैन

(श्री केदारनाथ शर्मा)

तो वह है। यह तो केवल आरजी चीज है कि दो साल तीन साल, चार साल जब तक बीकानेर केनाल का पूरा रिपेयर नहीं होता तब तक इस पर पानी मिलता रहे। तीन क्यूसेक पानी मिलता रहे। वह मैन चीज है। उसके बारे में पंजाब से बात करनी पड़ेगी। शिवपुर में जो 100 क्यूसेक पानी आयेगा वहां लिफ्ट से उसका भी आपको इन्तजाम करना पड़ेगा। तो समय काफी लगेगा। इस बजट में, इस प्लान में आपने बीकानेर केनाल की रिपेयर्स के लिए पैसे का प्रोविजन नहीं किया 84-85 में जिस वक्त सर्वे हुआ था उस वक्त केवल 54 करोड़ रुपए लगता अब हो गया 1492। डेढ़, दो सौ करोड़ इस पर खर्च होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी, उसका एक प्रोविजन कर दीजिए ताकि यह फैसले होने वाले हैं।

हमारे यहां डिप्रेशन पर आपने शुरूआत की है, इसमें कोशिश की। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछले साल एस्केप चैनल बनाने के लिये, आपने डेढ़ सौ करोड़ रूपया दिया है उसका इस्तेमाल हो रहा। मगर यह पैसा कम है। 17-18 डिप्रेशंस हैं यह पानी अगर मिल जायेगा, चेनेलाइज हो जायेगा तो सूरतगढ़ ब्रांच में चला जायेगा, अनूपगढ़, बांध में चला जायेगा। जो डेफिसियेंसी है वह पूरी होगी। आपने एक मेकेनाइज्ड सेन्ट्रल फार्म जो हैं उसको दे दिया। अब उसकी इर्रीगेशन पर्सेन्ट बढ़ गयीं, पैदावार बढ़ी है उनको और बढ़ जायेगी इसलिए इसी एस्केप में कुछ पैसा और दीजिए हम ताकि पानी का फायदा उठा सकें। सिद्धमुख नहर के लिए मुझे बड़ी खुशी है कि आपने यूरोपियन इकॉनामिक इण्डस्ट्री से बात कर के कुछ तय कर दिया आपने इसमें 154 करोड़ रुपए। बड़ा अच्छा है। नोहर का और सिद्धमुख का मगर नोहर में अभी फिलहाल इस एनुअल प्लान में आपने एक करोड़ दिया है। सिद्धमुख को आपने 5 करोड़ दे दिया और अभी नोहर में कुछ मुआवजा भी नहीं मिला तो यह भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। माननीय मुख्य मंत्रीजी की नालेज में मैं यह लाना चाहता हूं। क्योंकि बाढ़ आये न आये पर बाढ़ का इंतजाम करना पड़ेगा। जो हमारा फ्लड कण्ट्रोल, जो डाइवर्जन हैं, चैनल है उसका बेड़ बहुत कम हो गया। वह भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। बेड आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने कब्जे कर लिये ताकि कल ऐसी पासीबिलिटी हो सकती है कि बारिश ज्यादा आ जाय इसलिए यह भी आपको इंतजाम करना पड़ेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए, मैंने कुछ मसले आपके सामने पेश किये हैं। वह वक्त आ गया कि हमारी सेण्टर गवर्नमैण्ट को कुछ मजबूती से फैसले करने पड़ेंगे। भाखड़ा-मैनेजमेण्ट बोर्ड भी इसमें पूरा कण्ट्रोल नहीं कर पायेगा मान्यवर, क्योंकि मिलिटेंट आउटफिट्स का बहुत बड़ा भय है क्योंकि जब से वहां के चीफ इन्जीनियर का उन्होंने मर्डर किया है किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह अपना इंतजाम अच्छी तरह कर ले। तो आप और कोई रास्ता निकालिये, मिलिट्री को दे दीजिए। आप कोई ऐसा रास्ता निकालिये सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट से मिलकर के ताकि एक बहुत बड़ा फैसला जो आज पैंडिग है इतने अर्से

196

(श्री केदारनाथ शर्मा)

से वह फैसला हो जाये इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए, इर्रीगेशन डिपार्टमेण्ट के लिए, नये मन्त्री हैं, मेहनती भी हैं इसमें कोई शक नहीं और समझ भी है उनकी काफी। तो मेरा एक सुझाव उनके सामने है कि सैशन के बाद जितने भी हैड वर्क्स हैं आप स्वयं वहां जाकर के एम. एल. ए. साथ लेकर या ऑफिसर को साथ लेकर आप मौके पर जाकर के सारी जानकारी हासिल करिये। मान्यवर, जानकारी हासिल करने से आत्म-विश्वास भी बढ़ता है, नॉलेज तो बढ़ती है, जानकारी तो बढ़ती है एक आत्म-विश्वास भी बढ़ता है। काम के तरीके पर फर्क पड़ता है। आई. जी. एन. पी. के मन्त्रीजी हैं वह बीकानेर डिवीजन में सैशन के बाद बीकानेर डिवीजन की मीटिंग बुलाकर जो सी. ए. डी. के आपके मसले हैं, जो कालोनाइजेशन के मसले हैं जो आई. जी. एन. पी. के मसले हैं, इसके बारे में आप बैठकर के कोई फैसला करोगे तो कोई रास्ता निकल पायेगा। यही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, राजस्थान में कुल कृषि योग्य भूमि 256.56 लाख हैक्टेयर है जो कि भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का दस प्रतिशत है परन्तु आज तक अरबों रुपये और दशकों की मेहनत के बाद भी केवल नौ प्रतिशत भूमि सिंचित सृजित कर पाये हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लागत, लाभ और समय इन तीनों का पूर्व निर्धारित अगर समन्वय हो सभी योजनाओं का वांछित लाभ मिल सकता है नहीं तो जैसे जैसे समय बढ़ता है, लागत बढ़ती जाती है और लाभ घटता जाता है। मान्यवर, हमारी सभी योजनाओं में ऐसा ही हुआ। हमारे यहां अभियन्ताओं की पूरी फौज होते हुए भी एक भी योजना ऐसी नहीं है जो समयबद्ध कार्यक्रम या निर्धारित राशि के अनुसार पूरी हुई हो। यदि ऐसी कोई भी योजना हो तो हमारे माननीय सिंचाई मंत्रीजी भी यहां बिराजे हैं वह बता सकते हैं कि ऐसी कोई भी योजना जिसे निर्धारित राशि और समय पर पूरा करके वांछित लाभदेय बना दिया हो। इन्दिरा गांधी नहर को ही ले लीजिये, जैसे कोई द्रोपदी का चीर बन गयी हो। स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पंत ने 1958 में इसका शुभारम्भ किया था तब यह योजना मात्र 52 करोड़ की थी और 1973 में पूरी हो जानी थी। लेकिन आज क्या हुआ? सामने हैं स्थिति। अब तो इस योजना का बजट लगभग, मेरी समझ में, 1500 करोड़ के आस-पास पहुंच गया है। यही हाल मैसासिंह और अन्य योजनाओं का हुआ। मान्यवर, मेरा कहना यही था कि किसी भी योजना को पूर्ण करने के लिये उसकी लागत, उसका लाभ और उसमें जो व्यतीत होने वाला समय है, जब तक उसका समन्वय नहीं होता, योजना का पूरा लाभ नहीं मिलता और पूर्व सरकारों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि हम वांछित लाभ और वांछित लक्ष्य पूरे नहीं कर पाये और आज इतनी कृषि योग्य भूमि होते हुए भी केवल नौ प्रतिशत ही सिंचित एरिया

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सृजित कर पाये हैं, उसमें भी सारे में सिंचाई नहीं होती।

सभापति महोदय, मैं आज सिंचाई की मांग चल रही है तो कुछ अपने जिले की भी बात कहना चाहूंगी। सिरोही जिला भौगोलिक दृष्टि से अलग है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां की जमीन पथरीली है और ढलान वाली है। जैसे ही बरसात होती है, सारा पानी घंटे-डेढ़ घंटे में बह कर चला जाता है। लेकिन हमारा सिरोही जिला और पड़ौसी जालौर जिला दोनों ही इस पूरे दशक में उपेक्षित रहे हैं। सिरोही जिले में ऐसी कोई भी बड़ी योजना नहीं है कि वहां का काश्तकार लाभान्वित हो सके। सभापति महोदय, मैं बड़ी योजनाओं की बात नहीं करके छोटी छोटी योजनाओं के बारे में कहना चाहूंगी। मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी धन्यवाद करती हूं क्योंकि जब वह पिछली बार सिरोही गये और सिरोही की जनता को जो उन्होंने वायदा किया, सूकड़ी इननडेशन योजना उन्होंने प्रारम्भ करवायी। यह सूकड़ी इननडेशन योजना सन् 73 की बाढ़ में बह गयी थी। आज 18 वर्ष बाद हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इसको प्रारम्भ करवाया और इसका काम शुरू हुआ। लेकिन, मान्यवर, इस योजना पर मेरी समझ में 40 लाख से अधिक खर्चा हो चुका है, 8 कन्टूर बांध भी तैयार हो गये हैं लेकिन जो योजना का मुख्य डिजाइन है, दीवार का काम है वह अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। इसकी डिजाइन का काम डायरेक्टर, डिजाइन के यहां पैंडिंग पड़ा है। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगी कि यह छोटी सी योजना है, इससे करीब 2000 से ऊपर हैक्टेयर में लोगों को सिंचाई मिलेगी, इननडेशन होगा और कम से कम 12–13 कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, इसलिये इस डिजाईन को शीघ्र मंजूर करवा कर, वर्षा ऋतु नहीं आ जावे उससे पहले अगर इस योजना को समय पर पूरा किया जाय तब तो हमें वांछित लाभ मिलेगा और नहीं तो एक बार काम प्रारम्भ कर दिया, योजना कागजों में चढ़ गयी और फिर उसको अगर द्रोपदी के चीर की तरह लम्बा किया तो यह छोटी सी योजना कभी भी लाभप्रद नहीं हो सकती।

इसी प्रकार से शिवगंज क्षेत्र में है, क्योंकि मेरा शिवगंज इलाका है, वहां का जल स्तर काफी नीचे चला गया है, सभापति महोदय, आज तो यह स्थिति है कि वहां कोई भी कुआं अगर गहरा करने जायं तो वह कुआ धंस जाता है, उसमें कितने ही श्रमिकों की मृत्यु अभी इन दो वर्षों में हो चुकी है। इसलिये वह क्षेत्र जो दिनोंदिन मरुस्थल की ओर बढ़ रहा है, उसका जल स्तर ऊपर बढ़ाने के लिये हमें छोटी छोटी योजनाएं लेकर काम करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक छोटी सी योजना कैलाशनगर बांध की है वह भी हमारे सिंचाई विभाग में पैंडिंग चल रही है, कृपया उसे भी मंजूरी दिलवायें।

इसी तरह से सिरोही तहसील की

198

(श्रीमती तारा भण्डारी)

छोटी छोटी योजनाएं हैं, जावालबांध और बरलूट बांध। जावाल बांध तो मात्र 16 या 20 लाख की योजना है। अगर उस जावाल बांध को बनाया जाय तो वहां पर फ्लड प्रोटेक्शन भी होता है और कुओं का जल स्तर भी बढ़ता है। इसी प्रकार से हमारे यहां पर पिछली वर्षा जो 90 में हुई थी, कमेड़ी और कलदरी बांध दो टूट गये थे। कलदरी तो एनीकट है और कमेड़ी बांध टूट गया था। लेकिन यह दोनों बांध टूटने के बाद आज तक उनको रिपेयर करने के लिये कोई उपाय नहीं किये गये। दोनों ही टूटे बांध यथा-स्थिति में पड़े हैं। मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि यह जो बाढ़ में हमारे बांध टूट गये थे उनके भी पुनर्निर्माण की इजाजत दें। मेरे यहां छोटे-छोटे तीन-चार बांध और हैं। पूरे जिले की बात कर रही हूं। ओड है, बनास है, अणगौर और धानवया बांध हैं। इन बांधों की जो भी पहले बनी थीं नहरें, वह नहरें प्रायः सभी क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, उसमें पानी का बहुत ज्यादा लीकेज हो जाता है। तो उन नहरों को वापस मरम्मत करने के लिये और जो नक्शे में उनका विस्तार जहां तक दिखाया गया है उनके विस्तार करने के लिए धन-राशि आवंटित करें। महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर एक ही बात कहूंगी कि हमारा सिरोही जिला और जालौर जिला वर्षों से उपेक्षित रहे, कभी भी इन जिला को जैसा कि कोटा में कितनी सारी योजनाएं धड़ाधड़ पूरी कर ली गयीं....

श्री हेमराज मीणा : वह तो पहले की हैं, 77 की।

श्रीमती तारा भण्डारी : चलो कोई बात नहीं। इतनी सारी योजनाएं एक साथ प्रारम्भ कर दी गयीं लेकिन हमारे इन जिलों में केवल दो योजनाएं थीं, मान्यवर, एक तो सूकली सेलवाड़ा बांध दूसरी भीनमाल में बांदी सेन्दरा, बांध, यह दो योजनाएं बनाने वाले अभियन्ता मेरी समझ में रिटायर हो चुके होंगे, 30–35 वर्ष हो गये, सूकली सेलवाड़ा में बांध, भीनमाल में बांदी सेन्दरा बांध को यह योजनाएं जल आयोग के पास मंजूरी के लिये पड़ी हैं। हमारे माननीय मंत्रीजी काम के बड़े कर्मठ दिखते हैं, इनको चाहिये कि उन योजनाओं को केन्द्र से मंजूर करवा कर सिरोही और जालौर का विकास करें और इसके बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने का प्रयास करें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हेतरामजी (अनुपस्थित), माननीय श्री गोपालसिंह खण्डेला (अनुपस्थित), माननीय श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : सभापति महोदय, मांग संख्या 46, बारां जिला कोटा संभाग के अन्दर जो सिंचाई सम्बन्धित मामला है, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अगर पिछले इतिहास को हम देखें तो ढाई साल पहले जनता पार्टी की

(श्री हेमराज मीणा)

सरकार रही थी। उस ढाई साल के कार्यकाल में जो कोटा संभाग के लिए वरदान साबित हुआ है उसकी आज भी तस्वीर सारे कोटा सम्भाग के अन्दर है। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो किशनगंज-शाहबाद में जो लगभग 27 सिंचाई परियोजनाएं उस समय स्वीकृत हुई और लगातार इस समय उनसे सिंचाई हो रही है, पूरे कोटा संभाग के अन्दर लगभग 150 सिंचाई परियोजनाएं इस समय चालू हैं और अभी उनसे सिंचाई हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रमुख रूप से ध्यान इस ओर मंत्री महोदय का दिलाना चाहूंगा कि 10–12 वर्ष पूर्व वह सिंचाई योजनाएं बनी थी लेकिन ढाई साल के बाद हमारी सरकार नहीं रही, बीच में जो सरकार आई, उन्होंने उन योजनाओं की ओर देखा नहीं। आज उस योजना के बारे में हम देखें, इस जीर्ण शीर्ण हालत में है कि उनका जो सिंचाई का पानी है, 40 प्रतिशत पानी वेस्ट होकर नदी नालों के अन्दर जाता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, आप करोड़ों रुपया बड़ी-बड़ी योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद हमको रिजल्ट मिलने में अभी बहुत देर लगेगी। हमको रिजल्ट बहुत देर से मिलेंगे। जो सिंचाई योजनाएं हमारी पहले से चल रही है, जिन से हमको सिंचाई प्राप्त हो रही है, जिन से किसानों को सिंचाई होती है, उन योजनाओं की यदि हम मरम्मत करवायें तो निश्चित रूप से हजारों बीघा जमीन सिंचित होगी और हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। मरम्मत के सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न पूछा था तो मेरे पास सरकार का जवाब आया कि राजस्थान में 18.50 करोड़ रुपया मरम्मत के लिए, सिंचाई योजनाओं की मरम्मत के लिए खर्च किया जाता है और फिर जवाब में यह बात भी कही गई कि जो 18 करोड़ रुपया है, वह केवल वर्कचार्ज की सेलेरी है। सभापति महोदय, मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि 50 लाख में राजस्थान की जो सिंचाई योजनाएं चल रही हैं, उनकी मरम्मत कैसे हो पायेगी। एक तरफ तो हम बात करते हैं नयी सिंचाई योजनाएं चालू करने की, दूसरी तरफ पुरानी जो सिंचाई योजनाएं चल रही हैं, उनकी हम मरम्मत नहीं करा सकते, उनको हम मेनटेन नहीं कर सकते और इस कारण से हालत बड़ी खराब हो रही है। सभापति महोदय, पिछली बार बारां जिले में बाढ़ आयी थी, जिस समय बारां जलमग्न हो गया, जितने भी सिंचाई प्रोजेक्ट थे, उनकी टूट-फूट हुई, नहरें सारी जीर्ण-शीर्ण हो गई, उसके लिए एस्टीमेट बनाकर सरकार को वहां के अधिकारियों ने भेजे। लगभग 99 लाख रुपये के प्रस्ताव राज्य सरकार के यहां विचाराधीन हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, किन परिस्थितियों में क्या कारण रहे जिस कारण से 99 लाख रुपये के जो प्रस्ताव थे, उनमें से एक को भी स्वीकृति नहीं मिल सकी और आज वह योजनाएं जो जीर्ण-शीर्ण हालत में पड़ी हैं, उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। सभापति महोदय, जे.आर.वाई. के तहत कुछ मरम्मत का पैसा जरूर मिला है लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, बहुत थोड़ा-थोड़ा पैसा मिलता है। जो दो-दो, चार-चार

(श्री हेमराज मीणा)

तगारी मिट्टी डालेंगे और मस्टररोल भर करके काम पूरा कर देते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि कोटा संभाग में जितनी भी पुरानी सिंचाई परियोजना हैं, बारां, बून्दी, झालावाड़, किशनगंज, शाहबाद, उन सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत कराना बहुत आवश्यक है ताकि सिंचाई क्षमता बढ़ सके और किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही कुछ योजनाएं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई थी, जो डी.आर.डी के अन्तर्गत किसी के अन्दर 2 लाख रुपये, किसी के अन्दर 4 लाख रुपये, किसी के अन्दर 6 लाख रुपये, इस तरह से मंजूरी प्राप्त हुई थी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जो योजना 50 लाख की है, उसके लिए 2 लाख रुपये मंजूर किये जाते हैं, तो क्या वह मंजूरी सार्थक हैं, क्या वह काम हो पायेगा, यह प्रश्न विचार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो योजनाएं 50 लाख की है, उन पर 2 लाख रुपया आवंटन करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है और राज्य सरकार उस योजना में योजनाबद्ध, समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए बजट आवंटन करे, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है। सभापति महोदय, किशनगंज, शाहबाद और बारां क्षेत्र के कुछ माइनर प्रोजेक्ट हैं, जो माइनर प्रोजेक्ट राज्य सरकार के यहां बजट आवंटन के लिए विचाराधीन हैं जैसे बेतरा सिंचाई परियोजना है; लघु सिंचाई परियोजना है, 28 लाख रुपये की सिंचाई परियोजना है, कई बार प्रश्न भी पूछा गया, जवाब यही मिला कि वित्तीय प्रावधान होने पर मंजूरी की जायेगी। तो मैं चाहूंगा कि जो बेतारा सिंचाई परियोजना, जो राज्य सरकार के यहां पर बजट आवंटन के अभाव में है, मैं चाहूंगा, आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि उस सिंचाई परियोजना पर बजट आवंटन करें और उसका प्रारम्भ करायें। एम. जी. सिंचाई परियोजना, नेकेली सिंचाई परियोजना, दोनों सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिन पर लाखों रुपये खर्च हुए हैं, लेकिन वहां का काम पिछले पांच सालों से बंद पड़ा हुआ है। उनमें कई छोटी-छोटी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करके उनका कार्य प्रारम्भ कराया जायें। उन योजनाओं पर लगभग 10-10, 12-12 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, वह भी बारां डिस्ट्रिक्ट को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार के विचाराधीन है। हमने जब पूछा तो हमको यह जवाब मिला विधान सभा प्रश्न के दौरान कि लासी, बेतली और बरनी नदी परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। जब इसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है तो अब मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि शायद अब राज्य के बजट से इन योजनाओं के अन्दर निश्चित रूप से कोई तरह की राशि का आवंटन होगा ताकि इन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जा सके। सभापति महोदय, सबसे बड़ी प्राब्लम किशनगंज, शाहबाद और बारां क्षेत्र में

(श्री हेमराज मीणा)

फोरेस्ट की है। जितनी हमारी योजनाएं सर्वे हुई हैं, योजनाएं स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के यहां विचाराधीन है, लेकिन आज फोरेस्ट की छोटी-छोटी अड़चनें होने के कारण से उनके कामों से बहुत बाधा आ रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो फोरेस्ट की अड़चनें इन छोटी-छोटी योजनाओं में आ रही है, आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि योजनाबद्ध तरीके से यह तय करें कि इन फोरेस्ट की बाधाओं को कैसे हम दूर कर सकते हैं। आज उसके अभाव में हमारी सारी योजनाएं बिल्कुल बंद पड़ी है। इसी तरह से राज्य सरकार ने खास तौर से एक योजना, लिफ्ट सिंचाई परियोजना को सिद्धान्ततः स्वीकृति दी है, मैं राज्य सरकार का स्वागत करना चाहूंगा कि जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, वह बारां जिले के लिए एक तरह से वरदान है। उससे हजारों बीघा जमीन सिंचित होगी। इतना ही नहीं मध्यम सिंचाई परियोजना, माइनर सिंचाई परियोजना में समय लगता है, लिफ्ट सिंचाई परियोजना केवल 4 महीने में बन कर तैयार हो जायेगी, इसका सबसे बड़ा लाभ किसानों को होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, वह है कोटा और बून्दी क्षेत्र में कैचमैण्ट की। कैचमैण्ट का इतना बड़ा धर्म संकट हमारे सामने हैं कि कैचमैण्ट के कारण से हमको इलाके में फ़ेज करने में दिक्कत आ रही है। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष के नेता थे, उस समय उन्होंने हमारे साथ, 10 हजार लोगों के साथ गिरफ्तारी दी थी, उस समय उन्होंने यह घोषणा की थी, कि हम कैचमैण्ट के कर्जे भी माफ करेंगे और कोई भी किसान कैचमैण्ट का कर्जा नहीं चुकायेगा। उसके बाद हमारी सरकार बनी, उस समय भी उन्होंने यह कहा कैचमैण्ट का कर्जा वसूल नहीं होगा। तो मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी को और इन सभी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री हेमराज मीणा : जी. ए. डी. मंत्री जी हैं, इनको भी यह कहना चाहूंगा। अभी तो मेरे 5 मिनट ही नहीं हुए हैं।

श्री सभापति : पांच मिनट ? आपके हो गये 12 मिनट।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कैचमैण्ट के जब हम राजस्थान के अन्दर करोड़ों रुपये के कर्जे माफ कर सकते हैं। जहां हम करोड़ों रुपये के कर्जे दूसरे माफ कर देंगे तो किसानों के कर्जे जो कैचमैण्ट के नाम से....

श्री बुलाकीदास कल्ला : 5 मिनट में क्या बोलेगा आदमी ? नहीं, बोलने दो ना। बोलने के लिए आते हैं और किसलिए आते हैं यहां पर।

श्री हेमराज मीणा : आज हालत यह है किसानों को लोन नहीं मिल रहा है।

202

(श्री हेमराज मीणा)

किसानों को नोटिस नहीं मिलने के कारण किसी प्रकार का लोन नहीं दिया जा रहा है, इस कारण से किसान पिस रहा है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा कि कैचमैण्ट के कर्जे तत्काल माफ किये जाने चाहिए। सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोपाल सिंह (आहौर)।

श्री गोपाल सिंह (आहौर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 46 सिचाई पर अपने कटौती प्रस्तावों पर सुझाव पेश करूंगा। एक जमाना था कि जवांई नदी हमारे जालौर जिले के लिए एक वरदान के रूप में मानी जाती थी। जवाई नदी एक ऐसी नदी थी हमारे जालौर जिले के काश्तकारों के लिए एक पूज्यनीय नदी थी, जिसको वह पूज सकते थे, यह स्थिति थी। आज जवाई बांध बनने के बाद में वह बांध एक दुखदायी योजना के रूप में जालौर जिले के लिए आकर खड़ा हो गया हैं खैर जो चीज होनी थी, हो चुकी। अब उसकी वजह से, बांध की वजह से थोड़ी बहुत सिंचाई होती है आहौर क्षेत्र में और उस सिंचाई में भी सबसे पीछे रहता है और आहौर क्षेत्र और उन काश्तकारों की हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे किसी अच्छे भोज में आप आमंत्रित हों और आप लोगों को अच्छा भोजन खाते हुए देख लें, लेकिन आपके हाथ में वह भोजन नहीं मिले, या आपको उसका स्वाद चखने का मौका नहीं मिले, बिल्कुल यही स्थिति हमारे आहौर के काश्तकारों की है। वह इसीलिए कि वह टैल में आते हैं। टैल में आने की वजह से ऊपर समृद्ध काश्तकार हैं, असरदार काश्तकार हैं, उनकी अपनी पहुंच है, उस पहुंच की वजह से वह मनमाने तरीके से नहर को रोककर, तोड़कर रास्ते में लाठी बाजी से पानी ले लेते हैं और जब इरिगेशन डिपार्टमैण्ट को जाकर हम कहते हैं तो वह बताते हैं कि पानी जितना हमको देना था जवाई डेम से उतना हम दे चुके हैं और अब इसके आगे हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है।

पानी खोल देना ही कैनाल में काफी नहीं है फिर उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेण्ट की जरूरत नहीं है। वह पानी तो मैं भी जाकर खोल सकता हूं अगर खोलने का तरीका बता दिया जाय तो उस कैनाल को खोल दें और उससे पानी चलता रहे फिर जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला हिसाब चलता रहेगा। व्यवस्था यह होनी चाहिये विभाग की कि यहां तक व्यवस्था रहेगी कि किस आउट लेट पर कितना पानी किस को मिलना है उतना मिला या नहीं। यहां जाकर के आपका पूरा काम समाप्त होता है। वहां जाकर के नहीं कि आपने पानी खोल दिया और पानी चालू हो गया। वह चालू होने के बाद में कौन ले जा रहा है, कहां जा रहा है, किस को मिल रहा है, सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है। वह कहते हैं कि हमें इसका कोई पता नहीं है। तो इस के लिये मैं कुछ व्यवस्थाएं सुझाना चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय को आपके द्वारा जवाई बांध की नहरें हैं उस पर लोग

(श्री गोपाल सिंह)

रात बेरात किसी वक्त जाकर अपने 10-20 आदमियों को ले जाकर नालों को तोड़ने की व्यवस्था सबसे पहले करते हैं। वैसे यह एरिया प्रोटेक्टेड घोषित किया जाना चाहिये। जब कैनाल की इरिगेशन शुरू होती है उसके कम से कम एक महीने पहले इस एरिया को घोषित किया जाय। जो कोई व्यक्ति उस कैनाल पर आ जाता है तो जुर्म का भागीदार माना जाना चाहिये। मैं कहता हूं कि यह व्यवस्था अवश्य की जाय यह मेरी पुरजोर मांग है। जब आप यह व्यवस्था करेंगे उसके साथ में आपको देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति इस कैनाल के ऊपर पहुंचता है, कहां गया है उस हालत में आप उस कैनाल से जो गरीब काश्तकारों को पानी जाने वाला था और नहीं जा पा रहा है और कहां तक गड़बड़ी हो रही है, यह एक्सपीरिएंस आप देख सकते हैं। तो वहां पर पुलिस की पिकेट्स आप लगाइये, आप डी. आई. जी., आई. जी., डी. जी. से पुलिस मंगा करके जब इरिगेशन चलता है उस समय के अन्दर पुलिस की पिकेट्स लगानी पड़ेगी जिससे कि बड़े काश्तकार, प्रभावशाली काश्तकार या जो काश्तकार जिनका अपना असर है वह दूसरों को पानी नहीं लेने दें और सबको बराबर पानी मिले। इसके साथ में आपको वहां पर उसी कैनाल के ऊपर मोबाइल मजिस्ट्रेट रखने पड़ेंगे एक या दो जैसी भी व्यवस्था हो कि कितने आदमी उसको सम्भाल सकते हैं एक या दो और वह मोबाइल मजिस्ट्रेट मौके पर ही किसी का चालान कर सकता है, किसी के फाइन कर सकता है, किसी का पानी रुकवा सकता है यह उसको अधिकार होना चाहिये। अगर मैं उस कैनाल के ऊपर नाले से पानी ले रहा हूं और मैंने अपने खेत में ज्यादा पानी लिया है या मैंने किसी तरह से कानून को तोड़ा है तो वह मजिस्ट्रेट उसी वक्त मेरे नाले को बन्द करवा दे और उसके बाद में मेरी फसल जलनी चाहिये और उन काश्तकारों को पानी मिलना चाहिये जिनकी फसल शराफत की वजह से जल रही है, बेईमानी की वजह से पानी पिला रहे हैं उनकी फसलें जलें और शराफत की वजह से इन्तजार कर रहे थे अपने पानी के आने का उनकी फसलें लहलानी चाहिये, हरी होनी चाहिये।

इस नहर पर आउटलेट लेने की एक व्यवस्था है और किस जगह पर कितना पानी नीचे देना, उसके नीचे कितनी जमीन इरिगेट होने वाली है उसके हिसाब से उस पर आउटलेट लगता है। 12 इंच की आउटलेट है। मैंने पिछली बार वहां जाकर देखा, वहा दोनों 12 इंच के लगे हुये हैं जहां 6 इंच का लगना चाहिये वहां 9 इंच का लगा हुआ है। जहां 9 इंच का लगा हुआ है उसके पास उन्होंने एक छेद कर दिया जिससे अनाप शनाप पानी उसमें से निकलता जा रहा है और नीचे पानी जा ही नहीं रहा है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें खास तौर से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ध्यान देंगे कि आप अगर कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि एक यह व्यवस्था बहुत बड़ी

(5:35 सायं)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

204

(श्री गोपाल सिंह)

आपके द्वारा बन जायेगी और कमजोर वर्ग के और गरीब वर्ग के काश्तकारों को राहत मिलेगी। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर मुख्यतः ध्यान दें।

कैनाल की कैपेसिटी बढ़ाने के तरीके देखने पड़ेंगे। मैं सोचता हूं कि और तो कोई तरीका है नहीं कैनाल की कैपेसिटी बढ़ाने का लेकिन अगर उसको ऊपर उठा दिया जाय यानी उसको ऊंचा करके हाइट बढ़ा दी जाय, तकनीकी रूप से, तो मैं नहीं कह सकता सही कह रहा हूं या गलत लेकिन अगर आप अपने विभाग में टेक्निशियन को पूछ कर अगर उसकी हाइट बढ़ा दें, ऊंचा कर दें तो ज्यादा पानी आप एक साथ ले पायेंगे। उसमें नाले लगाने की व्यवस्था ऐसी करिये। यह टेल एण्ड हैड का जो सिस्टम आप कर रहे हैं, आप वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यह व्यवस्था आप बना ही नहीं पा रहे हैं। होना यह चाहिये कि सब का पानी सब के साथ शुरू हो और हर काश्तकार का पानी जो इरिगेशन का है वह साथ का साथ बन्द हो उसके लिये आप हैड के काश्तकार हैं उनके आउट लेट को ऊपर उठाइये, उस हाइट की वजह से आप उनको ऊपर उठाइये और जो टेल के हैं उनके आउट लेट आप नीचा करिये जितना नीचा कर सकते हैं उतना करिये और उसके बाद में फुल फ्लो में आपको कैनाल को छोड़नी चाहिये जिसकी वजह से पूरी कैनाल भर जाय। पूरी कैनाल भरने से होगा यह कि ऊपर वाले काश्तकार और नीचे वाले काश्तकारों को बराबर पानी मिलता रहेगा। उसके साथ आपकी पुलिस की पिकेट्स व्यवस्था, मोबाइल मजिस्ट्रेट और जो भी आपके गांव के अन्दर अगर ऐसी कोई एजेन्सी बना सकें तो उन एजेन्सीज की मदद लेकर के और खास तौर से उन जगहों पर जहां पर पिछले अनुभव से पता लगता है कि यहां पर तोड हुये हैं उन जगहों पर खास तौर से पिनपाइन्ट करिये और वहां पर अगर पानी सही जायेगा तो बाकी सभी काश्तकारों को पानी सही मिल जायेगा। मैं सोचता हूं कि इसमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं जो बता रहा हूं वह समझ में आने वाली बात है।

कैनाल का लाइनिंग आप करिये। मेरे यहां बहुत पानी आता है जवाई डेम में, यह 10 साल में तीन दफा भरती है और उस तीन दफा भरने में 17, 18, 25 पर्सेण्ट के आसपास पानी काश्तकारों को नहीं मिल पाता। तो आप अगर उसकी लाइनिंग करवा देते हैं तो एक तो पानी का फ्लो फास्ट हो जायेगा और दूसरा उसमें तोड़ने की गड़बड़ी कम हो सकती है। पक्की नहर है उसके अन्दर नाला तोड़ना उतना आसन नहीं है। कच्ची नहर है उसमें से नाला तोड़ना आसान है। एक फावड़ा लेकर जायेगा आदमी उसको काट लेगा, वहां से निकल जाता है और वह क्या करते हैं कि पानी भी लेते हैं उसके बाद में आपके विभाग के ऊपर केस अलग करते हैं कि आपने हमारी फसल को ज्यादा पिला दिया जिसकी वजह से हमको नुकसान हो गया। हालांकि अपरोक्ष रूप में तो उनको फायदा हो रहा है लेकिन वे अपनी कमजोरी या गलती को बचाने के लिये विभाग के ऊपर सवार होते हैं कि साहब, यह देखिये आपकी नहर

(श्री गोपाल सिंह)

कमजोर है, आपने ज्यादा खोल दिया जिसकी वजह से हमारी खड़ी हुई फसल जो बहुत ज्यादा पी गई उसको नुकसान हो गया। तो उसके लिये लाईनिंग ठीक हो। जैसा गवर्नमेण्ट के पास फाइनेंस आता है उसको देखते हुए आप लाइनिंग करवायें जिससे यह व्यवस्था आसानी से चल सके।

इसको आपने कालोनाइजेशन के अण्डर में ले रखा गया है जवाई डेम को। जबकि 10 साल के अन्दर दो या तीन दफा ही इससे ईरिगेशन होता है। मैं तो यह कहता हूं कि आप इसको कालोनाइजेशन से निकालिये। यह नहर कहां कालोनाइजेशन में आती है? जब बांध नहीं भरता है तो उस वक्त बाजरा भी नहीं होता, जो खरीफ की फसलें हैं वह भी पैदा नहीं होती। मैं कहता हूं कि जिस साल इरिगेटेड हो उस साल तो चाहे उसका ईरीगेटेड के हिसाब से रेट लें बरना जब पानी नहीं पड़ते हैं तो उसको आप खरीफ क्रोप के आधार पर मानकर, खरीफ जमीन मान कर उसको करिये। इसलिए उसको कालोनाइजेशन से निकालिये, खातेदारी राईट्स दीजिये काश्तकारों को जिससे कि कम से कम उन लोगों को अगर अपना हिसाब बनाने में आपस में एक दूसरे के साथ मिलना है, अपना चक बेच कर कहीं जाना है तो वह ऐसा कर सकें लेकिन यहां पर कालोनाइजेशन को बैठा रखा है। पानी तो आता ही नहीं। कालोनाइजेशन बैठा दिया कि बांध है इसलिये इसे बांध न कह कर मैं तो, हमारे लिये यह तकलीफ की चीज है, जालौर जिले का निवेदन कर रहा हूं।

एक बहुत इन्टरेस्टिंग बात है। जहां कैनाल चल रही है वहां पर कई ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 10, 15, 20-20 सालों से वहीं विराजमान हैं उन्होंने इसी कैनाल पर जमीनें खरीद लीं अपनी औरत के नाम से, भाई के नाम से, भतीजे के नाम से, पिता के नाम से, अपने ससुर के नाम पर और खरीद कर अपना काम कर रहे हैं। जिस तरफ उनका खेत है उस तरफ पानी की भरमार रहेगी, वहां अनाप-शनाप मिलेगा और जहां उनके खेत नहीं हैं वहां कोई पानी ही नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप देख लें कि उन जगहों पर कितने लोग ऐसे हैं जो इतने वर्षों से बैठे हैं। थोड़ा और गहराई में आप जायें तो आपको यह पता लग जायेगा कि उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम से जमीनें ले रखी हैं। अगर वहां पर कैनाल को सम्भालने वाला आदमी हो और जमीन वहां आती है तो वह क्यों नहीं अपने इन्टरेस्ट के ऊपर लगेगा। तो मैं चाहता हूं, वैसे हमारे आफिसर वहां लगे हुए हैं चाहे किसी भी रेंज के हो, मैं जनरल बात कहता हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा, आप पता लगाइये और उन लोगों को आप वहां से हटाइये। जब ही आप उस व्यवस्था को सुधार सकते हैं नहीं तो चाहे कितना भी कर लें। अगर वैसे व्यक्ति वहां बैठे हों जिनको जमीन वहां है तो आप कितनी ही व्यवस्था सही कर लीजिये व्यवस्था को अव्यवस्था करेंगे और करने में ही उनको फायदा है। तो कृपया इस बात पर खास ध्यान दीजिए। इसके अन्दर मैंने पहले भी सुझाव दिया लेकिन मैं फिर एक ले-मैन की तरह सुझाव देता हूं कि कैनाल काफी बड़ी चल रही है उसके बीच में अगर पतली कैनाल आप ऐसी बना दें जो आहो

(श्री गोपाल सिंह)

के लिए अलग से चले जिसका कोई आउट-लेट नहीं हो। कैनाल के अन्दर यह सम्भव है कि नहीं लेकिन बड़ी कैनाल है उसके बीच में डेढ़, दो, तीन फीट की कैनाल डालकर उसको ऊंचा उठा दें तो ऊपर से जब पानी चलेगा तो वह पानी सीधा आहोर में जायेगा उसके लिए कोई आउटलेट नहीं होगी और लेफ्ट एण्ड राइट के जो आउट-लेट हैं उनमें से पानी वहां का काश्तकार लेता जायेगा लेकिन बीच वाला पानी है वह वहीं जाकर बाहर निकलेगा जो आहोर क्षेत्र आता है या हमारा जो इलाका आता है और उस जगह पहुंचने के बाद में इरिगेशन में कोई असुविधा नहीं होगी। क्योंकि ज्यादातर काश्तकार यही कहते हैं। इसको आप टेक्निकली देखिये कि वायेबल है कि नहीं, होने वाली बात है कि नहीं। अगर होने लायक है तो इसके ऊपर करने की कृपा करें।

मैं अब इसके बाद बाढ़ बचाव कार्य के बारे में निवेदन करूंगा। हमारे जो मान-नीय सदस्य पहले बोले उन्होंने भी यह फर-माया था कि 90 में बाढ़ आई और पहले भी 6–7 साल पहले बाढ़ आई है और उन्हीं गांवों का फिर नुकसान होता है। उसी गांव के लोग फिर बह जाते हैं, और वही लोग फिर मारे जाते हैं। इसके बाद भी हम ध्यान नहीं देते हैं कि अब इसकी कम से कम कोई पक्की और परमानेण्ट व्यवस्था करें ताकि आइन्दा बाढ़ आये तो उस गति से पानी आये तो बच सके। उस गांव को तकलीफ नहीं हो। मेरे गांव का बताऊं। चांदलेई गांव है उसमें पानी आया, चांदलेई में पूरी की पूरी बस्ती पानी में बह गई मेघवालों की। मैं जब वहां पर गया तो पता नहीं चल सकता था कि वह किस का प्लाट है, यह किसका घर है और यह किसका घर था। आज भी वह तालाब की जगह फूटी पड़ी है। इस बार पानी आया तो वहां के वही लोग मारे जायेंगे। समृद्ध और पैसे वाले लोगों को तकलीफ होगी नहीं, तकलीफ होगी उन्हीं लोगों को जो गांव के बाहर नीची जगह पर बसे हुए हैं। उनके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे चांदलेई विलेज है, उसके अन्दर एक तालाब है उसके ऊपर आपको मुश्किल से लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा और 1 लाख रुपया लग गया तो वह गांव बच जायेगा। अगर आप यह व्यवस्था कर देंगे तो आइंदा के लिए मुसीबत नहीं होगी। ज्यादातर ऐसी स्थिति है। आप बाढ़ का बचाव कर लें इसके साथ काश्तकार को फायदा भी मिले। उस छोटे से बंध से आपकी खेती भी हो जायेगी। ऐसे गांव हैं जिनके ऊपर पानी बहकर जाता है और गांव के अन्दर घुसता है वहां पर ऐसे बंध बनादें तो गांव भी बच जायेगा और खेती भी हो सकेगी। इसलिए पानी को डायवर्ट कर दें। हमारे यहां ऐसे गांव हैं। सेथुरा है, ढोलिया है, समधन है, सिकड़ी है और जवांई नदी के किनारे–किनारे 8–10 गांव हैं जिनके ऊपर जवांई नदी के स्पर्स का बनना जरूरी है। स्पर्स बनेगा तब ही वह गांव बचेंगे नहीं तो वह गांव नहीं बच पायेंगे।

आखिरी पाइंट निवेदन करना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी कैनाल है उसको मुझे लगता है कि सिविल इंजीनियर कम्प्लीट

(श्री गोपाल सिंह)

नहीं कर पायेंगे। मैं समझता हूं कि आप आर्मी को दे सकते हैं यह जो फौज पीस टाइम में बैठी है जिनके पास काम नहीं है। अपने सिविल इंजीनियर और मिलिट्री को मिलाकर अगर आप यह काम करें तो कम खर्च में जल्दी काम खत्म होगा। जल्दी बनने से उसकी जो कास्ट बढ़ रही है वह घटेगी और उसका फायदा जल्दी मिलने लगेगा। जल्दी रिपोर्ट मिलने से कितना राजस्थान को फायदा होगा, वेस्टर्न इलाके को फायदा होगा इसके साथ–साथ मैं आखरी बात यह निवेदन करूंगा कि सागर मल गोपा ब्रांच है जो रामगढ़ तक आ गई है और आगे काम चल रहा है, यह आगे गडरा रोड तक जाने वाली है और वहां ढलान भी है लिफ्ट नहीं बनानी पड़ेगी। पश्चिमी हिस्से की तरफ से आ रही है और दक्षिण की तरफ ढलान है। यदि कैनाल को जल्दी बना दें तो पूरे के पूरे इलाके में जो ड्रिंकिंग वाटर की तकलीफ है वह खत्म हो जायेगी और हरियाली पैदा होगी और गाय हैं उसके लिए घास होगा, खेती भी होगी। लिहाजा इन बातों पर ध्यान दें।

इसके साथ-साथ मैं फिर से दोहराऊंगा माननीय ईरिगेशन मिनिस्टर को कि जवाई बांध का जो ईरिगेशन सिस्टम है उसमें बड़ी भारी गड़बड़ होती है उसके ऊपर आप ध्यान दें। मैं चाहता हूं आप जालौर मौका मिले तो आइये हम लोगों को बैठाइये, ईरिगेशन के आफिसर्स को बैठाइये और हम लोग बैठेंगे आपके साथ। क्या–क्या समस्या है कैसे साल्व होगी, उसके बारे में हम मौके पर जाकर बतायेंगे कि देखिए इसको 12 इंच की आउटलेट होनी चाहिए उसकी जगह 24 इंच की है। दो–चार आउटलेट देख लेंगे तो आपको समझ में आ जायेगी कि बात सही है या गलत। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल और हमारी सिंचाई परियोजनाओं के सिलसिले में मांग संख्या 46 पर हम वाद विवाद कर रहे हैं। वास्तव में हमारे प्रदेश में राजस्थान कैनाल का जो सिस्टम पूरा का पूरा जो आज जिस स्थिति में है आज उसके सामने जो कठिनाइयां हैं वह वास्तव में टेक्नीकल या पैसे की समस्या न होकर राजस्थान कैनाल की राजनैतिक समस्या है। मैं समझता हूं कि उस वजह से हमारे सारे राजस्थान के सामने सिंचाई की जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं। अन्तर्राज्यीय वाद विवाद की वजह से ऐसी मुसीबत में फंस गई है कि इसका मंत्री महोदय ने अपने प्रतिवेदन में सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के बारे में ब्यौरा दिया है। वह मैं समझता हूं कि ब्यौरा किस रूप में दिया है। इसकी क्या सच्चाई है। इसका स्पष्टीकरण वास्तव में नहर की स्थिति देखने से पता लगेगा कि आज राजस्थान कैनाल को जिस को इस रूप में बनाया था कि वह 18500 क्यूसेक की नहर होगी और वह पूरे राजस्थान के उस छोर तक जैसलमेर तक की सारी भूमि को सिंचित करेगी। आज स्थिति यह है कि प्रतिवेदन में दिया है 6 लिफ्ट कैनाल बनायी जायेंगी। इसको जहां तक पहुंचा दिया है, पूरी सिंचाई क्षमता के लिए इतनी नहर है उन पर पैसा खर्च करके क्षमता को बढ़ाया

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जायेगा। सबसे बड़ा सवाल आज राजस्थान में पैदा हुआ वह यह है कि उस नहर की क्षमता के बारे में पंजाब ने एक सवाल खड़ा किया है। पंजाब क्षेत्र में वह नहर 170-175 किलोमीटर चलती है। पंजाब के इंजीनियर्स और सरकार का कहना है कि यह कैनाल किसी भी कीमत पर 12 हजार से ज्यादा पानी नहीं ले सकती है और हमारे इंजीनियर्स और जिन्होंने पैसा खर्च किया है उनका यह मूल्यांकन है कि यह नहर 18 हजार 500 क्यूसेक की है। इसके कारण हम उस पर करोड़ों रुपये की योजनाएं बनाकर 6 लिफ्ट कैनाल बना रहे हैं और इस नहर में आगे के लिए वितरिकाएं बन रही हैं। वास्तव में यह सवाल उठता है कि आज यह कैनाल 12 हजार क्यूसेक की रह जाती है और क्योंकि पंजाब के क्षेत्र में बहती है, उसके हैड वर्क्स पंजाब के पास हैं, उसके पानी का नियंत्रण पंजाब के पास है। पंजाब इस बात की जिद करता है कि 12 हजार क्यूसेक पानी रहेगा तो निश्चित तौर पर एक इंच भी राजस्थान कैनाल को आगे बढ़ाना अपव्यय है। सबसे पहले हम को तय करना चाहिए, सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री को हाउस को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यह योजना, यह नहर 18 हजार क्यूसेक की है या जैसा पंजाब कहता है 12 हजार क्यूसेक की है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि अभी इसके 10 हजार 9 हजार के आस पास पानी हमारी प्रथम चरण और द्वितीय चरण में इस्तेमाल होता है। बाकी पानी पर हमने गंग कैनाल जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी और पुरानी कैनाल है जिसका पानी कभी 27 सौ क्यूसेक मिलता था उसके बाद उसकी कैपेसिटी 29 सौ तक बढ़ाई उसके बाद आज नहर जीर्ण-शीर्ण हालत में है और हम दो हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं ले सकते हैं। उस कैनाल का धीरे-धीरे जो ह्रास हो रहा है उसके लिए मजबूर होकर यह करना पड़ा कि हम ने 22 करोड़ रुपया लगाकर उसके लिए राजस्थान कैनाल से लिंक चैनल बनाई। यदि हम राजस्थान कैनाल से उसको शुरू कर देंगे तो 3000 से ऊपर 3600 क्यूसेक पानी राजस्थान कैनाल से लेंगे। इसका मतलब राजस्थान नहर का पूरा पानी जहां तक नहर बन चुकी है वहां तक इस्तेमाल होगा। उससे आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम ने जो गंग कैनाल को रिपेयर करने के बारे में प्रोग्राम है उसके बारे में हमारे सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं उनके दिमाग में कोई नक्शा नहीं है कि गंग कैनाल को किस प्रकार रिपेयर करेंगे क्योंकि पंजाब ने एक प्रपोजल रखा है हमारे सामने कि गंग कैनाल को रिपेयर करना है तो हम उसी तरह से आपको 3 हजार क्यूसेक की इसको बनाने देंगे यदि आप वाकई खर्च करना चाहते हैं तो कम्बाइण्ड कैनाल बनायें ईस्टर्न कैनाल पंजाब की और राजस्थान की गंग कैनाल यह दोनों मिलकर बनायें तब पंजाब तैयार होगा। यह शर्त रखी है। इसका नतीजा यह होगा माननीय सभापति महोदय कि भाखरा के लोगों ने जो रोपड़ से सरहिन्द कैनाल में पानी डालकर भाखरा की स्थित यह है कि हम ने कभी भी उस कैनाल से .7 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं लिया, नहीं मिलता है और उसमें इरिगुलरिटी से सारे भाखरा कैनाल के इलाके के

(श्री हेतराम बेनीवाल)

अन्दर फसल बरबाद होती है। अगर हमें पंजाब की यह शर्त माननी पड़ गई और मुझे लगता है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर पंजाब को यह स्वीकार नहीं होगा, इस नहर को बनाने में सहयोग नहीं देगा तो निश्चित तौर से हमारी यह स्थिति नहीं है कि हम उस कैनाल को केन्द्र से बनवा सकें। ना तो केन्द्र में कोई स्थाई सरकार है। न केन्द्र की स्थिति आज है कि वह पंजाब को मजबूर करके इस कैनाल को बनवा सके। इसलिए अगर यह कामन कैनाल बनी दोनों नहरें मिलाकर के, तो निश्चित तौर से राजस्थान के हिस्से का पानी वही मिलेगा जिसको पंजाब चाहेगा, जिस तरह उसका नियंत्रण होगा, जिस तरह से वह चाहेगा। माननीय सभापति महोदय, इस कैनाल के बन जाने के बाद यह कितने सालों में बनेगी इस पर अभी आज के दिन जो रिपेयर का रैकरिंग खर्चा है वह 100 करोड़ रुपये से ऊपर है। जो हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना है उसमें हमने जो पहले साल में खर्चा रखा है उससे लगता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम उस कैनाल को नहीं बना सकते, हम रिपेयर नहीं कर सकते। इसके खर्चे का एक्सकलेन कितना होगा, यह कहां तक जायेगा कोई कुछ कह नहीं सकता। जो राजस्थान कैनाल 66 करोड़ की 2000 करोड़ तक पहुंच गई हो सकता है यह स्थिति रहे हमें मजबूर होकर, यह पानी हमेशा के लिए इस कैनाल से लेना पड़ेगा। इसलिए राजस्थान के सामने एक समस्या सबसे बड़ी यह है कि हमारा जो 6 हजार क्यूकसे पानी है इसके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब से हमें मिलने वाला है, राजस्थान कैनाल के द्वारा, वह प्रयास न होने की वजह से हमारा पानी समाप्त होगा। यह बहुत बड़ी समस्या राजस्थान के सामने है।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मुझे इस सिस्टम के बारे में यह कहना है कि हमारा जो पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम है जिसमें राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग बीकानेर डिवीजन पूरा का पूरा सिंचित होता है। अगर इस कैनाल सिस्टम को नहीं सुधारा और जिन इन्जीनियर्स ने इन योजनाओं को बनाया, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक इस बात का मूल्यांकन राजस्थान की किसी भी सरकार ने नहीं किया कि जो हमारे इंजीनियर्स ने नहर का निर्माण करके उस इलाके को लाभ पहुंचाया है उसका वास्तविक मूल्यांकन क्या है, उसकी स्थिति उस इलाके में क्या रही है जो कैनाल्स बना दी, जिसको जो एलाउंस हो गया हमने उसको स्वीकार कर लिया। माननीय सिंचाई मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी राजस्थान में हमारे हिस्से में अलग अलग वाटर लासेस चलते हैं। हमारी भाखड़ा कैनाल पर 2.4 पर थाउजेंड एकड़ है, हमारी गंग कैनाल है इस पर 2.6 है, हमारी राजस्थान कैनाल की फर्स्ट फेज पर 5.3 है और राजस्थान कैनाल की सैकण्ड फेज में 4 क्यूसेक है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान क्षेत्र में, मैं इस राय का हूं कि राजस्थान का यह पानी सारे राजस्थान का है चाहे ड्रिंकिग वाटर के रूप में या किसी तरह से इस्तेमाल हो सकता हो, राजस्थान के हिस्सों में इस्तेमाल हो परन्तु....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, यह उन क्षेत्रों में जायेगा। पांच, सवा पांच क्यूसेक पानी आप जिस क्षेत्र को देंगे और जिसमें बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इसकी लिफ्ट्स कैनाल के बारे में रिपोर्ट्स हैं जो भू-संरक्षण हुआ है उसकी रिपोर्ट है उसके नीचे हार्ड पेन है। कहीं तीन फिट पर है कहीं पांच फिट पर है कहीं 6 फिट पर है। अगर हार्ड पेन के एरिया में हम उस पानी को फैलायेंगे और उससे तिगुना पानी फैलायेंगे 5.3 गुना पानी है। अगर हमने यही स्थिति रखी तो उस सारे इलाके में वाटर लोगिंग होगी। निश्चित तौर से जब एक स्टेज है, एक सा हम टैक्स लेते हैं, हमको इस बात पर विचार करना चाहिये। पंजाब से हम पानी ले सकते हैं, हमें समझ में आता है। पंजाब की सरकार की जो स्थिति है उस हालत में पानी नहीं ले सकते कम से कम यह तो कर सकते हैं कि जब तक इस राजस्थान के हिस्से के पूरे पानी को हम इस्तेमाल नहीं करें तब तक पानी म्युचुअली दूसरी नहरों में छोड़ सकते हैं, यह तो हमारे पास साधन है। पानी हरि के बैराज से आता है तीनों कैनाल्स का सिस्टम एक है हम क्यों नहीं कर सकते कि हम इस एलाउंस को जहां 2.4 एलाउंस है उस एलाउंस को थोड़ा बढ़ाया जाये। इस क्षेत्र के अन्दर अब भी 25 से 30 पर्सेन्ट ऐसी भूमि है जिस जमीन में पानी अभी नहीं पहुंचा है, पानी नहीं ले सकते। उस वक्त की योजना थी, उस वक्त हम पानी नहीं ले सकते थे। आज हमें राजस्थान कैनाल के पानी को इस्तेमाल करना चाहिये। निश्चित तौर से राजस्थान सरकार को तय करना चाहिये कि जो 5.3 वाटर एलाउंस है, मैं आज हाउस में कहना चाहता हूं, एक स्थिति यह आयेगी कि हजारों किसान, लाखों लोग आपके पास आयेंगे कि हमारे यहां वाटर लोगिंग हो गई, हमारी जमीनें समाप्त हो गई....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, मुझे अन्तिम एक बात कहनी है कि जो हमारा यह सिस्टम है जिस सिस्टम में हम एक दूसरे के पानी को बदल सकते हैं उस सिस्टम में राजस्थान सरकार हिचकिचा रही है अगर हम राजस्थान कैनाल का पानी जो जी.बी. एरिया है गंग कैनाल का, उसको लिंक कर दें, भाखड़ा का पानी....

श्री सभापति : राजस्थान कैनाल का नाम इन्दिरा गांधी कैनाल हो गया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : इन्दिरा गांधी कैनाल हो गया है ठीक बात है, यह चाहे कोई कैनाल हो जाये, पानी वही है। इसका चाहे इन्दिरा गांधी नाम रखें या कोई नाम रखें मुझे एतराज नहीं है....

एक माननीय सदस्य : आपको इन्दिरा गांधी के नाम से एतराज क्यों है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। इन्दिरा गांधी का नाम मैं दस बार ले लूंगा पर इसका पानी घट रहा है। माननीय सभापति जी, अफसोस की बात यह है कि इन्दिरा गांधी का नाम लें, या किसी का नाम लें, मुझे एक बात दूसरी यह कहनी है कि गंगानगर जिले में जो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जिस तरह का बंटवारा गंगानगर जिले में आउटलेट देकर होता है उस पूरे सिस्टम को साइंटीफिक तरीके से बुनियादी तरीके से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इंजीनियर्स की पूरी मर्जी पर छोड़ा हुआ है कि वह जिस तरह से आउटलेट लगाये जिस तरह से मर्जी आये जिसको पानी दें। बड़े-बड़े जागीरदार और पैसे वाले लोग अपने आउटलेट्स को मनमर्जी से लगाते हैं। मैं आपको एक बड़े ताज्जुब की बात कहूंगा, हाउस के अन्दर कहना चाहता हूं गंग कैनाल में एक जनरल आर्डर दिया कि .25 के हिसाब से एलाउंस देकर, मार्जिन देकर, सारे आउटलेट्स को चेन्ज कर दिया जाये। माननीय सभापति महोदय, पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है, हर मोगे को चेन्ज किया जा रहा है हर आउटलेट को हिलाकर इस तरह से चेन्ज करके और सारे किसानों से इस तरह वसूली हुई है जिस तरह से यह एकता यात्रा में और रथ यात्रा में इकट्ठे करते हैं। जिस तरह यह पैसे इकट्ठे होते हैं उस तरह से पैसे इकट्ठे हुए....

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : अभी आपको बोलने का मौका मिलेगा, बिराजो।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह का कलेक्शन अगर पब्लिकली सारे इलाके में होता है, हजारों किसानों ने गंगानगर के कलक्टर के पास हल्फनामे देकर इस बारे में शिकायत की है कि पूरे गंग कैनाल के अन्दर जितने आउटलेट्स हैं सबको शिफ्ट करके उनका पैसा इकट्ठा किया गया है। ईस तरह की शिकायतें हैं। मैं माननीय सभापति जी, आपको बताना चाहूंगा कि नाचना से लेकर मोहनगढ़ तक सारी कैनाल हमारे दिवंगत प्रधान मंत्री जी, उन्होंने उद्घाटन किया था, सारी नहर टूट गई। सारे इंजीनियर्स के खिलाफ चार्ज शीट हुई, उसका क्या हुआ? सब वापिस ले ली। जब सरकार जाने लगी, तो वह सरकार वापिस ले गई। इन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया। वह सारे इंजीनियर्स उसी स्थिति में वहीं पहुंच गये। उनको वहीं सुविधायें, वही जगह जहां उन्होंने गड़बड़ियां कीं, वहीं पहुंचे हुए हैं। इसी तरह से सीमेंट का मामला है। +++ बढ़ रहा है। इतनी सीमेंट खा गये जितना घोटाला हुआ, आज राजस्थान कैनाल का नाम और राजस्थान कैनाल के घोटाले का नाम जिस +++ से जुड़ा हुआ है वह +++ आज सिरमौर है। माननीय मुख्य मंत्री जी या कोई भी मंत्री जिन्होंने उस वक्त अपोजीशन में रहकर उसके खिलाफ चार्जेज लगाये, सारे रिकार्ड किये, कमीशन बैठाया और कमीशन की रिपोर्ट के बाद, वह कमीशन की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी और उनको तरक्की दी है। तो मैं यह समझता हूं कि कैनाल बहुत बड़ा घोटाला है....

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : तरक्की कब दी गई वह तारीख बताओ।

+++नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : उसको तरक्की इसलिए दे दी कि राजस्थान कैनाल से हटाकर उसको जहां जयपुर में ले आये ताकि और गड़बड़ी करे....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मंत्री जी, आपको एक बात बताऊं कि जिसको सींखचों के पीछे होना चाहिये था वह सींखचों के पीछे होने के बजाय उसको आपने तरक्की दी है। तो सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा, राजस्थान कैनाल के मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने क्या कुछ किया है और कितनी नहर बनाई है। पिछले 74 करोड़ रुपये में सिर्फ दस किलोमीटर पक्की नहर बनी है। यह इनका खुद का रिकार्ड है। बाकी क्या बना है यह तो उपर वाला ही जानता है, कोठियां बनी हैं या मकान बने हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऊपर वाला किसको मानते हो, ऊपर तो पत्रकार बैठे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : ऊपर वाले का मतलब भंवरलाल जी। जो तरक्की राजस्थान कैनाल के बारे में हुई है, आपको निश्चित तौर से जांच करवानी चाहिए। इस कैनाल का सत्यानाश करने पर लगे हो, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको यहीं रोक कर इस बात पर विचार करो कि इसमें 18 हजार क्यूसेक्स पानी आ सकता है तो इसको बनाओ, अन्यथा इस पर पुनर्विचार होना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलावर।

(6.00 सायं)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, इस बजट में 18 प्रतिशत का जो प्रावधान किया गया है सिंचाई योजनाओं के लिए, अपने आप में अभी तक का कीर्तिमान है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में लघु सिंचाई योजनाओं को बड़े स्केल पर लेने की बात कही है। लघु सिंचाई योजनाएं बनाकर काश्तकारों के सुपुर्द की जाएंगी और काश्तकार उनको चलाएंगे। ये योजनाएं छोटी होने के नाते जल्दी ही कार्यान्वित होंगी और जल्दी ही इनसे काश्तकारों को लाभ मिलने लगेगा। यह एक बहुत सराहनीय कदम है।

मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चारों तरफ नदियां बहती हैं तथा अपार जल भण्डार हैं परन्तु अभी तक सिंचाई विभाग के अधिकारियों का उस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं गया है। अपार जल भण्डार होने के बावजूद मेरा क्षेत्र अभी भी असिंचित है और जमीन उपजाऊ होने के बाद भी आज वैसी की वैसी सूखी पड़ी हुई है जिससे किसी प्रकार की पैदावार नहीं हो पाती। 1955 में अटरू तहसील में शेरगढ़ बांध का निर्माण हुआ था, कैनाल बनी थी। उसके बाद आज तक उस कैनाल की सफाई नहीं की गयी। 3-3 फीट सलीट जमा हो गयीं, नहरें टूट गयीं, पुलियाएं सारी की सारी टूट गयीं करजूना, खानपुरिया, हरिपुरा और कनवाड़िया, लेकिन अधिकारियों का ध्यान उस ओर नहीं गया है। सारी पुलियाएं टूटकर नहर के बीच में पड़ी हैं और मिट्टी से वह

(श्री मदन दिलावर)

नहर भर चुकी है। शेरगढ़ पिक-अप की तरफ से जो पानी छोड़ा जाता है वह नहर की चौड़ाई बढ़ने और गहराई घटने के कारण सारा का सारा बाहर बह जाता है। आस पास की फसलों को नुकसान होता है, टेल तक पानी नहीं पहुंचता और काश्तकारों को पानी का लाभ नहीं मिलता। हम कहते हैं तो कहा जाता है कि नहर फुल चल रही है, ज्यादा छोड़ेंगे तो पानी वेस्ट होगा। माननीय सभापति महोदय, यदि तीन फीट स्लीट निकाल दी जाय, मिट्टी निकाल दी जाय और समय पर नहरों की वीड कटिंग, जो पेड़-पौधे वगैरह उग जाते हैं, कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि पानी सही समय पर टेल तक पहुंच पाएगा और सभी काश्तकारों को इसका लाभ मिल सकता है। सभापति महोदय, जब पानी छोड़ा जाता है उससे पहले उसकी सफाई करनी चाहिए। यह कह दिया जाता है कि सफाई कर दी गयी है परन्तु सफाई वास्तव में होती नहीं। मुझे कहते हुए हर्ष होता है, माननीय सभापति महोदय, कि 3–4 महीने पहले सिंचाई विभाग के सेक्रेटरी श्री पी. एन. भण्डारी ने अटरू विधान सभा क्षेत्र का इसीलिए दौरा किया था कि कहां कहां सिंचाई की जा सकती है और किस किस प्रकार की योजनाओं को हाथ में लिया जा सकता है। स्वयं शेरगढ़ बांध पर गये, वहां की जनता कई वर्षों से यह मांग करती आयी है कि शेरगढ़ बांध को दो फीट रेज कर दिया जाय तो लगभग 70 गांवों को उससे लाभ मिलेगा और मेरे विधान सभा क्षेत्र का आधा भाग उस पानी से सिंचित होगा। सैकड़ों काश्तकार भी इससे लाभान्वित होंगे। माननीय सभापति सभापति महोदय, इसी प्रकार पार्वती बांध मिट्टी से लगभग भर चुका है और उसकी आज तक सफाई नहीं की गयी। नयापुरा खाद का कारखाना, जो एम. पी. में बन रहा है, वहां पिलर गाड़ कर एक दीवार खड़ी करके सारे पानी को रोक दिया है। इस कारण मेरे क्षेत्र में नहरों के पानी का बहाव बन्द हो गया है और नहरों के आसपास की जमीन, जो कमाण्ड एरिया में आती है, असिंचित रह जाती है। असिंचित रह जाने के बावजूद भी, जो सिंचाई का भुगतान करना पड़ता है उसकी वसूली की जाती है। रिकार्ड में थोड़ा-सा पानी जाने के बाद दर्ज कर दिया जाता है कि इस जमीन में सिंचाई की गयी है और पूरा का पूरा पैसा उनसे लिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र की सांगोद तहसील में राजा हरिश्चन्द्र बांध पर पिक-अप नहर टूटी-फूटी है। उससे ठीक प्रकार पानी का बहाव नहीं बन पाता। जो स्थिति मैंने बतायी शेरगढ़ में, वही स्थिति वहां है और नहरें चौड़ी हो गयी हैं, मिट्टी उसमें भर गयी है। पानी आसपास बह जाता है और टेल तक नहीं पहुंचता और पानी का सही उपयोग नहीं हो पाता। मोर्डनाइजेशन के नाम पर लाखों रुपए उस पर खर्च किये हैं। परन्तु मैं स्वयं वहां देखकर आया हूं कि सीमेण्ट के नाम पर सीमेण्ट और राख उसमें डाली गयी है और लाखों रुपया उसमें हड़पा गया है। मैंने कई बार वहां के इंजीनियर से कहा कि जो आप कर रहे हैं वह ठीक नहीं है, आप ठीक प्रकार से सही मैटीरियल ठीक रेशियो में नहीं डाल रहे हैं,

(श्री मदन दिलावर)

इस कारण आज गिरने लग गया है। मैं छः महीने पहले गया था, वह काम उस समय भी जारी था, उस पर किसी प्रकार की रोकथाम नहीं की गयी थी। उसी प्रकार से काम किया जा रहा था जिस प्रकार से मैं देखकर आया, कि वहां साल भर पहले का जो काम हुआ था वह गिरने लग रहा है। मोडर्नाइजेशन के नाम पर वहां कुछ नहीं हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सबसे छोटा हूं, मेरे को सबसे ज्यादा समय देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नदियों के अलावा नाले भी बहुत हैं। बड़े बड़े नालों पर एनीकट बना कर सिंचाई की जा सकती है। माननीय मंत्री जी का मैं मेरी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, परन्तु वे देख नहीं रहे हैं। बड़े बड़े नाले मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। उन पर एनीकट बनाकर, पानी रोककर वहां सिंचाई की जा सकती है। जैसे, सांगोद तहसील में लवाणिया नाला बहुत बड़ा नाला है, नहर की तरह बड़ा नाला है। इसी प्रकार मुसैन माता एनीकट, फेड़ी का नाला और दौरानी-जेठानी गांव के बीच में एक बहुत बड़ा नाला है। यदि इन पर एनीकट बनाकर सिंचाई की जाय तो मैं समझता हूं हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है और काश्तकारों को लाभ मिलेगा।

इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, तीन तालाब मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, लेकिन उनकी किसी प्रकार की देखरेख नहीं की जाती है। कूकर तालाब की यदि ठीक प्रकार से मरम्मत की जाय, उसकी खुदाई की जाय तो दो हजार बीघा से भी ज्यादा जमीन वह सिंचित कर सकता है। इसी प्रकार बुद्ध सागर बांध की ठीक प्रकार से मरम्मत की जाय, जहां टूटफूट हो गयी हो उसको ठीक किया जाय, उसको गहरा किया जाय तो वहां काफी जमीन सिंचित हो सकती है। इसी प्रकार सूखा डोबड़ा गांव के बीच में एक तालाब है उसकी ठीक प्रकार से मरम्मत की जाय। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ठीक प्रकार से सारी योजनाओं का सर्वे करवाकर इन योजनाओं को चालू कराएं तो ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि सिंचाई विभाग के सारे अधिकारियों को साथ लेकर मेरे क्षेत्र का दौरा करें।

एक बात मेरे को और ध्यान में आ रही है। सिंचाई विभाग के सेक्रेटरी श्री पी. एन. भण्डारी वहां गये थे और मायथा लिफ्ट को देखकर आये थे। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मायथा का सर्वे कराकर तुरन्त उसको चालू किया जाय। शेरगढ़ बांध को दो फीट रेज करने के लिए एक करोड़ की कोई योजना है। उसका तखमीना बनकर लगभग तैयार हो गया है, उसको राज्य सरकार तुरन्त स्वीकृति देकर काम चालू कराए। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवजी राम।

श्री शिवजी राम (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज सिंचाई विभाग की

(श्री शिवजी राम)

मांगों पर विचार हो रहा है। इसमें मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, मैं आपके माध्यम से मेरे विचारों को रखना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के लिए सिंचाई अत्यन्त आवश्यक हैं। यदि सिंचाई व्यवस्था नहीं होगी तो कृषि का उत्पादन बिलकुल नहीं होगा। मेरे क्षेत्र में करीब 20 लघु सिंचाई योजनाएं पिछले कई वर्षों से विभिन्न योजनाओं यथा-अकाल राहत, एन. आर. ई. पी., आर. एल. ई. जी. पी., जे. आर. वाई, जीवन धारा में प्रारम्भ की गयी थीं जिन पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। परन्तु आज वे सब योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। पिछले दो साल से उन योजनाओं में काम नहीं किया जा रहा है। कई योजनाओं में तो 90 प्रतिशत पैसा खर्च हो गया है, लेकिन चूंकि वे प्लान में नहीं हैं अतः उनका रेवेन्यू कलक्ट नहीं हो पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुल लागत और व्यय की गयी राशि के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा।

नाम परियोजना	कुल लागत	व्यय की गयी राशि
1. शक्करगढ़	118.37 लाख	44.63 लाख
2. बेई गेलूला	38.26 लाख	17.89 लाख
3. झरना बावड़ी	31.97 लाख	26.80 लाख
4. सरसिया चारण	29.49 लाख	18.36 लाख
5. गणेशपुरा	68.15 लाख	9.19 लाख
6. मोमलिया	35.45 लाख	13.08 लाख
7. सरला सागर	49.14 लाख	33.45 लाख
8. शिवसागर पारोली	132.07 लाख	23.01 लाख
9. बिजेठा	1.00 लाख	0.86 लाख

माननीय सभापति महोदय, गत वित्तीय वर्ष में मेरी कुछ योजनाओं को हाथ में लिया गया, लेकिन भारत सरकार से जे. आर. वाई. से पैसा मिलने के कारण जो योजनाएं प्लान में ली गई थीं, उनको कैन्सिल कर दिया गया। टेन्डर, इन्वाइट कर दिये गये थे, उनको कैन्सिल करके जे. आर. वाई. का काम शुरू कर दिया गया और यह घोषणा की गई थी कि जून तक यह काम चालू रखे जायेंगे, इनको 15 फरवरी को बन्द कर दिया और वे काम पूरे नहीं हुए।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो योजनाएं गत वित्तीय वर्ष में प्लान में ली गई थी, उनको पुनः स्वीकृत करके इस वित्तीय वर्ष में पैसा दिलवायें ताकि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो खेती पर निर्भर है, वहां पर खेती की जा सके और उनका पालन पोषण हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में अधिकांश आदिवासी लोग हैं और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। यदि सिंचाई उप-

(श्री शिवजी राम)

लब्ध नहीं करवाई गई तो जो छोटे-छोटे बांध हैं, जिन पर 50 प्रतिशत पैसा खर्च हो चुका है, चाहे वे किसी भी योजना में हों, चाहे अकाल राहत के हों, चाहे एन. आर.ई.पी. के हों, चाहे जीवन धारा में हों, यदि पैसे का सदुपयोग करना हो तो उन सारे कामों को प्लान में लिया जाना चाहिये और सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान बीसलपुर परियोजना की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि वह मेरे क्षेत्र में लगा हुआ क्षेत्र है। वहां के किसानों को इतना परेशान किया जा रहा है, माननीय मंत्री जी, गत सत्र में आपने यह बात कही थी कि जून 1992 तक प्रथम चरण में जो डूब में आयेगा उसको मुआवजा दिया जायेगा। लेकिन अभी तक बहुत कम किसानों को मुआवजा दिया गया है और किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों का मुआवजा तय करने के लिए रिश्वत ली जा रही है। यदि किसान रिश्वत देता है तो एक कुएं का 80 हजार रुपये तक दिया जा रहा है और यदि वह पैसा नहीं देता है तो 18 हजार रुपये का पेमेन्ट किया जाता है।

इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, किसानों को जो भूमि आवंटित की जा रही है उसमें भी तीन चार हजार रुपये के हिसाब से किसानों से रिश्वत ली जा रही है यदि किसान रिश्वत नहीं देता है तो उसको जमीन आवंटित नहीं की जा रही है। उनके लिये जो आवासीय कालोनीज डवलप हो रही हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है, वह जिन स्थानों पर है, उन स्थानों पर किसानों को भूमि आवंटित नहीं की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वहां पर भूमि आवंटित नहीं होगी तो किसानों को कैसे बसा पायेंगे। इन्जीनियर्स को तो केवल अपना कमीशन चाहिये। वे कालोनी डेवलप करना चाहते हैं केवल इसलिये कि उनको कमीशन मिलता रहे। किसानों को भूमि नहीं मिलेगी तो, मैं नहीं समझता कि, किसान वहां पर बसेगा। यदि आप उनको मकान भी बनवाकर देंगे तो भी किसान वहां पर नहीं बसेगा जब तक उसको वहां पर भूमि नहीं मिलेगी।

जिन चार कालोनीज को वहां पर डवलप कराया जा रहा है, वहां कहीं भी भूमि आवंटन होने की सम्भावना नहीं है, न ही सरकार वहां पर भूमि आवंटित करवा रही है तो वहां पर राशि का क्यों दुरुपयोग किया जा रहा है?

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करूंगा कि वहां पर इतने घोटाले हो रहे हैं कि यदि उन घोटालों को रोक कर किसानों को मुआवजा चुकाया जाये तो ज्यादा उत्तम रहेगा। स्वयं सरकार ने स्वीकार किया था कि ठेकेदार का समय पर सीमेंट नहीं उपलब्ध करवाने के कारण उनसे करीब 54 लाख रुपये का क्लेम किया है ठेकेदार ने। इसी प्रकार कैम्पवेल कम्पनी कोटा को बिना माल सप्लाई किये लाखों रुपयों का भुगतान कर दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर से जो

(श्री शिवजी राम)

सीमेंट सप्लाई की जा रही है उस परियोजना को, उस सीमेन्ट की करीब चार ट्रकों को सीधा उदयपुर बेच दिया गया। विभाग के ध्यान में यह बात आई तो वहां के अधिकारियों ने उसको दबाने का प्रयास किया। लेकिन जब यह मामला उठा, तो उसकी एफ. आई. आर. दर्ज कराई और ठेकेदार से पत्र व्यवहार हुआ तो ठेकेदार ने स्वीकार किया कि फैक्टरी से नौ टन ही माल मिलता है और क्योंकि उसको किराया नहीं पोसाता है तो मैं वहां से लाने के बाद उसको मेरे गोडाउन उदयपुर में अनलोड करता हूं और फिर दो ट्रक का माल एक ट्रक मे ले जाता हूं। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन घपलों को रोक करके किसानों को मुआवजे का भुगतान करें।

अन्त में मैं मेरे क्षेत्र की जो पेंडिंग लघु सिंचाई योजनाएं हैं, उनके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि उनको पुनः प्रारम्भ करें।

श्री सभापति : माननीय श्री सुनील विश्नोई।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46–सिंचाई एवं इन्दिरा गांधी नहर पर जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह का इस विधान सभा का रिकार्ड रहा है पिछला, हम बोलते हैं, कहते हैं, मंत्रीजी सुनते हैं पर उन पर कोई कार्यवाही हो जाय या कोई जवाब मिल जाय, इस तरह की कार्यवाही नहीं होती है।

माननीय सभापति महोदय, जिस इलाके से मैं आता हूं, जिस क्षेत्र से आता हूं, वह पूरा सिंचित क्षेत्र है, उसमें गंग कैनाल और इन्दिरा गांधी कैनाल, यह दो इरिगेशन सिस्टम चालू हैं। आज अगर हमें राजस्थान का विकास करना है, खुशहाल बनाना है, राजस्थान की पर कैपिटा इन्कम बढ़ानी है तो मैं मानता हूं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका सबसे ज्यादा योगदान राजस्थान की खुशहाली में, राजस्थान के किसानों को समृद्ध बनाने में और राजस्थान को इस देश का अग्रणीय राज्य बनाने में हो सकता है।

मेरे इलाके में राजस्थान कैनाल की फर्स्ट स्टेज आई, वहां पर वाटर कोर्सेज बनें, वहां पर कैनाल्स बनीं, माइनर्स बने पर उनमें कई प्रकार के डिफेक्ट्स रह गए हैं। लेवल के डिफेक्ट्स हैं उनको आज तक भी विभाग छिपा रहा है और वह यह बताना नहीं चाहता है कि उनमें गलतियां रह गई हैं। ठीक है गलती हो जाती है: कोई सुपरविजरी नेगलिजेंस रह गई होगी या किसी और कोई कारण से रह गई होगी, पर आज वह समय आ गया है जब उन गलतियों को एडमिट करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि जिन्होंने गलतियां की हैं उनको आप दंडित करो। दंडित मत करो, आखिर इतना बड़ा काम किया, गलतियां रही हैं, लेवल की गलती हैं जिनके कारण से बारी-बारी से कैनाल्स टूटती हैं, पूरा पानी चला नहीं पाते और काश्तकारों के टेल एण्ड तक पानी पहुंचा नहीं पाते तो आज सबसे पहले प्रायोरिटीज जो हमें देनी हैं वह इस बात को देनी है कि जो

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

हमारे पहले से डवलप सिस्टम्स हैं, जो सिस्टम डवलप कर चुके हैं, जो डिफेक्ट्स रह गए हैं, उन डिफेक्ट्स को हम बहुत कम खर्चे में ठीक कर सकते हैं, उनको पहले किया जाय।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि फर्स्ट स्टेज में जो वाटर कोर्सेज बने, मैं खुद एक कृषक परिवार का व्यक्ति हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो वाटर कोर्सेज पहले बने हैं उनमें काफी गलतियां रही हैं, जो डिजाइन है उसे भी डिफेक्टिव मानता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से और इनके विभाग अफसरान से दरख्वास्त करुंगा कि वह एक बार हरियाणा जायं, पंजाब जायं। और यदि वह चाहें तो मैं उनको साथ ले जाकर दिखा सकता हूं कि वहां पर जो वाटर कोर्सेज बने हैं वह इतने बढ़िया और सुन्दर बने हैं। और उनका सारा का सारा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया गया है। और हमारे यहां जो वाटर कोर्सेज बने हैं उनमें डिफेक्ट्स रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में सबसे पहले तो मैं इन्दिरा गांधी नहर मंत्री से कहना चाहूंगा कि सेकण्ड स्टेज में हम वाटर कोर्सेज बना रहे हैं, सेकण्ड स्टेज में हमने अभी तक जमीन अलाट नहीं की है, वहां पर काश्तकार आबाद नहीं हुए हैं, सूने जंगल पड़े हैं और वहां पर डिपार्टमेंट द्वारा वाटर कोर्सेज बनाए जा रहे हैं। और वाटर कोर्सेज किन के द्वारा बनाये जा रहे हैं? डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं वह खुद ही उसके ठेके ले रहे हैं और खुद ही बना रहे हैं। तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह के वाटर कोर्सेज का निर्माण कार्य हो रहा होगा। आज हमें वाटर कोर्सेज बनाने की जरुरत नहीं है, पानी कच्चे खालों में भी चल सकता है। लेकिन आज हमें जरुरत है कि जो हमारी मैन कैनाल है और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज सिस्टम है उनको हम पहले प्रायोरिटी पर बनायें ताकि गडरा रोड तक पानी पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, वहां पर पानी पहुंचायें और माइनर्स को पक्का कर दें। पक्के खाले बनाने का काम नहीं करें हम, साल-डेढ़ साल कच्चे खालों में पानी चलने दें, वॉटर कोर्सेज स्टेब्लाइज हो जायं। स्टेब्लाइज हो जायेंगे और जब काश्तकारों की डिमाण्ड हो तब, या कोई पहले बनाना चाहे तो उसकी प्रायोरिटिज पर, बनाया जाय। मेरी जमीन गंग कैनाल में है, आज तक हमारे यहां कच्चे खालों में पानी चल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। आज हमें जरुरत है प्रायोरिटीज देने की। आपके इस बजट में और आपके विभाग के प्रतिवेदन में हमने देखा कि आज गंग कैनाल सिस्टम में, भाखड़ा सिस्टम में, जंवाई सिस्टम में जो आलरेडी डवलप सिस्टम हैं, यहां पर सी. ए. डी. वर्क्स करने की जरुरत है। यहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है तो पहले इसको लीजिए आप। या गंग कैनाल के एरिया में वाटर कोर्सेज बनाइए, भाखड़ा के एरिया में वाटर कोर्सेज बनाइए, जंवाई के एरिया में वाटर कोर्सेज बनाइए। अगर यहां पर आप वाटर कोर्सेज बना सकेंगे तो यहां पर वाटर इन्टेंसिटी कम है, यहां पर वाटर की सेविंग होगी

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

और यहां पर सुचारु रूप से व्यवस्था हो सकेगी।

दूसरी चीज मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता था कि हमारा जो पानी का हिस्सा है, इसमें बताया गया है कि अन्तर्राज्यीय जल स्रोत से राज्य को 132.21 लाख घन फीट आवंटित है। यह तो आपने बता दिया कि इतना आवंटित है तो जब आप जवाब दें तब मुझे यह बताने की कोशिश करें कि हम कितना ले रहे हैं अभी, कितना पानी हम यूज कर रहे हैं। मैन चीज यह नहीं कि आवंटित हो गया है, आपके पास कैपेसिटी कितनी है, कितना यूज कर रहे हैं। आज हमें यह जरुरत है कि हम स्ट्रक्चर डवलप कर लें, कैनाल्स डवलप कर लें और एक बार कच्चे कैनाल्स में ही हम पानी दें। कच्चे कैनाल्स में पानी चल सकता है; काश्तकार खेती कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं।

गंगानगर क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन ऐसी पड़ी है जो कि फ्लों से कमाण्ड हो सकती है। अगर आज गवर्नमेंट आर्डर निकाले कि उसको कमाण्ड किया जाय तो कल से ही काश्तकार उसमें पानी लगा सकते हैं तो आप को पोलिटिकल व्यू बनाकर यह घोषणा करनी पड़ेगी कि फ्लो में जो जमीन आती है उसको हम एकदम इरिगेटेड घोषित करें और जो माइनर लिफ्ट होती हैं जिनको लिफ्ट इरिगेशन से कर सकें स्प्रिकलर्स से कर सकें। कुछ इलाका मेरे क्षेत्र में ऐसा है धीनासर, मालेड़ देवीदासपुरा, भोगलसर, बचलावा, यह टीबा क्षेत्र है, यहां पर न सड़क है न पानी है, राजस्थान कैनाल के बहुत नजदीक है। इसका कुछ इलाका फ्लो से इरिगेट हो सकता है, कुछ इलाका लिफ्ट से इरिगेट हो सकता है और कुछ इलाका स्प्रिकलर सिस्टम से। एक बीघा पर 26 या 36 रुपया चार्ज कर लीजिए और ऐसा कोई गवर्नमेंट सिस्टम कर लें को-आपरेटिव बेसिस पर जिससे कि स्प्रिकलर सिस्टम से कर सकें जैसे हरियाणा में किया हुआ है कई जगहों पर। वही पद्धति हम यहां पर यूज कर सकते हैं और कैनाल के पास में टीबों वाले क्षेत्र हैं उनको भी हम बहुत आसानी से कमाण्ड कर सकते है और राज्य को एडिशनल फायदा हो सकता है।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता था आपसे कि गंग कैनाल एरिया में बाई-पास में काफी जमीन आई, काफी जमीनें अवाप्ति में दी गई जहां कंटोनमेंट बनाया। बी. एस. एफ. को काफी जमीन दी गई, सी. आर. पी. को काफी जमीन दी गई और आबादी क्षेत्र में भी काफी जमीन आ गई। इसका जो पानी बचा है तो जो बाकी जमीनें हैं वहां कि उनको वह पानी आवंटित किया जाय और अन कमाण्ड को कमाण्ड किया जाय।

एक बड़ी विचित्र बात मेरे देखने में आई है कि हमारे तीन सिस्टम हैं इरिगेशन के, गंग कैनाल, इन्दिरा गांधी कैनाल और भाखड़ा कैनाल। यह ऐसी बाउण्ड्रीज बन गई हैं जैसे हिन्दुस्तान पाकिस्तान की

220

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

बाउण्ड्रीज हों। इनके चीफ इंजीनियर्स अलग थे। पहले तो बड़ी दिक्कत आती थी। अब हमारे यहां हनुमानगढ़ चीफ इंजीनियर की पोस्ट हुई है। उससे मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ सुधार होगा। इनका जब अपना पानी है वाटर फिलोंग् टू राजस्थान, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हम पानी क्यों नहीं दे सकते हैं? करणी जी की टेल है, कमेटी का एरिया है आपका, पी. एस. एरिया है राजस्थान कैनाल का, उसको राजस्थान कैनाल में इन्क्ल्यूड कर लीजिए। राजस्थान कैनाल के पानी को वहां यूज कर लेंगे, पंजाब से अपना हिस्सा ज्यादा मांग सकेंगे, एरिया बचेगा वह कम बचेगा, उसमें पानी अच्छा उपयोग कर सकेंगे।

एक चीज और मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा। मेरे इलाके में करणी जी की माइनर है, उसके ऊपर सूरतगढ़ ब्रांच निकलती है। करणी जी को पानी देने के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है, वहां पर कड़ियां लगा रखी हैं, उनके गेट्स बनाए हुए कई साल हो गए, पर आज तक वह गेट्स नहीं लगाए गए हैं। यह बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं पर प्रशासनिक लापरवाही के कारण पूरी व्यवस्था को उन्होंने बिगाड़ रखा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर गेट्स बनाये जायें और करणी जी एरिया से सूरतगढ़ पानी दिया जाए। और जो पानी बचे वह दूसरे एरियाज में गंग कैनाल सिस्टम में आप आसानी से बंटवारा कर सकते हैं।

इसके अलावा एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता था कि करणीजी एरियाज की जितनी जमीन है, वह बहुत सख्त जमीन है अगर वहां पर

(6.25 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक भी पानी की कमी रह जाती है तो फसल की बिलकुल बर्बादी हो जाती है। इसी के साथ साथ माननीय मंत्री महोदय का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां कई तरह के आउटलेट्स हैं, उनके सम्बन्ध में बार बार अधीक्षण अभियन्ता के लेवल पर आर्डर निकल चुके हैं, उनको सैट राइट करने के लिए। और जो आम गरीब काश्तकार के आउटलेट्स होते हैं वहां पर तो इंजीनियर्स तुरन्त पहुंच जाते हैं और दूसरे दिन ही उनको उखाड़ फेंक देते हैं और जो प्रभावशाली लोग हैं उनके आउटलेट्स चल रहे हैं और उन्होंने मैन कैनाल में डाइरेक्ट आउटलेट्स बना रखे हैं, गवर्नमैंट्स आर्डर हुए हैं परन्तु विभाग इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर पाया। इस सम्बन्ध में उनसे पूछा तो कहते हैं कि हमारे इंजीनियर्स जाते हैं तो माल हैंडिल करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि 2 जी.एम. का आउटलेट गुडली माइनर बनी थी अनूपगढ़ शाखा से। गुडली माइनर डिपार्टमेंट ने बनाई है। मैं आज डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं कि गुडली माइनर कहां है, गुडली माइनर को तोड़ दिया गया, उसकी ईंटें उखाड़ कर ले गए, लोगों ने उनसे मकान बना लिए, ना उसकी कम्प्लेंट दर्ज हुई और न कोई एफ. आई. आर. दर्ज हुई है। पूरी की पूरी माइनर विभाग की

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

गायब हो जाय और विभाग कोई कार्यवाही नहीं करे, यह बहुत विचित्र बात है। मैं उम्मीद करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वह इस बात का पता लगाएं कि गुडली माइनर बनाई थी, कितने पैसे उसमें खर्च हुए, कब बनाई और आज वह है कहां। उस माइनर को वापस चालू किया जाये। मैन हैड ड्रेनेज से हरिजनों की जमीनें पड़ती थीं। माइनर आती तो उन लोगों को पानी मिलता पहले। लेकिन प्रभावशाली लोग टेल पर आते थे, इसलिए उन्होंने पूरी माइनर को तोड़ लिया और खुद के खेतों में डाइरेक्ट आउट लेट्स लगा लिए और माइनर को बन्द कर लिया। इसलिए इस पाइन्ट को वापस चालू किया जाय ताकि जो आम गरीब आदमी है उसको भी पानी का हक मिल सके।

मेरे इलाके में घींगासार और संगीता माइनर्स, यह दो माइनर्स का सर्वे हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इनके सर्वे का काम जल्दी चालू करवाया जाय जिससे कि उस इलाके की खुशहाली हो और किसान समृद्ध हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रघुवीर सिंह जी कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चम्बल सिंचित क्षेत्र से आता हूं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सी.ए.डी. मंत्री महोदय का ध्यान चम्बल सिंचित क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इन्दिरा गांधी नहर के अलावा चम्बल की नहरें कभी आकर देखी नहीं हैं। वहां की मिट्टी की स्थिति यह है कि सन् 1960 में चम्बल की नहरें बनीं, सिंचाई शुरू हुई और 1964-65 में सीपेज की प्रोब्लम खड़ी हो गई। यानी आज स्थिति यह हो गई कि वाटर टेबल 4-5 साल में जीरो से एक मीटर तक आ गया, खेतों में टाइफा हो गया। सरकार का ध्यान उस ओर गया, कैचमेंट की योजना आई, पोंग फार्म डवलपमेंट की योजना आई, ड्रेनेज बनीं, पानी नीचे बैठा और फिर से खेती शुरू हुई। किन्तु आज उन ड्रेनेज को बनाने के बारे में विभाग यह भूल ही गया कि ड्रेनेज बनाई गई थीं।

उपाध्यक्ष महोदय, बिना मेन्टीनेंस के ड्रेनेज चलती है क्या ? और आप नई-नई योजना बनायेंगे, नई-नई सिंचाई योजना बनायेंगे यह सिंचाई जो हो रही है, सिंचाई करने के बजाय, उत्पादन करने के बजाय, जमीनें खराब हो गईं। तो उस क्षेत्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई होगा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आज चम्बल क्षेत्र की मिट्टी की पी.एच. वेल्यू इतनी बढ़ गई है कि वहां पर कुछ ही वर्षों में खेती समाप्त हो जायेगी। कम हो जाय, ज्यादा हो जाय, एसेडिक और एलकलाइन मिट्टी हो जाती है। यह जो ड्रेनें बनी उनसे खेत सुधारे थे। आज 32 सौ किलोमीटर के लगभग ड्रेन्स होंगी और मंत्रीजी उनकी मरम्मत के लिए दे रहे हैं 100 किलोमीटर का। तो क्या 30 से 40 साल में एक ड्रेन का नम्बर आयेगा सुधरने का ? और यदि यह स्थिति रही तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की बरबादी निकट

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

है। चम्बल के यहां पानी वह रहा है, पानी वेस्ट जा रहा है। पानी की व्यवस्था का कोई इन्तजाम नहीं है। चारों तरफ खेत भर रहे हैं। ओन फार्म डवलपमेंट की स्कीम के बाद भी चारों तरफ पानी भरा हुआ है, वाटर टेबल ऊंचा आता चला जा रहा है। कोई यह देखने वाला नहीं है कि आज ओन फार्म डवलपमेंट की जो योजना बनी है उसकी क्रियान्विति ठीक हुई है या नहीं। पहले तो कभी एस. ई. भी जाया करते थे, अब तो एक्स.ई.एन. को भी फुरसत नहीं है कि जाकर यह देखें कि ओन फार्म डवलपमेंट में क्या कमी रह गई थी। क्या सड़क बन गई, क्या सीपेज ठीक हो गई ? क्या ड्रेनेज ठीक बन गई ? आज ड्रेन्स उल्टी बनी हैं, पानी बहता नहीं, पानी भरा रहता है, वाटर टेबल ऊंची आ रही है। आखिर इसके लिए लायबल कौन है, कौन जिम्मेदार है ? जिसने यह कैचमेंट किया था, जिसने यह ओन फार्म डवलपमेंट की योजना बनाई थी, वहां पर लाभ के स्थान पर हानि हो रही है किसान को।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल की नहरों की डिजाइन है 55 पर्सेण्ट के हिसाब से और रबी की फसल में सिंचाई हुई है 90 प्रतिशत के हिसाब से। यह आपकी कौनसी टेक्निकल बात है यह मेरी समझ में आज दिन तक नहीं आई और 90 प्रतिशत सिंचाई होने के बाद भी पानी वेस्टेज जा रहा है, ड्रेन फुल जा रही है, नदी नाले पुरे जा रहे हैं, यह पानी कहां से आ गया ? पिछली बार जब मैंने यह निवेदन किया था कि चम्बल की नहरों पर जो ओरीजनल प्लान थी उसमें फ्लो इरिगेशन कितनी थी, लिफ्ट इरिगेशन कितनी थी, आप लिफ्ट इरिगेशन क्यों नहीं बनाते, तो जवाब देते हैं ले मैन के नाते चीफ इन्जीनियर जवाब देते हैं मुझे पानी की कमी है इसलिए लिफ्ट इरिगेशन नहीं बन सकती। फिर मैंने पूछा कि कितना पानी चलता है फ्लो इरिगेशन में, कितना पानी यूज हो रहा है, बाकी पानी कहां है, तो पानी बचा है, तो फिर कहते हैं कि हां हां लिफ्ट इरिगेशन बननी चाहिये पर पैसा नहीं है। इक्कीस लिफ्ट इरिगेशन प्रपोज्ड हैं। पिछली बार 1977 में मैंने विधान सभा में प्रश्न रखकर यह सिद्धान्ततः स्वीकार कराया कि पांच लिफ्ट इरिगेशन बन गई हैं, तीन बन रही है बाकी का क्या होगा ? बाकी की 13 लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम कहां गई, पानी यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां अभी हमारे, इधर के कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि बजट प्रपोर्शनेटली कम अलाट किया गया है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री जी से कि योजनाबद्ध काम कीजिए, आपके फिजिकल टारगेट्स दूने हो सकते हैं, आप बैठकर बात कीजिए क्योंकि आपके इन्जीनियर कोई छोटी मोटी स्कीम में, दो चार लाख की स्कीम में कोई इन्ट्रेस्ट नहीं लेते हैं। इनको तो करोड़ों की स्कीम आए वही योजना पसन्द आती है, बाकी छोटी छोटी स्कीम, छोटी लिफ्ट इरिगेशन, यह जो चम्बल की....(व्यवधान)....यह आर.एम.सी. हमारे जो राइट मेन कैनाल है, बांई तरफ फ्लो इरिगेशन है और राइट साइड में इरिगेशन नहीं है। एक छोटी सी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

योजना बनाई तत्कालीन कलक्टर ने, उस समय कलक्टर थे उन्होंने, जो पानी ऊपर था, मामूली खर्चे के आधार पर एक मीटर गहरी ड्रेन खोद दी। उपाध्यक्ष महोदय, एक मीटर ड्रेन से 2600 एकड़ जमीन सिंचित हो गई। छोटी-छोटी योजना बनाई है, तीन लाख रुपए में एक हजार एकड़ जमीन विदिन फिफ्टिन डेज पानी पी सकती है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। जो सिस्टम अभी चल रहा है उससे भी, केवल विचार करने की बात है, हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है। अभी एक गणेश गंज लिफ्ट थी। सन् 1977 से बन रही थी। तीस लाख रुपए के पीछे, उपाध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट उस नहर को ही भूल गया। हम लोग पीछे पड़े, ध्यान विभाग का आकर्षित किया, आज उससे पचास हजार बीघा जमीन पानी पी गई है। आज से तीन महीने पहले कितनी योजनाएं पड़ी हैं। एक मेरे यहां लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम है परवन की, 1977 में शुरु हुई थी। दस से बारह लाख रुपया अलाट होता था, क्या चलेगी वह। आज 1977 से वैसी की वैसी ही वह चल रही है। अभी डेढ़ करोड़ रुपया हुआ है। यदि सिंचाई मन्त्री जी ध्यान दें तो एक वर्ष में पचास हजार बीघा जमीन पानी पी सकती है। सब सेट अप है, परन्तु पहले एक्स. ई. एन. के यहां से एस. ई. के यहां से एडिजनल चीफ के यहां, वहां से चीफ के यहां, इस तरह घूमती रहती है और इस तरह घूमने के बाद भी यदि उसका टेण्डर भी हो जाए तो आर्डर इसलिए नहीं मिलता कि जाकर मिलो अधिकारियों से, इसके कारण तीन महीने लेट हो जाएगी स्कीम।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि डिविजनल प्लेसेज पर मीटिंग्स हों अधिकारियों की, मन्त्री जी उसमें जाएं और मन्त्री जी स्वयं जाकर इस बात का प्रयास करें कि कौन-कौन सी योजनाएं तत्काल शुरु की जा सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, "एक जिला एक काम" की योजना के अन्तर्गत हमने बारां जिले में लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना ले ली। आज हमारे यहां 22 लिफ्ट इर्रिगेशन की योजनाएं अभी दो महीने पहले शुरु हुई थी, लगभग कम्पलीट हैं, कितनी जमीन सिंचित हो जाएगी, आप मान्यवर, छोटी-छोटी लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम लें, गांव के लोगों को सम्भलाएं, तत्काल सिंचाई शुरु हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जब तक किसानों को इस सिंचाई में भागीदार नहीं बनाएंगे तब तक सिंचाई योजनाएं ठीक प्रकार से नहीं चल सकती। मैं इस विषय में एक सुझाव देना चाहता था कि यह लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम जो बहुत छोटी बना रहे हैं इसकी जगह आप बड़ी बना भी लें, खर्चा कम आएगा, लेकिन बड़ी बनाने के बाद उसकी जो ब्रान्चेज निकलती हैं, उन ब्रान्चेज की को-आपरेटिव सोसाइटी बनाकर जिनके खेत पानी पीते हैं उनकी सोसाइटी बना दी जाए तो मेन्टीनेंस का खर्चा कम आएगा, मेन कैनाल की देखभाल डिपार्टमेंट करेगा और आप यह कहें कि इसमें खर्चा ज्यादा होगा लिफ्ट इर्रिगेशन में तो, मान्यवर सन् 1977 में इसी

224

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

विधानसभा में मैंने तर्क से यह प्रस्तुत किया था कि फ्लो इरिगेशन का खर्चा कितना है। आज समय नहीं है, क्योंकि मुझे उपाध्यक्ष की भृकुटी दीख रही है कि वह घण्टी बजाने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही कह दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस विषय में क्योंकि यह डिपार्टमेंट मन्त्री जी के पास नया नया आया है। फ्लो इरिगेशन से लिफ्ट इरिगेशन में 1/3 खर्चा होता है, जो 2/3 बचा उसका ब्याज कितना होता है? यह ठीक है कि रेकरिंग एक्सपेन्सेज ज्यादा हो रहा है और आप लिफ्ट इरिगेशन बनाएंगे तो एक एक बूंद पानी का उपयोग होगा। दो बातें बहुत प्रचलित हैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो कोई शिक्षा विद् होगा, वह भाषण देगा कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। सन् 1947 से सुन रहे थे, पर शिक्षा में कोई आमूलचूल परिवर्तनन नहीं हुआ। और दूसरा, एक एक बूंद पानी का उपयोग होना चाहिए, एक एक बूंद पानी अमृत है, और नतीजे के नाम सिर हैं। तो हम कुछ योजनाएं सोचें। जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि तत्कालीन कलक्टर ने 2600 एकड़ जमीन यों ही करवा दी सिंचाई, और वहां के लोगों ने 2600 एकड़ जमीन पानी पिलाई थी, उन्होंने अपने दिमाग से, इन्जीनियर्स का विरोध होने के बावजूद भी करवाई। उस योजना का नाम डाल दिया जो उस समय कलक्टर थे उनके नाम से भण्डारी योजना। आज लोग उसका लाभ उठा रहे हैं पूरा। आज एक हजार एकड़ जमीन पन्द्रह दिन में सिंचित हो जाएगी। तो यह छोटी-छोटी योजनाएं हैं। आप एक गांव में 100 एकड़ की योजना बनाइए, 200 एकड़ की बनाइए, उनको सुपुर्द कर दीजिए। इसी प्रकार बड़ी लिफ्ट इरिगेशन की योजना या फ्लो इरिगेशन की योजना में भी एक एक ब्रांच पर कमेटी बनाकर उनको यदि भागीदार बना दें तो वाटर कोर्स की सफाई से लेकर माइनर की सफाई तक वह उसमें भागीदार होंगे, पानी वेस्ट नहीं जाएगा, आज कितना पानी वेस्ट जा रहा है उसका नतीजा यह हो रहा है कि सीपेज की प्राब्लम वहां खड़ी हो गई है। लोगों के खेतों में टायफा हो गया है।

आपकी जितनी ड्रेन्स बनी थी, सी. ए. डी. मन्त्री महोदय, उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें टायफा हो गया है, उन ड्रेन्स के लाभ की जगह हानि शुरू हो गई है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उनमें टायफा के कारण पानी रुकता है और इससे वाटर टेबल ऊपर आती चली जा रही है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि आज चम्बल के सिस्टम को सुधारिए वरना पूरा क्षेत्र बरबाद हो जाएगा। दूसरा, पहली घण्टी बज गई है, कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां और सवाई माधोपुर, पांच जिले वाटर

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

पोटेन्शियल वाले हैं। इनमें काली सिंध, चम्बल, परवन, पार्वती नदियों में पानी कितना है। 6.2 मिलियन एकड़ फीट पानी बह रहा है। मध्य प्रदेश का और राजस्थान का हिस्सा है। 3.1 मिलियन एकड़ फीट पानी है। इसके उपयोग के लिये आपने क्या सोचा है? मध्यप्रदेश में बड़ी योजनायें चल रही हैं उनको चिन्ता नहीं है। मध्य प्रदेश ने हमारे चम्बल के पानी पर डाका डाला है। केचमेन्ट एरिया में बांध बना लिये 80 और इसलिए आज गांधीसागर में पानी नहीं भरता है। (व्यवधान) पहले बन गये आपके राज्य में, अब तो हम पानी छीनते हैं उनसे। आपकी सरकार तो न पहले थी और न अब है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप सम्बोधन उनको करते हैं तो कहीं सरकार रही होगी। हेतरामजी की ओर इशारा करते हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं निवेदन कर रहा हूं। नर्मदा प्रोजेक्ट चल रहा है। उनको चिन्ता नहीं है। चूंकि आज...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप वापस क्यों नहीं ले लेते? दोनों जगह आपकी सरकारें हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 3.1 मिलियन एकड़ फीट जो पानी हमारा है उसका यूज करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार से वार्ता करनी चाहिए। यदि पानी का उपयोग हम कर लेते हैं तो पांचों जिलों की शत प्रतिशत जमीन सिंचित हो सकती है। यदि इस पानी का, जो बेकार बहकर जा रहा है पानी और हम देख रहे हैं ज्यादा पैसों की जरुरत नहीं है, व्यवस्था की जरुरत है, अगर व्यवस्था सुधरी तो कम पैसों में भी फिजिकल टारगेट्स पूरे होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता था कि आज भी चम्बल में जो 90 हजार एकड़ जमीन लिफ्ट इरिगेशन से सिंचित होनी थी, ओरीजनल प्लान में 50 हजार फीट पानी जमीन पी रही है, 40 हजार आज भी बाकी है। पिछले मन्त्रिमण्डल ने निर्णय ले लिया था कि कि पानी की कमी है इसलिए कोई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम नहीं बनायी जाये। पानी की कमी कहां है? जोड़ बाकी, गुणा भाग से मुझे उत्तर दिया कि इतना पानी बेकार है, पैसा नहीं है इसलिए नहीं बन रहा है। सारा सिस्टम बन गया, केनाल में पानी जा रहा है लिफ्ट बनने में कितना कम पैसा खर्च होगा, सिंचाई तुरन्त होगी। यह ऐसी चीज है कि तुरन्त सिंचाई की बात होनी चाहिए क्योंकि खेती से हमारी पर केपिटा इन्कम बढ़ती है, प्रदेश की समृद्धि बढ़ती है। और खेती निर्भर करती है सिंचाई पर। इस साल हमारी पर केपिटा इन्कम कम हो गई क्योंकि 8 लाख मेट्रिक टन अनाज कम पैदा हुआ। तो सिंचाई पर निर्भर करता है। एक अधिकारी मुझे बता रहे थे कि सिंचाई में 50 प्रतिशत पैसे पांच जिले ले जाते हैं। तो कहां चलाओगे? ट्यूब वेल लगाओगे क्या? ट्यूब वेल के बारे में मैं एक गम्भीर बात

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह जो ट्यूब वेल लगाने का एक अभियान चला है यह खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ट्यूब वेल वहां लगाये जाने चाहिए जहां रीचार्ज हो, यदि रीचार्ज नहीं होंगे तो कई गांव ऐसे हैं, जिनके मेरे पास में नाम हैं जहां तीन-तीन मीटर पानी नीचे बैठ गया। कई जगह ऐसी हैं कि एक ट्यूब वेल चलता है तो बाकी सब ट्यूब वेल बन्द हो जाते हैं। प्रकृति से ज्यादा छेड़ छाड़ ठीक नहीं होती है। ट्यूब वेल लगाते समय आप एक कमेटी बैठाइये जो देखे कि ट्यूब वेल लगाना कहां तक ठीक है। कोटा में एक गांव में 26 ट्यूब वेल लग गये। सब में पानी चला गया, सब अभी एक ही साथ में दो-दो मीटर नीचे चले गये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर....

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे तो 100–100 फीट नीचे बैठ गये हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपकी तकदीर में तो पानी है ही नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : जितना नीचे पानी होता है उतना ही अच्छा होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कौशल साहब, जल्दी कीजिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मै समाप्त ही करने जा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि लिफ्ट इरिगेशन से पानी का सदुपयोग होता है, जमीन सीपेज से बचती है, खर्चा कम लगता है। इसका एक सिस्टम डवलप किया जाये। छोटे-छोटे गांवों में जहां कहीं पानी है, अथाह है जहां पानी, कई हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हमेशा पानी भरा रहता है, पानी कभी टूटता नहीं है, वहां पर लिफ्ट इरिगेशन योजना बननी चाहिए। और यदि सरकार यह सोचे कि जो टारगेट्स फिक्स किये हैं वह टारगेट से तीन गुना तक सिंचाई करना चाहे तो तीन गुनी सिंचाई हो सकती है इसी पैसे में, कम खर्चे में। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि चम्बल सिंचित क्षेत्र है। चम्बल सिंचित विकास प्राधिकरण क्या चीज है? यह बना हुआ है, उस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास की जिम्मेदारी उसकी है। मै मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उसका कोई अस्तित्व है या नहीं। कभी कोई उसकी मीटिंग होती है, आपके पास कभी कोई रिपोर्ट आई है? सी. ए. डी. वहां बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई समझता ही नहीं है कि सी. ए. डी. डिपार्टमेंट है क्या। मैने मंत्रीजी से कई बार निवेदन किया कि प्राधिकरण क्या चीज है हमें जरा दिखाइये तो सही। आज सी. ए. डी. एक निकम्मा प्राधिकरण हो गया है जबकि सारी जिम्मेदारी उनकी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा चम्बल प्राधिकरण को जिन्दा करो, जो मर गया, ताकि उस क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार हो। मैं माननीय मन्त्रीजी से चाहूंगा कि एक बार अभी मेरे साथ दौरा करने चलें, 15 दिन के अन्दर अन्दर मैं उनको बताऊं कि कितना पानी वेस्ट जा रहा है।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

This is a criminal wastage and who so ever is responsible for it, must be penalised.

इतने बड़े सिस्टम में पानी वेस्ट जा रहा है । लोग देख रहे हैं पानी का सदुपयोग करने की इंजीनियर्स को फुर्सत नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार मेरे साथ चलें और मैं उनको बताऊं कि इस क्रिमिनल वेस्टेज के लिए जिम्मेदार कौन है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एस्टेबलिशड सिस्टम में सुधार किया जाय । जो भी पानी अथाह भरा पड़ा है हमारे भण्डार में, उसका उपयोग किया जाय । कम पैसे में सिंचाई ज्यादा हो ऐसे आप विचार करें, और यदि मेरी आपको आवश्यकता पड़े तो मैं सहयोग देने के लिये तैयार हूं । एक निवेदन और आखिर में करना चाहता हूं । (व्यवधान) काम की बात बोल रहा हूं, मुझे भी ज्यादा बोलने का शौक नहीं है । जब लिफ्ट इरिगेशन स्कीम चली थी तो नो प्रोफिट नो लोस पर चलती थी । उस समय में सन् 1965 तक इनका खर्चा आता था 100 रूपया नो प्रोफिट नो लोस में, तो कोई किसान यह पैसा दे नहीं सकता था । जितनी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनी, उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रूपया लिफ्ट इरिगेशन में लगाया, फ़ेल हो गई । मैंने 1977 में विधान सभा में तर्क से यह बात रखी थी और तत्कालीन सिंचाई मन्त्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने एक क़मेटी बनाई । उसी बात पर मैंने कहा हरियाणा में चार्जेज लिये जाते हैं लिफ्ट इरिगेशन में, और लिफ्ट इरिगेशन के फायदे कितने हैं, तो उन्होंने नो प्रोफिट नो लोस को समाप्त करके फ्लो इरिगेशन से डबल चार्जेज कर दिये । और उसके कारण आज जितनी भी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम चल रही हैं सब सफल हैं ।

एक निवेदन और केचमेंट का जो बताया था, आन फार्म डवलपमेंट जिसके बारे में मैंने बताया कि कितना अव्यवस्थित हुआ, उसको लाभ की जगह हानि हुई शुरू में तो पांच सौ 6 सौ रूपये बीघा का खर्चा आया जो किसानों नाम के लिखा गया । दो साल बाद इन्होंने उसको नहीं दिया तो फिर कर दिया आधा, तीन सौ रूपया बीघा आ गया । अब जहां हो रहा है वहां पर किया फ्री, तो उन्होंने क्या गुनाह किया जिन्होंने पहले करवाया अपने खेत बिगाड़ कर ? और इसमें जो रेवेन्यू एजेन्सी है उसने खेतों में कितना गोल माल किया कि केचमेंट के नाम, ओन फार्म डवलपमेंट के नाम पर वहां का किसान भड़क उठा, आन्दोलन हुये, 10 हजार लोगों ने गिरफ्तारियां दी । केचमेन्ट का पैसा बरबाद किया गया है और सरकार ने यहां पर पिछले वर्ष बजट भाषण में कहा था कि पैसे की वसूली पर रोक लगा दी गयी है । रोक लगाने का मतलब क्या कि यदि वह रोक रही तो ब्याज बढ़ेगा हमारा । तो वह पैसा जो किसान के नाम लिखा गया है गलत तरीके से, जिसका दुरुपयोग किया गया है, जो एक गलत ढंग से बनाया गया, उससे किसान को नुकसान ही नुकसान है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

केचमेंट का पैसा माफ किया जाय ताकि किसान राहत अनुभव करें । आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री यदुनाथ सिंहजी (अनुपस्थित)

श्री गोपाल सिंह खण्डेला ।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सिंचाई विभाग के द्वारा जो पिछले साल के प्रगति की रिपोर्ट दी गई है उसको देखा और उस रिपोर्ट को देखने से कुछ मोटी चीजें मेरे सामने आई । उसके हिसाब से सारे राजस्थान के अन्दर पिछले वर्ष 1991-92 के दौर में राज्य योजना से और राज्य योजना के अलावा, और दूसरी जो लघु सिंचाई की विभिन्न योजनाएं हैं, उन सभी पर करीब एक अरब 29 करोड़ के लगभग रखा गया था इनके खर्चे के लिए । इस सारे खर्चे का जब मैं ब्रेकअप देखता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, तो इस प्रदेश के नागौर, जोधपुर, चूरू, भुंभनूं और सीकर ये पांच जिले ऐसे हैं जहां इस 1 अरब 20 करोड़ रुपये में से इन योजनाओं के अन्तर्गत केवल 3 या साढ़े 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, और इतना ही करीब-करीब खर्चा किया गया है । मैं सहमत हूं कि जहां बड़ी नदियां नहीं है, पेरेलल वाटर नहीं है, उसी के लेवल पर उतना ही खर्चा इन जिलों के लिए खर्च किया जाय, जिनका कि मैं अभी वर्णन कर रहा था, जहां पेरेलल वाटर नहीं है या कम है । लेकिन जब सारे स्टेट के विकास की बात करते हैं और जब उसमें सिंचाई की बात आती है तो हमें देखना होगा कि ये जिले, जहां बहुत पेरेलल वाटर नहीं हैं, तो वहां की खेती को बचाने के लिए सिंचाई के उसके दूसरे स्त्रोत हैं, उनके ऊपर यदि हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलेंगे, तो फिर इन जिलों का विकास हम नहीं कर पायेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ये ऐसे 5 जिले, हैं, नागौर, जोधपुर, सीकर, भुंभनु और चूरू, जिनके अन्दर जमीन के नीचे का पानी अभी प्राप्त है । यह सही है कि पानी नीचे जा रहा है, आज खुले कुओं का पानी समाप्त हो गया है, इन जिलों के अन्दर ट्रेडिशनल सोर्सेज थे, किसान अपने तरीके से वहां पर छोटे-छोटे बोर करते हैं, ट्यूब वैल बनाते हैं, लेकिन उनकी क्षमता नहीं है बड़े प्रोजैक्ट्स को अपने हाथ में लें । सरकार ने पता नहीं क्यों इनकी समस्याओं को समझा नहीं या समझना नहीं चाहती । माननीय सिंचाई मन्त्रीजी यहां पर बैठे हैं, ये जमीन के आदमी हैं, सिंचाई की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं यहां सरकार की तरफ से कहा गया है कि कम से कम 3 किसान मिलकर कोई पातालतोड़ कुए बनायें, सिंचाई की योजना बनायें, उनको सरकार सब्सिडी देगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप किसको धोखा देना चाहते हैं, जानबूझकर क्यों धोखा देना चाहते हैं । सहकारी खेती अभी तक सफल हुई नहीं इस देश के अन्दर सहकारी खेती चल भी

(श्री गोपालसिंह)

नहीं सकती है। यह बड़ा विषय है विवाद का, लम्बे समय से इस पर बहस चली आ रही है। और फिर भी यह कहा जाता है कि 3 किसान मिलकर कुए खोद लें, अपना काम चला लेंगे। काम नहीं करना है तो साफ-साफ कहें हम नहीं करना चाहते। किसानों को और इस इलाके को पनपाना हो तो फिर साफ-साफ बात करियेगा कि 5 कुए बनाये चाहे 3 कुए बनाये एक गांव के अन्दर, सिचाई विभाग इन इलाकों के अन्दर पातालतोड़ कुए बनवाये और सिचाई विभाग इस पानी को किसानों को दें, किसानों से इसका पिलाई का पैसा लिया जाय। किसान का इस तरह से काम चलेगा, नहीं तो आपको केवल नारा देना है, अखबारों में निकालना कि सरकार तो तैयार बैठी है, किसान पांच मिलते नहीं। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। आपकी तो अखबारों में वाहवाही होगी लेकिन किसान को क्या मिला? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे सच्चाई के नजदीक जाकर इन 5 जिलों के लिए भी कुछ योजनाएं बनायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब इन 5 इलाकों की बात करता हूं, यह तो सही है कि नहरी पानी नहीं है, नदियों का पानी नहीं है, झुंझनु के लिए तो फिर भी कहा गया है कि वहां पर यमुना का पानी लिफ्ट करके लाया जा सकता है, उसी पर लेवल करना था। उसी का लेवल सीकर जिले में भी है, इसलिए इन इलाकों के भविष्य ध्यान में रखकर पानी को सीकर और झुंझनु जिलों में लाने की कोशिश करनी चाहिये, इसके लिए कुछ सोचना चाहिये, विशेष प्रावधान करना पड़े तो करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी निवेदन कर रहा था कि स्टेट प्लान में विभिन्न योजनाओं के द्वारा एक अरब 20 करोड खर्च किया गया है, उसका केवल 3 प्रतिशत ही इन जिलों में खर्च हुआ है। यह राजस्थान का बड़ा भाग है। वहां के किसान अच्छी खेती करना जानते हैं, मेहनति भी हैं, इनको आप प्रोजेक्ट दीजिये, इनको सम्बल दीजिये, इनको सहारा दीजिये। ये खेती को आगे बढ़ायेंगे, इसलिए ज्यादा पन डाइवर्ट करके नहरों का पानी यमुना का पानी इन जिलों में लाया जाय। बाकी ये जो तीन अन्य जिले हैं, इनके अन्दर भी पातालतोड़ कुए सरकार खोदे, सिंचाई विभाग उनका संचालन करे और किसानों को पानी दें, किसानों से पिलाई का पैसा जिस तरह से नहरों के पानी का लिया जाता है, इस तरह से लेकर के इन जिलों का विकास किया जा सकता है। सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से सीकर, झुंझनु और चूरू, इन जिलों के अन्दर बड़ी संख्या में कुए खोदे गये हैं, टेस्ट ट्यूब वैल खोदे गये हैं और उनका पानी अच्छा मिला है, आज वह बेकार पड़ा है। अकेले सीकर जिले के अन्दर 10 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आइडल पड़ा है। वहां टेस्ट ट्यूब वैल में छादे लगे हुए हैं, 5-5, 6-6 साल से बंद पड़े हैं। वे कुए राजस्थान सरकार को सम्भलाये जा सकते हैं, सम्भलाने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट तैयार है। तो इन कुओं को सम्भाल लिया जाय, सिचाई विभाग सम्भाले।

(श्री गोपालसिंह)

इतना पानी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, सीकर के पास एक चिसौड़ाव गांव है। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड वालों का कहना है कि वहां पर एशिया का सबसे बड़ा अन्डर ग्राउन्ड पानी है, उसका कोई एक्सप्लोयटेशन नहीं है, उसके लिए कोई योजना नहीं है। उसके पास में दादिया गांव है सीकर तहसिल का, उसमें गरीब उतना ही पानी है। श्रीमाधोपुर तहसील की रलावता जगह है वहां पर भी इस तरह का पानी है। एक और तूनवान जगह है लक्ष्मणगढ़ तहसील में। उदाहरण के लिए मैं जिक्र कर रहा हूं। यहां इतना पानी है, सिंचाई विभाग आगे आवे, इन जिलों में पूंजी का विनियोजन करें और यहां के किसानों को बढ़ने में मदद करें....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजाई है।....

जोधपुर और लाडनूं के बीच में एक बहुत बड़ा बेल्ट है, वहां पर नीचे पानी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से परबतसर और जोधपुर के बीच में नीचे अच्छा पानी है लेकिन यह किसान के बूते की बात नहीं है इतने गहरे कुए खोदना, इन्वेस्टमेंट करना। इन सब क्षेत्रों में सिंचाई विभाग वहां पर अपने ट्यूब वैल बनाये, किसानों को पानी दें। आप योजना बनाते हैं तो ये किसान आगे चल पायेंगे, नहीं तो धीरे-धीरे पानी नीचे जा रहा है और अब किसान उस समस्या को फेस नहीं कर सकते। यह खेती उजड़ जावेगी, बहुत मुश्किल हो जावेगी। इसलिए सरकार गम्भीरता से ले और कुछ वर्क आउट करें, लोगों से मिल करके इस पर सोच विचार करने की योजना बनानी चाहिये। पाताल-तोड़ कुओं को सिंचाई विभाग के मार्फत लें। मैं सीकर जिले की नीमका थाना उपखण्ड के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह पहाड़ी इलाका है वहां पानी बह कर जाता है। यहां पर कुछ छोटी-छोटी जगह हैं जहां पानी रोका जा सकता है और किसानों को उपलब्ध करावा जा सकता है छोटे-छोटे बांध बांध करके।

मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं कि सलहदीपुरा एक छोटा डेम है श्रीमाधोपुर तहसील के अन्दर, उसमें कुछ पानी भरता भी है। मैंने उस जगह को खुद जाकर के देखा है। वहां एक छोटा नाला है। डाइवर्ट कर दिया जाय, उसका पानी सलहदीपुरा बांध में डाल दिया जाय। केवल 30–40 हजार में यह सब हो सकेगा। एक बड़ी योजना मिल सकती है, उससे 2–3 गांवों को पानी दिया जा सकता है केवल 30–40 हजार में। सर्वे करवाइये आप इसका। सलहदीपुरा के एक्जिस्टिंग बांध है उसमें इस नाले को डाइवर्ट करके उसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, काम में लिया जा सकता है। इसी तरह से नीमकाथाना तहसील में ठीकरिया गांव है दो पहाड़ियों के बीच में, बहुत अच्छी मौके की जगह है, कावेरी नदी का पानी उधर से जाता है, उसको भी रोका जा सकता है। नीमका थाना, श्रीमाधोपुर और खण्डेला के बीच में एक छोटी योजना बनाई जा सकती है और वहां के लोगों को पानी दिया जा

(श्री गोपालसिंह)

सकता है सिचाई के लिए। इसी तरह से खण्डेला के पास में बामेड़ा, कारोई, प्रतापपुरा ऐसी जगह हैं जहां छोटे-छोटे बांध बनाये जा सकते हैं। जहां छोटे-छोटे बंधे बनाये जा सकते हैं जिसके माध्यम से उनका वाटर लेवल चढ़ सकता है और वहां के लोगों को इस तरह से फायदा मिल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्डेला साहब, कृपया खतम कीजिए आप।

श्री गोपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कुछ सुझाव आपकी मार्फत सरकार के सामने रख रहा था। मैं आशा करता हूं सरकार गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री घासीलाल जी।

श्री घासीलाल चोपड़ा (टोडारायसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-46, सिचाई के ऊपर मैं अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां बीसल प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। उस प्रोजेक्ट में पहले तो यह प्रोविजन रखा गया था कि 2 कैनाल निकाली जायं एक राइट और एक लेफ्ट। राइट केनाल के लिए तो अभी सरकार ने अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं कि वो निकालेगी लेकिन बांई कैनाल के लिए राजस्थान नहर का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है और मेरे ख्याल से मैंने जो पढ़ा है उससे ऐसा लगता है कि सरकार की कोई मंशा नही है कि वह बांई कैनाल निकाले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के 20 गांव डूब में आयेंगे और वहां के लोगों को यदि बांई कैनाल नहीं निकाली गई तो भारी तकलीफ होगी और बांई कैनाल नहीं निकाले तो कम से कम एक फीडर जो गवर्नमेंट ने वहां पर लाखों रुपया खर्च करके सर्वे कराया है मोरड़ी सागर में पानी डाले जाने के लिए और टोरडी सागर से एक और कैनाल निकालकर मांसी बांध से होते हुए माननीय सिंचाई मंत्री जी के क्षेत्र तक पानी पहुंचाने का था और वह नक्शे में दर्शाया गया है लेकिन पिछले 3 महीने से उस नक्शे के अन्दर जो प्रोजेक्ट में है सीमेंट भरवा दी गई है। इससे यह नीयत साफ आ रही है कि सरकार नहीं करना चाहती। उन्होंने क्या किया है कि जयपुर को पानी देना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर को पानी मिले हम इस पक्ष में हैं लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट से जयपुर को जोड़ा गया तो जयपुर की जनता के साथ भी एक धोखा होगा। मेरा निवेदन यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बातचीत कम करें।

श्री घासीलाल चोपड़ा : बनास नदी बरसाती नदी है जब बरसात होगी तब पानी आएगा और बरसात नहीं होगी तो नहीं आयेगा। कभी 5 साल में कभी 3 साल में नदी आती है, कभी 10 साल में आती है। अगर वहां से जयपुर को पेयजल के लिए जोड़ा गया तो यह जयपुर की जनता के साथ भी धोखा होगा। जैसा कि सरकार दूसरा प्रोजेक्ट इसरदा का बना रही है उससे जयपुर को पानी दिया जाय और वहां जो पानी बचे उसके लिए वहां

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

के क्षेत्र से बांयी नहर निकालकर पानी दिया जाय जिससे तहसील टोडारायसिंह, तहसील मालपुरा, तहसील निवाई और तहसील टौंक के गांव सिंचित हो सकते हैं।

दूसरी स्कीम यह है कि इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिफ्ट इरिगेशन के लिए कहा है। बीसल प्रोजेक्ट से एक लिफ्ट इरिगेशन निकाल करके जो ऊपर के गांव है जहां कोई सिचाई का साधन नहीं है और बड़ी उपजाऊ जमीन है, कई गांव हैं मांवता, रियला, रामपुरा, कूंकड़, मोर पवांलिया, दरतोद, संवारिया, कुहाड़ा आदि कई गांव हैं जहां पानी दिया जा सकता है और अगर यह लिफ्ट इरिगेशन से नहीं दिया गया और यह बांयी नहर नहीं निकाली गई तो वहां के क्षेत्र के साथ यह एक धोखा होगा। वैसे मैं निवेदन करूं कि आज प्रोजेक्ट के ऊपर 8 डिवीजन काम कर रहे हैं, मेन काम चल रहा है डेम के निर्माण का कार्य और 8 डिवीजन आपने वहां लगा रखे हैं, दुनिया भर का स्टाफ भर रखा है। मेन काम रूका हुआ है, नहरों का काम रूका हुआ है और एक से आगे कालोनिया बढ़ती जा रही हैं। स्टाफ डेली वेजेज पर लगाया जा रहा है और इजीनियर्स, एडिशनल चीफ इंजीनियर्स आदि स्टाफ भर दिया है सारा प्रोजेक्ट का पैसा तनख्वाह में जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि एकमात्र काम जब डेम पर चल रहा है, विभाग का काम वहां मात्र सुपरवीजन का है वह काम भी ठेकेदार कर रहे हैं। डिपार्टमेंट निर्माण कार्य नहीं करवा रहा है वो ठेकेदार करवा रहे हैं। डिपार्टमेंट वहां सिर्फ सुपरवीजन करता है। जिसके लिए उन्होंने 8 डिवीजन खोल रखे हैं बाकी सब काम बन्द हैं। नहर का काम बंद है। पुनर्वास के लिए मैं निवेदन करूं कि पिछले 5 साल से सर्वे हो रहा है। डूब क्षेत्र के प्रथम चरण में आया हुआ एक गांव भी अभी तक कम्पलीट नहीं हुआ है जिसको पूरा मुआवजा मिला हो। कुछ प्रभावशाली लोगों ने अधिकारियों से मिलकर मुआवजा पूरा उठा लिया है लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के लोग, गरीब लोग, आम आदमी उस मुआवजे से वंचित है। पुनर्वास की स्थिति यह है कि उन लोगों को बसाने के लिए सरकार की कोई योजना नही है और जो चारागाह दिए जा रहे हैं वो भी नोन कमाण्ड एरिया से लिये जा रहे हैं, कन्वर्ट कराया जा रहा है जिसको इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। उन नोन कमाण्ड एरियाज को कन्वर्ट किया जा रहा है। जब कि कमाण्ड एरिया डिक्लेयर गवर्नमेंट ने किया है उसकी तरफ अभी सरकार निगाह नहीं डाल रही है। अगर आपको चारागाह कन्वर्ट करके देना है तो जो कमाण्ड एरिया है, जो 5-5 बीघा आप जमीन देंगे जो अनडिलेटेड जमीन देना चाहते हैं वह कमाण्ड एरिया में दी जाय नोन कमाण्ड एरिया में नहीं। यहां तक भी नजर आया है कि सैकण्ड चरण में डूब में आने वाले गांव जो 5 साल बाद डूबेंगे उन गांवों में चारागाह भूमि को कन्वर्ट करके अलॉटमेंट किया है। 5 साल फिर दुबारा आपके सामने वे आयेंगे कि हम तो डूब में आ रहे हैं। ग्राम रामथला सैकिण्ड चरण में डूब में आ रहा है। उस गांव की चारागाह भूमि को कन्वर्ट करके दिया जा रहा है।

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

अब मैं मुख्य मुद्दा मेरे क्षेत्र के छोटे बांधों के बारे में निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री घासीलाल चौपड़ा : क्या समाप्त करूं। 5 मिनट में ही समाप्त कर दूं ? लोग 15 मिनट बोलते हैं तब तो आप घण्टी बजाते ही नहीं। मैं पहली दफा बोल रहा हूं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी नोटिंग कर ही नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घासीलाल चौपड़ा : सिंचाई के बजट में रख-रखाव के बारे में बड़ी उपेक्षा की गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गत जुलाई में 8 बंधे टूट गए, 16 बंधों में पाइप फटनी शुरू हो गई। इसके लिए मैंने सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी व मंत्री जी का कोई दरवाजा नहीं छोड़ा है। मैंने मांग की है कि इनकी मरम्मत कराई जाय लेकिन सबमें मेंटिनेंस का अभाव बताया है, बजट का अभाव बताया है। मेरा माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में 8 बंधे जो टूटे पड़े हैं उनके अन्दर गेट बने हुए हैं, पानी रूका नहीं, किसानों की भूमि सिंचित हुई नहीं और बरसात होते हुए भी वहां अकाल की स्थिति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन 8 बंधों के लिए बजट में प्रोविजन रखें और 16 बंधों की जो जीर्ण-शीर्ण हालत में चल रहे हैं उनके लिए भी मरम्मत के लिए स्वीकृति दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिए।

श्री घासीलाल चौपड़ा : एक मिनट श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मुझे अवगत कराना है, निवेदन भी करना है कि 20 वक्ता शेष हैं। अगर आप समय सीमा में नहीं रहेंगे तो रात के 12 बजेंगे। आप अपनी मुख्य-मुख्य बातें कह दें।

श्री घासीलाल चौपड़ा : तहसील मालपुरा के अन्दर एक टोरडी सागर सबसे बड़ा बांध है जिस बांध से 3 तहसीलों की सिंचाई होती है टोडारायसिंह, मालपुरा और टौंक लेकिन उनकी नहरों की हालत इतनी खराब है कि इस साल पूरी क्षमता का पानी आने के बाद भी टेल पर पानी नहीं पहुंचा है। नहरों की हालत खराब है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस बांध को आधुनिकीकरण में लिया जाय और उन नहरों को ठीक कराया जाय और मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि जितने भी मेरे क्षेत्र में बंधे टूटे हुए हैं उनका बजट प्रोविजन कराया जाय और इसी वित्तीय वर्ष में सेंक्शन दिलाई जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरा कटौती प्रस्ताव सिंचाई विभाग की मांग पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री मोहनलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई मंत्री जी की खिचाई हो रही है और 5 साल तक माननीय डूंगररामजी जो उप मंत्री हैं जो पहले इधर बैठते थे तो ये खिचाई करते थे। अब इनकी खिचाई हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य इन्दिरा गांधी नहर से जो हमारी पांच-छह लिफ्ट नहरें हैं-गजनेर लिफ्ट, कोलायत लिफ्ट, फलौदी लिफ्ट आदि, इनके निर्माण कार्य की गति एक तरह से समाप्त हो चुकी है और बिल्कुल बंद कर दी गई है। यह जो गजनेर लिफ्ट है, इसको नोखा होकर देशनोक, नोखा और नागौर तक लम्बाई होती तो सिंचाई भी होती और पीने का पानी भी काफी लम्बे इलाके में मिलता। आपने कट कर दी, आजकल इनका निर्माण कार्य बंद है। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि इन लिफ्टों को जल्दी से जल्दी चालू करें ताकि सिंचाई और पीने के पानी के काम आवे। राज्य सरकार ने यह सारा काम एक तरह से शून्य पर लाकर छोड़ दिया है और बिल्कुल बंद पड़ा है। यह लिफ्ट नहरें बन्द होने से बीकानेर जिले और पश्चिमी राजस्थान के काश्तकार और ग्रामीण लोगों में भारी असंतोष फैला हुआ है। इस असंतोष को दूर करने का एक ही जरिया है मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि उनके निर्माण कार्य को आप तेजी से चालू करें। इसी के साथ इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में लम्बे अरसे तक जो सिंचाई हमारी नाम मात्र की है, नहर का पानी बिल्कुल बेकार जा रहा है, आज से सोलह-सत्रह साल पहले सन् 1976 में भूमिहीन काश्तकारों को पुख्ता अलाटमेंट किया गया लेकिन खालों, इनका बजट दो साल से एक तरह से समाप्त है, दो साल पहले तो किया कुछ काम, अब जीरो पर है मामला।

दूसरा, मैं चाहूंगा कि खालों के साथ-साथ राज्य सरकार को चाहिए कि धोरों पर, जहां पानी खालों से नहीं लगेगा वहां पर आप एक नये तरीके से खेती कीजिए, फव्वारों से। फव्वारा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अपना पच्चीस प्रतिशत पानी लगता है और पच्चीस बीघा में दो लाख की मूंगफली होगी। आज कैनाल पर किसी भी काश्तकार के दो लाख की मूंगफली नहीं है और कुएं में सिर्फ चौदह बीघा में चार लाख की मूंगफली साल में लेते हैं लोग। इसलिए कितना अन्तर है आपकी योजना में, इस अन्तर को आप समाप्त करें। अगर आप समाप्त नहीं करेंगे तो हमारा किसान कमजोर होगा और देश भी कमजोर होगा। सरकार कमजोर होगी और साथ-साथ में हम भी कमजोर हो जायेंगे। इसलिए जो सरकार में बैठे हैं मंत्रीजी, काम की गति जो धीमी हो रही है इस गति को आपको सुधारना चाहिए। आप गति को सुधारेंगे तो हमारा किसान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, सरकार मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे और काम करने वाले आपके अधिकारी भी मजबूत होंगे। अगर इस तरह की धीमी गति से आप चलोगे तो

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मेरा मानना है कि आने वाले समय में इतिहास में अपने से गति धीमी किसी शख्स की नहीं होगी। इसलिए मैं चाहूंगा, इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का चाहे निर्माण का काम हो, चाहे खालों का हो, चाहे आप फव्वारों से खेती करो, अगर फव्वारे से खेती करोगे तो मंत्री महोदय, निश्चित रूप से आपको वह कामयाबी मिलेगी कि आपका एक नया इतिहास बनेगा और फव्वारों की खेती के सिस्टम में आप किसान को सहयोग नहीं देंगे, सिर्फ एक दस हार्स पावर का किर्लोस्कर का इंजन दे दो और फव्वारा दे दो, आप देखिए, उस धोरां धरती में सोना पैदा होगा। लेकिन किस को कहें, कोई अफसर हमारी बात का है ही नहीं। आपके एक कुएं पर तीन लाख रुपये लगते हैं.... (व्यवधान) राजेन्द्रजी, अगर बहुत असर होता ना तो वहां सोना पैदा होता।

श्री उपाध्यक्ष : यह रामनारायणजी विश्नोई बहका रहे हैं कि आप तीन लाख रुपये कई बार कह चुके हैं एक-एक कुएं का, यह टैक्स लगा देंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : नहीं, सात लाख तक। इनको तो चिन्ता इस बात की है कि बिजली कहां से देंगे। आपको बिजली पैदा करनी चाहिए, बिजली के बिना काम नहीं चलेगा। बिजली और पानी, दोनों का तालमेल है। इस वास्ते इस मामले को आप मखोल और मजाक में न लें। आने वाला समय और आने वाली आपकी औलाद जब देखेगी, कहानी पढ़ेंगे आपकी, चन्दा मामा की तरह, कि ऐसे लोग थे। इसलिए धरती हमारे पास है, पानी हमारे पास है, हिम्मत हमारे पास है, सिर्फ सरकार ढीली है इसलिए इस विभाग को थोड़ा तेज कीजिए, इस ढिलाई से काम नहीं चलेगा मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : बिल्कुल, मैं जवाब में बता दूंगा, जिन भावनाओं से यह कह रहे हैं इसका पता है। हां, मैं बता दूंगा सारा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप क्या कहना चाह रहे हैं, यह गलत कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बता दूंगा जवाब में, आप चिन्ता मत करिये, मैं सक्षम हूं जवाब देने में।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मेरी बात सुनो। यह जवाब मेरे को दे देंगे, मैं इनका जवाब सुनूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिल्कुल-बिल्कुल। आप जवाब सुनिये पूरा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक इस बात का भारी असंतोष है कि आप पानी देंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन जिन काश्तकारों को, भूमिहीन लोगों को, मंत्रीजी, यहां गंगारामजी नहीं हैं, जिस भूमि को हमने रूखाल कर रखा है, खास तौर से चूरू जिले में, जो पुख्ता अलॉटी थे उपाध्यक्ष महोदय, सत्रह साल बाद तो उनके खालें बने और ठीक सत्रह साल बाद, अभी एक जवाब आया विधान सभा कवश्चन का, 610 हरिजनों की भूमि बिना कारण खारिज कर दी और दूसरे पैसे वाले लोगों को अलॉट कर दी। 245 ऐसे खारिज किए हुए मुरब्बे आज पड़े हैं,

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

किसी को अलॉट नहीं किया है, आप किस को ऊंचा उठाओगे। अन्त्योदय परिवार की बात कर रहे हैं, गरीबी की रेखा के नीचे की बात कर रहे हैं और गरीब को आप रोंदते जा रहे हैं। यह मैं आपके रिकार्ड की बात कह रहा हूं, मेरी बात नहीं है यह। मेरे पास आंकड़े हैं, लगभग ढ़ाई हजार लोगों की सन् 91 से पहले खारिज की गई है और चौदह सौ लोग वह हैं, हरिजन, भूमिहीन, जिनके पास कहीं एक बीघा जमीन नहीं है। हमारे भैरोंसिहजी शेखावत पहले मुख्य मंत्री बने, उन्होंने एक अन्त्योदय परिवार, गरीबी की रेखा से नीचे का प्रोग्राम बनाया और जो सरकार ने सत्रह साल पहले उन लोगों का अलॉटमेंट किया, आज चौपट कर दिया सब।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अन्त्योदय तो मंत्रियों का हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए दहिया साहब। विराजिए। सब का ही जरूरी है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आज गरीब तो गरीब ही है। उस गरीब का कोई मालिक नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से चाहूंगा कि जिन ढ़ाई हजार व्यक्तियों की भूमि खारिज की है, वह लोग भूमिहीन है और वह जमीन धनाढ्य, पैसे वाले, चालाक और चतुर लोगों को अलाट की गई है और एक अलॉटमेंट का आंकड़ा यह है, जांच कर लीजिए, हरिजनों के एक मुरब्बे को खारिज करके दूसरे को दिया, मंत्री महोदय, बीस हजार रुपये घूंस वह सरकारी अधिकारी लेंगे। इसलिए इसको आप चैक करो' सम्भालो, नहीं तो गरीब तो खत्म हो गया है। आप गरीबी की रेखा, अन्त्योदय परिवार, किस को ऊंचा उठाओगे, मेरे समझ से बाहर है। उपाध्यक्ष महोदय, में सिर्फ दो मिनट बोलूंगा। यह किसान ही इस देश का है मालिक, इस देश की रीढ़ की हड्डी कोई है तो काश्तकार है। जब वह देश की, हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ा है तो किसान की प्राथमिकता है, किसान जेलों में गया है। काश्तकार वह था जो अंग्रेजों की लोक सभा, जो अभी मौजूद है इसमें भगतसिंह ने, चन्द्रशेखर ने बम पटके, बलिदान दिया और फांसी पर लटके। हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बाद मंत्री महोदय, आपको पता है, आप तो मेरे से ज्यादा होशियार और ज्ञानी हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप से ज्यादा होशियार तो मैं समझता हूं, कोई है नहीं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, भारत के उस वक्त के प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने लोगों से अपील की कि मेरे प्यारे किसानों, देश के लोगों, पाकिस्तान ने हमला किया है हिन्दुस्तान की आजादी पर, नेफा और लद्दाख तक हेलीकॉप्टर से बम पड़ रहे हैं, आप सोना दीजिए, देश को नई आजादी मिली है, हथियार खरीदने हैं, हथियार सोने के बिना और ऊन के बिना नहीं मिलेंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर के काश्तकारों ने पण्डित जवाहरलालजी नेहरू को सोने से तोला और सोने से तोल कर उस सोने से हथियार खरीद कर नेफा, लद्दाख और पहाड़ी बर्फों में काश्तकार जवान जब वहां

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

गया और देश की आजादी हम सुरक्षित रखें और मजा करे देश का पूंजीपति और देख रहे हैं, इन पूंजीपतियों के भरोसे यह राज नहीं चलेगा। अगर आप पूंजीपतियों को ही पनाह देंगे, उनको ही आप पनपाओगे तो निश्चित रूप से इस देश का गरीब खड़ा होगा और देश में क्रांति आयेगी। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय, नार्मल क्रांति भले ही आये लेकिन आपके बैठे बैठे खूनी क्रांति आ गई, आग भड़की तो हिन्दुस्तान की आजादी को खतरा होगा, सरकार को खतरा होगा। आपको बचाने वाले, इस देश को बचाने वाले हम हैं, आपकी नजर हमारी तरफ नहीं है, केवल टाटा, बिड़ला, डालमियां और बड़े-बड़े राजाओं और नवाबों की तरफ है इसलिए मैं चाहूंगा कि आपकी नजर हमारी तरफ हो, गरीबों की तरफ हो ताकि आप मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे, किसान मजबूत होगा और सरकार मजबूत होगी।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। विराजिए अब आप। माननीय श्री अचलारामजी।

एक माननीय सदस्य : आज तो सौ रुपये वाला मामला है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : तो लाओ सौ रुपये इनाम। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन्होंने कहा कि आप, अच्छा भाषण दो सौ रुपये वाला, तो मैंने कहा कि पांच सौ वाला दे दूंगा। तो लाओ सौ रुपये तो दो मेरे।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आप से ले लेंगे अभी।

श्री अचलाराम (देसूरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 40 पर बोल रहा हूं। मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अरावली की तराई पर आया हुआ है। रणकपुर की पहाड़ियां, कुंभालावाद की पहाड़ियां, चारभुजा की पहाड़ियां और जो भी बरसात होती है वह बरसात का पानी बह कर सीधा चला जाता है। हालांकि पिछले समय में 1977 से 80 तक जनता सरकार ने करीब वहां के पानी को रोकने के लिए 9 माइनर डैम्स बनाये जिसके कारण किसानों को थोड़ी राहत मिली। छोटे-छोटे खेत सिंचित हुए और थोड़ा सा व्यवसाय मिला लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। बांध बने उनकी नहरें सब कच्ची हैं। वहां नहरें बनाने का जो ढंग था वह ठीक तकनीकी आधार पर नहीं था जिसके कारण बीच बीच में सारा पानी नहरें टूट-टूट कर बहता है। किसान को 25 प्रतिशत पानी भी इससे सिंचाई के लिए नहीं मिलता है ऐसा बांध है मेरे क्षेत्र में छोअड़ा बांध। छोटा सा बांध है और वहां की नहरें इस तरीके से बनाई गयी कि बीच में एक चट्टान जाती है और उस चट्टान को ठीक तरीके से नहीं तोड़ा गया और सारा पानी का भराव होकर पास में एक पुलिया आ जाती है और वह बार-बार टूटती रहती है। नहरें कच्ची बनी हुई है चूहे बिल बना लेते हैं और नहरें टूट जाती है। जिसके कारण करीब दस वर्ष तक सिंचाई नहीं हुई। बहुत ही कम सिंचाई हुई थी। गत वर्ष सीप डालकर सिंचाई कराई गई। इस वर्ष छोटी सी पुलिया ठीक बनाई किन्तु पुरानी टूट गयी। सीमेन्ट की जगह चूना डाला गया है। इसी तरीके से जब तकनीकी आधार पर पहले से ही ठीक तरीके से बांध नहीं बनाये गये,

(श्री अचलाराम)

नहरें नहीं बनाई गई तो जो किसानों को लाभ पहुंचाना चाहिये वह पहुंच नहीं पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि क्षेत्र में एक धारिया बांध की परियोजना बनाई गई। बहुत लम्बे समय से यह सरकार के विचाराधीन है। मैंने पिछले सत्र में भी सरकार से यह निवेदन किया था लेकिन उसका जवाब ठीक सन्तोषजनक नहीं आया। मैंने मुख्य मंत्री महोदय से भी पत्र व्यवहार किया लेकिन वित्त विभाग का जो जवाब आया वह यह आया कि वित्तीय संकट के कारण यह बांध बनाना असम्भव है। मुख्य मंत्री जी वापिस वित्त विभाग को लिखें और वहां से भी पत्र का रिप्लाई मिले तो हमारे पत्र का जवाब तो मंत्री महोदय मुझे लगता है मुश्किल से ही मिलेगा। तो मैं सदन के जरिये निवेदन करता हूं कि धारिया बांध का निर्माण 3।। करोड़ का एस्टीमेट बराबर राज्य सरकार के पास में जा चुका है लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। क्या इस क्षेत्र के लिए सरकार की दुर्भावना है? क्या इस क्षेत्र का सरकार विकास नहीं करना चाहती हैं? आपको याद होगा कि सन् 1983-84 में इस बांध के लिए सरपंचों का एक डेपुटेशन आ रहा था और 3 सरपंच मौके पर ही दूदू के पास एक्सीडेन्ट में मर गए। एक घायल हो गया जो आज भी ठीक नहीं है। एक अन्य व्यक्ति और मर गया उसकी भी घर की स्थिति आज ठीक नहीं है। जिस बांध के निर्माण के लिए सरपंचों ने बलिदान दे दिया और वह बांध आज तक नहीं बना, हम मांग करते रहें, बार-बार चीखते रहें, क्षेत्र का विकास रुक जावे–ऐसी स्थिति में हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि इसकी घोषणा तो आज सरकार को कर देनी चाहिए ताकि क्षेत्र की जनता को कोई राहत मिल जावे। अगर यह बांध बन जाता है तो मेरे क्षेत्र से मैं समझता हूं कि पिछले समय में 1991-92 के बजट में पाली जिले को 4 सिंचाई के कार्य दिये हैं लेकिन देसूरी क्षेत्र में एक भी काम नहीं दिया गया है।....

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप तो एजीटेशन करो।

श्री अचलाराम : वह तो आपके जिम्मे है। तो उपाध्यक्ष महोदय, बहुत पहले सन् 1965 में एक पानी का बांध बनाया गया। छोटा बांध है मगर आज 400 बीघा जमीन की सिंचाई होती है। अगर उसका सीपेज रुक जाये तो उस बांध से कम से कम दो हजार बीघा की सिंचाई हो सकती है। उसका तकनीकी तरीका ठीक नहीं है। उस बांध को अगर 1।। किलोमीटर पीछे बना दिया होता तो उस बांध की भराव क्षमता ज्यादा होती और वह बांध ठीक तरीके से बन जाता लेकिन ऊपर बनाने के कारण नीचे की चट्टान या नींव ठीक तरीके से नहीं भरी गई जिसके कारण उसमें पानी रुकता ही नहीं है और सिंचाई होते-होते बीच में ही सारा पानी खाली हो जाता है। उस बांध के लिए सरकार मौके पर किसी अच्छे इन्जीनियर को भेजकर अगर उसका सर्वे कराया जाये तो उस बांध से बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है और इसके कैचमेन्ट में आने वाले लघु काश्तकार, सीमान्त

(श्री अचलाराम)

काश्तकार, अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों को फायदा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, गोड़ाबेड़ा बांध नारलाई जिसको रेज करने के लिए बार-बार तखमीने भेजे हैं अगर उसको रेज किया जाये तो नारलाई के नाम से तो बांध है किन्तु नारलाई की जमीन बहुत ही कम सिंचित होती है 100-150 बीघा अगर उसको रेज करा दिया जाये और 500-600 बीघा जमीन नारलई की इलाके को पिला दी जाये तो कब से उसका नामकरण हुआ माननीय सुखाड़िया जी ने उसका शिलान्यास किया था, उनकी आत्मा भी खुश होगी कि मेरे हाथ से शिलान्यास हुआ, नारलई के लोगों के डेपुटेशन ने जाकर उस बांध का निर्माण करवाया, मौका दिखवाया और नारलई को उसका फायदा नहीं मिले यह नारलई वालों के लिए और देसूरी की जनता के लिए अन्याय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय तेली बांध को रेज करने के लिए एस्टीमेट पड़ा है किन्तु उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक जूणा बांध का 1977 में निर्माण हुआ था। जूणा बांध देसूरी क्षेत्र में है और उसकी सिंचाई होती है पाली क्षेत्र में। जूणा की भूमि और पास में एक बाघरा गांव है वहां के किसानों का एक भी खेत सिंचित नहीं होता। एक माइनर कैनाल अलग से बनाकर अगर किसानों को लाभ दिया जाये तो आपको दुआ देंगे। ऐसी हालत में किसानों के प्रति हमें चिन्तन करना पड़ेगा। धानेराव पाली घाटी बांध अकाल के वक्त में उस पर कुछ पैसा लगा है 5-6 लाख रुपये और बांध अधूरा पड़ा है। घारिया बांध भी अधूरा पड़ा है। तो जो बांध अधूरे पड़े हैं उन बांधों को अगर पहले ले लिया जाये तो अधूरे बांध और अधूरे काम पूरे हो जायें और क्षेत्र में लाभ हो जाये।

कुछ हमारे क्षेत्र में वन्य अभ्यारण्य हैं, गेम सेंचुरी है जिसके कारण गेम सेंचुरी में कुछ बांध ऐसे बन सकते हैं और अगर वन विभाग से पहले उनकी परमीशन ले ली जाये तो बनाने में दुविधा नहीं आये। माथा की घूणी बांध दो साल पहले करीब 5 लाख की लागत से बना। यह छोटा एनीकट टाइप है, माइनर डेम स्वीकृत हुआ किन्तु वन विभाग से स्वीकृति नहीं लेने के कारण और नोड्यूज सर्टीफिकेट नहीं लेने के कारण वह बांध बन्द पड़ा है और वह पैसा लेप्स हो गया। इस तरीके हालात हैं। प्रोपर चैनल से काम नहीं करती है मशीनरी जिसके कारण कुछ विकास के कार्य रुक रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देसूरी, रानी और मारवाड़ जंक्शन तीन पंचायत समितियों में करीब 25-30 बांध हैं छोटे-छोटे किन्तु इनका ए.ईएन आफिस पाली में लगता है जिसके कारण ए.ईएन. उसका ठीक सर्वे नहीं कर पाता, दूरदराज के इलाकों को देख नहीं पाता। इसके लिए हमें चाहिये कि देसूरी में इसका ए. ईएन आफिस खोल दिया जाये तो उन बांधों को देखरेख और सर्वे ठीक ढंग से हो सकता है। मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि दो वर्षों में आपका प्रशासन ठीक रहा और जो किसानों के आपस में झगड़े होते थे वह आपके अधिकारियों ने मौके पर आकर उनको सुलझाया और उनको ठीक बंटवारे

(श्री अचलाराम)

के रूप में सिंचाई के लिए पानी दिया, इसके लिए तो हम आभारी हैं.... आशा है हमारी इन, जो भी कुछ बातें हमने बताई हैं उनमें खासकर के धारिया डैम मुख्य हैं। इसकी स्वीकृति मिलेगी और शेष नहरें आदि का काम जो ठीक तरह से नहीं हुआ है उनको ठीक करवायेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बृजराज मीणा।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई विभाग की मांग पर मेरे क्षेत्र की समस्यायें सदन के सामने रखना चाहता हूं। कोटा में चम्बल की नहरें हैं। आज से करीब 30–40 साल पूर्व नहरें बनाई गयी थीं आज तक उनकी समुचित मरम्मत नहीं हो पाई है। नहरों की मरम्मत के लिए पैसा जाता है, मशीनें अंग्रेज की जाती हैं। एक महीने में 4 दिन मशीन काम करती है और 26 दिन खड़ी रहती है। ऐसी स्थिति में जैसी नहरें बनाई हुई थीं उस समय की वैसी ही चल रही है। नहरों की सफाई के लिए टेण्डर अलाट किये जाते हैं, टेण्डर होते हैं। वर्क आर्डर नहीं दिये जाते हैं। वर्क आर्डर उस समय दिये जाते हैं जब बारिश हो जाती है। जब नहरों की सफाई नहीं हो पाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नहरों की सफाई समय से की जाये। सरकार का पैसा भी खर्च हो रहा है। प्रशासन की शिथिलता की वजह से उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। इसका सही-सही उपयोग किया जाये। यही मेरा निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे आर. एम.सी. के कोटा डिवीजन फर्स्ट में एक करावा नाला बहता है जिसमें 80 क्यूसेक पानी जब नहरें चलती हैं तो बहता है। करावा खाले हैं। माननीय भण्डारी साहब 20 पॉइण्ट प्रोग्राम की मीटिंग में गये थे उन्होंने भी उसका विस्फोट विजिट किया था और देखा था। उस नाले पर यदि लिफ्ट इर्रिगेशन करके और पानी नहरों में भी टेल में डाल दिया जाय दोनों तरफ तो टेल की समस्या बिल्कुल हल हो सकती है पर जब हमें लिफ्ट करने के लिए कहा जाता है तो जो सी. ए. डी. डिपार्टमेण्ट है वह यह कहता है कि यह तो कमाण्ड एरिया है इसमें हम लिफ्ट नहीं बना सकते हैं इर्रिगेशन वाले बनायेंगे। इर्रिगेशन वालों से इस सम्बन्ध में आवेदन किया जाता है तो वे कहते हैं यह तो सी ए.डी का एरिया है हम भी नहीं बनायेंगे। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सी.ए.डी. मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हू कि इस स्कीम को जो आपके यहां बन कर आयी हैं, उसको मंजूर किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा, बूंदी में केचमेण्ट का वर्क 75-76 में शुरू हुआ था जिस समय केचमेण्ट का भू-सुधार कार्य शुरू हुआ उस समय 200 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से खर्च आता था। 77-78 में 400 रुपए बीघा आने लगा और 80 में फ्री ऑफ कास्ट ही केचमेण्ट किया। इस केचमेण्ट के कर्जे के लिए हाड़ौती की जनता ने, काश्तकारों ने काफी लम्बे समय से

(श्री बृजराज मीणा)

आन्दोलन भी किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में गत वर्ष यह घोषणा की थी कि इसकी वसूली की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है पर ऐसे आर्डर जिला कलक्टर के पास नहीं पहुंचे हैं और इस सम्बन्ध में इसी समय पर सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट के यहां, एस. डी. ओ. के यहां पर काफी सारे मामले लम्बित हैं। मेरा माननीय सिंचाई मंत्रीजी से और सी. ए. डी. मंत्रीजी से यह निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में निर्देश जल्दी ही पारित करें और केचमेण्ट के कर्जे को माफ करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी जल्दी ही माफ करे।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बढ़िया। माननीय श्री दयाराम परमार।

श्री बृजराज मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 40 सालों में तो हमारी नहरों का मामला आया है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपने सर्वे किया है। देखिये आप सब की वकालत श्री रघुवीर सिंहजी कौशल ने बहुत कर दी है 15-20 मिनट तक। सारा उसी के बारे में बोले हैं।

श्री बृजराज मीणा : माननीय सदस्य, श्री रघुवीर सिंहजी ने उनके क्षेत्र की वकालत की है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पूरा कोटा का बोले हैं वे। वह की वह बातें कह दी हैं। उन बातों को बार-बार रिपीटेशन करने का कोई अर्थ नहीं है। एक मिनट और ले लीजिए।

श्री बृजराज मीणा : एक मिनट में क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये आप। बात क्यों कर रहे हो। बोलिये न आप।

श्री बृजराज मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में सावन भादो प्रोजेक्ट हैं उसमें आज तक 10-12 करोड़ रुपया खर्च हुआ। बांध बनते-बनते टूट गया। सी.डब्ल्यू.सी. की जो टीम आई थी उसको देखने के लिए वह एक इंक्वायरी खोल दी गई। आज दिन तक भी वह बांध सिंचाई के लायक नहीं है। सिंचाई नहीं हो रही है। 12-13 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या अनियमिततायें हुई हैं? इसकी जांच करें। पहले इसकी जांच भी पेंडिंग थी। कुछ नहीं हुआ। दो साल हो गये। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दोषी हैं उनको सजा दें और बांध को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय जिससे सिंचाई हो सके,

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में हरिशचन्द्र सागर की एक नहर आती है सांगोद में उसमें केवल एक फ़सल के लिए पानी दिया जाता है। उसमें पानी को स्टोरेज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि पानी स्टोरेज करने के लिए उस बांध पर एक ऐसे एनीकट का निर्माण किया जाय जिससे पानी उसमें स्टोरेज किया जा सके और बाद में जब जरूरत पड़े, आवश्यकता हो तो उस एनीकट से पानी नहर में छोड़ा जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सी. ए. डी. क्षेत्र में एक

(श्री बृजराज मीणा)

चम्बल नदी पर एक काली सिन्ध पर दो छोटी-छोटी लिफ्ट इरिगेशन हो सकती है। तीन-तीन, चार-चार हजार बीघा के ऐसे बिना पानी के अभाव में जमीन पड़ी रहती है तो मेरा निवेदन है कि कालीसिन्ध नदी पर, चम्बल पर जो ऐसे छोटे-छोटे लिफ्ट इरिगेशन हैं उनको मंजूर किया जाय जिससे बहुत ही कम खर्चे में सिंचाई हो सके, नहरें बन सकें और लिफ्टों से पानी लगने के बाद प्रोडक्शन बढ़ सके।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा हो गया।

श्री बृजराज मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सी ए डी. मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 77-78 में सीमल्या से कालीसिन्ध नदी तक आर.एम.सी. पर एक रोड बनाई गई थी। उस रोड की मरम्मत आज दिन तक भी नहीं हुई। वह सी.ए.डी. की रोड है। जब नदी आती है तो सारा ट्रेफिक उस रोड पर होकर के निकलता है। उस रोड की हालत इतनी खराब हो रही है कि दो-दो, तीन-तीन फुट खड्डे पड़े हुए हैं। माननीय सी.ए.डी. मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि उसकी तुरन्त मरम्मत करायें। मरम्मत के लिए बजट दें और हमारे पब्लिक यूटिलिटी फण्ड्स वर्क्स जो है उनमें कोटा जिले में सी. ए. डी. क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता दी जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जो पब्लिक यूटिलिटी फण्ड के वर्क्स हुए हैं, माननीय सी. ए. डी. मंत्री महोदय ने हमारे कोटा में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। न कोई सड़क की मरम्मत करवाई न कोई सड़क बनवाई और अधिकांश पैसा जिस तरह हमारी 40 साल में जो उपेक्षा हो रही थी वैसे के वैसे उपेक्षा होती रही। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्लीज सुनते रहिये।

श्री बृजराज मीणा : निवेदन करना चाहता हूं कि जो 40 साल में हमारी उपेक्षा हुई उस ढाई साल में पहले तो बीच में जनता शासन बना उसमें हमारे यहां थोड़ा-बहुत काम हुआ था, तो मंत्री महोदय से निवेदन है कि लास्ट ईयर के बजट में बीकानेर डिवीजन में 6 करोड़ रुपए खर्च किये गये इस लिफ्ट वर्क के लिए केवल कोटा के लिए सी.ए डी. में एक लाख रुपए भी खर्च नहीं हुए तो विशेष प्रिफेंस देते हुए प्राथमिकता दीजिए। कोटा सी.ए.डी. में यूटिलिटी वर्क्स करवाइये, रोड्स बनवाइये। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दयाराम जी। परमार।

श्री दयाराम परमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई पर चर्चा हो रही है, मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सिंचाई के लिये बांध बनाते हैं, नहरें, निकालते हैं और उसका जितना भी कमाण्ड एरिया होता है वहां तक नहर चली जाती है, वह नहर बरसों तक चलती रहती है, उसके अन्दर पानी बहता है, बरसात का पानी भी बहता है और धीरे धीरे इरोजन होकर वह कैनाल टूट जाती है। लेकिन उस कैनाल की मरम्मत करने के लिये सरकार की कोई नीति नहीं

(श्री दयाराम परमार)

है । उसका नतीजा यह होता है कि अगर मान लो वह कैनाल 20 किलोमीटर लम्बी है तो धीरे धीरे पांच किलोमीटर तक ही पानी जाकर रुक जाता है । विभाग के अधिकारियों से पूछे कोई, भाई, यह पानी वहां तक क्यों नहीं जाता है तो वह कहते हैं कि बरसात कम हुई है, तालाब में पानी नहीं था । लेकिन एक्चुअल में यह होता है कि मरम्मत करने के लिये न तो सरकार की ओर से कोई नीति है, न विभाग के पास पैसे की ऐसी व्यवस्था रखते हैं जिससे समय पर मरम्मत कर सकें । इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस तालाब पर जो सिंचाई का पैसा आता हैं उसका कुछ प्रतिशत कैनाल की मरम्मत करने के लिये सरकार रखने का प्रावधान करे । या एक कैनाल एक निश्चित अवधि तक चलने के बाद उसकी मरम्मत कर देनी चाहिये, ऐसा प्रावधान सरकार को बनाना चाहिये ताकि उस कैनाल से काश्तकारों को पानी मिल सके । दूसरा, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, चाहे वह बड़े हैं चाहे मध्यम श्रेणी के हैं, वह समय पर पूरे नहीं होते हैं । हमारे सोम कागदर, सोम कामला अम्बा दोनों का काम एक साथ शुरू हुआ । सोम कामला अम्बा में हम आज तक पानी नहीं रोक पाये जब कि सोम कागदर में आज से सात साल पहले से पानी रुक गया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे मोटा कारण यह रहता है कि जब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तब से लेकर वह पूरा हो जाय तब तक कई सरकारें बदलती रहती हैं और मन्त्री साहबान, तो कितने बदलते रहते हैं, कोई उसका हिसाब ही नहीं रहता है । कोई हिसाब नहीं रहता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं । अगर वह प्रोजेक्ट एक निश्चित अवधि के अन्दर बन जाना चाहिये था, एक निर्धारित रकम उसके लिये मंजूर थी, उसके अन्दर कितना काम हो जाना चाहिये उसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं होता है । होना यह चाहिये कि सरकार के जो अधिकारी उससे सम्बन्धित हैं वह अधिकारी बदलते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उनका ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चला जाय तो सरकार को चाहिये कि इस तरह से प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले और उस काम को शुरू करने से पहले किसी न किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराना चाहिये और जितना पैसा आप उसके लिये सैंक्शन करते हैं वह पैसा लगे और उतना वह काम हो जाय तो निश्चित रूप से जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वह पूरे हो सकते हैं और निश्चित रूप से जनता को जो फायदा हम देना चाहते है वह फायदा भी मिल सके । सरकार का जो पैसा अनावश्यक और खर्चा बढ़ता जाता है वह खर्चा नहीं हो, यह मुझे आपसे निवेदन करना था ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ी एरिया में छोटी छोटी जमीनें हैं उसमें कोई छोटे मोटे तालाब बनाते हैं तो बी. सी. रेश्यों का एक रोड़ा अटक जाता है । उस रोड़ा अटकने से गरीब काश्तकारों को फायदा नहीं मिलता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ट्राइबल

244

(श्री दयाराम परमार)

एरिया में और जहां छोटी जमीन काश्तकार हैं वहां यह बी. सी. रेश्यो की बीमारी है उसको जरा नजरंदाज करें और छोटे मोटे तालाब बांधने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे एक निवेदन और करना था आपके माध्यम से। जयसमन्द झील से उदयपुर को पानी देने की योजना चल रही है और इस साल एक करोड़ का प्रावधान रखा है। उदयपुर को पानी नहीं मिले, यह हमारी मंशा नहीं है। लेकिन जयसमन्द के नीचे इतने काश्तकार और गरीब काश्तकार हैं जो उसी खेती पर निर्भर है। और अगर वहां पानी नहीं जायगा तो क्या खाकर जिन्दा रहेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। मानसी वाकल से देवास योजना बनाकर वहां से पानी लाकर उदयपुर को पानी देने की व्यवस्था की जा रही है वहां पर एक करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हो तो क्यों नहीं दो करोड़ वहीं लगा कर उस कार्यक्रम को इतना तेजी से करो जिससे उदयपुर को पानी मिल जाय। लेकिन पता नहीं सरकार किस इंट्रेस्ट में है, या तो सरकार को ऐसा लगता है कि गरीब काश्तकारों को जितना परेशान किया जा सके उतना करना चाहिये, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, सुनाने के लिये हमारे पास आयेंगे तो हमको सुनना नहीं है और उदयपुर शहर के लोगों को हम राजी रखना चाहते है, ऐसी मंशा है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपको निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं, इसका आन्दोलन हम करेंगे और आपको हम आसानी से पानी उदयपुर नहीं लाने देंगे, यह मेरा दावा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब कहीं पर तालाबों का काम होता है या नहरों का काम होता है तो उस नहर के अन्दर जिस तरह से घटिया किस्म का काम कर दिया जाता है, कैनाल में पानी छोड़ने के बाद वहीं रुक जाता है इसके लिये कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ओवरसियर कोई पहले काम कराता है तो वह कहता है पहले वाले ने करा दिया, मैं क्या करता। वह तो ट्रांसफर होकर चला गया, मैं क्या करूं। तो इस तरह से मेरा एक सागवाड़ा बांध बना है उसकी आठ किलोमीटर कैनाल बनकर कम्प्लीट हो गयी, उसका पानी जाता है, तीन किलोमीटर रुककर सारा नदी में चला जाता है। तो इस तरह का जो कार्य घटिया किस्म का किया जाता है, सरकार को चाहिये, जो भी काम इस तरह कराने वाला मौके पर अधिकारी होता है, चाहे वह ए. ईएन. हो, जेईएन हो, उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिये, घटिया किस्म का काम किया जिससे पानी उस नहर का जिस स्थान पर पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंचता है तो इसके लिये जिम्मेदार ठहराना चाहिये, यह मुझे आपसे निवेदन करना था।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजा दी है, मुझे मेरे एरिया की एक बात और निवेदन करनी है। माननीय

(श्री दयाराम परमार)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एरिया में दो छोटे बांध एक तो भांभरी का नाका और एक एक उजडेका बांध दो बनाने की लोग लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं। समय समय पर कभी फेमिन चलता तो काम भी शुरू हो गये लेकिन वहां पर अभी काम नहीं हुआ है। तो आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि उन दोनों बांधों को बी. सी. रेशो का जो रोड़ा अटकता है वह हटाकर मन्जूर करें, दोनों का काम करवायें ताकि लोगों को फायदा मिल सके।

आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री मनीरामजी।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सिंचाई की मांग संख्या 46 पर जो चर्चा हो रही है उसमें विशेषकर हरिके बैराज से निकलने वाली इन्दिरा गांधी नहर की चर्चा करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नहर, जिसका नाम इन्दिरा गांधी नहर है, मेरे क्षेत्र से होकर निकली है और इस नहर में अनेक लिफ्ट योजनाएं भी बनी हैं जैसे साहिवा लिफ्ट योजना कंवरसेन लिफ्ट योजना, गजनेर और कोलायत, बांगडसर लिफ्ट योजना और फलौदी लिफ्ट योजना। तो सर्वप्रथम मेरा निवेदन है कि इन लिफ्ट योजनाओं को समय रहते तुरन्त पूरा करवाया जाय। मैं कुछ मेरे सुझाव देना चाहूंगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर कुछ ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर अधिकारीगण का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप और सरकार अगर किसानों का हित सोचते हैं तो कर्मचारियों के और किसानों के अन्तर को खतम करना पड़ेगा आपको किसानों के नजदीक जाना पड़ेगा, आपको चक समितियों पर जोर देना पड़ेगा। चक वाइज समितियां बनानी पड़ेंगी। फसल चक्र की उपयोगिता और कम पानी का ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से उपयोग किया जाय इस बारे में समझाना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक आपकी दोषपूर्ण वितरण प्रणाली पर थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा। जो आपने ए. पी. एम. लगाये हैं, जितने भी ए. पी. एम. (A.P.M.) जो छोटे छोटे लगे हैं वह किसानों के हित की बात नहीं है। इसका प्रेशर इतना नहीं है कि उससे काश्तकारों के खेत में पानी का बहाव पूरा बना रहे। तो मेरा एक सुझाव है कि एक क्यूसेक से छोटे ए. पी. एम. जितने भी बने हुए हैं उनको कृपया बड़ा कर दीजिये ताकि उनको अपने हिस्से का पानी पूरा मिल सके। दूसरा मेरा सुझाव है, विशेषकर आई जी. एन. पी. मन्त्री को आगाह कर देता हूं, जो आपकी कंवरसेन लिफ्ट नहर से 180 डायरेक्ट आउट लेट्स बने हुए हैं और 227 से 303 आर. डी. तक 80 आउट लेट बने हुए हैं उन पर कुंए बने हुए हैं, प्लेट्स लगी हुई हैं, तो सिस्टम कम्पलीट है फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपने अनावश्यक तौर से एक करोड़ 32 लाख रुपया फिजूलखर्ची में तीन छोटी छोटी योजनाओं पर मात्र नो डायरेक्ट आउट लेट को कवर करने के लिये खर्च किया, कंवरसेन लिफ्ट की 235

246

(श्री मनीराम सियाग)

से 42 ग्रार. डी. तक राइट, कंवरसेन लिफ्ट की 246 से 50 ग्रार. डी. तक लेफ्ट ग्रौर 270 से 75 राइट। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ नो ग्राउट लेट को कवर करने के लिये ग्राप एक करोड़ 32 लाख रुपया खर्च करें क्यों न इन रुपयों का सदुपयोग किया जायें। इन खालों के रख रखाव में जो दोषपूर्ण ए. पी. एम. लगे हुये हैं, जो दोषपूर्ण ग्राउटलेट्स हैं, उनको सुधारने में लगायें ग्रौर मेरा तो यहां तक सुझाव है कि ग्राप इन रुपयों से, कुछ ग्रौर इनमें शामिल करके एक 10 मोटर लिफ्ट की एक सोखगाना डिस्ट्रीब्यूटरी ग्रौर निकाल दीजिए, जिससे 17 गांव ग्रापके कवर होंगे ग्रौर जो कंवरसेन लिफ्ट पर 13 हजार 222 एकड़ भूमि का पानी सरप्लस हैं, उसका भी सदुपयोग होगा, 17 गांव हमेशा के लिए अकाल से वंचित हो जायेंगे। ग्राप इतना रुपया खर्च करके 9 जगह कवर कर रहे हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं तो ग्रापको इतना बता दूं कि ग्राप 328 से 29 के बीच में एक काश्तकार नाजायज तौर से पानी ले रहा है ग्रौर 300 बीघे में पानी लगा रहा है, बिजली के उसने कनेक्शन ले लिये, मोटर लगा ली, ग्रापके विभाग ने जौर लगा लिया, ग्राज तक वह पानी बंद नहीं हो रहा है ग्रौर लोगों में भी इसके प्रति इतना भारी रोष पैदा हो गया कि यहां कोई देखने सुनने वाला नहीं है। 328 से 329 के बीच में 20 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है, ट्रांसफार्मर रखा हुग्रा है ग्रौर सभी ग्रधिकारियों की नाम के नीचे 300 बीघा जमीन, 100 प्रतिशत इन्टेन्सिटी कवर हो रही है, उसमें फसल ली जा रही है ग्रौर 332,333 ग्रार. डी. के बीच में इस तरह से 10 हार्स पावर की बिजली की मोटर लगाकर के ट्रांसफार्मर भी लगा है, से पानी लिया जा रहा है, तो उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप इतना सरकार का खर्चा कर रहे हैं, ग्रापकी क्या प्रशासनिक व्यवस्था है कि एक मेन कैनाल से जबर्दस्ती काश्तकार पानी ले रहा है ग्रौर ग्राप उनको ग्राज तक नहीं रोक पाये ग्रौर किस नियम के तहत ग्रौर किस ग्रधिकारी के ग्रादेश से ले रहे हैं, यह भी ग्रभी ग्रापकी निगाह में है नहीं। ग्राप बार बार दौरा कर चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय पिछले वर्ष 28 ग्रगस्त 91 को....

श्री भंवरलाल शर्मा (इंदिरा गांधी नहर मन्त्री) : ग्रापने पहली बार बताया है।....

श्री उपाध्यक्ष : यह ग्रापको बताने के लिए नहीं कह रहे हैं, ग्रापके जो ग्रधिकारी हैं ना....ग्रापके लिए नहीं कह रहे हैं।

श्री मनीराम सियाग : ग्राप लूणकरणसर पधारे थे, ग्राप वायदा करके ग्राये थे कि भंवरलाल कोई गलत घोषणा नहीं करता है ग्रौर करता है तो वह पूरी करके छोड़ता है। तो ग्रापकी दोनों घोषणाएं ग्रसत्य साबित हुई। ग्राप खालों के निर्माण के लिए मेरे ख्याल से 3 हजार हैक्टेयर खालें बनाने की घोषणा करके ग्राये थे....

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : बताऊंगा आपको, आपको पता ही नहीं है। आप बताइये, क्या बातें होती हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दहिया साहब प्लीज।

श्री मनीराम सियाग : आप 240 आर. डी. पर, बड़े किसानों के जुलूस में आपने घोषणा की थी कि यह काम चाटर कोर्स पुलस ठीक हो जायेगा। उन्होंने मेरे साथ संदेश भेजा है मंत्रीजी भूल गये हैं, या ऐसी ही बातें करते हैं। तो वह संदेश आज मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से आपको पहुंचा रहा हूं। मैं यह रहा था कि आपको, जब अपनी नयी सरकार बनी थी, अधिकारियों में एक नया वेग आया था, उनके विचार बदलते थे कि अपने को इसका कुछ प्रतिफल जनता को देना है और 6 महीने तक वड़े अलर्ट रहे और सभी नहरें अच्छी तरह से चली, तो उपाध्यक्ष महोदय, घुगल कैनाल तो पिछले साल बिल्कुल भी नहीं चली है और आपकी जितनी भी नहरें है, उसमें सब जगह मिट्टी भर गई है। मेरा विशेष अनुरोध है कि आप क्यों न इस कंवरसेन लिफ्ट पर आधुनिक सिंचाई योजना को लागू कर दें। स्प्रिंकलर सैट लगाकर के जो यह कितना रेगिस्तान है, नहरों के इर्दगिर्द जितनी हैं, उनमें जो काश्तकारों की जमीन है, उनको कर्नेक्शन दे दीजिए, आपकी नहर में सिल्ट नहीं आयेगी और इलाका हरा भरा हो जायेगा और आपका खर्चा भी नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री मनीराम सियाग : उपाध्यक्ष महोदय, जो आपके अधिकारीगण हैं, इनके विचार बड़े ऊंचे हैं। यह नेशनल पावर, नेशनल एनर्जी के बजित भी चिंतित हैं कि हम एक एक किसान को अगर कनेक्शन दे देंगे तो इतनी एनर्जी कहां से आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के जीवन का सवाल है। जब आप किसानों को जिन्दा नहीं रखेंगे, किसान को आप नजदीक से नहीं अपनायेंगे तो एनर्जी तो किसान ही पैदा करता है, किसान की शक्ति ही आपमें निहित है, तो आप किसानों को जिन्दा रखिये, मेरा यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगजीत सिंह।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 46 सिंचाई के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मैं समय सीमा में बंधा हुआ हूं। समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रूपनगढ़ परियोजना सन् 1985-86 के अन्दर स्वीकृत की गई थी। उस वक्त की प्रशासनिक 178.07 लाख थी और मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बांध की स्वीकृति वर्ष 85-86 के अन्दर मैं यह नमूना बताना चाहता हूं क्योंकि विपक्ष के सदस्यों ने इस बात का आरोप लगाया है हमारी सरकार के ऊपर की भारतीय जनता पार्टी पक्षपात कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन बांधों के लिए 1984-85 में 40 हजार की राशि स्वीकृत

(श्री जगजीत सिंह)

की गई, इसी तरह 85-86 में 25 हजार, 86-87 में 16 लाख, 87-88 में 18 लाख और 88 में 21 लाख, पांच वर्षों में इन्होंने 59.65 लाख की राशि स्वीकृत की है, मगर मैं हमारे सिंचाई मंत्री विजय सिंह जी भाला का बड़ा आभारी हूं और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले साल इस बांध के लिए उन्होंने 40 लाख रुपये प्रदान किये। जिसका नतीजा यह रहा कि अगर इस साल हमको 50 लाख रुपया मिल जाता है तो निश्चित रूप से हम इस बांध को कम्पलीट कर लेंगे। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा देंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बांध को, चूंकि आप अगर इसमें थोड़ा पैसा देंगे तो यह बांध कम्पलीट नहीं होगा। अगर हमको 40-50 लाख रुपये एक साथ मिल जाते हैं तो इस बांध का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा। साथ ही मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि रूपनगढ़ से सलेमाबाद 12 किलोमीटर सड़क डूब के अन्दर आ गई है। मैंने जब कभी कोई लड़क इस तरह से बांध के अन्दर डूब में आई है और दूसरे डाइवर्सन से सड़क का निर्माण किया जाता है, इस सड़क की घोषणा विजयसिंह जी भाला ने भी वहां कर दी थी इसको शीघ्र ही स्वीकृत कर दिया जायेगा। वह अस्वस्थ हैं तो उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखते हुए इस सड़क के लिए कुछ राशि आवंटित की जाये। इसमें कुछ सुझाव भी हैं कि किशन गढ़ के अन्दर कई पंचायतों में बड़े-बड़े तालाब हैं, जिनको ठीक तरह से पंचायत विभाग रख रखाव नहीं कर सकता, ऐसे बांध को भी सूची में लिया जाये और सिंचाई विभाग के तहत लिया जाये, ताकि किसान को उसका लाभ मिल सके। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मेरे यहां पर करड़ाला सिंचाई बांध के ऊपर वर्ष 87-88 के अन्दर 2 लाख रुपये फेमिन के तहत मंजूर किये गये थे और वहां पर कार्य भी कराया। इस करड़ाला बांध के बन जाने से जो मेरे इलाके के अन्दर रेगिस्तान लगातार बढ़ रहा है, उसमें कमी आयेगी। आज वहां जो पानी बहकर जाता है पहाड़ों से खेतों के अन्दर, 6-6 फुट मिट्टी चढ़ गई और किसान बरबाद होते चले जा रहे हैं और करड़ाला के नीचे से जो कोटड़ी और 20-25 गांव हैं, वह खारे पानी के इलाके हैं। अगर यह बांध बन जाता है तो सिंचाई तो हमको मिलेगी ही, सिंचाई के साथ-साथ जो खारा पानी उस इलाके में है, वह मीठा होगा। इसका एस्टीमेट प्रस्ताव बन चुका है। एस्टीमेट कॉस्ट 93 लाख कैपिसिटी की है जो 63 एम. सी. एफ. की है और इससे जो सिंचाई की जमीन होगी, वह 625 एकड़ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई मंत्री जी इस बांध को आप इस बार स्वीकृति प्रदान करें, ताकि खारे पानी से जो लोग पीड़ित हैं, वहां मीठा पानी होगा, जो रेगिस्तान बढ़ रहा है, उस रेगिस्तान को बढ़ने से रोका जाये। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने मुझे समय दिया, समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) । उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई और इन्दिरा गांधी नहर के बारे में आज चर्चा हो रही, मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करता हूं । मेरा डूंगरपुर एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जो भी बांध बने हैं, उस बांध पर अभी मेंटीनेंस के नाम से बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है । नहरों में सीपेज से जमीन बरबाद हो रही है । नहरें टूट गई हैं, और कहा जाता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन इस सरकार का दो साल का कार्यकाल रहा उसमें एक भी कोई तालाब या बांध नया नहीं बना है । मैं यह समझता हूं कि काम केवल मेन्टीनेंस का है । मेन्टीनेंस के बिना सारे बांध बिल्कुल खराब पड़े हैं, बांधों में पानी के बजाय रेत भरी हुई है । चूंकि नदियों पर बांध बने हुये हैं, इस मायने में मैं समझता हूं कि आने वाले 10 साल में शायद पानी की बजाय वह बांध केवल रेत से भरे रहेंगे । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि चूंकि इस साल अकाल है, इस अकाल में आप रिलीफ के तौर पर जो बांध रेत से भरे हैं उनको साफ करवाने का अगर कोई प्रोग्राम बना देते हैं तो मैं समझता हूं कि इसकी अच्छी उपयोगिता होगी ।

सीपेज से मेरे यहां मांडगिया बांध के नीचे बिलिया गांव है उसमें आज अगर जाकर देखा जाय तो साल भर जैसे चावल बोये, ऐसा पानी उन खेतों में भरा हुआ है । यह कहा जाता है कि बिलिया गांव पानी से प्यासा मरे, ऐसा वहां का सारा हिसाब बैठा हुआ है । आज गेहूं की फसल है उसमें भी पानी भरा हुआ है जैसे आषाढ़ में खेतों में पानी भरा रहता है वैसे ही उनमें भरा हुआ है । अमरपुरा बांध जो सोम नदी पर बना हुआ है और इस जिले के अच्छे बड़े-बड़े 4–5–6 तालाब सिंचाई के हैं, उस बांध से भर जाते हैं लेकिन उसमें भी खाबड़ा, बालाचौबिसा, आमलिया के पछोर, सबगढ़, आमोगा काढ़ ऐसे जो भी गांव हैं सीपेज से उनकी जमीनें बरबाद हो गयी है । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि अगर इन बांधों का, पानी का सही उपयोग करना है तो जो इनकी नहरें बनी हुयी है उसके सीपेज को बन्द करना होगा तभी इसका फ़ायदा मिल सकता है । सीपेज से अधिकांश जमीन बरबाद हो रही है उसको अगर हम सही जगह पर और सही टाइम पर मरम्मत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में वह जमीनें बिल्कुल बरबाद हो जायेगी और किसान जमीन के बिना हैंड टू माउथ हो जायेंगे । इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस सीपेज को रोकने के लिये ज्यादा से ज्यादा फण्ड्स अलाट किया जाय और सीपेज को जल्दी से जल्दी रोका जाय ।

घटिया किस्म का माल काम में जो इंजीनियर्स लेते हैं उसके बारे में मेरा एक सुझाव है, मेरा जहां तक ख्याल है कि जब तक वह पेन्शन में जाता है तब तक वह बिल्कुल बरी हो जाता है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जिस इंजीनियर ने उस नहर को बनाया है उस नहर को बनाने में उसकी जिम्मेदारी रहे, यहां तक कि सरकार भी पेन्शन उसको मरते दम तक देती है । तो कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी जाय । अगर जिसकी बनी

(250)

(श्री नाथूराम अहारी)

हुयी नहर है और उसमें सीपेज ज्यादा होगा, घटिया किस्म का माल लगाया होगा तो उसकी पेन्शन बन्द कर सकते हैं ऐसा अगर कुछ नियम बनाये तो मेरा ख्याल है उसमें कुछ सुधार हो सकता है ।

सिंचाई के लिये मैं कहना चाहूंगा कि उदयपुर डिविजन में कुओं का बहुत ही महत्व है । विगत 10 सालों में काफी कुएं खोदें हैं लेकिन हमारे डूंगरपुर में भौगोलिक परिस्थिति बहुत ही भिन्न है । कहीं ज्यादा सख्त पत्थर है, कहीं नर्म पत्थर है और कहीं पत्थर ही नहीं है । इस वजह से वहां की भौगोलिक परिस्थिति अलग है और सरकार के भी यह अच्छी तरह से ध्यान में है कि हम कोई कुआं तैयार करते हैं तो लाख, डेढ़ लाख, दो लाख रुपया देते हैं और हमारे काश्तकार का आदिवासी एरिये का कुआं तैयार करेंगे तो 10000, 20000 रुपये देंगे, उससे उस एरिया में कुछ नहीं होने वाला है । अगर आदिवासी को सीधा फायदा देना है तो चूंकि उनके पास जमीन ज्यादा नहीं है इसलिये रिलीफ में इन कुओं का मलबा निकालने के लिये, ब्लास्टिंग करने के लिये अगर कोई योजना करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इन कुओं से बहुत अच्छी सिंचाई हो सकती है और इस सिंचाई का लाभ आदिवासी एरिया को मिल सकता है । हमारे डूंगरपुर में कई ऐसे नाले और नदियां हैं जो 12 महीनों बहती है अगर साल अच्छा निकल गया तो, मेरा यह मानना है कि सरकार अगर छोटे-छोटे एनीकट जगह जगह बांध दे और स्टोरेज ही बना रहे तो मैं समझता हूं कि हमारे कुओं द्वारा जो सिंचाई होती हैं, जो कुएं बने हैं या बना रहे हैं उनका जल स्तर उपर आ जायेगा और कुएं का उपयोग होगा ।

एक बात और मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि एनीकटों द्वारा ज्यादा पानी नहीं रोकते हुये एक नदी से दूसरे नाले में या दूसरी नदी में पानी पहुंचा करके चूंकि यह कहा जाता है कि एक मकान में बरसात हो रही है और पास वाले मकान में नहीं हो रही है आजकल यह हालत है इसलिये जिस एरिया में नदी बहती है जिसमें पानी गिरा उसका चैनल बनाकर, फीडर बना कर दूसरे नाले में डाल दिया जाय और ज्यादा उपयुक्त समझें वहां पर उसका एनीकट और तालाब बनाकर दूसरे नाले में डाल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे जो प्रचुर मात्रा में जल समुद्र में चला जाता है उसका सही उपयोग हो सकता है ।

मेरे यहां डूंगरपुर में पहले सर्वे डिपार्टमेण्ट था । चूंकि यह बहुत ही जरुरी है लेकिन इसके बिना वहां पर काफी नुकसान हो रहा है । इसलिये सर्वे डिपार्टमेण्ट वहां पर वापस कायम किया जाय । मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं ।

डूंगरपुर में मेवाड़ा परियोजना बहुत लम्बे समय से पड़ी है । मेरे ख्याल से सर्वे होकर रोज-रोज एस्टीमेण्ट बनते हैं कि यह हो जायेगा, यह हो जायेगा, लेकिन बहुत लम्बा समय हो गया । हमारे जीवराज जी के एरिया में पड़ती है लेकिन उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो यह सरकार ध्यान दें तो उससे आदिवासी एरिया को ज्यादा फायदा होता है तो उसको बनाया

(श्री नाथूराम अहारी)

जाय। कांकरीसोल का नाका जर्मन एड से बनाना था वह भी आज दिन तक चालू नहीं हुआ। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसको बनाने के लिये सरकार प्रचुर मात्रा में धन दें। अमरपुरा परियोजना, सोहन कमला अम्बा भी बहुत लम्बे समय से चल रहा है, समय पर उचित मात्रा में धन नहीं मिलने से वह बांध भी अभी पूरा नहीं हुआ है। माही की कैनाल, यह कांग्रेस सरकार में पता नहीं क्या कारण था वह बन्द हो गयी, उसे आगे बढ़ाया जाना बहुत ही जरुरी है। चूंकी उस माही बांध में काफी पानी है उसकी सर्वे भी हो गयी है लेकिन इसका काम लम्बे समय से पड़ा हुआ है उसे बनाया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

बोर का माटड़ा, खेमारु महादेव, भवानी का नाका ये भी लम्बे समय से सर्वे होकर पड़ी हुयी हैं। इनका मतलब यह है कि 25 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर का मापदण्ड रखा है जो गलत है। आदिवासी एरिया में और पहाड़ी एरिया में इसका मापदण्ड ज्यादा होना चाहिये। 25 हजार से कुछ नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसके मापदण्ड को ज्यादा किया जाय। पूरे राजस्थान में तो चारों तरफ पालियां बनाकर, चारों तरफ रेत इक्ट्ठी करके बांध बांधा जाता है लेकिन डूंगरपुर में नाका बनाकर बांधा जाता है। उसमें पत्थर और पहाड़िया होने के कारण वहां पर यह मापदण्ड उचित नहीं है। इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब पूरा कीजिए, प्लीज।

श्री नाथूराम अहारी : लिफ्ट के बारे में जगह-जगह लिफ्ट योजनाएं चल रही थी। जैसे सर्वे हुआ पीपला, रतनावाड़ा, सांदरी ए और बी उसका कोई काम अब तक नहीं हुआ है। सादरी में एक टंकी बनी थी वह गिर गयी थी आज दिन तक फिर पूरी नहीं हुई है। उसे पूरा कराया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था।

श्री नाथूराम अहारी : थोड़ा बोलकर समाप्त करता हूं। सरकार बार-बार कहती है कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे लेकिन अभी मेरे पूर्व वक्ता ने यह बताया था कि इन्दिरा गांधी नहर पर आउट लेट बदलने के लिए हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। क्या यह ठीक है? भूमि आवंटन में काफी घोटाले हो रहे हैं। इसमें भी यह सरकार कुछ नहीं कर रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इन्दिरा गांधी नहर का नहीं कहा। अधिकारियों के लिए भी नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : आप बैठिए। जिस समय जवाब देना हो उस समय बता दीजिए। मेरे पास नोट है। हरिजनों की भूमि को कैन्सिल करके उसके लाखों रुपये वसूल किये हैं। इस बारे में भी मैं इन्दिरा

(श्री नाथूराम अहारी)

गांधी नहर मंत्री को निवेदन करता हूं कि इस तरह की जो कथनी और करनी में फर्क है, आप भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करते हैं और हजारों रुपए वसूल किये जाते है इस तरह की बातें है। मैं आपके माध्यम से यह कहता हूं कि सरकार इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है और मैंने जो सुझाव दिये है उस पर गम्भीरता से निर्णय लेगी, डूंगरपुर जिले को आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अनंग कुमार जैन।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : इन्दिरा गांधी का नहीं कहा। इनको इंदिरा-गाँधी नहर का सींग पूंछ तक का तो पता नहीं है। यह होली के मूड में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पता नहीं क्या कह रहे थे ?

श्री परसादी लाल मीणा : इन्दिरा-गांधी नहर डूंगरपुर पहुंचा दो।

श्री नाथूराम अहारी : भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे। पूर्व वक्ता बोल रहे थे, मैंने नोट किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : आउट लेट इंदिरा गांधी नहर का नहीं बताया अनूपगढ़ शाखा का बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्माजी। माननीय श्री अनग कुमार जैन।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी को और सिंचाई सचिव माननीय भण्डारी साहब को धन्यवाद देकर अपनी बात कहना चाहूंगा कि बहुत शीघ्र ही उन्होंने हमारे यहां सर्किल आफिस ट्रान्सफर किया। और एक नया डिवीजन खोला। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं ऐसे क्षेत्र से, ऐसे जिले से आता हूं जिसमें पूरे जिले में नदियों का जाल बिछा हुआ है और लाखों एकड घन-फुट पानी बहकर बेकार चला जाता है। उसका कोई उपयोग आज चालीस-ब्यालिस साल में नहीं हुआ। 1977 में जब जनता पार्टी सरकार बनी थी तब इस ओर कुछ ध्यान दिया और कुछ योजनाएं तत्कालीन सिंचाई मंत्री माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी ने चालू करायी थी। मैं उन दो योजनाओं के बारे में ही निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत जल्दी-जल्दी घण्टी बजायेंगे। प्रमुख रूप से भीमसागर सिंचाई परियोजना 1977 में चालू हुई और 1977 से लेकर आज 1992 हो गया लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो सिंचाई विभाग का प्रतिवेदन हमको सप्लाई किया गया है उसके कॉलम में लिखा है कि इस पर 1727 लाख रुपये का खर्चा हो गया। 1991–92 में 125 लाख रुपया खर्च हुआ और 1992-93 में 100 लाख रुपये का प्रावधान रखा है और कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार दूसरी योजना छापी सिंचाई परियोजना है जिसका कार्य 1980-81 में आरम्भ हुआ उसको भी चलते-चलते 12 वर्ष हो गये। उसके लिए भी लिखा है 617.88 लाख रुपया खर्च हो गया, 1991-92 में 215 लाख रुपये खर्च हुए और इस साल 500 लाख रुपये का

(श्री अनंग कुमार जैन)

प्रावधान है और इन दोनों के लिए लिखा है कि कार्य प्रगति पर है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो लिस्ट दी गयी है उसमें 23 परियोजनाओं के नाम दिये हैं। वैसे तो किताब में सैंकड़ों के नाम हैं लेकिन 23 में से एक भी परियोजना के आगे कालम 6 में यह अंकित नहीं है कि यह कब प्रारम्भ हुई और कार्य पूरा होने का लक्ष्य, हरेक के आगे लिखा है कि कार्य प्रगति पर है। यह काफी गौरव की बात है हमारे राजस्थान के सिंचाई विभाग के लिए कि जो योजनाएं 1977 में चालू करते हैं उसको 1992 में भी वह नहीं बता रहे हैं कि यह योजना कौनसे साल में पूरी कर देंगे ? चाहे 50 साल लिख देते, 100 साल लिख देते तो यह बोलने वाला, लिखने वाला और मंत्रीजी उत्तर देने वाले तीनों हम तो नहीं रहते लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार राजस्थान में बजट की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च किया जाता है। हम 1977 में जिस योजना को चालू करते हैं और 1992 के अन्दर भी हम आज सदन के अन्दर यह विश्वास नहीं दिला सकते हैं कि इसको कितने साल में पूरा कर देंगे। राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनायी जाती है चाहे सिंचाई विभाग की हो चाहे किसी विभाग की हो उसमें यह पाइंट भी तय किया जाता है कि यह मोटे रूप से इतने साल में पूरी कर ली जायेगी लेकिन इसके बावजूद जो योजना 1977 से 1982 में पूरी होनी थी, 1992 तक उस स्थिति में नहीं है कि बता सकें वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

अब भीमसागर सिंचाई परियोजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि 1980 से 1992 तक यह विभाग में लावारिस की तरह से पड़ी रही। वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी तैनात नहीं किये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तैनात किये गये उनका मन तो कोटा में रहा, शरीर झालावाड़ में रहा और दिमाग जयपुर में रहा कि कहीं हमारा तबादला यहां से नहीं हो जाय तो 12 साल में कोई प्रगति नहीं हुयी और पिछला एक साल तो बिना किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की नियुक्ति के ही निकल गया। विधान सभा सत्र प्रारम्भ हुआ और जब हमारे प्रश्न विभाग में पहुंचे तो इमीजियट किसी न किसी एक एक्स. ई. एन. साहब की नियुक्ति कर दी गयी तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो योजनाएं हाथ में ली जाती है जिन पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं आप सुनिश्चित करें कि कुछ तो योजनाएं हों जिनको हम समयबद्ध कार्यक्रम तय करके, उस समय में पूरा करके, सिंचाई चालू कर देंगे। यद्यपि इस योजना से कुछ सिंचाई चालू हो गयी है लेकिन जो लक्ष्य रखे थे वह आज भी पूरा नहीं हुआ। वर्तमान सचिव माननीय भण्डारी जी जब मौके पर खुद पधारे थे और वहां के जनप्रतिनिधियों ने मौके पर बांध की स्थिति बतायी थी और नहरों की जो खस्ता हालत है, नहरों में जो पानी वेस्ट जा रहा है वह सब मौके पर दिखाया था। इसके बारे में पूर्व सिंचाई मंत्री को भी लिखकर दिया। चीफ इंजीनियर (सिंचाई) को लिखकर दिया लेकिन मैं समझता हूं कि आज

(श्री अनंगकुमार जैन)

तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में पूरी रिपोर्ट मंगा कर इस पर जो आवश्यक कार्य होने हैं वह आवश्यक दिशा निर्देश देकर उन कार्यों को पूरा करवायें।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं और विशेष कर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस सिंचाई परियोजना से सारी सिंचाई दूसरे क्षेत्र में होती है यद्यपि वह जिले में होती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने भी जब भी मौका आया इसको बनवाने में योगदान दिया है, प्रयास किया है लेकिन इसमें डूब का क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में आया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के करीब 12-13 गांव डूब में आये हैं। आज स्थिति यह है कि जो आवश्यक साधन सिंचाई विभाग के द्वारा मुहैय्या कराये जाने चाहिये थे वह आज तक मुहैय्या नहीं कराये गये। हर साल जब बारिस आती है तो गांव वाले चारों तरफ से पानी से घिर जाते हैं। जिला प्रशासन, जिला एस. पी. इरिगेशन विभाग के अधिकारी गांव में जीप लेकर घूमते हैं और उनको

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

नोटिस देते हैं कि गांव खाली कर दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, तीन मिनट तो उन्होंने बातचीत में ही कर दिये थे वह तो जोड़ें। अभी से आपने घण्टी बजा दी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी जिन गांवों को सड़कों से जोड़ना चाहिए था, पुलिया बनानी थी वहां आज 12-13 साल के बाद भी नहीं बनी। मैं विशेष तौर पर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रावतसर गांव है, जो जब बांध पूरा भर जाता है तो चारों तरफ से पानी से घिर जाता है। उसके अन्दर उस समय स्थिति देखें तो महिलाएं, गांव के लोग छोटे छोटे बच्चे उस पानी के अन्दर ट्यूब डालकर अपना खाने पीने का सामान लेकर उसमें बैठकर निकलते हैं या गांव वाले तैरकर निकलते हैं। करीब 10-12 साल से उनकी यह स्थिति चली आ रही है। वहां पर एक पुलिया बनाना बहुत आवश्यक है लेकिन जब भी मैंने अधिकारियों से सम्पर्क किया तो बार-बार यही जवाब दिया जाता रहा कि यह ओरिजनल प्लान में शामिल नहीं है। उसके बाद लिखकर दिया तब उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कि हम इसके बारे में कुछ कार्यवाही कर रहे हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी हो, रावतसर गांव को पुलिया बनाना बहुत आवश्यक है ताकि आसपास के चार-पांच गांव के लोगों को बारिश के महीनों में जो दिक्कत आती है उससे वह दूर रहें। दूसरा, एक गांव गांवड़ी है उसका रास्ता पिछले 12 साल से बंद है। बारिश के अन्दर चार महीने वहां आ-जा नहीं सकते है, उनकी बैलगाड़ी नहीं आ-जा सकती है। इस साल उस रास्ते का कार्य आरम्भ कराया है लेकिन काम के अन्दर भी उस रोड को जिस तरह से यह बना रहे हैं उसमें दो किलोमीटर उस रोड को बनाया हैं उसके बाद वापस नीचे इतना

(श्री अनंगकुमार जैन)

गड्ढा आ जायेगा कि वह रोड बनाना नहीं बनाना उनके लिए बेकार रहेगा तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अधिकारियों को बुलाकर, इस बात को एग्जामिन करवा कर गांव वालों की इस दिक्कत को भी दूर करें।

श्री उपाध्यक्ष : अब ओवर कीजिये।

श्री अनंगकुमार जैन : तीसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष छापी सिंचाई परियोजना के ऊपर पिछले एक वर्ष के अन्दर अच्छी प्रगति हुई है इसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को, अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन जिस प्रगति से काम होने चाहिये जितना बजट आपने उसमें अलाट किया है तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस परियोजना में एक या दो साल के लिए एक नया डिवीजन खोल दीजिये ताकि उसका काम द्रुत गति से होगा। जो कार्य आप दस में पूरा करना चाहेंगे वह कार्य तीन साल के अन्दर पूरा हो जायेगा। जिले के लोगों को सिंचाई का साधन उपलब्ध होगा और जो कास्ट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कई जगह आपके लोग फालतू बैठे हुए हैं, जयपुर के अन्दर एक सर्कल आफिस बैठा हुआ है। पूरे एक साल चार माह से वह डिवीजन कहां से ट्रांसफर हो कर आया है। उसके अन्दर सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, दो एक्स. ई. एन. ऐसे दस बारह आदमियों का स्टाफ सवा साल से बैठा हुआ है। सुबह दस बजे जाते हैं। वह स्वयं इस बात लिए परेशान है कि हम दस बजे से पांच बजे तक कहां बैठे, क्या काम करें। जितने अफसर है उतनी कुर्सियां नहीं हैं। सवा साल हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं लाखों रुपया सरकार ने उनको दिया, उन अधिकारियों को जहां आपके काम चल रहे है वहीं उनको डेपूटेशन पर लगा देते और वहां काम देखने को लगा देते तो निश्चित रूप से वहां फायदा होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल स्पेसेफिक बोल रहा हूं, कोई भूमिका नहीं बना रहा।

श्री उपाध्यक्ष : भूमिका नहीं बना रहे है, यह हम समझ रहे हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में हरिश चन्द्र सागर एक बांध है यह हरिश चन्द्र सागर बांध झालाबाड़ जिले में है, खानपुर तहसील में। पहले उसका सब डिवीजन झालावाड़ के अन्दर ही था। अभी तीन-चार माह पहले उस सब डिवीजन को हटाकर लाखेरी ट्रांसफर कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाज लगाईये कि बांध झालावाड़ में, सिंचाई वहां होती है उसका सारा मेन कन्ट्रोल वहां होना चाहिये लेकिन उस सब डिवीजन को लाखेरी ट्रांसफर कर दिया। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय, से निवेदन है कि

(श्री अनंगकुमार जैन)

या तो उस सब डिवीजन को वापिस झालावाड़ ट्रांसफर कीजिये या उससे सम्बंधित कार्यक्षेत्र को कोटा के किसी न किसी एक्स. ईएन. के यहां लगा दिया गया है उसको वापिस झालावाड़ करें। एक और आपने वहां सर्कल आफिस ट्रांसफर किया, नया डिवीजन आपने वहां ट्रांसफर किया तो हरिश्चन्द्र सागर से संबंधित जो सब-डिवीजन है वह भी झालावाड़ में ट्रांसफर होना चाहिये।

एक अन्तिम बात और निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने निवेदन किया था कि झालावाड़ जिले की की 12 साल से इरिगेशन विभाग की जो लावारिस जैसी स्थिति चली, आपके विभाग ने 1977 से 1980 में मनोहरथाना में राजगढ़ रोड़ पर कुछ क्वार्टर बनाये थे, उन क्वार्टरों की किसी ने संभाल नहीं की। उसके पत्थर, उसके दरवाजे पुलिस वाले खोल करके कोई नया थाना बनाया उसमें लगा दिये। हमने आपको शिकायत की, विभाग को शिकायत की, जिला स्तर पर बीस सूत्रीय की मीटिंग हुई, जिला परिषद की मीटिंग हुई उसमें तत्कालीन उनके अधिकारियों को कहा गया कि आप का सामान खोलकर के थाना डांगीपुरा के अन्दर लग गये। हमने जगह भी बता दी उनको कि किवाड़ थाना डांगीपुरा में लग रहा है, पट्टी आपकी मनोहरथाना में लग रही है उसके बावजूद भी दो साल में कोई कार्यवाही नहीं हुई। दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मनोहरनाथा क्षेत्र के अन्दर जावर के अन्दर एक लिफ्ट इरिगेशन की योजना चल रही थी। जो बहुत पहले चलनी थी। उसका लाखों रुपये का सामान है जिसके अवशेष अभी वहां मौजूद हैं यदि आप अपना कोई अधिकारी भेजेंगे तो वहां अवशेष जरूर मिल जायेंगे, कुछ सामान वहां पड़े हुए हैं। लेकिन उस योजना का भी लाखों रुपये का सामान पता नहीं कौन उठा कर ले गया। इसके लिए भी हमने जिला स्तर की मीटिंग के अन्दर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बताया लेकिन उसके बारे में भी आज तक कोई जांच नहीं की गई। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग का इस तरह से लाखों रुपये का सामान जब दूसरे लोग उठाकर ले जाते हैं तो कोई तो विभाग के अन्दर होना चाहिये जो इन चीजों की जांच करके और इन चीजों के बारे में पता करे..

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप। ओवर कीजिए आप।

श्री अनंगकुमार जैन : अब अन्तिम बात निवेदन कर रहा हूं। झालावाड़ जिले के अन्दर जो आपने यह योजना चला रखी है लेकिन वहा पर लघु सिंचाई योजनाओं का बहुत स्कोप है और जो योजनाएं सर्वे हो चुकी हैं, बहुत सारी योजनाएं सर्वे होकर पड़ी हुई हैं। सैकड़ों जगह ऐसी हैं जहां बारिश के बाद भी पानी भरा हुआ रहता है। पानी के बड़े-बड़े डेम हैं तो वहां के बारे में आप विभाग को जरा चुस्त करके लघु सिंचाई योजना का सर्वे कराकर उनको जल्दी चालू करवायें। इससे लोगों को काफी फायदा होगा। जिन योजनाओं को आप 20 साल में, 25 साल में पूरी

(श्री अनंगकुमार जैन)

करते हैं और लघु सिचाई योजनाएं सर्वे होने के बाद तीन से छः माह के अन्दर पूरी हो जायेगी और एक साल के अन्दर-अन्दर क्षेत्रीय लोगों को फायदा मिलना चालू हो जायेगा तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं को शीघ्र चालू करवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राम नारायण वर्मा (अनुपस्थित)

माननीय श्री रमाकांत जी। (अनुपस्थित)

माननीय श्री श्रीकिशन सोनगरा।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 के क्रम में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सबसे पहले कि मेरे अजमेर शहर में बाढ़ आने की वजह से बहुत बड़ा भू-भाग प्रभावित होता था, राजस्थान में माननीय शेखावत जी की सरकार बनने के बाद वहां अनासागर स्टेट चैनल पर प्रथम बार 20 लाख और उसके बाद पुनः 15 लाख रुपये का बजट आवंटित किया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही वहां चैक डैम वगैरा बनवाया गया। इसके साथ मैं अजमेर जिले के सिचाई विभाग खण्ड प्रथम व द्वितीय में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में माननीय मंत्री महोदय का, आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां जो सिचाई विभाग प्रथम व द्वितीय खण्ड के कार्यालय चल रहे हैं इसमें हालात यह है कि सरकार के पैसे को हजम करने के लिए ही जैसे दोनों कार्यालय खुले हुए हों। मैं सबसे पहले आपका ध्यान सिचाई खण्ड प्रथम में चार उपखण्ड अराई, केकड़ी, बांदनवाड़ा मसूदा, इन सब की ओर ले जाना चाहता हूं। अभी 13-7-91 से 15-7-91 को बांदनवाड़ा उपखण्ड में लाखों रुपये के काम के 20 वर्क आर्डर दिये गये थे उनका वैसे टेण्डर होना चाहिये था, कार्य नियमानुसार होना चाहिये था, कुछ नहीं किया। उन्होंने दस-दस हजार, सात हजार, नौ हजार, 9 हजार 9 सौ इस तरह से उस सारी रकम को काटकर 20 वर्क आर्डर दे दिये। उपाध्यक्ष जी, ताज्जुब होगा कि उन 20 वर्क आर्डर में 13 तारीख से 15 तारीख तक चार दिन काम करवाने की अवधि भी दे दी और आश्चर्य की बात यह होगी कि जिन तारीखों में यह काम अलाट किये गये थे 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तो उस वक्त का अगर आप वर्षा का रिकार्ड देखें विजयनगर और भिनाय क्षेत्र का, तो उस वक्त हमारे भिनाय क्षेत्र में तीस मिलीमीटर वर्षा आ रही थी और विजयनगर क्षेत्र में जहां यह काम हो रहे थे वहां 60 मिलीमीटर बरसात थी तो ऐसी स्थिति में यह सब का काम बिल्कुल संभव नहीं थे। मगर उन्होंने उसी कामों के, या दो अढाई महीने पहले जे. आर. वाई. के काम करवाये गये थे उनके टेन्डर काट कर और लीपापोती करके ठेकेदार और अधिकारियों ने आपस में मिलकर लाखों रुपये अपनी जेबों में डाल लिये न तो कभी मौके पर ठेकेदार गया न कोई अधिकारी गया और यह सारे के सारे पैसे ठेकेदारों ने फर्जीवाड़ा करके अपनी जेबों

258

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

में डाले हैं । अगर नियमानुसार सिंचाई विभाग कोई दो हजार रुपये काम देता है तो उसमें भी पांच दिन देता है, दस हजार के काम में 15 दिन का समय देता है मगर यह सब कुछ भी नियमानुसार नहीं हुए । सारे नियमों को ताक में रखा और उन्होंने अपनी घर की दुकान समझ कर जिस तरह से सरकारी पैसे पर डाका डाला है । माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि इसकी जांच करायें ।

इसके बाद में इसी मामले दूसरा एक घोटाला उसी खण्ड प्रथम व द्वितीय का और रखना चाहता हूं कि वहां पर 100 बोरी सीमेंट का एक घोटाला हुआ । आपको यह सुनकर यह ताज्जुब होगा कि इस बांदनवाड़ा में ही 20-7-90 को 100 बोरी दे दी और वह सौ बोरी बिना रसीद प्राप्ति के दे दी गई, न कोई रजिस्टर में इन्द्राज किया गया और इस सारी बात को छिपाने के लिए फिर उसी सारे काम में 1-8-90 से 15-8-90 तक सूर सागर भिनाय पर सीमेंट का कार्य नहीं दिखाया गया ताकि वह हेराफेरी में सारी लीपा-पोती हो जाये और ए. ई. एन. ने डेढ़ वर्ष तक वहां के मस्टर रोल गायब रखे और हम लोगों की शिकायत के बाद डेढ़ वर्ष के बाद वे मस्टरोल कांटाफासी के बाद विभाग में प्रस्तुत हुए । कोशिश यह की जा रही है, उन मस्टरोल के आधार पर अस्थायी मेट के ऊपर दोष लगाकर सारे अधिकारी बचना चाहते हैं । मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस तरह खुली लूट मची हुई है अजमेर में उसको रोकना बहुत जरूरी है इसी तरह गोविन्दगढ़ में एक बांध बन रहा है । उस पर थोड़े दिन पहले जो टेण्डर हुए थे वे बिलो आये थे । उसके 2-3 महीने बाद जब वापस उसी तरह के काम के टेण्डर हुए तो वही टेण्डर 35 प्रतिशत एबव आ गये । इस तरह एक लाख और कई हजार रुपये का पूल हुआ । वह पूल ठेकेदार और अधिकारियों ने शामिल होकर किया और एक तरह से सरकारी धन पर डाका डाला ।

इसी तरह एक और एक्स. ईएन. का कारनामा आपके सामने रखना चाहता हूं । जड़जोला टैंक में आप देखिये कि जगदीश प्रसाद शर्मा और श्याम लाल दो ठेकेदार थे । 20-9-1991 को इन्होंने टेण्डर छुड़ाये थे । जगदीश प्रसाद की ठेके की जो राशि थी वह 64,208 रुपये थी और उसका उसी दिन उसी तरह के काम का टेण्डर 19 प्रतिशत बिलो आया था । श्यामलाल, इस व्यक्ति ने भी 20-9-91 को उसी जड़जोला टैंक पर टेण्डर भरा था, वैसे ही काम का 39,500 रुपये का । इसका टेण्डर 15.2 प्रतिशत एबव था । मगर आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि बिलो टेण्डर वाले को काम नहीं दिया गया और एबव टेण्डर वाले को काम देकर 1,33,971 रुपये का घपला किया गया इस सारे काम में । ये ऐसी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि किस तरह से सरकारी लोग जनता के धन पर, सरकार के धन पर डाका डाल रहे हैं ।

इसी तरह सिंचाई उपखण्ड बादनवाड़ा की बात बताऊं । अगस्त-सितम्बर में 20

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

हजार का मस्टरोल पर काम कराया गया था, मगर उन्होंने उसमें भी हेराफेरी की। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान में किसी भी उपखण्ड में हैण्ड रिसीट के आधार पर काम नहीं कराया जाता है। अगर हैण्ड रिसीट पर काम कराया, मैं मान लेता हूं कि सही करवाया, तो फिर हैण्ड रिसीट के काम की तारीख और पेमेण्ट की तारीख, दोनों अलग-अलग क्यों है? उनमें बहुत अवधि का अन्तर है। हैण्ड रिसीट का नियम तो यह है कि हाथों हाथ मजदूर को पेमेण्ट होता है। मगर उस हैण्ड रिसीट का हाथों हाथ पेमेण्ट नहीं हुआ, बहुत दिनों के बाद जाकर पेमेण्ट हुआ है। यह भी अपने आप में सिद्ध करता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं।

इसी तरह से बांधों-तालाबों पर प्राकृतिक पैदावार की नीलामी होती है। हमारे वर्ष 1982 से 1985 तक लगातार तीन वर्ष की नीलामी की गयी थी। इसमें 23,500 रुपये आये थे। तीन साल तक के पैसे उस वक्त के ए. ईएन. ने जमा नहीं कराये। लोगों ने शिकायत की, उसके बाद वहां के एस. ई. महोदय ने केवल असंचयी वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर उस ए. ईएन. से तीन साल के पैसे को जमा करवा लिया जबकि एस. ई. के स्तर का यह काम भी नहीं था। मगर यह सब हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सिचाई विभाग में तब्दीली लायी जाय। आप बहुत सक्रिय हैं, बहुत जिम्मेदार और सबसे अच्छे मन्त्री हैं। इस नाते मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को आप दूर करेंगे।

साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पुष्कर सरोवर को खुदाने का कार्यक्रम चला था। आपको ताज्जुब होगा कि पुष्कर सरोवर की खुदाई के काम में वहां के एक्स. ईएन. ने रजिस्टर्ड ठेकेदारों को काम नहीं देकर अपने चहेते, यूं ही रास्ता चलते लोगों को काम दे दिया जो पंजीकृत नहीं थे। उन सब गांव वालों को काम देकर उस खुदाई में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है।

इसी तरह सींगला बांध जो किशनगढ़ में बन रहा है, जिस ठेकेदार को उस का काम दिया गया उसी ठेकेदार को दूसरे नाम से सीमेण्ट परिवहन का काम भी दे दिया। सीमेंट की फैक्ट्री से चलकर सीमेण्ट जब सींगला बांध पर आती है, अगर वह ठेकेदार परिवहन का दूसरा हो तो जितनी मात्रा में सीमेण्ट आना चाहिए, जैसे एक हजार कट्टे चला अगर दूसरा ठेकेदार एक हजार कट्टे लाता तो पूरी सींगला बांध पर पहुंचती। मगर वही ठेकेदार सीमेण्ट परिवहन का ठेका लिये हुए है और वही निर्माण का लिये हुए हैं। तो उसमें से आधा माल बाजार में बिक जाता है और सीमेण्ट पूरी मात्रा में नहीं पहुंचती है। यह ऐसा काण्ड है, अजमेर जिले में एक्स. ईएन. और ए. ईएन. मिलकर जन धन को लूट रहे हैं। इनको रोकना आवश्यक है।

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

साथ ही एक विशेष तौर से आपसे निवेदन है कि सारे ही सम्भाग मुख्यालयों पर एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं। वह चाहे विद्युत विभाग हो चाहे जलदाय विभाग हो या पी. डब्ल्यू. डी. हो। हमारा भी एक बहुत पुराना डिवीजन है सिंचाई विभाग का, अजमेर में एडिशनल चीफ इंजीनियर का कार्यालय खोले। साथ ही एक विशेष निवेदन है कि हमारे अजमेर में खण्ड-प्रथम के मुख्यालय के साथ एक ए. ईएन. कार्यालय नीतिगत आधार पर होना चाहिए। वह वहां की विसंगति को दूर करेगा। यह मानते हुए कि जब से आप आये हैं सजग हैं, मैं आशा करता हूं कि इन भ्रष्ट लोगों पर, जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में सरकारी धन पर डाका डाला है, आप कार्यवाही करेंगे। मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां जी।

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर की मांग संख्या 46 के मुतल्लिक मेरा एक कटौती प्रस्ताव है। उस कटौती प्रस्ताव के जरिये और इस सदन की मार्फत मन्त्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि राजस्थान और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान अकाल का गढ़ है। अकाल का स्थायी हल इन्दिरा गांधी नहर है। इन्दिरा गांधी नहर में अभी तक जो कार्यवाही और कारगुजारी हो रही है, चाहे राजनीतिक आधार पर हम विरोध कर लें और आप उसकी तारीफ कर लो, मगर सच्चाई किसी भी इन्सान से छिपी नहीं रहती है, बहुत बड़ा इसमें घपला है। मुझे याद है नरेन्द्र सिंह जी भाटी नहर मंत्री थे और चन्दन मल जी नहर मंत्री थे कांग्रेस के शासन में। इस वक्त के मुख्य मंत्री ने उस वक्त उनको जबर्दस्त ताना दिया था कि आप लोगों की वजह से सीमा की सुरक्षा खतरे में है। आप लोगों की वजह से सीमा के ऊपर जो फसलें लहलहाती हम देखना चाहते हैं उस लहलहाने के आप खिलाफ हो। इस नहर को पांच साल में पूरा करना चाहिए था। आज, मंत्री जी, सागरमल गोपा ब्रांच का भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। गडरा रोड को इस योजना में शामिल किया गया है, उसके काम का सर्वे तो चार साल पहले ही हो चुका है। लेकिन अपन जो 50–60 साल की उमर के जो आदमी बैठे हुए हैं महसूस करते हैं कि हमारी जिन्दगी हयात् में तो इस नहर का काम होने वाला नहीं है। आपने एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि सन् 2004 तक हम इस नहर को पूरा करेंगे। उस वक्त आप रहोगे या हम रहेंगे, यह कोई गारण्टी आपकी तरफ से नहीं है। 2004 में कौन होगा, किसके काम हाथ में होगा, लेकिन, मंत्री जी, यश लेना चाहते हो तो मेरा यह कहना है कि अकाल का फण्ड उसमें दो, भारत सरकार का जितना भी एडवांस प्लान का पैसा है उसमें दो ताकि पश्चिमी राजस्थान का स्थायी हल हो जाय। वास्तव में अब के मुख्य मंत्री और उस वक्त के विपक्ष के नेता ने यह बात सही कही थी और हम उसकी ताईद करते हैं कि इन्दिरा गांधी नहर सीमा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, वहां के

(श्री अमीन खां)

लोगों को रोजगार का अच्छा प्रबन्ध होगा और लोग खुशहाल होंगे। हम खुद मानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में बार-बार अकाल में पूर्वी राजस्थान के विकास का फण्ड उधर खर्च करना पड़ता। यहां के लोगों के भी हक मारे जाते हैं, यह बात सही है। लेकिन सरकार कोई भी हो उसको मजबूरन खर्च करना पड़ता है, इन्सान की जिन्दगी को बचाने के लिए खर्च करना पड़ता है। इसलिए इसमें प्रायोरिटी देनी चाहिए।

दूसरी बात है गरीब उत्थान। आपकी सरकार तो गरीब को गणेश मानकर चल रही है, दूसरी बात सोच ही नहीं रही है। स्पेशल अलाटमैण्ट में किसी हरिजन को तो जमीन नहीं मिली, किसी अल्पसंख्यक को तो जमीन नहीं मिली, किसी किसान को तो जमीन नहीं मिली। आपके मंत्रिमण्डल के सदस्यों को स्पेशल फोरेस्ट जमीन अलाट हुई है। अगर आप इजाजत दो तो उनके फोरेस्ट की खतौनी की नकलें, जिन मंत्रियों के नाम से जमीन अलाट हुई है, उनके आदेशों की नकलें मैं सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : बिल्कुल रख दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस दिया हुआ नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभी पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लिया। किनका नाम लिया ?

श्री प्रेमसिंह बहिया : आप करवा लो जांच उसकी। (व्यवधान) नाम भी बता देवे। आप कहते हो तो नाम भी बता देंगे, जांच करवा लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, आरोप के नाम पर आरोप लगाना आसान है। आपके पास तथ्यात्मक बात है तो रखें सदन की मेज पर जब आपने घोषणा की है तो।

श्री अमीन खां : अगर रख दी तो आप क्या करोगे ? अलाटमेंट कैंसिल करोगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अमीन खां जी से भी निवेदन है कि इस प्रकार का कहें तो पहले नोटिस देना चाहिये। (व्यवधान) मैं भी कह रहा हूं कि किसी का नाम नहीं लिया।

श्री अमीन खां : मैंने नाम किसी का नहीं लिया है।

श्री प्रेमसिंह बहिया : आप इस्तीफा देंगे क्या, रखेंगे तो ?

श्री मदन दिलावर : +++ और हमारे मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हो। +++ आनी चाहिये माननीय सदस्य को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री अमीन खां : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं समझ नहीं पाया कि मैंने किसी का

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अमीन खां)

नाम नहीं लिया और नाम लेना नियमों में बगैर नोटिस दिये हुए मैं वाजिब कार्यवाही नहीं मानता हूं लेकिन राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ बार-बार यह कह रहे हैं। फोरेस्ट की जमीन का खसरा नम्बर, कौनसी फोरेस्ट के नम्बर में थी, किस किसान के नाम की जमीन थी और जो रद्द की गई और किस तारीख को जमीन अलाट हुई, उन खतौनियों की नकल, उन कोर्ट के आदेशों की नकल मैं आपको लाकर दे दूंगा। अगर आप में ईमानदारी हो, नैतिकता हो अलाटमेंट को खारिज कर देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है, आप दे देना।

श्री अमीन खां : और जो बात कही है, उसमें असत्यता हो तो मैं सदन में जब तक सदस्य हूं, कोई बात नहीं बोलूंगा। यह मैं अपने आपको सजा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप सदन की मेज पर रख देना।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अमीन खां : आप क्यों उचकते हो? आप उस तरफ से बोलते हो तो हम बीच में नहीं बोलते हैं। हम गलत कहते हैं तो कुछ नहीं होगा किसी के खिलाफ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमीन खां जी।

श्री अमीन खां : जबकि बगैर नोटिस दिये हुए हम जो कुछ बात कहते हैं, आपको चिढ़न क्यों लगती है? आपको घर पर मैं अभी दे दूंगा। मैं आपको अभी दे दूंगा। अगर आप ईमानदार हैं तो अलाटमेंट खारिज करके बताना और गलत हो तो आप कहोगे वैसा मैं कर दूंगा। आप जैसा कहोगे वह कर दूंगा। नहीं तो आप भी इस सदन के सदस्य हो, मैं भी इस सदन का सदस्य हूं। अब रहा सवाल, एक सदस्य होने के नाते ईमान रखना चाहिये, जिम्मेदारी रखनी चाहिये, गैर-जिम्मेदारी से नहीं बोलना चाहिये। यह आदमी के ईमान के, सिद्धान्त पर भरोसा है। अगर यह आपको डाक्यूमेंट दे दें तो आप कुछ करके बताना। मैं डाक्यूमेंट नहीं दूं तो आप जो आदेश दोगे, वह मैं सब कबूल कर लूंगा। क्या बात करते हो? हमारे पास सबूत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चलिये, अमीन खां जी।

श्री अमीन खां : कई सालों से इंदिरा गांधी नहर में शिड्यूल्ड कास्ट का कालोनाइजेशन में आफिसर मुकर्रर हुआ, शिड्यूल्ड ट्राइब का आफिसर मुकर्रर हुआ और एक अल्पसंख्यक वर्ग का आफिसर मुकर्रर हुआ। उन्होंने वहां के गरीबों को अलाट किया। उन सभी की शिकायतें हुई और उनको वहां से हटाया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैं चूरू से आने वाले सदस्य को, जो इस समय उप मुख्य सचेतक भी हैं, दे दूंगा। यह सदन में जब इन्होंने कह दिया

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

है और कटौती प्रस्तावों के जरिये हम चाहते भी यही हैं कि हम किसी भी बात को जब ध्यान में लाये मंत्रियों के या सरकार के तो हम चाहते हैं कि उसके जरिये सरकार अपने काम में सुधार करें, उस गलती को ठीक करें। जब उन्होंने जिम्मेदारी के साथ यह बात कही है तो यह सदन का मामला बन गया है। सदन के पटल पर रखना चाहिये। राजेन्द्र राठौड़ जी को नहीं दिया जाय, सदन के पटल पर रखा गया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य वह रिकार्ड लाये उस समय ऐसी व्यवस्था कर दी जायेगी। अभी तो रिकार्ड नहीं है उनके पास।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दूसरा निवेदन मुझे आपसे यह भी करना है कि कटौती प्रस्तावों के जरिये जब इस तरह की कोई गम्भीर बात होती है तो कोई आवश्यक नहीं है कि उसके लिए पूर्व में सूचना दी जाय। कटौती प्रस्तावों का मतलब यही है। पूर्व में इस तरह की परम्परा रही है। यदि कोई इस तरह का आदेश हो, इस तरह का किसी के खिलाफ भी कोई चार्ज है तो माननीय सदस्य....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कटौती प्रस्ताव में इसकी चर्चा है क्या?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप नये हो, आपको पता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कभी आप भी नये थे। आप हमेशा पुराने थे क्या? हरेक आदमी कभी तो नया रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : न तो वे कह रहे हैं, न ले कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही है। पेश करें तब है। बाध्य थोड़े ही किया जा सकता है। आई कैन नॉट कम्पेल द आनरेबल मैम्बर।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : ऐसा कोई निर्णय हो तो बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, बिराजिये। गोयल साहब कुछ कहना चाहते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, पॉइण्ट ऑफ आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने तो अपनी बात ही पूरी नहीं की, उसके पहले ही पॉइण्ट ऑफ आर्डर हो गया। (व्यवधान) यह क्या मतलब हुआ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने +++ शब्द का इस्तेमाल किया है। यह किसके लिये किया है, यह तो बता दें आप। एक्सपंज कराइये इसको आप। यह असंसदीय है।

श्री मदन दिलावर : मैंने कहावत कही है, किसी को +++ नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह रिकार्ड पर नहीं आया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कृपया शिष्ट भाषा का प्रयोग कीजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : हम लोग फेस करने के लिये तैयार हैं। किसी के बारे में

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

भी आपको कहना चाहिये, आपको छूट है। आप हमारे माननीय सदस्य जो बहुत कम बोलते हैं, उनको ठोक रहे हैं। हमारी तरफ से छूट है, आप हमारे बारे में, किसी के बारे में कहना हो तो कहिये। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : कम बोलने का मतलब यही है कि मर्जी आये जो बोल लें ?

श्री अमीन खां : क्या मर्जी में आया जो बोला ? मैं सुबह 10 बजे खतौनियों की नकलें यहां रख दूंगा। मेरे घर पर डाक्यूमेंट्स हैं, सुबह 10 बजे स्टार्ट होते ही जो मैंने बात कही है, वह सदन की पटल पर रखूंगा। अगर नहीं रखूंगा तो मैं इस सदन में कभी नहीं आऊंगा।

श्री प्रेम सिंह दहिया : आप क्या करोगे उसके बाद ? एक्शन लोगे आप ? इस्तीफा देंगे वे मंत्री क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें सोचना है कि क्या करना है। आप रखो तो सही।

श्री प्रेम सिंह दहिया : आप तो भ्रष्टाचार के लिये कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे भ्रष्टाचार के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीया सुमित्रा सिंह जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई कि सरकारी उप मुख्य सचेतक यह बात कहें कि हमारी जो मर्जी आयेगी, सो करेंगे। तो आखिर सदन का फिर मतलब क्या रह गया ? हम कोई चार्ज लगाते हैं, किसी के खिलाफ कोई आरोप लगाते हैं तो उसका साफ मतलब यह है कि उस बात की छानबीन की जाय, जांच की जाय। जब उन्होंने खसरा नम्बर दे दिया, पहले वो जमीन किसके पास थी, सब बात कह दी। तो आपको यह कहना चाहिये कि यदि मंत्रीमण्डल के किसी सदस्य ने ऐसा किया है तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, वह अलाटमेंट कैंसिल किया जायेगा। यह कोई बात कहे तो समझ में आने वाली बात है और आप इस तरह से खड़े होकर....यह जंगल राज नहीं है, यह कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : वह सारी कार्यवाही कागजों के आने के बाद की जायेगी। गोयल साहब, आप कुछ कह रहे थे ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री): पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया है, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि एक तो कटौती प्रस्तावों के माध्यम से कोई स्पेसिफिक बात इस सम्बन्ध में बिलकुल नहीं आई है। दूसरा जो कुछ आपने कहा है, वह इतना वेग है कि क्या कहना चाहते हैं, किसके लिये कहना चाहते हैं, वह पता नहीं है। कागज के लिये कह रहे हैं, कल पेश करेंगे। तो कौनसी व्यवस्था हम लेना चाहते हैं ? एक चार्ज उन्होंने लगाया है, लगाकर चले गये। बस और कोई बात नहीं की। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चार्ज लगाने का मतलब है कि उसे गम्भीरता से लिया जाय। यदि इस बात के लिये आप तैयार हैं, सरकार तैयार है कि वह जो कुछ कहेंगे और उसमें सत्यता पाई जायेगी तो उसे कैंसिल किया जायेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा तब तो रखने का कोई मतलब है। जैसी वेग बात आप करते हैं, वैसी उन्होंने कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आने पर ही किया जा सकता है। पहले क्या किया जा सकता है? कागज तो लाये। कल के लिये कह रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब वह चार्ज लगा रहे हैं, जब खसरा नम्बर बता दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह डिस्क्शन का मैटर नहीं बनाया है। कल के बाद बनेगा। कौन मना कर रहा है उसके बारे में?

श्री बुलाकीदास कल्ला : इजाजत दें इसको रखने की यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : कौन मना कर रहा है? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) इंदिरा गांधी नहर मंत्री जी कहें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह बात कही जाती है और आप भी कई बार आसन से ऐसी व्यवस्था देते हैं कि चूंकि आपने स्पेसिफिक चार्ज नहीं लगाया है, लिखित में नहीं दिया है, इसलिये आप नाम नहीं बोल सकते। मैं कहती हूं कि यह परम्परा उसी सदन में रही है कि यदि किसी के खिलाफ कोई आरोप है तो....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कौनसा मैटर आया अभी? कौनसा खसरा नम्बर है, कौनसा गांव है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वे बोल रहे हैं। खसरा नम्बर बता दिया....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बताया। यह कुछ नहीं कहा। कल पेश करेंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। अभी तक नहीं कहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो किसी संकोच में नहीं दिया...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमीन खां जी, बोलिये।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप बोल लें।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : अभी जैसा माननीय सदस्या ने कहा कि इस तरह का यहां नियम है। अपने जो नियम बने हुए हैं उनमें विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 273 है जो बिलकुल स्पष्ट है—No allegation

(श्री ओम प्रकाश गुप्ता)

of a defamatory or incirminatory nature shall be made by a Member against any person; "Against any person" unless the Member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into that matter for the purpose of the reply. यह बिलकुल स्पष्ट नियम है।

श्री उपाध्यक्ष : यह मैटर ही नहीं आया साहब अभी तक, न तो कोई हवाला किया है। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : हम तो फ्री हैं, जो मर्जी हो, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं, हमको कोई रोका नहीं जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना, ना। उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में स्थिति बिलकुल साफ है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिस रूल का यह हवाला दे रहे हैं, इस सदन की सारी कार्यवाही परम्पराओं और नियमों के तहत चलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सारी की सारी कार्यवाही इन नियमों के तहत चलती है, नम्बर एक।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन के अन्दर परम्परा रही है कि ऐसे कुछ मामले जिनके तथ्य सदस्यों के पास हैं यहां पर उनका वर्णन किया जाता रहा है, उनको कहा जाता रहा है। जहां तक सवाल यह है कि कई दफा उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा भी हुआ है कि जबकि आम तौर से मंत्रियों के खिलाफ चार्ज लगाया जाता है तब यहां पर नोटिस दिया जाता है आम तौर से लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन का लम्बा अनुभव रहा है, श्रीमती सुमित्रा जी को भी है कि यहां पर कई दफा बिना नोटिस दिए चार्ज लगाए गए थे और अगर आपको रिफ्यूट करना हो रिफ्यूट कीजिएगा वह बात भी रेकार्ड पर आ जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह मैटर आया ही नहीं, मुख्य सचेतक जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें पावर्स हैं, उन्हें कहने दीजिए अपनी बात।

श्री उपाध्यक्ष : उनको रोका नहीं है। श्री अमीन खां। प्लीज, प्लीज। कब तक करेंगे। इसमें तथ्य नहीं है उन्होंने कहा कि मैं कल डाक्यूमेंट्स पेश करूंगा। अब किस बात की बहस है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब किस बात की बहस कर रहे हैं ? What is this point of order ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने कोई चार्ज नहीं लगाया। आप खुद इस बात को आब्जर्व कर रहे हैं, सही है। माननीय सदस्य ने कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखे हैं और उसमें उन्होंने बाका

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यदा खसरा नम्बर वगैरह दिए हैं और राज्य सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि यदि तथ्यों के प्रमाण में कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे

(8.53 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

यदि राज्य सरकार कार्यवाही करेगी या नहीं करेगी ? एक ऐसे माननीय जो सदस्य बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत जिम्मेदारी से बोलते हैं। उन्होंने कुछ तथ्यों को रखा है और तथ्यों के समर्थन में, तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वह दस्तावेज रखने को तैयार हैं तो राज्य सरकार को कमिट करना चाहिए या अगर आप कार्यवाही करेंगे क्योंकि तथ्य तो सामने आ गए हैं। उन्होंने बाकायदा खसरा नम्बर दिए हैं, खाता नम्बर दिया है, एक्सेसन दिया है। आप अनावश्यक उसको चार्ज की परिभाषा में मत लाइए, चार्ज लगाने को नीयत माननीय सदस्य की नहीं है। माननीय सदस्य ने गवर्नमेंट के सामने रिक्वेस्ट की है कि ये फैक्ट्स हैं अगर आप एक्शन लेंगे तो मैं सपोर्ट में कल डाक्यूमेंट पेश कर दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : यह आपने वकील साहब वकालत तो अच्छी की है।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : चार्ज क्या लगाया यह तो बतायें ? कोई चार्ज लगाया है क्या ? फिर क्या है ? फिर आप किस बात की बहस कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : सदन में व्यक्तिगत आरोप और स्पष्टीकरण के बारे में....

श्री अध्यक्ष : आरोप लगाया ही नहीं तो फिर बहस की क्या जरुरत है ? श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह अर्ज किया था कि इन्दिरा गांधी नहर एरिया में गरीब आदमी को जमीन, गरीब को गणेश मानकर चलने वाली सरकार अलाटमेंट करने में असमर्थता दिखा रही है लेकिन राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों के नाम से फोरेस्ट की जमीन अलाट हो चुकी है....

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री अमीन खां : मैंने नोटिस दिया इसलिए....

श्री अध्यक्ष : ना, ना कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री अमीन खां : मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और मैं कल उनके नाम का डाक्यूमेंट पेश कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 8.35 से 8.55 हो गए हैं और अभी तक खतम नहीं हुआ ?

श्री अमीन खां : हमारी सरकार नैतिकता बताती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही कर दे और अगर मेरी बात में गलत तथ्य चले जायं तो फिर गलत बात नहीं कहूंगा यह मेरी बात थी। यहां पर अपनी बात कितने दुःख के साथ कहते हैं। गरीब आदमी को जमीन सबसे पहले अलाट होनी चाहिए वह नहीं होती और बड़े-बड़े आदमियों को

(श्री अमीन खां)

एकदम फटाक से एक सैकण्ड में फोरेस्ट जैसी जमीन को कैंसिल करके फोरेस्ट की खतौनी से उसको चेंज करके एग्रीकल्चर लैण्ड मानकर उसको अलाट करा लेते हैं। दूसरी खातेदार या उसकी खातेदारी भी कैंसिल करके फिर वह खसरा नम्बर दूसरे मंत्री को अलाट कर दी जाती है। 5 मुरब्बा, 7 मुरब्बा, 20 मुरब्बा और 42 मुरब्बा-सुबह आपको यह रेकार्ड पेश कर दूंगा अगर उसमें सच्चाई हो तो ईमानदारी से कार्यवाही करवा दें और असत्य हो तो मैं इस सदन में आइन्दा कतई नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देश कृषि प्रधान देश है मांग संख्या 46 पर सब यह चाहते हैं कि इस प्रदेश को जो प्यासी धरती है उसे नहरों द्वारा सिंचित किया जाय। इस धरती पर करीबन 70 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। इस धरती से धन उपजाया जाता है। इस तरह से खानें और खेती की जमीन धन पैदा करने वाली हैं लेकिन आज जो हमारी अधिकांश धरती है वह प्यासी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध है कि इस सिंचाई की समस्या को प्राथमिकता देकर हल किया जाय। इस वर्ष भी बजट में केवल 1.8 प्रतिशत भाग इस सिंचाई पर रखा है वह बहुत कम है और यह प्रतिशत दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है, यह बड़ी चिन्ता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राणा प्रताप सागर बांध की डूब में आने वाले लोगों को, जो हम आज बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं, कोटा को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं लेकिन आज 25-30 साल के बाद भी उनको क्या दशा है वह हमारे सोचने का विषय है। आज वह लोग हमसे अलग-थलग पड़े हुए हैं। मेरा माननीय सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध है कि उनको जोड़ने वाली पेराफेरी रोड के ऊपर काम चलते हुए आज करीबन 25 साल हो गए फिर भी पूरी नहीं हो पाई। उसमें कई घोटाले हैं। उस रोड के नहीं बनने से डूब के अन्दर आने वाले लोग जो उसके किनारे किनारे बसे हुए हैं उन लोगों की दशा बहुत खराब है। आवागमन नहीं होने की वजह से बीमारी की हालत में अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं और तड़फ-तड़फ कर वहीं पर मर जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि उस रोड को जितना जल्दी हो सके कम्प्लीट करवाया जाय ताकि वह लोग हमारी दुनिया से जुड़ सकें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ अधूरे काम पड़े हुए हैं-जैसे रूपारेल और बूंसड़ा जिनके ऊपर पैसा काफी खर्च हो चुका है। रूपारेल पर 13 लाख रुपये से ऊपर खर्चा हो चुका है और बूंसड़ा के ऊपर 7 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और वह आज भी अधूरी हैं। इनको प्राथमिकता देकर पूरा किया जाय।

कुछ नये बांध जिनके बारे में मांग करता हूं जैसा कि उन विस्थापितों के लिए फलतू नदी है उसको बांधा जाय। उसके साथ ही खोकी नदी है और करेना बांध है

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

उनके बन्ध जाने से उन विस्थापितों को पानी का लाभ मिल सकेगा और खेती कर सकेंगे। साथ ही कुछ बांध ऐसे हैं जिनकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। जैसे वस्सी का ओराई बांध, ओराई बांध की हालत यह है कि जितना पानी उसमें भरा रहता है उसका चार गुना पानी ओवर फ्लो होकर के बह जाता है। उस पानी को अगर रोका जाए तो हमारे क्षेत्र के लिए और जिले के लिए वरदान होगा। साथ ही जहां-जहां लिफ्ट लगाने के मौके हैं वहां लिफ्ट लगाकर के इस पानी का पूरा उपयोग किया जाए।

एक सुझाव मेरा और है कि जहां लिफ्टें नहीं लग सकती, जहां नहरें नहीं पहुंचती वहां अगर सरकार स्वयं अपना ट्यूबवैल लगाकर के और नहरें निकालकर के उन लोगों को सिंचाई की सुविधा दे और सिंचाई का जो राजस्व है वह वसूल करे यह सरकार स्वयं व्यवस्था करें तब ही जाकर के उन काश्तकारों को इसका लाभ मिल सकता है। अगर जो कुछ पुराने बांध हैं उनकी मरम्मत की जाए, जैसे एक मान सरोवर बांध है उसमें से बहुत सा पानी बहकर के निकल जाता है, पाल टूटी हुई है, जीर्ण शीर्ण हो रही है, नहर की हालत भी बहुत खराब है तो उसकी मरम्मत की जाए। एक जो मंडेसरा बांध है उसकी भी क्षमता बढ़ाई जा सकती है इसलिए यदि कुछ पैसा इनकी क्षमता बढ़ाने के ऊपर रखा जाए तो आसानी से सिंचाई का लाभ मिल सकेगा।

मैं बहुत अधिक लम्बी-चौड़ी लिस्ट न देते हुए फिर से जोर लगाता हूं कि एक तो पैराफेरी रोड नम्बर एक, दूसरा, मानसरोवर बांध की मरम्मत, बंधा है छोटा सा, कोई ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा उसमें और तीसरा, क्षमता बढ़ाने के लिए ओराई बस्सी बांध और मंडेसरा, यह मेरे क्षेत्र में माननीय मन्त्री जी करें तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बाल चन्द आर्यवीर (अनुपस्थित) श्री हीरालाल आर्य।

(9.00 रात्रि)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, "प्राणीनाम् प्राणदा कृषि: सिंचन् कृषि जीवनम्" अर्थात् कृषि जीवन का सहारा है तथा सिंचाई कृषि का आधार है। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान प्रान्त में जहां के नागरिकों का मुख्य धन्धा कृषि है, या जहां कृषि से सम्बन्धित जो उपक्रम हैं, ऐसे प्रान्त के लिए कृषि को सफल बनाने के लिए सिंचाई उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है। जिस प्रकार की राजस्थान की परिस्थितियां हैं, यहां पर या तो अतिवृष्टि होती है जिससे फसलें नष्ट होती हैं या फिर अक्सर अकाल पड़ता है जिससे फसलें नष्ट हो जाती है और हमेशा अकाल की स्थिति बनी रहती है। जो कुछ भी हमारी सिंचाई की योजनाएं है, वृहत सिंचाई योजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं, अपने पास राजस्थान में अच्छी उन्नत जमीन होते हुए भी इन सारी योजनाओं से मात्र अभी तक केवल दस प्रतिशत के आस पास क्षेत्र को ही सिंचित कर पाए हैं इसलिए आवश्यक है कि प्रान्त को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जो भी

(श्री हीरालाल आर्य)

सरफेस वाटर हमारे पास उपलब्ध है या दूसरे प्रान्तों की जो नदी जल योजनाएं हैं उसमें हमारे प्रान्त का हिस्सा है उसको लाकर भी प्रान्त में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाएं। ताकि प्रान्त को सिंचाई के माध्यम से और खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल अपने कोटा की चम्बल सिंचाई परियोजना के बारे में ही अपने विचार सीमित रखना चाहूंगा। चम्बल की सिंचाई परियोजना हाड़ौती की एक महत्वपूर्ण सिंचाई और विद्युत परियोजना है। इस परियोजना से नहरों का निर्माण 1960 में हुआ और नहरें प्रारम्भ की गई थी। इससे कोटा बैराज से आर. एम. सी. और एल. एम. सी. दो नहरों से राजस्थान और मध्यप्रदेश का आधा-आधा क्षेत्र सिंचित होता है। उसमें राजस्थान में कोटा और बूंदी व बारां क्षेत्र की करीब 6 तहसीलें और सिंचित होती हैं। जब से नहरें खुली थीं इस क्षेत्र में नहरें ठीक तरह से नहीं होने से और जमीनें समतल नहीं होने की वजह से जो नहरी पानी का उपयोग था वह ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था और उत्पादन भी आशा के अनुरूप नहीं हो रहा था इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए फिर 1974 चम्बल सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई थी उसके माध्यम से कृषि, सिंचाई और राजस्व के जो मामले थे वह इनके अधीन करके इस क्षेत्र का ठीक तरह से विकास करने के लिए प्रयास किए गए जिससे नहरे ठीक प्रकार से निकाली गई थी ड्रेनें जहां पर क्योंकि कृषि जमीन ऊसर हो रही थी, ऊसर होने की वजह से खेत खराब हो रहे थे, पानी इकट्ठा होने की वजह से, उस ऊसर को समाप्त करने के लिए ड्रेने बनाई गयी थीं, सड़कों का अभाव था तो सड़कें बनाई गई थीं, ड्रेने नालियां और जो भी स्ट्रक्चर उन नहरों के री-माडलिंग के लिए जाने थे, पक्के स्ट्रक्चर बनाए जाने थे वह बनाए गए थे। इस से विश्व बैंक की एक योजना से और दो फेज में उस चम्बल सिंचित क्षेत्र का विकास किया जाना था। पहली योजना 1980 तक थी और उस योजना से उस क्षेत्र में जो कृषि के, सिंचाई के, वृक्षारोपण के सड़कों के भूमि के विकास के, समतलीकरण के आदि काम हुए थे, कंदराओं को रोकने के, वृक्षारोपण के उससे वास्तव में उस इलाके का समुचित विकास हुआ था और विश्व बैंक की जो स्कीम्स थीं और दूसरे प्रान्तों ने भी आकर उन स्कीम्स को देखा था तो निश्चित रूप से उस कार्य की बढ़ाई की थी और उस इलाके में विकास की प्रगति हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों, किस कारण से, मैं समझता हूं कि किसी राजनेताओं के स्वार्थ के कारण या मिली भगत के कारण इतनी बढ़िया योजनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। चम्बल सिंचित क्षेत्र के जो द्वितीय फेज का काम प्रारम्भ होने वाला था उस वजह से द्वितीय फेज के काम प्रारम्भ नहीं किए और तभी से कोटा, बूंदी, बारां में विकास का जो एक युग आया था वह वापिस अन्धकारमय हो गया और हजारों कर्मचारी वहां से निकाले गए और जो विकास के काम थे वह अवरुद्ध हो गए।

(श्री हीरालाल आर्य)

विश्व बैंक की बजाए उस योजना को राज्य प्लानिंग से शुरू किया गया और जो करोड़ो रुपया उस वक्त खर्च किया जाना था उसकी बजाए बहुत कम पैसा इस योजना में दिया जाने लगा जिससे इस क्षेत्र में जो काम होने चाहिए थे वह नहीं हो पाए। केवल मात्र द्वितीय फेज में केचमेंट का काम कराया गया। केचमेंट का काम कराने से जो जमीन का समतलीकरण था उस जमीन को समतल करके उसको दुबारा अलाटमेंट करने का काम था, जो पहले नहरें ठीक प्रकार से चल रही थीं और बाद में ड्रेनें बनाई गई थीं उसके बजाए फिर जो काम कराए गए उसमें इतना नहरों और ड्रेनों के निर्माण में इतनी खामियां रख दी गई कि जो एक अच्छी योजना केचमेंट के नाम से चलाई गई थी। उसका लाभ न मिलकर के उल्टे किसानों के ऊपर करोड़ों रुपए का बोझा लाद दिया गया और हालत यह हो गई कि पहले किसानों के खेत में ठीक प्रकार से पानी चलता था अब उल्टे पानी चलना बन्द हो गया। केचमेंट की जो असफलता थी उसकी वजह से किसानों के खेतों में वापिस ऊपर फैल गया, स्ट्रेक्चर्स टूट गए, ड्रेनें वापिस भर गई और नहरें क्षतिग्रस्त होने की वजह से किसानों को ठीक प्रकार से पानी नहीं मिलने से टेल क्षेत्र के किसानों को बार बार पानी की दिक्कत आने लगी और हालात यह हो गई कि करोड़ों रुपया फिर भी किसानों के ऊपर कर्जे के रह गए थे। तो किसानों ने इस केचमेंट के विषय को लेकर उस इलाके में आन्दोलन छेड़ा और किसानों ने केचमेंट का कर्जा माफ हो इसके लिए बड़े आन्दोलन किए और पिछली बार किसानों की बात को वाजिब मानकर, राज्यपाल महोदय के पिछले बजट अभिभाषण में किसानों के ऊपर जो केचमेंट का कर्जा था वह माफ करने की सरकार ने घोषणा की थी। लेकिन केवल माफ करने मात्र से ही काम नहीं चला अभी भी किसानों के सिर के ऊपर वह कर्जा लटका हुआ है। जब तक किसानों के खाते साफ नहीं होते हैं किसान न लोन ले सकता है, किसान न ट्रेक्टर खरीद सकता है, किसान न अपनी जमीन बेच सकता है। इसलिए जो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, ने केचमेंट की राशि माफ करने की घोषणा की थी अब उसको वास्तव में माफ करके किसानों के ऊपर जो ऋण लदा हुआ है, उसके खाते साफ करें ताकि किसान के ऊपर जो बहुत बड़ा बोझ अटका हुआ है उससे किसान राहत प्राप्त कर सके।

केचमेंट क्षेत्र में जो ड्रेनें और नहरें बनी थी, आज हालात यह है कि सी. ए. डी. टूटने के बाद उस इलाके की नहरें और ड्रेनों की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है। नहरें जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं, ड्रेनों में पानी भर गया है और पानी भरने से वापस खेत ऊसर हो रहे हैं और नहरें क्षतिग्रस्त होने से, उनकी मरम्मत नहीं होने से टेल क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ जो कुछ भी मेन्टीनेन्स का काम आता है उसका ठीक प्रकार से सदुपयोग नहीं होता। मेरे इलाके के क्षेत्र में पिछली बार जो भी विकास के काम थे, केवल टेण्डर हुए लेकिन किसी भी नहर और ड्रेन की न सफाई

272

(श्री हीरालाल आर्य)

हुई ना मरम्मत हुई । उल्टे जो वहां के अधिकारी हैं हमारे डिवीजन अन्ता पड़ता है, वहां के अधिकारी जाते हैं और केवल पैसा बटोर कर, वहां के ठेकेदारों से, वहां के छोटे कर्मचारियों से पैसा बटोर कर आ जाते हैं। इसका उदाहरण, पिछली बार वहां के अधिशाषी अभियंता इटावा गये और वहां के ए. ई.एन. को बुला कर जबरदस्ती उनसे मस्टर-रोल आदि छीन कर ले आये और बार बार यह मांग करते रहे कि मुझे पैसा दो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। काम तो शुरू किया ही नहीं बल्कि अधिकारी वहां पैसे बटोरने के लिये जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो वहां के अधिशाषी अभियंता हैं हमारे अन्ता डिवीजन के, उनके खिलाफ कार्यवाही करें और जांच करें कि क्यों वहां जा कर वहां के ए. ई.एन को जबरदस्ती रिलीव करके और वहां से भगाया....

(9.13 रात्रि)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति पदासीन)

दूसरा मेरा निवेदन है कि ड्रेनें और नहरें जो बनी थी उसका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिलने से किसानों में व्यापक असन्तोष है। इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि किसानों को उनकी नहरें और ड्रेनों का जो मुआवजा था वह चुकाया जाय । सी. ए. डी. का सेकिण्ड फेज समाप्त होने से आधे क्षेत्र में तो ड्रेनें बनीं लेकिन आधे क्षेत्र में काम नहीं हो सका इस प्रकार से मेरे सनाउदा, इटावा आदि सब डिवीजन है उसमें काम नहीं हुआ। भवानी पुरा, भगवानपुरा महुआ, खान पुरा, मोजायड़ी आदि में ड्रेनें अधूरी पड़ी हैं। वहां के किसान बार बार कहते हैं कि इस क्षेत्र में नहरों के सीपेज का पानी आने से हमारे खेत खराब हो रहे हैं इनमें ड्रेनें बनाइ जाय लेकिन बार बार उनके कहने के बावजूद भी मशीन भेज रहे हैं, मशीन भेज रहे हैं, का नाम लेते हैं। मशीन जाती है, वहां खड़ी रहती है उसका कोई उपयोग नहीं होता। इसी प्रकार से मेरे इलाके में सूकनी साइपन से पश्चिम की ओर बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हजारों बीघा गरीब किसानों की जमीन है। नहरें आने से पहले उस इलाके के क्षेत्र में सूकनी नामक स्थान में इतना अनाज पैदा होता था कि अकाल के वक्त भी उस इलाके में अन्न पैदा होता था लेकिन नहरों के और सीपेज की वजह से उस पूरे क्षेत्र में पानी भर गया है। इससे इटावा, डोली, झाड़ोल, रणोदिया, जटवाड़ा आदि गांवों के रास्ते अवरूद्ध हो गये हैं और पानी भरे होने की वजह से किसानों के खेत खराब हो गये हैं। मैं बार-बार इस बात को निवेदन करता आया हूं कि ड्रेन बना कर उस पानी को वहां से निकालें ताकि वहां के किसानों को राहत मिल सके। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सूकनी नामक स्थान पर शीघ्र ड्रेन बनाने के आदेश फरमा कर किसानों को राहत देने की कृपा करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचने की वजह से किसानों में

(श्री हीरालाल आर्य)

जो असन्तोष है उसको देखें और उस क्षेत्र में हमेशा पानी तो पहुंचता ही नहीं है नहरें क्षतिग्रस्त होने की वजह से लेकिन जो आंकड़े आते हैं वह आते हैं कि जितना वहां का सिंचित क्षेत्र था उससे अधिक क्षेत्र में हमने पानी पिलाया है। इस प्रकार के असत्य आंकड़े देकर मेरे इलाके के साथ हमेशा अन्याय किया जाता है मेरे इलाके की गेता, छापोल, लक्ष्मीपुरा आदि क्षेत्रों में इटावा ब्रान्च के क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचने से हमेशा किसान त्राहि-त्राहि करते हैं। कोई अधिकारी जाकर वहां देखता नहीं है और उसका जो नुकसान है वह किसानों को भुगतना पड़ता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी व्यवस्थाओं को चम्बल सिंचित क्षेत्र में देखने के लिये चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण बना हुआ है। जो वहां की व्यवस्थायें देखें, जन-प्रतिनिधियों को बुला कर उनसे विचार-विमर्श करें लेकिन चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण की जो तीन महीने में एक बैठक होनी चाहिए, हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी बैठक नहीं हुई है। इसलिए उसकी निश्चित समय पर बैठकें बुलाकर वहां के प्रबन्ध को ठीक किया जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चम्बल सिंचित क्षेत्र की जो सबसे बड़ी प्राब्लम है वह है, नहरी पानी का दुरुपयोग। पानी का किसान ठीक तरह से उपयोग नहीं करने से पानी ड्रेनों और नहरों में व्यर्थ बहता है। इसलिए उस क्षेत्र में पानी का सदुपयोग करें। जो पानी उपलब्ध है उसका अधिक से अधिक उपयोग हो। किसान को पानी मिले, टेल क्षेत्र में पानी पहुंचे, किसान पानी के मामले को लेकर लड़ाई-झगड़ा नहीं करे। इसके लिये बाराबन्दी योजना लागू है, माननीय मंत्री महोदय, लेकिन पूरे चम्बल सिंचित क्षेत्र में एक भी चक में बाराबन्दी लागू नहीं की गई है जबकि बाराबन्दी ठीक तरह से काम करें इसके लिये वहां पर 70 के करीब पटवारी कार्यरत हैं और हर साल 17 लाख रुपये बाराबन्दी के नाम पर खर्च किये जाते हैं। लेकिन आज दिन तक एक भी चक में बाराबन्दी लागू नहीं की गई है। हर साल लाखों रुपया बाराबन्दी के नाम से खर्च किया जाता है। माननीय सभापति महोदय ... (व्यवधान) यह बात सही है कि दूसरे क्षेत्र में जहां पानी नहीं है वहां पर सिंचाई में दिक्कत हो सकती है लेकिन हमारे कोटा और बूंदी क्षेत्र में कई नदियां हैं जिनमें बारहों महीने पानी बहता है। और वह पानी बेकार बहकर दूसरे प्रान्तों में चला जाता है और इन सिंचाई के पण्डितों के अनुसार इन नदी-नालों का जो जल भण्डार है वह 103 टी. एम. सी. थाऊजेंड मिलियन क्यूबिक फिट इनमें पानी है। जिसका उपयोग लिफ्ट करके सिंचाई हेतु उपयोग किया जा सकता है। मेरी पीपल्दा तहसील में पांच नदियां बहती हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र के लोग इसे छोटा पंजाब कहते हैं। चम्बल, कालीसिन्ध, पार्वती, बाण गंगा और खाड़ी। उन नदियों में इतना पानी है कि उनको लिफ्ट करके सिंचाई के लिये उनका उपयोग किया जा सकता है। कहने के नाम पर सिंचाई विभाग के अधिकारी यह कह कर कि आपका क्षेत्र कमाण्ड एरिये के अन्दर आता है लेकिन मेरे क्षेत्र का जो टोटल एरिया है उससे केवल आधा

(श्री हीरालाल आर्य)

क्षेत्र में अभी चम्बल की नहरों से सिंचाई होती है और 27 गांव ऐसे हैं जो अन-कमाण्ड डिक्लेयर्ड हैं। मैं चाहूंगा कि जो नदियां है वहां पर उनमें पर्याप्त पानी है, अथाह भण्डार है। उसमें बिना एनीकट बनाये वहां से पानी लिफ्ट करके जो अन-कमाण्ड क्षेत्र हैं उसमें पानी पिलाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि लिफ्ट सिंचाई का जो सब डिवीजन है, वैसे इस साल सिंचाई के ऊपर विशेष ध्यान देकर जो सर्वे अनुसंधान के कार्यालय बेकार पड़े थे उनको लिफ्ट सिंचाई में परिवर्तन करके बहुत बड़ा काम किया है जिससे उस क्षेत्र का विकास होगा और लोगों ने इस विचार का स्वागत किया है कि लिफ्ट सिंचाई योजना का सब डिवीजन जो जगह-जगह खोला है उस इलाके का किसानों ने बड़ा स्वागत किया है। लेकिन कोटा जिले में एक भी सबडिवीजन लिफ्ट का नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा जिले के साथ बहुत बड़ा अन्याय है इसलिए मेरे जिले में भी लिफ्ट सिंचाई का एक सब डिवीजन खोला जाय। वहां चम्बल कॉलोनी में जो बिल्डिंग्स हैं और रख रखाव के अभाव में वह समाप्त हो रही हैं....

श्री सभापति : कोटा जिले में या इटावा में।

श्री हीरालाल आर्य : इटावा में, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि दो सब डिवीजन एल. ओ. टी. सी. के नाम से सी.ए.डी. में कायम किये हैं। एल.ओ.टी.सी. में कोई काम नहीं बचे हैं। उनमें से एक सब-डिवीजन मेरे क्षेत्र इटावा में लिफ्ट सिंचाई का खोलने की कृपा करें तो निश्चित रूप से उस इलाके का विकास हो सकेगा। इसके अलावा चाटन सिंचाई परि-योजना जो एक मध्यम सिंचाई परियोजना है, आठवीं पंच वर्षीय योजना में इस चाटन सिंचित क्षेत्र, मध्यम सिंचाई परियोजना को लिया हुआ है। लेकिन इसमें दो छोटे आक्षेप लगा कर इस परियोजना को शुरू नहीं किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वन विभाग का जो आक्षेप है उसको और राजस्व विभाग के आक्षेप को दूर करके मेरा जो नायब तहसील इन्द्रगढ़ है उसके तीस गांवों में चाटन सिंचाई परियोजना से सिंचाई होगी इसलिए इसको स्वीकृति दिलाने की कृपा करें।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री हीरालाल आर्य : चम्बल की दाईं मुख्य नहर से लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें बनें इसलिए सी. डबल्यू. सी. उस इलाके की कई योजनायें वहां विचाराधीन हैं। उसमें से अभी पिछली बार गणेश गंज लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया था और कई अधिकारी और मंत्री महोदय वहां पधारे थे 30 गांवों की करीब 50 हजार बीघा में पहली बार पानी पहुंचा है और किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। इसी प्रकार से दाईं मुख्य नहर के दाईं तरफ रकसपुरा लिफ्ट स्कीम के नाम से स्कीम राज्य सर-कार के पास विचाराधीन है जो ब्लाक

(श्री हीरालाल आर्य)

13-14-15 के नाम से है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 13-14-15 जो लिफ्ट स्कीम है रकसपुरा लिफ्ट के नाम से, इसको मंजूरी देकर जिससे 25-30 गांवों में किसानों की हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकेगी, उसके लिए भी राशि प्रदान करें। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(9.20 रात्रि)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम प्रसाद लड्ढा (अनुपस्थित)

माननीय लक्ष्मीचन्द मेहता। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 पर मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उसके बारे में मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांचोर, एक समय था कि धरती सोना उगलती थी, पानी काश्त करने की जरूरत नहीं थी, फेंकने से गेहूं पैदा होता था मगर जब से कांग्रेस का शासन आया, "ज्यों ज्यों पांव पड़े सन्तन के, त्यों-त्यों बंटाधार" वहां बबूल खड़े हो गये। संयोगवश 1977 में हमारी तहसील का भाग जागा। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री बने जब राजस्थान में जनता की सरकार बनी और उन्होंने इस प्रश्न को हाथ में लिया। नर्मदा प्रोजेक्ट के कार्य को हाथ में लिया। उस कार्य को चालू कराया, ढाई साल शासन में रहे, कार्य प्रगति पर रहा और ज्यों ही शासन बदला, वापस वो का वो हाल। फाइलों पर रेत चढ़ गई और उसका हाल यही हुआ कि उसके पश्चात् पुनः राजस्थान के अन्दर साझा सरकार को राजस्थान में बनी, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मन्त्री बने जिन्होंने नर्मदा परियोजना के कार्य को हाथ में लेकर विदेशी सहायता के लिए भारत सरकार लिखा और उसके परिणाम स्वरूप उस राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने राजस्थान की सरकार की तरफ से भारत सरकार पर दबाव डाला और उसका परिणाम यह हुआ कि दिनांक 4-10-91 को योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा परियोजना की रिपोर्ट स्वीकृत की गई है और तदुपरान्त भारत सरकार ने विश्व बैंक को परियोजना के निर्माण हेतु सहायता के लिए पाइप लाइन में सम्मिलित करने के लिए निवेदन कर दिया है। मैं इसके लिए राज्य सरकार को बधाई दूंगा। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि गुजरात की सरकार ने राजस्थान की सरकार को लिखा है कि नर्मदा परियोजना का कार्य सन् 1997 तक पूर्ण कर देंगे और राजस्थान की सरकार इस कार्य को करने के लिए तैयार रहे। इसलिए मैं माननीय सिंचाई मन्त्रीजी को, जो हमारे इलाके से सांसद भी रह चुके हैं, जिन्होंने भारत के पूर्व गृह मन्त्री श्री बूटासिंह जी को हराया था, जिन्हें एक-एक जमीन, एक-एक इंच में हमने घुमाया है जिनको, वे आज हमारे

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

सिचाई मन्त्री बने हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जब राजस्थान की सरकार को सन् 1997 तक तैयार रहने के लिए गुजरात की सरकार ने कहा है, मैं माननीय सिचाई मन्त्री जी से कहूंगा कि मेरे तहसील के 77 गांवों की जमीन सिंचाई में आयेगी, उन काश्तकारों के कम्पनपेशन के क्लेम तैयार करवा दें, सर्वे करवा दें, कौन-कौनसी लाइन, जो प्रीलिमिनरी कार्य हैं, ऐसे कार्य करने में भी कम से कम 3–4 साल लगेंगे। इसलिए मैं माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय खोलकर यह सब प्राइमरी कार्यवाही को पूर्ण करें।

इसके साथ ही साथ मैं एक नई चीज आपके सामने लाना चाहता हूं, कडाना डेम का कार्य। राजस्थान के पूर्व मुख्य मन्त्री स्वर्गीय सुखाड़िया जी थे और उन्होंने गुजरात के मुख्य मन्त्री से बात कर कडाना डेम का पानी राजस्थान की जनता को, जालौर जिले की जनता को देने का एक एग्रीमेंट किया था मगर सुखाड़िया जी संसार में नहीं रहे, हमारे बीच में नहीं रहे, वह योजना खटाई में पड़ गई है, उस पर रेत चढ़ गई है। हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। और हमारे पूर्व मुख्य मन्त्री माननीय हरिदेव जी जोशी और माननीय शिवचरण जी माथुर ने उस पानी का उपयोग करके हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया है अतः मैं सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि पुनः कडाना बांध के कार्य का सर्वे करवाया जाय, उन कागजों को निकाला जाय, वे कागज कहां पर अटके हुए हैं और उसमें क्या प्रगति है?

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के मामलों में मेरे क्षेत्र में 22 बंधे-बधे हुए थे। कांग्रेस के शासन में और इस प्रकार के बंधे हुए थे। इस साल, गत साल फ्लड आई और सब बंधे टूट गये। इन बांधो के टूटने के परिणाम स्वरूप कई गांवों में भयंकर नुकसान हुआ था, क्योंकि बांध राजनैतिक दृष्टि से बांधे गये थे, जमीन को तोड़ा गया और इडीकैट बंधों से गांव के गांव जैसे पालड़ी, हरियाली गांव के गांव चपेट में आ गये और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और मैं राजस्थान की सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य को हाथ में ले, टूटे हुए बांधों को पुनः दुरस्त करवावें। जो इंडीकेट के कारण नुकसान हुआ, ऐसा न हो। आने वाले समय में निश्चित रूप से बारिश होगी फसल होगी क्योंकि इस साल बारिश न होने का कारण ही यही था कि सत्ता में कांग्रेस केन्द्र में चली गई और कांग्रेस जहां जाती है वहां अकाल ही अकाल होता है। अतः हम आशा रखते हैं कि हमारी सरकार प्रांत में है और पुनः बारिश की आशा है और आवेगी इसलिए बांधों को बांधा जाय।

मैं एक उदाहरण आपके सामने और देना चाहता हूं, मैं अनुशासित आदमी हूं आपके इशारे की तरफ ध्यान रखना पड़ता है। मर्यादा में रहता हूं उसके साथ साथ जब सदन में इस प्रकार की व्यवस्था अच्छे अच्छे आदमी बनाये रखते हैं मगर मैं मर्यादित होते के नाते एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक बांध का काम आपने शुरू करवाया है सिंचाई विभाग में नलगड़ा के पास, कांट्रेक्ट पर दिया। 10 साल से

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

एक ही ए. ई. एन. वहां लगा हुआ है जो 10 साल से वहां रहता है। उसके कारनामों की अगर जांच कराई जाय, छानबीन की जाय तो आप यह आश्चर्य करोगे कि जब फ्लड आई. उन दिनों का भुगतान फ्लड के अन्दर नये इलाके के अन्दर कोई जा नहीं सकता, उस समय के मस्टररोल भरे गये हैं किसानों के नाम से और फर्जी मस्टररोल का भुगतान उठाने की कोशिश की गई थी वहां का विधायक मैं था, मैं सचेत था मैंने कहा 3 तारीख को फ्लड आई और 7 तारीख को कैसे आपका किसान, मजदूर काम कर सकता है; मैंने उस पेमेंट को रूकवाया। ऐसा ए. ई. एन. लगा हुआ है और बंध का काम उन्होंने ठेके पर करवाया है, अभी बांध बना हुआ है उस पर 6 लाख का ठेका था और अभी आप मौके पर जाकर देखो तो एक लाख रुपये का भी काम नहीं हुआ और 6 लाख का भुगतान होने जा रहा है। इसकी कम्प्लेंट की गई। इसलिए सिचाई मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपने उस क्षेत्र को देखा है और विशेष रूप से हमारा आप पर पूर्णतः अधिकार है क्योंकि हमने पूरी ताकत के साथ भारत के पूर्व गृह मन्त्री को हराकर आपको विजयी बनाया था और आज सत्ता में बैठे हैं। इसलिए हमारा अधिकार आप पर बनता है। कार्य क्षेत्र की तरफ, लक्ष्यों की तरफ ध्यान रखें और ज्यादा समय नहीं लेता हुआ इन्हीं बातों के साथ कहता हुआ बंधे की रिपोर्ट रखें और अधिशाषी अभियन्ता का आफिस सिचाई विभाग का मुकर्रर करें ताकि जो गुजरात की सरकार 1997 तक कार्य को पूरा करेगी उससे पहले अपना प्रीलिमिनरी कार्य पूरा हो जाय किसानों को भुगतान हो जाय ताकि समय की बरबादी न हो, देश के पैसे की बरबादी न हो जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा, समय सीमा का ध्यान रखें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : आदेश हो तो बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नां, प्रारम्भ कीजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : आप दो दिन डिमाण्ड के लिए रख लीजिये लेकिन ढंग से बोलने दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के पास कहने के अलावा है ही क्या... (व्यवधान) कहने तो दिया करें।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सिचाई सम्बन्धी डिमांड्स पर चर्चा हो रही है। काफी अहम मसला है। यह राजस्थान से ही जुड़ा हुआ मसला नहीं है। यह अन्तर्राज्यीय मामले भी राजस्थान से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। चम्बल हो, माही हो, इन्दिरा गांधी कैनाल हो, रावी-व्यास का पानी हो, हमने क्या लिया और क्या दिया? मैं इस बारे में बात नहीं कहना चाहता। जितना मुझे ध्यान है माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मन्त्री बने, ढाई साल पहले भी राज किया था, दुबारा बड़े जोश-खरोश

278

(श्री रामनारायण वर्मा)

के आये और भ्रष्टाचार खत्म करने आये थे, राजस्थान की जनता को काम देने आये थे या खेत को पानी देने आए थे, यह तो आज दिन तक पता नहीं चल पाया। हमने सुना कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करने आया हूं। आज भ्रष्टाचार के नाम सुनते ही सारे मन्त्री चुप हो जाते हैं। पानी की बात कर लीजिए। कौनसा बांध नया बनाया है इन्होंने ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है हो सकता है दिमाग में कोई बात बैठती नहीं हो। जैसे बिजली एक मेगावाट पैदा नहीं की और कनेक्शन दे रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री) : यह बिजली की मांग थोड़े ही है।

श्री रामनारायण वर्मा : मंत्री जी, मन्त्रियों को थोड़ा ढंग से बोलना चाहिए आप समझदार हैं। यह हालत जब राजस्थान की है, यह राजस्थान का दुर्भाग्य है, आप बोल रहे हो (व्यवधान) यह आपके देखने की बात है। मैं इतनी ही बात कह रहा हूं कि राजस्थान में जब तक यह राज चलेगा, राजस्थान बर्बाद होता जायेगा। जिस दिन यह राज खत्म हो जायेगा राजस्थान के ठीक दिन आ जायेंगे। माननीय सिंचाई मन्त्री जी यहां बैठे है, थोड़ा ढंग से काम करने की सोच रहे हैं, कितना करते हैं यह बाद में देखेंगे। अभी तक तो डिप्टी मिनिस्टर साहब, अभी तो आप कबिनेट मिनिस्टर की बात सुन लीजिए, थोड़ा दडबे में रहिए आपका प्रमोशन बाद में करा देंगे। (व्यवधान) आप इन सत्ता पक्ष वालों को कहिए। मैं निवेदन कर रहा था शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार की बात कही हमें कागज दो, हमें कागज दो....

श्री उपाध्यक्ष : इसे क्यों रिओपन कर रहे हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं तो आपको एक बात बताता हूं उपाध्यक्ष जी, आप कमेंट मत कीजिए। रेवेन्यू अपीलेंट अथोरिटी, बीकानेर, आपका राज आया है माननीय इंदिरा गांधी नहर मन्त्री जी, तब से उसमें कितने पैसा फैसले दिये हैं, उन पैसों फैसलों का ही विवेचन करा दीजिए आपको करोड़ों रुपयों का घोटाला मिल जायेगा। न मिले तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा अभी तो विधान सभा का सत्र चल रहा है। बीकमपुर में कितनी जमीन अलोट हुई है ? लाखों रुए के वारे-न्यारे हुए कि नहीं, आप देख लीजिए। मैं नहीं कहता कि नहर में कोई पैसा खा रहा है, मैं नहीं कहता इंजीनियर 5 पर्सेन्ट की जगह 50 पर्सेन्ट खा रहा है। आप भ्रष्टाचार का उदाहरण लें। आप सब लोग यहां बैठे हैं। बून्दी जिले का नारायणपुर बांध है उसकी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख लीजिए। एक-तीन का रेसियों मिट्टी-डालने का था जो पांच का कर दिया। लाखों रुपयों का पेमेन्ट कर दिया उसकी भी कोई बात नहीं। खा गए, आपके अफसर हैं, क्यों खा रहे हैं, आप क्यों नहीं उनसे उगल रहे हैं, यह तो आप जानें। बाकी इतना जरूर है कि बंधे की कैपेसिटी कम है, ब्लेंकेट बिछाई जाय। ब्लेंकेट का

(श्री रामनारायण वर्मा)

नाम शायद कम्बल होता है, किसी ने कहा कि कम्बल बिछाया जा रहा है । उस बांध की भराव क्षमता कम करने के लिए मिट्टी डाल रहे हैं । मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, माननीय सिंचाई मन्त्री जी ? आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो लेकिन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप आसन को सम्बोधित करके कहिए डाइरेक्ट नहीं।

श्री रामनारायण वर्मा : आप मुझे ही क्यों इतना कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था नहीं है कि आप सीधा कहें । आप सीधा मन्त्री जी को न कहिए, आसन की मार्फत कहिए आप ।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी को कहना चाहूंगा कि वो ब्लेंकेट क्यों बिछाई जा रही है ? बंधे में कोई कम्पोजिंग नहीं की थी, कोई दवाब नहीं डाला गया, पानी नहीं चलाया गया, बंधे की दीवारें बहुत कमजोर हैं । दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य किसी बंधे की बात कह रहे थे कि बंधा टूट गया । आपने क्यों नहीं जांच की ? नारायणपुर बांध आज टूटता है या 10 साल में टूटता है, वो निश्चित टूटेगा । बांध टूटेगा उसके बाद क्या इंक्वायरी होगी । आप देख लीजिए ओवर पेमेन्ट क्यों हुआ, ब्लेंकेट क्यों बिछाई जा रही है ? इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि एक नहीं, 50 ऐसे मामले हैं जिनमें आप अपनी इन्टेलीजेंस भेजें आपकी कोई विजिलेंस भेजें मैं बताऊंगा आपके सिंचाई विभाग, बूंदी में क्या हो रहा है । ओवर पेमेन्ट की बात ही नहीं है । किस तरह के डुप्लीकेट सामान खरीदे जा रहे हैं और असली के पेमेण्ट किए जा रहे हैं । और आपके सिंचाई विभाग की क्षमता की तो मैं नहीं कह सकता, आप मन्त्री थे उसके पहले की बात है या बाद की बात है, उसकी मुझे जानकारी मिली है । राजस्थान में काफी ए.ईएन. की पोस्टें खाली है आप विभाग में स्फूर्ति लाना चाहते हैं । मुझे यह भी पता चला है कि आपके विभाग में एक प्रपोजल आया कि जे.ई.एन्स. को एन.ई.एन. की पोस्ट दीजिए । माननीय उपाध्यक्ष जी, बी.बी.एल. माथुर जब चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, मुझे यह बताते हुए तकलीफ है मेरे एरिया के अन्दर कोई ए.ई.एन. नहीं था । मुझे पता चला कि उस ए.ई.एन. का पोस्टिंग होगा जो किसी मन्त्री जी से मिले, इरिगेशन मिनिस्टर से मिले, डिप्टी मिनिस्टर से मिले या किसी और से मिले, पोस्टिंग नहीं हुआ । विभाग में एक अफसर बैठते हैं टेक्नीकल असिस्टेण्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी समझ गए होंगे चीफ इंजीनियर ऑफिस में, उसके माध्यम से फाइल मूव हो । मैंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि मेरे यहां इसलिए पोस्टिंग नहीं हो रही है कि पैसे की बात हो रही है । बड़े खेद की बात है साल भर के बाद आज दिन तक ए.ई.एन. का पोस्टिंग नहीं हुआ । क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोई एन.ई.एन. आपसे मिला नहीं, कोई ए.ई.एन. टेक्नीकल असिस्टेंट के माध्यम से मिला नहीं और तो और आपका राज आने के बाद में मरे हुए आदमी के नाम पेटेन्ट हुआ

280

(श्री रामनारायण वर्मा)

और मरे हुए आदमी का पेमेन्ट होने के बाद उस अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, एक सस्पेण्ड नहीं हुआ। रेकार्ड में आ गया, जांच हो गई कि मरे हुए आदमी का पेमेन्ट हुआ है, क्यों नहीं आपने जांच की ? मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि वो प्रपोजल चला वह कितना सही है कितना गलत है, यह माननीय सिंचाई मन्त्री जी को मालूम होगा। 100 ए.ई.एन, जे.ई.एन से प्रमोट कर दिए जाए। 100 जे.ई.एन. की पोस्टें भी सरेण्डर कर दें ताकि राजस्थान का काम सही हो। ए.ई.एन. टेक्नीकल आदमी मिले, काम हो। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री जी कुछ करना चाहते हैं, अपने जबाव में बताएं राजस्थान विधान सभा को कि ऐसा प्रपोजल है। आप पैसा बचाने की बात करते हैं आपको 100 जे.ई.एन. की पोस्टें डिपार्टमेण्ट सरेण्डर कर रहा है। आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं ? यदि फाइल निकल गई हो तो कोई बात नहीं। यदि फाइल नहीं निकली हो तो फाइल कब तक निकल जायेगी ? क्या फाइल चीफ सेक्रेटरी के पास, क्या वो फाइल फाइनेंस सेक्रेटरी के पास, इरिगेशन सेक्रेटरी के पास, मन्त्री के पास या चीफ मिनिस्टर के पास डोलती रहेगी ? इन सारी बातों के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा।

आपके चम्बल नदी है, बड़ा दुर्भाग्य है मुख्य मन्त्रीजी बार-बार कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे, हम रिवीजन करेंगे, कितने पानी के लिए ? आधा मिलियन एकड़ पानी के लिए, सवा एकड़ मिलियन पानी के लिए ? और बीच में कोई मसला उठाता, हम नहीं जायेंगे सुप्रीम कोर्ट में, हमारा तो यह कर दो। चम्बल में आज की तारीख में 15 मिलियन एकड़ फिट पानी मध्य प्रदेश में बहकर जा रहा है। मध्यप्रदेश लिफ्ट योजनायें बना रहा है, उत्तरप्रदेश बांध बना रहा है, उस पानी का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है राजस्थान में ऐसी सरकार है, ऐसे लोग शासन में बैठे हुए हैं। भारत सरकार का कृषि मन्त्री उनियारा में 10 हजार आदमियों के सामने कहता है कि चम्बल का पानी जयपुर को पीने को दो। भारत सरकार पैसा देगी, ऑन रेकार्ड है लेकिन बड़े खेद की बात है कि आज दिन तक उसका प्रपोजल भारत सरकार के पास नहीं गया। 658 गांव टोंक जिले और बूंदी जिले के जो सिंचाई के लिए चयनित किए गए थे, 215 गांव रख दिए हैं। उन किसानों का गला किसने काटा, कांग्रेस ने काटा या इस सरकार ने काटा ? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष जी, ये ए.ई.एन. को पीटकर गर्व लाने की बात छोड़ दीजिए और हमारी बात सुन लीजिए। आपके मन्त्री जवाब दे देंगे, मन्त्री बैठे हैं, इनसे बड़े नहीं हो, इनको सिखाओ मत। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि चम्बल का पानी जयपुर में आये उसके बाद बीसलपुर का पानी कहां जाये। बीसलपुर में इतना पानी नहीं है। राजस्थान का, देश का अरबों रुपया जो खर्च किया जा रहा है जयपुर में पानी देने के लिए वो पैसा बर्बाद जायेगा। बीसलपुर नदी और बनास नदी दो शाही नदी है। दो महीने बरसात आती है, 2 महीने यदि किसी साल बरसात नहीं आयी और बंधा नहीं भरा तो आप जयपुर

(श्री रामनारायण वर्मा)

को पानी कहां से देंगे ? माननीय उपाध्यक्ष जी, सिंचाई मन्त्री जी इस बात को नोट करें जयपुर को पानी देने के लिए तो आप पहले जोड़ रहें हो, 1200 गांवों को पीने का पानी देने की बात कर रहे हो, अरबों रुपया आप खर्च करने की बात कर रहे हो। यदि एक साल बंधे में पानी नहीं आया तो जयपुर को पानी कहां से दोगे, जयपुर राजस्थान की राजधानी है।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सदस्य, यह योजना किसने बनाई ? यह बीसलपुर वाली योजना किसने बनाई।

श्री रामनारायण वर्मा : 30 वर्ष में जयपुर की पोपुलेशन एक करोड़ की हो जायेगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जयपुर वालों को आप लालीपोप दे रहे हैं कि हम बीसलपुर का पानी देंगे, बीसलपुर का पानी देंगे, लेकिन 215 गांवों को आप रख रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष जी, सिंचाई मन्त्री जी इस बात को जानते हैं, सिंचाई मन्त्री गरीबों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई का पानी किसानों को मिले, पीने का पानी चम्बल से जयपुर को मिले, भारत सरकार इसमें पैसा दे। आप जल्दी से इस बात का प्रपोजल भेजिए और जो 15 मिलियन एकड़ फुट पानी हमारा वेस्ट जा रहा है, उसमें से हमारा जो अधिकार समाप्त होता रहा है। कल को फिर कोई सरकार आये और कहे कि हम तो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जायेंगे, अन्तर्राज्यीय मामला बना देंगे तो उसको अन्तर्राज्यीय मामला बनने क्यों दे रहे हो आप ? बात बहुत है कहने को एक नहीं, अनेक हैं। सुनने का लोगों में मादा नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, नवम्बर में अकाल राहत के काम चलते थे। आपके पास पैसा नहीं हो, यह हम मानते हैं। लेकिन आप और हम सब लोग कहते हैं कि अकाल के स्थायी काम हों। आज हर जिले में चार या पांच बांध ऐसे पड़े हुए हैं जिनको आप पैसा नहीं दे सकते। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को आप पैसा नहीं दे सकते। आप कृपा करके किसी तरह से, माननीय सिंचाई मन्त्रीजी, मन्त्रिमण्डल में निर्णय लें। जो जो बांध पब्लिक यूटिलिटी के हैं जैसे बूंदी जिले के बारे में आपको एक बात बताऊं। बूंदी तहसील में जावरा बांध है, हिण्डौली तहसील में विषधारी बांध है, नैनवां में बांके का नया गांव बांध है, इस तरह के जो डैम्स आपके पड़े हुए हैं, आप अकालग्रस्त घोषित मत कीजिए। 540 करोड़ रुपये जो आपके बचे हुए हैं उन पर आप कुण्डली मार कर बैठिये पर दस-बीस करोड़ रुपये इन बांधों पर आप खर्च कीजिए ताकि आगे थोड़ी बढ़ोतरी मिले और मीडियम इरिगेशन पर, जो आपको पैसा खर्च करना है उससे थोड़ी राहत मिले। राजस्थान में पानी की कमी है, भूमि का जल गहरा होता जा रहा है। आप सिंचाई के काम कम से कम अकाल का अभी प्रारम्भ कर दें, इसको आप प्रेस्टिज मत बनाइये। प्रेस्टिज बना कर हम कब चालू करेंगे जब पब्लिक हमारे पास आयेगी, हम उसके ऊपर अहसान करेंगे। अहसान का मामला नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, इस बात को सिंचाई मन्त्रीजी जानते हैं, यदि आप गरीबों के हितैषी हैं, मन्त्रिमण्डल में आप एफिसियेन्ट मिनिस्टर माने जाते हैं,

(श्री रामनारायण वर्मा)

अखबारों में भी हम पढ़ते हैं कि मुख्य मन्त्री जी आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी देते हैं, आप मुख्यमन्त्री को समझाइये। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चालू कीजिए ताकि जनता में आपकी भी साख जमे, प्रजातंत्र की साख जमे और गरीबों का भला हो। मैं कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : चलिये, और कर दीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं खुद भी आज ज्यादा टाईम नहीं लूंगा। बीसलपुर का सर्वे सन् 1958 में हुआ था। बीसलपुर के सर्वे करने वाले इंजीनियर ने जिसने रिपोर्ट बनाई है, वह 1967-68 में हुई थी.... (व्यवधान) आप उम्र में छोटे हैं, दड़वे में रहिये। आप थोड़ा भैरोंसिंह जी से बात करके बताइये कि किससे बात कर रहे हैं आप। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, बीसलपुर प्रोजेक्ट किसने बनाया है, यह बात आपके सामने मैं बता रहा हूं। कांग्रेस के जमाने की बात है, चम्बल इरिगेशन प्रोजेक्ट बना। सन् 60-61 में पानी मिला। 60-61 में पानी आने के बाद में चम्बल की नहरों का ऐसा कोई मॉडर्नाइजेशन का काम नहीं हुआ, ऐसा कोई उसमें प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया कि नहरों की दशा ठीक हो, हर साल भर पानी की किल्लत होती है। माननीय सीएडी मिनिस्टर महोदय बैठे हैं, इस बारे में ऑफिसर्स ने आपको लिखकर दिया है कि उस टाईम कुछ काम चूने के हो गये थे, वह स्ट्रक्चर कभी भी टूट सकते हैं, नहर आगे सवाई माधोपुर तक जाने वाली थी उसमें एक तरफ आठ फीट मिट्टी बची हुई है, आठ फीट मिट्टी आप अकाल में या किसी भी तरह से निकलवाइये चूने के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको तोड़ कर थोड़ा पक्का स्ट्रक्चर बनाइये, किसी दिन यदि आपकी नहर टूट गई और आप इमीजियेट कोई काम नहीं कर पाये तो लोगों में त्राहि-त्राहि मच जायेगी, बड़ी बुरी हालत हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी, जो बूंदी क्षेत्र से आये हुए हैं, उनका भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप राजस्थान सरकार में बहुत अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, आप भी इस बात को थोड़ा सा प्रेसराइज कीजिए। हम सब लोग मिल कर करें और यदि किसी कैनाल को आप ठीक नहीं करा सकें तो बूंदी ब्रांच कैनाल, जो कंटूर कैनाल है, उसको तो आप कम से कम ठीक कराओ, उसके मार्डनाईजेशन का प्रोजेक्ट बनवाओ। जहां से भी जितना पैसा मिले, आप इकट्ठा पैसा मत खर्च कीजिए, फेसेज में आप पैसा खर्च कीजिए। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भगवान के लिए आप कुछ तो करिये। आप बिजली नहीं पैदा करते, आप इरिगेशन का कुछ नहीं करते, जो एग्जिस्टिंग आपके प्रोजेक्ट हैं, एग्जिस्टिंग जो नहरें हैं, भगवान के लिए काश्तकारों के लिए, भले ही आपके पास दो-चार सौ, जिस तरह से हू का हूं करते हैं, डाल में जिस तरह से लोग करते हैं, वह कूदते हैं इधर से उधर, पुराने हमारे बाबा आदम के टाईम के, उस तरह से आपके लोगों को करवाइये लेकिन कम से कम भगवान के लिए उनका थोड़ा बहुत काम कर दीजिए ताकि जनता यह सुने कि और कुछ नहीं तो उन्होंने नहरें तो ठीक की। यह सारी हालत है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहने को— (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, लास्ट में बोलने वाले को ज्यादा समय देने की आसन की व्यवस्था है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जिस समय इनका बोलने का टाइम था उस समय भी बाहर थे फिर भी बुलाया ।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष जी हमारे, एक–दूसरे का हमारा समझौता हुआ है....

श्री बुलाकी दास कल्ला : बोलने दो श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले भी नाम आया, नहीं, बोलने की सीमा होती है ।

श्री परसादी लाल मीणा : कभी-कभी तो बोलते हैं ।

श्री रामनारायण वर्मा : हमारे समझौता हो रहा है....

श्री परसादी लाल मीणा : हाड़ौती क्षेत्र से बड़ी मुश्किल से हमारी पार्टी के एक-दो जीत कर आये हैं उनको भी मत बोलने दो आप ।

श्री उपाध्यक्ष : ना, बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं ।

श्री मदन दिलावर : अब की बार यह भी नहीं आयेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वर्मा जी, प्लीज, थोड़ा जल्दी करिये ।

श्री रामनारायण वर्मा : बिलकुल । आसन जो आदेश देगा वह मान्य है ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन नहीं है, प्लीज ।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है....

श्री परसादी लाल मीणा : कल्ला जी का टाईम दे दो ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं किसी का टाईम नहीं दूंगा ।

श्री रामानारायण वर्मा : सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि हम लोग कुछ चाहते हैं, जनता कुछ चाहती है, चुने हुए प्रतिनिधि कुछ चाहते हैं, भारत सरकार मदद करना चाहती है, ओपन मीटिंगों में भारत सरकार के लोग कहते हैं–हम पैसा देंगे । राजस्थान सरकार के मंत्री भी ठीक-ठाक हैं दो–चार लेकिन यह कुछ करने की स्थिति में नहीं है । अब आप देखिये, श्रीमन्, दुर्भाग्यशाली बात यह है, मेरे गांव में सात किलोमीटर रोड़ है, ललित जी के पास, केवल सात किलोमीटर का ही फण्ड दे रहे हैं । यह राजस्थान का विकास कर रहे हैं और यह जरूर मेरे गांव में, चूंकि मैं एम.एल.ए. हूं और पुरानी रोड़ है, सात किलोमीटर बनायेंगे, यदि इन्होंने बनाई तो राजस्थान में एक किलोमीटर दे नहीं सकते । यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ललित जी यहां बैठे हुए हैं, पैसा विकास के लिए आप दीजिए, अखबारों में घोषणा मत कीजिए । आप इरिगेशन प्रोजेक्ट में पैसा दीजिए । इरिगेशन प्रोजेक्ट में आपने दिये

284

(श्री रामनारायण वर्मा)

तो जनता में बहबूदी बढ़ेगी, गरीबों को उससे रोजगार मिलेगा और गरीब के खेत में जो चार-चार, छह-छह बीघा जमीन है उसमें खेती लहलहायेगी, फसल लहलहायेगी, उनके बच्चे-बच्ची पढ़ेंगे, शादी-विवाह ठीक ढंग से कर पायेंगे, अच्छी जिन्दगी जी पायेंगे। यही तो हम हिन्दुस्तान का विकास चाहते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ....

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। धन्यवाद आपको। माननीय बाल चन्द जी आर्यवीर।

श्री रामनारायण वर्मा : कि आप कुछ करेंगे उसके लिए, एक बात....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत पूछ लिया अब आपने।

श्री रामनारायण वर्मा : एक बात है

श्री बुलाकी दास कल्ला : एक बात कहने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : भाई कल्ला साहब....

श्री रामनारायण वर्मा एक बात।

श्री बुलाकी दास कल्ला : क्या कह रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत पुराने हैं फिर बार-बार यह.... (व्यवधान) या तो आसन को व्यवस्था देने दो या व्यवस्था आप चला लो। नहीं, प्लीज, ...कृपया सहयोग कीजिए।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : मैं मांग संख्या 46, सिंचाई के ऊपर अपने कुछ सुझाव और विचार रखना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में, जब राजस्थान में जनता सरकार बनी थी तो झालावाड़ जिले और....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आर्यवीर जी।

श्री रामनारायण वर्मा : जवाहर सागर बांध प्रोजेक्ट.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिए, चलिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं, एक ही मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : तब आपको कहा था मैंने।

श्री रामनारायण वर्मा : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये फिर आप। विराजिए आप।

श्री बालचन्द आर्यवीर : हाड़ौती अंचल का बहुत विकास हुआ है। करोड़ों रुपये हाड़ौती अंचल में सिंचाई मंत्री, माननीय ललित जी ने देकर हाड़ौती अंचल का विकास किया है, बांध बने हैं....(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : एक मिनट में पूरा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए वर्मा जी, प्लीज।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : कल्ला साहब को नियमों का पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : एक मिनट में पूरा कर देंगे। बाल चन्द जी....

श्री बालचन्द आर्यवीर : उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में भीमसागर बांध बना है, बिन्दायका बांध बना है, (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री बालचन्द आर्यवीर : वह पानी विपक्ष के जो माननीय विधायक कह रहे हैं, जो हाड़ौती अंचल की उपेक्षा हुई है, बिलकुल असत्य सम्भाषण कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज....

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में कई बड़ी-बड़ी नदियां बहती हैं लेकिन उनका पानी बिलकुल बेकार जाता है। उनका सर्वे करवाया जाय और जो श्रेष्ठ योजना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर परवर नदी है, काली सिंध नदी बहती है, आहू नदी है, कई बड़े-बड़े नाले हैं, यदि उनका पानी सिंचित कर, उनका पानी रोक कर वहां छोटे एनीकट बनाये जायेंगे तो किसानों में उससे खुशहाली आयेगी, किसानों की हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे डग विधान सभा क्षेत्र और झालावाड़ जिले में इस प्रकार के कई तालाब हैं, सरोज तालाब है, जैताखेड़ी तालाब है, कई बड़े-बड़े तालाब हैं, उनका सर्वे करवा कर यदि उनको दुरुस्त करवाया जाय तो उससे भी किसानों की हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उनको सिंचाई विभाग में लेकर उनका सर्वे करवा कर यदि उनका निर्माण करवाया जाय, उनकी दुरुस्ती करवाई जाय तो किसानों को उससे काफी लाभ मिलेगा, जमीन और सिंचित होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में जो नदियां हैं उनके ऊपर काफी बड़े-बड़े भण्डार हैं, जलदेह हैं उनका सर्वे करवाया जाय और उन पर लिफ्ट योजना बनाई जाय जिससे कि किसानों को राहत मिल सके, किसानों की हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में मोगरा बांध बना है लेकिन उसमें जो किसानों की जमीन आई है उनको पूरा मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि उन किसानों को पूरा-पूरा मुआवजा दिलाया जाय जिससे कि उनको कुछ राहत मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीमसागर की जो नहरें हैं खानपुर क्षेत्र में उन नहरों को चौड़ी कराई जाये जिससे किसानों को राहत मिल सके और बांध पर जाने के लिए बरसात के समय में रास्ता नहीं होता इसलिए वहां पर कुछ सड़कों का निर्माण कराया जाये जिससे बरसात के समय में भी बांध पर जाया जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में काली सिंध नदी बहती है, आहू नदी बहती है

(286)

(श्री बालकन्द आर्यवीर)

इसमें बहुत बड़े-बड़े जल भण्डार हैं यदि उनकी सर्वे कराई जावे और उनको बांधा जावे, उनका पानी रोका जावे तो हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है और किसानों को इससे काफी राहत मिल सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद और मेरे सुझावों के ऊपर ध्यान देंगे मंत्री महोदय और हाड़ौती अंचल का अधिक से अधिक विकास का पूरा ध्यान देंगे–इसके लिए मेरा धन्यवाद,

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रसिंह गहलोत–(अनुपस्थित) श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित–(अनुपस्थित) श्री चुन्नीलाल गिरासिया–(अनुपस्थित) श्री खंगारसिंह चौधरी।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पाली जिले में कुओं के द्वारा अधिकतर सिंचाई होती है और उसमें दो-तीन बांध हैं, एक तो हेमावास बांध, दूसरा जवांई बांध और तीसरे सरदारसमन्द का बांध है जिससे बहुत कम पिलाई होती है और जवांई बांध का पानी ज्यादातर जोधपुर जाता है और पाली का भी जोधपुर जाता है जबकि भराव क्षमता जवांई बांध की 62 फुट होती है तो कृषकों को पानी दिया जाता है। इसके अलावा पाली जिले में दो तिहाई जमीन क्षारीय है और लवणीय है। मीठे कुओं का जल स्तर ज्यादा नीचे चला गया है और नीचे जाने की वजह से जो खारा पानी है वह जमीन के थोड़ा ऊपर है और खारे पानी का सेजा मीठे कुओं में जाकर मीठे पानी को भी खराब कर देता है। मेरा निवेदन है कि अरावली पहाड़ों के अन्दर काफी जगह ऐसी है कि जहां बांध बनाकर या एनीकट या नदियों में बेसफ्लो बनाकर, पानी रोककर कुओं के लेवल को ऊपर किया जा सकता है। बरसात होती है और पहाड़ पर पानी बरसता है वह सीधा नदी-नालों के जरिये लूणी नदी में चला जाता है इसलिए ज्यादातर पहले 1985-86 के अन्दर सुमेर बांध की सर्वे होकर 1 करोड़ 35 लाख रुपये की सेंक्शन हो चुकी थी वह भी गेम सेंचुरी में होने के कारण से अभी तक योजना स्वीकृत शुदा है, वह भी खटाई में पड़ी है। उसी प्रकार से गजवाली नाव की भी सर्वे हुई और कोटसालंकियान की भी सर्वे हुई वह भी फाइलें अभी तक गेम सेंचुरी एरिया में अधरझूल में पड़ी हुई हैं। इस प्रकार से एक दुहारिया, बांध जो अभी अधूरा पड़ा है उसमें करीब 10–15 लाख रुपये लग चुके हैं और 7-8, लाख रुपये के काम का एस्टीमेट बनाकर यहां पर भेज दिया गया है परन्तु अभी तक उसकी कोई मन्जूरी नहीं हुई है। इसी प्रकार पाली जिले के अन्दर इस अरावली पहाड की तलहटी में काफी जगह ऐसी हैं कि जहां नदियों में बेसफ्लो बनाया जायं और पहाड़ों के अन्दर जहां नदी नाले हैं वहां पर ज्यादातर एनीकट बनाकर इस योजना को कामयाब किया जाये तो हमारे कुओं का काफी लेवल ऊंचा आयेगा जिससे काश्तकारों का भला होगा। अकाल राहत के अन्दर कई जगह एनीकट और बांध बने हुए हैं वह या तो टूट गये हैं या अधूरे हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपये इन सालों में लगे हैं परन्तु उनका कुछ उपयोग नहीं है। जिस प्रकार से टिपटिया बांध जो पहले

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

1978–79 में मन्जूर हुआ था, उस समय उस पर 40 लाख रुपये लगे थे मगर मैं यह मानता हूं कि वह बांध पूरा हुआ और पूरा होने के बाद में 1981–82 में जोरदार बारिश हुई और उसके कारण से वह बांध बह गया। उसके बाद में दस सालों के अन्दर कई इन्जीनियर्स और बड़े-बड़े विशेषज्ञ उस मिट्टी की जांच के लिए आये। कई नमूने लिये गये और बताते हैं कि दुनियां में ऐसी जमीन नहीं है। वह जमीन बहुत खराब है इसलिए वह पानी से रिस कर चली जाती है। मैं मानता हूं इतने इन्जीनियर्स जो यह कहते हैं कि यह जमीन बांध बनने के लायक नहीं थी तो यहां बांध का सर्वे करके क्यों बनाया और फिजूल वहां की जमीन को खराब किया और उससे काफी बड़ा नुकसान हुआ। पानी रुक नहीं सका। जो बांध बनी थी उसके नीचे जैसे विधान सभा के बड़े-बड़े दरवाजे हैं उसी प्रकार से उसके गेट बने हुए हैं और आज भी वह मौजूद हैं परन्तु उनकी मरम्मत के लिए आज तक कोई तैयार नहीं है। तैयार नहीं होने का कारण है कि कोई भी अधिकारी अपनी कलम से यह नहीं कह सकता कि इसके अन्दर खामी रहने की वजह से बांध फूटा है। मैं यह मानता हूं कि अधिकारी कई बार मौके पर गए और प्रश्न को हमने असेम्बली में उठाया पर उसके बाद में भी किसी प्रकार की आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। न जाने वह फाइल पुराने बस्ते में कहां बंधी हुई पड़ी है।

इसी प्रकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उत्पादन बढ़ाना है सिंचाई के जरिये तो ज्यादा से ज्यादा अपने को छोटे-छोटे एनीकट जहां कहीं भी सम्भव हों उनको हाथ में लेना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ए. ई. एन. आफिस सोजत में है और दूसरा पाली के अन्दर है जो कि 80 कि. मी. की दूरी पर है और बीच में अरावली पहाड़ के अन्दर कई जगह मारवाड़ और देसूरी तहसील में पहाड़ी एरिया में कई जगह ऐसी हैं कि जहां पानी रोककर फायदा दिया जा सकता है परन्तु उसके लिए पहले ए. ई. एन. की पोस्ट मन्जूर हो चुकी थी परन्तु उसको भी वापिस स्टे करके बन्द कर दिया गया। मैं सिंचाई मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मारवाड़ जंक्शन में ए. ई. एन. आफिस सिंचाई का खुले और हमारे जितने भी सिंचाई के काम हैं, जहां कहीं भी हमारे नदी-नाले और बेसपलों जो भी बनने लायक हैं उनकी तुरन्त सर्वे करायें और सर्वे कराने के बाद में वहां काम चालू हो तो काश्तकारों को हमेशा के लिए आराम हो जायेगा। और यह क्षारीय और लवणीय भूमि हैं वह मीठा पानी ऊपर आने की वजह से वह अपने आप सुधर जायेगी। इसके लिए भी आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी।

मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार से यह अरावली योजना बनी है उसके आधार पर सिंचाई वाले और अरावली योजना के अन्दर जो भी योजना आपने बनाई है दोनों विभाग मिलकर अगर अरावली तलहटी के अन्दर और पहाड़ों के आस-पास में अच्छा विकास

(श्री खमारसिंह चौधरी)

पानी रोकने का हो सकता है इससे गेम सेंचुरी एरिया भी हरा-भरा हो सकता है और हमारे काश्तकारों के कुओं का लेवल भी ऊंचा आ जायेगा जिससे हमें खुशहाली मिलेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नीचे से अगर प्लान सही ढंग से बनेगा और उसके आधार पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा दोनों डिपार्टमेन्ट में तो यह हमारे काम सक्सेस हो जायेंगे वरना जिस प्रकार से हमारे सुमेर बांध की सेंक्शन 1 करोड़ 35 लाख की हुई थी वह अधरभूल में है इसी प्रकार से यह सिंचाई विभाग और गेम सेंचूरी वाले मिलकर यह काम नहीं करेंगे तो यह योजनायें सिर्फ कागजों में ही छिपी रह जायेंगी। आपने समय दिया इसलिए आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

(10.00 रात्रि)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में दूसरा स्थान है। अरावली शृंखला इस प्रदेश को दो भौगोलिक खण्डों में विभाजित करती है। पहला है उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र जिसमें मरुस्थल है, जहां बारिश कम होती है और मात्र एक प्रमुख नदी है और वह है लूणी नदी और दूसरा दक्षिण-पूर्वी स्थान जिसकी मुख्य नदी बनास नदी है। यह बनास नदी आगे सवाईमाधोपुर जिले में होकर चम्बल के अन्दर मिल जाती है। इसी दूसरे क्षेत्र में, दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में माही नदी भी है और माही नदी के साथ छोटी-छोटी नदियां-बनास, जाखम तथा साबरमती हैं। इस पवित्र सदन के अन्दर इन्दिरा गांधी नहर सिद्धमुख, गंग नहर, बीसलपुर, योजना, चम्बल योजना, बनास योजना, नाना प्रकार के अनेक बांध और इरिगेशन की नाना प्रकार की योजनाओं के बारे चर्चा की गयी। मैं पाली जिले के उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जिसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र दो भागों में विभाजित है-एक तो पश्चिमी क्षेत्र है जहां पर 20 सालों में से मात्र 6 साल ही बारिश हुई है, पूरा एरिया फेमिन से प्रभावित क्षेत्र है। इस वर्ष भी पश्चिमी क्षेत्र के दो आर. आई. सर्कलों में चाड़ावास सर्कल और शिवपुरा सर्कल जिसके 45 गांव हैं, अकाल की भयंकर विभीषिका है। वहां 75 से 100 प्रतिशत खराबा दर्ज है। दूसरा जो पूर्वी क्षेत्र है और उसके पास में मारवाड़ जंक्शन से 9 किलोमीटर दूर का जो क्षेत्र है चिरपटिया, कारोलिया, नरसिंह पुरा, रेवड़िया, खुशालपुरा, गोपालपुरा ये ऐसे 10–15 और गांव हैं जहां पर मात्र खरीफ की फसल होती है। वहां की जमीन क्षारीय है, लवणयुक्त है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र के ये 45 गांव लगातार अकाल से प्रभावित रहे हैं। उनके अन्दर भूपेड़ा गांव जो पश्चिमी गांव है उसमें पेयजल 2940 टी. डी. एस. बीड़ावास में 3030 टी. डी. एस. और हीरावास 5340 टी. डी. एस. हैं। मेरे कहने का मतलब है कि पश्चिमी क्षेत्र में वहां के कृषक, वहां के रहने वाले मात्र खरीफ की फसल पर ही निर्भर करते हैं क्योंकि बारिश बहुत कम होती है। बारिश

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

ठीक होती है तो फसल होती है, अन्यथा वहां कुएं नहीं हैं, जमीन में खारा पानी है, क्षारीय और लवणयुक्त भूमि है।

मेरे क्षेत्र का चिरपटिया बांध मारवाड़ जंक्शन से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। सन् 20-12-1979 को 36.94 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति होकर यह कार्य प्रारम्भ हुआ था। सन् 1982 के अन्दर अतिवृष्टि के कारण यह बांध क्षतिग्रस्त हो गया। इस के पश्चात् तत्कालीन मंत्री महोदय ने इस बांध के बारे में एक जांच कमेटी नियुक्त की थी। हमारे मन्त्री महोदय, झाला साहब ने भी दिनांक 23-6-1990 को इस बांध में अधिकारियों की मिलीभगत, उनकी लापरवाही और घटिया मैटेरियल डालने के लिए एक जांच इक्वायरी नियुक्ति की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो-जो व्यक्ति इसमें दोषी पाये गये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही करना तो दूर रहा, सन् 1982 में जो बांध क्षतिग्रस्त हो गया था उस बांध को आज तक प्रारम्भ नहीं किया गया। बाद में अधिकारियों की मिलीभगत के कारण, घटिया मैटेरियल डाला गया था तथा वहां पर अच्छी सामग्री नहीं होने के कारण यह बांध 1982 में क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में यह बताया गया कि मिट्टी और पानी का मिश्रण नहीं होने के कारण यह बांध क्षतिग्रस्त हो गया। 1982 के बाद उसकी जांच मिट्टी और पानी के द्वारा करायी गयी। जांच करवाने के बाद में यह कहा गया कि जांच पूरी हो गयी फिर कब इस कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा, इसका तखमीना बनाया गया। तखमीना बनाने के पश्चात् अभी तक इस कार्य को प्रारम्भ नहीं किया गया। इस बांध की भराव क्षमता 91.67 एम. सी. एफटी. है और इस बांध को बनने से 826 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकता है। जहां मिट्टी और पानी के मिश्रण का कहते हैं, इसी बांध के जस्ट ऊपर दो एनीकट इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स ने आज से 8–10 वर्ष पूर्व बनाये थे। वे एनीकट बिल्कुल ही सफल और फलीभूत हैं और उनसे काश्तकार अपनी काश्त की जमीन में खेती करते हैं। तो यह पानी और मिट्टी की बात है मात्र एक दिखावा और भुलावा है। इस चिरपटिया बांध के आस-पास के 20 गांवों की करीब 20 हजार की जनसंख्या इससे प्रभावित होती है। आस-पास में कहीं मीठा पानी नहीं है, क्षारीय और लवणयुक्त जमीन है। यह बांध मेरे विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख बांध है। अब मिट्टी और पानी के मिश्रण की जांच रिपोर्ट भी आ गयी और इसका तखमीना 80 हजार के करीब का बनाकर मुख्य अभियन्ता सिंचाई के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन है। पहले यह मरु विकास कार्यक्रम के तहत प्रारम्भ किया गया था लेकिन अब इसका हैड बदलकर एम. आई. डब्ल्यू. माइनर इरिगेशन वर्ग के अन्दर इसको हस्तान्तरित कर दिया गया है। मैं सिंचाई मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रमुख बांध है और सिंचाई का और कोई साधन नहीं है। न वहां कोई इंदिरा गांधी नहर जैसी योजना है, न गंग नहर है, न बनास है, न कोई चम्बल है। हमारे

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

इस क्षेत्र में अरावली शृंखला से जो पानी आता है, उसको इकट्ठा करके बांध बनाने के कारण आस-पास के क्षेत्र में सिंचाई होगी। काश्तकार आस-पास कुएं खोद सकेंगे और उनकी हजारों बीघा जमीन की पिलाई कर सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् मेरे विधान सभा क्षेत्र में घोली घाता दूसरा प्रमुख बांध है। यह गुढ़ा श्याम से 5 किलोमीटर है और अरावली की पहाड़ी से जो मोडिया नदी निकलती उस पर बना है। सन् 1970 में 116.87 लाख रुपए का तखमीना बनाकर के यह कार्य प्रारम्भ किया गया। इस पर 10 लाख की लागत का खर्चा हो चुका है इसके बाद इसका पुनः तखमीना बनाया जाकर 67.24 लाख रुपए का माननीय मुख्य अभियन्ता (सिंचाई) के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया और वहां पर मुख्य सिंचाई अभियन्ता ने कुछ आब्जर्वेशन लगाये कि क्योंकि सरदारसमन्द बांध 20 साल मे 6 साल ही भरा गया इसलिए यह बांध अगर बन गया तो यह सरदारसमन्द बांध को इफैक्ट करेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जयपुर में बैठकर इस प्रकार के आब्जर्वेशन लगाते हैं, जो वित्त विभाग के द्वारा या मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के द्वारा आब्जर्वेशन लगाये गये थे, इन्हीं के विभाग के द्वारा एस. ई. इरिगेशन के द्वारा इस आब्जर्वेशन के बाद में जो रिप्लाई....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा जल्दी कीजिए लक्ष्मीनारायणजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके विधान सभा क्षेत्र की भी कुछ समस्यायें हैं उनको भी मैं पेश करना चाहता हूं इसलिए आपका समय भी मुझे दिया जाय....(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ए. ईएन. इरिगेशन और एस. ई. ने जो दिया था....and the run of this catchment area here in reach in the Sardarsamand Bandh; and is lost in the river bend on way which can be stored and utilised of this project. यह कहा था कि यह सात प्रतिशत के करीब है और सरदारसमन्द डेम को इफैक्ट करता है। 7 प्रतिशत में पानी का रेला भी नहीं पहुचता है। जो सरदारसमन्द बांध का कहा कि पिछले 20 सालों में से 6 साल ही बांध भरा आपके अधिकारी यहां बैठकर जिस हिसाब से आब्जर्वेशन लगाते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप अकाल राहत मन्त्री भी हैं, आप इसकी जांच करा दीजिए। मेरे पास 20 साल की गिरदावरी की नकल है जो परसों मैंने यहां आपके मुख्य अभियन्ता को पेश की है। 20 सालों में 6 साल ही बारिश हुई है और बाकी पूरा पीरियड फेमिन से इफैक्टेड रहा था इसलिए सरदारसमन्द बांध भरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यह इस एरिया का प्रमुख बांध है। सोजत विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी इलाके का, जो हमेशा से अकाल से प्रभावित क्षेत्र रहा है, एक प्रमुख बांध है कोटलिया बांध।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रायपुर की बात बोलें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कोटलिया बांध भूतपूर्व जोधपुरी सेठ के द्वारा बनाया गया था जो सन् 1979 में बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें जो 11 ब्रीच पड़े थे बाद में अकाल राहत कार्यों में 1982–83 और 1984–85 में उसमें से 9 ब्रीच ठीक करा दिये गये थे। अब मात्र 5.3 मीटर लम्बाई का कार्य अधूरा पड़ा है। कोटलिया गांव भी फेमिन से प्रभावित एरिया है।

इस क्षेत्र के अन्दर कोई कुआं नहीं है, इन 45 गांवों के अन्दर पानी खारा है। दूसरा कोई इरिगेशन का साधन नहीं है, मात्र यह कोटलिया बांध है। इसलिये इसका तखमीना आपके मरु विकास के एस.एच.ओ. के पास में 28 लाख की स्वीकृति के लिये पड़ा है। मैं सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह कोटलिया बांध जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में पश्चिमी इलाके में है, जहां अकाल से प्रभावित क्षेत्र है, यह बहुत इम्पार्टेण्ट है, इसको आप स्वीकृत कराने का कष्ट करें। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ना ना, ओवर कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोरीनाडा फीडर बिलाड़ा तहसील में स्थित बाला बांध में एक ओवर फ्लो बोरीनाडा फीडर के लिये छोड़ा हुआ है। यह ओवर फ्लो बांध के बायीं तरफ स्थित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्षा ऋतु में अधिकांश पानी मुख्य ओवर फ्लो से बेकार होकर निकलता है। मेरा सिंचाई मन्त्री महोदय से निवेदन है कि यह बोरीनाडा बांध जो एक ओवर फ्लो बोरीनाडा फीडर के लिये निकाला हुआ है, इस ओवर फ्लों को नीचा करा दिया जाय। हमारा बोरीनाडा बांध हमेशा खाली रहता है। मात्र एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह बोरीनाडा बांध खाली रहता है। इसलिये इस ओवर फ्लो को नीचा करा दिया जाय ताकि इस क्षेत्र की जनता पश्चिमी क्षेत्र की मेरे विधान सभा क्षेत्र की है वह इससे लाभान्वित हो सके। अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक गजनेई बांध का प्रश्न है, जो आपके विधान सभा क्षेत्र को प्रभावित करता है, मेरे विधान सभा के काश्तकारों के लिये बहुत उपयोगी है उसका तखमीना भी करीब एक लाख 42 हजार का स्वीकृत हो चुका है, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है, ऐसी मेरे को जानकारी उपलब्ध हुई है। मैं सिंचाई मन्त्रीजी से और मुख्य अभियन्ता (सिंचाई) से निवेदन करना चाहता हूं और इरिगेशन सैक्रेटरी साहब से निवेदन करूंगा कि गजनेई बांध रायपुर विधान सभा क्षेत्र, सोजत विधान सभा क्षेत्र के लिये महत्वपूर्ण उपयोगी बांध है इसलिये अविलम्ब इसको प्रारम्भ करा दिया जाय। दूसरा, रायपुर बांध है उस बांध के नीचे काफी तादाद में 50–60 गांवों के रहने वाले लोग हैं, इस बांध की ऊंचाई को नीचे करने के लिये निवेदन करना चाहता हूं। इसकी हाईट 17 फीट है। 17 फीट की जगह 14 फीट करने के लिये राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं इसलिये, मैं राज्य सरकार और सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

करूंगा कि इसको तत्काल, अविलम्ब प्रारंभ किया जाय, नीचा करा दिया जाय। इसको नीचा करने से और ओवर फ्लो नीचे जाने से आसपास के गांव लाभान्वित होंगे, उनके कुएं रिचार्ज होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री भंवरलाल शर्मा, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मन्त्री।

मांग संख्या 46 का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मन्त्री) : सम्माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सबसे पहले उन माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं जिन्होंने कटौती प्रस्तावों के जरिये और यहां वाद-विवाद में हिस्सा लेकर इन्दिरा गांधी कैनाल और सिंचित क्षेत्र विकास के बारे में अपने अमूल्य सुझाव दिये। जहां तक कटौती प्रस्ताव का प्रश्न है, सभी कटौती प्रस्ताव के जवाब तैयार हो चुके हैं और कल शाम के पहले-पहले सभी सदस्यों को कटौती प्रस्ताव के जवाब मिल जायेंगे। इसके साथ-साथ बहुत सारी बातें....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कल शाम तक नहीं मिले तो ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कल्लाजी, पहुंच जायेंगे। प्लीज, विराजें आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कल शाम तक नहीं पहुंचे तो क्या करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपकी बातों का पहले जवाब दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप स्वयं ही जवाब क्यों नहीं दे दो उनके।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : लिखकर भेज दे जवाब।

श्री भंवरलाल शर्मा : लिख कर भिजवा दिये जवाब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लिखकर विभाग ने भिजवाये हैं या आप दे रहे हो जवाब। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्यों की बातों का जवाब देना निहायत जरूरी है। यहां पर बहुत सारी बातें उठायी गयीं पर मैं सबसे पहले जो वाद विवाद में माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया उनको यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में हमेशा अनुदान मांगों पर इन्दिरा गांधी कैनाल के बारे में सुनते थे, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब निर्माण में और भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं हो, आज किसी भी माननीय सदस्य ने निर्माण में और किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं की और किसी ढंग की शिकायत अगर आयेगी तो निश्चित तौर पर मैं माननीय सदस्यों को चैलेन्ज के साथ कह रहा हूं, तुरन्त उस पर कार्यवाही की जायगी। पुराने समय में जो कारनामे किये गये उनको किस ढंग से खतम किया गया, किस ढंग से 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही की गयी, जाते-जाते किस प्रकार मुख्य मन्त्रीजी उनको निपटा कर गये, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता....

श्री हेतराम बेनीवाल : खोलो उनको ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप वापस खोल दो उनको । आप उन्हें वापस खोलने में सक्षम हो, वापस खोल दो आप उन्हें । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं खोलूंगा । अभी एक चर्चा कई माननीय सदस्यों ने यह उठायी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया शांत रहें । यहां से अलग बात है, कई बात कहते हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बिना किसी व्यवधान के सभी माननीय सदस्यों की बातों को बड़े गौर से सुना और निश्चित तौर पर मैं यह भी उनसे आशा रखता हूं कि मेरे जवाब को बिना किसी व्यवधान के सुनें ।

जहां तक यह प्रश्न आया कि इस केनाल का आकार द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ता जा रहा है, यह बात बिल्कुल सही है । द्रौपदी का चीर भी बढ़ा था तो द्रौपदी की लज्जा रखने के लिये बढ़ा । इसलिये माननीय सदस्यों को मैं बता देना चाहता हूं कि इसका आकार पहले कितना था और जिस ढंग से इसका आकार बढ़ा है, जिस दिन यह केनाल पूरी हो जायगी, अभी स्टेज फर्स्ट में कितना पैसा लगा है, उसका कितना उत्पादन हुआ है, मैं होली के मूड में नहीं बोल रहा हूं, कइयों को सींग पूंछ का ही पता नहीं है कि केनाल कहां है ...(व्यवधान) आप मुझे बता दीजिये, कितने किलोमीटर केनाल है । जानकारी के लिये जैसे परसादी लालजी से ही पूछ लेता हूं मैं, आप बता दीजिये, आप पूछ रहे हो, कितने किलोमीटर है ? (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप क्या क्लास ले रहे हो क्या यहां ? आप क्लास ले रहे हो क्या ? आप आ जाओ, हम भी पढ़ा देंगे आपको । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी, प्लीज ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल्लाजी, आपसे पूछ रहा हूं, चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : हां, अब प्लीज, परसादी लालजी नहीं कहेंगे । ना, अब नहीं करेंगे सम्बोधित आपको । अब नहीं करेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी जानकारी के लिये प्रथम चरण में 1951 में यह कार्य शुरू किया गया था उस समय इसका आकार बहुत छोटा था । कुल वार्षिक सिंचाई क्षमता 6.82 लाख हैक्टेयर एकड़ में प्रस्तावित थी परन्तु धीरे-धीरे जब इसका आकार बढ़ता गया, परियोजना लाभदेय अधिक हो, इसको प्राप्त करने की दृष्टि से इसमें परिवर्तन किया गया । सम्पूर्ण हो जाने पर इस परियोजना राज्य के गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जिलों में.... (व्यवधान)

आपने जो बिना चर्चा के बात की वह तो मैं सुनता रहा । फिर आपको बताऊंगा.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब दें । कहते रहिये आप । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : सिंचाई प्रस्तावित है। पीने तथा उद्योगों के लिये भी 1200 क्यूसेक पानी आवंटित किया गया है।

श्री परसादीलाल मीणा : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : What is point of order.

श्री परसादीलाल मीणा : लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : What is point of order.

श्री परसादीलाल मीणा : लिखा हुआ पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ना ना, केवल तथ्य दे रहे हैं, लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको।

श्री परसादीलाल मीणा : भाषण दो।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण दे रहे हैं। बैठिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : लिखा हुआ पढ़ रहे हैं किसी का।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट देख ही सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : स्टेटमेंट थोड़े ही है यह।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट देख सकते हैं। आप कहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : कृषि उत्पादन के मामले में प्रथम चरण में 9 लाख टन अनाज का उत्पादन हो रहा है। द्वितीय चरण में, प्रथम और द्वितीय दोनों मिला कर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, पढ़ सकते हैं। तथ्य हैं वह कोई याद रहता है क्या।

श्री भंवरलाल शर्मा : 9.6 लाख टन और वार्षिक कृषि उत्पादन का मूल्य 551 करोड़ रुपया है। प्रतिवर्ष का उत्पादन 551 करोड़ रुपये का है। इसी प्रकार मार्च, 91 तक 9473 परिवारों को भू-आवंटन किया गया है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में 1146 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।

अब माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं, लूणकरणसर से जो सदस्य विराजे हुए हैं, मैं भी उस इलाके का खारे पानी का रहने वाला हूं, क्षारीय स्थिति है। जो रेलवे के इंजनों से पानी लाते थे, आज लूणकरणसर की स्थिति क्या है इस कैनाल के आने से। अब कैनाल में जो बुराइयां है, बुराइयां हैं। जो अच्छाइयां हैं, यह नहीं कि कोई हमारे ही जमाने में सारा हो गया। जिन्होंने यह योजना बनाई, बिल्कुल यह बधाई के पात्र हैं अगर अच्छा किया है तो, सिवाय भ्रष्टाचार को छोड़ कर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह गलत है। भ्रष्टाचार क्या हुआ आप बताइये।

श्री भंवरलाल शर्मा . अब आपको थोड़े ही भ्रष्ट बता दिया । आप तो विराजिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं तो आप बताओ भ्रष्टाचार । भई मेरा नहीं, मेरी पार्टी के लिए, किसने कहां भ्रष्टाचार किया । आप मेरे ऊपर चार्ज मत लगाइये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : सौ बार लगाऊंगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं चार्ज सहन नहीं करेंगे । या तो स्पेसिफिक चार्ज लगाइये आप ।

श्री हेतराम बेनीवाल : जिसके राज में कोई अफसर खा गये, वह राज का कसूर है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज लूण-करणसर की स्थिति क्या आप करके आये हो क्या ? यह तो कांग्रेस की देन है ।

श्री दिग्विजय सिंह : थोड़ी देर पहले यही बात हम कह रहे थे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या कह रहे थे ? नहीं-नहीं स्पेसिफिक बात करो । हम स्पेसिफिक बात करते हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह मान लिया जाये, जिस-जिस के राज में जो अफसर खा गये, वह सब उनके जिम्मे है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्यों ने कई तरह की समस्याएं बताई । बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि इन लिफ्टों को हम कम करने जा रहे हैं, बन्द करने जा रहे हैं, यह बिल्कुल ही तथ्यों से परे है और निराधार है । जहां तक इस मामले को लेकर इंजीनियरों में दो मत हैं, जैसे कि आपके और हेतराम जी के भी दो मत हैं, उसी प्रकार इंजीनियरों के भी दो मत हैं मैं प्रेक्टिकल रूप से काश्तकार होने के नाते इस बात से पूर्णतया सहमत नहीं हूं क्योंकि मथानिया का इलाका और ओसियां का इलाका, जहां भी एनीकट चुना है, वहां भयंकर पैदावार होती है । वह कुओं के पानी से सिंचित है । इसी प्रकार इस क्षेत्र में निश्चित तौर से पानी की मात्रा अगर आवश्यकता हुई तो उसको एक्सपर्ट की राय से कम किया जा सकता है, परन्तु लिफ्टों को किसी भी कीमत पर बन्द नहीं किया जायेगा । इसके साथ-साथ प्रगति के बारे में बताया, प्रगति जितने पैसे, यह कल्ला साहब अमीन खां जी ने बताया कि सारा अकाल का पैसा इसी में लगा दिया जाये, कर दिया जाये, एक-एक साल में 600-600, 900-900 करोड़ रुपये अकाल राहत पर खर्च किये हैं । अगर उस समय यह बात समझ में आती, मैं तो फिर भी आज उस मान्यता का हूं कि इस कैनाल को चाहे भारत सरकार इसको पूरा कर दें, चाहें और कहीं से आप पैसा उपलब्ध करा दो, यह कैनाल जितनी जल्दी पूरी हो जायेगी तो निश्चित तौर से उत्पादन बढ़ेगा और इसकी जो लागत बढ़ती जाती है, वह कम से कम होगी । नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 40 हजार हैक्टेयर में खालें बनाने का लक्ष्य था, उसके विपरीत

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अभी तक 38 हजार हैक्टेयर खालें बना लिये गये हैं और अप्रैल में 40 हजार खालें बना लिये जायेंगे। जैसा कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मन्त्री जी ने वहां घोषणा की कि भंवरलाल जो बात कहता है, वह सही कहता है, मैं आज भी उस बात पर अड़िग हूं। आपकी जानकारी के लिए, आपने या तो गवर्नर का बजट भाषण पढ़ा नहीं होगा। स्टेज फर्स्ट में 30 हजार हैक्टेयर में खालें टनाने का निर्णय, इतने दिन पहले कैबिनेट से निर्णय नहीं हुआ था, स्टेज 2 में ही था। ऐसी स्थिति थी, स्टेज 2 में कोई जगह नहीं थी और स्टेज 1 में जब मैं मौके पर वहां 2, 3 बार गया और उसी डिवीजन का होने के नाते, काश्तकार होने के नाते मुझे पता था कि स्टेज 1 में जो खालें छूट गये हैं, उनको निश्चित तौर से बनाया जायेगा। इसी में आपके लूणकरणसर क्षेत्र के 1 हजार हैक्टेयर खालें जो कच्चे रह गये हैं, उनको पक्का बनाया जायेगा और स्टेज 1 में 30 हजार हैक्टेयर में खालें बनाये जायेंगे।....(व्यवधान) आप इसके बाद पूछ लेना, जो कुछ पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनका स्टेटमेण्ट पूरा होने दें। प्लीज फिर कह देना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि वहां का काश्तकार होने के नाते, तो क्या कैनाल पर आपका भी कोई मुरब्बा है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां है। पुश्तैनी है और यह और बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं पिलानी और चिड़ावा का रहने वाला नहीं, सरदारशहर तहसील का रहने वाला हूं। वहां लिफ्ट कैनाल है। वहां मेरी 250 बीघा जमीन है। यह नोट कर लें आप और पुश्तैनी जमीन है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मन्त्रीजी राजस्व मन्त्रीजी नहीं है, नहीं आपको सीलिंग का नोटिस मिलना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह एक नाम से है, जैसे आप कम्युनिस्टों ने चला रखी है, उसी ढंग से है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सीलिंग से बचने के लिए 250 बीघा का कैसा इंतजाम कर लिया आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा : पुश्तैनी है। मेरे दादाजी के समय की है और नहर पर आई है तो अब आई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह आपका पुराना हो गया है। पुश्तैनी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसके साथ-साथ....मेरी कोई अलाट की जमीन नहीं है। अब आप ज्यादा अगर इसी पर बोलना चाहें, मैं 12 बजे तक बोल सकता हूं, एक बजे तक बोलने की कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ना ना वह बैठे हैं हैं सिंचाई मन्त्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : कैलाशजी मेघवाल को मांगें पास करानी हैं। कोटा चम्बल के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। चम्बल विकास प्राधिकरण में....

श्री रामेश्वरदयाल यादव : यह कहेंगे तभी देवेंगे आप ।

श्री भंवरलाल शर्मा : रघुवीर जी कौशल और टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मैं उनका बहुत ही आभारी हूं । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी अप्रेल महीने में....

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक क्वश्चन करना है ।

श्री उपाध्यक्ष : उनका जवाब आने के बाद एक साथ ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोटा चम्बल विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन करके और जो आपने छोटी मोटी समस्याएं बतायी हैं, जिनका वहीं निराकरण हो सकता है, निश्चित तौर से उनका मौके पर निपटारा करा दिया जायेगा और 30 अप्रैल से पहले-पहले चम्बल विकास प्राधिकरण की बैठक कोटा में कर ली जायेगी और माननीय सदस्य समय–समय पर जो भी सुझाव देंगे, उन सबका स्वागत है, उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कैलाश जी मेघवाल ।....(व्यवधान) इसके बाद एक साथ उत्तर, प्लीज ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : डिबेट खत्म हो जायेगी, एक क्वश्चन करना है ।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लीजिए आप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह डिबेट का मजा ही खत्म हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : हां हां पूछ लीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं, अभी आपने गजनेर कोलायत लिफ्ट के बारे में अपनी मंशा तो बतायी नहीं कि हम मूल प्रस्तावित योजना के अनुसार उसमें पानी कम नहीं करेंगे, यह आपके उत्तर से स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अण्डर ग्राउंड वाटर बोर्ड ने आपको दो अलग तरह की रिपोर्ट दी हैं और उसमें एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 20 मीटर की गहराई तक हार्ड पेन नहीं है और एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 3 तीन मीटर पर हार्ड पेन है । दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 27-11-91 को इन्दिरा गांधी नहर मण्डल की 138 वीं बैठक में वैप कोस के प्रतिवेदन प्राप्त होने तक इन नहरों के निर्माण पर रोक लगाई गई है और इसके साथ-साथ आप यह भी बतायें कि मैसर्स कल्याण सुन्दरम् की जो रिपोर्ट हुई थी पुलिस में, उसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की । इसके साथ आपने इरिगेशन का पोटेन्शियल 1988–89 में कितना हुआ और अभी आपने इस साल क्या लक्ष्य रखा था और क्या आपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्मा जी बोलिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बीकानेर से आने वाले माननीय ने कहा कि नहर बोर्ड की 138 वीं बैठक में लिफ्टों को बन्द करने के

298

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लिए निर्णय लिया गया था, बन्द करने के लिए नहीं लिया गया था। उसमें भी जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं. इंजीनियरों में दो तरह के मत थे, उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डायरेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद यह निर्णय हुआ कि यहां से कोई बन्द का निर्णय नहीं हुआ, नहर बोर्ड के स्तर पर ही इसकी जांच करा कर, इसके आकार वगैरह के बारे में जांच की जाये तो निश्चित तौर से दुबारा डायरेक्शन कमेटी ने यह निर्देश दे दिये है कि नहर बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर नहरों का काम पुनः चालू करवाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की मांग संख्या 46 पर आज चर्चा हुयी है। प्रारम्भ में सदन के वरिष्ठतम सदस्य प्रोफेसर केदार के सुझाव का बहुत ही आदर के साथ स्वागत करता हूं। जिस पर उन्होंने बताया कि सारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमें सिंचाई का कोई मास्टर प्लान बना करके और समयबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सके और इसके कारण आज हम सिंचाई सुविधाओं से देश में बहुत पीछे रह गये। यह आवेश्यक है, उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय विधायक की सूचना के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा, आज हमको उन्होंने पूछा है कि हमारा टोटल वाटर कितना उपलब्ध है। तो मैं उनकी सूचना के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इन्टरनल सोर्स से हमारा वाटर है वह 15.86 मिलियन एकड़ फीट है जिसमें हम केवल अभी तक मात्र 7 मिलियन एकड़ फीट का ही उपयोग कर रहे हैं। एक्सटरनल वाटर जो हमको दूसरी बाहर की नदियों से मिल रहा है वह हमारा जो अनुमान है वह है 13.42 मिलियन एकड़ फीट वाटर हमको उपलब्ध है और उसमें से हम अभी 12.92 मिलियन एकड़ फीट वाटर उपयोग में ले पा रहे हैं। हमारे अण्डर ग्राउण्ड वाटर है उसकी उपलब्धी के जो अनुमान है वह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8.12 मिलियन एकड़ फीट है और उसमें से हम आज 4 मिलियन एकड़ फीट का ही उपयोग कर पा रहे हैं। यह स्थिति रखने के बाद मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जितना कल्चरेबल एरिया है, कृषि योग्य जितना रकबा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस रकबे का 10.7 प्रतिशत रकबा राजस्थान में है और 10.7 प्रतिशत रकबे में कृषि करने के लिये हमारे पास जो हमारा अपना सोर्स है वह है 1.16 जल स्रोत राजस्थान में है जो देश में उपलब्ध स्रोत है उसमें से 1.16 जल स्रोत हमारे पास उपलब्ध है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम पहली पंचवर्षीय योजना से 31-5-1991 तक 1800 करोड़ रुपया हमारी सिंचाई योजनाओं के अन्दर, चाहे वह वृहत योजनाएं हैं, चाहे वह मध्यम योजनाएं हैं, चाहे वह लघु योजनाएं हैं इन सिंचाई योजनाओं पर हम खर्च कर चुके हैं और इसमें से हम केवल 23 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता अर्जित कर चुके हैं। इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता

(श्री कैलाश मेघवाल)

हूं कि नहरों से हम जो सिंचाई करते हैं, यह टोटल सिंचाई का 60 प्रतिशत आज भी हम कुओं से करते हैं, तालाब से करते हैं, दूसरे जरियों से करते हैं। नहरों से आज भी हम 40 प्रतिशत सिंचाई कर रहे हैं और इस तरह आज हमारे यहां का जो पोटेन्शियल है उसका केवल हम 45 के प्रतिशत दोहन कर पाये हैं। यह स्थिति है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और इसका कारण क्या है वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और वह सारे सदन की जानकारी के लिये भी आवश्यक है कि आज जब योजना आयोग के सम्मुख हमारे प्रतिनिधि जाते हैं राजस्थान से या जब हम बात करते हैं अपने स्तर पर तो उस समय बात हुई थी कि राजस्थान सिंचाई का जल चाहता नहीं है, राजस्थान में सिंचाई के बारे में गम्भीरता नहीं। यह बात हमारे सामने यदाकदा आती है और इसकी वजह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या हुआ है कि हमारा सिंचाई की दृष्टि से योजना मद में हमको जो रकम मिलती हैं उसमें कमी हुई है। कमी क्यों हुई है? मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, 1986–87 में हमारी योजना की राशि दिल्ली में स्वीकार हुई उसमें सिंचाई का नेट फोर इरिगेशन मतलब सम्पूर्ण सिंचाई सी. ए. डी. को छोड़ कर उस समय स्वीकार हुआ था। 112 करोड़ 06 रुपये उस समय मन्जूर हुआ था और उसको हमको 1986-87 में 112 करोड़ 03 खर्च कर पाये थे सिंचाई के पोटेन्शियल मद में। अब आप देखिये, स्थिति माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1987-88 में योजना स्वीकार हुई, योजना का धन हमको दिल्ली से स्वीकार हुआ उसमें नेट फोर इरिगेशन था वह था 120 करोड़ 36 लाख रुपया मन्जूर हुआ। हमने कितना खर्च किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें से 106 करोड़ 11 लाख रुपया मात्र हम खर्च कर पाये। 14 करोड़ रुपया हमने उस समय योजना की खर्च करने की हमारी तैयारी नहीं की, हम खर्च न सके। यही स्थिति अगले साल रही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1988-89 में फिर से केन्द्र ने 120 करोड़ 85 लाख रुपये की हमको धन राशि दी net for irrigation जो आउट ले था उस 120.85 करोड़ में से हम केवल 94 करोड़ 65 लाख रुपये का उपयोग कर पाये। अब मैं माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं, 25 करोड़ रुपया हमने वापस लौटाया। इसका असर यह हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 1989–90 में जब हम योजना आयोग के सामने गये तो उन्होंने कहा कि आपका हम धन स्वीकार करके क्या करें। जो धन हम आपको देते हैं वह पूरा काम में लेते नहीं, राजस्थान में सिंचाई के पोटेन्शियल आप पूरे एक्सप्लाइट करते नहीं। और 1989-90 में योजना में उन्होंने दे दिया 105 करोड़ 53 लाख रुपया। एकदम कट किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यह मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि एक आवाज आयी कि हमको धन कम मिलता है। कम मिलने का कारण क्या है? और इस 105 में से उस समय हम 1989–90 में 106 करोड़ 03 लाख रुपया हम खर्च कर पाये। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं सन् 1990–91 में शासन

(श्री कैलाश मेघवाल)

का परिवर्तन आया और इस योजना को माननीय भैरोंसिंहजी ने स्वीकृत करवाया था और आपके द्वारा मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1990-91 में हमने 131 करोड़ 42 लाख रुपया केन्द्र से योजना में ले लिया था नेट फोर इरिगेशन था आउट ले। 131 करोड़ 42 लाख रुपया कांग्रेस के मुकाबले पूरा 26 करोड़ ज्यादा वापस। खर्च उसमें से माननीय विधायका....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दो करोड़ रुपया....

श्री कैलाश मेघवाल : दो करोड़ खर्च नहीं हो पाया एकदम। वह जो स्थिति चल रही थी, जो इन्फ्रास्ट्रेक्चर, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा (व्यवधान) यह बड़ी गम्भीर चर्चा है और मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गंगानगर से....

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : इसमें आपने 1988-89 और 1989-90 में जो बात बतायी क्या उसका इन वर्षों में सी.ए.डी. में अधिक पैसा खर्च हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला जी आपको चान्स मिलेगा बोलने का।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय विधायक की सूचना के लिये मैं कह दूं कि सी. ए. डी. का पैसा इसमें सम्मिलित नहीं है। सी. ए. डी. का पैसा अलग से है। उसके आंकड़ें मैं अलग से दे सकता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सी. ए. डी. में पैसा ज्यादा खर्च हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : वह फिर आप उनसे पूछ लेते। यह इतना आपको ध्यान देना चाहिये कि यह सवाल किससे पूछा जाना चाहिये। मैंने नेट फोर इरिगेशन है उसके आउट ले के आपके सामने आंकड़ें रखे हैं, तो मैं एक पाइन्ट आपके सामने रखना चाह रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह रखना चाह रहा था basic infrastructure for the exploration of the irrigation potential in the Rajasthan उसका आधार नहीं बना पाये। इसलिये माननीय प्रोफेसर केदार साहब के विचार का मैंने स्वागत किया था कि अब भी हम इस विषय में सोचना चालू करें और एक योजनावद्ध तरीके से आगे बढ़ें। क्योंकि अब हमारी जो योजना है, उपाध्यक्ष महोदय, 1991-92, यह मैं इसलिये दे रहा हूं, कुछ यहां कहा गया कि पैसा कम हो रहा है पर प्रतिशत कम हो सकता यह गणना का फर्क है। जब कुल योजना की राशि बहुत अधिक बढ़ जाती है और एक सैक्टर में राशि अधिक बढ़ने के बावजूद भी प्रतिशत कम रहता है। तो 1991-92 की जो योजना थी उस एक साल की योजना में नेट फोर इरिगेशन जो आउट ले था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 162 करोड़ 91 लाख रुपया और मैं आज आपके द्वारा सदन को इस बात की सूचना देना चाहता हूं कि इसमें से करीब-करीब 80 प्रतिशत पैसा खर्च हो चुका है और अभी एक महीने के आंकड़े मुझे लेना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं और मैंने बड़े विश्वास

(श्री कैलाश मेघवाल)

के साथ अधिकारियों से भी यह कहा है कि वाजिब काम 31 मार्च तक सब कराये जायं लेकिन उसके साथ यह भी निर्देश दे दिये हैं कि किसी तरह का अनुपयोगी केवल खर्चा करने के लिये और चूंकि बजट लैप्स नहीं हो जाय इसके लिये अगर किसी तरह की खरीददारी या कोई व्यय किया गया तो उसको मैं बर्दास्त नहीं करुंगा क्योंकि ऐसा इस सदन का मानना है, जो सदन हमको यह पैसा देता है, सदपयोग के लिये देता है। तो यह एक स्थिति है। अब 1992-93, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा 186.39 करोड़ रुपया आउट्ले है। यह भी एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी है और इसके आधार पर हम जो हमारी विभिन्न सिचाई परियोजनाएं हैं चाहे राजस्थान कैनाल हो चाहे माही हो, चाहे बीसलपुर हो इसमें जो बढ़ोतरी करेंगे उससे अगले साल 17555 हैक्टेयर में अतिरिक्त सिचाई क्षमता पैदा करने का हमारा लक्ष्य है और यह लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे यह हमको उम्मीद है।

जान बूझकर कई कटौती प्रस्तावों में मांग की जाती रही है, मैं 27 दिन से सिचाई मंत्री के रूप में यहां उपस्थित होता हूं आपकी सेवा में, कई हमारे मित्र, सहयोगी, पार्टी वाले इस तरह का दबाव डालते हैं कि आप यह योजना स्वीकार करें, यह योजना स्वीकार करें लेकिन मैंने अभी तक कोई भी योजना स्वीकार नहीं की हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर विषय में आपके सामने रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों। इस गम्भीर विषय पर मुझे निर्देश दे और निर्देश इसलिए चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, यह न कहीं किसी तरह का कठोरता का रुख लेना पड़ेगा मुझे दिख रहा है। मैं आंकड़े रखना चाहता हूं कि आज हमारे सिचाई विभाग में जो अधूरे कार्य पड़े हैं उसमें तीन हजार करोड़ का दायित्व आज है। अगर तीन हजार करोड़ रुपये हमारे पास हों तो यह अधूरे कार्य पूरे हो सकते है यह राजस्थान के सिचाई विभाग में आधी हुई एक अराजकता है तो ईमानदारी से मैं स्वीकार करना चाहता हूं। अब इस विषय में तीन हजार करोड़ रुपये कब तो मिलेंगे और उसके साथ इंजीनियर्स सर्विस, प्राइस एक्सलेशन, मूल्य वृद्धि और अनेकानेक वृद्धियां। मैं सदन से इस बात का निर्देश चाहता हूं कि यह तीन हजार करोड़ के अधूरे कामों का दायित्व है इसको मैं किस तरह तो पूरा करूं और यह पूरा किये बिना हमारा पैसा लगा है। आज तक हमारा 1800 करोड़ रुपया लगा है। दूसरी मदों में पैसा लगा है और हम ने एक योजना चालू कि वह पूरी नहीं हुई चाहे किसी दबाव से राजनैतिक दृष्टिकोण से या किसी विभाग के दबाव से एक योजना और चालू कर दी। वह भी चालू हो गयी। उधर भी पैसा बांटा इधर भी पैसा बांटा इस तरह से हम एक के बाद एक योजना चालू करते चले गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और आते आते यह स्थिति आ गयी (व्यवधान) मैंने कौन-कौन सी की ? वह तो पूरी होने वाली है और अभी इस तरह से आप मुझ से पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। माननीय

(श्री कैलाश मेघवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है। यह मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि आज इन कार्यों के प्रति मेरा क्या रुख है। मैं सदन से जानना चाहता हूं, क्योंकि इस पक्ष में भी हमारे कई मित्र कहते हैं कि नये काम चालू करो, हमारा अधिकारी वर्ग भी चाहता है कि नया काम चालू हो, एक काम अधूरा है, इसको तो चलने दो। अधिकारी, जन प्रतिनिधि कई तरह के दबाव और आज राजस्थान का यह सिंचाई विभाग तीन हजार करोड़ के अधूरे कामों का दायित्व लेकर चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा यह निवेदन है. मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह चाहता हूं कि जहां हमारा पैसा अधिक लगा है वहां हम थोड़ा बहुत पैसा लगाकर के उसकी ईल्ड लेना शुरू कर दें। क्योंकि यही एक कारण है कि योजना आयोग में भी कोई हमारी प्रशंसा नहीं हो रही है। इतना पैसा खर्च कर दिया आपकी उपलब्धि क्या है। आज एक भी उपलब्धि नहीं है। सदन यदि मुझे इस बात का निर्देश दे कि मैं एक-एक बिन्दु पर सोच करके जहां एक करोड़ रुपया लगा करके यदि 11 करोड़ रुपये की उपलब्धि ली जा सकती है तो मैं एक करोड़ रुपया पहले लगा लूं। बजाय इसके कि पचास लाख वहां दूं और पचास लाख रुपया किसी नयी योजना में दूं और दोनों ही योजनाएं पूरी नहीं होगी। साल भर बाद एक्सलेशन हो जायेगा और वह लागत आगे बढ़ जायेगी और हमको कोई उपलब्धि नहीं होगी। मैं सदन के सामने मेरा जो सोच है वह रखना चाहता हूं। मैंने यह सोचा है सिंचाई मंत्री के रूप में कि हर योजना को देखा जावेगा जिसका अधूरा काम पड़ा है और इस अधूरे काम को बढ़ाने में एक प्रवृत्ति ने और योग दिया है जो मुझे पिछले 24 दिन से लगातार हल करने को मिल रही है। हमारे यहां सूखा सम्भाव्य कार्यक्रम भी चलता है हमारे यहां अकाल राहत कार्यक्रम भी चलता है, हमारे यहां जवाहर रोजगार योजना भी चलती है, हमारे यहां मरू विकास कार्यक्रम भी चलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सब कार्यक्रमों में सिंचाई विभाग की योजनाएं सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे करके दे दी जाती हैं। 75 लाख की योजना जवाहर योजना में हमको पांच लाख रुपये स्वीकार करने के अधिकार, उन्होंने पांच लाख दे दिया हमारे विभाग को और काम चालू। पांच लाख खत्म करने के बाद उनके पास धनराशि तो है नहीं और यह 70 लाख की जिम्मेदारी कौन निभाये ऐसी कई योजनाएं हैं। सैंकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूं तो यह आंकड़ा बहुत लम्बा पहुंचता है यह लायबिलिटी भी हम पर है। इस मामले में भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं। इस तरह के जो दूसरे कार्यक्रमों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के अगर कार्य हैं, अगर वहां पर फण्ड की उपलब्धि होगी या सिंचाई विभाग अपने जो फण्ड हैं उसमें से उसमें देने की स्थिति में होगा तो सिंचाई विभाग चालू करेगा नहीं तो मैं यह स्पष्ट निर्देश सिंचाई विभाग को दे रहा हूं कि ऐसे दूसरे विभागों को सिंचाई के कार्य हैं वह बिना राज्य की स्वीकृति के अपने स्तर पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

चालू नहीं करेंगे यह मैं आपकी सूचना के लिए यह निवेदन कर रहा हूं जिससे धीरे-धीरे यह लायबिलिटी कम हो और यह जो अधूरे काम हैं इनको पुरा करने की ओर हम आगे बढ़ें।

मेरा यह भी सोच है और यह मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि मुझे फिर अगले साल या बीच में, जब भी विधान सभा चले, माननीय सदस्यों के सामने चीर फाड़ के लिए आना है, पोस्टमार्टम के लिए आना है, मेरी एकाउण्टेबिलिटी है इस सदन के माध्यम से सारे राजस्थान की जनता के प्रति। मैं 10 प्रतिशत से नीचे जहां–जहां विनियोजन हुआ है इन योजनाओं में उसके प्रत्येक केस का अध्ययन करूंगा और अगर आने वाले पांच दस साल में उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, 10 प्रतिशत से नीचे जहां खर्चा हो चुका है उनमें से कुछ को छोड़ना पड़ेगा जिसको कल आप अपव्यय कहेंगे कि आपका पांच लाख लगा था मुझे वहां पर सवा करोड़ और लगाना है अब वह सवा करोड़ रुपया अगर मैं पांच साल में मेनेज नहीं कर सकता हूं तो मुझे उस पांच लाख को छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि सब दृष्टि से मुझे सोचने के बाद यह लगा कि हम क्या करें और क्या नहीं तो यह भी मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए जो हमारा सोच है वह रखना चाहता हूं।

इसमें नये कार्य लेने के सम्बन्ध में मेरे दो उद्देश्य रहेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नये कार्य एक तो जहां राज्य के हिस्से का पानी जो आप आज बजट में मुझे पैसा देंगे उसमें से प्राथमिकता से उन कामों को लिया जायेगा कि जिन से राज्य में पानी बहता है जैसे मानसी वाकल की बात कही गुजरात में पानी चला जाता है, जैसे चम्बल की बात कही गयी कि उत्तर प्रदेश में चला जाता है और कोई नदी हो। जहां राजस्थान का पानी बाहर जाने से रोका जा सके, उसको मैं प्राथमिकता से लूंगा। यह मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं। और मेरा यह भी निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि तीन साल में पूरी होने वाली योजनाएं लेना चाहता हूं। एक तिहाई खर्चा हमारे अभियंताओं से एक योजनाबद्ध तरीके से कि इतना इस साल मिलेगा, इतना इस साल मिलेगा और इतना इस साल मिलेगा और तीन साल में पूरी होने के बाद तीन साल में हमको रिटर्न देना प्रारम्भ कर दे। ऐसी छोटी–छोटी योजनाओं को, लघु सिंचाई योजनाओं को मैं प्राथमिकता से लूंगा। मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : लिफ्ट योजनाओं के बारे में।

श्री कैलाश मेघवाल : वह भी आ रहा हूं। अभी एक बात बड़ी तेजी गयी से उठाई वह थी मेण्टीनेंस की। 19.50 करोड़ राजस्थान में मेण्टीनेंस का खर्चा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेण्टीनेंस में वर्कचार्ज स्टाफ की तनख्वाहें, उनके वारे न्यारे, मेडिकल सब

304

(श्री कैलाश मेघवाल)

आ जाते हैं। 18 करोड़ रुपया हम वर्कचार्ज स्टाफ को तनख्वाहों का दे रहे हैं और उसमें पांच करोड़ रुपया तो ऐसे लोगों को दे रहे हैं कि जिनके पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है। 13 करोड़ रुपये तो उनके पास मान लो जिनके पास काम है। उसका कारण क्या रहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका कारण यह रहा कि ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाएं चलीं, वर्कचार्ज स्टाफ ले लिया गया। उस वर्कचार्ज स्टाफ के बारे में कई नियम, उप नियम, बाई लाज, यूनियन, मानवीय दृष्टिकोण सब से कुल मिलाकर के आज पांच करोड़ की तनख्वाह सिंचाई विभाग साल की ऐसे लोगों को दे रहा है कि जिनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन यह हम को देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी इधर उधर समायोजित कराके और अगर यह समायोजित हो जाते हैं तो हमारा 13 करोड़ ही वर्कचार्ज को देना पड़ेगा तो हो सकता है कि 6.50 करोड़ रुपया हम को मेण्टीनेंस के लिए मिले। मेण्टीनेंस कितना किनका करना पड़ता है आपको मालूम है। चार हजार तालाब का। यह जो रकम है हमारी मेण्टीनेंस की इसमें चार हजार तो तालाब हैं सिंचाई विभाग के। और 15 हजार किलोमीटर नहरें बनी हुई हैं, इतनी बड़ी मेण्टीनेंस के लिए, माननीय सभापति महोदय मैं यह स्थिति इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कि मेण्टीनेंस होना चाहिये, मेण्टीनेंस की मांग भी उठी है और हम कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे वर्कचार्ज का हमारा काम पड़े। बारां से आने वाले माननीय विधायक ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने उठाया लिफ्ट योजनायें। कई नदी नालों में जल उपलब्ध है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांधों में जो संग्रह है उसके अलावा। बांध तो बनाया फिर भी खाली पड़ा रहता है, नदी के अन्दर रह जाता है। उसका उपयोग करने के लिए लिफ्ट से अगर कोई किसान ले जाना चाहे तो उसको अभी इजाजत नहीं दी जाती है, इरिगेशन विभाग बीच में आ जाता है छोटी लिफ्ट योजनायें हैं किस पर बनाई जायें, उस जल को काम में लिया जाये और उस छोटी लिफ्ट योजनाओं को बनाकर के कृषक समितियां बना करके उसका रख रखाव और उसकी सारी व्यवस्था उन्हीं के हाथ में देने की एक योजना है। इस बारे में जहां कहीं भी नदी नालों में इस तरह का पानी उपलब्ध है जिससे कि लिफ्ट सिंचाई योजना बनाई जा सके उसको अभियान के रूप में यह विभाग ले रहा है जिससे कि हम उस नदी नाले के पानी को किसान के खेतों तक पहुंचा सकें, इसकी व्यवस्था किसान को दे सकें और इस पर लागत भी कम आयेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाभ भी ज्यादा होगा वो भी कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक निवेदन और कर दूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण का जीरो से 74 तक मेरे पास है। वहां एक स्थिति धीरे-धीरे डवलप हुई है। वहां एक तरफ तो फ्लो वाटर जाता है किसान का जितना कमाण्ड एरिया है उसको उतना पानी है उस कमाण्ड एरिया के पास में ही उसकी दूसरी जमीन है लेकिन वह उसमें पानी नहीं दे सकता क्योंकि वह नान कमाण्ड एरिया में है। सरकार ने इस बात को बड़ी गम्भीरता से लिया है और गम्भीरता से लेकर

(श्री कैलाश मेघवाल)

किसानों के साथ बातचीत की और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की और यह निर्णय लिया है कि उस किसान को जो पानी दिया जाता है उस पानी से अगर वह लिफ्ट करके अपनी अगली जमीन पर ले जाना चाहे तो ले जाये। उस पानी को बचा करके, अगर कम पानी वाली फसलें पैदा होती हैं उसको बचाने के लिए आपने नान कमाण्ड एरिया में ले जाना चाहे तो ले जाये और उस पानी का दूसरे काम में भी ले सके, यह छूट देने का सरकार ने निर्णय ले लिया है और इसके लिए करीब 15900 गंगानगर के इस जो कमाण्ड एरिया जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इसमें पन्द्रह हजार नौ सौ प्रार्थना-पत्र हमें मिल चुके हैं और उन्होंने 24 लाख 17 हजार रुपया इस सारे सर्वे कार्य के लिए जमा करा दिया है। कृषकों में इसके लिए बहुत उत्साह है और मैं यह मानता हूं कि सरकार का एक अच्छा कदम है जिससे पानी का लिफ्ट और फ्लो दोनों से किसान से अधिक से अधिक लाभ ले सके, पानी हम ज्यादा नहीं दे रहे हैं, वाटर लागिंग की भी प्राब्लम है। वह जो कमाण्ड एरिया से आगे अपना पानी नहीं ले जा सकता था इस प्रतिबन्ध से हम उसको छुट्टी दे रहे हैं और यह आदेश बहुत जल्दी जारी कर दिये जायेंगे। सारी तैयारी हो चुकी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : धन्यवाद।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या खत्म करूं क्या.... अब मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें आ गई तो फिर किसके लिए क्या चलने दिया जाये मैं सोचता हूं सारे जवाब आ चुके हैं, आप प्रश्न कर लीजिये। पहले तो आप कथन पूरा कर लें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का ऐसा मूड दिखता है कि जल्दी समाप्त किया जाये और उस मूड के साथ मैं भी सहमत हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं इसी सदन में हमने सब दृष्टिकोण से हमने विस्तार से चर्चा की है गंगा के पानी की चर्चा की है, यमुना के पानी की चर्चा की है रावी व्यास सिस्टम की चर्चा की है, बीसलपुर की चर्चा की है हमने माही की चर्चा की है और भी मैं माननीय विधायकों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह किसी भी तरह के कोई सुझाव देना चाहें तो मुझे दें, माननीय विधायक भीनमाल ने जो संकेत दिया था कि आप नोट नहीं कर रहे हैं। माननीय विधायक, एक–एक शब्द नोट हुआ है, एक–एक प्रति को लेकर नोट हुए हैं। आपने जो भाषण दिये हैं उसको बड़ी गम्भीरता के साथ लिया जायेगा और अगर आपके वह कटमोशन में समाहित है तो कोई बात नहीं है, अगर कट मोशन में समाहित नहीं है और आप ऐसे ही बोले हैं उसका भी आपको जवाब देने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा जो-जो भी आपने मांग उठाई है उस बारे में मैं गम्भीरता से विचार करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मांग संख्या 46 को पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 सिचाई के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,02,16,46,000 (छः अरब दो करोड़ सोलह लाख छियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.56 बजे मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 1992 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(307)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 394 का विवरण

स्वीकृत कार्यों का जिलेवार विवरण

जयपुर (राशि लाखों रु. में)

1.	गांधी चौक आमेर में पत्थरों का जड़ाव कार्य, नालियों का निर्माण	4.30
2.	जगतशिरोमणी मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, नृसिंहजी एवं जैन मन्दिर के पास स्थित चौक में पत्थरों लगाने एवं नालियों बनाने का कार्य	2.50
3.	रामबाग का सौंदर्यकरण, सफाई	3.10
4.	दलाराम बाग में करौली पत्थर का जड़ाव एवं मरम्मत कार्य	2.70
5.	केशर क्यारी में करौली स्टोन, जाली लगवाना एवं सौंदर्यकरण	2.40
6.	जन्तर मंतर में स्टोन पेवमेंट एवं एक स्टोर का निर्माण	2.00
7.	जयपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण	10.00
8.	जन उद्यान जयपुर में उद्यान का विकास एवं रोशनी व्यवस्था	7.88
9.	गैटोर स्थित छतरियों में मरम्मत एवं रख रखाव	8.00

जोधपुर

1.	गुलाब सागर में स्टोन पेंटिंग घाट का मरम्मत, बैंच लगवाना	5.00
2.	मरू त्रिकोण (जोधपुर-जैसलमेर एवं बीकानेर) हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाने का पारिश्रमिक	0.80
3.	ओसियां स्थित मंदिर का जीर्णोद्वार	5.81
4.	जसवंत थड़ा जोधपुर में मरम्मत कार्य	1.06

जैसलमेर

1.	गढ़ीसर टैंक स्थित दरवाजों, झरोकों, सड़क मरम्मत, स्टोन फ्लोरिंग रेलिंग आदि कार्य	6.71

बून्दी (राशि लाखों रु. में)

1.	बाण गंगा, शिकार बुर्ज पर पाथवे, पिकनिक स्पाट, सम्पर्क सड़क, कम्पाउन्ड वाल आदि कार्य	7.00

झुंझुनू

1.	मेड़तनी बावड़ी के स्टेटस की मरम्मत तथा बावड़ी का जीर्णोद्वार कार्य	4.70
2.	लोहार्गल में स्टीन पेवमेंट तथा कंजरवेशन कार्य	1.05

अजमेर

1.	आनासागर हेतु नावें क्रय	0.40
2.	पुष्कर स्थित घाटों की मरम्मत	6.10

धौलपुर

1.	मचकुण्ड में परिक्रमा पथों का निर्माण, विद्युत व्यवस्था, पुराने स्मारकों की मरम्मत	17.00

सिरोही

1.	मिनी नक्की लेक के डेम को ऊँचा करने हेतु	6.00

उदयपुर

शहर के सात दरवाजों पर रंग रोगन मरम्मत कार्य, फतहसागर झील के क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था	7.75

सूचना पट्ट

चित्तौडगढ़, उदयपुर, झुन्झुनू, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर	1.12
	113.38

केन्द्र सरकार से स्वीकृत योजनाओं हेतु राज्य सरकार का अंशदान

(लाख रू. में)

झालावाड़	
पर्यटक विश्राम गृह निर्माण हेतु विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन, कम्पाउण्ड आदि	2.36
बून्दी	
पर्यटक परिसर हेतु विद्युत, जल कनेक्शन तथा कम्पाउण्ड वाल	2.26
धौलपुर	
मिड़वे हेतु जल विद्युत कनेक्शन कम्पाउण्डवाल	2.38
सीकर	
फतेहपुर पर्यटक विश्रामगृह हेतु जल, विद्युत, कम्पाउण्ड एवं सम्पर्क सड़क	7.00
सवाई माधोपुर	
फास्ट फुड सेन्टर हेतु जल, विद्युत एवं कम्पाउण्डवाल	2.60
उदयपुर	
फ्लोटिंग रेस्टोरेन्ट हेतु	5.22
मेले-त्यौहार	
तीज, गणगौर, पुष्कर, नागौर, मरू समारोह, ग्रीष्म समारोह मेवाड़ समारोह, हाथी समारोह आदि के आयोजन	12.50
पर्यटन साहित्य का मुद्रण एवं प्रसार प्रसार	
राजस्थान पर्यटक मानचित्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) फतेहपुर शेखावाटी, राजस्थान गाइड बुक, पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन विभिन्न मेले-त्यौहारों की वीडियोग्राफी, आतिथ्य सत्कार आदि	55.17
राजस्थान पर्यटन विकास निगम/स्टेट होटल निगम को हिस्सा पूंजी/बाजार ऋण	135.00
अन्य—निदेशन एवं प्रशासन सहित	20.65
	358.52

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 398

उपरोक्त प्रश्न संख्या का पूर्ण विवरण प्रश्न के भाग 1 व 2 में क्रम संख्या 33 से 38 तक देखें।

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

सपोटरा (सवाई माधोपुर) क्षेत्र में संचालित आयुर्वेदिक औषधालय

403. **श्री प्रभुलाल (सपोटरा) :** क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद के कितने औषधालय कहां-कहां कार्यरत हैं तथा उनमें कहां-कहां कितना स्टाफ कार्यरत है ?

(2) कौन-कौन से औषधालय में कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) उक्त औषधालयों में गत दो वर्षों में कितनी-कितनी औषधियां उपलब्ध करवाई गई ? क्या यह पर्याप्त है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) केवल एक औषधालय अतेवा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक पद मार्च, 91 से रिक्त है। संभागीय आयुक्त के यहां से सरप्लस एन. ओ. सी. मिलने पर यह पद भरा जा सकेगा।

(3) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। बजट में उपलब्ध राशि के के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराई गई है।

परिशिष्ट–I

सवाईमाधोपुर जिले के सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद औषधालय के नामों की सूची, उसमें पदस्थापित स्टाफ के विवरण सहित–

क्र. सं.	स्थान औषधालय	पद स्थापित स्टाफ का विवरण			औषध विवरण	
		चिकित्सक	नर्स/कम्पा.	परिचारक	1989-90	1990-91
1	2	3			4	
1.	अतेवा	पदस्थापित है	पदस्थापित है	पद रिक्त है	1173.80	1666.35
2.	कैलादेवी (लोहरा)	,,	,,	पदस्थापित है	872.35	1666.35
3.	गेरई	,,	,,	,,	1173.80	1956.60
4.	मांकरी	,,	,,	पद सृजित नहीं	1173 80	1666.35

1	3			4	
5. रोवई	पदस्थापित है	पदस्थापित है	पद स्थापित है	1258.30	1666.35
6. लांगरा	,,	,, पदसृजितनहीं	,,	1098.20	1666.35
7. करणपुर	,,	,, पदस्थापित है	,, ,,	1098.20	1666.35
8. सेमरदा	,, ,,	,, ,,	पदसृजित नहीं	1098.20	1956.60
9. चौडागांव	,, ,,	,, ,,	पदस्थापित है	1098.20	1956.60
10. काचरोदा	,, ,,	,, ,,	पदसृजित नहीं	1098.20	1956.60
11. अमरगढ़ (डांग)	,, ,,	,, ,,	,, ,,	1098.20	1956.60
12. कुरगांव	,, ,,	,, ,,	पदस्थापित है	1098.20	1956.60
13. सलेमपुर	,, ,,	,, ,,	,, ,,	1098.20	1956.60
14. फतेहपुर	,,	,, पदसृजितनहीं	,, ,,	914.05	1956.60
15. बडोदा(गजराजपाल)	,, ,,	,, ,,	,, ,,	920.80	1956.60
16. लोहरा	,,	,, पदस्थापित है	,, ,,	1265.60	1876.60
17. जाखरोदा	,, ,,	,, ,,	,, ,,	1798.30	1876.60
18. चन्देलीपुरा	,, ,,	,, ,,	,, ,,	1798.30	1876.60

जहां जहां चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर व परिचारक पदस्थापित है, वहां इनके एक-एक पद सृजित हैं।

सवाई माधोपुर में पर्यटन होटल

404. **श्री चुन्नी लाल** (खण्डार) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर में पर्यटकों को ठहरने हेतु कितने होटल पर्यटन विभाग द्वारा रजिस्टर्ड हैं ?

(2) क्या उक्त रजिस्टर्ड होटलों में पर्यटकों को ठहरने एवं भोजन आदि की कोई दर निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या सरकार पर्यटकों से मनमर्जी से वसूली करने वाले होटल मालिकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा निजी होटलों के रजिस्ट्रेशन का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है।

(2) निजी होटलों को दरें विभाग निर्धारित नहीं करता।

(पर्यटन मन्त्री)

(3) शिकायत आने पर ही इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है ।

कोटा सम्भाग में मुन्सिफ न्यायालय

405. **श्री रामकिशन** (भरतपुर), **श्री गणपत राम** (दूदू) एवं **श्री शम्भूदयाल बड़गुर्जर** (केकड़ी) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोटा संभाग में कितने मुन्सिफ कोर्ट खोले गए ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) मुन्सिफ न्यायालय खोलने के मानदण्ड क्या हैं ? क्या सभी मामलों में मानदण्डों की पालना की गई है ?

उत्तर

(1) कोटा संभाग में 6 मुन्सिफ कोर्ट निम्नलिखित स्थानों पर खोले गये हैं:—

क्र. सं. नाम जिला	नाम स्थान जहां कोर्ट खोला गया है
1. बारां	शाहबाद
2. बारां	मांगरोल
3. बूंदी	इन्द्रगढ़
4. बूंदी	लाखेरी
5. सवाई माधोपुर	महुवा
6. सवाई माधोपुर	बामनवास

(2) मुन्सिफ न्यायालय खोलने हेतु कोई मापदंड निर्धारित नहीं है ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों का सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नयन

406. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? क्या यह मानदण्ड छात्र-छात्राओं के विद्यालयों के लिये भिन्न-भिन्न हैं ?

(2) जैतारण विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किन किन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी स्कूल में किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिए निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार है :—

(1) क्षेत्रीय मांग ।

(2) छात्र संख्या ।

(3) भवन की उपलब्धता ।

(4) भौगोलिक स्थिति ।

(5) फीडर स्कूलों की संख्या ।

(6) वित्तीय साधनों की उपलब्धता । परन्तु छात्राओं के विद्यालय को क्रमोन्नत हेतु निर्धारित मानदण्ड में उदारता बरती जाती है ।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) राज्य में विधान सभा क्षेत्रवार विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने की कोई नीति निर्धारित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा पं. सं. को इकाई मानकर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

उ. प्रा. विद्यालयों को सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिए सत्र 91–92 के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गई है।

निगम व अनुबन्धित बसों से औसत आय

407. सालिगराम नेता (बयाना) एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में निगम की प्रति बस से प्रतिदिन औसत आमदनी, खर्च निकाल कर कितनी है ?

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से अनुबंधित प्रति बस की औसत आमदनी, निगम का खर्च निकाल कर कितनी है ?

(3) निगम की बसों व निगम की अनुबंधित बसों की आय में अन्तर के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) माह अप्रैल, 91 से दिसम्बर, 91 तक की अवधि में निगम की स्वयं की बसों की प्रति बस औसत आमदनी, सभी खर्च को निकालकर 86.00 रुपये प्रतिदिन है।

(2) इसी अवधि में अनुबन्धित बसों की प्रति बस औसत आमदनी खर्च निकाल कर 156.00 रुपये रही है।

(3) निगम की एवं अनुबन्धित बसों की आय में अन्तर के प्रमुख कारण निम्न प्रकार है :—

(अ) निगम की बसें प्रतिदिन सभी श्रेणी के मार्गों पर औसतन 278 कि. मी. ही चलती है, जबकि अनुबन्धित बसें प्रतिदिन लम्बे मार्गों पर औसतन् 445 कि.मी. चलती हैं, फलतः अनुबन्धित बसों को सभी बिन्दुओं से अच्छा यात्रीभार मिलता है, जबकि निगम की बसों को सभी प्रकार के मार्गों पर चलने से औसतन कम यात्री भार उपलब्ध होता है।

(ब) अनुबन्धित बसें प्रायः लम्बे मार्गों पर द्रुतगामी सेवा के रूप में संचालित की जा रही हैं, जिनका किराया साधारण सेवा के किराये से 3.50 पैसा प्रति कि.मी. अधिक है। इसके विपरीत निगम की वाहनें औसतन 56 प्रतिशत साधारण सेवा के रूप में संचालित की जा रही है।

(स) निगम में एक बस पर औसतन 8 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि अनुबन्धित बसों में एक बस पर औसतन 2–3 कर्मचारी

(यातायात मन्त्री)

कार्यरत होते हैं । अतः अनुबन्धित बसों की तुलना में निगम का प्रति बस खर्चा अधिक आना स्वाभाविक है ।

राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लि. डेगाना के श्रमिक

408. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लि. की इकाई डेगाना से कार्यरत 118 अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिला श्रमिकों को किस आधार पर नौकरी से निकाला गया है ?

(2) क्या इस संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1951 एवं धारा 25 एक एफ के तहत केन्द्र सरकार के श्रम विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या यह अनुमति ली गई थी ? यदि हां, तो कब ? अनुमति की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार इन निकाली गई गरीब महिलाओं को पुनः रोजगार देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) टंगस्टन परियोजना, डेगाना हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को स्थानांतरित किये जाने की शर्तों के अनुसार कम्पनी द्वारा छाजले पर कार्यरत श्रमिकों को नहीं लिया गया है । चूंकि राजस्थान टंगस्टन विकास निगम के पास अब कोई कार्यकलाप नहीं है व कम्पनी के बन्द करने की प्रक्रिया शुरू की जानी थी अतः इन श्रमिकों को बिना किसी जाति या धर्म या लिंग के भेद-भाव के नियमानुसार मुआवजा देकर रिट्रेन्च (छंटनी) कर दिया गया है ।

(2) धारा 25 एफ. एफ. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी एक संस्थान का प्रबन्ध या स्वामित्व यदि किसी दूसरे संस्थान को स्थानान्तरित किया जावे तो कामगारों को धारा 25 एफ. औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत रिट्रेन्च किये गये कामगारों की तरह ही कम्पेनसेशन देय है । जो श्रमिकों को दिया जा चुका है । केन्द्र सरकार के श्रम विभाग को ऐसी छटनी के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है ।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

गंगानगर शुगर मिल द्वारा संचालित दुकानों पर नियुक्त प्रभारी

409. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित मदिरालयों एवं देशी मदिरा की दुकानों पर प्रभारी के पद पर नियुक्ति हेतु क्या नियम हैं ?

(2) क्या शुगर मिल्स द्वारा मदिरालयों एवं दुकानों को श्रेणियों में विभक्त किया

(श्री रामनारायण वर्मा)

हुआ है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस श्रेणी एवं वेतनमान वाले कर्मचारी मदिरालय एवं दुकान पर प्रभारी के पद पर कार्य कर सकते हैं ? वर्तमान में किस-किस वेतनमान का कौन-कौन कर्मचारी कितनी अवधि से किस-किस मदिरालय एवं दुकानों पर कार्य कर रहा है ?

(4) 1990-91 एवं 1991-92 में गंगानगर शुगर मिल्स में सिफारिश के आधार पर किसी कर्मचारी को मदिरालय या दुकानों पर लगाया गया है ? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी को किस-किस स्थान पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित मदिरालयों एवं देशी मदिरा दुकानों पर प्रभारी के पद पर नियुक्ति हेतु कोई कोई नियम नहीं है।

(2) गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा मदिरालयों को तीन श्रेणीयों में विभक्त किया हुआ है, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर है। दुकानों को श्रेणियों में विभक्त नहीं किया हुआ है।

(3) मदिरालयों पर मंत्रालयिक श्रेणी के कर्मचारी प्रभारी के पद पर कार्य कर सकते हैं। मदिरालयों पर जिस वेतनमान वाले कर्मचारी प्रभारी के पद पर कार्य कर सकते हैं, का विवरण एवं वर्तमान में कार्यरत प्रभारी के वेतनमान तथा कार्यावधि का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। मदिरा दुकानों पर कन्सोलीडेटेड (नियत) वेतन पर अस्थाई कर्मचारी को सेल्समैन के पद पर लगाया जाता है, जिसका विवरण एवं वर्तमान में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों का विवरण मय उनकी कार्यावधि के परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के नए राजस्व ग्रामों हेतु पेयजल योजना

410. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार बाड़मेर व जैसलमेर जिले के नए राजस्व ग्रामों के लिए पेयजल योजना बनाकर उसे स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के नए राजस्व ग्रामों के लिए कितनी योजनाएं बनाई जा चुकी हैं व कौन-कौनसी योजनाएं विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में 148 तथा जैसलमेर जिले में 30 नये राजस्व ग्रामों की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। और नये राजस्व ग्रामों की योजनाएं धन संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत की जानी प्रस्तावित है।

(2) स्वीकृत योजनाओं के अतिरिक्त बाड़मेर जिले हेतु 66 तथा जैसलमेर जिले की 33 ग्रामों की योजनाओं के प्रस्ताव प्रारम्भिक स्थिति में हैं जिनकी वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इन योजनाओं पर धन उपलब्धता के अनुसार विचार किया जा सकेगा।

"परिशिष्ट"

बाड़मेर जिले के राजस्व गांव जिनके प्रारम्भिक प्रस्ताव बने हुए हैं।

क्र. सं. योजना का नाम	गांव का नाम	तहसील
1. पम्प टैंक रावतसर	1. रावतसर	शिव
2. विस्तार हाथी सिंह का गांव	2. हाथीसिंह का गांव	,,
3. विस्तार भगवानसिंह की ढाणी	3. भगवानियों की ढाणी	,,
4. विस्तार इन्द्रवास	4. इन्द्रावास	बाड़मेर
5. विस्तार योजना गांधीनगर	5. गांधी नगर	,,
6. उण्डू पनावड़ा कुम्पालिया	6. मर्दो की ढाणी	,,
	7. हेराजाणियों की ढाणी	,,
	8. फकूगिया नाड़ा	,,
	9. साइयों की ढाणी	,,
	10. धीराणियों की ढाणी	,,
	11. मेगवालों की बस्ती	,,
	12. इन्द्राणियों का तला	,,
	13. खरछाणियों का तला	,,
	14. नागणेश तला	,,
	15. बिला नाड़ी	,,
	16. मोहतानियों का तला	,,
	17. ओदारों की नाड़ी	,,
	18. मदरूवाणियों की ढाणी	,,
	19. मिटीसरा	,,

1	2	3	4
		20. बन्डीघोरा	बाड़मेर
		21. सियोगों की ढाणी	,,
		22. रिछुसर	,,
		23. जादुओं की ढाणी	,,
		24. रामसरिया	,,
		25. चौरासिया	,,
		26. दीपाणियों की ढाणी	,,
		27. मोगाजी का मन्दिर	,,
		28. उगराणियों की ढाणी	,,
		29. सऊओं का बास	,,
		30. लोतों की ढाणी	,,
		31. हराणियों की ढाणी	,,
		32. सियोलों की ढाणी	,,
		33. जसाड़ों की बेरी	,,
		34. महादेव जी का मन्दिर	,,
		35. बेनीवालों की ढाणी	,,
		36. पूनियों की बेरी	,,
		37. दर्जियों की ढाणी	,,
		38. जगराम की ढाणी	,,
		39. पीराणी साइयों की ढाणी	,,
		40. सुथारों की ढाणी	,,
		41. खोखसर पूर्व	,,
		42. खोखसर पश्चिम	,,
		43. खोखसर दक्षिण	,,
		44. करालिया	,,
		45. चिपानियों की ढाणी	,,
		46. डूंगरा नाडा	,,
		47. झोपड़ियों की ढाणी	,,
		48. जादुओं की ढाणी	,,
7. रासडी	झाकमोखाब	49. कोटडियों की ढाणी	शिव
		50. अवसाणियों की ढाणी	,,
		51. चितरोडी	,,
		52. बूटी तला	,,
		53. अमरसिंह की ढाणी	,,

1	2	3	4
		54. रतनुओं की ढाणी	शिव
		55. पाबूपाली	,,
		56. मोती नाड़ा	,,
		57. कायम बस्ती	,,
		58. नीम्बला नाडा	,,
		59. केरियों की बस्ती	,,
8.	बरियारा धार्खो	60. यलोशों की ढाणी	बाड़मेर
		61. लछो की ढाणी	शिव
9.	विस्तार कानासर कश्मीर	62. खुडाबडा	,,
		63. गोरसियों का तला	,,
		64. रामदेवरिया	,,
		65. गियारिणयों की बस्ती	,,
10.	विस्तार जसोल	66. माजीवाला	पचपदरा

जैसलमेर जिले के राजस्व ग्राम जिनके प्रारम्भिक प्रस्ताव बने हुए हैं।

क्र. सं. 1	योजना का नाम 2	ग्राम का नाम 3	तहसील 4
1.	विस्तार योजना झाबरा	1. झाबरा	जैसलमेर
2.	,, ,, कमरों की ढाणी	2. ममरों की ढाणी	,,
3.	,, ,, भीमसर	3. भीमसर	,,
4.	,, ,, कबीर बस्ती	4. कबीर बस्ती	,,
5.	,, ,, मानेरी	5. मानेरी	,,
6.	,, ,, तिनसर	6. तिब्नसर	,,
7.	,, ,, छिपासरिया	7. छिपासरिया	,,
8.	,, ,, मगरा	8. मगरा	,,
9.	,, ,, मेहरों की ढाणी	9. मेहरों की ढाणी	,,
10.	,, ,, अदरोही	10. अदरोही	,,

1	2	3	4
11.	विस्तार योजना जोधा	11. जोधा	जैसलमेर
12.	,, ,, सुजासर	12. सुजासर	पोकरण
13.	,, ,, ढोलासर	13. ढोलासर	,,
14.	,, ,, गुण्डाला	14. गुण्डाला	,,
15.	,, ,, नई राजमथाई	15. नई राजमथाई	,,
16.	,, ,, हरियासर	16. हरियासर	,,
17.	,, ,, लहगोसर	17. लहगोसर	,,
18.	,, ,, रूपसर	18. रूपसर	,,
19.	,, ,, डूंगरों की ढाणी	19. डूंगरों की ढाणी	,,
20.	,, ,, दूधाली की ढाणी	20. दूधाली की ढाणी	,,
21.	,, ,, गाडी चंपावतान	21. गाडी चंपावतन	,,
22.	,, ,, इंद्रानहर	22. इंद्रानहर	,,
23.	,, ,, ढोकरा	23. ढोकरा	,,
24.	6,, ,, तालरिया	24. तालरिया	,,
25.	,, ,, दलपतपुरा	25. दलपतपुरा	,,
26	,, ,, प्रतापपुरा	26. प्रतापपुरा	,,
27.	,, ,, अचोलपुरा	27. अचोलपुरा	,,
28.	,, ,, मोतीसर	28. मोतीसर	,,
29.	,, ,, सोडारसर	29. सोडारसर	,,
30.	,, ,, नया सोनोहरा	30. नया सोनोहरा	,,
31.	,, ,, मोलूसर	31, मोलूसर	,,
32.	,, ,, मारवला बस्ती	32. मारवला बस्ती	,,
33.	,, ,, अमरसर	33. अमरसर	,,

भीनमाल जालौर में सामुदायिक विकास भवन

411. **श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)** : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले के भीनमाल कस्बे में सामुदायिक विकास भवन बनाने हेतु धनराशि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

(2) उक्त राशि में से कितनी राशि खर्च कर दी गई है तथा कितना भवन बनकर तैयार हुआ है ?

(1) क्या यह सही है कि उक्त भवन हेतु निर्धारित सम्पूर्ण राशि व्यय हो जाने के पश्चात् भी भवन निर्माण का कार्य अभी तक अधूरा है ?

(4) क्या यह सही है कि इस भवन को पूरा करने हेतु और अधिक राशि प्राप्त करने के लिए पुनः ऐस्टीमेट बनवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) इसके लिए कौन जिम्मेवार है तथा उसके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, भीनमाल को दिनांक 30.12.91 को 0.50 लाख एवं 11.2.92 को 1.00 लाख रुपये की राशि उक्त भवन हेतु हस्तान्तरित की गई थी।

(2) उक्त राशि में से 1.50 लाख रुपया व्यय हो चुका है एवं निम्न निर्माण कार्य हुआ है :–

1– एक सभा भवन साईज 30" × 19.3" × 12"

2– बरामदा 50" × 10" × 9" फुट

3– एक कमरा 19.3" × 16" × 12"

(3) जी हां।

(4) जी हां। पूर्व में तकमीने में सुधार करने व भवन की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से ऐस्टीमेट पुनः बनवाया गया है।

(5) तकमीना कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बनाया गया है परन्तु तकमीने के आइटम बदलने तथा बढ़ने से ऐसा हुआ है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

कूचियावास प्रकरण में निलम्बित राज्यकर्मी

412. **डा. चन्द्रभान (मण्डावा)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 19-9-1991 को सदन में श्री मनीराम इनाणीया आबकारी निरीक्षक व श्री नानूराम प्रहराधिकारी को निलम्बित करने की घोषणा की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि दोनों कर्मचारियों को निलम्बित करने की घोषणा के साथ ही यह भी घोषणा की थी कि

(डा. चन्द्रभान)

कुचियावास प्रकरण की जांच जिला कलक्टर से तीन माह में करवाली जायेगी एवं उसके पश्चात् विलम्बन पर पुनः विचार किया जावेगा ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

(3) क्या यह सही है कि कुचियावास प्रकरण से सम्बन्धित अभियोग में मुलजिम ने न्यायालय में जुर्म स्वीकार कर लिया है तथा उस पर अदालत उठने तक की सजा व 2,000/– रुपये जुर्माना किया गया है ? यदि हां, तो फिर आबकारी निरीक्षक व प्रहराधिकारी कैसे दोषी हैं ?

(4) क्या सदन में घोषणा किये जाने से पूर्व कुचियावास प्रकरण की प्राथमिक जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो उस जांच में किसे दोषी ठहराया गया था ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त दोनों कर्मचारी को निलम्बन से पूर्व न तो कोई आरोप पत्र दिया गया और न ही बाद में दिया गया ? क्या यह कार्यवाही सी.सी.ए. रूल्स के विरुद्ध है ? यदि हां, तो इस कार्यवाही के प्रति दोषी कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(6) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष 15-1-92 को पेश की जा चुकी है तथा उसमें इन दोनों कर्मचारियों को निर्दोष माना है ? यदि हां, तो फिर इन्हें बहाल क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । जिला कलक्टर द्वारा समुचित जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

(3) जी हां, परन्तु आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारी द्वारा केस बनाने में नियम एवं अधिनियम के प्रावधानों व प्रशासनिक आदेशों का उल्घंन कर मदिरा के अवैध परिवहनकर्ता तोलाराम के विरुद्ध केस नहीं बनाकर बदनियति से छोड़ देने के दोषी है–जिसकी जांच प्रश्न संख्या–2 के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा अभी किया जाना शेष है ।

(4) जी नहीं । सदन में आदेशात्मक उद्घोषणा से पूर्व प्रकरण में किसी प्रकार की जांच नहीं की गई ।

(5) जी हां ? कार्यवाही सी. सी. ए. रूल्स के अनुसार ही की गई है ।

(6) जी नहीं । जिला कलक्टर द्वारा समुचित जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है जिसके लिए उन्हें दिनांक 9. 3. 92 को पुनः आदेश दिये गये हैं ।

लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक के वेतनमान

413. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक के वर्तमान में वेतनमान क्या हैं तथा अन्य भत्ते सुविधाएं क्या-क्या हैं ? क्या इन्हें मकान आदि की सुविधा उपलब्ध

(322)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में महंगाई को देखते हुए तथा उक्त पदों की गरिमा को देखते हुए ? क्या यह वेतन पर्याप्त है ? यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लोक अभियोजक की वर्तमान में रिटेनरशिप फीस 1400–50–1600 हैं तथा अपर लोक अभियोजक की वर्तमान में 1200–50–1400 रिटेनरशिप हैं तथा इनकी नियुक्ति रिटेनरशिप में होती हैं जिसके फलस्वरूप लोक अभियोजक को 1400/– प्रतिमाह रिटेनरशिप प्राप्त होती हैं एवं अपर लोक अभियोजक को 1200/- प्रतिमाह रिटेनरशिप प्राप्त होती हैं । लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक को सरकारी यात्रा पर नियमानुसार यात्रा भत्ता भी देय होता । प्रति प्रकरण निम्न फीस का भुगतान भी किया जाता है जो निम्न प्रकार से हैं :–

वादपत्र वादोत्तर पत्र .	150/-
की प्रारूपण फीस	प्रति केस
अवमानना प्रार्थनापत्र	300/-
कन्टेस्टेड (Contested) केस में	प्रति केस
अनकन्टेस्टेड (Uncontested)	150/-
केस में	प्रति केस

उक्त फीस का भुगतान अब जिला कलक्टर द्वारा ही किया जाता है । वर्तमान में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक को कोई मकान आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस प्रकार की सुविधा का नियमों में कोई प्रावधान नहीं हैं ।

(2) लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक को देय रिटेनरशिप पर्याप्त हैं फीस में वृद्धि का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन हैं तथा अगले वित्तीय वर्ष में इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जावेगा ।

जुगनी बास (अलवर) का प्राथमिक विद्यालय

414. **श्री जीतमल जैन (अलवर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) अलवर शहर के जुगनी बास मोहल्ले में स्थित प्राथमिक विद्यालय में कितने छात्र हैं ?

(2) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या के अनुकूल भवन में छात्रों को बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि भवन में पर्याप्त स्थान के अभाव में छात्रों को भवन के साथ लगी सड़क पर बैठाकर शिक्षा दी जाती है एवं परिक्षाएं भी सड़क पर ही आयोजित की जाती हैं ?

(4) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार समस्या के समाधान हेतु शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) राजकीय प्राथमिक विद्यालय जुबली बास अलवर के छात्र/छात्राओं की संख्या 174 है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

जयपुर शहर की नगरीय बस सेवा

415. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में पथ परिवहन निगम की नगरीय बस सेवा गत कई वर्षों से बन्द है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में नगरीय बस सेवा में निजी बसेज का संचालन किया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि निजी बसों में यात्रियों से मनमाना किराया वसूल किया जाता हैं। बसों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया जाता है एवं यात्रियो से दुर्व्यवहार की घटनाएं आये दिन होती हैं?

(4) क्या सरकार जयपुर शहर में पथ परिवहन निगम की नगरीय बस सेवा पुनः शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर शहर में 10 मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित हैं।

(2) वर्तमान में नगरीय बस सेवा में राज्य पथ परिवहन निगम तथा निजी बसें संचालित हैं।

(3) जी नहीं। किराया निर्धारित वसूल किया जाता है। यात्रियों से दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जाती है। जहां तक इन बसों में क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने का प्रश्न है, सुबह-शाम बसों में भीड़ रहना स्वभाविक है, क्योंकि यह समय लोगों के काम पर जाने व लौटने का होता है तथापि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाती है। क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने वाली बसों के समय-समय पर पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा चालान बनाये जाते हैं। इन बसों में भीड़ रहने का दूसरा प्रमुख कारण यह है कि वर्तमान में 650 निजी मिनी बसों की आवश्यकता के मुकाबले में मात्र 326 निजी मिनी बसें हों संचालित हैं। इस प्रकार आवश्यकता के मुकाबले संचालित निजी मिनी बसों की संख्या काफी कम हैं।

(4) संसाधनों की कमी तथा नगरीय संचालन में होने वाली आर्थिक हानि के कारण शहर के सभी मार्गों पर निगम की बसों का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

अटरू (कोटा) क्षेत्र में खनन बकाया

416. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अटरू तहसील में अवैध व वैध खनन करने वालों पर कब से कितनी राशि बकाया है। नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या पिछले विधान सभा सत्र के दौरान सरकार ने बकाया राशि वसूली का वायदा किया था ? यदि हां, तो कितनी राशि किस-किस से वसूल की गई ?

(3) क्या जो वसूली हुई है वह सन्तोष जनक है ? यदि नहीं, तो इसमें दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) अटरू तहसील में वैध व अवैध खनन करने वालों पर राशि रुपये 4,36,456/– बकाया है। वितरण परिशिष्ट "अ" व "ब" में संलग्न है।

(2) जी हां, राज्य-सरकार बकाया वसूली के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है। अटरू तहसील में खनन करने वालों से वर्ष 91-92 में रुपया 1,48,580–00 की वसूली दिनांक 9/3/92 तक की गयी है। विवरण परिशिष्ट "अ" व 'ब" संलग्न है।

(3) जी हां, क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संतोष-जनक है। जैसा कि प्रश्न के खण्ड 2 में बताया गया है कि बकाया वसूली के लिये विभाग सतत् प्रयत्नशील है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उद्योगों के विकास हेतु ग्रोथ सेंटर

417. **श्री हीरालाल इन्दोरा** (केसरीसिंहपुर) एवं
श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उद्योगों के विकास के लिए ग्रोथ सेन्टर बनाने व उनके विकास करने के लिए किन-किन जिलों का चयन किया गया ? उक्त ग्रोथ सेंटर कब तक प्रारम्भ कर दिये जाएंगे ? ग्रोथ सेंटर के विकास में देरी के क्या कारण रहे ?

(2) ग्रोथ सेंटर योजना का सार संक्षेप में सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार ने लघु उद्योगों को मिलने वाली अनुदान राशि को किन-किन जिलों में कब से समाप्त कर दिया है ? क्या राज्य सरकार रेगिस्तानी, आदिवासी एवं पिछड़े (औद्योगिक दृष्टि से) क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए अनुदान राशि पुनः चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(4) गत दो वर्षो में राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए उद्योग विभाग ने क्या-क्या कार्य किये और इससे राजस्था

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

में औद्योगिक विकास की दर में क्या वृद्धि हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान में ग्रोथ सेन्टर के विकास हेतु निम्नलिखित स्थानों का चयन किया किया है :–

क्र.सं	स्थान का नाम	जिला
1.	माण्डलगढ़	भीलवाड़ा
2.	खारा	बीकानेर
3.	झालावाड़	झालावाड़
4.	आबू रोड	सिरोही
5.	धौलपुर	धौलपुर

उपर्युक्त ग्रोथ सेन्टरों की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को भिजवाई जा चुकी है। भारत सरकार से परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर विकास कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

(2) ग्रोथ सेन्टर योजना का संक्षिप्त सार "सूची–क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पूंजी विनियोजन अनुदान योजना में 30/9/88 से आगे वृद्धि नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना भी इसी तिथि से समाप्त कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में लगने वाले सभी श्रेणी के नये उद्योगों एवं विस्तारित उद्योगों को दिनांक 1/4/90 से राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(4) राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 में किये गये कार्यों के विवरण की सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है। औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि विषयक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नारायणपुर थानागाजी का उच्च जलाशय

418. **श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर में उच्च जलाशय का निर्माण कब हुआ था और उसकी लागत क्या थी ?

(2) क्या वह जलाशय उपयोग में आ रहा है ?

उत्तर

(1) संदर्भित उच्च जलाशय का निर्माण वर्ष 1965–66 में किया गया था तथा इस पर 30,400 रुपये की राशि व्यय हुई थी।

(2) जी नहीं।

राज्य में नए प्राथमिक विद्यालय

419. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (तौखा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

326

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(1) क्या यह सही है कि 1 जनवरी 1988 से लेकर आज तक राज्य में प्राथमिक पाठशालाएं नहीं खोली गई हैं ? यदि इस अवधि में खोली गई हैं तो किस-किस वर्ष में एवं कितनी-कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शालाएं जो पहले खोली गई थीं, अध्यापकों के अभाव में वे बन्द पड़ी हैं ? यदि हां, तो राजस्थान के किन-किन जिलों में किस-किस पंचायत समिति में कितनी-कितनी प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों का अभाव है ?

(3) क्या सरकार अध्यापकों के अभाव में स्कूलों में पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? इसमें कुल कितने अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। खोले गये विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है :-

90-91	200 सीमान्त विद्यालय
91-92	1357

(2) जी नहीं। जिलेवार अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। राजस्थान के समस्त 30 जिलों में दिनांक 22-2-92 तक 6004 अध्यापकों के पद रिक्त थे जिन पर नियमानुसार नियुक्ति हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषदों को आदेश दे दिये गये हैं तथा नियुक्ति प्रक्रिया चालू है।

नाम जिला	रिक्त पद
1. अजमेर	90
2. अलवर	139
3. बांसवाड़ा	284
4. बाड़मेर	611
5. भरतपुर	64
6. भीलवाड़ा	319
7. बीकानेर	249
8. बूंदी	76
9. बारां	90
10. चित्तौड़गढ़	132
11. चुरू	225
12. धौलपुर	31
13. डूंगरपुर	75
14. दौसा	46
15. श्री गंगानगर	508
16. जयपुर	175
17. जैसलमेर	47
18. जालोर	264
19. झालावाड़	304
20. झुंझनु	161
21. जोधपुर	284
22. कोटा	38
23. नागौर	739
24. पाली	192
25. राजसमंद	65
26. सवाई माधोपुर	116
27. सीकर	367
28. सिरोही	12
29. टौंक	266
30. उदयपुर	35
योग	6004

आयुर्वेदिक औषधालयों हेतु औषध क्रय के मानदण्ड

420. श्री परसादी लाल मीणा (बामनवास) एवं

श्री हीरा लाल मीणा (लालसोट) : क्या आयुर्वेद-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में आयुर्वेदिक औषधालयों के लिये वर्ष 1991-92 में कुल कितनी राशि की दवाइयां खरीदना प्रस्तावित था तथा अब तक कितनी राशि की दवाइयां खरीदी जा चुकी हैं ?

(2) सरकार का प्रति वर्ष एक औषधालय के लिये कितनी राशि की दवाइयां खरीदने का मानदण्ड है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में भेषज्य व औषधि मद में 74.12 लाख रुपये का बजट प्रावधान स्वीकृत है । 24-2-92 तक 38.55 लाख रुपये का क्रय हो चुका है शेष राशि 35.57 लाख का व्यय 31-3-92 तक कर लिया जावेगा ।

(2) प्रति बहिरंग रोगी 1 रु. व अन्तरंग रोगी रु. 3/-प्रतिदिन का मापदण्ड निर्धारित है । उसी के अनुरूप प्रति औषधालय गत वर्ष की मरीजों की संख्या को देखते हुये आवश्यक औषधियों को प्राथमिकता देते हुये औषधालयों के घटकों का वित्तिय संसाधनों के अनुसार खरीद की जाती है ।

जिला एवं सत्र न्यायालय (सोजत) का कार्य क्षेत्र

421. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री राज्य यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सोजत में नव सृजित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना से पूर्व पाली जिला एवं सत्र न्यायालय में कुल सैशन ट्रायल/क्रिमिनल अपील व रीवीजन, सिविल ओरिजनल, सिविल अपील, मोटर दुर्घटना क्लेम व विविध मुकदमों की कुल संख्या कितनी थी ?

(2) उक्त प्रकार के कुल मुकदमों की संख्या में से पाली सोजत व जैतारण सब डिवीजन, के सैशन ट्रायल क्रिमिनल अपील व रीवीजन, सिविल ओरिजनल सिविल अपील मोटर दुर्घटना क्लेम व विविध कितने मुकदमे थे ?

(3) क्या सोजत व जैतारण सब डिविजन्स का पूर्ण कार्यक्षेत्र अरिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सोजत को दे देने के पश्चात् भी पाली जिला एवं सत्र न्यायालय में सोजत के नव सृजित न्यायालय में स्थानान्तरित मुकदमों के मुकाबले में बहुत अधिक मुकदमें पाली में नहीं बच जायेंगे और यह एक असमानता नहीं होगी ?

(4) क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधानों के होते हुए सोजत उपखण्ड की दो तहसीलों में से मारवाड़ जंक्शन तहसील को पाली जिला एवं सत्र न्यायालय के अन्तर्गत व सोजत तहसील को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सोजत के अन्तर्गत रखना एवं इस प्रकार उपखण्ड को विभाजित करना उचित है ?

(5) क्या सरकार सोजत उपखण्ड की दो तहसीलें सोजत व मारवाड़ जंक्शन को अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय

(328)

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

सोजत एवं जिला एवं सत्र न्यायालय पाली में अर्थात् अलग अलग कार्यक्षेत्रों में विभाजित कर सस्ता एवं सुलभ न्याय की दृष्टि में कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(2) 2356

(2) उक्त कुल मुकदमों की संख्या में से पाली सोजत व जैतारण के वादों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :—

पाली	सोजत	जैतारण
1290	630	435

(3) जी नहीं यह सही नहीं है। पाली सत्र न्यायाधीश के पास फिर भी पर्याप्त वाद सुनवाई हेतु शेष रहते हैं।

(4) वादों को शीघ्रता से निपटाने के लिए अधिकार क्षेत्र का स्वविवेक से बंटवारा करने के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाली पूर्णत सक्षम हैं इस में कोई कानूनी बाधा नहीं हैं।

(5) जी नहीं। क्षेत्राधिकार का बंटवारा करने का पूरा अधिकार जिला न्यायाधीश पाली एवं उच्च न्यायालय को हैं। राज्य सरकार का हस्ताक्षेप इस में वांछयी नहीं है।

सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय धोरीमना (बाड़मेर) में विज्ञान विषय

422. श्रीमती मदन कौर (मुदुामालानी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या बाड़मेर जिले की सिनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल धोरीमना में विज्ञान के विषय स्वीकृत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस स्कूल में गत शिक्षा सत्र 1990-91 में गणित रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं जीव विज्ञान का कोई अध्यापक कार्यरत नहीं था ? क्या इसी के फलस्वरूप गत सत्र में अध्ययनरत विज्ञान के सभी छात्र बोर्ड की परिक्षा में असफल रहे ?

(3) क्या इन विषयों में स्कूल की इस सत्र में भी यही स्थिति है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है, अधिकारी या व्यवस्था ?

(4) अब कौनसी तिथि तक इस स्कूल में शिक्षकों की पूर्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(4) भरने की प्रक्रिया जारी है।

पुलिस उपनिरीक्षक/सिपाहियों की भर्ती हेतु आयु सीमा

423. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान सरकार ने पुलिस उप निरीक्षक एवं सिपाहियों की भर्ती की आयु सीमा निर्धारित कर रखी है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? क्या पूर्व में आयु सीमा अलग थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) अन्य प्रान्तों में उक्त पदों पर भर्ती की अधिकतम आयु सीमा क्या है ?

(3) क्या राजस्थान सरकार उक्त आयु सीमा में वृद्धि करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी व कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा उप निरीक्षक पुलिस की भर्ती की आयु सीमा 20 से 23 वर्ष एवं पुलिस कानिस्टेबलों के पद की भर्ती की आयु सीमा 18 से 21 वर्ष निर्धारित कर रखी है । अगस्त, 1989 से पूर्व उप निरीक्षक पुलिस व कानि. के पदों पर भर्ती की आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष थी ।

(2) जितने स्थानों से सूचना संकलित की जा सकी है, वह संलग्न सूची "ए" में दर्शा दी गई है ।

(3) वर्तमान नियमों में उप निरीक्षक पुलिस तथा कांसिटेबलों के पद पर सीधी भर्ती के लिये जो आयु सीमा निर्धारित की हुई है, उसमें वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है ।

Annex–A

STATEMENT OF MAXIMUM AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITMENT TO POSTS OF SUB-INSPECTORS & CONSTABLES IN OTHER STATES & UTS.

S. No.	Name of State/UT	AGE	
		S. Is	Consts.
1	2	3	4
1-	Pondichery	25 Yrs.	22 Yrs.
2.	Agartalla (Tripura)	35 Yrs.	27 Yrs.
3.	Delhi	25 Yrs.	21 Yrs.

1	2	3	4
4.	Andoman Port	30 Yrs.	—
5.	Daman & Duc	25 Yrs.	22 Yrs.
6.	Ahmadabad (Gujarat)	28 Yrs.	22 Yrs.
7.	Kerala	30 Yrs.	25 Yrs.
8.	Hyderabad (Andhra)	25 Yr/.	30 Yrs.
9.	Cuttack (Orissa)	25 Yrs. for graduates & 28 for post graduates.	28 Yrs.
10.	Sikkim	25 Yrs.	22 Yrs.
11.	Bihar	35 Yrs.	35 Yrs.
12.	Himachal Pradesh	Direct S.I. not made	22 Yrs.
13.	Aizawl (Mizoram)	24 Yrs.	—
14.	Jammu & Kashmir	28 Yrs.	—
85.	Bangalore (Karnataka)	35 Yrs.	—
16.	Nagaland	25 Yrs.	—
17.	Assam	24 Yrs.	25 Yrs.
18.	Madras (Tamilnadu)	30 Yrs.	30 Yrs.
19.	Maharastra (Bomday)	28 Yre.	—
20.	Manipur	25 Yrs.	23 Yrs.
21.	U. P.	20 Yrs.	30 Yrs.
22.	West Bengal	25 Yrs.	25 Yrs.
23.	M. P.	29 Yrs.	28 Yrs.
24.	Arunachal Pradesh (Itanagar)	23 Yrs.	21 Yrs.

अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत चूना-पत्थर के पट्टे

424. श्री फूलचन्द (नीमकाथाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत राज्य में 300×300 मीटर क्षेत्र से बड़े चूने पत्थर के कितने पट्टे चल रहे हैं ? क्या इन पट्टों के सम्पूर्ण क्षेत्र में खनन कार्य होता है ? यदि हां, तो ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन पट्टों का क्षेत्र वास्तविकता में खनन किये जा रहे क्षेत्र तक संकुचित किये जाने का कोई प्रावधान करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-1986 के अन्तर्गत राज्य में 300×300 वर्ग मीटर क्षेत्र से बड़े चूना पत्थर के 43 खनन पट्टे स्वीकृति है। स्वीकृत क्षेत्र में एक ही समय में सम्पूर्ण क्षेत्र में खनन् कार्य नहीं होता है।

(2) स्वीकृत क्षेत्र नियमों की सीमा में ही है इसलिए इन्हें संकुचित करने का प्रावधान सरकार के विचाराधीन नहीं है। अप्रधान खनिज रियायती नियम 1986 के अनुसार पूर्व से प्रभावी जो खनन पट्टे 10 कि.मी. से अधिक है उन्हें नवीनीकरण के समय 10 वर्ग कि.मी. तक की सीमा तक संकुचित किया जा सकता है।

फागी को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना

425. श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र फागी में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या फागी, चाकसू, रेणवाल, माधोराजपुरा में औद्योगिक क्षेत्र हेतु सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो सर्वे कार्यवाही के विवरण क्या हैं ?

(3) जयपुर में बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुये फागी चाकसू में उद्योग लगाने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

(1) चाकसू में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. (रीको) द्वारा राजस्थान कन्सलटेंसी आरगनाईजेशन के माध्यम से एक सर्वे करवाया गया था। सर्वे के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। फागी रेनवाल, माधोराजपुरा का अभी तक रीको द्वारा सर्वे नहीं कराया गया है।

(3) वर्तमान में रीको द्वारा फागी में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु विचार नहीं

(उद्योग मंत्री)

किया जा रहा है। चाकसू में औद्योगिक क्षेत्र के लिये चयनित चरागाह भूमि एवं उक्त क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने पर निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 425 की सूची

सूची—क

चाकसू में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., जयपुर द्वारा राजस्थान कन्सलटेंसी आरगेनाईजेशन के माध्यम से एक सर्वे करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट निगम को माह नवम्बर, 1985 में प्राप्त हुई थी। सर्वे के पश्चात् वर्ष 1985–86 में औद्योगिकरण की मंदगति को देखते हुए निगम द्वारा चाकसू में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्थगित रखा गया था। हाल ही में चाकसू में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए दिनांक 15/2/1992 को निगम की स्थल चयन समिति द्वारा 112 बीघा 02 बिस्वा चरागाह किस्म की राजकीय भूमि, जो चाकसू गड़वाली सड़क पर स्थित है, का निरीक्षण करने के उपरांत औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए चयन की गई है। निगम द्वारा चयनित क्षेत्र में जल की उपलब्धता का पता राजस्थान भू-जल मण्डल के माध्यम से लगाया जा रहा है।

गुलाब सागर तालाब (जोधपुर) की सफाई व्यवस्था

426. **श्री हीरालाल मीणा :** (बामनवास) एवं
श्री हरिसिंह (महुवा) एवं
श्री परसाद लाल मीणा (लालसोट) :
क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के नागरिको को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु पूर्व शासकों ने गुलाब सागर का निर्माण करवाया था और जोधपुर शहर के नागरिक इस तालाब के पानी का लाभ उठाते रहे हैं ? यदि हां, तो इस तालाब के नहरों की सफाई गत दो वर्षों में कब-कब करवाई तथा उस पर कितना-कितना खर्चा कब-कब किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस तालाब की नहरों के पास आई हुई बस्तियों के निवासियों ने सीवर लाइन के अभाव में अपने-अपने घरों को सीवर लाइन्स इस नहर के अन्दर डाल दी हैं जिससे महामंदिर रेल्वे स्टेशन के आस-पास के इलाके

(श्री हीरालाल मीणा)

में नागरिकों का रहना मुश्किल हो गया है तथा भयंकर महामारी फैलने का अंदेशा है ?

(3) यदि हां, तो किस-किस बस्ती के लोगों ने इस नहर में सीवर लाइन्स छोड़ दी हैं ? क्या सरकार उक्त बस्ती के निवासियों के लिए अलग सीवर लाईन डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि पूर्व शासकों ने जोधपुर शहर के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गुलाब सागर का निर्माण कराया था, किन्तु शहरी विकास, नियमित जलदाय योजनाओं के कारण वर्तमान में इस तालाब का उपयोग पेयजल उपलब्ध कराने में नहीं किया जा रहा है। गत दो वर्षों में इस तालाब की नहरों की सफाई नहीं करवाई गई और न कोई खर्चा किया गया।

(2) कुछ नागरिकों ने अपने मकानों के गंदे पानी के निकास की नालियां इस तालाब के नहरों में डाल दी है। यह सही नहीं है कि इससे महामंदिर रेल्वे स्टेशन के आसपास के इलाके में नागरिकों का रहना मुश्किल हो गया हो या महामारी फैलने जैसी स्थिति हो।

(3) गुलाब सागर नहर के किनारे-किनारे बसी मगराजजी का टांका, इंदिरा कालोनी, मेघवाल कालोनी, मिरासी कालोनी, महामंदिर, भील बस्ती, कागा, नागौरी गेट, कलाल कालोनी, जूना दारू का केका आदि बस्ती के लोगों ने इस नहर में गंदे पानी की नालियां डाल दी थी। वर्तमान में सीवर लाईन डालने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

झालरा पाटन क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय

427. श्री अनंग कुमार (झालरापाटन) एवं श्री बाल चन्द (डग) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालरा पाटन विधान सभा क्षेत्र में अब कितने प्राइमरी स्कूल हैं तथा उनमें कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) झालरा पाटन विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न स्तर की स्कूलों में कितने-कितने पद अध्यापकों के रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। रिक्त पदों को राज्य सरकार द्वारा कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में कुल 158 प्राथमिक शालायें हैं इन शालाओं हेतु 375 पद स्वीकृत हैं। सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची परिशिष्ट के कालम 3 में रिक्त पदों का विवरण अंकित है।

परिशिष्ट—"क"

कार्यालय पंचायत समिति, झालरापाटन

पंचायत समिति, झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन की प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	शाला का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	नाला	2	—	विधानसभा क्षेत्र
2.	चंगेरी	2	—	झालरापाटन की 21
3.	कोलाना	2	—	ग्राम पंचायतें इस
4.	मुंडेरी	3	—	पं. समिति में होने से
5.	बूढ़ मंडावर	3	—	विवरण प्रस्तुत है।
6.	बांसखट्टी	2	—	अन्य पंचायतें बकानी
7.	दयाभाव	2	—	पं. समिति क्षेत्र में
8.	चुनाभाटी	2	—	आती हैं।
9.	पृथ्वीपुरा	2	—	
10.	गोरधनपुरा	2	—	
11.	रामडी	2	—	
12.	मोरियाखेड़ी	2	—	
13.	कलमंडीखुर्द	2	—	
14.	रलायता	2	—	
15.	रलायती	3	—	
16.	सहीपुर	2	—	
17.	वृन्दावन	2	—	
18.	झिरनिया	2	—	
19.	सलोतिया	3	—	
20.	नाहरसिंघी	2	—	
21.	रायपुर	2	—	
22.	लुहारियाढाणी	2	—	
23.	खोखन्दा	2	—	
24.	धनवास	2	—	
25.	गिन्दौर	4	—	
26.	सालरिया	2	—	

335

1	2	3	4	5
27.	बावड़ी खेड़ा	2	–1	
28.	बाली	2	–	
29.	तीतरी	2	–	
30.	मलखाड़ी	2	1	
31.	डंडल	2	–	
32.	मोतीपुरा	2	–	
33.	बड़बेला	3	–	
	योग	73	2	
34.	हरिपुरा प्रथम	2	–	
35.	गोविंदपुरा	3	–	
36.	चौकी जरेल	2	–	
37.	ढाबलीकलां	2	–	
38.	नाहरडी	2	–	
39.	देवरी	2	–	
40.	जगन्नाथपुरी	2	–	
41	चन्दलोई	2	–	
42.	मांडा	2	–	
43.	बोरदा	2	–	
44.	बंजारी	2	–	
45.	परथिया खेड़ी	2	–	
46.	रूपारेल	2	–	
47.	निमोदा	2	–	
48.	सरावां	2	–	
49.	कालाकोट	2	–	
50.	बीरिया खेड़ी	3	–	
51.	टोलखेड़ा	2	–	
52.	खेरासी	2	–	
53.	नयापुरा	2	–	
54.	कलमंडीकलां	2	–	
55.	हरिपुरा द्वितीय	2	–	
56.	सेमली	2	–	

(336)

1	2	3	4
57.	तेलियाखेड़ी	2	–
58.	ओंकोदिया	2	–
59.	कनवाड़ा	4	2
60.	परोलिया	2	–
61.	मिलवाड़ा	3	–
62.	नांदियाखेड़ी	2	1
63.	गडारी	2	1
64.	ढाबलीखुर्द	2	1
65.	गादिया	2	1
66.	बिन्दलाई	2	–
67.	सीताफल	2	1
68.	उरमाल	2	–
69.	असनावर	6	2
70.	पनवाला	3	–
71.	आनन्दा	3	–
72.	गादियामेंर	2	–
73.	कंवरपुरा	2	1
	योग	165	12
74.	जूनाखेड़ा	3	–
75.	लावासल	2	–
76.	गांवड़ी	2	–
77.	मेंसर	2	–
78.	धानोदा	2	–
79.	ढाबली	2	1
80.	टांडी सोनपुरा	2	1
81.	सालकी डूंगरी	2	1
82.	कड़िया गोरधनपुरा	2	1
83.	कंचनी	2	–
84.	जीतापुरा	2	–
85.	बीरला	2	–
86.	गादियाकुंड	2	–
87.	टूंगर्नी	2	1
	योग	194	17

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, झालरापाटन
जिला झालावाड़

वर्ष 91–92 में स्वीकृत नवीन प्राथ. विद्यालयों की सूची

क्रमांक	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1. वांसखोपरा मोडी	2	2
2. गादियामेट	2	2
3. बरखेड़ी	2	2
4. खादीखुर्द मंडावर	2	2
4. निपालियाहाड़ा	2	2
	10	10
कुल योग	204	27

कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति बकानी जिला परिषद
झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र.सं. शाला का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त	क्र. सं. शाला का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त
1. आदेश बकानी	15	–	13. कंकरिया	2	–
2. नवीन बकानी	7	–	14. आमझर खुर्द	2	–
3. कन्या बकानी	7	–	15. नेऊखेड़ी	2	–
4. कुशलपुरा	3	–	16. महेशपुरा	2	–
5. कोटडाराडी	2	–	17. मानपुरिया	2	–
6. देवरा	3	–	18. मोयाखेड़ी	2	–
7. रेपला	2	–	19. बरखेडाकलां	2	–
8. टोबाड़या	2	–	20. मोलदयाखुर्द	2	–
9. दांत्या	3	–	21. मोलक्यां कल्ला	2	1
10. लोटा खेड़ा	2	–	22. पून्या खेड़ी	2	–
11. आगरिया	2	–	23. देवनगर	3	–
12. बरखोडा खुर्द	2	–	24. मुमाडा	2	–

1	2	3	5	5	6	7	8
25.	भुमाडी	2	1	46.	भीतापुरा	2	–
26.	नपान्यादल्ला	2	–	47.	जगतपुरा	2	–
27.	खाचरोद	2	–	48.	सुरी	2	–
28.	खोती	2	–	49.	खोरिया	3	–
29.	सलावदा	9	–	50.	सुराडु'खेडा	3	–
30.	मोतीपुरा	2	–	51.	देवरी	2	–
31.	रीवडी	2	–	52.	अमरपुरा	2	–
32.	रात्याडुगरी	3	–	53.	चोकडी	2	–
33.	पीपल्यातालाब	2	–	54.	टेकला	2	–
34.	हरिपुरा (बड़बड़)	3	–	55.	टेकली	2	–
35.	ब्रह्मपुरी	2	–	56.	भीकड़िया (देवरी)	2	1
36.	गणेशपुरा (सलावद)	2	–	57.	पथरया	2	–
37.	प्रहलादपुरा	2	–	68.	धारली	2	–
38.	ऊखली	3	–	59.	रघुनाथपुरा	2	+
39.	भीकन्या	2	–	60.	मेलकी	2	–
40.	टिटोड़िया	2	–	61.	शिवपुरा	2	–
41.	गाडागांव	2	–	62.	पीपल्यानग्गा	2	–
42.	नपान्यागुणरान	2	–	63.	थूदालिया	2	–
43.	बोरखेड़ी (रीछवा)	3	–	64.	राजपुरा	3	–
44.	छाउड़	2	–	65.	देवडूगरी	2	–
45.	भीतापुरा	1	1	66.	हरिपुरा (कुशलपुरा)	2	–
					योग	171	5

विकास अधिकारी
पंचायत समिति बकानी

सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा हेतु एक्शन प्लान

428. **श्री केदारनाथ शर्मा** (श्री गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) गंगानगर, व जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर, बोर्डर जिलों में पाक सीमा पर सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या एक्शन प्लान बनाया गया ?

(2) राज्य सरकार को इस एक्शन प्लान के लिए कितनी राशि केन्द्र द्वारा प्राप्त हुई ?

(3) राज्य सरकार ने इन्टरडिस्ट्रिक्ट्स इन्टेलीजेन्स कम्यूनीकेशन के लिए क्या व्यवस्था की ?

उत्तर

(1) राजस्थान के सीमावर्ति चार जिलों गगानगर, जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर के लिए कोई अलग से एक्शन प्लान नहीं बनाया गया है ।

(2) इस मद में कोई राशि नहीं मिली है । आधुनिकीकरण के लिए प्रति वर्ष केन्द्र से राशि मिलती है ।

(3) इन्टेलीजेन्स कम्यूनिकेशन के लिए चारों जिलों को जोड़ा हुआ है ।

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्रामों हेतु जल प्रदाय योजना

429. **श्री नाथू राम अहारी** (डूंगरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के गामड़ी, देवल, खेडा, कच्छ, वासा, आंतरी, हथाई, गांव में स्वच्छ जल वितरण के लिये सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त गांव की जल वितरण योजना सरकार कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संदर्भित ग्रामों में वर्तमान में मापदण्डों के अनुसार हैण्ड पम्प कार्यरत है । अतः अन्य योजनाएं विचाराधीन नहीं है ।

(2) उपरोक्तानुसार ।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 569 की सूची

कार्यालय नगरपालिका, बांसवाड़ा (राजस्थान)

उद्योग की सूची जो विद्युत कनेक्शन हेतु पालिका द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी की गयी दिनांक 1-1-80 से 31-12-91 तक

क्र.सं. 1	नाम व्यक्ति 2	उद्योग 3	विद्युत क्षमता 4
1.	मणिलाल/शंकरलाल	आटा चक्की	10 एच. पी.
2.	नारायणसिंह	,,	,,
3.	दलपतसिंह केसरीसिंह	,,	,,
4.	मुकेशकुमार/सेवालाल	,,	,,
5.	शरिफा/सालेभाई	,,	,,
6.	युसुफअली मुल्ला एहमद अली	,,	,,
7.	इदरीश अली/गुलाम अली	,,	,,
8.	देवीलाल/नानालाल	,,	,,
9.	सेफुद्धीन/एहमदअली	,,	,,
10.	रूकमणी/दयाराम	,,	,,
11.	गोतम/पुंजा	,,	,,
12.	इशाक मो./वजीर मो.	,,	,,
13.	जाबीर हुसेन/अब्दुल करीम	,,	,,
14.	विजोया/मनजी	,,	,,
15.	चन्द्रकान्ता/मणिशंकर	,,	,,
16.	भगवतीलाल/गणपतलाल	,,	,,
17.	रामलाल/केवाजी	,,	,,
18.	ताहेरअली/इतमाल	,,	,,
19.	शब्बीर हुसेन/मकबुल हुसेन	,,	,,
20.	सरफराज खां/जोहरावर खां	,,	,,
21.	गोविन्दलाल/गोतमलाल	,,	,,
22.	अक्खातर खां/अब्दुलहमीद खां	,,	,,
23.	भानुमति/देवीप्रसाद	,,	,,
24.	चंचल/भगवतीलाल	,,	,,

1	2	3	4
25.	जीवां/बदीया	आटा चक्की	10 एच.पी.
26.	एहमदनायक/गुलाम मो.	,,	,,
27.	मोहम्मद इब्राहीम/मा. अकबर	,,	,,
28.	सुलेमान/इस्माल	,,	,,
29.	सेफुद्दीन/फजले हुसेन	,,	,,
30.	लालशंकर/चौखाजी	,,	,,
31.	मोहनसिह/गुलाबसिह	,,	,,
32.	साबीर मो./अशफाक मो.	,,	,,
33.	मो. इशाक/मो. हनीफ	,,	,,
34.	सीमा/मांगीलाल	,,	,,
35.	मोहम्मद हुसेन/करीम जी	,,	,,
36.	रमेशचन्द्र/हनुमान प्रसाद	,,	,,
37.	भुरालाल/हीरजी	,,	,,
38.	देवीलाल/मंगली	,,	,,
39.	देवीलाल/गोकुलजी	,,	,,
40.	नासीर हुसेन/ईस्माईलजी	आटा चक्की	10 एच. पी.
41.	नजमुद्दिन/मुल्ला अली	,,	,,
42.	नाथूराम/भुराजी	,,	,,
43.	बदरीलाल/प्यारचन्द	,,	,,
44.	मोहीनी देवी	,,	,,
45.	गंगाराम/मथुजी	,,	,,
46.	रघुनाथ/हिरजी	पेन्टींग प्लान्ट	,,
47.	बांसवाड़ा इन्जीनीयरींग वर्क्स	,,	,,
48.	भारती टायर्स	टायर रिमोल्ड	8 एच.पी.
49.	कादरखां/एहमद खां	मार्बल कटर	30 ,,
50.	मकबुल बेग/अनवर बेग	,,	25 ,,
51.	हंसपाल जैन	,,	5 ,,
52.	रफीक खान/गफुर खान	वेल्डींग	6 ,,
53.	मन्दीपसिह/स्वर्णसिह	,,	7 ,,
54.	पी. के. पंचाल	,,	4 ,,
55.	केशवलाल पंचाल	,,	5 ,,
56.	अरोडा इन्जीनियरींग	,,	3 ,,

1	2	3	4	5
57.	प्रफुल कुमार/शंकरलाल		वेल्डींग	3 एच. पी.
58.	अब्दुल मजीद		लेथ मशीन	3 ,,
59.	युसुफ फकीर मोहम्मद		वेल्डींग	3 ,,
60.	राजशटर/चयजयवन्ती		,,	3 ,,
61.	रशीद मो./फकीर मो.		,,	6 ,,
62.	कन्हैयालाल/शीवाजी		,,	10 ,,
63.	मोहम्मद शरीफ/मो. हबीब		,,	3 ,,
64.	मन्सुरअली/बाकीर अली		,,	1 ,,
65.	जितेन्द्र कुमार/सागरमल		आप्टीकल्स	1 ,,
66.	मेहमुदा/अब्दुल मजीद खान		प्रेस	1 ,,
67.	धर्मेन्द्र नगावत		,,	3 ,,
68.	हकीमुद्दिन/सुराब अली		,,	2 ,,
69.	अब्बास अली/फिदाहुसेन		,,	3 ,,
71.	नन्दलाल/रामचन्दानी		मिक्सर मशीन	3 ,,
72.	प्रभुलाल/मालीराम		लेथ	3 ,,
72.	सैयब अली/गुलाबअली		वेल्डींग	3 ,,
73.	के. जी. पंकज		सर्विस सेन्टर	5 ,,
74.	पवन कुमार पटवा		प्लास्टिक	8 ,,
75.	वीणा देवी/प्रकाशचन्द्र		मसाला उद्योग	2 ,,
76.	ईश्वरलाल वैश्य		,,	2 ,,
77.	लक्ष्मीलाल/दाडमचन्द्र		,,	2 ,,
78.	समन्दर खां/नूर खां		वेल्डींग	1 ,,
79.	मिरजा नफीस बेग		सर्विस	1 ,,

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, बांसवाड़ा

परिशिष्ट–5

परिशिष्ट (अ)

अतारांकित प्रश्न संख्या 579 की सूची

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

गंगापुरसिटी में पंजीकृत आवेदकों की सूची

क्र. सं	आवेदक का नाम	जमा राशि	रिफण्ड हुआ या नहीं
	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग		
1.	श्री हरीमोहन गुप्ता	500	नहीं
2.	श्री दामोदर लाल गर्ग	500	नहीं
3.	प्रेम लता जैन	500	नहीं
4.	श्री पुनम चन्द जैन	500	नहीं
5.	,, मनोहर लाल जैन	500	नहीं
6.	,, रमेश चन्द गुप्ता	500	नहीं
7.	,, रमेश चन्द गुप्ता	500	नहीं
8.	,, पदन चन्द जैन	500	नहीं
9.	,, बाबू लाल अग्रवाल	500	नहीं
10.	,, गोविन्द प्रसाद गुप्ता	503	नहीं
11.	,, रमेश चन्द पंजाबी	500	नहीं
12.	,, बाबू लाल गुप्ता	500	नहीं
13.	मधु बाला	500	नहीं
14.	यज्ञवति देवी	500	नहीं
15.	श्री हनुमान कुमार दीपा	500	नहीं
16.	,, कल्याण सिंह	500	नहीं
17.	,, रामचरण	500	नहीं
18.	,, गिरिराज प्रसाद	500	नहीं
19.	,, जगदीश प्रसाद गुप्ता	500	नहीं
20.	,, ओम प्रकाश जेसावत	500	नहीं
21.	,, मिश्रीलाल वर्मा	500	नहीं
22.	,, किशन सिंघी	509	नहीं
23.	,, प्रहलाद सिंह	500	नहीं

1	2	3	4
24.	श्री शिव देवी यादव	500	नहीं
25.	,, माधवेन्द्र कुमार पाठक	500	नहीं
26.	,, हरदयाल दास	500	नहीं
27.	,, रामकिशन पंजाबी	500	नहीं
28.	,, गिरिराज प्रसाद गुप्ता	500	नहीं
29.	,, मोतीलाल गोयल	500	नहीं
30.	,, रामस्वरूप बैरवा	500	नहीं
31.	,, रामप्रसाद गुप्ता	500	नहीं
32.	,, प्रभुदयाल गुप्ता	500	नहीं
33.	,, गोपाल कुमार गर्ग	500	नहीं
अल्प आय वर्ग			
1.	श्री बीरबल गुजर	8100	नहीं
2.	,, हनुमान प्रसाद त्रिवेदी	1800	नहीं
3.	,, कल्याण प्रसाद गुप्ता	1800	हां
4.	,, श्याम लाल वैष्णव	1800	हां
5.	,, शिखर चन्द जैन	1800	नहीं
6.	,, मिठालाल गुप्ता	1800	नहीं
7.	,, दुर्गा प्रसाद बंसल	1800	नहीं
8.	,, रामू लाल	1800	नहीं
9.	,, नेमी	1800	हां
10.	,, राधेश्याम मीणा	900	नहीं
11.	,, शांति राम मीणा	900	नहीं
12.	,, नन्दकिशोर पंजाबी	1800	नहीं
13.	,, राधेश्याम पंजाबी	1800	नहीं
14.	,, इन्द्रजीत पंजाबी	1800	नहीं
25.	,, जगदीश प्रसाद मित्तल	1800	नहीं
16.	,, जगदीश प्रसाद शर्मा	1800	नहीं
17.	,, शोभागमल जैन	1800	हां
18.	,, बाबू लाल स्वर्णकार	1800	नहीं
19.	,, कैलाश चन्द स्वर्णकार	1800	नहीं

1	2	3	4
20.	श्री शुत्रुघन गुप्ता	1800	नहीं
21.	,, महेश चन्द गुप्ता	1800	नहीं
22.	,, राधेश्याम गर्ग	1800	नहीं
23.	,, बद्री लाल मीणा	900	नहीं
24.	श्रमती सुधा गुप्ता	1800	नहीं
25.	श्री महेन्द्र सिंह	1800	नहीं
26.	,, हजारी लाल	1800	नहीं
37.	,, ज्ञान प्रकाश शर्मा	1800	नहीं
28.	,, मदन मोहन गुप्ता	1800	नहीं
29.	,, सूरजमल गुप्ता	1800	नहीं
30.	,, हरिशंकर गर्ग	1800	नहीं
31.	,, श्ररुण कुमार पटेल	1800	नहीं
32.	,, राजेन्द्र कुमार शर्मा	1800	नहीं
33.	,, रमेश चन्द मित्तल	1800	नहीं
34.	,, श्रलादीन खां	1800	नहीं
35.	,, राधेश्याम खंडेलवाल	1800	नहीं
36.	,, राधबल्लभ गुप्ता	1800	हां
37.	,, मूलचन्द खंडेलवाल	1800	नहीं
38.	,, लडूलाल गुप्ता	1800	नहीं
39.	,, दीनदयाल गर्ग	1800	नहीं
40.	,, हरीचरण लाल गुप्ता	1800	नहीं
41.	,, दीवान चन्द खत्री	1800	नहीं
42.	,, चतरमुज लाल गर्ग	1800	नहीं
33.	,, श्रलीबक्स	1800	नहीं

मध्यम श्राय वर्ग-श्र

1.	श्री सतीश चन्द शर्मा	3000	हां
2.	,, लडू लाल गर्ग	3000	नहीं
3.	,, गोविन्द प्रसाद गुप्ता	3000	हां
4.	,, इन्द्रा पंवार	3000	नहीं
5.	,, महेश चन्द्र गौतम	3000	नहीं
6.	,, नवीन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ	3000	नहीं

(346)

1	2	3	4
7.	श्री शिव कुमार गोपाल	3000	हां
8.	,, मुरारी लाल	3000	नहीं
9.	,, सन्तोषकुमार गुप्ता	3000	नहीं
10.	,, दामोदर लाल गर्ग	3000	नहीं
11.	,, प्रेमनारायण गुप्ता	3000	नहीं
12.	,, वीरेन्द्र कुमार पाठक	3000	नहीं
13.	,, कृष्णेन्द्र कुमार पाठक	3000	नहीं
14.	,, सुरेश चन्द पाण्डे	3000	नहीं
15.	,, पूरण मल पुष्प	3000	नहीं
16.	,, कपील देव त्रिवेदी	3000	हां
17.	,, सूरज मल गुप्ता	3000	नहीं
18.	,, रमेश चन्द	1500	नहीं
19.	,, गोपाल लाल राव	1500	नहीं
20.	,, ईश्वरी देवी शर्मा	3000	नहीं
21.	,, ओमप्रकाश गुप्ता	3000	नहीं
22.	,, शीतला दास तेजवानी	3000	नहीं
23.	,, शिवजी लाल गुप्ता	3000	नहीं
24.	,, शंकर लाल उदासी	3000	हां
25.	,, रामनिवास मीणा	1500	हां
26.	,, रमेश चन्द शर्मा	3000	नहीं
27.	,, पुरूषोतम लाल गुप्ता	3000	नहीं
28.	,, दिनेश चन्द त्रिवेदी	3000	हां
29.	,, कैलाश चन्द जैन	3000	नहीं
30.	,, रमेश चन्द गोपाल	3000	हां
31.	,, पुरूषोतम पाला ड्राईवर	3000	नहीं
32.	,, राधेश्याम गुप्ता	3000	नहीं
33.	,, विष्णु कुमार शर्मा	3000	नहीं
34.	,, किशनपाल राजपूत	3000	हां
35.	,, हरीशंकर शर्मा	3000	नहीं
35.	,, अशोक कुमार सिंघल	3000	हां
37.	,, ओम प्रकाश सारस्वत	3000	नहीं
38.	,, राधा मोहन गुप्ता	3000	हां

1	2	3	4
39.	श्री अब्बलसिंह रावत	3000	नहीं
40.	,, भागीरथ लाल गुप्ता	3000	हां
41.	,, विश्वनाथ शर्मा	3000	नहीं
42.	,, विनोद कुमार शर्मा	3000	नहीं
43.	,, जगदीश प्रसाद गुप्ता	3000	नहीं
44.	,, गोपाल लाल शर्मा	3010	नहीं
45.	,, सुशील कुमार मित्तल	3000	नहीं
46.	श्रीमती ऊषा रानी	3000	नहीं
47.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	3000	नहीं
48.	,, ओम प्रकाश गर्ग	3000	नहीं
49.	,, केशवदत्त गुप्ता	3000	नहीं
50.	,, रामकिशोर	1500	नहीं
51.	,, अशोककुमार सहानी	3000	नहीं
52.	,, रूप चन्द जोनवाल	1500	नहीं

मध्यम आय वर्ग–ब

1.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	4600	नहीं
2.	,, रामेश्वर दयाल गुप्ता	4600	हां
3.	,, बाबूलाल शर्मा	4600	नहीं
4.	,, सुभाष चन्द जैन	4600	नहीं
5.	,, निर्मल कुमार जैन	4600	नहीं
6.	,, डा. मोहन लाल शर्मा	4600	नहीं
7.	,, गोपाल लाल गुप्ता	4600	नहीं
8.	,, रिद्धि चन्द शर्मा	4600	नहीं
9.	,, कमल कुमार शर्मा	4600	नहीं
10.	,, उमेश चन्द शर्मा	4600	नहीं
11.	,, पुरूषोत्तम दास खत्री	4600	नहीं
12.	,, पुरूषोत्तम लाल गर्ग	4600	नहीं
13.	,, बाबू लाल गोतम	4600	नहीं
14.	,, द्वारिका प्रसाद	4600	नहीं
15.	,, राधेश्याम गुप्ता	4600	नहीं
16.	,, राधेश्याम जैन	4600	नहीं

(348)

1	2	3	4
17.	श्री सुभाष चन्द गोपाल	4600	नहीं
18.	,, भजन लाल	4600	हां
19.	,, पूरण चन्द गुप्ता	4600	नहीं
20.	,, राधा गर्ग	4600	हां
21.	,, जगदीश प्रसदान गोपाल	4600	नहीं
22.	,, श्री रामेश्वर प्रसाद	4600	नहीं
23.	,, अश्वनी कुमार गुलाटी	4600	नहीं
24.	,, रेवती प्रसाद गुप्ता	4600	नहीं
25.	श्रीमती कुलज्योति शर्मा	4600	नहीं
26.	श्री बनवारी लाल	4600	नहीं
27.	श्री नथुवा लाल	4600	नहीं
28.	श्रीमती शारदा भदोरिया	4600	नहीं
29.	श्री गोपी नाथ शर्मा	4600	हां
30.	,, दिलीप सिंह	4600	नहीं
31.	,, गिरिराज प्रसाद गुप्ता	4600	नहीं
32.	,, श्याम स्वरूप सिंघल	4600	नहीं
उच्च आय वर्ग			
1.	श्री श्याम स्वरूप गु ता	10000	हां
2.	श्री नेमचन्द सेठिया	10000	हां

कुल आवेदक 162 23 आवेदकों ने अपनी राशि वापिस ले ली शेष 139 आवेदक रहे

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 580 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर।

मण्डल की जयपुर स्थित आवासीय योजना में आरक्षित श्रेणी के पंजीकृत आवेदकों को आवंटित किये गये मकानों का एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आवंटन योग्य शेष मकानों का विवरण :–

क्र. सं.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित कोटा	कुल आवंटित किये गये मकान	आरक्षित कोटे के अनुसार आवंटन योग्य मकान	आरक्षित कोटे के अनुसार आवेदकों को आवंटित किये गये मकान	आरक्षित कोटे के अनुसार शेष आवंटन योग्य मकान	विशेष विवरण
1.	अनुसूचित जाति/जन जाति	14 प्रतिशत	33129	4638	2166	2472	
2.	भूतपूर्व सैनिकों, जे. आर. ई. एफ. के भूतपूर्व सदस्यों एवं सैनिको की विधवाओं	2 प्रतिशत	33129	663	96	567	
3.	मण्डल कर्मचारियों के लिए	3 प्रतिशत	33129	994	415	579	
4.	विकलांग आवेदकों के लिए	1.5 प्रतिशत	33129	497	452	45	

349

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 586 की सूची

नगरपालिका क्षेत्र नैनवां में शामिल खसरा नबरान की सूची

ख. नं. 848 से 872 / 25, 874 से 880 / 7, 890 से 905 / 6, 900 से 913 / 6

926, 957, 1022, 1059, 1062 1065, 1121, 1200,
1289 से 1293 / 5, 1295 से 1343 / 49, 1421 से 1430 / 10, 1440 से 1450 / 11, 1483 से 1492 / 10

2083, 2204 से 2281 / 78, 2283 से 2285 / 3, 2290 से 2310 / 21, 2322 से 2323 / 2

2332 से 2334 / 3, 2339 से 2342 / 4, 2355 से 2360 / 6, 2399, 2406, 2427, 2474

2485, 2652, 2734, 2933 से 2934/2, 2936 से 2949 / 14, 2950 से 2971 / 22, 2984 से 2992 / 19

3074 से 3075 / 2, 3114, 3549, 3881 से 3884 / 4, 3918 से 3952 / 35, 3954 से 3958 / 5, 3961,

3963, 3967 से 3970 / 4, 3975 से 4249 / 275, 4250 से 4279 / 30, 4289, से 4291, 4316, 4317,

4319 से 4331 / 13, 4333 से 4387 / 5, 4339 से 4340 / 2, 4344, 4346, 4348, 4350,

4352 से 4354 / 3, 4356 से 4361 / 6, 4364 से 4366 / 3, 4368 से 4390 / 23, 4392, 4394 से 4402 / 9

4405 से 4411 / 7, 4413 से 4419 / 7, 4427 से 4439 / 13, 4441, 4447, 4457, 4472, 4473,

4497, 4501 से 5503 / 3, 4504, 4506 से 4509 / 4, 4515 से 4516 / 2, 4521 से 4523 / 3

4566 से 4567 / 2, 4815, 4866, 4887, 4869 से 4871 / 3, 4876, 4877, 4879, 4893,

4894, 5198, 4572 / 5724, 4503 / 5734, 4151 / 5735, 5356 / 5736, 4252 / 5737, 4210 / 5738, 4343 / 5691, 4330 / 5717 कुल 820

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 604 की सूचना

परिशिष्ट "अ"

संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय एवं सम्भागीय कार्यालयों में
रिक्त पदों का विवरण

पद का नाम	महाविद्यालय	विद्यालय	सम्भागीय कार्यालय
प्राचार्य आचार्य स्तर	2	—	—
प्राचार्य एस.टी.सी.	1	—	—
प्रोफेसर	8	—	—
सम्भागीय निरीक्षक	—	—	5
प्राचार्य शास्त्री/उपाध्याय	6	—	—
उप निरीक्षक	—	—	3
व्याख्याता	26	—	—
वरिष्ठाध्यापक I ग्रेड	—	59	—
प्रधानाध्यापक	—	9	—
द्वितीय श्रेणी शिक्षक	5	15	—
तृतीय श्रेणी शिक्षक	—	148	—
प्रयोगशाला सहायक	16	69	—
वरिष्ठ लिपिक	4	19	1
कनिष्ठ लिपिक	8	25	1
लेब बॉय	10	49	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	24	100	15
कुल रिक्त पदों की संख्या	110	493	25

परिशिष्ट "ब"

रिक्त पदों की रिक्ति वर्ष मय रिक्ति का कारण

पद का नाम	रिक्ति वर्ष	रिक्ति का कारण
प्राचार्य आचार्य स्तर	91-92	आयोग द्वारा डीपीसी की तिथि निश्चित होना शेष है।
प्राचार्य एस.टी.सी.	91-92	डीपीसी हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा चुके हैं।
सम्भागीय निरीक्षक	90-91	नव सृजित पद हैं सेवा नियमों में समावेश की कार्यवाही जारी है।
प्रोफेसर	90-91	6 सीधी भर्ती के अंश के पदों में 4 पदों पर आयोग द्वारा साक्षात्कार ले लिया गया है। शेष 2 पदों की अर्थना भी आयोग को भेजी जा चुकी हैं।
उप निरीक्षक	88-89 91-92	सेवा-नियमों में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अनुभव अधिक होने के कारण आयोग ने संशोधन की सलाह दी है।
प्राचार्य शास्त्री/उपाध्याय	90-91	सभी सीधी भर्ती के पद हैं। अर्थना आयोग हेतु सरकार को भेजी जा चुकी है। विज्ञापन हेतु याद देही करायी जा रही है।
व्याख्याता	90-91	कतिपय पदों के लिये 7-3-92 को डीपीसी की बैठक भी हो चुकी है। शेष पदों के लिये तिथि निश्चित करायी जा रही है।
वरिष्ठाध्यापक	90-91	सीधी भर्ती/पदोन्नति अंश के पदों की सामग्री तैयार की जा रही है।
प्रधानाध्यापक (प्रवेशिका)	91-92	सीधी भर्ती/पदोन्नति अंश के पदों की सामग्री तैयार की जा रही है।

1	2	3
द्वितीय श्रेणी शिक्षक	91–92	पदोन्नति के लिये डी. पी. सी. की प्रक्रिया अपनायी जा रही हैं। सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं।
प्रयोगशाला सहायक	88–89 90–91	अधिशेष कर्मचारी या अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र हेतु मामला संभागीय आयुक्त को सन्दर्भित है।
वरिष्ठ लिपिक	90–91	विभाग में कोई पात्र कनिष्ठ लिपिक पदोन्नति के लिये उपलब्ध नहीं हैं।
कनिष्ठ लिपिक	89-90 90–91	सम्भागीय आयुक्तों को अधिशेष व्यक्तियों के लिये तथा सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये लिखा हुआ है।
लैब बॉय	88-89 89–90 90–91	सम्भागीय आयुक्तों से अधिशेष कर्मचारी उपलब्ध किये जा रहे हैं।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	88–89 89–90 90–91	अंश कालीन कर्मचारियों के समायोजन के लिये स्वीकृति चाही गई है।

355

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 609 की सूची

तहसील टोडारायसिंह एवं देवली के उमावि/मावि. विद्यालयों के छात्र संख्या एवं रिक्त पदों की सूची :–

क्र. सं.	नाम विद्यालय	छात्र संख्या	स्वीकृत पद I	II	III	रिक्त पद I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रासीउमावि., टोडारायसिंह	789	17	08	08	02	—	—
2.	,, दतोब	336	12	10	03	03	—	—
3.	रामावि., खरेडा	312	—	08	05	—	01	—
4.	,, पचांलिया	169	—	06	03	—	—	—
5.	,, अलियारी	137	—	06	03	—	02	—
6.	,, बाखेडा	208	—	07	05	—	—	—
7.	,, मोर	228	—	07	04	—	—	—
8.	,, बरवास	196	—	06	04	—	10	10
9.	,, मांसू	257	—	06	04	—	—	—
10.	,, बावडी	199	—	06	03	—	—	—
11.	,, हमीरपुर	320	—	05	01	—	—	—
12.	,, उनियारा खुर्द	134	—	05	01	—	—	—
	छात्रा विद्यालय–							
1.	राबाउप्रावि, पंचालिया	234	—	01	07	—	01	—
2.	राबामावि., टोडारायसिंह	268	—	05	04	—	—	—
	तहसील देवली							
1.	रासीउमावि., देवली	1014	27	19	08	07	—	01
2.	,, दूनी	805	16	09	07	06	—	—
3.	,, नासिरदा	410	—	07	05	—	—	—
4.	,, आंवा	458	—	08	05	—	01	—
5.	रामावि., नगर फोर्ट	375	—	06	06	—	01	—
6.	,, राजमहल	317	—	07	07	—	—	—
7.	,, पनवाड	193	—	06	03	—	—	—

(356)

1		2	3	4	5	6	7	8	9
8.	रामावि.	देवडावास	105	—	05	01	—	—	—
9.	,,	धुंवा	249	—	16	04	—	01	—
10.	,,	निवारिया	312	—	06	05	—	—	—
11.	,,	घाड़	254	—	06	04	—	—	—
12.	,,	गुराई	179	—	06	04	—	—	—
13.	,,	सांवतगढ़	157	—	06	03	—	—	—
14.	,,	चांदली	358						

छात्रा विद्यालय–

1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रावासीउमावि., देवली		606	05	08	03	01	—	—
2.	रावामावि, नासिरदा		274	—	01	07	—	—	—
3.	,,	दूनी	270	05	08	03	01	—	—
4.	,,	नगर फोर्ट	144	—	01	07	—	—	—
5,	,,	गुराई	169	—	01	13	—	—	—

तहसील टोडारायसिंह

1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उप्रावि,,	घाडेरा	123	—	01	03	—	—	—
2.	,,	रामपुरा	119	—	01	03	—	—	—
3.	,,	कुहाडालुजुर्ग	153	—	01	07	—	—	—
4.	,,	संवारिया	202	—	01	03	—	—	—
5.	,,	मांदोलाई	208	—	01	06	-	—	—
6.	,,	मेहरू	245	—	01	06	—	—	—
7.	,,	नान्द्राहेड़ा	214	—	01	05	—	—	—
8.	,,	कूकड	221	—	01	05	—	—	—
9.	,,	पथराजकला	249	—	01	05	—	—	—
10.	,,	मांवता	109	—	01	05	—	—	—
11.	,,	मूण्डियांकला	99	—	01	04	—	—	—
12.	,,	लक्ष्मीपुरा	156	—	01	05	—	—	—
13.	,,	दाबडदुम्बा	192	—	01	06	—	—	—
14.	,,	थडोंची	131	—	01	03	—	—	—
15.	,,	बोटून्दा	199	—	01	07	—	—	—
16.	,,	काकलवाडा	158	—	01	05	—	—	—
17.	,,	गणेती	208	—	01	06	—	—	—

1		2	3	4	5	6	7	8	9
18.	उप्रावि.	कुहाडाखुर्द	68	—	01	04	—	—	—
19.	,,	लाम्बाकलां	245	—	01	06	—	—	—
20.	,,	बनेडिया चारनान	100	—	01	05	—	—	—
21.	,,	मोडियाला	188	—	01	05	—	—	—
22.	,,	इन्दोकियां	137	—	01	05	—	—	—
23.	,,	गैंदियां	136	—	01	02	—	—	—
24.	,,	कंवरांबास	174	—	01	16	—	—	—
25.	,,	ग्रो. टोडा.	472	—	01	17	—	—	—
26.	,,	महल टोडा.	232	—	01	11	—	—	—
			4638						

देवली तहसील–

1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राउप्रावि.,	इन्द्रपुरा	190	—	01	03	—	—	—
2.	,,	बालून्दा	182	—	01	03	—	—	—
3.	,,	थावला	336	—	01	07	—	—	—
4.	,,	बीसलपुर	226	—	01	06	—	—	—
5.	,,	बीजवाड़	250	—	01	07	—	—	—
6.	,,	बडोली	210	—	01	06	—	—	—
7.	,,	चांदली	239	—	01	08	—	—	—
8.	,,	राजकोट	169	—	01	05	—	—	—
9.	,,	बंथली	344	—	01	07	—	—	—
10.	,,	डाबरकलां	175	—	01	07	—	—	—
11.	,,	गांवडी	270	—	01	08	—	—	—
12.	,,	सतवाडा	216	—	01	07	—	—	—
13.	,,	सीतापुर	153	—	01	05	—	—	—
14.	,,	हिसामपुरा	126	—	01	06	—	—	—
15.	,,	केरोली	227	—	01	06	—	—	—
16.	,,	चारनेट	150	—	01	05	—	—	—
17.	,,	कारीर	252	—	01	06	—	—	—
18.	,,	गोथडा	109	—	01	04	—	—	—
19.	,,	चुनिया	207	—	01	08	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	राउप्रवि. देवली गांव	404	–	01	12	–	–	–
21.	,, साडला	203	–	01	09	–	–	–
22.	,, कनवाड	243	–	01	08	–	–	–
23.	,, टोकरावास	154	–	01	05	–	–	–
24.	,, संथली	174	–	01	06	–	–	–
25.	,, देवीखेडा	140	–	01	04	–	–	–
26.	,, मेकरिया कलां	114	–	01	03	–	–	–
27.	,, खदोई	117	–	01	06	–	–	–
28.	,, आदर्श देवली	390	–	02	14	–	–	–
29.	,, ऐ. देवली	251	–	01	08	–	–	–

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 610 की सूची

आसीन्द क्षेत्र के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अपूर्ण भवनों की सूची

क्र.सं.	शाला का नाम	भवन आवश्यकता का विवरण	पूर्व में राशि	पूर्ण कराने हेतु अनुमानित राशि की आवश्यकता
1	2	3	4	5
01.	रामावि. शम्भगढ़	प्राथमिक एवं मा. शिक्षा योजना अन्तर्गत एक कक्षा कक्ष निर्माण	0.65	राशि की आवश्यकता नहीं।
02.	,, अष्टाली	तीन कक्षा कक्षों की निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु	—	0.99

1	2	3	4	5
03.	राबामावि. ग्रासीन्द	अधूरी बाउन्ड्रीवाल को पूर्ण कराने हेतु।	—	0.50
04.	,, विरतनपुरा	अधूरी बाउन्ड्रीवाल पूर्ण कराने हेतु।	—	0.25
05.	राबाउप्रावि. कालियास	तीन अधूरे कमरे पूर्ण कराने हेतु	—	1.00
06.	,, सरेरी	सुविधाओं का अभाव	—	0.25
07.	,, दौलतगढ़	,,	—	0.25
08.	,, अन्टाली	,,	—	0.25
09.	,, पाटन	,,	—	0.25
10.	राप्रावि. अजमेर	बाउन्ड्री एवं कमरों को पूरा कराने	—	1.00
11.	,, खासरोली	कमरे पूर्ण कराने के लिए	—	0.50
12.	,, गागलास	,,	—	0.50
13.	,, जगपुरा	,,	—	0.50
14.	,, जीवालिया	बाउन्ड्री एवं कमरे पूरा कराने के लिए	—	3.00
15.	,, जिन्दरास	कमरे पूर्ण कराने के लिए	—	0.50
16.	,, जेतपुरा	,,	—	0.50
17.	,, नगडिया	बाउन्ड्री पूरी कराने	—	1.00
18.	,, परी	कमरे एवं बाउन्ड्री पूरी कराने	—	3.00
19.	,, पाडरू	कमरे पूरे कराने के लिए	—	0.50
20.	राउप्रावि. पालड़ी	कमरे एवं बाउन्ड्रीवाल पूरी कराने के लिए।	—	3.00
21.	,, बाबून्दा	कमरे पूरे कराने के लिए	—	0.50
22.	,, मोगर	,,	—	1.50
23.	,, मोटरास	,,	—	0.50
24.	,, शीतलाकाचोड़ा	बाउन्ड्री पूरा कराने के लिए	—	1.00
25.	,, सूराज	कमरे पूरे कराने के लिए	—	1.00
26.	,, सापोला	बाउन्ड्री पूरा कराने के लिए	—	1.00
27.	,, रघुनाथपुरा	कमरे पूरे कराने के लिए	—	0.50
28.	,, संग्रामगढ़	,,	—	1.00
29.	,, रूपपुरा	कमरे व बाउन्ड्री पूरा कराने	—	3.00
30.	,, बारनी	,,	—	3.00

कुल 31.19 लाख

360

परिशिष्ट–1

अतारांकित प्रश्न संख्या 611 की सूची

गत पांच वर्षों में नियमित किये जाने की चुकार लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सूची जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा नियमित करने हेतु याचिकायें प्रार्थियों के पक्ष में निर्णित हुई

क्र सं.	याचिका संख्या	याचिकार्थी का नाम
01.	4457/09	श्री भूयाराम सैनी
02.	312/90	,, मोहम्मद सलीम
03.	5629/90	,, परमेश्वर पालीवाल
04.	6071/90	,, ब्रह्मानन्द शर्मा
05.	1196/91	,, नवरतन व 18 अन्य
06.	906/91	,, ताराचन्द
07.	5449/90	,, तेजसिंह
08.	2073/88	अंशकालीन कर्मचारी सेवा संघ
09.	4791/88	श्री कालूराम
10.	694/89	,, जगदीशप्रसाद शर्मा
11.	780/89	,, घनश्याम सैनी एवं अन्य
12.	1587/90	,, रघुनाथ मल्ला
13.	4869/90	,, सदानन्द तिवाड़ी
14.	761/91	,, सैयद मोहम्मद
15.	724/91	,, महादेव प्रसाद एवं अन्य
16.	1808/89	,, शान्ति देवी
17.	3105/89	,, जयपाल सिह
18.	1566/89	,, नन्द किशोर
19.	1547/89	,, रामावतार
20.	3257/90	,, सागीर अहमद
21.	511/90	,, शीशराम
22.	508/90	,, सरदाराराम
23.	144/90	,, गोविन्दराम
24.	510/90	,, बजरंग लाल
25.	2829/89	,, सूर्यप्रकाश शर्मा

1	2	3
26.	5734/90	दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ भरतपुर
27.	1655/90	श्री कृष्णकुमार
28.	1653/90	,, महेश बाबू शर्मा
29.	1400/90	,, नरेश चन्द्र
30.	4454/90	,, रणधीर सिंह
31.	121/88	,, पतिराम
32.	1835/90	,, मोड सिंह
33.	3146/90	,, बाबूलाल
34.	1201/90	,, श्रवणकुमार पाठक
35.	4857/90	,, विष्णु कुमार
36.	2220/90	श्रीमती भंवरी
37.	3562/89	श्री छोटू नाथ
38.	5525/91	श्रीमती प्रभा देवी
39.	7053/91	श्री रामसहाय मीणा
40.	6382/91	,, बाबूलाल
41.	2081/91	,, दिनेश चन्द्र शर्मा
42.	481/91	,, शिव सिंह
43.	2006/01	,, चैन सिंह
44.	2226/91	,, हनुमानप्रसाद शर्मा
45.	6011/90	,, ब्रह्मानन्द शर्मा
46.	1387/91	,, रमेशचन्द्र शर्मा
47.	2227/91	,, गंगाराम
48.	4160/91	,, मुख्तार अली
49.	1703/91	,, मनोहर लाल
50.	2243/91	,, गिरीराज प्रसाद
51.	1278/89	,, हरी प्रसाद
52.	5222/90	,, चम्पालाल जोशी
53.	211/91	राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ
54.	3233/89	श्री अशफाक मोहम्मद
55.	3476/90	,, भेरा राम व 3 अन्य
56.	3200/89	,, नरपत सिंह

1	2	3
57.	2740/91	श्री राजेन्द्र कुमार व 4 अन्य
58.	2730/91	,, रामचन्द्र एवं 2 अन्य
59.	389/91	,, डूंगरमल एवं 2 अन्य
60.	2092/91	,, मेहर अली
61.	1160/91	,, दयाराम व जयप्रकाश
62.	4312/90	,, प्रेम सुख
63.	19/91	,, सवाईराम
64.	1161/91	श्रीमती खिमी
65.	3213/90	,, गायत्री देवी
66.	3005/90	श्री गोपाल सिंह
67.	4454/90	,, भंवरलाल
68.	1366/89	,, सुखदेव

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 613 की सूची

व्याख्याता स्कूल शिक्षा के भरतपुर में रिक्त पद
निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विषय	रिक्त पद
01.	रा.सी.उ.मा.वि. निठार	हिन्दी	1
02.	,, ,,	संस्कृत	1
03.	,, रूदावल	संस्कृत	1
04.	,, डीग	भौ. शास्त्र	1
05.	,, गादोली	वाणिज्य	1
96.	,, गादोली	भूगोल	1
07.	,, गादोली	इतिहास	1
08.	,, मुसावर	इतिहास	1

1	2	3	4
09.	रा.सी.उ.मा.वि. मुसावर	भूगोल	1
10.	,, सिनसिनी	इतिहास	1
11.	,, ,,	भूगोल	1
12.	,, ,,	संस्कृत	1
13.	,, पहाड़ी	संस्कृत	1
14.	,, बैर	संस्कृत	1
छात्रा—			
01.	रा.बा.उ.मा.वि. भरतपुर	ना. शास्त्र	1
02.	,, डीग	गृह विज्ञान	1
03.	,, बयाना	हिन्दी	1
04.	,, ,,	अंग्रेजी	1
05.	,, ,,	गृहविज्ञान	1
06.	,, ,,	ना. शास्त्र	1
		कुल	20

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 618 की सूची

परिशिष्ट-"क"

गत 2 वित्तीय वर्षों (वर्ष 89–90 एवं 90–91) में
अवैध मदिरा, अफीम, स्मैक सम्बन्धि मामलों की संख्या

क्र.सं.	नाम राजस्व जिला	अभियोग पंजीकृत संख्या				न्यायालय में चालान
		अवैध	अफीम	स्मैक	योग	
1.	जयपुर	978	1	–	979	985
2.	टोंक	322	–	–	322	321
3.	भरतपुर	348	–	–	348	422

1	2	3	4	5	6	7
4.	धोलपुर	24	–	–	24	42
5.	अलवर	530	–	–	530	614
6.	सीकर	352	–	–	352	421
7.	झुन्झुनु	248	–	–	248	290
8.	अजमेर	1067	–	–	1067	1176
9.	सवाईमाधोपुर	314	–	–	314	344
10.	कोटा एवं बांरा	663	1	–	664	813
11.	झालावाड़	234	–	–	234	415
12.	बूंदी	94	–	–	94	128
13.	उदयपुर एवं राजसमंद	1060	1	–	1061	1318
14.	चित्तोडगढ़	785	–	–	785	970
15.	डूंगरपुर	162	–	–	162	181
16.	बांसवाडा	273	–	–	273	231
17.	भीलवाड़ा	791	–	–	791	934
18.	नागौर	440	–	–	440	406
19.	चुरू	174	–	–	174	275
20.	जोधपुर	446	2	–	448	472
21.	जैसलमेर	49	–	–	49	55
22.	पाली	262	5	–	267	260
23.	जालौर	95	–	–	95	100
24.	सीरोही	167	–	–	167	170
25.	बाड़मेर	236	–	–	236	216
26.	बीकानेर	81	–	–	81	94
27.	गंगानगर	738	2	–	740	778
	कुल योग	10933	12	–	10945	12431

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 619 की सूची

आदेश दिनांक	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम
9. 2. 90	लूनकरणसर	1. बामन वाली (कन्या)
21. 3. 91	कोलायत	1. कन्या बस्ती
		2. अखोरिन्द
		3. खारी (कन्या)
	बीकानेर	1. नैणे का वास
		2. रमजान बाला
		3. शह का बाली
		4. सोथल
		5. सत्तासर (फलावाली)
		6. दन्तोर (मांडला)
		7. गंगाजली
		8. रोरेरा (कन्या)
		9. जामसर (कन्या)
		10. अकरिया वाला
		11. चक 34 के. वाई. ई. डी.
		12. चक 31 के. वाई. ई. डी.
		13. चक 26 के. जे. डी.
		14. बीरनामा मोनर
		15. आशापुरा
		16. हनुमान नगर
		17. गंगाजली (पहलवान का बेरा)
7. 2. 92	लूनकरणसर	1. चक डी. एल. डी. एम.
		2. नई आबादी
		3. चक 3 सी. एच. बी.
		4. चक 507 हैड
		5. रामनगर (कन्या)

1	2	3
	नोखा	6. लीलका
		7. बदराला धोगलाथम
		8. किशनपुरा का बास
		9. मनरावास सूरजपुरा (कन्या)
		10. नींमवाली ढाणी
		11. शिवराज की ढाणी
17. 2. 92	कोलायत	1. मीकमपुर
		2. करणीसर उर्फ माटिया कावेरा
		3. शास्त्रीनगर
		4. चक 20 रूथला डिस्ट्रीब्यूटरी भूटासर
	नोखा	1. कूदसू
		2. ढाणी जेलोलाई
		3, बादनू
		4. हंसासर ढाणी
17. 2. 92	लूनकरणसर	1. चक 10 के. डब्ल्यू. डी.
		2. चक 4 डी. एल. डी.
		3. चक 18 एन. के. डी.
17. 2. 92	बीकानेर	1. ग्राम 20 की पूली चक 4 एस. एल. डी. छतरगढ़

367

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 620 की सूची

नवम्बर 89 से बल्लभ नगर तहसील के निम्न उ.प्रा. वि. के अध्यापकों को जिला परिषद ने अपने अधीन लिया जिनके पद निम्नानुसार है:—

क्रसं.	नाम उप्रावि.	स्वीकृत पद II ग्रेड	III ग्रेड	च.श्रे.क.	देवे.	कार्यरत पद II	III	च.श्रे.क.	देवे.
1.	उप्रावि. खरसाण	1	9	—	1	1	9	—	1
2.	,, महा. खेडी	1	10	1	1	1	10	1	1
3.	,, भटेवर	1	8	1	1	1	8	1	1
4.	,, सालेडा	1	6	—	1	1	6	—	1
5.	,, मजावडा	1	6	—	1	1	6	—	1
6.	,, कुण्डई	,,	5	—	,,	,,	5	—	,,
7.	,, बाना	,,	8	—	,,	,,	8	—	,,
8.	,, केदारिया	,,	7	—	,,	,,	7	—	,,
9.	,, अमरपुरा	,,	8	—	,,	,,	8	—	,,
10.	,, सिंहाड	,,	8	—	,,	,,	7	—	,,
11.	,, नीमडी	,,	8	—	,,	,,	8	—	,,
12.	,, बांसडा	,,	6	—	,,	,,	5	—	,,
13.	,, अडोण्दा	,,	5	—	,,	,,	5	—	,,
14.	,, छोटाबाठरडा	,,	7	—	,,	,,	7	—	,,
15.	,, धमानिया	,,	5	—	,,	,,	5	—	,,
16.	,, तारावट	,,	5	—	,,	,,	5	—	,,
17.	,, बडगांवभीण्डर	,,	7	—	,,	,,	7	—	,,
18.	,, राजपुरा	,,	7	—	,,	,,	7	—	,,
19.	,, मोतीदा	,,	5	—	,,	,,	5	—	,,
20.	,, आमलिया	,,	5	—	,,	,,	5	—	,,
21.	,, संग्रामपुर	,,	4	—	,,	,,	4	—	,,
22.	,, सांरगपुरा	,,	5	—	,,	,,	5	—	,,
23.	,, बगड	,,	5	—	,,	,,	5	—	,,
24.	,, बरोडिया	,,	5	—	,,	,,	5	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	उप्रावि. कीकावास	1	6	—	1	1	6	—	1
26.	,, आकोला	,,	3	—	,,	,,	3	—	,,
27.	,, नांदवेल	,,	6	—	,,	,,	6	—	,,
28.	,, हमेरपुरा	,,	1	—	,,	,,	1	—	,,
29.	,, मावि करणपुर	,,	10	1	—	,,	9	1	—
30.	,, लून्दा	,,	7	,,	—	,,	6	,,	—
31.	,, पाणून्द	,,	7	,,	—	,,	7	,,	—
32.	,, माल की ठूस	,,	9	,,	—	,,	9	,,	—
		32	203	6	28	32	199	6	28

तहसील कोटडा

क्रसं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद II	III	च.श्रे.क.	दे.वे.मो.	कार्यरत पद II	III	च.श्रे.क.	दे.वे.मो.
1.	उप्रावि. कयारी	1	4	—	1	–	2	—	1
2.	,, बेकरिया	,,	3	—	,,	1	2	—	,,
3.	,, समीजा	,,	6	—	,,	,,	4	—	,,
4.	,, मादड़ा	,,	5	—	,,	,,	3	—	,,
5.	,, पडावली	,,	6	—	,,	,,	4	—	,,
6.	,, डॉग	,,	4	—	,,	,,	2	—	,,
7.	,, महाडी	,,	4	—	,,	,,	3	—	,,
8.	,, जुडा	,,	6	—	,,	,,	4	—	,,
9.	,, जेड	,,	3	—	,,	,,	2	—	,,
10.	,, बीनरनी	,,	5	—	,,	,,	3	1	–
11.	,, सामोली	,,	4	—	,,	,,	1	—	1
12.	,, बहली	,,	4	—	,,	,,	2	—	–
13.	,, महाद	,,	–	—	,,	1	–	—	1
14.	मावि. मामेर	,,	3	—	,,	1	2	—	–
15.	मावि. मावावौरा	,,	4	—	,,	–	3	—	–
		15	61	1	14	11	37	1	11

सम्बन्धित सूची

बल्लभनगर तहसील के कर्मचारियों के एरियर बिलों की सूची जो जिला परिषद के समय काल की निजी निक्षेप खातों में बजट के अभाव में बाकी रहे।

क्रसं	नाम कर्मचारी	विद्यालय का नाम		राशि
1.	श्री सुन्दरलाल जैन	उ.प्रा.वि.	पचोरिया	3155.00
2.	,, दलपतसिंह शक्तावत	,,	सिहाड	1482.00
3.	,, भवानी सिंह बया	,,	,,	104.00
4.	,, भगवतीलाल बया	,,	,,	777.00
5.	,, बंशीलाल गर्ग	,,	आकोला	4824.00
6.	,, चांदमल टंक	,,	राजपुरा	5379.00
7.	,, जानकीलाल चौबीसा	,,	बांसड़ा	947.00
8.	,, दुर्गाशंकर प्रजापत	,,	नांदवेल	10085.00
9.	,, बालुराम रैगर	,,	कुण्डई	3690.00
10.	,, धनश्यामलाल आमेटा	,,	करणपुर	2719.00
11.	,, हीरालाल सुथार	,,	नीमडो	2449.00
12	,, नर्मदा शंकर दवे	मा.वि.	मालकी ठूस	4615.00
13.	,, श्यामलाल शुक्ला	,,	,,	3926.00
14.	,, प्यारेलाल रैगर	,,	,,	1351.00
15.	,, सुन्दरगिरी गोस्वामी	उ.प्रा.वि.	ठूस डाँगियान	399.00
16.	,, गौतमलाल सोनी	,,	केदारिया	1976.00
			योग:	47,877.00

उपरोक्त बिलों के अलावा कोई एरियर बिल बाकी नहीं है।

(370)

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 623 की सूची

वर्ष 1990

क्रम. सं.	नाम न्यायालय	न्यायालय का स्तर	न्यायालय खोलने का स्थान	नाम जिला
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अत्याचार निवारण न्यायालय	ए.डी.जे. स्तर	जयपुर	जयपुर
2.	" "	"	जोधपुर	जोधपुर
3.	" "	"	कोटा	कोटा
4.	" "	"	अजमेर	अजमेर
5.	" "	"	बीकानेर	बीकानेर
6.	" "	"	उदयपुर	उदयपुर
7.	अपर जिला न्यायालय	"	बारां	बारां
8.	विशेष चल न्यायालय (पानी की चोरी रोकने हेतु)	जे एम. स्तर	कोटा	कोटा

वर्ष 1991

क्रम. सं.	नाम न्यायालय	न्यायालय का स्तर	न्यायालय खोलने का स्थान	नाम जिला
1.	अपर जिला न्यायालय	ए डी जे. स्तर	छबड़ा	कोटा
2.	" "	"	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
3.	" "	"	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़
4.	" "	"	किशनगढ़	अजमेर
5.	" "	"	सोजत	पाली
6.	" "	"	रतनगढ़	चूरू
7.	" "	"	सांभर	जयपुर
8.	" "	"	कोटपुतली	जयपुर
9.	" "	"	चूरू	चूरू
10.	पारिवारिक न्यायालय	डी.जे स्तर	कोटा	कोटा
11.	" "	"	उदयपुर	उदयपुर
12.	न्यायालय साम्प्रदायिक दंगे	ए सी जे एम.	जयपुर	जयपुर

1	2	3	4	5
13.	न्यायालय साम्प्रदायिक दंगे	ए.सी.जे एम.	कोटा	कोटा
14.	पर्यावरण न्यायालय	,,	पाली	पाली

वर्ष 1991 में खोले गये मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की सूची

क्र. सं.	नाम न्यायालय	नाम जिला जहां न्यायालय खोला गया	नाम स्थान जहां न्यायालय खोला गया
1	2	3	4
1.	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय	अजमेर	1. विजयनगर
2.	,, ,,	बूंदी	2. इन्द्रगढ़ 3. लाखेरी
3.	,, ,,	भीलवाड़ा	4. कोटड़ी
4.	,, ,,	बांसवाड़ा	5. गढ़ी 6. घाटोल
5.	,, ,,	बारां	7. शाहबाद 8. मांगरोल
6.	,, ,,	भरतपुर	9. नगर
7.	,, ,,	चित्तौड़गढ़	10. राशमी 11. रावतभाटा
8.	,, ,,	चूरू	12. डूंगरगढ़
9.	,, ,,	दौसा	13. सिकराय 14. लालसोट
10.	,, ,,	धौलपुर	15. बाड़ी
11.	,, ,,	गंगानगर	16. पीलीबंगा
12.	,, ,,	जयपुर	17. बस्सी 18. दूदू
13.	,, ,,	झुन्झुनू	19. उदयपुरवाटी
14.	,, ,,	नागौर	20. कुचामन सिटी
15.	,, ,,	पाली	21. मारवाड़ जंक्शन

1	2	3	4
16.	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय	सीकर	22. लक्ष्मणगढ़
17.	,, ,,	सिरोही	23. रेवदर
18.	,, ,,	सवाई माधोपुर	24. बामनवास 25. महुवा
19.	,, ,,	टोंक	26. देवली
20.	,, ,,	उदयपुर	27. सराड़ा 28. मावली

वर्ष 1992 में खोले गये न्यायालयों की सूची :

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	न्यायालय का स्तर	न्यायालय खोलने का स्थान	नाम जिला
1.	अपर जिला न्यायालय	ए.डी.जे. स्तर	अलवर	अलवर
2.	,, ,,	,,	भरतपुर	भरतपुर
3.	विशिष्ठ न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामलात)	डी. जे. स्तर	जोधपुर	जोधपुर

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न सं. 629 का सूची

परिशिष्ट "अ"

सर्वश्री पाईराईट फास्फेट एण्ड केमिकल लिमिटेड सलादीपुरा के आरक्षित क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टों की सूची :

क्र.सं.	नाम पार्टी	संख्या
1.	सर्वश्री पाईराईड फास्फेट एण्ड केमिकल लिमिटेड	8 प्लोट
2.	निरजन लाल अग्रवाल	2 प्लोट
3.	सर्वश्री सुप्रिम मार्बल्स एण्ड ग्रैनाईट प्राईवेट लिमिटेड, नीमकाथाना।	2 प्लोट

———